बैंककारी विनिमयन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (2) के अनुसार
30 जून 2012 को समाप्त वर्ष के लिए भारत में बैंकिग की प्रवृत्ति
एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2011-12

भारतीय रिज़र्व बैंक

बिक्री मूल्य

भारत में	-	₹ 150	(सामान्य)
	-	₹ 190	(डाक प्रभार सहित)
	-	₹ 110	(रियायती - काउंटर पर)
	-	₹ 150	(रियायती - डाक प्रभार सहित)
विदेश में	-	12	अमरीकी डॉलर (एयर मेल कूरियर प्रभार सहित)

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2012
सर्वाधिकार सुरक्षित। इस सामग्री के उद्धरण की अनुमति है, बशर्ते स्त्रोत के प्रति आभार व्यक्त किया जाए।

संजय कुमार हाँसदा द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई - 400 001 के लिए प्रकाशित और उनके द्वारा एल्को कॉरपोरेशन, ए2/73, शाह अण्ड नहार इंडस्ट्रियल इस्टेट, लोअर परेल (प.), मुंबई - 400 013 में अभिकल्पित और मुद्रित।

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

गवर्नर
GOVERNOR

प्रेषण-पत्र

संदर्भ सं आनीअवि.बीआरडी. 3215/13.01.01/2012-13 8 नवंबर 2012
17 कार्तिक 1934 (शक)

वित्त सचिव
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली - 110 001

प्रिय सचिव महोदय,

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(2) के उपबंधों के अनुसरण में 30 जून 2012 को समाप्त वर्ष के लिए 'भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट' की दो प्रतियां इसके साथ प्रेषित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है।

भवदीय,

(डी. सुब्बाराव)

केन्द्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुम्बई - 400 001, भारत
फोन: +91 22 2266 0868 / 2266 1872 / 2266 2644 फैक्स: +91 22 2266 1784 ई-मेल: governor@rbi.org.in
Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Marg, Mumbai - 400 001, India
Tel: +91 22 2266 0868 / 2266 1872 / 2266 2644 Fax: +91 22 2266 1784 E-mail: governor@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
अध्याय I: भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का परिदृश्य		
1.	भूमिका	1
2.	परिवेश को आकार प्रदान करने वाली शक्तियां	1
3.	परिचालनात्मक एवं कार्यनीतिगत प्रतिक्रियाएं	3
4.	चुनौतियां	6
5.	आगे का रास्ता	9
अध्याय II: वैश्विक बैंकिंग गतिविधियाँ		
1.	भूमिका	10
2.	वैश्विक बैंकिंग प्रवृत्तियाँ	11
3.	चुनिंदा क्षेत्रों और देशों में बैंकिंग की प्रवृत्ति	15
4.	शीर्ष 100 वैश्विक बैंकों के निष्पादन का विश्लेषण	21
5.	वैश्विक नीतिगत सुधार	24
6.	समग्र मूल्यांकन	25
अध्याय III: नीतिगत परिवेश		
1.	भूमिका	27
2.	मौद्रिक नीति	28
3.	ऋण वितरण	29
4.	वित्तीय समावेशन	34
5.	विवेकपूर्ण विनियामक नीति	35
6.	पर्यवेक्षी नीति	40
7.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	42
8.	सहकारी बैंक	43
9.	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी)	44
10.	बैंकों में ग्राहक सेवा	44
11.	वित्तीय बाज़ार	46
12.	भुगतान और निपटान प्रणाली	47
13.	प्रौद्योगिकीय गतिविधियां	50
14.	बैंकिंग क्षेत्र विधान	50
15.	समग्र मूल्यांकन	52

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.

अध्याय IV : वाणिज्य बैंकों के कार्य और निष्पादन .....

1. भूमिका 54
2. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्रीय परिचालन 54
3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का वित्तीय निष्पादन 60
4. सुदृढ़ता संकेतक 62
5. बैंक ऋण का क्षेत्रवार अभिनियोजन 72
6. पूंजी बाजार में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के परिचालन 75
7. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में शेयरधारिता पद्धति 78
8. विदेशी बैंकों के भारत में परिचालन और भारतीय बैंकों के विदेश में परिचालन 78
9. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में प्रौद्योगिकीय विकास 79
10. ग्राहक सेवा 82
11. वित्तीय समावेशन 84
12. स्थानीय क्षेत्र के बैंक 88
13. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 90
14. समग्र आकलन 91

अध्याय V : सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियां .....

1. भूमिका 93
2. शहरी सहकारी बैंक 94
3. ग्रामीण सहकारी संस्थाएं 104
4. ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की लाइसेंसीकरण में प्रगति 113
5. ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के पुनरुज्जीवन में हुई प्रगति 116
6. सहकारी संस्थाओं पर विशेष रूप से प्रभाव डालने वाले ग्रामीण ऋण संबंधी उपायों से संबंधित प्रगति 118
7. समग्र मूल्यांकन 119

अध्याय VI : गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं .....

1. भूमिका 120
2. वित्तीय संस्थाएं 120
3. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां 124
4. प्राथमिक व्यापारी 138
5. समग्र मूल्यांकन 141

बॉक्सों की सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
I.1	बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकीगत नवोन्मेष और कार्य-दक्षता में वृद्धि	4
I.2	समुन्नत समुद्रपारीय पर्यवेक्षण और सहयोग के संबंध में रिज़र्व बैंक का विदेशी समकक्ष संस्थाओं के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू)	5
II.1	लिबॉर दर के निर्धारण संबंधी मुद्दे एवं बैंकों के लिए इसका महत्त्व	15
II.2	यूरो क्षेत्र का संकट तथा सरकारी ऋण तथा बैंक का आपसी संबंध : सरकारी ऋण की रेटिंग को कम किया जाना तथा वैश्विक बैंकिंग प्रणाली के लिए इसका महत्त्व	18
III.1	भारत में बैंकों के ग्राहकों के लिए विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड	39
III.2	व्हाइट लेबल एटीएम	49
IV.1	भारतीय बैंकों की लाभप्रदता किससे प्रभावित होती है?: बैंक समूहों के लिए डू -पॉन्ट विश्लेषण	63
IV.2	बैंकों से बुनियादी सुविधाओं के लिए उधार और आस्ति-देयता असंतुलन: लिंकेज कितना मजबूत है?	74
IV.3	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण - क्या बड़े ऋणों की आवश्यकता के प्रति झुकाव है?	76
IV.4	भुगतान प्रणाली में परिवर्तन की प्रवृत्ति: नकदी से नकदी रहित	81
V.1	शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के भीतर बाजार संकेंद्रण का एक विश्लेषण	98
V.2	कमजोर होता दीर्घावधि सहकारी ऋृण ढांचा : शीर्ष स्तर की संस्थाओं का एक तुलनात्मक विश्लेषण	113
V.3	अल्पावधि ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के पुनरुज्जीवन के लिए सुधार	117
VI.1	माइक्रो फाइनैंस संस्थाएं (विकास और विनियमन) विधेयक, 2012 और माइक्रो फाइनैंस क्षेत्र पर इसका प्रभाव	126
VI.2	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए निष्पक्ष व्यवहार संहिता पर दिशानिर्देश	133

सारणीयों की सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
II.1	चुनिंदा देशों के बैंकों की आस्तियों पर प्रतिलाभ	13
II.2	बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियों और देयताओं में वृद्धि	15
II.3	चुनिंदा देशों के बैंकों का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात	16
III.1	कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना	32
III.2	बासेल III के कार्यान्वयन के लिए चरणवार समय-सीमा	36
IV.1	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का समेकित तुलनपत्र	55
IV.2	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्र में वृद्धि	56
IV.3	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के गैर-एसएलआर निवेश	57
IV.4	बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं - प्रकारानुसार	58
IV.5	बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियाँ - प्रकारानुसार	58
IV.6	बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों का वर्गीकरण - परिपक्वता (अवशिष्ट) और क्षेत्रवार	59
IV.7	भारत को छोड़कर अन्य देशों पर बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे	59
IV.8	चुनिदां देयताओं / आस्तियों की बैंक समूह-वार परिपक्वता प्रोफाइल (मार्च के अंत में)	61
IV.9	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आय और व्यय की प्रवृत्ति	62
IV.10	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्तियों पर प्रतिफल तथा इक्विटी पर प्रतिफल - बैंक समूह-वार	62
IV.11	निधियों की लागत और निधियों पर प्रतिफल - बैंक समूह-वार	64
IV.12	बासेल I और II के अंतर्गत जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात - बैंक समूह-वार (मार्च के अंत में)	65
IV.13	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की घटकवार पूंजी पर्याप्तता (मार्च के अंत में)	65
IV.14	अनर्जक आस्तियों की प्रवृत्ति - बैंक समूह-वार	67
IV.15	विभिन्न चैनलों के माध्यम से वसूले गए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के एनपीए	69
IV.16	एससी/आरसी द्वारा प्रतिभूतिकृत वित्तीय आस्तियों का विवरण	69
IV.17	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों की प्रवृत्तियां - बैंक समूह-वार	70
IV.18	ऋण आस्तियों का वर्गीकरण - बैंक समूह-वार	70
IV.19	देशी बैंकों का क्षेत्रवार एनपीए*	72
IV.20	सकल बैंक ऋण का क्षेत्रवार अभिनियोजन	73
IV.21	बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (मार्च 2012 के सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार के अनुसार)	75
IV.22	बैंकों का खुदरा पोर्टफोलियो	77
IV.23	बैंकिंग क्षेत्र के सार्वजनिक निर्गम	77
IV.24	प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से बैंकों द्वारा जुटाए गए संसाधन	77
IV.25	बैंक स्टॉक्स का जोखिम-प्रतिफल निष्पादन, टर्नओवर और पूंजीकरण	77
IV.26	निजी शेयरधारिता के प्रतिशत के आधार पर वर्गीकृत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की संख्या* (मार्च 2012 के सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार के अनुसार)	78

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
IV.27	भारतीय बैंकों का विदेशी परिचालन (मार्च के अंत में).....	79
IV.28	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के एटीएम (मार्च 2012 के अंत में).....	80
IV.29	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी क्रेडिट और डेबिट कार्ड (मार्च के अंत में).....	80
IV.30	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा किए गए इलेक्ट्रॉनिक लेनदेनों की मात्रा और मूल्य	82
IV.31	बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों को प्राप्त क्षेत्रवार शिकायतें.....	83
IV.32	वित्तीय समावेशन के चयनित संकेतक- विभिन्न देशों की तुलना.....	84
IV.33	2011-12 के दौरान क्षेत्रवार और जनसंख्या समूहवार खोली गई नई बैंक शाखाएं	85
IV.34	विभिन्न केंन्द्रों में स्थित अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के एटीएम की संख्या (मार्च 2012 के अंत में)	86
IV.35	2000 से अधिक जनसंख्या वाले गावों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने की योजना की प्रगति (31 मार्च 2012 की स्थिति)	86
IV.36	वित्तीय समावेशन योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति.....	88
IV.37	माइक्रोफाइनैंस कार्यक्रमों की प्रगति (मार्च के अंत में)	88
IV.38	स्थानीय क्षेत्र के बैंकों का प्रोफ़ाइल (मार्च के अंत में)	89
IV.39	स्थानीय क्षेत्र के बैंकों का वित्तीय निष्पादन.....	89
IV.40	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समेकित तुलन-पत्र	90
IV.41	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वित्तीय निष्पादन	90
IV.42	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण का प्रयोजन-वार वितरण	91
V.I	शहरी सहकारी बैंकों का टियर-वार वितरण (मार्च 2012 के अंत में)	96
V.2	रेटिंग के आधार पर शहरी सहकारी बैंकों का वितरण (मार्च 2012 के अंत में)	96
V.3	जमा एवं अग्रिम के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों का वितरण	97
V.4	शहरी सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां.....	99
V.5	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा किए गए निवेश	100
V.6	अनुसूचित और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का वित्तीय निष्पादन (मार्च 2012 के अंत में)	101
V.7	शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाभप्रदता के चुनिंदा संकेतक.....	101
V.8	शहरी सहकारी बैंकों की अनर्जक आस्तियां.....	102
V.9	शहरी सहकारी बैंकों का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात के अनुसार वर्गीकरण (मार्च 2012 के अंत में).....	102
V.10	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिए गए ऋण की संरचना (मार्च 2012 के अंत में) ...	103
V.11	सभी क्षेत्रों में शहरी सहकारी बैंकों के जिलों और बैंकिंग व्यवसाय का विन्यास.....	104
V.12	शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में क्षेत्रवार प्रति शाखा बैंकिंग कारोबार की मात्रा.....	104
V.13	ग्रामीण सहकारी संस्थाओं का प्रोफाइल (मार्च 2011 के अंत में)	105
V.14	राज्य सहकारी बैंकों की देयताएं एवं आस्तियां (मार्च 2011 के अंत में).....	106
V.15	अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के चुनिंदा तुलन-पत्र संकेतकों की प्रवृत्तियां.....	106
V.16	राज्य सहकारी बैंकों का वित्तीय निष्पादन.....	106

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
V.17	राज्य सहकारी बैंकों के सुदृढ़ता संकेतक	107
V.18	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां	108
V.19	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का वित्तीय निष्पादन	108
V.20	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के सुदृढ़ता संकेतक	109
V.21	प्राथमिक कृषि ऋण समितियां-चयनित तुलन-पत्र संकेतक	110
V.22	राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की देयताएं और आस्तियां	112
V.23	राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का वित्तीय निष्पादन	114
V.24	राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता	114
V.25	प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की देयताएं और आस्तियाँ	115
V.26	प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का वित्तीय निष्पादन	115
V.27	प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता	116
VI.1	वित्तीय संस्थाओं के स्वामित्व का स्वरूप (31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार)	120
VI.2	वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता	121
VI.3	वित्तीय संस्थाओं की देयताएं और आस्तियां (मार्च के अंत में)	121
VI.4	वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए संसाधन	122
VI.5	वित्तीय संस्थाओं द्वारा मुद्रा बाजार से जुटाए गए संसाधन (मार्च 2012 के अंत में)	122
VI.6	वित्तीय संस्थाओं की निधियों के स्रोतों और नियोजन की प्रवृत्ति*	122
VI.7	चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए रुपया संसाधनों की भारित औसत लागत और परिपक्वता	123
VI.8	चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं की दीर्घावधि पीएलआर संरचना	123
VI.9	चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं का वित्तीय निष्पादन	123
VI.10	वित्तीय संस्थाओं के चुनिंदा वित्तीय मानदंड	123
VI.11	निवल अनर्जक आस्तियां (मार्च के अंत में)	124
VI.12	वित्तीय संस्थाओं का आस्ति वर्गीकरण	124
VI.13	चयनित वित्तीय संस्थाओं की जोखिम (भारित) आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (मार्च के अंत में)	125
VI.14	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के स्वामित्व का स्वरूप (31 मार्च 2012 को)	127
VI.15	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की रूपरेखा	127
VI.16	जमाराशि लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का समेकित तुलन-पत्र	128
VI.17	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के वर्गीकरण-वार जमाराशि लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की देयताओं के मुख्य घटक	128
VI.18	जमाराशि लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियां-जमाराशि-वार	129
VI.19	जमा लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियां- क्षेत्र-वार	129
VI.20	जमाराशि लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियाँ - जमा ब्याज दर दायरे के अनुसार	130

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
VI.21	जमाराशि लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों की परिपक्वता प्रोफाइल	130
VI.22	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वर्गीकरण-वार जमाराशि लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की उधारियों के स्रोत	131
VI.23	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वर्गीकरण-वार जमाराशि लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्तियों के मुख्य घटक	131
VI.24	आस्ति आकार के दायरे के अनुसार जमाराशि लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्तियाँ (मार्च के अंत में)	131
VI.25	जमाराशि लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्तियों के ब्यौरे- कार्यकलाप-वार	132
VI.26	जमाराशि लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वित्तीय निष्पादन	132
VI.27	जमाराशि लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के एनपीए अनुपात	132
VI.28	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वर्गीकरण के अनुसार जमाराशि लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एनपीए	133
VI.29	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वर्गीकरण के अनुसार जमाराशि लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्तियों का वर्गीकरण	134
VI.30	जमाराशि लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (कंपनियों की संख्या)	135
VI.31	वर्गीकरणवार जमाराशि लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सार्वजनिक जमाराशियों की तुलना में निवल स्वाधिकृत निधियां	135
VI.32	जमाराशि लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सार्वजनिक जमाराशियों की तुलना में निवल स्वाधिकृत निधि का दायरा	135
VI.33	अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों का प्रोफाइल	136
VI.34	अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियां - क्षेत्र-वार	136
VI.35	अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों के निवेश का स्वरूप	136
VI.36	एनबीएफसी-एनडी-एसआई का समेकित तुलन-पत्र	137
VI.37	एनबीएफसी-एनडी-एसआई की उधारियां - क्षेत्र-वार	137
VI.38	एनबीएफसी-एनडी-एसआई क्षेत्र का वित्तीय निष्पादन	138
VI.39	एनबीएफसी-एनडी-एसआई क्षेत्र के अनर्जक आस्ति अनुपात	138
VI.40	एनबीएफसी-एनडी-एसआई का पूंजी पर्याप्तता अनुपात- एनबीएफसी के प्रकार के अनुसार	138
VI.41	एनबीएफसी -एनडी- एसआई क्षेत्र का बैंक एक्सपोजर (मार्च 2012 के अंत में)	138
VI.42	प्राथमिक बाजार में प्राथमिक व्यापारियों का कार्य-निष्पादन (मार्च के अंत में)	139
VI.43	द्वितीयक बाजार में स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों का कार्य-निष्पादन (मार्च के अंत में)	139
VI.44	स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों की निधियों के स्रोत और उपयोग	140
VI.45	स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों का वित्तीय निष्पादन@	140
VI.46	स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों के वित्तीय संकेतक	140
VI.47	स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों का सीआरएआर (मार्च के अंत में)	140

चार्ट

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
II.1	वैश्विक समष्टि-आर्थिक प्रवृत्तियाँ	11
II.2	बैंक की ऋण वृद्धि का त्रैमासिक चल औसत	12
II.3	चुनिंदा देशों के सरकारी और बैंक सीडीएस स्प्रेड	13
II.4	चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं/ अर्थव्यवस्था समूहों में बैंक स्टॉक सूचकांक	14
II.5	चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं की बैंकिंग प्रणाली में लीवरेज	16
II.6	चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं में आस्तियों की गुणवत्ता	16
II.7	अमरीकी बैंकिंग प्रणाली की प्रगति	17
II.8	अमरीकी बैंकों का क्षेत्रवार ऋण तथा चूक	17
II.9	यूरोपीय बैंकों के निधीयन का ढांचा तथा अंतर-बैंक बाजार	19
II.10	यूरो क्षेत्र में एलटीआरओ तथा निजी क्षेत्र को ऋण	20
II.11	यूरोपीय बैंकों का ग्रीस के प्रति एक्सपोज़र	20
II.12	यूके के बैंकों द्वारा कंपनियों को दिए गए कुल ऋण	21
II.13	चीनी बैंकिंग के संकेतक	21
II.14	वैश्विक बैंकिंग सांख्यिकी का स्थान	21
II.15	शीर्ष 100 वैश्विक बैंकों की कुल आस्तियों में देशों का हिस्सा	22
II.16	आस्तियों पर प्रतिलाभ के आधार पर शीर्ष 100 वैश्विक बैंकों का प्रतिशत वितरण	22
II.17	सीआरएआर के आधार पर शीर्ष 100 वैश्विक बैंकों का प्रतिशत वितरण	22
II.18	पूंजी पर्याप्तता (लीवरेज) अनुपात के आधार पर शीर्ष 100 वैश्विक बैंकों का प्रतिशत वितरण	23
II.19	अनर्जक ऋण अनुपात के आधार पर शीर्ष वैश्विक बैंकों का प्रतिशत वितरण	23
II.20	शीर्ष वैश्विक बैंकों के सुदृढ़ता संकेतकों में परिवर्तन	23
IV.1	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल देयताओं /आस्तियों में बैंक समूहों का हिस्सा (मार्च 2012 के अंत में)	56
IV.2(क)	कुल जमाराशियों में सीएएसए जमाराशियों का हिस्सा (मार्च के अंत में)	57
IV.2(ख)	जमाराशियों की संरचना (मार्च 2012 के अंत में)	57
IV.3	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के वृद्धिशील सी-डी तथा आई-डी अनुपात	59
IV.4	बैंक समूह-वार वृद्धिशील सी-डी तथा आई-डी अनुपात (मार्च 2012 के अंत में)	60
IV.5	आस्तियों और देयताओं के परिपक्वता प्रोफाइल में प्रवृत्ति (मार्च के अंत में)	60
IV.6	तुलन पत्र देयताओं के प्रतिशत के रूप में तुलनपत्रेतर एक्स्पोज़र (नोशनल) (मार्च के अंत में)	61
IV.7	दक्षता सूचकांक की प्रवृत्ति	64
IV.8(क)	निधियों की लागत	65
IV.8(ख)	निधियों पर प्रतिलाभ	65
IV.9(क)	सीआरएआर के अनुसार बैंकों का विभाजन (मार्च 2012 के अंत में)	66
IV.9(ख)	सरकारी क्षेत्र के बैंकों का टियर I सीआरएआर (मार्च 2012 के अंत में)	66

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
IV.10	पूंजी पर्याप्तता की प्रवृत्ति (मार्च 2012 के अंत में)	66
IV.11	अग्रिमों की तुलना में एनपीए की वृद्धि दर	66
IV.12	सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सकल एनपीए	67
IV.13	एनपीए से संबंधित महत्त्वपूर्ण अनुपातों की प्रवृत्ति	68
IV.14	एनपीए से संबंधित बैंक समूह-वार अनुपात (मार्च 2012 के अंत में)	68
IV.15	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रुप में पुर्नगठित अग्रिम (मार्च के अंत में)	68
IV.16	सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रुप में पुर्नगठित अग्रिम: बैंक समूह-वार (मार्च के अंत में)	69
IV.17(क)	सकल एनपीए अनुपात (प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र): बैंक समूह-वार	71
IV.17(ख)	सकल एनपीए अनुपात (गैर-प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र): बैंक समूह-वार	71
IV.18	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के एनपीए की संरचना (मार्च 2011 तथा 2012 के अंत में)	71
IV.19	इनफ्रास्ट्रक्चर ऋण की प्रवृत्ति	73
IV.20	सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार (मार्च 2012 के अंत में)	75
IV.21	बैंकेक्स और बीएसई सूचकांक -2011-12 का तुलनात्मक कार्यनिष्पादन	78
IV.22	सरकारी क्षेत्र के चुनिंदा बैंकों में सरकार की शेयरधारिता (मार्च 2012 के अंत में)	78
IV.23(क)	बकाया क्रेडिट/डेबिट कार्डों की संख्या	80
IV.23(ख)	कुल क्रेडिट/डेबिट कार्डों में बैंक समूहों का हिस्सा (मार्च 2012 के अंत में)	80
IV.24(क)	प्रमुख शिकायतों का बैंक समूह-वार विश्लेषण : 2011-12	83
IV.24(ख)	कुल शिकायतो में बैंक समूहों का हिस्सा	83
IV.25(क)	एटीएम की वृद्धि में जनसंख्या समूहों का हिस्सा 2011-12	85
IV.25(ख)	नए खोले गये कुल एटीएमों की संख्या में क्षेत्रों का हिस्सा 2011-12	85
IV.26(क)	2000 से अधिक की जनसंख्या वाले गावों में खोले गये नये बैंकिंग आउटलेट में बैंक समूहों का हिस्सा (मार्च 2012 के अंत में)	87
IV.26(ख)	2000 से अधिक की जनसंख्या वाले गावों में बैंकिंग आउटलेट रखने वाले सरकारी क्षेत्र के बैंकों की संरचना (मार्च 2012 के अंत में)	87
IV.27	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की लाभप्रदता की प्रवृत्ति	90
V.1	भारत में सहकारी ऋण संस्थाओं का ढांचा (मार्च 2012 के अंत की स्थिति)	94
V.2	वित्तीय क्षमता के आधार पर शहरी सहकारी बैंकों की संख्या और संरचना	95
V.3	मार्च 2012 के अंत की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों में शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र में हुए समेकन की प्रगति	95
V.4	शहरी सहकारी बैंकों की टियर-वार संरचना	96
V.5	आस्ति के आकार के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों का वितरण	97
V.6	शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों में वृद्धि	99
V.7	शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र की कुल आस्तियों में अनुसूचित और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की हिस्सेदारी	100

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
V.8	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में शहरी सहकारी बैंकों के लिए ऋण-जमा और निवेश-जमा अनुपात	100
V.9	सकल अनर्जक आस्तियों की वृद्धि और अनुपात	101
V.10	शहरी सहकारी बैंकों का प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात	102
V.11	शहरी सहकारी बैंकों का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात के अनुसार वर्गीकरण, 2012	102
V.12	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा चुनिंदा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण वितरण का प्रतिशत	103
V.13	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा कमजोर वर्ग को दिए गए ऋण वितरण का प्रतिशत	103
V.14	अल्पावधि और दीर्घावधि ऋण सहकारी समितियों के अनुसार ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचे की संरचना	104
V.15	ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं की लाभप्रदता	105
V.16	राज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति के संकेतक	107
V.17	राज्य सहकारी बैंकों की क्षेत्रवार वित्तीय स्थिति	108
V.18	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के वित्तीय स्थिति के संकेतक	109
V.19	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की क्षेत्रवार वित्तीय स्थिति	109
V.20	राज्य सहकारी बैंकों तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति की तुलना	110
V.21	प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के बकाया ऋण में वृद्धि	110
V.22	प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का सदस्य-उधारकर्ता अनुपात	111
V.23	लाभ तथा हानि में रहने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का प्रतिशत	111
V.24	राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की अनर्जक आस्ति की अन्य सहकारी बैंकों तथा वाणिज्यिक बैंकिंग संस्थाओं के साथ तुलना	114
V.25	राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की वित्तीय स्थिति की क्षेत्रीय तुलना	114
V.26	पीसीएआरडीबी के लाभप्रदता संकेतक	115
V.27	राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की तुलना में प्रारम्भिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की वित्तीय स्थिति	116
V.28	जारी किए गए कुल किसान क्रेडिट कार्डों में ग्रामीण ऋण संस्थाओं की हिस्सेदारी	118
V.29	प्रत्यक्ष कृषि ऋण में ग्रामीण ऋण संस्थाओं की हिस्सेदारी	118
VI.1	रिज़र्व बैंक में पंजीकृत एनबीएफसी की संख्या	127
VI.2	व्यापक चलनिधि (एल3) और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों की तुलना में एनबीएफसी की जनता की जमाराशियों का अनुपात	127
VI.3	जमाराशियों के दायरे के अनुसार एनबीएफसी-डी द्वारा धारित जनता की जमाराशियों का हिस्सा	129
VI.4	एनबीएफसी-डी द्वारा धारित जनता की जमाराशियों का हिस्सा: क्षेत्र-वार प्रतिशत	129
VI.5	एनबीएफसी-डी द्वारा धारित जनता की जमाराशियां :ब्याज दर दायरे-वार (प्रतिशत)	130
VI.6	एनबीएफसी-डी द्वारा धारित जनता की जमाराशियां का परिपक्वता स्वरूप (प्रतिशत)	130
VI.7	एनबीएफसी-डी का वित्तीय कार्य-निष्पादन	132

परिशिष्ट सारणियों की सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
IV.1	बैंकिंग क्षेत्र, एक नजर में	142
IV.2	भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजर	143
IV.3	संवेदनशील क्षेत्रों में बैंक समूह-वार उधार	144
IV.4	बीएसई में बैंक स्टॉक का शेयर मूल्य तथा मूल्य/अर्जन अनुपात (सूचना देने के लिए नियत मार्च के अंतिम शुक्रवार को)	145
IV.5	देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शेयरधारिता का स्वरूप (मार्च 2012 के अंत में)	146
IV.6	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शाखाएं और एटीएम (मार्च 2012 के अंत में)	148
IV.7	बैंकिंग लोकपाल कार्यालय में प्राप्त शिकायतों का विवरण	151
IV.8	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का ऋण-जमा अनुपात और निवेश तथा ऋण-जमा अनुपात - क्षेत्र-वार/ राज्य-वार	154
V.1	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के चुनिंदा वित्तीय मानदंड	155
V.2	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय कार्य-निष्पादन के प्रमुख संकेतक	156
V.3	शहरी सहकारी बैंक का राज्यवार वितरण (मार्च 2012 के अंत में)	158
V.4	राज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति के प्रमुख संकेतक - क्षेत्रवार और राज्यवार (मार्च के अंत में)	159
V.5	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति के प्रमुख संकेतक - क्षेत्रवार और राज्यवार (मार्च के अंत में)	160
V.6	प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के चुनिंदा संकेतक - राज्यवार (31 मार्च 2011 को)	161
V.7	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की वित्तीय स्थिति के प्रमुख संकेतक - राज्यवार (मार्च के अंत में)	163
V.8	प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की वित्तीय स्थिति के प्रमुख संकेतक - राज्यवार (मार्च के अंत में)	164
V.9	किसान क्रेडिट कार्ड योजना - राज्यवार प्रगति (मार्च 2012 के अंत में)	165
VI.1	वित्तीय संख्याओं द्वारा स्वीकृत और संवितरिक वित्तीय सहायता	166
VI.2	प्राथमिक व्यापारियों के वित्तीय कार्य-निष्पादन	168
VI.3	प्राथमिक व्यापारियों के चुनिंदा वित्तीय संकेतक	169

चुनिंदा संक्षेपाक्षर सूची

एडी	प्राधिकृत व्यापारी
एडीआर	अमरीकी निक्षेपागार रसीद
एडीडब्ल्यूडीआर	कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना
एईएस	उन्नत अर्थव्यवस्थाएं
एएफसी	आस्ति वित्त कंपनियां
एएफआई	वार्षिक वित्तीय निरीक्षण
एआईएफआईज़	अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं
एएलएम	आस्ति-देयता प्रबंधन
एएमए	उन्नत मापन दृष्टिकोण
एएमएल	धन शोधन निवारण
एएनबीसी	समायोजित निवल बैंक ऋण
एआरडीबी	कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एएसए	एकांतर मानकीकृत दृष्टिकोण
एटीएम	स्वचालित टेलर मशीन
बीबीए	ब्रिटिश बैंकर्स एसोसिएशन
बीसी	बिज़नेस कॉरेस्पांडेंट
बीसीबीएस	बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति
बीसीपी	कारोबार निरंतरता योजना
बीसीपी-डीआर	कारोबार निरंतरता प्रबंधन और डिज़ास्टर रिकवरी
बीसीएसबीआई	भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड
बीएफ	कारोबार सुलभ कर्त्ता
बीएफएस	वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड
बीआईएफआर	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
बीआईएस	अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक
बीओ	बैंकिंग लोकपाल
बीओडी	निदेशक मंडल
बीओएम	प्रबंधन बोर्ड
बीपीआर	बिज़नेस प्रोसेस रि-इंजीनियरिंग
बीएसई	बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि.
सीएएमईएलएस	पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, प्रबंधन, आय, चलनिधि और प्रणाली और नियंत्रण
सीएआर	पूंजी पर्याप्तता अनुपात
सीएएस	सामान्य लेखांकन प्रणाली
सीएएसए	चालू खाता और बचत खाता
सीबीआई	केंद्रीय अन्वेषण बोर्ड
सीबीएलओ	संपार्श्वीकृत ऋण लेने और ऋण देने संबंधी बाध्यता
सीबीएस	कोर बैंकिंग समाधान
सीसीएआर	व्यापक पूंजी मूल्यांकन समीक्षा
सीसीबी	पूंजी संरक्षण बफर
सीसीएफ	ऋण परिवर्तन कारक
सीसीपी	केंद्रीय प्रतिपक्षकार
सीडी	जमा प्रमाणपत्र
सीडी रेशिओ	ऋण-जमा अनुपात
सीडीएस	क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप
सीई	सामान्य इक्विटी
सीईओ	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सीईओबीएसई	ऋण समतुल्य राशि तुलनपत्रेतर एक्सपोज़र
सीएफएसए	वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति
सीएफटी	आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध
सीजीएफएस	वैश्विक वित्तीय स्थिरता समिति
सीजीएस	ऋण गारंटी योजना
सीजीटीएमएसई	माइक्रो और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास
सिबिल	भारतीय साख सूचना ब्यूरो लिमिटेड
सीआईसी	ऋण सूचना कंपनी
सीआईसीज़-एनडी-एसआई	प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण कोर निवेश कंपनियां
सीआईसीएस	कोर निवेश कंपनियां
सीएमबी	नकदी प्रबंधन बिल
सीएमसीजी	क्षतिपूर्ति निगरानी संपर्क समूह
सीएमई	पूंजी बाजार एक्सपोज़र

सीएनपी	बिना कार्ड
सीओआर	पंजीकरण प्रमाणपत्र
सीपी	वाणिज्यिक पत्र
सीपी	कार्ड द्वारा
सीपीएसएस	भुगतान और निपटान प्रणाली समिति
सीआर	आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात
सीआरएआर	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात
सीआरएज़	क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां
सीआरडी IV	पूंजी अपेक्षा निदेशक IV
सीआरआर	आरक्षित नकदी निधि
सीटीएस	चेक ट्रंकेशन प्रणाली
डीसीसीबी	जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक
डीजीए	अवधि अंतराल विश्लेषण
डीआईसीजीसी	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
डीआईएन	निदेशक पहचान संख्या
डीएलआईसी	जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति
डीएमएफसी	जिला माइक्रो फाइनैंस समिति
डीआर	डिज़ास्टर रिकवरी
डीआरटी	ऋण वसूली ट्रिब्यूनल
डीएसए	प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट
डी-एसआईबी	प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण देशी बैंक
ईएआर	जोखिमग्रस्त आय
ईबीए	यूरोपियन बैंकिंग प्राधिकरण
ईबीटी	इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रान्सफर
ईसीसीएस	एक्सप्रेस चेक समाशोधन प्रणाली
ईसीएस	इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा
ईडीईज़	उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं
ईईएफसी	विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता
ईएफएसएफ	यूरोपियन वित्तीय स्थिरता सुविधा
ईएफएसएम	यूरोपियन वित्तीय स्थिरता प्रणाली
ईआईओपीए	यूरोपियन इन्श्योरेंस एंड आक्यूपेशनल पेंशन्स आथारिटी
ईएल	प्रत्याशित हानि
ईएमई	उभरती बाजार अर्थव्यवस्था
ईएमवी	यूरो पे मास्टरकार्ड वीज़ा
ईएसए	यूरोपियन पर्यवेक्षी प्राधिकारी
ईएसएफएस	वित्तीय पर्यवेक्षण की यूरोपियन प्रणाली
ईएसएम	यूरोपियन स्थिरता प्रणाली
ईएसएमए	यूरोपियन सिक्यूरिटीज़ एण्ड मार्केट्स आथारिटी
ईएसआरबी	यूरोपियन सिस्टमिक रिस्क बोर्ड
ईयू	यूरोपियन संघ
यूरीबोर	यूरो अंतर-बैंक प्रस्तावित दर
ईडब्ल्यूएस	आर्थिक कमजोर वर्ग
एक्ज़िम बैंक	भारतीय निर्यात-आयात बैंक
एफएएसबी	वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड
एफएटीएफ	वित्तीय कार्रवाई कार्य बल
एफबी	विदेशी बैंक
एफसीज	वित्तीय संगुट
एफसीए	वित्तीय आचरण प्राधिकारी
एफसीसीबी	विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड
एफसीएमडी	फाइनेंशियल कांग्लोमरेट मॉनीटरिंग डिवीजन
एफसीएनआर(बी)	विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक)
एफसीआरए	वायदा अंशदान (विनियमन) अधिनियम
एफडीआईसी	फेडरल डिपॉजिट इन्श्योरेंस कॉर्पोरेशन
एफईएमए (फेमा)	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम
एफपीसी	निष्पक्ष व्यवहार संहिता
एफएचसी	वित्तीय होल्डिंग कंपनी
एफआई	वित्तीय संस्था
एफआईआई	विदेशी संस्थागत निवेशक
एफआईपी	वित्तीय समावेशन योजना

एफएलसीसी	वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्र
एफएमआई	वित्तीय बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर
एफएमयू	विदेशी बाजार उपयोगिताएं
एफपीसी	वित्तीय नीति समिति
एफएसए	वित्तीय सेवा प्राधिकारी
एफएसएपी	वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम
एफएसबी	वित्तीय स्थिरता बोर्ड
एफएसडीसी	वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद
एफएसएलआरसी	वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग
एफएसओसी	वित्तीय स्थिरता निगरानी परिषद
एफएसआर	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
जीएएपी	सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत
जी सेक	सरकारी प्रतिभूतियां
जीसीसी	सामान्य क्रेडिट कार्ड
जीडीपी	सकल देशी उत्पाद
जीडीआर	वैश्विक निक्षेपागार रसीद
जीएफएसआर	वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
जीएचओएस	गवर्नर और पर्यवेक्षण प्रमुख
जीआईसी	भारतीय सामान्य बीमा निगम
जीएनपीए	सकल अनर्जक आस्तियां
जी-एसआईबी	प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण वैश्विक बैंक
एचएफसी	आवास वित्त कंपनियां
एचएलएससी	उच्च स्तरीय संचालन समिति
एचआरएम	मानव संसाधन प्रबंध
एचआर	मानव संसाधन
एचएसबीसी	हांगकांग एण्ड संघाई बैंकिंग कार्पोरेशन
एचटीएम	परिपक्वता तक धारित
आईएडीएस	स्वतंत्र एटीएम स्थापनकर्ता
आईएएस	अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक
आईएएसबी	अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानकबोर्ड
आईबीए	भारतीय बैंक संघ
आईसीएआई	भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
आईसीबी	स्वतंत्र बैंकिंग आयोग
आइसीज़	निवेश कंपनियां
आईसीआईसीआई	भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम
आईसीटी	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आईडीबीआई	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
आईडीएफसी-एनबीएफसी	बुनियादी ढांचा ऋण निधि - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
आईडी रेशिओ	जमा-निवेश अनुपात
आईडीआरबीटी	बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान
आईएफसी	इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनी
आईएफआरएस	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक
आईआईबीआई	भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक
आईएल	उठाई गयी हानि
आईएमए	आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण
आईएमएफ	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
इन्फिनेट	भारतीय वित्तीय नेटवर्क
आईओएससीओ	अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन
आईआरबी	आंतरिक रेटिंग आधारित
आईआरसी	वृद्धिशील जोखिम प्रभार
आईआरडीए	बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
आईआरएसडी	अवधि अंतराल विश्लेषण के अंतर्गत ब्याज दर संवेदनशीलता
आईएसओ	स्वतंत्र सेवा संगठन
आईएस	सूचना सुरक्षा
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
आईवीआर	इंटरऐक्टिव वॉइस रिस्पांस
आईडब्ल्यूजी	अंतरिक कार्य समूह

जेएलजीज़	संयुक्त देयता समूह
केए	प्रमुख विशेषताएं
केसीसी	किसान क्रेडिट कार्ड
केवाईसी	अपने ग्राहक को जानिए
एलएबी	स्थानीय क्षेत्र बैंक
एलएएफ	चलनिधि समायोजन सुविधा
एलसीबीजी	बड़े और जटिल बैंकिंग समूह
एलसीआर	चलनिधि कवरेज अनुपात
एलसीज़	कर्ज कंपनियां
एलडीबी	भूमि विकास बैंक
एलईआई	दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव
एलजीडी	हानि के कारण चूक
लिबॉर	लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर
एलआईसी	भारतीय जीवन बीमा निगम
एलआईजी	निम्न आय वर्ग
एलटीआरओ	दीर्घकालिक पुनर्वित्त परिचालन
एलटीसीसीएस	दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना
एलडब्ल्यूई	बाम पक्ष विस्तार
एमएजी	समष्टि आर्थिक मूल्यांकन समूह
एमएपी	निगरानी योग्य कार्रवाई योजना
एमसीए	कंपनी कार्य मंत्रालय
एमडीजी	संशोधित अवधि अंतराल
एमईएनए	मध्य-पूर्व और उत्तर अफ्रीका
एमएफडीसी	माइक्रो फाइनैंस विकास परिषद
एमएफडीईएफ	माइक्रो फाइनैंस विकास और ईक्विटी फंड
एमएफआई	माइक्रो फाइनैंस संस्थान
एमएचपी	न्यूनतम धारण अवधि
एमआईएस	प्रबंध सूचना प्रणाली
एमएनओ	मोबाईल नेटवर्क ऑपरेटर
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमआरआर	न्यूनतम धारण आवश्यकता
एमएसई	माइक्रो और लघु उद्यम
एमएसएफ	सीमांत स्थायी सविधा
एमएसएमई	माइक्रो, लघु और मझोले उद्यम
एमवीई	इक्विटी का बाजार मूल्य
नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनएएफएससीओबी	राज्य सहकारी बैंकों का राष्ट्रीय परिसंघ
एनबीएफसी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनबीएफसी-डी	जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनबीएफसी-एनडी	जमाराशियां न लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनबीएफसी-एनडी-एसआई	जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनबीएफसी-एमएफआई	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - माइक्रो फाइनैंस संस्थान
एनबीएफआई	गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं
एनसीसी	राष्ट्रीय ऋण परिषद
एनडीएस-ओएम	तयशुदा लेन-देन प्रणाली - आर्डर मैचिंग
एनडीटीएल	निवल मांग और मीयादी देयता
एनईसीएस	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा
एनईएफटी	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण
एनजीओ	गैर-सरकारी संगठन
एनजी- आरटीजीएस	नई पीढ़ी की तत्काल सकल भुगतान प्रणाली
एनएचबी	राष्ट्रीय आवास बैंक
एनआईआई	निवल ब्याज आय
एनआईएम	निवल ब्याज मार्जिन
एनआईएमसी	राष्ट्रीय कार्यान्वयन और निगरानी समिति
एनओसी	अनापत्ति प्रमाणपत्र
एनओएफ	निवल स्वाधिकृत निधियां
एनओएचसी	निष्क्रिय होल्डिंग कंपनी
एनओओपीएल	निवल ओवरनाइट ओपन पोजिशन लिमिट

एनपीए	अनर्जक आस्तियां
एनपीसीआई	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
एनपीएलज	अनर्जक कर्ज
एनआरई	अनिवासी बाह्य
एनआरईजीए	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एनआरआरडीए	राष्ट्रीय ग्रामीण मार्ग विकास एजेंसी
एनआरओ	अनिवासी सामान्य
एनएसएफआर	निवल स्थिर निधीयन अनुपात
ओबीएस	तुलनपत्रेतर
ओईसीडी	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
ओएमओ	खुला बाज़ार परिचालन
ओएमटी	त्वरित मौद्रिक लेन-देन
ऑस्मॉस	अप्रत्यक्ष निगरानी और चौकसी प्रणाली
ओटीसी	ओवर द काउंटर
पीएसीएस	प्राथमिक कृषि ऋण समिति
पीएटी	कर पश्चात लाभ
पीबीटी	कर पूर्व लाभ
पीसीएआरडीबी	प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
पीसीआर	कवरेज - प्रावधानीकरण अनुपात
पीडी	प्राथमिक व्यापारी
पीडीओ-एनडीएस	पीडीओ - एनडीएस
पीई	मूल्य अर्जन
पीएफआरडीए	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
पीआईएन	व्यक्तिगत पहचान संख्या
पीओएस	बिक्री स्थान
पीपीआईज़	पूर्वदत्त भुगतान लिखत
पीआरए	विवेकपूर्ण विनियमन प्राधिकरण
पीआरबी	निजी क्षेत्र के बैंक
पीएसबी	सरकारी क्षेत्र के बैंक
आरसीएस	सहकारी समिति के पंजीयक
आरआईडीएफ	ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निधि
आरएनबीसी	अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी
आरओए	आस्तियों पर आय
आरओई	इक्विटी पर आय
आरओआरडब्ल्यूए	जोखिम भारित आस्तियों पर आय
आरआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरएसए	दर संवेदनशील आस्तियां
आरएसएल	दर संवेदनशील देयताएं
आरटीजीएस	तत्काल सकल निपटान प्रणाली
आरड्ब्ल्यूए	जोखिम भारित आस्तियां
एसएओ	मौसमी कृषि कार्य
एसएआर	विशेष प्रशासन विनियम
एसएआरएफएईएसआई	वित्तीय आस्ति प्रतिभूतीकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन
एसबीएलपी	स्वयं सहायता समूह - बैंक लिंकेज कार्यक्रम
एससी	अनुसूचित जाति
एससीएपी	पर्यवेक्षी पूंजी मूल्यांकन कार्यक्रम
एससीएआरडीबी	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एससीबी	अनुसूचित वाणिज्य बैंक
एससीएस/आरसीज़	प्रतिभूतीकरण कंपनी / पुनर्निर्माण कंपनी
एसडीएस	विशेष वितरण योजना
सेबी	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
सिडबी	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
एसआईएफसीएल	सहारा इंडिया वित्तीय निगम लिमिटेड
एसआईएफआई	प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था
एसएलआईएमसी	राज्य स्तरीय कार्यान्वयन और निगरानी समिति
एसएलआर	सांविधिक चलनिधि अनुपात
एसएमई	लघु एवं मझोले उद्यम

एसएमएफसी	राज्य मैक्रों फाइनैंस परिषद
एसपीवी	विशेष प्रयोजन संस्था
एसएसआई	लघु उद्योग
एसटी	अनुसूचित जनजाति
एसटीसीबी	राज्य सहकारी बैंक
एसटीसीसीएस	अल्पकालिक सहकारी ऋण ढांचा
एसआरआर	विशेष समाधान व्यवस्था
टीएजी	तकनीकी सलाहकार समूह
टी/बी	खजाना बिल
टीएएफसीयूबी	शहरी सहकारी बैंकों के लिए कार्यबल
टीजीए	पारंपरिक अंतराल विश्लेषण
टीएलई	टर्मिनल लाइन इनक्रिप्शन
यूबीडी	शहरी बैंक विभाग
यूसीबी	शहरी सहकारी बैंक
यूकेपीटी	युनीक की पर टर्मिनल
यूसीआईसी	विशिष्ट ग्राहक पहचान संहिता
यूओ	शीर्षस्थ संगठन
यूएसबी	अत्यंत लघु शाखाएं
डब्ल्यूईओ	विश्व आर्थिक संभावना
डब्ल्यूएलए	व्हाईट लेबल एटीएम
डब्ल्यूएसएचजी	महिला स्वयं-सहायता समूह
वीएपीटी	वल्नरेबिलिटी एनेलिसिस ऐंड पेनिट्रेशन टेस्ट
वीएआर	जोखिमग्रस्त मूल्य
एक्सएमएल	एक्स्टेंसिबल मार्क-अप लैंग्वेज

अध्याय I

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का परिदृश्य

वर्ष 2011-12 के दौरान अंतरराष्ट्रीय और घरेलू आर्थिक गतिविधियों की चली उल्टी बयार ने बैंकिंग क्षेत्र के समक्ष चुनौतियां पैदा कर दीं। यद्यपि बैंकों ने अपनी लाभप्रदता बनाए रखी, लेकिन उनकी आस्तियों की गुणवत्ता बाधित हुई। ऐसी स्थिति में संस्थाओं की आघात सहने की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से विनियामक और लेखांकन ढांचों को सुदृढ़ बनाने के लिए कई पहलें की गई हैं। तथापि, उच्चतर पूंजी मानदंडों, चलनिधि और लीवरेज के परिशुद्ध अनुपातों तथा जोखिम के प्रति बरती जा रही अधिक सावधानी से बैंकों की निधीयन लागतें बढ़ सकती हैं। बासेल-।।। की शर्तों का अनुपालन करने के साथ-साथ एक विकासशील अर्थव्यवस्था की ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंकों को अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए नए अवसरों को तलाशना होगा। व्यापक अनुमानों के अनुसार मार्च 2018 तक बासेल-।।। मानदंडों के कार्यान्वयन के चलते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए अपेक्षित वृद्धिशील इक्विटी लगभग 750-800 बिलियन रुपये होने की संभावना है। पूंजी संबंधी इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बैंकों को नवोन्मेषी और बाजार आधारित आकर्षक निधीयन माध्यमों का प्रयोग करना पड़ सकता है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के साथ एकीकरण के कारण बैंकों में अतिरिक्त तकनीकी और मानव संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ सकती है। कारगर पर्यवेक्षी समीक्षा के लिए अपेक्षित विश्लेषित आंकड़ों की आवश्यकता के मद्देनज़र स्ट्रेट-थ्रू प्रोसेसिंग प्रणालियां अपनाते हुए रिपोर्टिंग संस्थाओं से आंकड़ों के स्वचालित प्रवाह की व्यवस्था साकार करने के प्रयास किए जाने चाहिए। जहाँ तक वित्तीय समावेशन का संबंध है, मात्रात्मक कवरेज में सुधार तो हुआ है, किंतु सतत् कारोबार और सुपुर्दगी मॉडलों के विकास के माध्यम से सार्थक वित्तीय समावेशन हासिल करना ज़रूरी है। हालाँकि कई प्रकार की चुनौतियां हैं, फिर भी विनियामक उपायों और भारतीय अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित शक्तियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था की वित्तपोषण संबंधी मांगों को पूरा करने में बैंकिंग प्रणाली एक सकारात्मक भूमिका अदा करती रहे।

1. भूमिका

1.1 पिछले वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था के दबाव में होने के कई सुस्पष्ट लक्षण दिखाई पड़े। यूरो क्षेत्र में समष्टि-आर्थिक परिस्थिति बिगड़ने के साथ ही यूएस तथा उभरती हुई और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि की गति धीमी हो जाने के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर नकरात्मक प्रभाव पड़ने का जोखिम बढ़ गया है। घरेलू स्तर पर समष्टि-आर्थिक परिस्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है। वृद्धि की गति काफी धीमी हो जाने के बावजूद मुद्रास्फीति रिज़र्व बैंक की दृष्टि से स्वीकार्य स्तर से काफी ऊपर बनी हुई है।

1.2 वर्ष 2011-12 में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रमों की उल्टी बयार ने बैंकिंग क्षेत्र के सामने चुनौतियां खड़ी कर दीं। आस्तियों को होने वाली हानि में इजाफा होने के बावजूद भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने अपने पूंजी आधार में सुधार और लाभप्रदता को बनाए रखकर आघात को सहने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। रिज़र्व बैंक द्वारा ऋण, चलनिधि और ब्याज दर जोखिमों के संबंध में किए गए कई दबाव परीक्षणों ने यह दर्शाया कि बैंक वाजिब स्तर तक आघातों का सामना करने में सक्षम रहे। तथापि, अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में कुछ बैंकों को चलनिधिजन्य मामूली समस्याओं का सामना करना पड़ा और उनकी लाभप्रदता बाधित हुई।

1.3 अध्याय-।। में वैश्विक बैंकिंग घटनाक्रमों को शामिल किया गया है, लेकिन आगे आने वाले समय में बैंकिंग क्षेत्र के परिवेश को मूर्तरूप दे सकने वाले कारकों के कतिपय पहलुओं और बैंकों के सम्मुख खड़ी चुनौतियों पर यहां प्रकाश डाला गया है।

2. परिवेश को आकार प्रदान करने वाली शक्तियां

1.4 बैंकों से संबंधित विवेकपूर्ण एवं पूंजीगत अपेक्षाओं के क्षेत्र में की जाने वाली बहुविध विनियामक पहलों के साथ ही विश्व स्तरीय बैंकिंग विनियमनों के साथ उल्लेखनीय एकीकरण की दिशा में आगे बढ़ने से भविष्य में बैंकों की कार्यप्रणाली पर गहरा प्रभाव पड़ने की संभावना है।

बैंकिंग विनियमन के क्षेत्र में वैश्विक एकीकरण की दिशा में और आगे बढ़ना

1.5 हाल के वित्तीय संकट ने समस्त विश्व में बैंकिंग क्षेत्र के विनियमन की व्यापक रूपरेखा को पुनः परिभाषित किया है। बैंकिंग विनियमन में एकीकरण की मांग इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि यद्यपि बैंकिंग विश्वव्यापक हो गई है, किंतु बैंकिंग विनियमन राष्ट्रीय स्तर पर ही सीमित रहे हैं। इसलिए यादृच्छिक विनियमन के मुद्दे का हल किया जाना नीतिगत चिंता का प्रमुख मसला बन गया है। अंतरराष्ट्रीय मानक-निर्धारक निकाय ऐसे व्यापक सिद्धांत जारी करके एकीकरण को साकार करने के लिए प्रयासरत हैं जो राष्ट्रीय विनियामक ढांचों को मूर्त रूप प्रदान कर सकें।

1.6 संकट के बाद की अवधि में वित्तीय स्थिरता बोर्ड वैश्विक वित्तीय प्रणाली में मौजूद खामियों को दूर करने तथा वित्तीय स्थिरता के हित में सुदृढ़ विनियामक, पर्यवेक्षी और अन्य नीतियां विकसित करने एवं लागू करने में मार्गदर्शन देने वाले सबसे महत्त्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय निकाय के रूप में उभरकर सामने आया है। बासेल-।।। की पूंजी अपेक्षाओं को लागू करने के अलावा वित्तीय स्थिरता बोर्ड प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं के मुद्दों को हल करने की दिशा में कार्य कर रहा है जिसके अंतर्गत वैश्विक स्तर पर प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं के निर्धारण और उनकी हानि वहन करने की क्षमता; उनके लिए समाधानकारक उपायों और आवश्यक व्यवस्था का विकास करना; और प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्थाआ की विफलता की संभावना और प्रभाव - दोनों को कम करने के उद्देश्य से ऐसी संस्थाओं के संबंध में सघन पर्यवेक्षण और प्रभावशीलता आदि का निर्धारण करना शामिल है।

1.7 बैंकिंग विनियमन में वैश्विक एकीकरण स्थापित करने हेतु किए जाने वाले व्यापक प्रयासों के अंतर्गत देश-विशेष की परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा ताकि ऐसे अंतरराष्ट्रीय मानक-निर्धारक निकायों के मार्गदर्शन को आवश्यकता के अनुरूप अंगीकृत किया जा सके जिन्हें अधिकांश मामलों में बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासेल समिति द्वारा पहले ही मान्यता दी गई हो। जहाँ तक प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में सामंजस्य और उनमें सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के साथ ताल-मेल बिठाने की स्वीकार्यता का प्रश्न है भारत के दृष्टिकोण में कई सकारात्मक बाह्य कारक मौजूद हैं। विशेष रूप से भारत से संबंधित प्रतिचक्रीय पूंजी बफर के संचालन के संबंध में बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासेल समिति के मार्गदर्शन में कतिपय परिवर्तन करना जरूरी है क्योंकि ऋण-जीडीपी अनुपात की अनुशंसित संरचना से भारत में ऋण वृद्धि में अंतर्निहित संरचनागत चालकों के प्रभावित होने की संभावना है। अतः पूंजी बफर संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों में कतिपय समायोजन करना पड़ सकता है। रिज़र्व बैंक के एक आंतरिक समूह द्वारा इस मुद्दे की जांच की जा रही है।

प्रभावी जोखिम प्रबंधन के लिए अंतरराष्ट्रीय पूंजी मानक

1.8 भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की आघात वहन करने की क्षमता को मजबूत करने के लिए बासेल-।।। को लागू करने की मांग के प्रतिक्रियास्वरूप रिज़र्व बैंक ने बासेल-।।। पूंजी विनियमावली संबंधी अंतिम दिशा-निर्देशों की घोषणा की है। ये दिशा-निर्देश 1 जनवरी *2013* से चरणबद्ध तरीके से अमल में आएंगे और मार्च 2018 के अंत तक बासेल-।।। पूंजी अनुपातों को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा। बासेल-।।। को लागू करने को लेकर एक मुद्दा उठाया जाता रहा है कि भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था को बासेल-।।। मानदंड जैसे बोझिल विनियम को क्यों अपनाना चाहिए जिससे आउटपुट की वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। इन मानकों को अपनाने के पीछे दो न्यायसंगत कारण हैं। पहला, जब भारतीय बैंक विदेशों में पदार्पण कर रहे हैं और भारतीय बाज़ारों को अंतरराष्ट्रीय सहभागियों के लिए खोल दिया गया है तो ऐसे में भारत अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करने से मना नहीं कर सकता। दूसरा, हालाँकि हमारी वित्तीय प्रणाली सहज है और इसमें संकट को मूर्त रूप देने वाले कोई लक्षण नहीं हैं, फिर भी हमारे देश पर वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रभाव पड़ने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता तथा बासेल-।।। में उपलब्ध सुरक्षा कवच हमारी वित्तीय प्रणाली की आघात वहन करने की क्षमता को अपेक्षित मजबूती प्रदान करेंगे।

1.9 बासेल-।।। का उद्देश्य वित्तीय और आर्थिक दबाव से पैदा होने वाले आघातों को वहन करने की बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाना है ताकि वित्तीय क्षेत्र से वास्तविक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों के जोखिम को कम किया जा सके। इसकी पूर्ति के लिए बासेल-।।। में कई सूक्ष्म-विवेकपूर्ण तत्त्वों के साथ-साथ समष्टि-विवेकपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध है जो प्रणालीगत जोखिम से संबंधित मुद्दों से निपटने में मदद करेंगे।

1.10 बासेल-।।। दिशा-निर्देशों के अंतर्गत बासेल-।। की तुलना में विनियामक पूंजी और साझा इक्विटी की उच्चतर अपेक्षा को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। बासेल-।।। के अंतर्गत सामान्य इक्विटी पूंजी प्रमुख विनियामक पूंजी होगी तथा इसमें

गैर-इक्विटी पूंजी लिखतों में मोचन हेतु कोई स्टेप-अप या अन्य प्रोत्साहनकारी उपाय जैसी नवोन्मेषी विशेषताएं स्वीकार्य नहीं होंगी। इसके अलावा, बासेल-।।। ने चलनिधिजन्य आघातों को वहन करने में बैंकों की क्षमता बढ़ाने हेतु चलनिधि संबंधी दो नए मानकों की शुरुआत की है, नामतः चलनिधि कवरेज अनुपात और निवल स्थिर निधीयन अनुपात।

बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ाने की ज़रूरत

1.11 बैंकों ने कोर बैंकिंग समाधान अपनाया है जो उनकी लेनदेन संबंधी अपेक्षाओं को कारगर ढंग से पूरा करता है। कोर बैंकिंग समाधान लागू किए जाने से बैंकिंग प्रणाली निर्बाध रूप से एकीकृत हो गई है। चूंकि बैंकों में बुनियादी प्रौद्योगिकी अपनाने का कार्य पूरा हो चुका है, अतः लेनदेन की प्रक्रिया प्रणाली से सूचना प्रक्रिया प्रणाली की ओर अग्रसर होना ज़रूरी हो गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने आईटी विज़न दस्तावेज 2011-17 में बैंकों को कतिपय क्षेत्रों में आगे बढ़ने और आईटी का लाभ उठाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है, जैसे- प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस), समग्र जोखिम प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, ग्राहक संबंध प्रबंधन तथा बैंकों के बीच आपस में और रिज़र्व बैंक के साथ आंकड़ों का बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वचालित आदान-प्रदान। बैंकों के लिए यह जरूरी हो गया है कि वे ऐसे नए उत्पादों, सेवाओं और कार्य-नीतियों के संबंध में अपनी नवोन्मेषी क्षमताओं को बढ़ाएं जो उन्हें अपनी कार्य-दक्षता बढ़ाने में समर्थ बना सकती हों (बॉक्स I. 1)।

1.12 बैंकों में कंप्यूटरीकरण और कोर बैंकिंग समाधान अपनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है, अतः बैंकिंग क्षेत्र में ऐसी अपेक्षाकृत उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने का दौर चल पड़ा है, जो ग्राहक संबंध प्रबंधन हेतु प्रयुक्त उपयुक्त साधनों, प्रबंध सूचना प्रणाली सहित आंतरिक प्रभावशीलता को बढ़ाने और आईटी लागू करने से पैदा होने वाले जोखिमों का सामना करने की उनकी क्षमता बढ़ाएंगी।

3. परिचालनात्मक एवं कार्यनीतिगत प्रतिक्रियाएं

1.13 वर्ष के दौरान कार्यनीतिगत व परिचालनात्मक प्रतिक्रियाओं के अंतर्गत समावेशी वृद्धि की मांगों को पूरा करने में विभिन्न विनियामकों के बीच समन्वय बढ़ाने और बैंकों की स्थिति बेहतर करने के संबंध में की गई नीतिगत पहलें शामिल हैं। इसके अलावा, माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र संबंधी विनियामक ढांचे की समीक्षा भी इसमें शामिल है।

सीमापार पर्यवेक्षण और सहयोग में सुधार हेतु की गईं पहलें

1.14 हाल में उत्पन्न वित्तीय संकट के चलते वित्तीय संस्थाओं, विशेषरूप से प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण संस्थाओं, जिनकी गतिविधियां विदेशों में संचालित हों, की निगरानी के मद्देनज़र पर्यवेक्षकों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले साधनों की नए सिरे से जांच करना ज़रूरी हो गया। इस परिप्रेक्ष्य में जो प्रमुख कमी महसूस हुई वह थी राष्ट्रीय बैंक पर्यवेक्षकों के बीच प्रभावी पर्यवेक्षी सहयोग का न होना। परिणामस्वरूप, वैश्विक वित्तीय संस्थाओं, खास तौर पर प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं का पर्यवेक्षण करने के लिए पर्यवेक्षी समूहों का प्रयोग करने की ज़रूरत महसूस की गई। एक पर्यवेक्षी समूह का सर्वप्रथम उद्देश्य अपने सदस्यों को बैंकिंग समूह के जोखिम के स्वरूप के बारे में बेहतर ढंग से जानकारी प्रदान करना होता है। इसके अलावा, पर्यवेक्षकों के बीच सूचना के आदान-प्रदान और सहयोग से बैंकिंग समूह के प्रत्येक संघटक के पर्यवेक्षण को सुदृढ़ बनाने में सहायता मिलती है। ये समूह समष्टि-एवं व्यष्टि-विवेकपूर्ण नीतिगत साधनों के संगत और प्रभावी कार्यान्वयन की दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों के बीच सामंजस्यपूर्ण नज़रिया पैदा करते हुए समकक्ष संस्थाओं की बड़े पैमाने पर समीक्षा करने में भी योगदान कर सकते हैं।

1.15 कुछ बड़े भारतीय बैंकों की वैश्विक गतिविधियों में काफी वृद्धि हुई है जिसके मद्देनज़र कारगर समुद्रपारीय समेकित पर्यवेक्षण के लिए होस्ट पर्यवेक्षकों के साथ पर्यवेक्षी सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान की एक औपचारिक व्यवस्था तैयार करने की आवश्यकता महसूस हुई। भारत में अब तक किसी पर्यवेक्षी समूह का गठन नहीं किया गया है। तथापि, रिज़र्व बैंक भारत में कार्यरत कुछ प्रमुख विदेशी बैंकों के पर्यवेक्षी समूहों का दौरा करता रहा है। वाणिज्यिक बैंकों की पर्यवेक्षी प्रक्रिया की समीक्षा संबंधी उच्च स्तरीय संचालन समिति (अध्यक्ष : डॉ. के. सी. चक्रबर्ती) ने यह सिफारिश की है कि वैश्विक स्तर पर कार्य-संचालन करने वाले बड़े ऐसे भारतीय बैंकों के लिए पर्यवेक्षी समूहों की स्थापना की जाए जिनकी कुल परिसंपत्तियों में विदेशी परिचालनों से प्राप्त परिसंपत्तियों का काफी हिस्सा (लगभग 15 प्रतिशत) हो। तदनुसार, इस दिशा में एक प्रारंभिक कदम के तौर पर भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का पर्यवेक्षी समूह स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

बॉक्स I. 1 :
बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकीगत नवोन्मेष और कार्य-दक्षता में वृद्धि

नब्बे के दशक के पूर्वार्द्ध में उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही बैंकों के संसाधनों और क्षमताओं की मांग बढ़ गई क्योंकि बैंकों को वैश्वीकृत प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश में वित्तीय सेवा प्रदाता होने के नाते काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इससे बैंकिंग उद्योग के सम्मुख दो प्रकार की चुनौतियां उठ खड़ी हो गईं। पहली चुनौती थी अपने विद्यमान ग्राहक समूह की बढ़ती मांगों को पूरा करना एवं और बेहतर ढंग से सेवाएं प्रदान करने के लिए कारोबारी अवस्थिति का प्रबंध करना। दूसरी चुनौती थी परंपरागत सेवाओं और अवस्थिति से बाहर निकलकर किस प्रकार अपनी सेवाओं और कारोबार की पहुंच को बढ़ाया जाए जिसके व्यापक सामाजिक-आर्थिक निहितार्थ हैं, क्योंकि आबादी का एक बड़ा हिस्सा बुनियादी बैंकिंग सेवाओं से भी वंचित था। इस स्थिति में भारत में स्थित बैंक अपने कारोबार को बढ़ाने की संभावनाएं तलाशने के साथ ही कई बाधाओं का सामना भी कर रहे थे जिसमें बुनियादी संरचना और मानव संसाधनों की अपर्याप्तता, भौगोलिक, स्थलाकृतिक और दूरी संबंधी सीमाएं, संप्रेषण अक्षमता, लागत-जन्य समस्याएं और सुपुर्दगी के साथ ही, कारोबार संबंधी अधिक सूचना और बड़े-बड़े खातों का प्रबंध करने की प्रसंस्करण क्षमता का समावेश है।

सूचना प्रौद्योगिकी का बढ़ता प्रयोग इन चुनौतियों का सामना करने में प्रमुख साधन सिद्ध हुआ। सरकार, रिज़र्व बैंक और उद्योग के स्तर पर कई उपाय किए गए, जिनसे बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहन मिला। कोर बैंकिंग समाधान लागू किए जाने से ग्राहकों के खातों का रखरखाव निर्बाध रूप से किया जाने लगा है तथा डेटा स्टोरेज व रिट्रीवल क्षमता भी काफी बढ़ गई है। चूँकि प्रौद्योगिकी के सहारे सूचना की उपलब्धता सुगम हो गई है, साथ ही, विश्लेषण एवं संचार की क्षमता कई गुना बढ़ गई है, अतः नए उत्पादों का विकास और विपणन करने में बैंकों का सामर्थ्य भी बढ़ गया है। क्लाउड कंप्यूटिंग और वर्चुअलाइज़ेशन जैसी उभरती प्रौद्योगिकी को विकसित करके अपनाए जाने से इस प्रकार की क्षमता एवं कार्य-दक्षता के आगे और भी समृद्ध होने की संभावना है।

अनुभवजन्य प्रमाणों के सहारे सिद्ध आर्थिक सिद्धांत के अनुसार आम तौर पर प्रौद्योगिकी पर किए जाने वाले निवेश से उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है, लागत कम होती है तथा फर्में अपेक्षाकृत अधिक कार्य-दक्षता के साथ अपना कार्य-संचालन कर सकती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और उसके द्वारा निर्मित नवोन्मेष महत्त्वपूर्ण साधन हैं क्योंकि इससे उनके वित्तीय लेनदेनों की लागत कम होती है, वित्तीय संसाधनों के आबंटन में सुधार होता है तथा वित्तीय संस्थाओं की प्रतिस्पर्धात्मकता और कार्य-दक्षता में इजाफा होता है। प्रौद्योगिकीजन्य नवोन्मेष से न केवल ग्राहक बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की व्यापकता साकार होती है, बल्कि इससे निरंतर व समावेशी वृद्धि को हासिल करने की क्षमता भी बढ़ती है (सुब्बाराव, 2009)।

सारे विश्व में बैंकिंग उद्योग पर आईटी का प्रभाव सकारात्मक रहा है। आम तौर पर अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकला है कि आईटी और बैंकों के कार्य-निष्पादन के बीच दो सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। पहला, आईटी से बैंकों की परिचालन लागतें कम हो सकती हैं (लागत लाभ)। दूसरा, आईटी से एक ही नेटवर्क के अंतर्गत विभिन्न ग्राहकों के बीच के लेनदेन संपन्न होते हैं (नेटवर्क प्रभाव)। इयादत और कोज़ाक (2005) ने 1992-2003 की अवधि में लागत और लाभ के संदर्भ में यूएस बैंकिंग क्षेत्र की कार्य-दक्षता पर आईटी विकास के प्रभाव की जांच की। इस अनुसंधान ने प्रयुक्त आईटी के स्तर और लाभप्रदता व लागत की बचत के बीच का एक सकारात्मक सह-संबंध दर्शाया है। बर्गर (2003) ने भी यह दर्शाया है कि नई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करने से यूएस स्थित बैंकों के कार्य-निष्पादन और बैंकिंग उद्योग के सुदढ़ीकरण में सुधार हुआ है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में 2005-06 से 2009-10 की अवधि में प्रौद्योगिकीजन्य नवोन्मेष और आईटी में किए गए निवेश से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कार्य-दक्षता बढ़ी है (राजपूत और गुप्ता, 2011)। प्रौद्योगिकी, बैंकिंग उद्योग में कारोबारी प्रक्रियाओं की समूची व्यवस्था को अपने आप में समाहित कर रही है। साथ ही, ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाओं, सामाजिक व विकासात्मक प्रत्याशाओं, कार्यनीतिगत व प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टि से उत्पन्न कारोबारी मांगों, आंतरिक नियंत्रण एवं जोखिम प्रबंधन संबंधी मांगों, गवर्नेंस और विनियामक रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाओं को प्रौद्योगिकीजन्य नवोन्मेषों के सहारे पूरा करने में बैंक समर्थ हुए हैं।

आनेवाले समय में बैंकों को उत्पादों, सेवाओं और कार्य-नीतियों को ध्यान में रखते हुए समुचित रूप से नई पद्धतियों को अपनाना होगा। उन्हें आईटी और अपनी कारोबारी नीतियों के बीच सामंजस्य स्थापित करना होगा ताकि प्रौद्योगिकी का पूरा लाभ उठाया जा सके। भविष्यदर्शी विश्लेषण से बैंकिंग में प्रतिस्पर्धा-जन्य लाभ प्राप्त हो सकता है और इससे बैंकों को उत्पाद-केंद्रित दृष्टिकोण बदलकर ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने में मदद मिल सकती है।

संदर्भ :

राजपूत, एन. और गुप्ता, एम. (2011), 'इंपैक्ट ऑफ आईटी ऑन इंडियन कमर्शियल बैंकिंग इंडस्ट्री : डीईए एनालिसिस', *ग्लोबल जर्नल ऑफ एंटरप्राइज़ इन्फार्मेशन सिस्टम* (जनवरी 2011-मार्च 2011) खंड 3 अंक I

सुब्बाराव डी. (2009), बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद में 'इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बैंकिंग - ए कन्टिन्यूयिंग एजेंडा' विषय पर प्रमुख भाषण।

इयादत एम और कोज़ाक, एस. (2005), 'द रोल ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी इन द प्रॉफिट एंड कॉस्ट एफीशियेन्सी इंप्रूवमेंट्स ऑफ द बैंकिंग सेक्टर', *अकादमी ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स का जर्नल*

बर्गर, ए.एन. (2003), 'द इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस : इविडेंस फ्रॉम द बैंकिंग इंडस्ट्री', *जर्नल ऑफ मनी, क्रेडिट, एंड बैंकिंग,* खंड 35

1.16 इस परिप्रेक्ष्य में रिज़र्व बैंक ने ऐसे समुद्र-पारीय पर्यवेक्षण और पर्यवेक्षी सहयोग तंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके अंतर्गत विदेशी विनियामकों के साथ पर्यवेक्षी सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान हेतु समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की व्यवस्था है (बॉक्स I. 2)।

समावेशी वृद्धि हासिल करने में बैंकों की कार्यनीतिगत भूमिका

1.17 भारतीय वित्तीय प्रणाली में बैंक अहम भूमिका निभाते हैं। अतः उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे वित्तीय समावेशन के उद्देश्य की पूर्ति में महती भूमिका निभाएं ताकि समावेशी वृद्धि और

बॉक्स I. 2:
समुन्नत समुद्रपारीय पर्यवेक्षण और सहयोग के संबंध में रिज़र्व बैंक का विदेशी समकक्ष संस्थाओं के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू)

शुरुआत

सीमापार पर्यवेक्षण हेतु पर्यवेक्षी सहयोग की अवधारणा का सबसे पहला उल्लेख 1975 में बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षी प्रथाओं से संबंधित समिति द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में पाया जाता है। तथापि, समझौता ज्ञापन को मूर्त रूप देने वाले बीजगर्भित विचार का उल्लेख एक ऐसे कार्यकारी समूह द्वारा ''द सुपरविज़न ऑफ क्रॉस बॉर्डर बैंकिंग'' (अक्तूबर, 1996) नाम से जारी रिपोर्ट में पाया गया जिसमें बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) के सदस्य शामिल थे। इस समूह ने सिफारिश की कि पर्यवेक्षकों के बीच का समझौता द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन या पत्रों के आदान-प्रदान के रूप में हो जिसमें यह स्पष्ट कर दिया जाए कि प्रत्येक पार्टी इस संबंध से क्या अपेक्षा रखती है। इस अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए बीसीबीएस ने मई 2001 में ''इसेन्शियल एलिमेंट्स ऑफ ए स्टेटमेंट ऑफ को-ऑपरेशन बिट्वीन बैंकिंग सुपरवाइज़र्स'' नामक एक दस्तावेज जारी किया, जिसमें ''होम'' और ''होस्ट'' देश के पर्यवेक्षकों के बीच किए जाने वाले सहयोग के वक्तव्य या एमओयू में शामिल होने वाले प्रमुख बातों को सूचीबद्ध किया गया है।

समझौता ज्ञापन की आवश्यकता - भारतीय परिदृश्य

अब तक भारतीय बैंकों के विदेशी परिचालनों का सीमापार पर्यवेक्षण आवश्यकता पर आधारित ऑन-साइट निरीक्षण, ऑफ-साइट रिपोर्टिंग ढांचे और विदेशी विनियामकों/ पर्यवेक्षकों के साथ पर्यवेक्षी सूचना का आदान-प्रदान करके संपन्न किया जाता रहा है। तथापि, पिछले कुछ वर्षों में भारतीय बैंकों के सीमापार परिचालन काफी बढ़ गए हैं। कुछ बैंकों ने विदेश में बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए सहायक संस्थाओं की स्थापना की है। इसे देखते हुए बैंक पर्यवेक्षकों के साथ समझौता ज्ञापन करना ज़रूरी समझा गया और इसके लिए एक उपयुक्त ढांचे की रूप-रेखा तैयार करने के लिए एक आंतरिक कार्यदल का गठन किया गया। इस कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर एक नीतिगत ढांचा तैयार किया गया। इस नीति में अन्य बातों के साथ-साथ एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से विदेशी पर्यवेक्षकों के साथ पर्यवेक्षी सहयोग के संबंध में कानूनी तौर पर गैर-बाध्यकारी औपचारिक व्यवस्था तय करने का प्रावधान है जो कि बीसीबीएस के विभिन्न सिद्धांतों और संबंधित देश की विधि/संविधि के अनुरूप होगा।

समुद्रपारीय प्राधिकारियों के साथ समझौता ज्ञापन करना

शुरुआती तौर पर 16 देशों का चयन किया गया। ये देश ऐसे हैं जहाँ के बैंक विनियामकों ने रिज़र्व बैंक के साथ इस प्रकार की व्यवस्था करने पर अपनी रुचि प्रकट की और साथ ही, जिनके अधिकार-क्षेत्र में परिचालनरत भारतीय बैंकों के लिए रिज़र्व बैंक और होस्ट देश के पर्यवेक्षक के बीच समझौता ज्ञापन किया जाना एक पूर्वापेक्षा थी। रिज़र्व बैंक विदेशी विनियामकों और पर्यवेक्षी अधिकारक्षेत्रों के साथ ऐसा समझौता ज्ञापन किए जाने पर वार्तालाप शुरू करके पारस्परिक बैंकिंग उपस्थिति के सिद्धांत को अपनाने लगा है जिसमें इस प्रकार की पारस्परिक बैंकिंग संबंधी शर्तें शामिल हैं। इस प्रक्रिया में चयनित देशों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है।

समुद्रपारीय पर्यवेक्षकों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की वर्तमान स्थिति

अब तक रिज़र्व बैंक ने दस समुद्रपारीय पर्यवेक्षकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, 28 समुद्रपारीय पर्यवेक्षकों के साथ समझौता ज्ञापन संपादित किए जाने के प्रस्ताव फाइनल किए जाने के विभिन्न चरणों में हैं।

इस क्रम में रिज़र्व बैंक का मौजूदा उद्देश्य ऐसे अधिकार-क्षेत्रों के पर्यवेक्षकों के साथ समझौता ज्ञापन संपादित करने का है जहाँ भारतीय बैंक बड़े पैमाने पर परिचालन करते हैं या जहाँ वे अपने परिचालन को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। रिज़र्व बैंक का दीर्घकालीन उद्देश्य पहले समय-समय पर विचार-विनिमय करके समझौता ज्ञापन तंत्र को स्थिर करना है और बाद में इन संस्थाओं के साथ पर्यवेक्षी सहयोग का आदान-प्रदान करना है तथा भारतीय बैंकिंग संस्थाओं की बेहतर ढंग से निगरानी करने के लिए होस्ट देश के पर्यवेक्षकों से जानकारी और विचार प्राप्त करके लाभान्वित होना है।

विकास हासिल किया जा सके। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे देश में बैंक की अगुआई वाले वित्तीय समावेशन मॉडल को अपनाया गया है। केन्या जैसे देशों के अनुभव के आधार पर तथा हमारे देश में मोबाइल फोनों की भारी वृद्धि और विस्तार के मद्देनज़र वित्तीय समावेशन के लिए मोबाइल-जनित बैंकिंग मॉडल का परीक्षण करने की मांग उठी है। तथापि, यह दलील दी जा रही है कि मोबाइल-जनित बैंकिंग के अंतर्गत केवल धन-प्रेषण के उत्पाद शामिल किए जा सकते हैं तथा इसमें परिवर्ती आवर्ती जमा उत्पाद, ओवरड्राफ़्ट और आपातकालीन क्रेडिट उत्पाद, यथा- किसान क्रेडिटकार्ड/सामान्य क्रेडिट कार्ड जैसे कई उत्पादों को शामिल करने की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरा, बैंकों का विनियमन विवेकपूर्ण तरीके से किया जाता है और इससे केवाईसी/एएमएल जैसी अपेक्षाओं को पूरा करने और ग्राहक सेवा में भी सहायता मिलती है। जहाँ तक मोबाइल भुगतान कंपनियों का संबंध है, रिज़र्व बैंक को इनका पर्यवेक्षण करने का प्राधिकार नहीं है। तीसरा, बैंकिंग क्षेत्र में मिलने वाला प्रवेश खुला, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी मानदंडों के आधार पर हो। इस प्रकार बिजनेस कॉरेस्पांडेंट्स के रूप में कार्य करने के विशेषाधिकृत प्रवेश की अनुमति देना विवेकपूर्ण नहीं है। फिर भी बैंकों को कंपनियों को बिजनेस कॉरेस्पांडेंट के रूप नियुक्त करने की अनुमति देकर मोबाइल नेटवर्क कंपनियों की पहुँच बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। परंतु ये इसके प्रारंभिक दौर में हैं और आने वाले वर्षों में बैंकों और कंपनियों के बीच की इन व्यवस्थाओं की कामयाबी का विश्लेषण किया जाएगा।

वित्तीय समावेशन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय साक्षरता संबंधी उद्देश्यों पर राष्ट्रीय रणनीति

1.18 वित्तीय समावेशन के तहत निर्धारित उद्देश्यों को हासिल करने के लिए वित्तीय साक्षरता एक पूर्व शर्त है, क्योंकि इससे आम आदमी औपचारिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित उत्पादों और सेवाओं की जरूरतों और लाभों को समझ सकता है। आपूर्ति पक्ष की मध्यस्थता की पहल के अनुरूप प्रतिक्रियास्वरूप मांग पक्ष को तैयार करने में वित्तीय शिक्षा अहम भूमिका निभाती है। वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को हासिल करने में एक महत्त्वपूर्ण मांग पक्ष दबाव के रूप में जागरूकता पैदा करने और वित्तीय साक्षरता का प्रचार-प्रसार करने की ओर अब अधिकाधिक जोर दिया जा रहा है। चूँकि वित्तीय साक्षरता के प्रसार में काफी बड़ी संख्या में हितधारी जुड़े हुए हैं, अत: यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे रणनीति के अनुरूप कार्य कर रहे हैं, एक व्यापक राष्ट्रीय रणनीति की आवश्यकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप समिति के तत्त्वावधान में तैयार की गई एक ड्राफ्ट राष्ट्रीय रणनीति भारतीय रिज़र्व बैंक सहित वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामकों ने साथ-साथ जारी की है। इस पहल के साथ, भारत नीदरलैंड, न्यूज़ीलैंड, स्पेन, यू.के. और चेक रिपब्लिक जैसे राष्ट्रों, जिन्होंने वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति को पहले ही लागू किया है, में शामिल हो गया है।

ग्राहक सुरक्षा और वित्तीय स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने हेतु माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के लिए विनियामक ढाँचा

1.19 माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र भारत में वित्तीय समावेशन के प्रयासों के अंग के रूप में क्रेडिट प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें रिज़र्व बैंक में पंजीकृत स्व-सहायता समूह (एसएचजी - बैंक लिंकेज प्रोग्राम, लाभार्थी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां - माइक्रो-फाइनैंस संस्थाएं (एनबीएफसी-एमएफआईज़) और न्यास, सोसाइटी आदि के रूप में पंजीकृत अन्य सभी छोटी लाभार्थी एमएफआईज़ शामिल हैं, जबकि नाबार्ड की ओर से नये दिशानिर्देशों के माध्यम से एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम को मजबूत किए जाने की मांग थी, फिर भी एनबीएफसी-एमएफआईज़ पर प्रमुख रूप से ध्यान केंद्रित रहा। इस बात को याद किया जाए कि अक्तूबर 2010 में आंध्र प्रदेश राज्य ने एक अध्यादेश जारी किया था, जो बाद में कानून के रूप में अधिनियमित किया गया और जिसके द्वारा उस राज्य में कार्यरत एमएफआईज़ के कार्य को विनियमित करने की दृष्टि से उनका पंजीकरण करना अनिवार्य किया गया था। उसके बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने (माइक्रो-फाइनेंस) क्षेत्र में, *अन्य बातों के साथ-साथ,* ब्याज़ दरों, उधार और वसूली प्रणालियों से संबंधित मामलों और मुद्दों के अध्ययन के लिए अपने केंद्रीय निदेशक मंडल की एक उप समिति (अध्यक्ष: श्री वाई.एच.मालेगाम) गठित की थी। मालेगाम समिति की सिफारिशों के आधार पर एनबीएफसी-एमएफआईज़ की एक अलग श्रेणी तैयार की गई। प्रस्तावित विनियामक ढाँचा अभिशासन, प्रबंधन और ग्राहक सुरक्षा तथा साथ ही साथ एमएफआईज़ के वित्तीय स्वास्थ्य के न्यूनतम मानकों के संबंध में प्रतिबंध और सुरक्षोपाय की व्यवस्था करता है। एनबीएफसीज़ का समुचित और पर्याप्त विनियमन इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देगा, जबकि उधारकर्ताओं के हितों की भी पर्याप्त रक्षा करेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत और उसके द्वारा विनियमित एमएफआईज़ को राज्य साहूकारी अधिनियम से छूट देने का प्रस्ताव करने वाला माइक्रो फाइनेंस संस्था (विकास और विनियमन) बिल 2012, जिसके तहत एनबीएफसी-एमएफआई आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा विनियमित थीं, संसद में विचाराधीन है। आगे चलकर, एमएफआई को भी इस तरह के विनियामक ढांचे से लाभ मिलेगा, क्योंकि यह सुचारु विकास के लिए सक्षम बनाता है और अनिश्चितता को कम करता है।

4. चुनौतियां

1.20 भविष्य में, उच्चतर पूँजी अपेक्षाओं की ओर कदम बढ़ाना और सार्थक वित्तीय समावेशन की आवश्यकता बैंकों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां होंगी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) को अपनाने से भी बैंकों पर संसाधनों को बढ़ाने की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है। आस्ति की गुणवत्ता में गिरावट को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है और वैश्विक कारकों से उत्पन्न जोखिमों की स्थिति का सावधानीपूर्वक हल निकाला जाना चाहिए।

पूंजी को बढ़ाने के लिए बासेल III की ओर अग्रसर होना

1.21 भविष्य में होने वाले आघातों के प्रति बैंकिंग क्षेत्र की सहनीयता विकसित करने के लिए बासेल III के कारगर कार्यान्वयन की आवश्यकता है। बासेल III को कार्यान्वित करने की चुनौतियों को कम महत्त्वपूर्ण नहीं समझना चाहिए। आम तौर पर बासेल III से भारतीय बैंकों की पूंजीसंबंधी आवश्यकताएं बढ़ जाएंगी। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए मौजूदा पूंजी पर्याप्तता स्तर सुखद है। जीडीपी में अधिक वृद्धि के लिए इक्विटी सहित पूंजी आवश्यकताएं अत्यधिक होंगी, साथ ही जीडीपी की तुलना में क्रेडिट का अनुपात,

जो फिलहाल लगभग 55 प्रतिशत के कम स्तर पर है, अर्थव्यवस्था में संरचनागत परिवर्तन होने के कारण काफी बढ़ने वाला है।

1.22 स्थूल अनुमान इस ओर संकेत करते हैं कि मार्च 2018 के अंत तक बासेल III को पूरी तरह कार्यान्वित करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को गैर-इक्विटी पूंजी के रूप में 2.65 से 2.75 ट्रिलियन रुपयों के अतिरिक्त आंतरिक स्रोतों के अलावा 1.4 से 1.5 ट्रिलियन रुपयों की साझा इक्विटी की आवश्यकता होगी। यदि बासेल III पूंजी अनुपात कार्यान्वित नहीं किया जाता तो बैंकों को बासेल II पूंजी अनुपातों की पूर्ति के लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता जारी रहती। अत: सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में बढ़े हुए बासेल III पूंजी अनुपातों के कारण वृद्धिशील इक्विटी आवश्यकता 750-800 बिलियन रुपये होने की उम्मीद है। उसी प्रकार, निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों को गैर-इक्विटी पूंजी के रूप में 500-600 बिलियन रुपये के अतिरिक्त आंतरिक स्रोतों के अलावा 200-250 बिलियन रुपये की साझा इक्विटी की आवश्यकता होगी। ये अनुमान सभी बैंकों के लिए अलग-अलग रूप से 20 प्रतिशत प्रति वर्ष के जोखिम भारित आस्तियों में समान वृद्धि के पारंपरिक अनुमान पर तथा प्रत्येक बैंक के आंतरिक स्रोतों के मूल्यांकन (1.0-1.2 प्रतिशत जोखिम भारित आस्तियों के दायरे में) पर आधारित हैं।

1.23 बासेल III लागू करने हेतु सर्वाधिक किफायती मॉडल तैयार करना प्रत्येक बैंक के लिए महत्त्वपूर्ण काम है। बैंकों को नई पूंजी, विशेषकर कार्यान्वयन के बाद वाले वर्षों के लिए, जारी करनी होगी। हालाँकि जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी के अनुपात (सीआरएआर) के उच्चतर होने की स्थिति से भारतीय बैंकों को कोर इक्विटी पूंजी के बड़े घटक के साथ एक मजबूत प्रारंभिक आधार प्राप्त होने का फायदा है, फिर भी इक्विटी की बड़ी आवश्यकताएं, हालांकि इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी, बैंकों के इक्विटी पर होने वाले प्रतिलाभ पर दबाव डालकर उसे कम कर सकती हैं। लंबी अवधि में निवेशकों को निम्नतर इक्विटी प्रतिलाभ को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हुए उच्चतर पूंजी आवश्यकताएं बैंकिंग क्षेत्र के जोखिम को कम करेंगी। हालांकि अल्पावधि में उत्पादकता को बढ़ाना ही इसका एकमात्र हल है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की मालिक होने के कारण भारत सरकार को इस प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका अदा करनी होगी।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के साथ एकीकरण से जुड़े मुद्दे

1.24 कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने जनवरी 2010 में क्रमिक रूप से आईएफआरएस से एकीकारण की रूपरेखा जारी की है जो 1 अप्रैल 2011 से लागू होगी। इसके अनुसार भारत स्थित वाणिज्य बैंकों का आईएफआरएस से एकीकरण 1 अप्रैल 2013 से शुरू होगा। तथापि, देशी और अंतरराष्ट्रीय - दोनों तरह के कई मुद्दों के कारण भारत का आईएफआरएस से एकीकरण का मार्ग मुश्किल हुआ है। कुछ कॉर्पोरेट श्रेणियों का 1 अप्रैल 2011 से अंतरण होना था, जो नहीं हुआ है। फिलहाल, भारत में एकीकरण की योजना के संबंध में सुस्पष्टता का अभाव है।

1.25 वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानक बोर्ड (आईएएसबी) ने वित्तीय लिखत (अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण मानक-39, वित्तीय लिखतों की पहचान और मापन) संबंधी मौजूदा मानक के स्थान पर आईएफआरएस 9: वित्तीय लिखत नामक नया मानक प्रतिस्थापित करने के लिए एक योजना शुरू की है। चूंकि आईएएसबी हानि और बचाव लेखाकरण के संबंध में कुछ गंभीर प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दे सका अत: इस योजना ने निर्धारित समय के अनुसार कोई प्रगति नहीं की। अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों को देखते हुए, यह संभावना प्रतीत नहीं होती कि 2013 के मध्य के पहले आईएफआरएस 9 पूर्णत: तैयार होगी। आईएफआरएस 9 को अंतिम रूप देने के संबंध में सुस्पष्टता का अभाव और अनिश्चितता तथा उसका यूएस के सामान्यत: स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएपीपी) से एकीकरण तथा साथ ही, एकीकरण के दौरान भारतीय बैंकों के लिए उभरने वाले प्रमुख तकनीकी और मानव संसाधन संबंधी मसले भी भारत के बैंकिंग क्षेत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती हैं, जो विनियामकों के लिए भी उतनी ही चिंताजनक बात है।

बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता

1.26 बैंकों की आस्ति गुणवत्ता उनके वित्तीय स्वास्थ्य का एक महत्त्वपूर्ण संकेतक है और वह बैंकों के क्रेडिट जोखिम प्रबंधन और उससे उबरने की क्षमता को भी दर्शाती है। बैंकिंग प्रणाली की आस्ति गुणवत्ता निरंतर सुधार की अवधि के बाद वर्ष 2011-12 के दौरान काफी कम हो गई है। 2003-07 की तेजी की अवधि में अपर्याप्त क्रेडिट मूल्यांकन और देशी तथा बाह्य मोर्चे की प्रतिकूल आर्थिक स्थिति के परिणामस्वरूप अनर्जक आस्तियों में वृद्धि की मौजूदा स्थिति पैदा हुई। भारतीय बैंकों के अनर्जक आस्ति प्रबंधन ढांचे को और अधिक मजबूत बनाने के लिए वर्ष 2012-13 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के अनुसार बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे संकट के प्रारंभिक संकेतों का जल्दी पता लगाने के लिए और आस्तियों के आर्थिक मूल्य को बनाए रखने के लिए एक मजबूत प्रणाली लागू करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि वे अपने अनर्जक

आस्ति खातों, बट्टे खाते, समझौता निपटान किए गए, वसूली और पुनर्गठित खातों संबंधी सिस्टम जनरेटेड खंड-वार डेटा रखें।

वैश्विक कारकों से अधिक जोखिम के बाद भी वित्तीय प्रणाली मजबूत बनी रही

1.27 देश की वित्तीय प्रणाली मजबूत है। फिर भी, वैश्विक कारकों और देशी समष्टि आर्थिक कारकों के कारण स्थिरता के लिए जोखिम बढ़े हैं। देशी विकास धीमा हुआ है। बचत और निवेश दरें भी निम्नतर हैं। हालाँकि मुद्रस्फीति संयत है, लेकिन वह अब भी निरंतर विकास के लिए सहायक स्तर से अधिक है। चालू खाता और राजकोषीय घाटे के उच्च स्तरों से भी जोखिमों का खतरा है। वृद्धि में कमी, यूरो क्षेत्र में जारी अस्थिरता, अनिश्चित पूंजी प्रवाह जैसी वैश्विक गतिविधियों से पैदा हुए जोखिमों और बैंकों द्वारा डीलिवरेजिंग के प्रभाव से देशी समष्टि आर्थिक जोखिम बढ़ सकता है। इसके बावजूद देशी अर्थव्यवस्था की आंतरिक शक्ति निरंतर बनी हुई है। रिज़र्व बैंक द्वारा प्रणालीगत जोखिम के संबंध में किए गए आवधिक सर्वेक्षणों के निष्कर्षों से यह पता चलता है कि वित्तीय प्रणाली के सभी हितधारकों में प्रणाली के प्रति विश्वास बरकरार रहा। प्रतिकूल परिस्थितियों में बैंकों के बीच अंतर्निर्भरता बढ़ गई है जिसके चलते उनकी कड़ाई से निगरानी करना बेहद ज़रूरी हो गया है।

कारगर पर्यवेक्षी समीक्षा के लिए आंकड़ों की सटीकता पूर्वशर्त है

1.28 नीतिगत निर्णय लेने में छोटे-छोटे खंडों से जुड़े आंकड़ों की आवश्कता काफी बढ़ गई है। अतः हमारे देश में बैंकिंग के बुनियादी ढांचे संबंधी डेटाबेस में सुधार करना ज़रूरी है। रिज़र्व बैंक के आईटी विज़न के मद्देनज़र समुचित स्ट्रेट-थ्रू-प्रोसेसिंग प्रणालियों को अपनाते हुए रिपोर्टिंग संस्थाओं से स्वचालित आंकड़ा-प्रवाह को साकार करने की ओर प्रयास करना चाहिए। आंकड़ों की गुणवत्ता, सटीकता और प्रेषण में सुधार लाने के लिए प्रोसेसिंग की दृष्टि से डेटा वेयरहाउसिंग के प्रयोग को मज़बूत बनाना चाहिए। दूसरा, पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया की खामियों की पहचान करने एवं उन्हें दूर करने तथा बैंकिंग प्रणाली के लिए समुचित जोखिम मूल्यांकन को सुकर बनाने के लिए वाणिज्यिक और सहकारी बैंकिंग क्षेत्रों में सांख्यिकीविदों और बैंक पर्यवेक्षकों के बीच सुदृढ़ समन्वय स्थापित होना आवश्यक है। तीसरा, आंकड़ों की रिपोर्टिंग प्रणाली को इस प्रकार तैयार किया जाए कि उसमें स्रोत प्रणालियों से स्वचालित रूप से आंकड़े प्राप्त करने की क्षमता हो। वित्तीय समावेशन की व्यापकता को मापने और इस संबंध में विभिन्न नीतिगत उपायों की प्रभावशीलता को आंकने हेतु पूरे देश में बैंकिंग क्षेत्र का बुनियादी ढांचा उन्नत और छोटे-छोटे खंडों से जुड़े डेटाबेस की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। त्वरित रूप से निर्णय लेने की दृष्टि से समान रूप से आंकड़ों के शीघ्रतर एवं अपेक्षाकृत अधिक सटीक प्रेषण को सुनिश्चित करने हेतु बुनियादी स्तर की संस्थाओं से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करना चाहिए। इसे साकार करने के लिए मौजूदा विवरणी-आधारित रिपोर्टिंग प्रणाली के स्थान पर डेटाबेस रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित की जाए।

वित्तीय समावेशन : सार्थक समावेशन की आवश्यकता

1.29 सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन एक राष्ट्रीय दायित्व होने के साथ-साथ एक नीतिगत तरजीह भी है। रिज़र्व बैंक और भारत सरकार ने इस दिशा में कई पहलें की हैं। कई गाँवों में बिज़नेस कॉरेस्पांडेंट्स की व्यवस्था किए जाने से ग्रामीण जनता में बैंकिंग के प्रति जागरूकता पैदा हुई है। हालांकि अब भी काफी बड़ी चुनौती बनी हुई है जैसे कि हमारी आबादी का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा साधारण किस्म की औपचारिक वित्तीय सेवाओं से भी वंचित है। वित्तीय समावेशन की पहलों को सार्थक बनाने के लिए नो-फ्रिल खातों में होने वाले लेनदेनों की संख्या और मूल्य को बढ़ाना आवश्यक है।

1.30 बैंकों को प्रत्येक गांव में बिज़नेस कॉरेस्पांडेंट टच-पाइंट स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। तथापि, इसे एक स्वयं-समर्थ बिज़नेस मॉडल बनाने के लिए बैंकों को लंबी अवधि के लिए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पारंपरिक बैंकिंग शाखाओं एवं एक बिज़नेस कॉरेस्पांडेंट नेटवर्क की मिश्रित व्यवस्था के माध्यम से सारे ग्रामीण लोगों को सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाएं, जैसे- धन प्रेषण, आवर्ती जमा, केसीसी और जीसीसी के रूप में उद्यमितार्थ ऋण, बीमा (जीवन और गैर-जीवन) तथा अन्य बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।

प्रौद्योगिकी के भरपूर प्रयोग के लिए उन्नत जोखिम प्रबंधन साधन जरूरी हैं

1.31 प्रौद्योगिकी के प्रयोग से संबद्ध परिचालनात्मक जोखिमों के चलते सूचना सुरक्षा का महत्त्व बढ़ रहा है। सूचना सुरक्षा, आंकड़ों की सटीकता और भंडारण के साथ-साथ संचार माध्यमों से संबंधित मुद्दों ने इलेक्ट्रॉनिक परिवेश में कई चुनौतीपूर्ण पहलुओं को सामने रखा है। इन नई चुनौतियों का कारगर ढंग से सामना करने के

लिए बैंकों में मौजूद सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन प्रणालियां निरंतर मज़बूत हों।

5. आगे का रास्ता

1.32 आने वाले समय में बैंकों को अनिवार्य उच्चतर पूंजी मानकों, चलनिधि और लीवरेज अनुपातों की सख्त अपेक्षा को पूरा करने की ओर आगे बढ़ना चाहिए, साथ ही, इसमें पैदा होने वाले जोखिम से निपटने के लिए काफी सतर्कतापूर्ण पद्धति अपनानी चाहिए। तात्पर्य यह है कि भारतीय बैंकों को अपनी कार्य-दक्षता में सुधार करना चाहिए, हालांकि इससे उनके कारोबार संचालन की लागत बढ़ सकती है। उन्हें उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन को हासिल करने के लिए अपने जोखिम प्रबंधन कौशलों को परिमार्जित करना चाहिए। इसके अलावा, बैंकों को अपने उत्पादों और सेवाओं के संबंध में उचित एवं विभेदीकृत जोखिम मूल्य-निर्धारण पद्धति अपनानी चाहिए, क्योंकि पूंजी हासिल करने की लागत बड़ी होती है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं - लागत निर्धारण, जिसमें प्रत्येक उत्पाद और सेवा से प्राप्त होने वाली आय का मात्रात्मक मूल्यांकन तथा एक सुदृढ़ अंतरण कीमत प्रणाली, जिसमें पूंजी आबंटन का निर्धारण किया जाता है।

1.33 वर्ष 2011-12 में अनर्जक आस्तियों के स्टाक में बढ़ोतरी हुई है। 2005-08 की अवधि में बैंकिंग प्रणाली के स्लिपेज अनुपात में घटने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ी, जबकि 2008-12 की अवधि में इसमें बढ़ोतरी हुई। बैंकों को न केवल अशोध्य ऋणों के समाधान एवं वसूली के संबंध में रिज़र्व बैंक और भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विभिन्न उपायों का कारगर ढंग से प्रयोग करना चाहिए, अपितु उन्हें बढ़ती अनर्जक आस्तियों की समस्या से निपटने के लिए भी समुचित सावधानी, ऋण मूल्यांकन और मंजूरी के बाद की ऋण निगरानी प्रणालियों को मज़बूत बनाना होगा।

1.34 इसके अलावा, वृद्धि को मजबूत करने के लिए बैंकों को अनछुए कारोबारी अवसरों को तलाशना चाहिए। इसके लिए निचले स्तर पर उपलब्ध संसाधनों और अवसरों का दोहन किया जाना चाहिए। इस प्रकार के अभीष्ट बड़े-बड़े कारोबारी अवसरों का लाभ उठाने में छोटे ग्राहकों का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है, जिन तक अभी बैंकों की पहुंच नहीं है। मध्यस्थता पर लगने वाली लागत को कम करने हेतु प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष का इष्टतम प्रयोग करने के साथ-साथ अपने लाभ को बनाए रखना बैंकों के समक्ष चुनौतीपूर्ण कार्य है। हाल में बचत बैंक जमाराशि की ब्याज दरों के अविनियमन तथा और अधिक बैंकों को सरकारी कारोबार उपलब्ध कराने जैसी कई विनियामक पहलें की गई हैं। साथ ही, एक ओर नए बैंकों की लाइसेंसिंग एवं विदेशी बैंक शाखाओं के अनुषंगीकरण जैसे भावी कदम प्रस्तावित हैं तो दूसरी ओर ग्राहकों की आकांक्षा और प्रत्याशा बढ़ती जा रही है एवं उनका स्वरूप बदल रहा है, ऐसे में इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और बढ़ सकती है एवं बाज़ार अपेक्षाकृत और क्रेता-उन्मुख हो सकता है। चूँकि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के उच्च पथ की ओर अग्रसर हो रहा है, अतः बैंकों को बदलते आर्थिक परिवेश में अपने आप को ढालने के लिए प्रयास करना होगा, जिसके लिए उन्हें अपनी कारोबारी कार्य-नीति का पुनर्निर्धारण करना चाहिए, ग्राहकों को ध्यान में रखकर उत्पादों को तैयार करना चाहिए तथा अपनी सेवाओं की कार्य-दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लागत कम करने के साथ-साथ जमाकर्ताओं और उधारदाताओं को लाभ पहुंचाना भारतीय बैंकों के समक्ष चुनौतीपूर्ण कार्य है।

1.35 देशी और वैश्विक समष्टिआर्थिक परिवेश की कठिन परिस्थितियों में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के समक्ष बहुत सी चुनौतियों के बावजूद विनियमन के लिए उठाए गए कदमों और भारतीय अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित शक्तियों के सहारे बैंकिंग प्रणाली में संक्रमण के इस अस्थायी दौर का सामना किया जा सकता है। हमारी विकासशील अर्थवयवस्था की वित्तपोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में यह मध्यस्थ के रूप में सकारात्मक भूमिका का निर्वाह करेगा।

अध्याय II

वैश्विक बैंकिंग गतिविधियाँ

वैश्विक वृद्धि की कमजोरी, सरकारी ऋण संकट के गहराने तथा वित्तीय बाजार के दबाव के चलते वैश्विक बैंकिंग प्रणाली प्रभावित हुई। जहां अमरीका के बैंक अपने लीवरेज अनुपात में कमी लाने और थोक वित्तपोषण पर निर्भरता को कम करने में सफल हुए वहीं यूरोपीय बैंकों की थोक में वित्तपोषण पर निर्भरता का स्तर ऊंचा बना हुआ है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बैंकिंग क्षेत्र के मूलभूत संकेतक अच्छे थे जो घरेलू निधीयन तथा पूंजी के उच्चतर स्तर के चलते हुई उच्चतर अर्थिक वृद्धि और तुलन-पत्रों की अपेक्षाकृत सुदृढ़ता दर्शाते हैं। बासेल III, जी-एसआईएफआई तथा शैडो बैंकिंग जैसे विनियामक मोर्चे पर उल्लेखनीय प्रगति हुई है, परंतु कार्यान्वयन की चुनौती बनी हुई है। कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने प्रभावी समाधान व्यवस्था तथा बेल-इन प्रणाली स्थापित करने की दिशा में प्रगति की है। यूरोपियन यूनियन तथा यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने निधीयन तथा डीलीवरेजिंग संबंधी जोखिमों का समाधान करने के लिए कई उपाय किये हैं, परंतु चिंताएं बनी हुई हैं। दीर्घावधि में बैंकों को पहले की तुलना में अधिक सक्रियता से लागत प्रबंधन की रणनीति अपनानी होगी और निवेशकों के विश्वास की बहाली की दिशा में कार्य करना होगा।

1. भूमिका

2.1 वैश्विक बैंकिंग प्रणाली को 2011 में तथा 2012 में अब तक भारी बाधाओं का सामना करना पड़ा। इसके कारणों में वैश्विक वृद्धि की बहाली की कमजोर गति, यूरो क्षेत्र के सरकारी ऋण संबंधी संकट का फिर से उभरना तथा वैश्विक बैंकों के लिए निधीयन तथा डीलीवरेजिंग का जोखिम बना रहना था। अन्य कारकों के साथ-साथ यूरो क्षेत्र के वर्तमान सरकारी ऋण संकट से उत्पन्न अनिश्चितता, कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की संभावनाओं को डाउनग्रेड किये जाने, बैंकों की पूंजी में बढ़ोतरी किए जाने संबंधी चिंताओं के बीच यूरो क्षेत्र के बैंकों के स्थिरता संबंधी मुद्दों ने 2011-12 के अधिकांश भाग में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजार तथा बैंकिंग प्रणाली को अस्थिर बनाए रखा।

2.2 वैश्विक क्रेडिट में हुई वृद्धि एक मिश्रित चित्र प्रस्तुत करती हैः उभरते बाजारों में जहां क्रेडिट में वृद्धि बरकरार रही वहीं अमरीका में बहाली के कुछ लक्षण दिखाई दिए, परंतु यूरोपीय देशों में क्रेडिट की वृद्धि दर में गिरावट आई। अमरीका तथा कुछ उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के बैंकों की आस्तियों पर प्रतिलाभ में सुधार हुआ, परंतु यूरोपीय देशों के बैंकों में इसमें गिरावट आई। चुनिंदा क्षेत्रों तथा देशों की बैंकिंग की प्रवृत्ति से ज्ञात होता है कि अमरीका की बैंकिंग प्रणाली ने अपने तुलन-पत्रों में सुधार लाने तथा पूंजी को बढ़ाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। यूरो क्षेत्र की बैंकिंग प्रणाली में बैंकों तथा सरकारी प्रतिभूतियों के दुश्चक्र के चलते जोखिम ऊंचे स्तर पर बना हुआ है। यूरो क्षेत्र के संकट ने यूके की वित्तीय प्रणाली को भी प्रभावित किया है और उसके बैंकों की निधीयन की लागत में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसके कारण ब्याज दरें बढ़ गई हैं तथा यूके की पारिवारिक इकाइयों और कंपनी उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट की उपलब्धता में कमी आई है।

2.3 शीर्ष 100 वैश्विक बैंकों के निष्पादन के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि वैश्विक बैंकिंग में उभरती अर्थव्यवस्थाओं का हिस्सा बढ़ रहा है। उभरते तथा विकासशील देशों में चीन के बैंकों ने शीर्ष के 100 बैंकों की रेटिंग में उल्लेखनीय सुधार किया है। वैश्विक नीतिगत सुधारों के मोर्चे पर बासेल नियम के नियम संबंधी ढांचे, प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण संस्थाओं (एसआईएफआई), शैडो बैंकिंग, समाधान व्यवस्थाओं तथा बेल-इन प्रक्रिया में कुछ सुधार हुआ है।

वैश्विक वृद्धि काफी कमजोर बनी हुई है

2.4 वर्ष 2011 के अंतिम भाग में यूरो क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता संबंधी चिंताओं के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी धक्का पहुंचा। पूरे यूरो क्षेत्र में दबाव की स्थिति रही तथा आस-पास की अर्थव्यवस्थाओं में बांड के प्रतिलाभ में वृद्धि हुई क्योंकि निवेशक सरकारी ऋण की चूक के जोखिम के बारे में अधिक चिंतित हो गए थे। इन घटनाक्रमों ने प्रतिकूल तथा बाजार की स्वतः पूर्ति करने

वाली बाजार की धारणा में बदलाव (जिससे कमजोर देशों को बढ़ते प्रतिलाभ (यील्ड) के प्रतिकूल संतुलन का सामना करना पड़ सकता है), घरेलू बैंकों में निधीयन की कमी तथा कमजोर होती अर्थव्यवस्था के जोखिम को नाटकीय रूप से रेखांकित किया है (अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (जीएफएसआर)-अप्रैल 2012)।

2.5 वैश्विक वृद्धि की दर 2010 के 5.1 प्रतिशत की तुलना में घटकर 2011 में 3.8 प्रतिशत रह गई (चार्ट II.1)। इस धीमी वृद्धि का कारण मुख्य रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर में गिरावट आना था। दूसरी ओर उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि की दर उच्चतर बनी रही। विभिन्न पूर्वानुमान दर्शाते हैं कि वर्ष 2012 में वैश्विक वृद्धि की दर कमजोर बनी रहेगी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का वैश्विक आर्थिक परिदृश्य-अक्तूबर 2012 का अनुमान है कि वर्ष 2012 में वैश्विक वृद्धि दर घटकर 3.3 प्रतिशत रह जाएगी तथा इसमें भारी गिरावट आने का जोखिम है।

2.6 इस समष्टि आर्थिक परिदृश्य में बैंकिंग कार्यकलापों एवं सुदृढ़ता के संकेतकों का उपयोग करके खंड 2 में वैश्विक बैंकिंग प्रणाली की समीक्षा की गई है। खंड 3 में कुछ उन्नत तथा उभरती अर्थव्यवस्थाओं / अर्थव्यवस्था समूहों की बैंकिंग प्रणाली के निष्पादन की विस्तृत चर्चा की गई है। खंड 4 में वैश्विक उपस्थिति में प्रमुख स्थान रखने वाले शीर्ष 100 बैंकों के निष्पादन का विश्लेषण किया गया है। खंड 5 में वैश्विक बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में वर्ष के दौरान किए गए प्रमुख विनियामक तथा पर्यवेक्षी नीतिगत उपायों का उल्लेख किया गया है। खंड 6 में वर्ष 2013 के वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र के समग्र मूल्यांकन तथा संभावना को प्रस्तुत किया गया है।

2. वैश्विक बैंकिंग प्रवृत्तियाँ

2.7 हाल के वैश्विक वित्तीय संकट में वैश्विक बैंकिंग उद्योग की कमजोरियों को सामने ला दिया जिसका प्रतिफलन बैंकिंग उद्योग में जनता के घटते विश्वास के रूप में हुआ। हाल के वित्तीय संकट से बैंकिंग क्षेत्र की कमियों का पता चला। बैंक आय के स्थिर तथा विविध स्रोतों को बनाए रखने एवं लागतों में कमी लाने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप संस्थाओं पर चलनिधि का दबाव बढ़ा। दूसरी बात यह थी कि अपारदर्शी तुलन-पत्रों ने जोखिम के विश्लेषण को काफी हद तक बाधित किया जिसके चलते बैंकों के पूंजी बफर की कमजोरियों के बारे में समय पर जानकारी नहीं मिल पायी (अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक की 2011-12 की वार्षिक रिपोर्ट)।

चार्ट II.1 वैश्विक समष्टि-आर्थिक प्रवृत्तियाँ

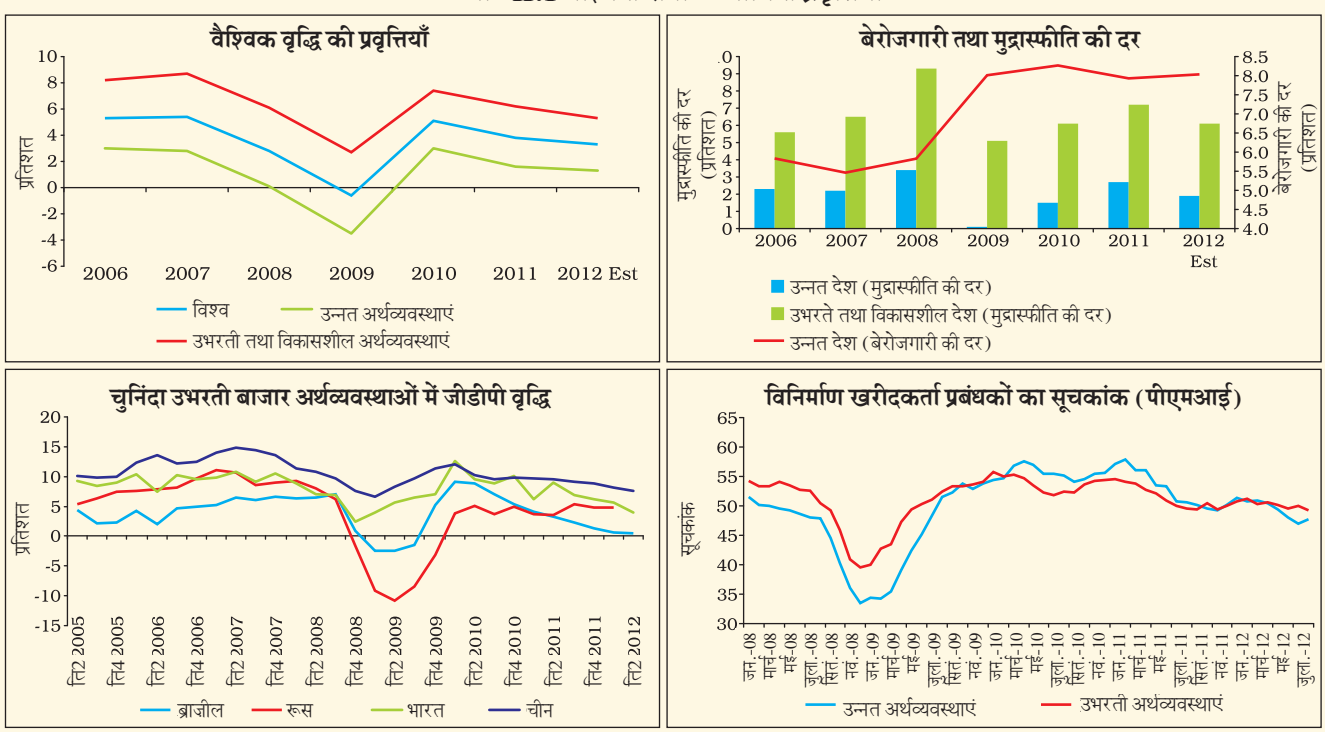

स्रोत: वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, आईएमएफ तथा थॉमसन रायटर्स, डेटास्ट्रीम

विभिन्न क्षेत्रों के बीच केडिट की वृद्धि दर में भिन्नता

2.8 अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर में निष्पादन की भिन्नता के अनुरूप विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में क्रेडिट की वृद्धि दर की प्रवृत्ति में समानता नहीं थी (चार्ट II.2)।

चार्ट II.2 बैंक की ऋण वृद्धि का त्रैमासिक चल औसत

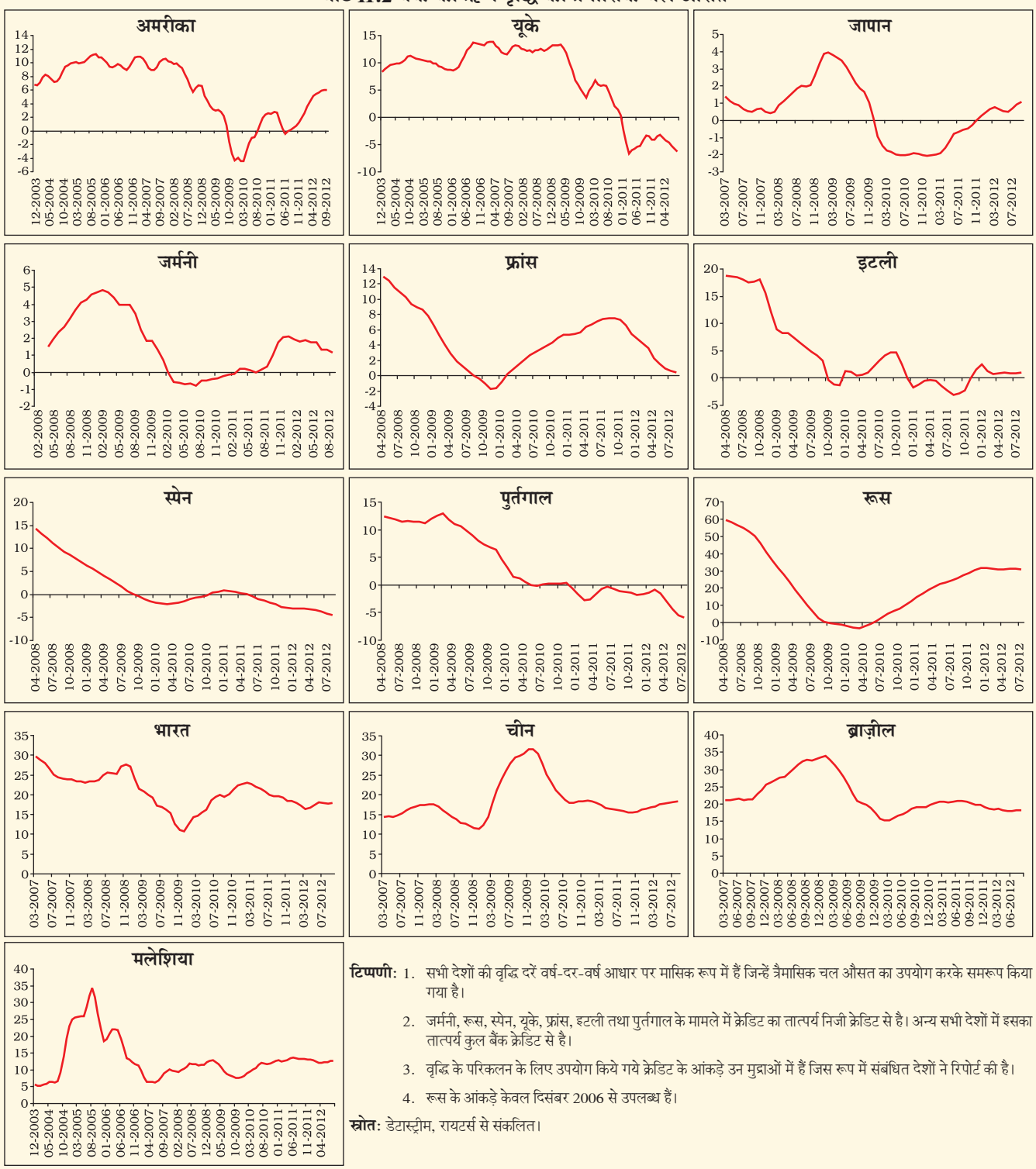

टिप्पणी: 1. सभी देशों की वृद्धि दरें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर मासिक रूप में हैं जिन्हें त्रैमासिक चल औसत का उपयोग करके समरूप किया गया है।

2. जर्मनी, रूस, स्पेन, यूके, फ्रांस, इटली तथा पुर्तगाल के मामले में क्रेडिट का तात्पर्य निजी क्रेडिट से है। अन्य सभी देशों में इसका तात्पर्य कुल बैंक क्रेडिट से है।

3. वृद्धि के परिकलन के लिए उपयोग किये गये क्रेडिट के आंकड़े उन मुद्राओं में हैं जिस रूप में संबंधित देशों ने रिपोर्ट की है।

4. रूस के आंकड़े केवल दिसंबर 2006 से उपलब्ध हैं।

स्रोत: डेटास्ट्रीम, रायटर्स से संकलित।

आस्तियों पर प्रतिलाभ गिरावट की सामान्य प्रवृत्ति दर्शाता है

2.9 आस्तियों पर प्रतिलाभ, जो बैंकिंग प्रणाली की लाभप्रदता का एक संकेतक है, में विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के बीच भिन्नता देखी गई। सामान्यतः इसकी प्रवृत्ति गिरावट की ओर रही (सारणी II.1)।

वित्तीय दबाव की स्थिति उच्च स्तर पर बनी हुई है

2.10 वर्ष 2011के अंतिम भाग में उन्नत देशों, विशेष रूप से यूरो क्षेत्र के देशों में राजकोषीय घाटे की वहनीयता संबंधी चिंता फिर से उभरकर आई। बाजार द्वारा प्रबल रूप में जोखिम पर ध्यान दिए जाने के चलते यूरो क्षेत्र की प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं के सरकारी बांडों के क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप स्प्रेड में बढ़ोतरी हुई। बैंकिंग उद्योग निधीयन संबंधी भारी दबाव में आ गया जैसा कि वैश्विक बैंकों के बढ़ते सीडीएस स्प्रेड से पता चलता है (चार्ट II.3)। उभरती

सारणी II.1: चुनिंदा देशों के बैंकों की आस्तियों पर प्रतिलाभ

प्रतिशत

देश	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			उन्नत अर्थव्यवस्थाएं			
फ्रांस	-	0.1	0.3	0.6	0.4	-
जर्मनी	0.3	-0.1	0.2	0.4	-	-
ग्रीस	1.0	0.2	-0.1	-0.6	-2.1	-
इटली	0.8	0.3	0.3	0.3	-0.9	-
जापान	0.5	0.3	-0.3	0.2	0.3	-
पुर्तगाल	1.1	0.3	0.4	0.5	-0.3	0.1
स्पेन	1.1	0.8	0.6	0.5	0.2	-
यूनाइटेड किंगडम	0.4	-0.4	0.1	0.1	0.1	-
अमरीका	1.2	-0.1	-0.1	0.9	1.2	1.0
			उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाएं			
रूस	3.0	1.8	0.7	1.9	2.5	-
चीन	0.9	1.0	0.9	1.1	1.3	-
भारत	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0
मलेशिया	1.5	1.5	1.2	1.5	1.5	1.6
ब्राजील	3.5	1.6	2.4	3.2	1.5	1.4
मेक्सिको	2.3	1.4	1.5	1.8	1.5	1.8

टिप्पणी: - उपलब्ध नहीं
जापान तथा ग्रीस के 2011 के आंकड़े सितंबर के हैं।
पुर्तगाल, अमरीका, भारत, मलेशिया तथा ब्राजील के 2012 के आंकड़े जून के हैं और मेक्सिको के आंकड़े मार्च के हैं।
स्रोत: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के वित्तीय सुदृढ़ता संकेतकों से संकलित।

चार्ट II.3: चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं में सरकारी और बैंक सीडीएस स्प्रेड

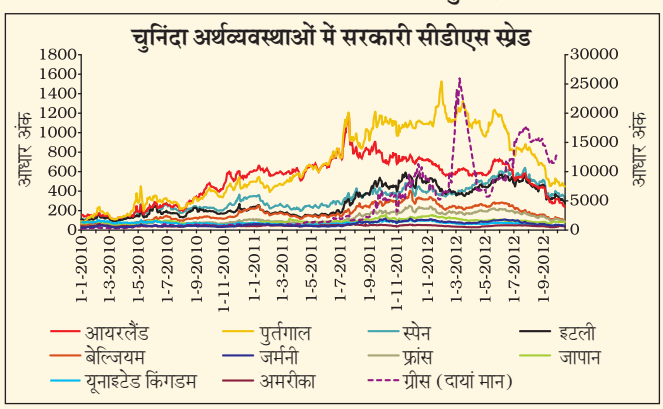

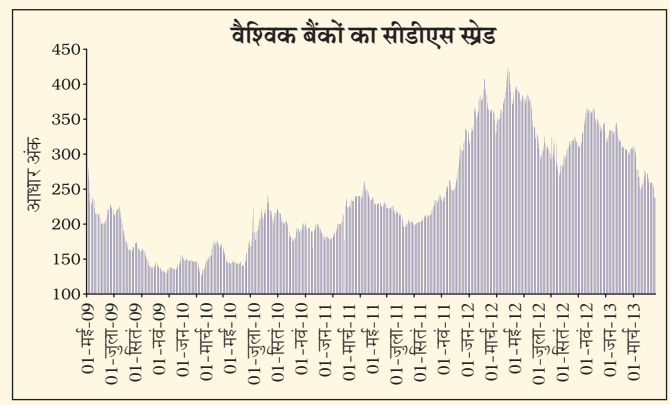

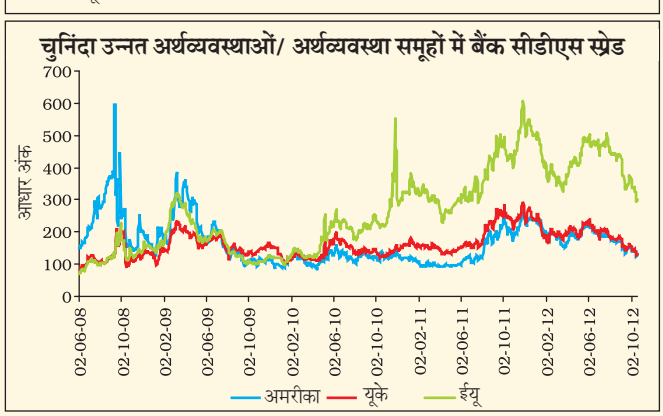

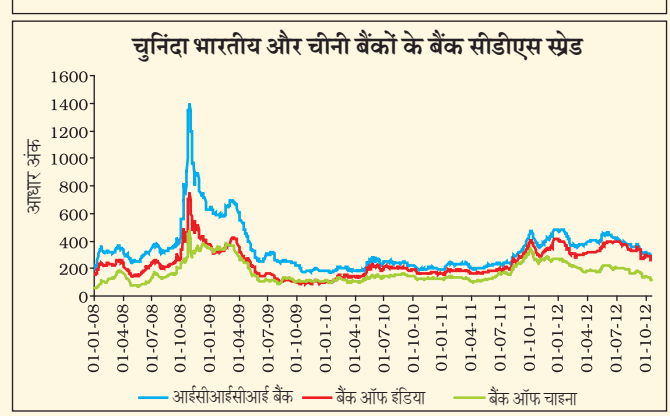

टिप्पणी: सरकारी स्प्रेड 5-वर्षीय सीनियर सीडीएस के लिए है जबकि बैंकों का स्प्रेड 5-वर्षीय सीडीएस के लिए है।
स्रोत: सरकारी ऋण तथा वैश्विक बैंकों के सीडीएस स्प्रेड के लिए ब्लूमबर्ग और बैंकों के स्प्रेड के लिए थॉमसन रायटर्स, डेटास्ट्रीम।

बाजार अर्थव्यवस्थाओं के बैंकों में निधीयन की स्थिति अपेक्षाकृत अप्रभावित रही क्योंकि निधीयन के लिए थोक जमाराशियों पर उनकी निर्भरता सीमित थी।

संक्रमण बैंकों के स्टॉक तक फैला

2.11 बैंकों के स्टॉक, विशेष रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के बैंकों के स्टॉक में तेजी से गिरावट आई जो 2011 तथा 2012 के अधिकांश भाग में कुछ देशों के सरकारी ऋण को डाउनग्रेड किए जाने की बात को दर्शाती है (चार्ट II.4)। इसके अलावा कुछ बैंकों पर कथित रूप से धन-शोधन में लिप्त रहने तथा ट्रेडिंग हानियों संबंधी गंभीर आरोप सामने आने से वैश्विक बैंकिंग प्रणाली पर बाजार का विश्वास डगमगा गया। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में बैंकिंग स्टॅक में गिरावट आई जो यूरो क्षेत्र के सरकारी ऋण संकट के कारण उत्पन्न जोखिम विमुखता तथा कुछ उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति संबंधी चिंता को दर्शाती है। लिबॉर संबंधी हाल के विवाद ने विश्व का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया है कि कुछ बड़ी वैश्विक वित्तीय संस्थाओं ने किस प्रकार कथित रूप से सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली बाजार दरों में हेरफेर किया (बॉक्स II.1)।

अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग कारोबार में गिरावट

2.12 अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग कारोबार (रिपोर्टकर्ता बैंकों के स्थान के अनुसार) में 2011-12 के दौरान गिरावट देखी गई। यह स्थिति 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान अंतरराष्ट्रीय कारोबार में हुई बहाली के विपरीत है (सारणी II.2)। देशों के बीच क्रेडिट के प्रवाह में जो कमी आई वह बैंकों द्वारा अपने पूंजी आधार को सुदृढ़ करने के प्रयासों के कारण थी। यह कमी मुख्य रूप से यूरो क्षेत्र के देशों के आपसी दावों में बहुत अधिक थी।

बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता

विभिन्न देशों के बीच पूंजी पर्याप्तता के स्तर में भिन्नता

2.13 कई देशों के बैंकों द्वारा अपनी पूंजी की स्थिति सुदृढ़ करने के गहन प्रयासों के परिणामस्वरूप पूंजी पर्याप्तता के स्तर सुधार आया। तथापि, कुछ यूरोपीय देशों तथा उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी पर्याप्तता के स्तर में गिरावट आई (सारणी II.3)।

लीवरेज में असमान गिरावट

2.14 विभिन्न देशों के लीवरेज अनुपात से, जिसे कुल आस्तियों की तुलना में कुल पूंजी (तथा रिज़र्व) के रूप में मापा जाता है, बैंकिंग क्षेत्र की डीलीवरेजिंग की असमान प्रवृत्ति स्पष्ट होती है (चार्ट II.5)।

आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार

2.15 वैश्विक स्तर पर 2011 में संकटग्रस्त यूरो क्षेत्र के देशों को छोड़कर बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार हुआ (चार्ट II.6)। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के अधिकांश देशों ने संकट के बाद के वर्षों में आस्तियों की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार दर्शाया।

चार्ट II.4: चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं/ अर्थव्यवस्था समूहों में बैंक स्टॉक सूचकांक

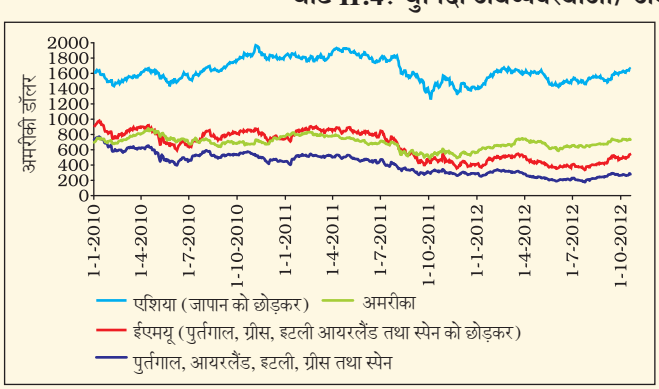

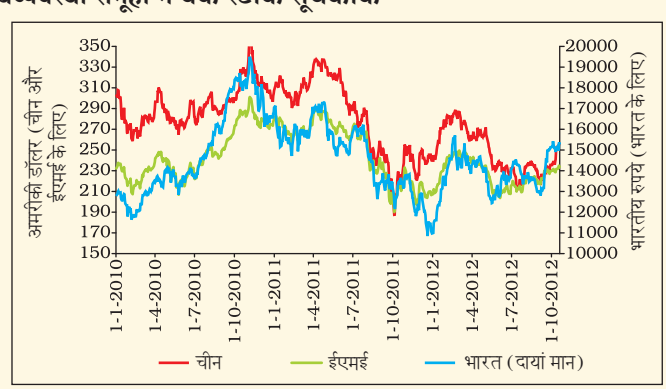

टिप्पणी: ईएमयू का तात्पर्य यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन से है।
स्रोत: थॉम्सन रायटर्स, डेटास्ट्रीम।

बॉक्स II.1: लिबॉर दर के निर्धारण संबंधी मुद्दे एवं बैंकों के लिए इसका महत्त्व

हाल की लंदन अंतर-बैंक प्रस्ताव दर (लिबॉर) की हेराफेरी की घटना ने नाजुक वित्तीय बाजार में अनिश्चितता को और बढ़ा दिया है। इस घटना ने लिबॉर के परिकलन की पद्धति की कमियों को सामने ला दिया है। यह अत्यधिक प्रयोग की जानेवाली बाजार दर है और कुछ प्रमुख प्लेयरों ने इसमें हेराफेरी की।

लिबॉर एक बेंचमार्क है जिसका उपयोग लंदन अंतर-बैंक बाजार में गैर-जमानती उधार की लागत का पता लगाने के लिए बैंकों, प्रतिभूतियों में लेनदेन करने वाली संस्थाओं तथा निवेशकों द्वारा किया जाता है। 1980 के दशक में इसकी शुरुआत के बाद बेंचमार्क के रूप में इसका महत्त्व बढ़ गया है क्योंकि अधिकांश वित्तीय उत्पादों, जैसे- ब्याज दर स्वैप, कारपोरेट ऋण तथा आवासीय बंधकों के लिए यह संदर्भ दर के रूप में कार्य करती है। लिबॉर का प्रकाशन ब्रिटिश बैंकर्स एसोसिएशन द्वारा किया जाता है तथा इसकी गणना थॉम्सन रायटर्स द्वारा प्रतिदिन की जाती है। प्रमुख बैंक थॉम्सन रायटर्स को गैर-जमानती निधियाँ उधार लेने की अपनी लागत 15 बार के लिए 10 मुद्राओं में प्रस्तुत करते हैं। प्राप्त हुई दरों में से सबसे अधिक और सबसे कम दरों को छोड़ दिया जाता है तथा शेष दरों का औसत उस दिन की लिबॉर दर की गणना के लिए लिया जाता है।

चूंकि लिबॉर की गणना वास्तविक दरों से न करके 18 सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय बैंकों के अन्य बैंकों से उधार ले सकने की अनुमानित दर के आधार पर की जाती है, इसलिए बैंक लिबॉर बेंचमार्क को प्रभावित कर सकते हैं। बैंकों ने 2005 से 2008 के दौरान अपनी फर्मों की प्रस्तुतियां कम मात्रा में ऊपर अथवा नीची करके बेंचमार्क को प्रभावित करने का प्रयास किया ताकि उनकी ट्रेडिंग बहियों को लाभ मिल सके। बैंकों ने, विशेष रूप से 2008 से 2009 के दौरान के वित्तीय संकट की चरमावस्था में अपने वित्त की स्थिति बेहतर दिखाने के लिए अपनी प्रस्तुतियों में दरें कम दिखाईं।

इस घटना ने लिबॉर बेंचमार्क के निर्धारण में विनियामक सुधारों की आवश्यकता को सामने ला दिया है। यूके की सरकार ने वित्तीय सेवा प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि वह अपने निदेशक मार्टिन ह्वेटले की अगुवाई में लिबॉर के निर्धारण के फ्रेमवर्क की समीक्षा करे। समिति को संदर्भित विषयों में ये शामिल हैं: (i) लिबॉर के निर्धारण तथा नियंत्रण के लिए वर्तमान फ्रेमवर्क में आवश्यक सुधार; (ii) लिबॉर की हेराफेरी से समुचित रूप से निपटने के लिए प्रतिबंधों की पर्याप्तता तथा परिसीमा; (iii) क्या लिबॉर की विफलता के विश्लेषण से अन्य वैश्विक बेंचमार्कों पर असर पड़ेगा। ह्वेटले समिति ने 10 अगस्त 2012 को सिफारिशों के साथ प्रारंभिक चर्चा-पत्र प्रस्तुत कर दिया है ताकि जनता से फीडबैक प्राप्त किया जा सके। जनता से प्राप्त फीडबैक के आधार पर समिति ने 28 सितंबर 2012 को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने लिबॉर संबंधी व्यापक सुधार के लिए दस-सूत्री योजना की सिफारिश की जिसे यूके की सरकार ने स्वीकार कर लिया है। प्रमुख सुधारों में ये शामिल हैं - (i) लिबॉर का प्रशासन तथा लिबॉर को प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी वित्तीय सेवा तथा बाजार अधिनियम, 2000 (विनियमित कार्यकलाप) आदेश 2001 के अंतर्गत नियंत्रित कार्यकलापों में आ जाएगी (ii) बीबीए को लिबॉर का दायित्व एक नए प्रशासक को अंतरित कर देना चाहिए (iii) प्रस्तुतकर्ता बैंकों को लेनदेन के आंकड़ों का प्रकट रूप में तथा स्पष्ट उपयोग करना चाहिए ताकि इनका मिलान उनकी प्रस्तुतियों से किया जा सके (iv) यथा समय बीबीए तथा नए प्रशासक द्वारा उन मुद्राओं तथा अवधियों के लिए लिबॉर के संकलन तथा प्रकाशन को बंद कर दिया जाना चाहिए जिनके ट्रेड के आंकड़े अपर्याप्त हों। इसके फलस्वरूप प्रकाशित दरों की संख्या 150 से घटकर 20 रह जाएगी।

इस विवाद ने वैश्विक वित्तीय प्रणाली में और अनिश्चितता पैदा कर दी है तथा प्रमुख बेंचमार्क दरों के साथ-साथ बैंकिंग प्रणाली पर बाजार के विश्वास को कम कर दिया है। लिबॉर की हेराफेरी की घटना के बाद कथित रूप से इसमें शामिल कुछ बैंकों के शेयर गिर गये हैं। इस घटना में शामिल बैंकिंग संस्थाओं पर भारी जुर्माना एवं दण्ड लगाए जा सकते हैं क्योंकि इन कंपनियों के विरुद्ध काफी संख्या में मुकदमे दायर किए जा चुके हैं। इससे तुलन-पत्रों को सुदृढ़ करने का बैंकों का प्रयास बाधित हो सकता है।

इस घटना ने इस बात पर व्यापक बहस की शुरुआत कर दी है कि किस प्रकार अन्य बेंचमार्क दरों एवं सूचकांको का परिकलन किया जाता है। कुछ बेंचमार्क पहले ही जाँच के दायरे में हैं। प्रतिभूति कमीशनों का अंतरराष्ट्रीय संगठन तेल की हाजिर कीमतों की जांच कर रहा है जबकि यूरोपीय कमीशन यूरो अंतर-बैंक प्रस्ताव दर (यूरीबोर) जैसे अन्य वित्तीय बेंचमार्कों की जांच कर रहा है।

संदर्भ:

बीबीए की वेबसाइट <www.bbalibor.com>

यूके सरकार (2012), ह्वेटले रिव्यू ऑफ लिबॉर : इनिशियल डिस्कशन पेपर, लंदन, अगस्त।

यूके सरकार (2012), ह्वेटले रिव्यू ऑफ लिबॉर : फाइनल रिपोर्ट, सितंबर।

वैलेस पी (2012) ट्रेडिंग लिबॉर - हाउ डू यू सॉल्व ए प्राब्लम लाइक लिबॉर? , दि बैंकर।

सारणी II.2: बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियों और देयताओं में वृद्धि

(प्रतिशत)

मद	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
कुल आस्तियां	**-17.5**	**0.2**	**5.8**	**-1.9**
1. बाह्य आस्तियां	-17.5	0.1	5.7	-2.3
ऋण और जमाराशियां	-19.0	-1.0	6.9	-2.3
धारित प्रतिभूतियां और अन्य आस्तियां	-13.2	3.0	2.4	-2.4
2. विदेशी मुद्राओं में स्थानीय आस्तियां	-17.5	0.7	6.9	1.6
कुल देयताएं	**-18.0**	**-0.7**	**7.4**	**-0.9**
1. बाह्य देयताएं	-18.6	0.2	6.8	-1.4
ऋण तथा जमाराशियां	-21.2	-1.3	5.9	-2.1
प्रतिभूतियों के स्वयं के निर्गम और अन्य देयताएं	-2.0	7.4	11.0	1.7
2. विदेशी मुद्रा में स्थानीय देयताएं	-14.4	-6.1	11.8	2.2

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक, स्थानिक बैंकिंग सांख्यिकी से संकलित

3. चुनिंदा क्षेत्रों और देशों में बैंकिंग की प्रवृत्ति

अमरीकी बैंकिंग प्रणाली - तुलन-पत्र को सुधारने तथा पूंजी बढ़ाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति

2.16 अमरीकी बैंकिंग प्रणाली ने हाल के वित्तीय संकट के बाद अपने तुलन-पत्रों को ठीक करने एवं पूंजी बढ़ाने की दिशा में बहुत प्रगति की। अमरीका के बड़े बैंकों ने अल्पावधि की थोक निधीयन पर अपनी निर्भरता कम की। बैंकों ने चार्ज-ऑफ, राइट-डाउन तथा आस्तियों का निपटान करके एवं टियर-1 पूंजी बढ़ाकर दूषित आस्तियों को कम किया। साथ ही, बैंकों की इक्विटी पूंजी तथा इक्विटी आस्ति अनुपात में सुधार देखा गया (चार्ट II.7)।

चार्ट II.5: चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं की बैंकिंग प्रणाली में लीवरेज

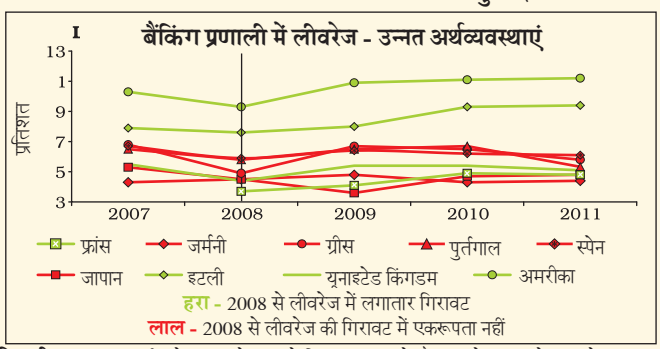

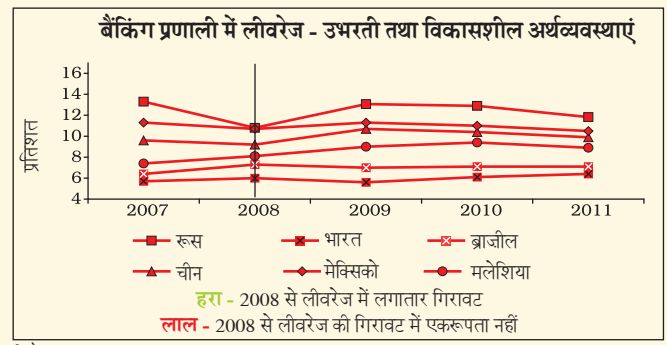

टिप्पणी: जापान तथा ग्रीस के 2011 के आंकड़े सितंबर 2011 के हैं, फ्रांस के 2007 के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।
स्रोत: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के वित्तीय सुदृढ़ता संकेतकों से संकलित।

सारणी II.3: चुनिंदा देशों के बैंकों का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात

प्रतिशत

देश	2007	2008	2009	2010	2011	2012
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं						
फ्रांस	-	10.5	12.4	12.7	12.3	-
जर्मनी	12.9	13.6	14.8	16.1	16.4	17.0
ग्रीस	11.2	9.4	11.7	12.2	10.1	-
इटली	10.1	10.4	11.7	12.1	12.7	-
जापान	13.3	12.3	12.4	13.3	14.2	-
पुर्तगाल	10.5	9.4	10.5	10.3	9.8	12.3
स्पेन	11.4	11.3	12.2	11.9	12.4	-
यूनाइटेड किंगडम	12.6	12.9	14.8	15.9	15.7	-
अमरीका	12.8	12.8	14.3	15.3	15.3	15.3
उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाएं						
रूस	15.5	16.8	20.9	18.1	14.7	14.6
चीन	8.4	12.0	11.4	12.2	12.7	12.9
भारत	12.3	13.0	13.2	13.6	14.2	13.6
मलेशिया	14.8	16.1	18.2	17.5	17.7	17.2
ब्राजील	18.8	18.3	19.0	17.7	17.3	17.2
मेक्सिको	15.9	15.3	16.5	16.9	15.7	15.7

टिप्पणी: - उपलब्ध नहीं
जापान तथा ग्रीस के 2011 के आंकड़े सितंबर के हैं।
जर्मनी, पुर्तगाल, अमरीका, चीन, भारत, मलेशिया तथा ब्राजील के 2012 के आंकड़े जून के हैं और मेक्सिको और रूस के आंकड़े मार्च के हैं।
स्रोत: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के वित्तीय सुदृढ़ता संकेतकों से संकलित।

अमरीकी बैंकों के दबाव परीक्षण में बेहतर सुदृढ़ता के लक्षण

2.17 व्यापक पूंजी विश्लेषण तथा समीक्षा के अंतर्गत मार्च 2012 में किया गया दबाव परीक्षण दर्शाता है कि अधिकांश 19 बैंकिंग फर्मों के पास आर्थिक तथा वित्तीय दबाव झेलने के लिए पर्याप्त पूंजी है और उसके बाद भी ऋण देने की उनकी क्षमता बनी रहेगी।

अमरीकी बैंकों के क्रेडिट की गुणवत्ता में सुधार

2.18 औद्योगिक क्षेत्र को दिए गए क्रेडिट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, परंतु स्थावर संपदा तथा व्यक्तिगत ऋणों में वृद्धि कम रही। ऋण पोर्टफोलियो की समग्र चूक दरों में गिरावट आई परंतु आस्ति गुणवत्ता की दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों में जो अंतर है वह चिंता का विषय बना हुआ है (चार्ट II.8)।

चार्ट II.6: चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं में आस्तियों की गुणवत्ता

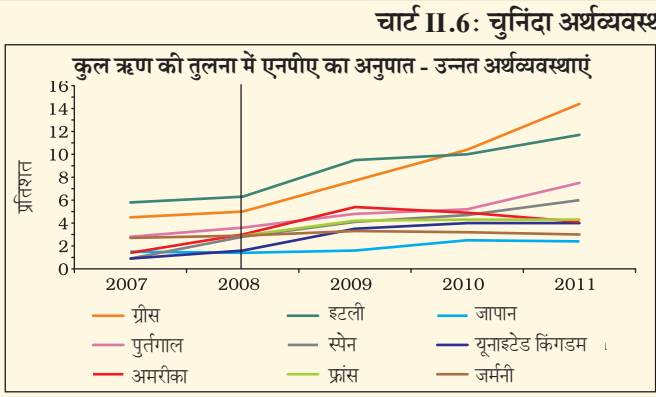

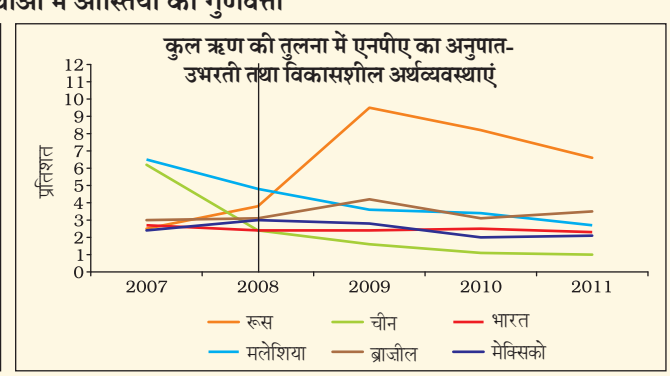

टिप्पणी: जापान के 2011 के आंकड़े सितंबर 2011 के हैं।
स्रोत: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के वित्तीय सुदृढ़ता संकेतकों से संकलित।

चार्ट II.7: अमरीकी बैंकिंग प्रणाली की प्रगति

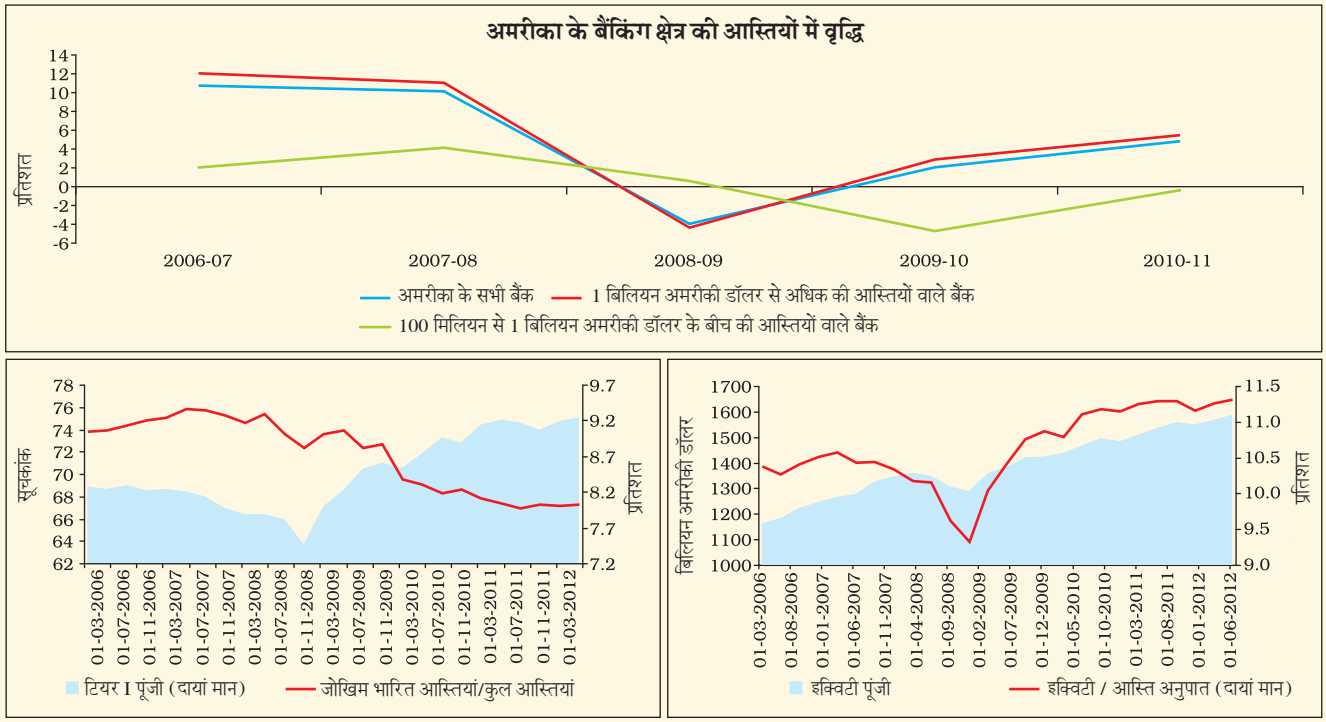

स्रोत: ब्लूमबर्ग तथा फेडरल डिपॉजिट कार्पोरेशन के डेटाबेस

यूरो क्षेत्र की बैंकिंग प्रणाली - जोखिम उच्च स्तर पर बना हुआ है

2.19 यूरो क्षेत्र के वर्तमान ऋण संकट ने बैंकों तथा सरकारी ऋणों के बीच के दुश्चक्र को रेखांकित किया है (बॉक्स II. 2)। उनकी बढ़ती अंतर-संबद्धता ने यूरोपीय यूनियन के बैंकिंग क्षेत्र के बाजार को लंबे समय तक तहस-नहस कर दिया जिसके चलते निधियों की लागत एवं उपलब्धता पर प्रतिकूल असर पड़ा।

यूरो क्षेत्र संकट के दौरान की जोखिम विमुखता ने अंतर-बैंक बाजार को अचल बना दिया

2.20 यूरो क्षेत्र के बैंक ग्राहकों की जमाराशियों के बजाय थोक निधियों पर अधिक निर्भर रहते हैं। इन बैंकों का कुल देयताओं की तुलना में आवासीय जमाराशियों का अनुपात लगभग 51 प्रतिशत था (चार्ट II.9)। हाल के यूरो क्षेत्र के सरकारी ऋण संकट के दौरान निधीयन की ऐसी व्यवस्था ने यूरोपीय यूनियन के बैंकों को अधिक

चार्ट II.8: अमरीकी बैंकों का क्षेत्रवार ऋण तथा चूक

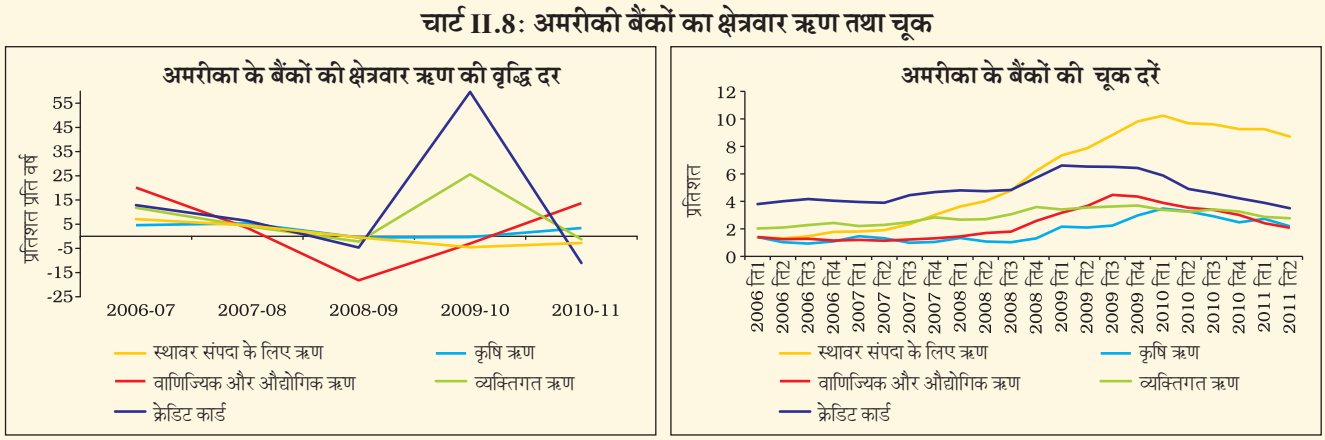

स्रोत: एफडीआईसी डेटाबेस, फ्रेड इकॉनॉमिक डेटा, सेंट लुइस फेड के आंकड़ों के आधार पर परिकलित।

बॉक्स II.2 यूरो क्षेत्र का संकट तथा सरकारी ऋण तथा बैंक का आपसी संबंध : सरकारी ऋण की रेटिंग को कम किया जाना तथा वैश्विक बैंकिंग प्रणाली के लिए इसका महत्त्व

हाल का वैश्विक वित्तीय संकट और यूरो क्षेत्र के ऋण संकट का गहराना बैंक और सरकारी ऋण संबंधी जोखिम की अंतर-संबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। विविध अनुसंधानमूलक अध्ययनों से राजकोषीय और वित्तीय संकट के बीच के संबंध का पता चलता है। राजकोषीय और वित्तीय उथल-पुथल के दौरान अंतरण के माध्यमों की चर्चा करते हुए रैनहार्ट और रोगोफ (2011) ने चार प्रकार के विशिष्ट तथ्यों का एक सेट प्रस्तुत किया। पहला, बैंकिंग संकट के पहले निजी और सरकारी ऋणों में तीव्र वृद्धि होती है। दूसरा, आम तौर पर बैंकिंग संकट, चाहे वह देश में पैदा हुआ हो या विदेश से आया हो, के साथ-साथ या बाद में सरकारी ऋण संकट होता है। तीसरा, सरकारी ऋण संकट से पहले सार्वजनिक उधार में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त, ऐसा भी होता है कि सरकार का अतिरिक्त ''छुपा हुआ ऋण'' (घरेलू सरकारी ऋण तथा आकस्मिक निजी ऋण) भी होता है। चौथा, सरकारी ऋण तथा बैंकिंग संकट - दोनों से पहले ऋण की संरचना अल्पावधि की ओर झुक जाती है। इसके अतिरिक्त, यदि वित्तीय संकट से मुद्रा संबंधी संकट की शुरुआत होती है तो विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋण की चुकौती की सरकार की क्षमता बाधित होती है जिससे चूक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

हाल के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान संबंधित देशों द्वारा बैंकों का बचाव किए जाने से ऋण संबंधी जोखिम वित्तीय क्षेत्र से राष्ट्रीय सरकार में अंतरित हो गया तथा इससे सरकारी ऋण संबंधी जोखिम में बढ़ोतरी हुई (आचार्य तथा अन्य 2010)। परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से संकट का अंतरण सामान्यतः सरकार से बैंकों की ओर होता है जिसमें सरकारी ऋण की चुकौती में हुई चूक से बैंक-संकट की शुरुआत होती है (केप्रियो एंड होनाहैन 2008)। जीडीपी की तुलना में ऋण के उच्चतर अनुपात सहित कमजोर आर्थिक वृद्धि के चलते यूरो क्षेत्र के देशों-ग्रीस, आयरलैंड, इटली, पुर्तगाल तथा स्पेन (जीआईआईपीएस)- की सरकारी ऋण की रेटिंग को बारंबार कम किया गया (चार्ट I)। सरकारी ऋण के जोखिम के बढ़ने से बैंक भी प्रभावित हो गये क्योंकि सरकारी बांडों के वे प्रमुख धारक थे।

ऐसे कई माध्यम हैं जिनसे सरकारी ऋण संबंधी जोखिम में बढ़ोतरी होने से बैंकों की निधीयन की लागत में बढ़ोतरी होती है: (i) सरकारी ऋण की धारिता पर होने वाली हानि से बैंकों के तुलन-पत्र प्रभावित होते हैं, उनकी जोखिम प्रवणता में बढ़ोतरी होती है तथा निधि का मिलना कठिन हो जाता है एवं उसकी लागत अधिक हो जाती है; (ii) सरकारी ऋण का जोखिम उच्चतर रहने से संपार्श्विक के मूल्य में कमी आती है जबकि बैंक इन संपार्श्विकों का उपयोग थोक निधीयन के लिए एवं केंद्रीय बैंक से चलनिधि प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं; (iii) सरकारी ऋण को डाउनग्रेड किए जाने से घरेलू बैंकों की रेटिंग भी कम हो जाती है, जिससे उनके थोक निधीयन की लागत में बढ़ोतरी होती है एवं बाजार में जाने की उनकी क्षमता बाधित होती है; तथा (iv) सरकारी ऋण के स्तर में कमी आने पर बैंकों के निधीयन संबंधी उन लाभों में कमी आती है जिनसे वे प्रत्यक्ष तथा परोक्ष सरकारी गारंटी प्राप्त करते हैं (सीजीएफएस-बीआईएस 2011)।

चार्ट 1: एसएंडपी द्वारा यूरो क्षेत्र के सरकारी ऋण की रेटिंग

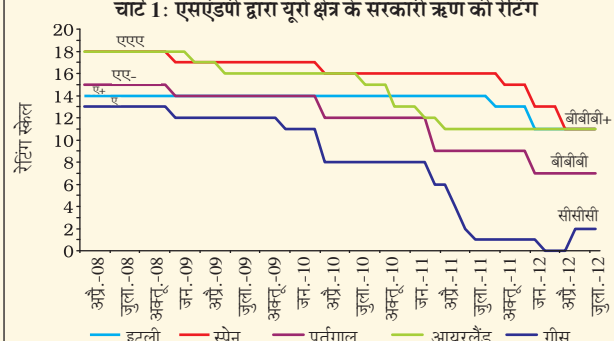

स्रोत: ब्लूमबर्ग से संकलित

सरकार की माली हालत एवं उनके बैंक के बीच का आपसी संबंध यूरो क्षेत्र के जीआईआईपीएस देशों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है क्योंकि सीडीएस स्प्रेड के रूप में मापा जाने वाला सरकारी तथा बैंक जोखिम (संबंधित देश का सबसे बड़ा बैंक) संकट के दौरान एक ही दिशा में चलता है (चार्ट 2)।

चार्ट 2: बैंक और सरकारी ऋण का जोखिम

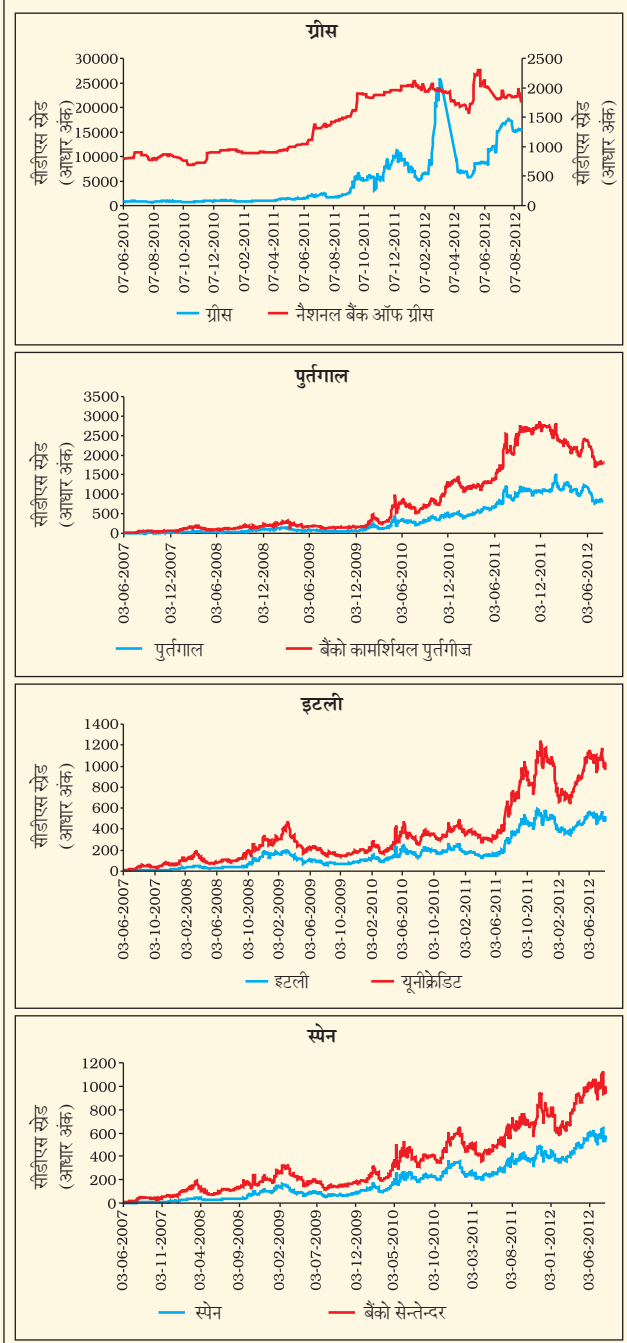

स्रोत: ब्लूमबर्ग

(जारी...)

(समाप्त....)

ग्रीस की राजनीतिक स्थिति एवं स्पेन की बैंकिंग प्रणाली द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों से जुड़े घटनाक्रमों से सरकारी ऋण तथा बैंकिंग संबंधी दबाव में वृद्धि हुई क्योंकि यूरो क्षेत्र में संकट के प्रबंधन के स्तर को सुधारने की दिशा में सरकारों के बीच समन्वय की कमी से निवेशक चिंतित थे।

संदर्भ:

आचार्य, विराल वी., ड्रिचेसलर, आई ऐंड स्वोनबल (2011), ''ए पायरिक विक्टरी? बैंक बेल आउट ऐंड सोवरेन क्रेडिट रिस्क'', एनबीईआर वर्किंग पेपर्स 17136, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकॉनोमिक रिसर्च।

बार्थ, जेम्स आर., अपनार्ड प्रभा ऐंड ग्रेग यून (2012), ''दि यूरोज़ोन फिनांसियल क्राइसिसः रोल ऑफ इंटरडिपेंडेन्सीज़ बिट्वीन बैंक ऐंड सोवरेन रिस्क'', जर्नल ऑफ फिनांसियल इकॉनोमिक पालिसी, खंड 4

कैप्रिओ, गेरार्ड एंड पैट्रिक होनाहन (2008): ''बैंकिंग क्राइसिस'', सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकॉनोमिक्स, विल्यम्स्य कॉलेज।

सीजीएफएस-बीआईएस (2011), ''दि इंपैक्ट ऑफ सोवरेन क्रेडिट रिस्क ऑन बैंक फंडिंग कंडीशन्स'' सीजीएफएस पेपर्स नं. 43, बैंक फॉर इंटरनैशनल सेटलमेंट्स।

रोगोफ, केनीथ एस. ऐंड कार्मेन एम. रैनहार्ट (2011), ''ए डिकेड ऑफ डेट'' एनबीईआर वर्किंग पेपर्स 16827, नैशनल ब्यूरो ऑफ इकॉनोमिक रिसर्च।

नाजुक बना दिया क्योंकि इसके चलते उनकी निधीयन की लागत अवहनीय स्तर तक बढ़ गई। इसमें यूरोपीय बैंकों के लिए थोक निधीयन बाजार अचल हो गया। ग्रीस, इटली तथा स्पेन जैसे देशों में अनिवासियों की जमाराशि सहित ग्राहकों की जमाराशियों में गिरावट आई। यूरिबोर-ओआईएस स्प्रेड में, जो गैर-जमानती अंतर बैंक बाजारों में प्रतिपक्षी जोखिम का एक संकेतक है, 2011 की दूसरी छमाही में तेजी से वृद्धि हुई, परंतु बाद की अवधि में इसमें गिरावट आई (चार्ट II.9)।

2.21 यूरोपीय बैंकों के निधीयन संबंधी दबाव को कम करने के लिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने 21 दिसंबर 2011 तथा 29 फरवरी 2012 को दीर्घावधि पुनर्वित्त परिचालन (एलटीआरओ) किया जिसकी राशि 1 ट्रिलियन यूरो से भी अधिक थी। इसने यूरोपीय बैंकों के निधीयन संबंधी दबावों का अस्थायी तौर पर समाधान किया और वित्तीय दबाव को कम किया। परंतु यूरोपीय बैंकों ने एलटीआरओ निधियों का उपयोग निजी क्षेत्र को कर्ज देने में न करके तुलन-पत्रों को बचाने में किया (चार्ट II.10)। एलटीआरओ निधि का अधिकांश हिस्सा यूरोपीय केंद्रीय बैंक में ही जमा कर दिया गया।

पूंजी बढ़ाने के प्रयास जारी हैं, परंतु चिंताएं बनी हुई हैं

2.22 संकट के गहराने के साथ आस्ति की गुणवत्ता, पूंजी बफर के आकार तथा भविष्य की ऋण हानियों से निपटने की बैंकों की क्षमता के प्रति बाजार अधिक चिंतित हुआ। इन चिंताओं को दूर करने के लिए यूरोपियन बैंकिंग अथॉरिटी ने बैंकों की पूंजी की जरूरत का आकलन करने के लिए नवंबर 2011 में 71 बैंकों का यूरोपीय यूनियन-व्यापी दबाव परीक्षण तथा पूंजी संबंधी परीक्षण किया एवं बैंकों को सूचित किया कि वे अस्थायी पूंजी बफर का निर्माण करें ताकि 30 जून 2012 तक 9 प्रतिशत का कोर टियर-1 अनुपात प्राप्त किया जा सके। यूरोपियन बैंकिंग अथॉरिटी ने पाया कि यूरोप के 27 बैंकों को 9 प्रतिशत का टियर-1 अनुपात पूरा करने के लिए 76 बिलियन यूरो

चार्ट II.9: यूरोपीय बैंकों के निधीयन का ढांचा तथा अंतर-बैंक बाजार

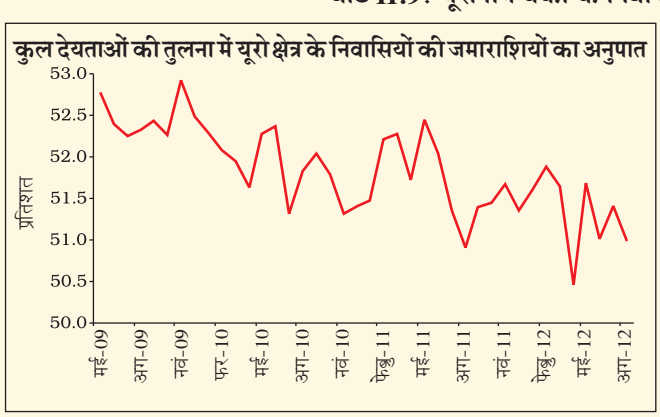

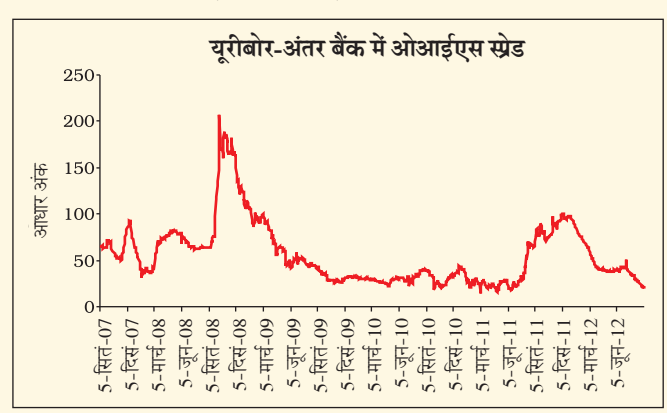

स्रोत: ब्लूमबर्ग

चार्ट II.10: यूरो क्षेत्र में एलटीआरओ तथा निजी क्षेत्र को ऋण

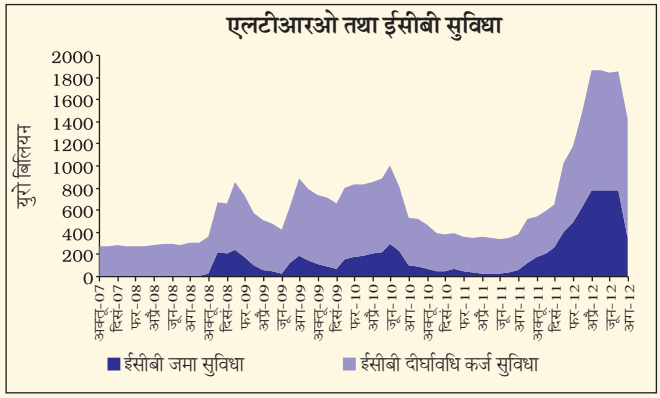

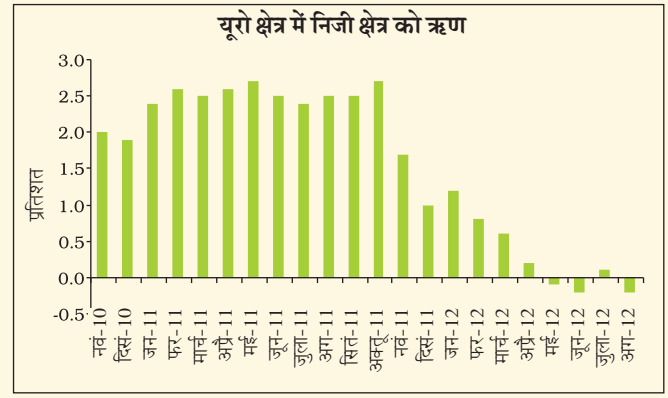

स्रोत: ब्लूमबर्ग तथा यूरोपियन सेंट्रल बैंक

की कुल पूंजी जुटानी होगी। यूरोपियन बैंकिंग अथॉरिटी द्वारा 03 अक्तूबर 2012 को जारी अंतिम रिपोर्ट दर्शाती है कि 27 बैंकों ने जून 2012 तक 116 बिलियन यूरो जोड़कर अपनी पूंजी की स्थिति सुदृढ़ की। इसका परिणाम सकारात्मक होने पर भी चिंताएं बनी हुई हैं क्योंकि सर्वेक्षण में शामिल कुछ बैंकों, विशेष रूप से ग्रीस और स्पेन के बैंकों को बेलआउट की जरूरत थी।

यूरोपीय बैंक जीआईआईपीएस देशों के प्रति एक्सपोज़र की डीलीवरेजिंग कर रहे हैं

2.23 यूरोपीय बैंक यूरो क्षेत्र के प्रभावित देशों, विशेष रूप से ग्रीस के प्रति अपना एक्सपोज़र कम कर रहे हैं। बीआईएस के आंकड़े दर्शाते हैं कि राइट-डाउन तथा आस्तियों की बिक्री के बाद ग्रीस के सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण के संबंध में उनका कुल एक्सपोज़र तिमाही-दर-तिमाही आधार पर मार्च 2012 के अंत में 70 प्रतिशत से भी अधिक कम हो गया (चार्ट II.11)।

यूके की बैंकिंग प्रणाली- यूरो क्षेत्र संकट का संक्रमण

2.24 यूरो क्षेत्र के संकट ने यूके की वित्तीय प्रणाली को प्रभावित किया तथा इसके चलते यूके की अर्थव्यवस्था की संभावना में उल्लेखनीय गिरावट आई। यद्यपि यूके के बैंकों ने हानि से बचाव के लिए पूंजी के रूप में काफी बफर बना लिया था, फिर भी वे बाजार की अनिश्चितता में हुई सामान्य बढ़ोतरी तथा यूरो क्षेत्र की समस्याओं से जुड़ी व्यापक जोखिम विमुखता से प्रभावित हुए। इसके परिणामस्वरूप बैंकों की निधीयन लागत में तेजी से वृद्धि हुई जिससे यूके की पारिवारिक इकाइयों तथा कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के लिए ब्याज दरें बढ़ गईं तथा ऋण की उपलब्धता में कमी आई। प्राधिकारियों द्वारा नीतिगत कार्रवाइयों के बावजूद बैंकिंग प्रणाली से मिलने वाले कर्ज का प्रवाह बाधित हुआ जबकि पारिवारिक इकाइयां तथा कई कारोबार इस पर नितांत निर्भर रहते हैं। हाल के आंकड़े दर्शाते हैं कि यूके के कारोबारियों को दिए गए कर्ज में कमी आई है (चार्ट II.12)।

चीन की बैंकिंग प्रणाली में वृद्धि जारी

2.25 25 चीन की बैंकिंग प्रणाली की वृद्धि 2011 में आस्तियों की तुलना में पूंजी के उच्चतर अनुपात एवं केवल लगभग 1 प्रतिशत के अनर्जक ऋण (एनपीएल) के साथ जारी रही (चार्ट II.13)। तथापि चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट आने तथा उसके प्रॉपर्टी बाजारों में

चार्ट II.11: यूरोपीय बैंकों का ग्रीस के प्रति एक्सपोज़र

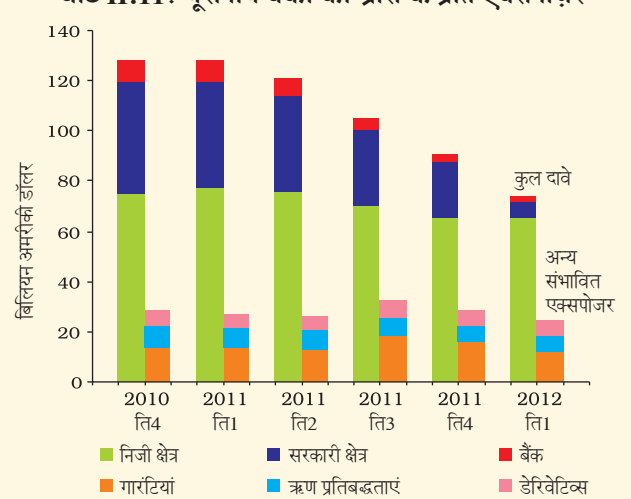

टिप्पणी: कुल दावों में यूरोपीय बैंकों का निजी, सरकारी तथा बैंकिंग क्षेत्र के प्रति एक्सपोजर शामिल हैं तथा अन्य संभावित एक्सपोजर में गारंटियां, ऋण प्रतिबद्धताएं तथा डेरिवेटिव शामिल हैं।
स्रोत: ब्लूमबर्ग

चार्ट II.12: यूके के बैंकों द्वारा कंपनियों को दिए गए कुल ऋण

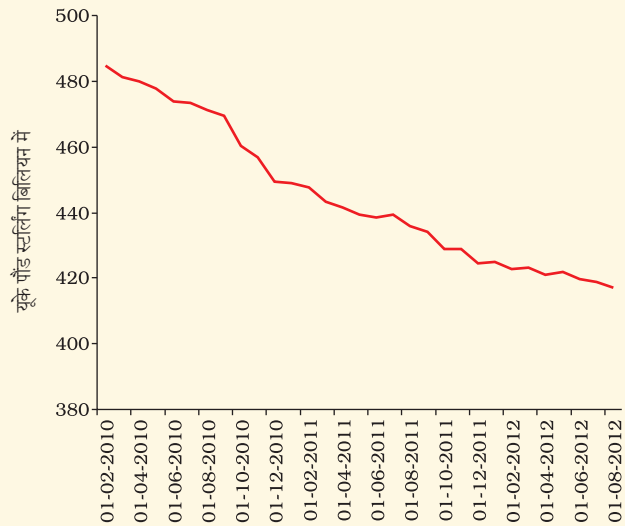

स्रोत: बैंक ऑफ इंग्लैंड

चार्ट II.13: चीन के बैंकिंग के संकेतक

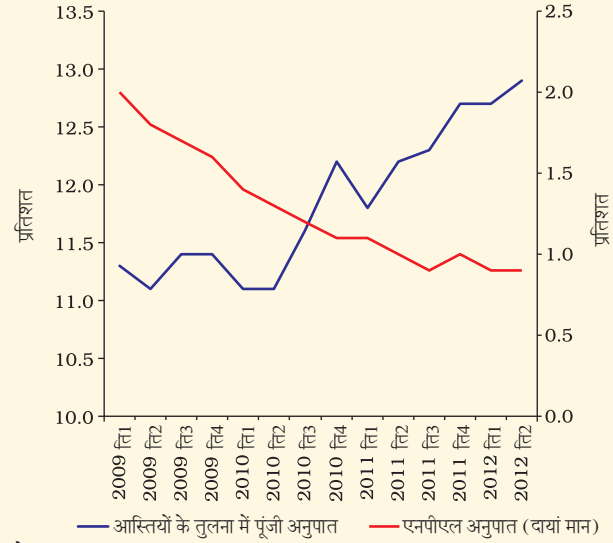

स्रोत: ब्लूमबर्ग

भारी एक्सपोज़र के चलते उसके बैंकिंग उद्योग की वृद्धि को बनाए रखना कठिन कार्य होगा।

4. शीर्ष 100 वैश्विक बैंकों के निष्पादन का विश्लेषण

वैश्विक बैंकिंग में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के हिस्से में वृद्धि जारी

2.26 बैंकर डेटाबेस द्वारा किए गए शीर्ष 100 वैश्विक बैंकों का विश्लेषण दर्शाता है कि 2011 में वैश्विक बैंकिंग कारोबार में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की ओर थोड़ी उन्मुख होने की प्रवृत्तित्ति बढ़ रही है जैसा कि शीर्ष 100 वैश्विक बैंकों की संख्या एवं आस्तियों की संरचना - दोनों से स्पष्ट होता है (चार्ट II.14)। यह बदलाव उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में कर्ज में निरंतर वृद्धि एवं उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में कर्ज की वृद्धि दर में आई गिरावट को दर्शाता है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 2010 से 2011 के बीच आस्तियों के हिस्से में जो गिरावट आई वह मुख्यतः अमरीकी और यूरोपीय बैंकों में केंद्रित थी (चार्ट II.15)। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के बीच चीन के बैंकों ने शीर्ष 100 बैंकों की रेटिंग में उल्लेखनीय सुधार दिखाया जिससे चीन के 4 बैंकों को टियर 1 पूंजी आधार पर शीर्ष 10 बैंकों में पहली बार स्थान प्राप्त हुआ।

चार्ट II.14: वैश्विक बैंकिंग सांख्यिकी का स्थान

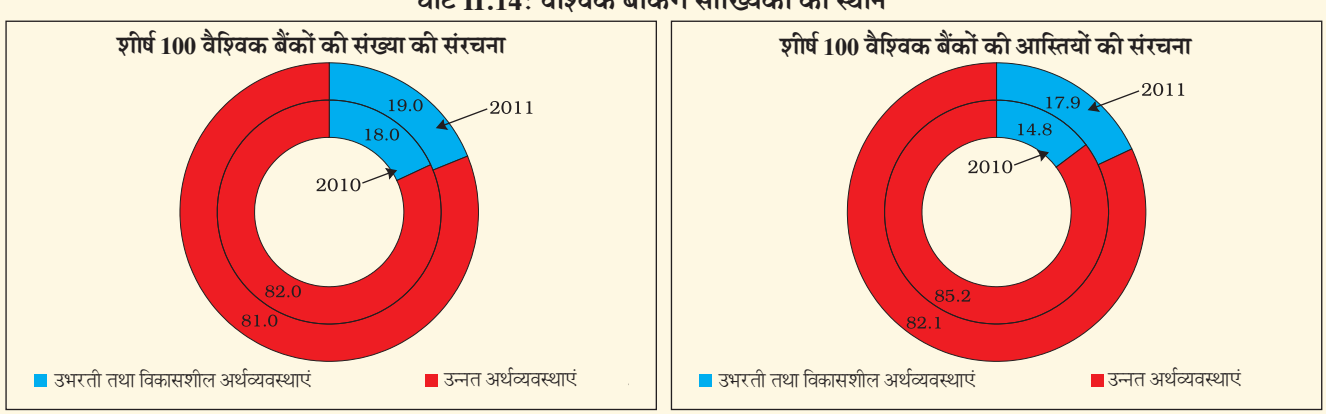

स्रोत: बैंकर डेटाबेस का उपयोग करके परिकलित

चार्ट II.15: शीर्ष 100 वैश्विक बैंकों की कुल आस्तियों में देशों का हिस्सा

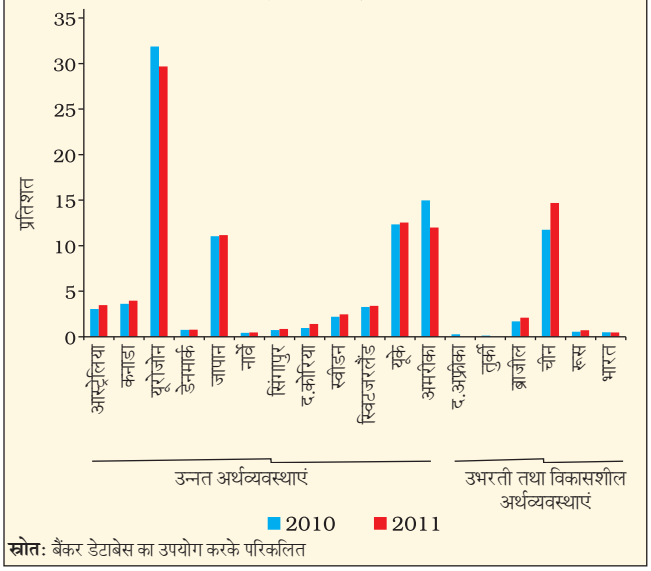

स्रोत: बैंकर डेटाबेस का उपयोग करके परिकलित

चार्ट II.16: आस्तियों पर प्रतिलाभ के आधार पर शीर्ष 100 वैश्विक बैंकों का प्रतिशत वितरण

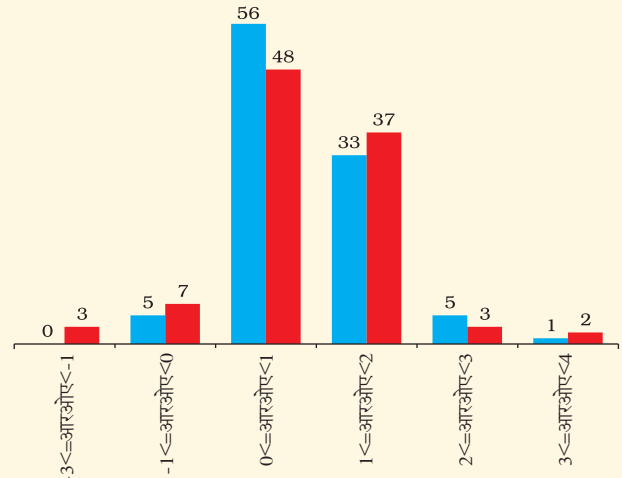

स्रोत: बैंकर डेटाबेस का उपयोग करके परिकलित

वैश्विक बैंकों की लाभप्रदता का स्तर कम रहा

2.27 शीर्ष 100 बैंकों के लाभ में 2011 के दौरान गिरावट आई जबकि इन बैंकों ने वित्तीय संकट के बाद लाभ की स्थिति में सुधार किया था। इन बैंकों का सकल लाभ 2010 के 709 बिलियन अमरीकी डॉलर से मामूली घटकर 2011 में 702 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। इसके अलावा, 2011 में हानि उठाने वाले बैंकों (आस्तियों पर ऋणात्मक प्रतिलाभ (आरओए) दर्ज करने वाले) का प्रतिशत भी 2010 के 5 से बढ़कर 10 हो गया (चार्ट II.16)।

वैश्विक बैंकों ने पूंजी पर्याप्तता की अपनी स्थिति मजबूत की

2.28 शीर्ष 100 बैंकों की पूंजी पर्याप्तता स्थिति से स्पष्ट होता है कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात की दृष्टि से उच्चतर श्रेणी अर्थात् 13 से 17 प्रतिशत वाले बैंकों की संख्या में वृद्धि हुई जो बैंकों की पूंजी सुदृढ़ करने के वैश्विक प्रयास को दर्शाता है। परंतु 17 प्रतिशत से अधिक के सीआरएआर के दायरे में आनेवाले बैंकों की संख्या में गिरावट आई (चार्ट II.17)। शीर्ष सभी 100 बैंकों (एक को छोड़कर जिसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं) की स्थिति दर्शाती है कि उनकी पूंजी पर्याप्तता का स्तर बीसीबीएस द्वारा बासेल II के अंतर्गत निर्धारित 8 प्रतिशत के सीआरएआर से अधिक है।

वैश्विक बैंकों की डीलीवरेजिंग में कुछ प्रगति हुई

2.29 वैश्विक बैंकों को डीलीवरेज करने के लिए दबाव के बीच, विशेष रूप से वैश्विक वित्तीय संकट के बाद, बैंकों ने अपने लीवरेज को कम करने में कुछ प्रगति की है (चार्ट II.18)। 2011 के अंत में 4 प्रतिशत से कम तथा 4-6 प्रतिशत के बीच आस्तियों

चार्ट II.17: सीआरएआर के आधार पर शीर्ष 100 वैश्विक बैंकों का प्रतिशत वितरण

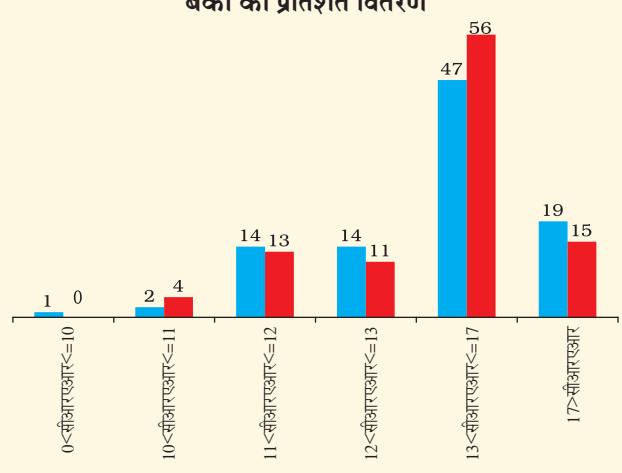

टिप्पणी: शीर्ष 100 के कुछ बैंकों के आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण संभव है कि प्रतिशत का जोड़ 100 न हो।

स्रोत: बैंकर डेटाबेस का उपयोग करके परिकलित

चार्ट II.18: आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआर) के आधार पर शीर्ष 100 वैश्विक बैंकों का प्रतिशत वितरण

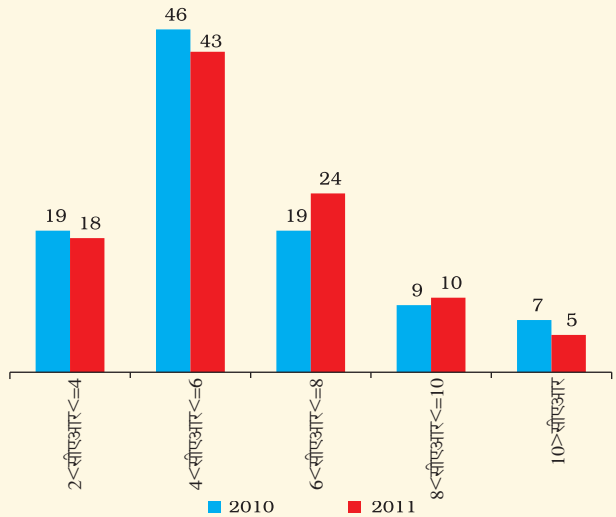

स्रोत: बैंकर डेटाबेस का उपयोग करके परिकलित

चार्ट II.19: अनर्जक ऋण अनुपात के आधार पर शीर्ष वैश्विक बैंकों का प्रतिशत वितरण

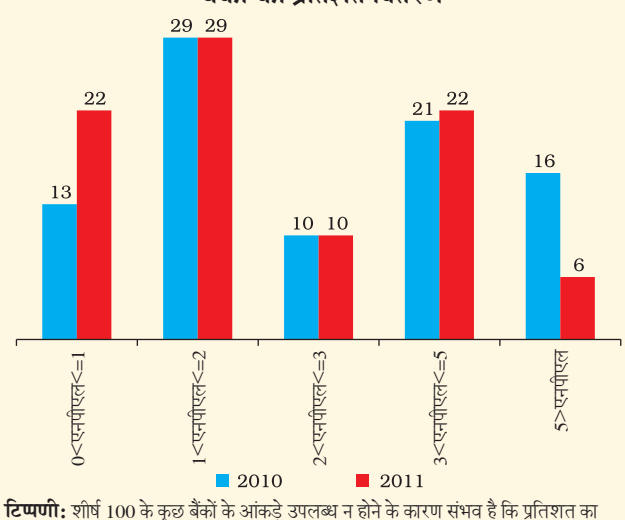

टिप्पणी: शीर्ष 100 के कुछ बैंकों के आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण संभव है कि प्रतिशत का जोड़ 100 न हो।
स्रोत: बैंकर डेटाबेस का उपयोग करके परिकलित

की तुलना में पूंजी अनुपात, जोकि वित्तीय लीवरेज का एक माप है, के साथ अत्यधिक लीवरेज वाले बैंकों की संख्या में कमी आई जबकि 6-8 प्रतिशत के दायरे वाले बैंकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई।

वैश्विक बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार

2.30 अनिश्चित वैश्विक वित्तीय माहौल के बीच वैश्विक बैंकों ने अपनी आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार दर्शाया। 5 प्रतिशत से कम के अनर्जक ऋण अनुपात वाले बैंकों की संख्या 16 से घटकर 6 रह गई है (चार्ट II.19)। इसके अतिरिक्त कम अनर्जक आस्ति अनुपात अर्थात् 0-1 प्रतिशत वाले बैंकों की संख्या में वृद्धि हुई।

2.31 तीन संकेतकों अर्थात् सीआरएआर, लीवरेज और एनपीए अनुपात शामिल करके तैयार किए गए स्कैटर प्लॉट से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2010 तथा 2011 के बीच बैंक जहां अपने सीआरएआर बढ़ाने में लगे थे वहीं बैंकों के लीवरेज तथा एनपीए अनुपातों में मामूली सुधार दिखाई दिया (चार्ट II.20)।

चार्ट II.20: शीर्ष वैश्विक बैंकों के सुदृढ़ता संकेतकों में परिवर्तन

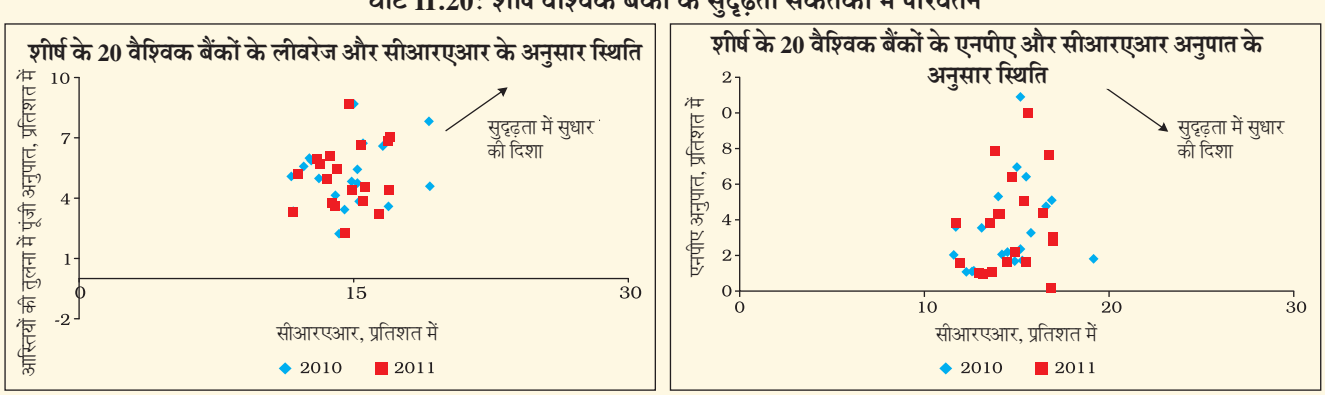

टिप्पणी: शीर्ष 20 बैंक 2011 की सूची के अनुसार हैं। सेक्टर प्लॉट के लिए इन्हीं बैंकों को लिया गया है।
स्रोत: बैंकर डेटाबेस का उपयोग करके परिकलित

5. वैश्विक नीतिगत सुधार

बासेल नियमों के कार्यान्वयन में प्रगति

2.32 बैंकिंग पर्यवेक्षण के बासेल नियम अर्थात् बासेल II, बासेल II.5 तथा बासेल III का लक्ष्य वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र की आंतरिक शक्ति को सुदृढ़ करना है। इन नियमों का विभिन्न देशों में समय पर तथा समान रूप से कार्यान्वयन जरूरी है ताकि वैश्विक बैंकिंग प्रणाली की सुदृढ़ता सुनिश्चित की जा सके। बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासेल समिति अपने सदस्य देशों के बीच बासेल नियमों के कार्यान्वयन का एक मूल्यांकन कर रहा है। बीसीबीएस की अक्तूबर 2012 की बासेल III के कार्यान्वयन संबंधी प्रगति रिपोर्ट दर्शाती है कि अनेक सदस्य देशों द्वारा अभी भी दिशा-निर्देश जारी किए जाने बाकी हैं तथा जिन देशों ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं उनमें इस बात की संभावना है कि उनके देश का मानदंड वैश्विक स्तर पर सहमत मानदंडों से कमजोर हो। जी-20 के कुछ देशों, जैसे भारत, जापान, चीन तथा सउदी अरब ने 2013 की शुरुआत से बासेल III के कार्यान्वयन के लिए अंतिम नियमों की घोषणा पहले ही कर दी है, परंतु अधिकांश देश प्रारूपण तथा विचार-विमर्श के स्तर पर हैं। बासेल III के संबंधी विधान का प्रारूप प्रकाशित हो जाने के बाद अमरीका तथा यूरोपीय यूनियन अंतिम नियम के करीब पहुंच गये हैं।

प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं से संबंधित सुधार

2.33 बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासेल समिति ने नवंबर 2011 में वैश्विक प्रणालीगत महत्त्व के आकलन एवं बड़ी संस्थाओं, अर्थात् वैश्विक स्तर पर प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण बैंकों, की अतिरिक्त हानि सहने की क्षमता को मात्रात्मक रूप देने के लिए अंतिम नियम जारी किए। इसका तर्काधार इन संस्थाओं द्वारा वैश्विक वित्तीय क्षेत्र को हो सकने वाले जोखिमों को रोकना था तथा इसमें वैश्विक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण बैंकों की पहचान करना एवं प्रणालीगत महत्त्व में बढ़ोतरी होने पर सामान्य इक्विटी द्वारा अतिरिक्त हानि सहने की पूंजी अपेक्षा को पूरा करना था। वैश्विक स्तर पर महत्त्वपूर्ण बैंकों की प्रारंभिक सूची प्रकाशित की जा चुकी है जिसे वार्षिक आधार पर संशोधित किया जाएगा एवं इसकी प्रक्रिया की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी। वैश्विक स्तर पर प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण बैंकों के संशोधित मानकों का कार्यान्वयन 2016 से चरणबद्ध रूप में किया जाएगा।

प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण घरेलू बैंकों के लिए ढांचा

2.34 जी-20 देशों के नेताओं ने बीसीबीएस एवं वित्तीय स्थिरता बोर्ड से अनुरोध किया कि वे प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण घरेलू बैंकों के लिए जोखिम कम करने का एक समुचित ढांचा विकसित करें। तदनुसार, बीसीबीएस ने जून 2012 में एक परामर्शी दस्तावेज तैयार किया जिसमें प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण घरेलू बैंकों के संबंध में ढांचा दिया गया था। डी-एसआईबी का ढांचा जी-एसआईबी ढांचे का अनुपूरक होगा और घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण बैंकों की विफलता का आसार घरेलू अर्थव्यवस्था तक सीमित रहेगा। जी-एसआईबी ढांचे के विपरीत डी-एसआईबी ढांचा नीति संबंधी उपायों के मूल्यांकन एवं उपयोग हेतु घरेलू वित्तीय प्रणाली की ढांचागत विशेषताओं के अनुरूप ढालने में राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने की काफी छूट देता है। इन सिद्धांतों में यह अपेक्षा है कि राष्ट्रीय प्राधिकारी घरेलू वित्तीय प्रणाली को ध्यान में रखते हुए प्रणालीगत जोखिम का आकलन करे, और जोखिमों का आकलन बैंक विशिष्ट कारकों-जैसे आकार, अंतर-संबद्धता, वैकल्पिक/वित्तीय संस्थागत ढांचा तथा जटिलता-को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। बीसीबीएस ने विचार विमर्श की प्रक्रिया के आधार पर प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण घरेलू बैंकों के विनियमन के लिए अक्तूबर 2012 में अंतिम ढांचे का प्रकाशन किया।

शैडो बैंकिंग प्रणाली की निगरानी और विनियमन

2.35 वित्तीय स्थिरता बोर्ड ने अप्रैल 2012 में शैडो बैंकिंग प्रणाली को ''संस्थाओं के बीच कर्ज संबंधी मध्यस्थन तथा कार्यकलाप जो नियमित बैंकिंग प्रणाली के बाहर किये गये हों'' के रूप में परिभाषित किया है।

2.36 कैन्स में नवंबर 2011 में हुए शिखर सम्मेलन में जी-20 के नेतागण शैडो बैंकिंग की निगरानी और विनियमन को सुदृढ़ करने पर सहमत हुए और उन्होंने एफएसबी की प्राथमिक सिफारिशों पर उसकी कार्य-योजना के साथ सहमति दी ताकि 2012 के दौरान उसे और विकसित किया जा सके। एफएसबी ने द्विस्तरीय दृष्टिकोण अपनाया है। पहला, एफएसबी अपनी वार्षिक निगरानी संबंधी कार्य जारी रखते हुए निगरानी के ढांचे को विकसित करेगा ताकि वैश्विक

प्रवृत्ति तथा जोखिमों का आकलन किया जा सके और इस प्रक्रिया में और अधिक देश भाग लेंगे। दूसरा, एफएसबी शैडो बैंकिंग प्रणाली के विनियमन को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यकतानुसार सिफारिशें देगा ताकि संभावित प्रणालीगत जोखिमों को कम किया जा सके। एफएसबी ने जी-20 के नेताओं को अप्रैल 2012 में प्रस्तुत की गई शैडो बैंकिंग संबंधी अपनी रिपोर्ट में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की है और इस बात का उल्लेख किया है कि नीति संबंधी अन्य सिफारिशें 2012 के अंत तक की जाएंगी।

समाधान व्यवस्था तथा बेल-इन की पद्धति

2.37 वैश्विक वित्तीय संकट ने समाधान व्यवस्था में सुधार करने की भारी जरूरत को रेखांकित किया है ताकि संबंधित प्राधिकारी विफल हो रही वित्तीय संस्थाओं का समाधान वित्तीय प्रणाली में अस्थिरता पैदा किए बिना अथवा दिवालिया होने की स्थिति में समर्थन देने के कारण होने वाली हानि के लिए करदाताओं को जोखिम में डाले बिना कर सकें। अमरीकी सरकार के डॉड-फ्रैंक अधिनियम ने बड़ी तथा प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंक संस्थाओं एवं वित्तीय संस्थाओं की विफलता से निपटने के लिए फेडरल डिपाजिट इंश्योरेंस कारपोरेशन के प्राधिकार को बढ़ा दिया है। उसी प्रकार यूके की सरकार ने विशेष समाधान व्यवस्था एवं विशेष प्रशासन व्यवस्था को कार्यान्वित किया है ताकि बैंकों तथा निवेश फर्मों का समुचित समाधान सुनिश्चित किया जा सके। यूरोपियन कमीशन ने भी यूरोपियन यूनियन-व्यापी संकट प्रबंधन एवं बैंक समाधान फ्रेमवर्क विकसित करने के लिए प्रस्ताव जारी कर दिया है ताकि समाधान के उपायों एवं राष्ट्रीय प्राधिकारियों के दृष्टिकोण में समानता लाई जा सके।

2.38 एफएसबी ने नवंबर 2011 में प्रभावी समाधान व्यवस्था संबंधी मानक जारी कर दिए हैं। इसके लिए वैश्विक स्तर पर प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण बैंकों (गैर-बैंकों सहित) की समस्याओं के समाधान के लिए देशों के पास व्यापक अधिकारों के साथ समाधान प्राधिकारियों का होना जरूरी है ताकि देशों के बीच सहयोग में आनेवाली बाधाओं को कम किया जा सके तथा कम-से-कम वैश्विक स्तर पर प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण के रूप में चिह्नित बैंकिंग समूह के लिए बहाली तथा समाधान योजनाएं एवं प्रबंधन समूहों की स्थापना सुनिश्चित की जा सके।

2.39 एफएसबी प्रमुख मानदंडों को बेंचमार्क के रूप में लेकर अपने सदस्य देशों की वर्तमान समाधान व्यवस्था का मूल्यांकन करने एवं इन व्यवस्थाओं में किसी नियोजित परिवर्तन पर विचार करने के लिए पहली समकक्ष समीक्षा कर रहा है।

2.40 विनियामक सुधार के अजेंडे में प्रगति हुई है, परंतु कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है तथा कार्यान्वयन संबंधी महत्त्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई हैं। परंतु इसका पूर्ण कार्यान्वयन सुदृढ़ राजनैतिक प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगा क्योंकि देशों के बीच सहयोग बढ़ाने, सूचनाओं के आदान-प्रदान तथा स्वयं के एवं मूल देशों में वित्तीय समूहों के लिए समाधान संबंधी अधिकारों की सीमा एवं गुंजाइश को बढ़ाने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कानून बनाने की जरूरत होगी।

6. समग्र मूल्यांकन

2.41 वैश्विक बैंकिंग प्रणाली ने 2011 तथा 2012 में अब तक कई चुनौतियों का सामना किया, जैसे - कमजोर पड़ती वैश्विक वृद्धि तथा विशेष रूप से यूरोपीय बैंकों में सरकारी ऋण संकट का बढ़ना एवं इससे संबंधित निधीयन एवं डीलीवरेजिंग का जोखिम। इने चुनौतियों के वर्ष 2013 में भी बने रहने की संभावना है क्योंकि गिरावट का जोखिम बरकरार है, बशर्ते उन्नत देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा उठाये गए कदमों से वृद्धि में सुधार हो। चुनौतियों से निपटने के लिए जो राजकोषीय मितव्ययिता के उपाय किए गए हैं उनसे भी उन्नत देशों की वृद्धि तथा रोजगार संबंधी संभावनाएं कमजोर पड़ेंगी। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के बैंक निधीयन के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर सीमित निर्भरता के चलते बेहतर स्थिति में हैं, परंतु यदि यूरो क्षेत्र का सरकारी ऋण संकट जारी रहता है तो वे भी गिरावट संबंधी जोखिम का सामना करेंगे, जैसे-व्यापार वित्त की उपलब्धता में कमी, जोखिम उठाने की इच्छा में गिरावट, पूंजी का बाहर जाना एवं विदेशी मुद्रा बाजार में उतार-चढ़ाव।

2.42 हाल की अवधि में उन्नत देशों ने आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाने के लिए मौद्रिक सहायता उपायों का सहारा लिया। अमरीका के फेडरल रिज़र्व ने वित्तीय सहायता III की घोषणा की जो प्रतिमाह 40 बिलियन अमरीकी डॉलर की अतिरिक्त एजेंसी बंधक समर्थित प्रतिभूतियों की खरीद का एक व्यापक उपाय है। ईसीबी ने यूरोप

के सरकारी ऋण संकट संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए यूरो क्षेत्र के सरकारी बांडों को द्वितीयक बाजार से खरीदने के लिए ''निष्प्रभावित'' एकमुश्त मौद्रिक लेनदेन (ओएमटी) कार्यक्रम की घोषणा की। बैंक ऑफ जापान ने भी आस्ति खरीद कार्यक्रम के कुल आकार में लगभग 21 ट्रिलियन येन की वृद्धि करके कुल लगभग 91 ट्रिलियन येन कर दिया। इन उपायों ने यूरोपीय यूनियन के बैंकों के निधीयन संबंधी दबावों तथा वित्तीय तनाव को कम किया। ''यूरोपीय स्थिरता व्यवस्था'' के रूप में 500 बिलियन यूरो के स्थायी बचाव पैकेज की शुरुआत किये जाने तथा ईसीबी के अंतर्गत एकल बैंकिंग विनियामक की स्थापना के प्रस्ताव ने भी वित्तीय बाजार के दबाव को कम करने में मदद की।

2.43 आगे चलकर कमजोर वैश्विक वृद्धि तथा आकार ले रहे नए विनियामक परिवेश के चलते बैंकों को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि इससे कारोबार करने की लागत में बढ़ोतरी होगी जिससे उनकी लाभप्रदता में कमी आएगी। दीर्घावधि में वैश्विक बैंकों को लागत को कम करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ निवेशकों के विश्वास की बहाली की दिशा में कार्य करना चाहिए।

अध्याय III

नीतिगत परिवेश

2011-12 के दौरान वैश्विक वित्तीय परिस्थितियां और खराब हो गईं। मंद वैश्विक वृद्धि और इसके कारण बढ़ते जोखिमों के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था में देशी समष्टि-आर्थिक बुनियादी घटक कमजोर होते गए। जहां पश्चिमी देश मंद होती वृद्धि, निरंतर खराब होते सरकारी ऋण संकट की स्थिति और अपने वित्तीय विनियामक ढांचे को सुधारने में लगे हुए हैं, वहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वित्तीय/ बैंकिंग विनियमों को उभरते बाजार डायनेमिक्स के साथ कदम मिलाकर चलना होगा और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे विनियम उद्यमशीलता तथा नवोन्मेष की भावना को समाप्त ही न कर दें। इस परिप्रेक्ष्य में, रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग क्षेत्र की आघात-सहनीयता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। 2011-12 के दौरान कई नीतिगत उपाय प्रारंभ किये गये जिनमें अधिक ध्यान विनियामक और पर्यवेक्षी तंत्र पर दिया गया। ये उपाय निरंतर जारी वैश्विक पहल के रूप में किये गये, जैसे बैंकों के लिए बासल II उन्नत दृष्टिकोण अपनाना, बासल III के कार्यान्वयन के लिए योजना बनाना, गतिशील प्रावधानीकरण फ्रेमवर्क/ प्रतिचक्रीय पूंजी बफर के लिए प्रयत्न करना, प्रतिभूतिकरण मानदंड, मजबूत मुआवजा प्रथाएं तथा बैंकों के लिए जोखिम आधारित पर्यवेक्षी दृष्टिकोण अपनाना। मनी लांडरिंग/ आंतकवाद के वित्तपोषण की समस्या को सुलझाने, धोखाधड़ी पर नियंत्रण करने, भुगतान और निपटान प्रणालियों तक पहुंच को व्यापक बनाने और बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार लाने के लिए भी प्रयास किए गए। रिज़र्व बैंक ने नीतिगत पहल के साथ-साथ अपने आउटरीच कार्यक्रमों द्वारा वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने का काम भी जारी रखा।

1. भूमिका

3.1 प्रतिकूल बाह्य परिवेश के बीच, 2011-12 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जिनमें स्फीतिकारक दबाव, वृद्धि में मंदी और निरंतर कम होते राजकोषीय और बाह्य क्षेत्र शेष शामिल थे। एक दुरूह समष्टि-आर्थिक परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में, मौद्रिक नीति को मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगाने, वृद्धि में मंदी को रोकने, वित्तीय बाजारों में कामकाज को सहज करने के लिए प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि उपलब्ध कराने और विदेशी मुद्रा बाजार में उतार-चढ़ाव को नियंत्रण में रखने के कठिन कार्य करने पड़े। रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2011 के मध्य तक मुद्राफीति विरोधी रुझान जारी रखा। वृद्धि में मंदी के साक्ष्यों को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने निरंतर स्फीतिकारक दबावों के चलते ठहराव की स्थिति अपनाने से पहले, समय-पूर्व कार्रवाई करते हुए अप्रैल 2012 में नीतिगत दरों में कमी कर दी ।

3.2 भारतीय बैंकिंग उद्योग कुल मिलाकर वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल से अछूता रहा है। वैश्विक संकट ने बासल II विवेकसम्मत विनियामक फ्रेमवर्क में कमियों, सूक्ष्म-पर्यवेक्षी दृष्टिकोण और इसके अनुचक्रीय स्वरूप को उजागर किया। हालांकि 2008 के संकट के बाद, पूरे विश्व में एक समष्टि आयाम को प्राप्त करने के लिए विवेकपूर्ण नीतियों को बदलने की आवश्यकता महसूस की गयी थी, लेकिन संकट से पहले भी भारत समष्टि-विवेकपूर्ण नीतियों को अपनाने में बहुत आगे था। फिर भी, वैश्विक वित्तीय संकट से प्राप्त सबक को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक अपनी विनियामक और पर्यवेक्षी नीतियों की निरंतर समीक्षा करता रहा है और उनमें सुधार लाता रहा है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि बैंकिंग क्षेत्र में एक मजबूत पूंजी आधार, प्रभावशाली जोखिम प्रबंधन तथा सर्वोत्तम कंपनी अभिशासन मानक स्थापित किये जा सकें। हाल के वर्षों में, ऋण वितरण और ग्राहक सेवा में सुधार लाने तथा वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

3.3 वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक ने वैश्विक विनियामक सुधारों की गतिविधियों के अनुरूप भारतीय बैंकिंग प्रणाली को मजबूत, आघातसहनीय और समावेशक बनाने के लिए कई नीतिगत उपाय जारी रखे। इस अध्याय में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र संबंधी नीति के विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख गतिविधियों का उल्लेख किया गया है जिसमें 2011-12 के दौरान विनियामक और पर्यवेक्षी पहल पर कुछ अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है।

2. मौद्रिक नीति

मौद्रिक नीति को मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने और वृद्धि में मंदी के प्रति जोखिमों को कम करने के अनुरूप बनाया गया

3.4 वर्ष 2011-12 के दौरान मौद्रिक नीति के रुझान में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने तथा वृद्धि में मंदी को कम करने को प्राथमिकता दी गयी। पहली छमाही में मौद्रिक नीति को स्फीतिकारक दबावों तथा उच्च स्फीतिकारक प्रत्याशाओं के जोखिम को नियंत्रित करना था जबकि दूसरी छमाही में देशी वृद्धि में उल्लेखनीय मंदी को देखते हुए, मौद्रिक नीति ने वृद्धि के स्थिर हो जाने और निम्न तथा स्थिर मुद्रास्फीति के बीच संतुलन लाने का प्रयास किया। इसके साथ-साथ, रुकावटी तथा संरचनात्मक कारणों से विस्तारित अवधि के लिए चलनिधि की कमी के कारण संकेतात्मक सहजता सीमा से अधिक हो जाने के कारण, रिज़र्व बैंक को देशी वित्तीय बाजारों के कामकाज को विघ्नरहित रूप से चलाने के उद्देश्य से दीर्घकालिक चलनिधि आपूर्ति के उद्देश्य से खुला बाजार परिचालन सहित सक्रिय चलनिधि प्रबंधन करना पड़ा। इससे मौद्रिक नीति के सामने, अपने रुझान के अनुसार चलनिधि सुगमता के उपाय प्रभावी रूप से संप्रेषित करने की चुनौती उत्पन्न हो गई।

3.5 अप्रैल-नवंबर 2011 के दौरान हेडलाइन थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति बहुत उच्च स्तर पर बनी रही जो औसतन 9.7 प्रतिशत पर थी। रिज़र्व बैंक ने स्फीति विरोधी रुझान पर चलते हुए, अप्रैल-नवंबर 2011 के दौरान अपनी प्रमुख नीतिगत रिपो दर पांच बार बढ़ाकर उसमें 175 आधार अंकों की वृद्धि की। 2011-12 की चौथी तिमाही के प्रारंभ से, हालांकि खाद्य मुद्रास्फीति में कमी के कारण मुद्रास्फीति के सहज होने के संकेत थे, वृद्धि में कमी का जोखिम स्पष्टत: बढ़ रहा था। इसके अतिरिक्त, चलनिधि में कमी की स्थितियां रिज़र्व बैंक की सहजता की सीमा से बहुत अधिक थीं। इस बात को समझते हुए, कि यदि अर्थव्यवस्था में ऐसी संरचनात्मक चलनिधि बाधाओं पर ध्यान नहीं दिया गया, तो ऋण प्रवाह में बाधा आ सकती है और वृद्धि संबंधी जोखिम बढ़ सकते हैं, रिज़र्व बैंक ने 28 जनवरी 2012 और 10 मार्च 2012 से सीआरआर में 125 आधार अंकों की कमी की। वृद्धि में मंदी को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने 17 अप्रैल 2012 को प्रमुख नीतिगत रिपो दर में 50 आधार अंकों की कमी करते हुए उसे 8 प्रतिशत कर दिया। इसके अतिरिक्त, वर्तमान समष्टि-आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर, रिज़र्व बैंक ने 22 सितंबर 2012 और 3 नवंबर 2012 से सीआरआर में 50 आधार अंकों की कमी करके उसे 4.25 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। रिज़र्व बैंक की नीति दर को देखते हुए, बैंकों ने अपनी जमाराशि और उधार ब्याज दरें परिवर्तित कीं।

3.6 हालांकि कोर मुद्रास्फीति कम हुई, लेकिन यह ऐतिहासिक प्रवृत्ति से अधिक बनी रही। वृद्धि में नरमी के बावजूद हेडलाइन मुद्रास्फीति उच्च बनी रही। ऐसी स्थिति में मौद्रिक नीति को एक संतुलन बनाए रखना था, जैसे कि अल्पकालिक वृद्धि संबंधी चिंताओं पर ध्यान देते हुए, मूल्य स्थिरता बनाए रखी जाए ताकि मध्यावधि में सुदृढ़ वृद्धि बनाई रखी जा सके।

बचत जमाराशियों में बेहतर मूल्यन लाने के लिए बचत बैक जमाराशि दर का विनियमन हटाना

3.7 बचत जमाराशि दर के लगातार विनियमन से बैंकों और जमाकर्ताओं - दोनों के साथ प्रतिस्पर्धा बाधित हुई, जिससे इसका तुलनात्मक आकर्षण कम हुआ और उत्पाद नवोन्मेष बाधित हुआ। इसके अतिरिक्त, यह मानते हुए कि बचत जमाराशियों पर ब्याज के अविनियमन से दर परिवर्तनीय होगी और मौद्रिक संचार में सहायता मिलेगी, रिज़र्व बैंक ने 2011-12 के दौरान बैंकों के तुलन-पत्र के देयता पक्ष में दो प्रमुख परिवर्तन किए, अर्थात् (क) 25 अक्तूबर 2011 से बचत बैंक जमाराशि ब्याज दर का अविनियमन और (ख) 16 दिसंबर 2011 से अनिवासी बाह्य (एनआरई) खातों के अधीन एक वर्ष तथा अधिक की अवधि की बचत जमाराशि और मीयादी जमाराशियों, तथा अनिवासी सामान्य (एनआरओ) खातों के अधीन बचत जमाराशि ब्याज दरों का अविनियमन। इन दोनों मदों के संबंध में अविनियमन के बाद की अवधि में परिवर्तन अब तक सहज रहा है। इन सुधारों के साथ, देयता पक्ष के संबंध में, चालू खाता जमाराशियां, विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) (एफसीएनआरबी) जमाराशियां और विदेशी ऋण के अधीन उधार रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित रहना जारी रहेंगे। आस्ति पक्ष में, आयातकों द्वारा लिए जाने वाले क्रेता-ऋण का विनियमन जारी रहेगा।

विदेशी मुद्रा अंतर्वाह आकर्षित करने के लिए एफसीएनआर(बी) जमाराशियों पर ब्याज की उच्चतम सीमा में वृद्धि

3.8 अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा प्रवाहों में वृद्धि करने के उद्देश्य से, 5 मई 2012 से एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दर सीमा बढ़ाकर 1-3 वर्ष की अवधि के लिए लिबॉर/स्वैप दर + 200, और 3-5 वर्ष की अवधि के लिए लिबॉर/स्वैप दर + 300 आधार अंक कर दी गई जो पहले के 1-5 वर्ष की अवधि के लिए लिबॉर/स्वैप दर + 125 आधार अंक थी। 15 नवंबर 2011 से बैंकों द्वारा निर्यातकों के लिए विदेशी ऋण पर ब्याज दर सीमा इस समय 6 माह लिबॉर/यूरो, लिबॉर/यूरीबोर + 250 आधार अंक है जिसकी समीक्षा कभी भी की जा सकती है। वर्तमान क्रेता ऋण पर आल-इन-कास्ट सीमा 6 माह लिबॉर + 350 आधार अंक है जिसकी समीक्षा आवश्यकतानुसार इस संबंध में प्राप्त अनुभव के आधार पर की जा सकती है।

विदेशी मुद्रा ऋणों की सुगमता के लिए निर्यात ऋण ब्याज दर का अविनियमन

3.9 विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर ब्याज दर को 5 मई 2012 से अविनियमित कर दिया गया। इस उपाय से निर्यातकों को विदेशी मुद्रा ऋण अधिक मिलने की संभावना है।

सीमांत स्थायी सुविधा के अंतर्गत बैंकों के लिए बढ़ा हुआ चलनिधि कुशन

3.10 एक दिवसीय अंतर-बैंक मुद्रा बाजार में उथल-पुथल पर नियंत्रण रखने के लिए 9 मई 2011 से मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी प्रारंभ की गई थी जिसके अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को इस सुविधा के कारण एसएलआर अनुपालन में चूक के लिए विशिष्ट छूट मांगे बिना अपने संबंधित एनडीटीएल के एक प्रतिशत तक एक दिवसीय उधार लेने की अनुमति दी गई थी। 21 दिसंबर 2011 से बैंकों को उनकी अतिरिक्त एसएलआर धारिताओं की जमानत पर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अधीन रिज़र्व बैंक से निधियां लेने की भी अनुमति दी गई थी। कुछ और अधिक चलनिधि कुशन प्रदान करने के उद्देश्य से 17 अप्रैल 2012 से उधार सीमा और बढ़ाकर एनडीटीएल का 2 प्रतिशत कर दी गई।

बैंक दर को सीमांत स्थायी सुविधा दर के अनुरूप किया गया

3.11 मौद्रिक नीति की परिवर्तित परिचालन प्रक्रिया के संदर्भ में, नीतिगत रिपो दर और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर परिचालनगत हो गए हैं जबकि बैंक दर 6 प्रतिशत ही बनी रही। बैंक दर बैंकों द्वारा उनकी रिज़र्व आवश्यकताओं में कमी होने पर दंडात्मक दर के रूप में कार्य करती है। कई अन्य संगठनों द्वारा भी सूचकांक प्रयोजनों के लिए बैंक दर का उपयोग संदर्भ दर के रूप में किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अधीन डिस्काउंट दर होने के नाते बैंक दर तकनीकी तौर पर नीतिगत रिपो दर से अधिक होनी चाहिए। इसलिए रिज़र्व बैंक ने यह महसूस किया कि बैंक दर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर के अनुरूप बनी रहनी चाहिए, जो कि नीतिगत रिपो दर से 100 आधार अंक अधिक है। तदनुसार, 13 फरवरी 2012 से बैंक दर में 350 आधार अंकों की वृद्धि करते हुए उसे 6.0 प्रतिशत के स्तर से बढ़ाकर 9.5 प्रतिशत वार्षिक कर दिया गया। यह एकबारगी तकनीकी समायोजन था ताकि मौद्रिक नीति के रुझान में बदलाव किए बिना बैंक दर को मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर के साथ समायोजित कर दिया जाए। इसके परिणामस्वरूप, बैंक दर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर के अनुरूप रही है।

3. ऋण वितरण

3.12 रिज़र्व बैंक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को यथोचित दरों पर पर्याप्त और समय पर ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित कराने पर काफी बल देता रहा है। सहज और समावेशी आर्थिक वृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समाज के निम्न सेवा प्राप्त क्षेत्रों/तबकों को बैंकिंग की परिधि में लाना बहुत महत्त्वपूर्ण है। इस पृष्ठभूमि में, वर्ष के दौरान कई प्रकार की पहलें की गईं जिनमें बैंकों द्वारा प्रत्यक्ष उधार दिए जाने पर बल; फसल के बाद के परिचालनों के लिए किसानों को ब्याज दर में राहत; कृषि को उधार देने के लिए एक नई अल्पकालिक पुनर्वित्त सुविधा स्थापित करना; एडीडब्ल्यूडीआर योजना, 2008 के अधीन ऋण राहत उपलब्ध कराना; किसान क्रेडिट कार्ड योजना को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए इस पर पुनर्विचार; तथा मध्यम और लघु उद्यमों को ऋण के प्रवाह में वृद्धि के लिए उपाय प्रारंभ करना शामिल हैं। वर्ष के दौरान देश के पिछड़े और दक्षिणपंथी अतिवाद

से प्रभावित जिलों में महिला स्व-सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए गए। इसके अतिरिक्त, स्वयं सहायता समूह -बैंक लिंकेज कार्यक्रम के दृष्टिकोण और डिज़ाइन को अधिक अनुकूल बनाने के लिए, ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार कुछ ग्राहक-अनुकूल उत्पादस्तरीय परिवर्तन भी किये गये।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधार के दायरे को बढ़ाया गया

3.13 पिछले कुछ वर्षों में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी योजना के परिचालन से प्राप्त अनुभव तथा बदलती आर्थिक स्थितियों के कारण प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र संबंधी दिशा-निर्देशों पर पुनर्विचार करना और उन्हें वर्तमान राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप अद्यतन बनाना आवश्यक हो गया। तदनुसार, अगस्त 2011 में रिज़र्व बैंक ने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधार के वर्गीकरण और संबंधित मुद्दों पर संशोधित दिशा-निर्देशों का सुझाव देने के लिए एक समिति गठित की (अध्यक्ष: श्री एम.वी.नायर)। समिति ने अपनी रिपोर्ट फरवरी 2012 में प्रस्तुत की। समिति की सिफारिशों के संबंध में विभिन्न हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/सुझावों के आधार पर रिज़र्व बैंक ने 20 जुलाई 2012 को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधार के संबंध में दिशा-निर्देशों को संशोधित किया। संशोधित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के समग्र लक्ष्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है क्योंकि यह महसूस किया गया कि नए लक्ष्य ऋण के आबंटन में विसंगति ला देंगे। लेकिन विदेशी बैंकों के बढ़ते नेटवर्क को देखते हुए, यह महसूस किया गया कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधार के अधीन उनको दी गयी तरजीह पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया कि जिन विदेशी बैंकों की 20 या अधिक शाखाएं हैं उनके लक्ष्य वही होंगे जो देशी बैंकों के लिए हैं। ये लक्ष्य 1 अप्रैल 2013 से 5 वर्ष की अवधि में प्राप्त किये जायेंगे; दूसरे विदेशी बैंकों के लिए 32 प्रतिशत का वर्तमान समग्र लक्ष्य बना रहेगा।

3.14 समिति का ध्यान बैंकों द्वारा छोटे/सीमांत किसानों और बहुत छोटे उद्यमों को प्रत्यक्ष उधार देने पर रहा। संशोधित दिशा-निर्देशों में कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों में लगे व्यक्तियों, स्व-सहायता समूहों और संयुक्त देयता समूहों को प्रत्यक्ष कृषि ऋण देने पर बल दिया गया है, जबकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि उधार के संबंध में पुराने लक्ष्य ही बने रहेंगे। बैंकों में विलीन या उनके द्वारा प्रबंधित/नियंत्रित प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के माध्यम से किसानों को प्राप्त बैंक ऋण कृषि को प्रत्यक्ष उधार के अधीन शामिल किये गये हैं। इससे उन बैंकों को सहायता मिलेगी जिनकी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक पहुंच नहीं है और जिनको लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाई होती है। सेवा क्षेत्र को प्राप्त अपर्याप्त ऋण प्रवाहों को देखते हुए, सेवाओं की परिभाषा को व्यापक बनाकर कुछ परिवर्तन किये गये ताकि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के अधीन विशिष्ट रूप से शामिल न की गयी सेवाओं को भी शामिल किया जा सके जिनकी सीमा प्रति यूनिट ₹10.0 मिलियन होगी।

3.15 संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र में महानगरीय केंद्रों (10 लाख से अधिक की आबादी) पर आवास के लिए ₹2.5 मिलियन तक के ऋण तथा अन्य केंद्रों पर ₹1.5 मिलियन तक के ऋण; भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित व्यक्तियों को ₹1.0 मिलियन तक के ऋण और विदेशों में ₹2.0 मिलियन तक के शैक्षणिक ऋण; आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्गों तथा निम्न आय समूहों के लिए आवास परियोजनाओं के लिए ऋण, बशर्ते प्रति आवास यूनिट लागत ₹0.5 मिलियन से अधिक न हो; गैर-संस्थागत देनदारों के प्रति ऋणी आपदाग्रस्त किसानों को ऋण; किसानों से इतर व्यक्तियों को ₹50,000 तक के ऋण ताकि वे गैर-संस्थागत देनदारों के ऋण की समय पूर्व चुकौती कर सके; और हाउसहोल्डों के लिए ऑफ-ग्रिड सौर तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं लगाने के लिए व्यक्तियों को ऋण गिने जाएंगे।

3.16 इसके अलावा, परिचालनात्मक मामलों पर चुनिंदा बैंकों के साथ आयोजित चर्चा के अनुसरण में और प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर, 17 अक्तूबर 2012 को दिशानिर्देशों में कुछ बातें जोड़ी/संशोधित की गईं। यह निर्णय लिया गया था कि किसानों की उत्पादक कंपनियों, भागीदारी फर्मों और कृषि तथा संबंधित कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी सहकारी संस्थाओं सहित कंपनियों को दिए गए ₹20 मिलियन तक के ऋण भी कृषि को प्रत्यक्ष वित्त के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे। मझौले तथा छोटे उद्यमों द्वारा दी गई सेवाओं के संबंध में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के तहत के ऋणों की सीमा बढ़ाकर ₹20 मिलियन की गई और आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्गों तथा निम्न आय समूहों की निवासी इकाइयों की आवास परियोजनाओं के लिए ऋण की सीमा बढ़ाकर ₹1 मिलियन की गई। आगे यह निर्णय

लिया गया कि प्रति उधारकर्ता ₹1 मिलियन तक के आगे उधार दिए जाने वाले आवास ऋण, जो कि बैंकों ने आवास वित्त कंपनियों को दिए है, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के तहत शामिल किए जाएं बशर्ते अंतिम उधारकर्ता पर प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर उधारदाता बैंक की आवास ऋण संबंधी न्यूनतम ब्याज दर+दो प्रतिशत वार्षिक से अधिक न हो।

किसानों को दी जाने वाली ब्याज दर राहत फसल कटाई के बाद के कार्यकलापों पर भी लागू

3.17 किसानों को उचित लागत पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, 2006-07 के केंद्रीय बजट में यह घोषणा की गयी थी कि किसानों को 7.0 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा जिसकी मूल राशि की अधिकतम सीमा ₹0.3 मिलियन होगी। इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के लिए ब्याज राहत की घोषणा की। 2011-12 के केंद्रीय बजट में ₹0.3 मिलियन तक के अल्पकालिक उत्पादन ऋण के लिए 2 प्रतिशत ब्याज राहत की घोषणा की गई और समय पर चुकौती कर देने वाले किसानों के लिए अतिरिक्त ब्याज सहायता बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दी जिससे ऐसे किसानों के लिए प्रभावी ब्याज दर 4 प्रतिशत हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, परक्राम्य वेयरहाउस रसीदों की जमानत पर जिन छोटे और सीमांत किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं, उन्हें 6 महीने की अतिरिक्त अवधि तक के लिए (फसल के बाद) ब्याज राहत दी गयी है। ऐसी आशा है कि इससे इन किसानों द्वारा फसल के आपदा विक्रय में कमी आएगी और उन्हें अपनी फसल गोदामों में रखने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। जैसा कि 2012-13 के केंद्रीय बजट में घोषणा की गई है, ब्याज राहत की योजना इसी आधार पर वर्ष 2012-13 के लिए जारी रहेगी।

कृषि को उधार देने के लिए नई अल्पकालिक पुनर्वित्त सुविधा

3.18 2011-12 के दौरान किसानों को पर्याप्त और समय पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह घोषणा की गई थी कि अच्छी वित्तीय स्थिति वाले मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लिए नाबार्ड से एक अलग अल्पकालिक पुनर्वित्त सुविधा मिलेगी और जहां मध्यवर्ती सहकारी बैंक कमजोर हैं, उन क्षेत्रों में प्राथमिक कृषि समितियों के वित्तपोषण के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए एक नई अल्पकालिक पुनर्वित्त सुविधा प्रारंभ की जाएगी। पुनर्वित्त की राशि रियलिस्टिक लेंडिंग प्रोग्राम के 45 प्रतिशत के स्तर पर एकसमान होगी। यह सुविधा 4.5 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर पर उपलब्ध है बशर्ते ₹0.3 मिलियन तक के फसली ऋण पर ब्याज 7 प्रतिशत वार्षिक से अधिक न हो।

पूर्वी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कृषि के लिए अतिरिक्त पुनर्वित्त सुविधा

3.19 नाबार्ड ने पूर्वी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों (पहाड़ी क्षेत्रों सहित) में उन सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अतिरिक्त पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान की है जो प्रति उधारकर्ता को 7 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर पर ₹0.3 मिलियन तक के फसल ऋण दे रहे हैं। तदनुसार, पूर्वी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में राज्य सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सामान्य पुनर्वित्त से अधिक क्रमशः 5 प्रतिशत और 25 प्रतिशत अतिरिक्त पुनर्वित्त राशि प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, 5 प्रतिशत के अतिरिक्त पुनर्वित्त की सुविधा पूर्वी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में बैंकों पर भी लागू कर दी गयी।

कृषि निवेश कार्यकलापों के लिए रियायती पुनर्वित्त सहायता

3.20 पूर्वी क्षेत्र में फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि में निवेश सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2011-12 में बैंकों को 7.5 प्रतिशत वार्षिक की रियायती दर पर पुनर्वित्त देने की योजना प्रारंभ की गई। इस योजना की परिचालन अवधि दो वित्तीय वर्ष अर्थात् 2011-12 और 2012-13 है। योजना में चार गतिविधियां अर्थात् जल संसाधन विकास, भूमि विकास, कृषि उपकरण (समूह आधार पर ट्रैक्टर के वित्तपोषण सहित) तथा बीज उत्पादन शामिल हैं। बैंकों को पुनर्वित्त के साथ-साथ (क) संयुक्त देयता समूह बनाने तथा उन्हें जोड़ने, (ख) योजना के प्रवर्तन के लिए जागरूकता कार्यक्रमों, (ग) शाखा अधिकारियों के लिए बैठकें आयोजित करने तथा (घ) योजना के अधीन पहचाने गए उद्यमियों के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्धारण आवश्यकताओं के संबंध में सहायता दी गई।

कृषि ऋण माफी और ऋण राहत (एडीडब्ल्यूडीआर) योजना, 2008 की प्रगति

3.21 इस योजना के अंतर्गत, ऋणदाता संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा थोड़े-थोड़े अंतराल पर मुआवजा दिया गया (सारणी III.1)। अब तक भारत सरकार ने पांच किश्तों में ₹525 बिलियन

जारी किए हैं। इसमें से, ₹293 बिलियन की राशि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी संस्थाओं को प्रतिपूर्ति करने के लिए नाबार्ड को दी गई। इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों को प्रतिपूर्ति करने के लिए ₹232 बिलियन की राशि जारी की गई। इसमें से, 10 सितंबर 2012 की स्थिति के अनुसार, ₹232 बिलियन की राशि वितरित कर दी गई है जबकि ₹0.81 बिलियन रिज़र्व बैंक द्वारा संबंधित खाते में शेष के रूप में रखे गए हैं ताकि यदि आवश्यक हुआ तो भारत सरकार को भुगतान तथा/या वापसी की जा सके।

किसानों को ऋण वितरण में सहायता के लिए नया इलेक्ट्रानिक किसान क्रेडिट कार्ड

3.22 किसानों की उत्पादन ऋण आवश्यकताओं को समय पर और असुविधा-रहित तरीके से पूरा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड एक नवोन्मेषी ऋण वितरण प्रक्रिया साबित हुई है। यह योजना पूरे देश में लागू है और बैंकरों और किसानों ने इसे व्यापक रूप से स्वीकार किया है। योजना को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप और सरल बनाने के लिए तथा किसान क्रेडिट कार्ड के निर्गम को सुविधाजनक बनाने के लिए, एक कार्यकारी समूह (अध्यक्ष: श्री टी.एम.भसीन) गठित किया गया था। उसकी सिफारिशों के अनुसरण में, मई 2012 में एक संशोधित किसान क्रेडिट योजना लागू की गई। संशोधित योजना की मुख्य-मुख्य बातों में फसल ऋण के भाग में, फसल काटने के बाद के खर्च, उपभोग आवश्यकताओं, कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों के लिए कार्यशील पूंजी तथा निवेश, सभी किसान/स्वामी खेतिहर, टेनेन्ट किसान, मौखिक पट्टाधारी और किसान क्रेडिट कार्ड के अधीन सभी बँटाईदार पात्र होंगे, राशि किसी भी वितरण चैनल जैसे कि एटीएम, बिज़नेस कॉरेस्पांडेंट, पॉइन्ट ऑफ सेल तथा कृषि इनपुट डीलरों तथा मंडियों के साथ मोबाइल फोन पर आधारित लेनदेन; शीघ्र चुकौती के लिए ब्याज में कमी/प्रोत्साहन; और गोदाम की रसीद पर ऋण आदि को पात्र माना जाएगा। एनपीसीआइ किसान क्रेडिट कार्ड तैयार करेगी जो सभी बैंकों द्वारा अपनाया जाएगा।

सारणी III.1: कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना

(राशि ₹ बिलियन में)

ऋणदाता संस्थाएं	भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि (किश्तों में)					
	पहली	दूसरी	तीसरी	चौथी	पांचवी	कुल
	सित. 2008	जुला 2009	जन 2011	नवं 2011	मार्च 2012	
आरआरबी और सहकारी संस्थाएं	175	105	12	0.4	0.0	293
अनुसूचित वाणिज्य बैंक, शहरी सहकारी बैंक तथा स्थानीय क्षेत्र के बैंक	75	45	101	10	1*	232
कुल	250	150	113	11	1*	525

* इसमें रिज़र्व बैंक द्वारा धारित ₹0.81बिलियन का शेष शामिल है।

एमएसएमई को उधार पर और अधिक ध्यान देना

3.23 सितंबर 2009 में एमएसएमई के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए भारत सरकार ने एक उच्च स्तरीय कार्यबल गठित किया (अध्यक्ष: श्री टी.के.ए.नायर)। इस कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2010 में प्रस्तुत की। सिफारिशों के अनुसरण में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया गया कि एमएसई उधार में बहुत छोटे उद्यमों का शेयर 60 प्रतिशत होना चाहिए। यह चरणबद्ध रूप में प्राप्त किया जाएगा। अर्थात् 2010-11 में 50 प्रतिशत, 2011-12 में 55 प्रतिशत और 2012-13 में 60 प्रतिशत, इसके साथ ही, बहुत छोटे उद्यम खातों में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि और एमएसई उधार में वर्ष-दर-वर्ष 20 प्रतिशत वृद्धि थी। रिज़र्व बैंक तिमाही आधार पर बैंकों द्वारा लक्ष्य प्राप्ति पर कड़ी निगरानी रख रहा है। रिज़र्व बैंक ने अलग-अलग बैंकों के साथ बैठकें की हैं ताकि उनके सन्मुख आ रही बाधाओं को जाना जा सके और उन्हें इस क्षेत्र के लिए ऋण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ऋण नीतियां बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बैंक ने कार्य बल द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त न कर सकने वाले बैंकों के साथ भी यह मुद्दा उठाया है।

ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निधि

3.24 वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋण में कमी को पूरा करने के लिए 1995 में नाबार्ड द्वारा ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निधि (आरआईडीएफ) गठित किया गया था। 2011-12 के लिए इस निधि के कोरपस का अंशदान उन देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा किया जाएगा जो कि मार्च 2011 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधार का लक्ष्य (40 प्रतिशत) और/या कृषि क्षेत्र के उधार का लक्ष्य (18 प्रतिशत) और/या कमजोर वर्गों के उधार का लक्ष्य

(10 प्रतिशत) पूरा नहीं कर पाए। ग्रामीण बुनियादी परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए आरआईडीएफ से निधियां राज्य सरकारों को उधार दी जाती हैं। आरंभ में उद्देश्य यह था कि इन निधियों का आबंटन केवल फंडिंग गैप के वित्तपोषण के लिए किया जाए, अर्थात् ऐसी परियोजनाओं का वित्तपोषण करना जो लगभग पूरी हो चुकी हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं। अब आरआईडीएफ की निधियां ग्रामीण बुनियादी परियोजनाओं से संबंधित 31 पात्र कार्यों के लिए उपलब्ध हैं। 1995-96 से, प्रत्येक केंद्रीय बजट में सरकार ने इस निधि में वार्षिक आबंटन की घोषणा की है। आरआईडीएफ I के बाद से, कॉर्पस में कई गुना वृद्धि हुई है और आरआईडीएफ XVII (2011-12) के अधीन यह ₹180 बिलियन हो गया। सभी श्रृंखलाओं को एक साथ लेकर उनका संचयी आबंटन ₹1,525 बिलियन था। इसमें भारत निर्माण कार्यक्रम के अधीन ग्रामीण सड़कों के निधीयन के लिए ₹185 बिलियन की एक अलग विंडो शामिल थी। इसके अतिरिक्त, आरआइडीएफ XVII के अधीन, ₹20 बिलियन केवल गोदाम सुविधाएं बनाने के लिए रखे गए हैं।

माइक्रोफाइनैंस

स्वयं सहायता समूह -बैंक लिंकेज कार्यक्रम पर पुनर्विचार

3.25 भारत के माइक्रोफाइनैंस क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह -बैंक लिंकेज कार्यक्रम एक अग्रणी मॉडल बना हुआ है। स्वयं सहायता समूह -बैंक लिंकेज कार्यक्रम के दृष्टिकोण और डिज़ाइन को और अधिक अनुकूल बनाने के लिए, 27 मार्च 2012 को नाबार्ड ने दिशा-निर्देश जारी किए। इनमें स्वयं सहायता समूह के अधीन ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप ग्राहक के प्रति कुछ मैत्रीपूर्ण उत्पाद स्तर पर परिवर्तनों का सुझाव दिया गया था, जैसे कि सरप्लस निधियों वाले सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक बचत करना जो अलग से रखे जा सकते हों या अंतर-समूह उधार के लिए प्रयोग किये जा सकते हों; आवश्यकता पर आधारित निधियां उपलब्ध कराना और एक कैश क्रेडिट प्रणाली के माध्यम से बैंकों से ऋण की अवधि को बढ़ाना ताकि बार-बार दस्तावेज़ तैयार करने की जरूरत न रहे और ऋणों के नवीकरण में विलंब न हो; संयुक्त देयता समूह या अन्य उच्च ऋण वाले बिना-कोलैटरल उधार मॉडलों का विस्तार करके छोटे आजीविका समूहों तक पहुंचाना; समूहों की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक स्व-निर्धारण प्रक्रिया बनाना; और फेडरेशनों का विकास करना ताकि समूहों को लगातार मार्गदर्शन मिल सके, उनका विकास हो और उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

पिछड़े और वामपंथी अतिवाद-प्रभावित जिलों में महिला स्वयं सहायता समूहों का प्रवर्तन

3.26 देश के 150 पिछड़े और वामपंथी अतिवाद से प्रभावित जिलो में, भारत सरकार के सहयोग से महिला स्वयं सहायता समूहों के संवर्धन और वित्तपोषण की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है । इस योजना का लक्ष्य उन गैर-सरकारी संगठनों / समर्थक एजेंसियों को शामिल करके, अर्थक्षम और अपनी क्षमता से काम कर सकनेवाले महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना है जो इन समूहों के बैंकों के साथ लिंकेज को प्रोत्साहित करेंगे और सुकर बनायेंगे, निरंतर सहयोग देते रहेंगे तथा ऋणों की चुकौती की जिम्मेदारी भी लेंगे। नाबार्ड इन गैर-सरकारी संगठनों को प्रति स्वयं सहायता समूह के लिए ₹10,000 की दर पर अनुदान सहायता प्रदान करेगा और उनके प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण के उपायों पर आने वाली लागत भी स्वयं उठायेगा ।

स्वयं सहायता समूह / जेएलजी और एमएफआई के क्षमता निर्माण के लिए विकासात्मक सहायता

3.27 2011-12 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के परिणामस्वरूप, एमएफडीईएफ में से नाबार्ड द्वारा पात्र एमएफआई को रेटिंग के लिए उपलब्ध कराई गई आवर्ती निधि सहायता, पूंजी सहायता और अनुदान सहायता 1 अप्रैल 2011 से समाप्त कर दी गयी है। तदनुसार, अब से वर्तमान एमएफडीईएफ पूरी तरह से स्वयं सहायता समूहों तथा एमएफआई के लिए प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण, आजीविका प्रवर्तन गतिविधियों तथा जेएलजी बनाने के लिए प्रयोग की जाएगी।

4. वित्तीय समावेशन

3.28 भारत में, आयोजना प्रक्रिया के प्रारंभ से ही निष्पक्षता के साथ वृद्धि एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। इस दिशा में, वित्तीय समावेशन का उद्देश्य औपचारिक वित्तीय प्रणाली से वंचित लोगों को किफायती मूल्यों पर वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना है। दीर्घकालिक समरस विकास को बनाए रखने के लिए यह बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि

बहुत सारे घरों/क्षेत्रों को बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, भले ही देश में एक बहुत बड़ा संस्थागत फ्रेमवर्क खड़ा कर दिया गया है। हाल के वर्षों में, सरकार तथा रिज़र्व बैंक द्वारा अब तक बैंकरहित/न्यून बैंकिंग क्षेत्रों को औपचारिक वित्तीय सेवाएं देने पर अधिकाधिक जोर दिया जा रहा है। समाज के सभी वर्गों को बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति भी अपनायी गयी है। सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, बैंकों को कई प्रकार की रणनीतियां अपनाने के लिए कहा गया है जिनमें (क) बुनियादी बैंकिंग उत्पाद उपलब्ध कराना; (ख) बिज़नेस कॉरेस्पांडेंट/बिज़नेस फैसिलिटेटर मॉडल प्रारंभ करना; (ग) कुछ शिथिल किये गये केवाईसी मानदंडों को अपनाकर वर्तमान विनियामक दिशा-निर्देशों में छूट देना; (घ) प्रौद्योगिकी का और अधिक उपयोग करना; तथा (ङ) जिलों में अधिक आउटरीच प्राप्त करने के लिए वित्तीय साक्षरता तथा ऋण परामर्श केंद्र स्थापित करना। 2011-12 के दौरान, देश के दूर-दराज हिस्सों में बैंकिंग सेवाओं की आउटरीच में विस्तार के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने अपनी नीतिगत पहल जारी रखी।

बेहतर ग्रामीण आउटरीच प्राप्त करने के लिए शाखा प्राधिकरण नीति

3.29 2000 से अधिक की आबादी वाले 72,800 गांवों में मार्च 2012 तक बैंकिंग सुविधाएं लाने के उद्देश्य से, और उसके बाद कालांतर में चरणबद्ध रूप में सभी गावों में लाने के लिए, बैंकों को सूचित किया गया कि अपनी वार्षिक शाखा विस्तार योजना (एबीईपी) तैयार करते समय, वे वर्ष के दौरान खोली जानेवाली शाखाओं का कम-से-कम 25 प्रतिशत बैंक रहित ग्रामीण (टियर V तथा टियर VI) केंद्रों पर खोलें। टियर II केंद्रों में पहले से बेहतर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, टियर III से टियर VI केंद्रों में देशी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को प्रदान की गई सामान्य अनुमति को टियर II (2001 की जनगणना के अनुसार 50,000 से 99,999 आबादी) केंद्रों में शाखाएं खोलने के लिए दे दी गयी। इसके लिए, सूचना देने की शर्त के अधीन, प्रत्येक मामले में रिज़र्व बैंक से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

खुदरा केंद्रों पर अंतर-परिचालनीयता

3.30 वित्तीय समावेशन को और आगे बढ़ाने के लिए, खुदरा केंद्रों या कारोबारी प्रतिनिधियों के उप-एजेंटों (अर्थात् जहां ग्राहक से मिलना होता है), के स्तर पर अंतर परिचालनीयता की अनुमति देने का निर्णय लिया गया, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाए: (i) ऐसे खुदरा केंद्रों या बिज़नेस कॉरेस्पांडेंट के उप-एजेंटों के स्तर पर लेनदेन और उनका प्राधिकरण ऑनलाइन किया जाए; (ii) लेनदेन सीबीएस प्लेटफार्म पर किए जाएं; तथा (iii) भारतीय बैंक संघ द्वारा सूचित की गयी मानक परिचालन कार्यविधि का सभी बैंक पालन करें। लेकिन, ग्राहक से इंटरफेस के बिन्दु पर बिज़नेस कॉरेस्पांडेंट या उसका खुदरा केंद्र या उप-एजेंट उस बैंक का प्रतिनिधित्व करना जारी रखेगा जिसने बिज़नेस कॉरेस्पांडेंट को नियुक्त किया है।

बिज़नेस कॉरेस्पांडेंटों की सुविधा के लिए मध्यस्थ ब्रिक-एंड-मॉर्टार स्ट्रक्चर

3.31 इस बात को मानते हुए कि बिज़नेस कॉरेस्पांडेंट मॉडल की सफलता संबंधित बैंकों की आधार शाखाओं की सहायता और निगरानी पर निर्भर है, रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया था कि वे ऐसे ग्रामीण केंद्रों में आउटलेट स्थापित कर सकते हैं जो वर्तमान आधार शाखा तथा बिज़नेस कॉरेस्पांडेंट बिन्दुओं के बीच मध्यस्थ ब्रिक-एंड-मोर्टार स्ट्रक्चर (बहुत ही छोटी-छोटी शाखाएं) है ताकि 3 से 4 किलोमीटर की यथोचित दूरी पर लगभग 8 से 10 बिज़नेस कॉरेस्पांडेंट यूनिटों के समूह को सहायता दी जा सके। ऐसी बहुत ही छोटी-छोटी शाखाओं के पास न्यूनतम आवश्यक बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे कि सीबीएस और इनका प्रबंध पूर्णकालिक बैंक अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ही किया जाएगा। यह आशा है कि ऐसी व्यवस्था से नकदी प्रबंधन, दस्तावेज़ तैयार करने, ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने और बिज़नेस कॉरेस्पांडेंट परिचालनों की निकट से निगरानी करने में कुशलता आएगी। इसके अतिरिक्त, बिज़नेस कॉरेस्पांडेंट ऐसी बहुत ही छोटी-छोटी शाखाओं से काम कर सकते हैं, जो उस क्षेत्र में उनकी वैधता में इजाफा करें और उनकी विश्वनीयता बढ़ाएं और आम जनता में इतना विश्वास पैदा कर दें कि वे उनकी सेवाओं का उपयोग करना चाहेंगे।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में बैंकों की उपस्थिति में सुधार लाने के लिए विशेष योजना

3.32 एसडीएस के अंतर्गत, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सहमत केंद्रों पर शाखाएं स्थापित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने 5 वर्ष के लिए एकबारगी पूंजी लागत और आवर्ती खर्च की प्रतिपूर्ति करने का

बीड़ा उठाया था, और राज्य सरकारें बैंक स्टाफ के लिए आवश्यक परिसर, सुरक्षा और किराये पर स्थान उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गई थीं। रिज़र्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई विशेष सुविधा केवल उन्हीं शाखाओं को दी जाएगी जिन्होंने 30 जून 2012 तक आबंटित केंद्रों पर काम करना शुरू कर दिया है।

5. विवेकपूर्ण विनियामक नीति

3.33 हाल के वैश्विक वित्तीय संकट ने बैंकिंग क्षेत्र में विनियमन के व्यापक आयामों को पुनः परिभाषित कर दिया है। अधिकाधिक यह महसूस किया जा रहा है कि विनियामक और पर्यवेक्षी नीतियों को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है, विशेषकर संपूर्ण प्रणालीगत दृष्टिकोण अपनाकर ताकि बैंकिंग क्षेत्र में अनुचक्रीय गतिविधियों का सामना किया जा सके। वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक की नीतिगत पहल का ध्यान अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएं अपनाने पर रहा। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बासल II फ्रेमवर्क की ओर अग्रसर होने में काफी प्रगति हुई है और उन्नत दृष्टिकोण अपना लेने की दिशा में प्रयास जारी हैं। वर्ष के दौरान जो एक प्रमुख पहल की गयी थी वह है बासल III के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप तैयार करना। भारत में प्रतिचक्रीय पूंजी बफर के कार्यान्वयन की जांच करने के लिए भी उपाय किये गये। एक गतिशील प्रावधान फ्रेमवर्क बनाने, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ प्रतिभूतिकरण मानदंडों को जोड़ने, सुदृढ़ मुआवजा प्रथाएं अपनाने, गैर-वित्तीय कंपनियों में बैंकों के निवेश के संबंध में विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित करने, मनी लांडरिंग/आंतकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने और बैंकों में विदेशी अंशदान का विनियमन करने के लिए भी पहल की गयी है।

बासल II उन्नत दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होना

3.34 बासल II फ्रेमवर्क दो प्रकार की कार्यविधियां उपलब्ध कराता है, नामतः, बैंकों को ऋण के लिए पूंजी की आवश्यकता की गणना, बाजार तथा परिचालनगत जोखिमों के संबंध में आधारिक/मानकीकृत दृष्टिकोण और अधिक उन्नत दृष्टिकोण अपनाना। भारत में 1 अप्रैल 2009 से मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक बासल II अनुपालक हैं। जुलाई 2009 में, उन्नत दृष्टिकोण को चरणबद्ध रूप में अपनाने के लिए समय सीमा भी पब्लिक डोमेन में रखी गयी। बासल II उन्नत दृष्टिकोण अपना लेने से बैंकों को कई लाभ होते हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, जोखिम के आकलन और प्रबंधन में सुधार, निगरानी और सूचना देने की प्रक्रियाएं, उत्पादों का जोखिम-समायोजित सही मूल्यन तथा पूंजी का कुशल आबंटन। फिर भी, इस उन्नत जोखिम-संवेदनशील दृष्टिकोण को अपनाने के लिए, समग्र जोखिम प्रबंधन इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रणालियों, प्रथाओं तथा तौर-तरीकों के संबंध में बैंकों को और अधिक कुशल होना होगा।

3.35 बासल II के अधीन उन्नत दृष्टिकोण के प्रति अग्रसर होने के इच्छुक बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अपनी तैयारी और रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करने की शर्त के अधीन स्वैच्छिक आधार पर पूंजी की गणना के लिए बासल II के उन्नत दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाजार जोखिम, परिचालनगत जोखिम और विभिन्न जोखिमों के लिए उन्नत दृष्टिकोणों के संबंध में यथोचित दिशा-निर्देश क्रमशः अप्रैल 2010, अप्रैल 2011 और दिसंबर 2011 में जारी किए गए थे। इस समय बैंक अपनी तैयारी का आकलन कर रहे हैं और उन्नत दृष्टिकोणों के प्रति अग्रसर होने के लिए रिज़र्व बैंक को आवेदन कर रहे हैं।

बासल III के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप

3.36 दिसंबर 2010 में बैंकिंग पर्यवेक्षण के संबंध में बासल समिति (बीसीबीएस) ने ''बासल IIIः ए ग्लोबल रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क फॉर मोर रेसिलिएन्ट बैंक्स एंड बैंकिंग सिस्टम्स'' नामक एक व्यापक सुधार पैकेज जारी किया। इस सुधार पैकेज का उद्देश्य है - दबाव का स्रोत कुछ भी हो लेकिन वित्तीय और आर्थिक दबाव के कारण उत्पन्न आघातों को सहन करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता में सुधार लाना ताकि वित्तीय क्षेत्र से वास्तविक अर्थव्यवस्था के प्रति जोखिम के फैल जाने में कमी लाई जा सके। इसके परिणामस्वरूप, 30 दिसंबर 2011 को जारी दिशा-निर्देशों के संबंध में विभिन्न हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/सुझावों पर विधिवत विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक ने 2 मई 2012 को भारतीय बैंकों में बासल III के कार्यान्वयन के संबंध में अंतिम दिशा-निर्देश जारी किए।

3.37 रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देश 1 जनवरी 2013 से चरणबद्ध रूप में लागू हो जाएंगे। बैंकों को तैयारी करने और योजना बनाने के लिए समय देने और साथ ही उच्चतर पूंजी आवश्यकताओं के कारण किसी अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम को

न्यूनतम रखने के उद्देश्य से, एक लंबी फेज-इन अवधि दी गई है। बासल III मानदंड 31 मार्च 2018 से पूरी तरह से लागू हो जाएंगे।

दिशा-निर्देशों की मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:

(i) **न्यूनतम पूंजी आवश्यकता:** कुल पूंजी जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) की कम-से-कम 9 प्रतिशत होनी चाहिए। टियर I पूंजी जोखिम भारित आस्तियों का कम-से-कम 7 प्रतिशत होनी चाहिए; और कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी जोखिम भारित आस्तियों का कम-से-कम 5.5 प्रतिशत होनी चाहिए।

(ii) **कैपिटल कन्ज़रवेशन बफर (सीसीबी)** : जोखिम भारित आस्तियों के 2.5 प्रतिशत की कॉमन इक्विटी के रूप में सीसीबी बनाई रखी जानी चाहिए; और सीसीबी के पास कुल पूंजी जोखिम भारित आस्तियों का 11.5 प्रतिशत होगी।

(iii) **लीवरेज अनुपात:** गैर-जोखिम आधारित एक टियर 1 लीवरेज अनुपात निर्धारित किया गया है। 1 जनवरी 2013 से 1 जनवरी 2017 के दौरान लीवरेज अनुपात का एक पैरलल रन किया जाएगा जिसमें बैंकों को न्यूनतम टियर 1 लीवरेज अनुपात का 4.5 प्रतिशत बनाए रखने के लिए प्रयास करने चाहिए। बासल समिति के अंतिम प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए लीवरेज अनुपात संबंधी आवश्यकता को अंतिम रूप दिया जाएगा।

3.38 पूंजी संरक्षण बफर तथा विनियामक कटौती सहित बासल III पूंजी आवश्यकताओं की अवधि 1 जनवरी 2013 से प्रारंभ होगी और बासल III नियमों में उल्लिखित समय-सीमा (1 जनवरी 2019) 31 मार्च 2018 से पहले पूरी तरह कार्यान्वित कर दी जाएगी। भारत में, बासल III का कार्यान्वयन 9 महीने पहले कर दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूरा कार्यान्वयन बैंकों के वित्तीय क्लोज़र के साथ-साथ हो जाए (सारणी III.2)।

3.39 एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में बासल I/बासल II पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क के अधीन बासल समिति द्वारा निर्धारित 8 प्रतिशत की तुलना में रिज़र्व बैंक ने हमेशा ही न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात में 1 प्रतिशत वृद्धि करके उसे 9 प्रतिशत रखा है। इस उच्चतर निर्धारण से बैंकिंग प्रणाली को लाभ ही पहुंचा है। उच्चतर पूंजी पर्याप्तता मानदंडों से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि अलग-अलग बैंक और मजबूत हों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। उच्चतर निर्धारण से भारतीय बैंकिंग प्रणाली की गतिशीलता में भी वृद्धि होती है। यह महत्त्वपूर्ण है कि बैंकों को कुछ जोखिमों का सामना करना पड़ता है जिन्हें यथोचित रूप से स्पष्ट नहीं किया जा सकता और निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसलिए ऐसे जोखिमों पर मुख्यतः अतिरिक्त पूंजी कुशन के द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, बासल समिति अपने-अपने क्षेत्राधिकारों में उच्चतर न्यूनतम पूंजी आवश्यकता के निर्धारण में राष्ट्रीय विनियामकों को स्वतंत्रता देती है। कई विनियामकों ने बासल समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता की तुलना में उच्चतर पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताएं निर्धारित की हैं।

भारत में प्रतिचक्रीय पूंजी बफर की जांच के लिए गठित कार्यदल

3.40 अनुचक्रीयता हाल में हुई वैश्विक वित्तीय संकट के लिए पहचाने गए अंतर्निहित कारणों में से एक है। इस पृष्ठभूमि में,

सारणी III.2: बासल III के कार्यान्वयन के लिए चरणवार समय-सीमा

(जोखिम-भारित आस्तियों का प्रतिशत)

न्यूनतम पूंजी अनुपात	1 जन. 2013	31 मार्च 2014	31 मार्च 2015	31 मार्च 2016	31 मार्च 2017	31 मार्च 2018
न्यूनतम कॉमन इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1)	4.5	5.0	5.5	5.5	5.5	5.5
पूंजी कंजर्वेशन बफर (सीसीबी)	-	-	0.625	1.25	1.875	2.5
न्यूनतम सीईटी1 +सीसीबी	4.5	5.0	6.125	6.75	7.375	8.0
न्यूनतम टियर1 पूंजी	6.0	6.5	7.0	7.0	7.0	7.0
न्यूनतम कुल पूंजी	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
न्यूनतम कुल पूंजी + सीसीबी	9.0	9.0	9.625	10.25	10.875	11.5
सीईटी1 से सभी कटौतियों का फेज-इन (% में)	20.0	40.0	60.0	80.0	100.0	100.0

बैंकिंग पर्यवेक्षण की बासल समिति ने प्रतिचक्रीय पूंजी बफर बनाने का निश्चय किया है ताकि बैंकिंग क्षेत्र को अतिरिक्त सकल ऋण वृद्धि के दौर से संरक्षित किया जा सके जो प्रायः प्रणालीव्यापी जोखिम के निर्माण के साथ जुड़ा हुआ होता है। इससे बैंकिंग क्षेत्र को प्रणालीव्यापी दबाव के दौरान भी ऋण का प्रवाह बनाए रखने के लिए पूंजी रखने में मदद मिलेगी। भारत में प्रतिचक्रीय पूंजी बफर की प्रणाली को परिचालित करने के लिए रिज़र्व बैंक के भीतर एक आंतरिक कार्यदल (अध्यक्षः श्री बी. महापात्र) का गठन किया गया है जो जीडीपी की तुलना में ऋण संबंधी मार्गदर्शी नियमों की उपयुक्तता की जांच करेगा तथा भारतीय संदर्भ में पूंजी बफर संबंधी निर्णय लेने के लिए प्रयोग किए जा सकने वाले अन्य संकेतकों पर विचार करेगा।

गतिशील प्रावधानीकरण ढांचे की ओर बढ़ने के प्रयास जारी हैं

3.41 हाल के वैश्विक वित्तीय संकट के संदर्भ में, वित्तीय आस्तियों के लिए क्षति लेखांकन ढांचे की समीक्षा करने पर अधिकाधिक बल दिया जा रहा है और इस ओर लेखांकन मानक तय करने वाले निकायों, बासल समिति और अन्य अंतरराष्ट्रीय निकायों का ध्यान आकर्षित हो रहा है। प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षाओं की अनुचक्रीयता संबंधी मुद्दे का समाधान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस बात के प्रयास किये जा रहे हैं कि गतिशील प्रावधानीकरण ढांचा लागू किया जाए। रिज़र्व बैंक ने तदनुसार गतिशील प्रावधानीकरण ढांचे संबंधी चर्चा-पत्र तैयार कर उसे 30 मार्च 2012 को अपनी वेबसाइट पर डाला। चर्चा-पत्र के बारे में बैंकों और अन्य हितधारियों से प्राप्त अभिमत तथा प्रतिपुष्टि की फिलहाल जांच की जा रही है। अपने लिए अलग से मानदंड बनाने का विचार रखने की क्षमता वाले बैंक रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से रिज़र्व बैंक द्वारा बताए गए सैद्धांतिक मॉडल का प्रयोग करते हुए गतिशील प्रावधानीकरण ढांचा शुरू कर सकते हैं। अन्य बैंकों को रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार किए गए मानकीकृत जांच-मानकों का प्रयोग करना होगा।

अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप प्रतिभूतीकरण संबंधी संशोधित दिशा-निर्देश

3.42 वित्तीय संकट से पहले की अवधि में मानक आस्तियों के प्रतिभूतीकरण का बाजार तेजी से बढ़ रहा था। बाजार का व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2006 में मानक आस्तियों के प्रतिभूतीकरण के संबंध में दिशा-निर्देशों का एक सेट जारी किया। तथापि, वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान प्रतिभूतीकरण, विशेष रूप से अमरीकी सब-प्राइम बंधकों के प्रतिभूतीकरण, में बाजार की विफलताओं ने अवक्षेपी भूमिका अदा की। यद्यपि, भारत में प्रतिभूतीकरण बाजार में अपेक्षाकृत सरल संरचनाएं और स्थिर रेटिंग की प्रमुखता है, तथापि संकट के बाद के परिदृश्य में आस्ति संबंधी गुणवत्ता के बारे में प्रकट की गयी चिंताओं ने निवेशकों की प्रतिभूतीकरण संबंधी मांग को प्रभावित किया।

3.43 संकट के पश्चात, विनियामक बदलावों के जरिए प्रतिभूतीकरण के उद्भवकर्ताओं और निवेशकों के प्रोत्साहनों को बेहतर रूप में संयोजित करने संबंधी अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के फलस्वरूप कई नये विनियामक प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। ऐसे प्रयासों की प्रमुख विशेषताएं न्यूनतम धारण अवधि और न्यूनतम प्रतिधारण अपेक्षा हैं। विनियमों में यह प्रस्ताव किया गया कि उद्भवकर्ताओं को एक न्यूनतम रिकवरी कार्यनिष्पादन दर्शाने के बाद ही आस्तियों के प्रतिभूतीकरण की अनुमति दी जानी चाहिए और प्रतिभूतीकृत आस्तियों का एक भाग प्रतिधारित करते हुए उद्भवकर्ताओं को लेनदेन की समग्र अवधि के दौरान अपनी हितधारिता बनाए रखनी चाहिए। सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाएं अपनाने के लिए रिज़र्व बैंक ने मई 2012 में प्रतिभूतीकरण लेनदेनों के बारे में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए। इन दिशा-निर्देशों में प्रतिभूतीकरण संबंधी लेनदेनों के बारे में न्यूनतम धारण अवधि, न्यूनतम प्रतिधारण अपेक्षा, एकल ऋण के प्रतिभूतीकरण पर प्रतिबंध, ऋण उद्भव मानदंड, समुचित सावधानी संबंधी मानदंड आदि के बारे में मानक निर्धारित किए गए हैं। सहवर्ती तौर पर, रिज़र्व बैंक ने नकदी प्रवाहों और अंतर्निहित प्रतिभूतियों के प्रत्यक्ष समनुदेशन के जरिए अंतरण संबंधी लेनदेनों के बारे में कुछ ब्योरेवार दिशा-निर्देश जारी किए हैं ताकि प्रतिभूतीकरण मार्ग तथा प्रत्यक्ष समनुदेशन मार्ग के बीच मौजूद संभावित विनियामक अंतरपणन को दूर किया जा सके।

भारतीय बैंकों के बीच सुदृढ़ मुआवजा प्रथाएं

3.44 वैश्विक वित्तीय संकट के पश्चात्, वित्तीय स्थिरता बोर्ड ने सुदृढ़ मुआवजा प्रथाओं के बारे में अप्रैल और सितंबर 2009 में क्रमशः सिद्धांतों और कार्यान्वयन मानदंडों का एक सेट निकाला।

मुआवजा की संरचना से उत्पन्न होने वाले अत्यधिक जोखिम उठाने से संबंधित प्रोत्साहनों को कम किया जाना इन सिद्धांतों का उद्देश्य है। इन सिद्धांतों के तहत क्षतिपूर्ति के कारगर प्रबंधन और विवेकपूर्ण जोखिम लेने, कारगर पर्यवेक्षी निगरानी और हितधारी विनियोजन के साथ उसकी संबद्धता आवश्यक है। सुदृढ़ मुआवजा प्रथाओं के लिए वित्तीय स्थिरता बोर्ड द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर, रिज़र्व बैंक ने जुलाई 2010 में अपनी वेबसाइट पर मुआवजा संबंधी दिशा-निर्देशों का मसौदा डालते हुए उसके बारे में जनता से अभिमत मंगाए। इसी बीच, अक्तूबर 2010 में बैंकिंग पर्यवेक्षण की बासल समिति ने एक परामर्शी पत्र निकाला तथा मई 2011 में अंतिम पत्र जारी किया।

3.45 दिशा-निर्देशों के मसौदे पर प्राप्त प्रतिपुष्टि और बाह्य परामर्शदाताओं की मदद से किए गए प्रभाव विश्लेषण तथा जोखिम संयोजन के बारे में बैंकिंग पर्यवेक्षण की बासल समिति द्वारा निर्धारित तरीकों को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2012 में अंतिम दिशा-निर्देश जारी किया है जो भारत स्थित सभी निजी क्षेत्र तथा विदेशी बैंकों पर लागू है। ये दिशा-निर्देश वित्त वर्ष 2012-13 से कार्यान्वित किए जाने हैं। इन दिशा-निर्देशों में बैंकों के निदेशक-मंडलों से यह अपेक्षा की गई है कि वे कर्मचारियों के मुआवजों का कारगर प्रबंधन, जोखिम की मात्रा के साथ मुआवजों का विवेकपूर्ण संयोजन करना तथा मुआवजा का उपयुक्त प्रकटीकरण सुनिश्चित करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि अब तक की तरह भारत में कार्यरत निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों को अपने पूर्णकालिक निदेशकों/ मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक की स्वीकृति के लिए विनियामक पूर्वानुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

3.46 वित्तीय स्थिरता बोर्ड द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर सतत निगरानी रखने के लिए, हाल ही में वित्तीय स्थिरता बोर्ड ने एक मुआवजा निगरानी संपर्क समूह गठित किया है जिसमें क्षतिपूर्ति संबंधी प्रथाओं के विषय में विनियामक या पर्यवेक्षी दायित्व संभालने का क्षेत्राधिकार रखने वाली सदस्य-संस्थाओं से विशेषज्ञ लेकर शामिल किए गए हैं। रिज़र्व बैंक भी इस मुआवजा निगरानी संपर्क समूह का एक सदस्य है।

गैर-वित्तीय कंपनियों में बैंकों के निवेश के बारे में निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाएं

3.47 बैंकों का उन कंपनियों में, जो उनकी सहायक संस्था नहीं हैं, निवेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19 (2) द्वारा नियंत्रित है। अब तक, उन मामलों को छोड़कर जहां निवेशिती कंपनियां वित्तीय सेवा कंपनियां थीं, ऐसे निवेशों के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने की कोई अपेक्षा नहीं की गई थी। अतः यह संभव था कि बैंक अन्य संस्थाओं में उनकी धारिताओं के माध्यम से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में ऐसी कंपनियों पर नियंत्रण रख सकते थे अथवा उन पर पर्याप्त प्रभाव डाल सकते थे तथा, इस प्रकार, वे ऐसे कार्यकलापों में खुद को संलग्न कर सकते थे जिनकी अनुमति बैंकों को उक्त अधिनियम की धारा 6 (1) के तहत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं दी गई है। यह उक्त अधिनियम के प्रावधानों की भावना के विरुद्ध होगा तथा विवेकपूर्ण परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं माना जाएगा। अतः यह निर्णय लिया गया कि ऐसी कंपनियों में, जो सहायक संस्था नहीं हैं तथा जो 'वित्तीय सेवा कंपनी' नहीं हैं, बैंकों के निवेश के लिए विवेकपूर्ण दिशा-निर्देश निर्धारित किए जाएं। संशोधित दिशा-निर्देशों में गैर-वित्तीय कंपनियों में बैंकों के निवेशों के लिए विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित की गयी हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक ऐसे कार्यकलाप न करें जिनकी अनुमति उक्त अधिनियम के तहत नहीं दी गई है।

बैंक धनशोधन/आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़े जोखिमों की पहचान/का आकलन करेंगे

3.48 भारत सरकार ने धनशोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण पर प्रतिबंध लगाए जाने का आकलन करने के लिए एक समिति गठित की जो वित्तीय क्षेत्र में धनशोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़े जोखिमों के बारे में व्यापक राय एक समेकित रूप में प्रस्तुत करेगी। समिति द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुसार, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया कि वे ग्राहकों, देशों और भौगोलिक क्षेत्रों तथा उत्पादों/सेवाओं/लेनदेनों/सुपुर्दगी चैनलों के लिए धनशोधन/ आतंकवाद वित्तपोषण संबंधी जोखिमों की पहचान करने एवं उनका आकलन करने के लिए कदम उठाएं। इस संबंध में, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से अपेक्षित है कि वे मध्यम अथवा उच्च जोखिम रेटिंग वाले उत्पादों, सेवाओं एवं ग्राहकों के

लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण और विस्तारित उपाय अपनाकर अपने जोखिम को कारगर तौर पर प्रबंधित और कम करने के लिए अपने बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित नीतियां, नियंत्रण और प्रक्रियाएं तैयार कराएं।

विदेशी अंशदान की प्राप्ति को विनियमित करने के लिए विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010

3.49 भारत सरकार ने विदेशी अंशदान प्राप्त करने एवं विभिन्न संस्थाओं से आतिथ्य स्वीकार करने को विनियमित करने के लिए 1976 में विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम बनाया। पिछले कुछ वर्षों के दौरान वर्तमान अधिनियम में कमियां देखी गयीं। तदनुसार, भारत सरकार ने नया विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 बनाया तथा उसके तहत विदेशी अंशदान (विनियमन) नियम, 2011 अधिसूचित किया जो 1 मई 2011 से लागू किये गये। बैंकों को कहा गया कि वे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (1) (क) के तहत जारी दिशा-निर्देशों के माध्यम से विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, 2010 के संगत प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

चेकों/ड्राफ्टों की वैधता अवधि में कमी

3.50 भारत सरकार ने स्ट्रीट फाइनैंसिंग के संबंध में अंतर-मंत्री समूह (आईएमजी) का गठन किया क्योंकि ऐसी रिपोर्ट मिली थी कि कुछ लोग उसी लिखत को 6 माह के लिए नकदी के रूप में संचालित कर चेकों/ड्राफ्टों की 6 माह की वर्तमान वैधता अवधि का दुरुपयोग कर रहे थे। आईएमजी की सिफारिशों का अनुपालन करते हुए बैंकों को सूचित किया गया कि वे 1 अप्रैल 2012 से किसी ऐसे चेक/ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर/बैंकर चेक का भुगतान न करें जिन पर वह तारीख या कोई बाद की तारीख हो यदि ऐसे लिखत की तारीख से 3 महीने के बाद उसे प्रस्तुत किया गया हो।

बैंकों के ग्राहकों की बेहतर जोखिम प्रोफाइलिंग करने के लिए विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी)

3.51 बैंकों को सूचित किया गया कि वे भारत स्थित अपने ग्राहकों के लिए यूसीआईसी शुरू करें। यूसीआईसी से बैंकों को ग्राहकों की पहचान करने, उपलब्ध सुविधाओं का पता लगाने, पूर्ण रूप में वित्तीय लेनदेनों पर निगरानी रखने तथा ग्राहकों की जोखिम प्रोफाइलिंग के प्रति बेहतर दृष्टिकोण अपनाने में बैंकों को समर्थ बनाने में मदद मिलेगी। इससे ग्राहकों के लिए बैंकिंग लेनदेन भी आसान होगा। केवाईसी/एएमएल/सीएफटी उपायों को कारगर तरीके से लागू करने के लिए ग्राहकों का जोखिम वर्गीकरण, ग्राहकों की प्रोफाइल का संकलन, उनका आवधिक अद्यतनीकरण तथा बैंकों द्वारा खातों की निगरानी अत्यंत आवश्यक हैं। बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अपने सभी मौजूदा ग्राहकों के जोखिम वर्गीकरण एवं उनके प्रोफाइल के संकलन/अद्यतनीकरण की प्रक्रिया मार्च 2013 के अंत तक पूरी कर लें (बॉक्स III.1)।

बॉक्स III.1: भारत में बैंकों के ग्राहकों के लिए विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड

वित्तीय आंकड़ों की मूलभूत सर्जक सामग्रियों में से एक है - कंपनियों, संगठनों, फर्मों और अलग-अलग ग्राहकों के बारे में संदर्भ आंकड़ा। संदर्भ आंकड़ों का एक आवश्यक घटक है - ऐसी प्रणालीगत संरचना अथवा कोड जिससे प्रत्येक संस्था/व्यक्ति की पहचान विशिष्ट तौर पर की जाती है। पूरे विश्व में विनियामकों द्वारा सामान्य पहचान व्यवस्था लागू किए जाने पर विचार किया जा रहा है। वित्तीय आंकड़ों के लिए एक विशिष्ट विधिक संस्था पहचान (एलईआई) को आदर्श माना जाता है क्योंकि इससे विनियमन एवं जोखिम प्रबंधन में सुधार लाने में मदद मिलती है। वित्तीय स्थिरता बोर्ड तथा जी-20 के वित्त मंत्रियों और नेताओं ने सामान्य पहचान प्रणाली बनाने के महत्त्व को स्वीकार किया है। वित्तीय स्थिरता बोर्ड वित्तीय लेनदेनों वाले व्यक्तियों/ संस्थाओं के विशिष्ट संघटन के लिए एकल वैश्विक प्रणाली स्थापित करने हेतु वित्तीय विनियामकों और उद्योग द्वारा किए जानेवाले कार्यों का समर्थन कर रहा है।

भारत में बैंकों से यह अपेक्षा की गई है कि वे नये खाते खोलते समय ग्राहक पहचान प्रक्रियाओं का अनुपालन करें ताकि धोखाधड़ी और धनशोधन संबंधी जोखिम को कम किया जा सके। हालांकि भारत स्थित कुछ बैंकों ने स्वेच्छा से विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) विकसित किया है, तथापि विनियामक निर्धारण के अभाव में इस प्रथा का अनुसरण सभी बैंकों द्वारा एकसमान रूप से नहीं किया गया। यूसीआईसी से बैंकों को ग्राहक की पहचान करने, उसके द्वारा प्राप्त की गयी सुविधाओं का पता लगाने, विभिन्न खातों में हुए वित्तीय लेनदेनों पर निगरानी रखने, जोखिम प्रोफाइल में सुधार लाने, ग्राहक की प्रोफाइल के बारे में समग्र राय बनाने तथा ग्राहक के लिए बैंकिंग परिचालनों को सरल बनाने में मदद मिलेगी। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा गठित कार्यदल ने यह प्रस्ताव किया है कि विभिन्न बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के ग्राहकों के लिए विशिष्ट पहचान की शुरुआत की जाए। जहां संपूर्ण वित्तीय प्रणाली के लिए इस प्रकार की प्रणाली वांछनीय है, वहीं इस बात की संभावना है कि इसे पूर्णतः लागू करने में कुछ समय लगेगा।

इस पृष्ठभूमि में, रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे शुरुआती तौर पर उनके सभी नये ग्राहकों को यूसीआईसी नंबर आबंटित करने के लिए कदम उठाएं। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे अप्रैल 2013 के अंत तक वर्तमान व्यक्तिगत ग्राहकों को भी यूसीआईसी आबंटित करें।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के संशोधन के बाद नये बैंक लाइसेंसों की स्वीकृति

3.52 26 फरवरी 2010 को केंद्रीय बजट में यह घोषणा की गई कि रिज़र्व बैंक निजी क्षेत्र की संस्थाओं को अतिरिक्त बैंकिंग लाइसेंस प्रदान करने पर विचार कर रहा है तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अपेक्षित पात्रता मानदंड पूरे किए जाने की स्थिति में उनके मामले पर भी विचार किया जा सकता है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं एवं निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ हुए अनुभव को ध्यान में रखते हुए एक चर्चा-पत्र तैयार किया तथा अगस्त 2010 में इसे पब्लिक डोमेन में रखा। जनता से प्राप्त अभिमतों और सुझावों की जांच करने तथा सभी हितधारियों एवं सरकार के साथ ब्योरेवार चर्चा किए जाने के बाद दिशा-निर्देशों का मसौदा तैयार किया गया तथा उसे 29 अगस्त 2011 को पब्लिक डोमेन में रखा गया।

3.53 दिशा-निर्देशों के मसौदे में पात्र प्रवर्तकों, न्यूनतम पूंजी, विदेशी शेयरधारिता, कारोबारी मॉडल एवं वांछनीय कॉरपोरेट ढांचा तथा आवेदक समूह के अभिशासन मानदंडों से संबंधित शर्तें रखी गई हैं। जैसा कि दिशा-निर्देशों के मसौदे में सूचित किया गया है, भारत सरकार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में कुछ संशोधन करने पर विचार कर रही है, जिनमें से कुछ ऐसे हैं जो निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस देने के लिए नीति को अंतिम रूप देने एवं उसका कार्यान्वयन करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। बैंककारी विनियमन अधिनियम में संशोधन कर लिए जाने के बाद ही अंतिम दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे तथा निजी क्षेत्र में नए बैंकों की स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

वित्तीय संस्थाओं के लिए उधार सीमा में वृद्धि करना

3.54 मार्च 2012 के अंत में रिज़र्व बैंक विनियमन के अधीन पांच वित्तीय संस्थाएं थीं, अर्थात् एक्जिम बैंक, नाबार्ड, राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) तथा भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक (आईआईबीआई)। इनमें से चार वित्तीय संस्थाएं (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) रिज़र्व बैंक के पूर्ण विनियमन और पर्यवेक्षण के अधीन हैं। आईआईबीआई ऐच्छिक समापन की प्रक्रिया के तहत है। 2011-12 के दौरान, नाबार्ड और एनएचबी द्वारा व्यक्त कठिनाइयों को देखते हुए उनकी सकल उधार सीमा बढ़ाकर एक वर्ष के लिए उनकी निवल स्वाधिकृत निधियों (एनओएफ) का 11 गुना कर दी गयी है, जिसकी समीक्षा की जाती रहेगी। साथ ही, एक्ज़िम बैंक के लिए सकल उधार सीमा निधि की तंगी के कारण एक वर्ष की अवधि अर्थात् 31 अगस्त 2013 तक के लिए बढ़ाकर एनओएफ का 12 गुना कर दी गई है तथा उसके बाद यह पुन: एनओएफ का 10 गुना हो जाएगी। इसके अलावा, चारों वित्तीय संस्थाओं के लिए अम्ब्रेला सीमा के तहत उधार राशि एनओएफ के 100 प्रतिशत से बढ़ाकर एक वर्ष की अवधि के लिए एनओएफ का 150 प्रतिशत कर दी गई है, जिसकी समीक्षा की जाती रहेगी। बैंकों को जारी विवेकपूर्ण मानदंडों संबंधी दिशा-निर्देश चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं पर भी लागू किए गए हैं।

6. पर्यवेक्षी नीति

धोखाधड़ी का मुकाबला करने के लिए समवर्ती लेखा-परीक्षा को सुदृढ़ बनाना

3.55 बैंकों द्वारा रिज़र्व बैंक को सूचित बड़े मूल्य वाली धोखाधड़ियों, आवास ऋण खंड के तहत हुई धोखाधड़ियों सहित, का अध्ययन किया गया ताकि नियंत्रण प्रक्रिया में मौजूद ऐसे अंतरालों की पहचान की जा सके जिन्होंने इन धोखाधडियों, विशेष रूप से समवर्ती लेखा-परीक्षा के तहत शाखाओं में हुई धोखाधडियों, को किए जाने में योगदान दिया। यह देखा गया कि उधारकर्ताओं द्वारा जाली दस्तावेज, जिन्हें मूल्यांकनकर्ताओं/अधिवक्ताओं/सनदी लेखाकारों जैसे पेशेवराना लोगों ने प्रमाणित किया था, प्रस्तुत किए जाने के कारण बड़ी संख्या में धोखाधड़ियां की गईं। अध्ययन के निष्कर्षों के प्रकाश में बैंकों को सूचित किया गया कि वे समवर्ती लेखा-परीक्षा को अधिक प्रभावी बनाएं ताकि, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित बातें भी सुनिश्चित की जा सकें - टाइटल प्रलेखों का सत्यापन, विशेष रूप से बड़े मूल्य वाले उधारों के मामले में; भूमि की प्रतिभूति पर लिए गए उधारों के मामले में स्थानीय राजस्व प्राधिकारियों से सत्यापन रिपोर्टें मंगाना; उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत सनदी लेखाकारों के प्रमाणपत्रों, संपत्ति मूल्यन प्रमाणपत्रों तथा विधिक प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता का स्वतंत्र सत्यापन करना; तथा आंतरिक अनुशासन, स्टाफ का आवर्तन और नियंत्रण एवं संतुलन की प्रणाली विकसित करना।

बैंकों की ब्याज दर संवेदनशीलता ज्ञात करने के लिए नयी विवरणी

3.56 4 नवंबर 2010 की अधिसूचना के अनुसार, जून 2011 को समाप्त तिमाही से डीएसबी विवरणियों के तहत एक नई विवरणी शुरू की गई ताकि अवधि अंतराल विश्लेषण (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य) के तहत बैंकों की ब्याज दर संवेदनशीलता ज्ञात की जा सके। पारंपरिक अंतराल विश्लेषण (अर्जन परिप्रेक्ष्य) के तहत ब्याज दर संवेदनशीलता की वर्तमान रिपोर्ट के फार्मेट को भी संशोधित किया गया है ताकि वैश्विक स्थिति एवं सुसंगत मुद्राओं की स्थिति (घरेलू स्थिति तथा भारतीय रुपए की वर्तमान रिपोर्टिंग को देखते हुए) ज्ञात की जा सके।

बैंकों की पर्यवेक्षी प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा की गयी पहलें

3.57 नवंबर 1994 में गठित वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी और विनियामक पहलों के पीछे मौजूद मुख्य मार्गदर्शी शक्ति है। जुलाई 2011 से जून 2012 तक की अवधि के दौरान वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड की 10 बैठकें हुईं। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने निरीक्षण रिपार्टों संबंधी ज्ञापन की समीक्षा करने के अलावा 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के कार्यनिष्पादन और उनकी वित्तीय स्थिति की जांच की।इसने बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की 88 निरीक्षण रिपोर्टों संबंधी ज्ञापन की समीक्षा की। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित निरीक्षण रिपोर्टों के सारांश/वित्तीय मुख्य बिंदुओं की भी समीक्षा की। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के निदेशों को ध्यान में रखते हुए, बैंकों की पर्यवेक्षी प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न प्रकार की पहलें की गईं, यथा वार्षिक वित्तीय निरीक्षण रिपोर्टों के कवरेज की समीक्षा करना तथा एक संशोधित फार्मेट और नया दिशा-निर्देश जारी करना; भूसंपदा और केवाईसी/एएमएल जैसे क्षेत्रों की विषयपरक समीक्षा करना और उनके निष्कर्षों से वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड को अवगत कराना; विदेशी बैंकों को यह सूचित करना कि लेखापरीक्षा की प्रक्रिया और उसके अनुपालन के बारे में कारगर निगरानी के लिए सीईओ को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए; तथा बैंकों को यह सूचित करना कि वे पात्र बैंक वित्त को ज्ञात करने के लिए स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण और अन्य प्रलेखीकरण प्रभार शामिल न करें क्योंकि ये प्रभार वसूलीयोग्य नहीं हैं।

उच्चस्तरीय स्टीयरिंग कमेटी द्वारा बैंकों के लिए जोखिम आधारित पर्यवेक्षी दृष्टिकोण की संस्तुति की गई

3.58 बैंकिंग व्यवसाय में आकार, संख्या और जटिलताओं के रूप में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ हाल के वर्षों में भारत के बैंकिंग क्षेत्र में काफी बदलाव देखे गये हैं। रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं/ तकनीकों की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा उन्हें वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने एक उच्चस्तरीय स्टीयरिंग कमेटी (अध्यक्षः डॉ. के.सी.चक्रवर्ती) का गठन किया, जिसने 11 जून 2012 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उच्चस्तरीय स्टीयरिंग कमेटी ने ऐसे उपायों की संस्तुति की जिनसे लेनदेन-परीक्षण आधारित (कैमेल्स) ढांचे के माध्यम से विगत कार्यनिष्पादन की जांच करने संबंधी वर्तमान पर्यवेक्षी दृष्टिकोण को प्रवृत्ति विश्लेषण का उपयोग करते हुए एक जोखिम आधारित दृष्टिकोण में रूपांतरित किया जा सके ताकि जोखिम वाहकों का पता लगाया जा सके और बैंकों की बहियों में जोखिमों के मार्ग और उनके पारगमन की भविष्यवाणी की जा सके। बैंकों के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के 'सभी के लिए एक आकार की उपयुक्तता संबंधी दृष्टिकोण' को एक सतत पर्यवेक्षी दृष्टिकोण द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है जो पर्यवेक्षी उद्देश्यों के लिए बैंक द्वारा प्रस्तुत जोखिमों पर आधारित है। जोखिम मैट्रिक्स में बैंक की स्थिति पर आधारित रिज़र्व बैंक का पर्यवेक्षी रुख इन चार में से एक हो सकता है - 'आधार स्तरीय निगरानी', 'कड़ी निगरानी', 'सक्रिय निगरानी' तथा 'सुधारात्मक कार्रवाई' - तथा इसमें पर्यवेक्षी चक्र के दौरान पर्यवेक्षक द्वारा शुरू की जानेवाली विशिष्ट पर्यवेक्षी कार्रवाइयां शामिल होंगी। जोखिम आकलन तथा पर्यवेक्षी कार्रवाइयों से आरंभिक अवस्था में जोखिमों की पहचान एवं प्रभावी हस्तक्षेप में मदद मिलना अभिप्रेत है ताकि बैंकिंग प्रणाली को होने वाली हानियों/संभाव्य विघटनों को न्यूनतम किया जा सके। कुल मिलाकर, समिति की सिफारिशों का आशय यह है कि प्रोत्साहनों एवं गैर-प्रोत्साहनों की प्रणाली के जरिए एक संकेतात्मक समय-सीमा के भीतर जोखिम आधारित कारोबारी संचालन को अपनाने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित किया जाए। कार्यान्वयन के लिए समिति की सिफारिशों

पर विचार किया जा रहा है। पहले कदम के रूप में, बैंकों को इस निर्णय की सूचना दी गयी है कि वे अगले पर्यवेक्षी चक्र (2013-14) से पर्यवेक्षण के जोखिम आधारित दृष्टिकोण में संक्रमण करें। उन्हें यह सूचित किया गया है कि वे जोखिम आधारित पर्यवेक्षण शुरू करने के लिए अभिज्ञात कुछ आवश्यक अपेक्षाओं के प्रति अपनी जोखिम प्रबंधन संरचना, संस्कृति, प्रथाओं और सम्बद्ध प्रक्रियाओं की स्थिति का आकलन करें।

एफएसडीसी छत्र के तहत वित्तीय संगुटों के लिए पर्यवेक्षी/विनियामक ढांचे को सुदृढ़ बनाना

3.59 वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) तथा उसकी उप समिति के लिए उद्दिष्ट अधिदेशों में से एक है - वित्तीय संगुटों (फाइनैंशियल कांग्लोमरेट्स) का पर्यवेक्षण। फाइनैंशियल कांग्लोमरेट्स के पर्यवेक्षण के लिए संस्थागत ढांचा बनाने तथा उनके कार्यकलापों से उत्पन्न प्रणालीगत जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन के लिए, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की उप समिति ने रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर की अध्यक्षता में एक अंतर-विनियामक मंच बनाने को अनुमोदित किया है, जिसमें अन्य प्रमुख विनियामक/पर्यवेक्षी एजेंसियों के कार्यपालक निदेशक के स्तर के लोगों को सदस्य बनाया जाएगा। इस अंतर-विनियामक मंच का दायित्व फाइनैंशियल कांग्लोमरेट्स के लिए नीति निर्माण करने (यथा पहचान, समूहव्यापी जोखिम प्रबंधन, समूहव्यापी पूंजी पर्याप्तता और कॉरपोरेट अभिशासन) तथा फाइनैंशियल कांग्लोमरेट्स का उच्चस्तरीय पर्यवेक्षण करना होगा। यह मंच फाइनैंशियल कांग्लोमरेट्स के कारगर पर्यवेक्षण के लिए देशी पर्यवेक्षकों के बीच पर्यवेक्षी समन्वय/सहयोग की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने का भी प्रयास करेगा।

7. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति के पुनर्जीवन के लिए उनका पुनर्पूंजीकरण

3.60 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) के मौजूदा स्तर का अध्ययन करने तथा 31 मार्च 2012 तक इसे बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर देने के लिए एक भावी कार्य योजना का सुझाव देने संबंधी समिति (अध्यक्ष: डॉ. के.सी.चक्रवर्ती) की सिफारिशों को स्वीकार कर भारत सरकार ने 82 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 40 के लिए पुनर्पूंजीकरण कार्यक्रम की घोषणा की, ताकि मार्च 2012 तक उनके सीआरएआर को 9 प्रतिशत के स्तर तक पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया जा सके। भारत सरकार ने, अन्य शेयरधारकों के साथ ₹22 बिलियन की धनराशि उपलब्ध कराते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण का निर्णय लिया। शेयरधारिता के लिहाज से भारत सरकार/प्रायोजक बैंकों/राज्य सरकारों का कर अनुपात और राशि क्रमशः 50:35:15 तथा ₹11 बिलियनः ₹8 बिलियन : ₹3 बिलियन है। भारत सरकार ने इस प्रयोजन के लिए वर्ष 2011-12 के लिए ₹5 बिलियन का बजट प्रावधान किया।

3.61 31 मार्च 2012 तक 16 राज्यों के 27 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को ₹10 बिलियन की राशि जारी की गई। 16 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में पुनर्पूंजीकरण (ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर तथा कर्नाटक) में पूरा हो गया है। छह राज्य सरकारों (मणिपुर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मिजोरम तथा जम्मू और कश्मीर) द्वारा 13 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में कोई राशि जारी नहीं की गई है। पूरी तरह से पुनर्पूंजीकृत 16 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 12 ने 31 मार्च 2012 तक सीआरएआर के निर्धारित 9 प्रतिशत स्तर को हासिल कर लिया है। इसके अलावा, 82 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निर्धारित सीआरएआर स्तर को प्राप्त करने में विफल रहे हैं।

वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का शाखा विस्तार

3.62 वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिए जाने की कार्यनीति के एक अंग के रूप में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कहा गया था कि वे विशेष रूप से अभी तक बैंक सुविधा-रहित रहे क्षेत्रों में सक्रिय शाखा विस्तार कार्यक्रम शुरू करें। विस्तार की योजना के तहत प्रौद्योगिकी की मदद और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समेकन द्वारा स्टाफ को विवेकपूर्ण तरीके से शाखाओं में तैनात किया जा सकता है। 31 मार्च 2012 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 16,914 शाखओं का

नेटवर्क था। भारत सरकार की सलाह के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दो वर्षों अर्थात् 2010-11 और 2011-12 में 2,000 शाखाएं खोली जानी थीं। इसकी तुलना में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वर्ष 2010-11 में 521 तथा वर्ष 2011-12में 913 शाखाएं खोली गईं जो निर्धारित लक्ष्य से कम है। भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सभी प्रायोजक बैंकों को सूचित किया है कि वर्ष 2012-13 के लिए लक्ष्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के मौजूदा शाखा नेटवर्क का 10 प्रतिशत रहेगा। तदनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वर्ष 2012-13 के दौरान 1,700 शाखाएं खोला जाना अपेक्षित होगा।

3.63 वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अंतर्गत, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 31 मार्च 2012 तक 73,000 ऐसे गांवों को, जहां अब तक किसी बैंक की उपस्थिति नहीं थी और जिनकी आबादी 2000 या इससे अधिक थी, आईसीटी-समर्थित बिज़नेस कॉरेस्पांडेंट्स के माध्यम से कवर किया जाना था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 20,000 गांव आबंटित किए गए हैं और जिन स्थानों पर भौतिक शाखाएं खोला जाना व्यवहार्य नहीं है, वहां बैंक अति-लघु शाखाओं (यूएसबी) से शुरुआत कर सकेंगे; बाद में ऐसे स्थानों पर बैंक कारोबार का वांछित स्तर प्राप्त कर लिए जाने पर ऐसी अति-लघु शाखाओं स्तरोन्नयन करके उन्हें नियमित बैंक शाखाओं में परिवर्तित किया जा सकता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए पर्यवेक्षी और विनियामक पहलें

3.64 वर्ष 2011-12 के दौरान, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पर्यवेक्षण से जुड़े मामलों के लिए कई नीतिगत पहलें की गईं। इन उपायों में शामिल हैं - धोखाधड़ी निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली में सुधार के लिए संशोधित दिशानिर्देश, धोखाधड़ी करने के लिए अपनाए गए तरीकों और कुछ बैंकों द्वारा आंतरिक जांच और नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने के लिए अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं का परिचालन; अपने ग्राहक को जानिए दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन से संबंधित पहलुओं को कवर करते हुए संवेदनशीलता कार्यशालाओं का आयोजन; धनशोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना; आंतरिक जांच और नियंत्रण प्रणाली; कंपनी अभिशासन और आस्ति देयता प्रबंधन।

8. सहकारी बैंक

शहरी सहकारी बैंक

पात्र शहरी सहकारी बैंकों को इंटरनेट बैंकिंग की अनुमति दी गई

3.65 ऐसे अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को जिनकी न्यूनतम निवल मालियत ₹1 बिलियन है, जोखिम भारित पूंजी आस्ति अनुपात कम-से-कम 10 प्रतिशत है, निवल अनर्जक आस्तियां 5 प्रतिशत से कम हैं और जिन्होंने लगातार पिछले तीन वित्तीय वर्षों में शुद्ध लाभ अर्जित किया है, भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से इंटरनेट बैंकिंग सुविधा की पेशकश करने की अनुमति दी गई ताकि वे अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकें।

आवास ऋण की सीमा और चुकौती अवधि में संशोधन

3.66 टियर I श्रेणी के शहरी सहकारी बैंकों को आवासीय इकाई के लिए प्रति लाभभोगी अधिकतम ₹3.0 मिलियन तक का वैयक्तिक आवास ऋण दिए जाने; टियर II श्रेणी में आवासीय इकाई के लिए प्रति लाभभोगी अधिकत ₹7.0 मिलियन तक का वैयक्तिक आवास ऋण दिए जाने की अनुमति मौजूदा विवेकपूर्ण एक्सपोज़र सीमाओं के अधीन दी गई है। शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर शहरी सहकारी बैंकों द्वारा मंजूर किए जानेवाले आवास ऋणों की चुकौती की अधिकतम अवधि को संशोधित करके वर्तमान 15 साल से 20 साल किया गया।

रुपया निर्यात ऋण की ब्याज दर पर आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी

3.67 कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, इन क्षेत्रों के लिए भारत सरकार ने रुपया निर्यात ऋण के ब्याज दर पर 2 प्रतिशत की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। तदनुसार, एडी श्रेणी 1 शहरी सहकारी बैंकों को इन क्षेत्रों के लिए 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 एवं 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 तक पोत-लदानोत्तर और पोत-लदानपूर्व रुपया निर्यात ऋण पर 2 प्रतिशत की आर्थिक सहायता देने संबंधी निर्णय के बारे में सूचित किया गया।

शहरी सहकारी बैंकों को एनडीएस-ओएम की सदस्यता की मंजूरी

3.68 भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वामित्व वाली एनडीएस-ओएम, महत्त्वपूर्ण प्रतिभूतियों के द्वितीयक बाजार में कारोबार के लिए स्क्रीन आधारित इलेक्ट्रॉनिक बेनामी ऑर्डर मिलान प्रणाली है। वर्तमान में, बैंकों, प्राथमिक व्यापारियों, बीमा कंपनियों और म्यूचुअल फंड जैसी संस्थाएं इसकी सदस्यता ले सकती हैं। रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के पश्चात कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले शहरी सहकारी बैंकों को तयशुदा लेन-देन प्रणाली (एनडीएस) ऑर्डर मिलान (ओएम) पर सीधी पहुंच की अनुमति दी गयी थी।

भारतीय साख सूचना ब्यूरो लिमिटेड (सीआईबीआईएल) और अन्य साख सूचना कंपनियों को ऋण संबंधी सूचना का प्रस्तुतीकरण

3.69 शहरी सहकारी बैंकों को ₹10.0 मिलियन और उससे ऊपर के लिए संदिग्ध और हानि के तौर पर वर्गीकृत वाद दाखिल खातों और ₹2.5 मिलियन और उससे ऊपर के लिए इरादतन चूककर्ताओं के वाद दाखिल खातों की सूची तिमाही आधार पर भारतीय साख सूचना ब्यूरो लिमिटेड (सीआईबीआईएल) और/या उन अन्य साख सूचना कंपनियों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया जिन्होंने रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो और बैंक जिसका एक सदस्य हो।

शहरी सहकारी बैंकों के लिए पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा

3.70 शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति के अपने आकलन के आधार पर रिज़र्व बैंक निगरानी और पर्यवेक्षी कार्रवाई करता है। 1 मार्च 2012 से शहरी सहकारी बैंकों के लिए पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे को लागू किया गया। इस ढांचे में शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में गिरावट आने के प्रारंभिक चरण में ही खुद उनके प्रबंधन द्वारा स्व-सुधारात्मक कार्रवाई और बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार न होने के मामले में रिज़र्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षी कार्रवाई किये जाने की परिकल्पना की गयी है।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के साथ भारतीय लेखांकन प्रणाली (आईएएस) की अभिरूपता

3.71 जैसा कि वार्षिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2010-11 में घोषित किया गया था, ₹3 बिलियन से अधिक के निवल मालियत वाले शहरी सहकारी बैंकों को 1 अप्रैल 2013 से और ₹2 बिलियन से अधिक और ₹3 बिलियन से कम मालियत वाले शहरी सहकारी बैंकों को 1 अप्रैल 2014 तक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के साथ अभिरूपित भारतीय लेखांकन प्रणाली (आईएएस) अपनाने हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया जिससे वे इस दिशा में अपनी तैयारी रख सकें।

शहरी सहकारी बैंकों के आवास/ वाणिज्यिक रीयल एस्टेट ऋण के एक्सपोज़र में संशोधन

3.72 शहरी सहकारी बैंकों को पहले रीयल एस्टेट, वाणिज्यिक रीयल एस्टेट और आवास ऋण पर अपने कुल आस्तियों के अधिकतम 10 प्रतिशत तक एक्सपोज़र की अनुमति दी गयी थी, जिसके साथ ₹1.5 मिलियन तक के आवास ऋण के लिए अपनी कुल आस्तियों की 5 प्रतिशत की अतिरिक्त सीमा भी उपलब्ध थी। शहरी सहकारी बैंकों को अपनी कुल आस्तियों के 5 प्रतिशत की अतिरिक्त सीमा को ₹2.5 मिलियन तक के आवास ऋण की मंजूरी प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किए जाने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया जिससे इस अतिरिक्त सीमा के भीतर प्राथमिक क्षेत्र के सभी आवास ऋणों को कवर किया जा सके।

9. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी)

सोने पर ऋण से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए कार्यदल

3.73 हाल की अवधि में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा सोने के बदले ऋण दिए जाने में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कुछ ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां सोने के बदले दिए जाने वाले ऋण से संबंधित मामलों को तत्काल निपटाने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ उचित दस्तावेजी प्रक्रिया और केवाईसी मानदंडों का सावधानीपूर्वक अनुपालन नहीं कर रही

हैं। सोने के आयात में तेजी से बढ़ोत्तरी आयी है जिससे समष्टि-आर्थिक चिंताएं बढ़ गयी हैं। इन पहलुओं के विस्तृत अध्ययन के लिए एक कार्यदल (संयोजक: श्री के.यू.बी. राव) का गठन किया गया। समूह को सौंपे गए प्रमुख मुद्दे हैं (i) स्वर्ण ऋण के रुझान और सोने के आयात पर इसके प्रभाव का आकलन करना, (ii) बाह्य और वित्तीय स्थिरता के लिए सोने के आयात के प्रभाव का विश्लेषण करना; (iii) सोने की कीमतों की प्रवृत्तियों का अध्ययन करना और इसकी जांच करना कि क्या स्वर्ण ऋण देने वाली एनबीएफसी सोने की कीमतों को प्रभावित करने में किसी भी प्रकार की भूमिका निभा रही हैं ; (iv) स्वर्ण ऋण के लिए एनबीएफसी के धन के स्रोतों की जांच करना, विशेष रूप से बैंकिंग प्रणाली से उधार ली गयी राशि के लिए और (v) सोने की जमानत पर उधार देने में शामिल एनबीएफसी के मौजूदा तरीकों की जांच करना। कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 2012 में प्रस्तुत कर दी है।

10. बैंकों में ग्राहक सेवा

बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार के लिए दामोदरन समिति की सिफारिशें लागू करना

3.74 बैंकों में ग्राहक सेवा के संबंध में समिति (अध्यक्ष: श्री एम. दामोदरन) ने अपनी रिपोर्ट जुलाई 2011 में प्रस्तुत की। समिति ने कुल 232 सिफारिशें कीं जिनमें से 152 सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया। रिज़र्व बैंक आईबीए, भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड, बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के साथ चर्चा कर शेष सिफारिशों को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। वर्तमान अंतरराष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करने के बाद शेष सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए आईबीए ने अब एक उप समूह का गठन किया है।

फोरक्लोज़र प्रभार को खत्म करने से आवास ऋण का मूल्य निर्धारण बेहतर होगा

3.75 बैंकों में ग्राहक सेवा के संबंध में गठित समिति (अध्यक्ष: श्री एम. दामोदरन) ने यह पाया कि आवास ऋण के समय-पूर्व भुगतान पर बैंकों द्वारा लिए जा रहे फोरक्लोज़र प्रभार का लगभग सभी आवास ऋण उधारकर्ताओं ने विरोध किया है। विरोध विशेषकर उन मामलों में किया गया है, जहां बैंकों ने गिरते हुए ब्याज दर के माहौल में वर्तमान उधारकर्ताओं को कम ब्याज दर का लाभ देने में हिचकिचाहट दिखाई। ऐसे में फोरक्लोज़र प्रभार को एक प्रतिबंधक तरीके के तौर पर देखा जा रहा है जो ग्राहकों को उपलब्ध सस्ते ऋण को प्राप्त करने से रोक रहा है। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि तत्काल प्रभाव से बैंकों को अस्थिर ब्याज दर वाले आवास ऋण पर फोरक्लोज़र प्रभार/पूर्व भुगतान दंड लगाने की अनुमति नहीं होगी। आवास ऋण पर फोरक्लोज़र प्रभार हटा लेने से वर्तमान और नए उधारकर्ताओं के बीच हो रहे भेदभाव में कमी आएगी और बैंकों के बीच होनेवाली प्रतिस्पर्धा के कारण अस्थिर ब्याज दर वाले आवास ऋण की कीमतें बेहतर तरीके से निर्धारित होंगी।

बैंक सभी ग्राहकों को आधारभूत बैंक बचत जमा खाता खोलने की सुविधा प्रदान करेंगे

3.76 वित्तीय समावेशन के एजेंडा को आगे ले जाने के लिए नवंबर 2005 में रिज़र्व बैंक ने सभी बैंकों को सलाह दी कि वे जनसंख्या के अधिकांश हिस्से को बुनियादी बैंकिंग वाली 'नो-फ्रिल्स' खाता-सुविधा उपलब्ध कराएं जिसमें या तो 'शून्य' या बहुत कम शेष रखने की जरूरत पड़े, इसके साथ-साथ उसमें प्रभार भी बहुत कम होने चाहिए। 'नो-फ्रिल्स' खातों को लागू करने से अब तक के अनुभवों से यह बात सामने उभरकर आयी है कि बैंकों ने अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ही पहल की है। इसकी समीक्षा के बाद बुनियादी बैंकिंग 'नो-फ्रिल्स' खातों को खोले जाने की संबंधी दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया और संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली में एक ही तरीके की बुनियादी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। 2012-13 के वार्षिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में घोषणा की गयी थी कि बैंक सभी ग्राहकों को 'न्यूनतम सुविधाओं के साथ' बुनियादी बैंक जमा बचत खाता उपलब्ध कराएंगे और इसमें न्यूनतम शेष रखने की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम शेष न रखने पर प्रभार लगाए जाने के संबंध में ग्राहकों द्वारा की जाने वाली शिकायतों का निपटारा भी इससे हो जाएगा।

बैंकों को जमाराशियों पर दिए जाने वाले ब्याज दर में न्यूनतम बदलाव सुनिश्चित करना होगा

3.77 निवासी भारतीय वरिष्ठ नागरिकों और ₹1.5 मिलियन से अधिक की एकल सावधि जमा योजनाओं को छोड़कर किसी भी

जमा योजना पर दिए जाने वाले ब्याज दर में किसी भी प्रकार का भेदभाव नही किए जाने संबंधी रिज़र्व बैंक की शर्त के बावजूद बैंकों की खुदरा और बड़ी जमाराशियों की ब्याज दर में बहुत ज्यादा अंतर देखा गया है जिससे खुदरा जमाकर्ताओं के प्रति अनुचित बर्ताव झलकता है। परिपक्वता अवधि में थोड़े-बहुत अंतर वाली जमाराशियों पर भी बैंक भिन्न-भिन्न ब्याज रहे हैं जिससे बैंकों में अपर्याप्त चलनिधि प्रबंधन प्रणाली और अपर्याप्त मूल्य निर्धारण के मौजूदा तरीकों का संकेत मिलता है। 2012-13 के वार्षिक मौद्रिक नीति व्यक्तव्य में रिज़र्व बैंक ने यह घोषित किया था कि बैंको में देनदारियों के कीमत-निर्धारण के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित पारदर्शी नीति होनी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ₹1.5 मिलियन या इससे अधिक की एकल मीयादी जमाराशियों और अन्य जमाराशियों पर दिए जाने वाले ब्याज दर के बीच बहुत कम अंतर हो।

अंत:बैंक जमाखातों की पोर्टेबिलिटी उपलब्ध कराना

3.78 कुछ बैंक इस बात पर बल दे रहे थे कि जब ग्राहक उसी बैंक में एक शाखा से दूसरी शाखा में अपने खाते के स्थानांतरण का अनुरोध करता है तो वे वहां नया खाता खोलें। इससे ग्राहकों को दोबारा केवाईसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था जिसके कारण उन्हें असुविधा के साथ-साथ खराब ग्राहक सेवा प्राप्त होती थी। कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) के युग में इस प्रकार की प्रथाएं उचित प्रतीत नही होतीं। इसलिए बैंकों को यह सलाह दी गयी कि यदि बैंक की किसी शाखा ने केवाईसी के सभी मानदंडों की जांच कर ली है तो इसे बैंक के भीतर ही खाते के स्थानांतरण के मामले में वैध माना जाए। ग्राहकों को बिना किसी प्रतिबंध के एक शाखा से दूसरी शाखा में अपने खाते के स्थानांतरण की अनुमति दी जाए। व्यक्ति के सही पते के संबंध में केवाईसी के मानदंडों को पालन करने के लिए अंतरिती शाखा नये पते का प्रमाण मांग सकती है।

बाहरी चेक और त्वरित समाशोधन के लिए बैंक उचित सेवा प्रभार ले सकते हैं

3.79 रिज़र्व बैंक ने बैंकों को ₹0.1 मिलियन से ऊपर के मूल्य वाले चेकों के शीघ्र समाशोधन और बाहरी चेक निपटान प्रणाली के माध्यम से चेक समाशोधित करने के लिए संग्रह प्रभार वसूलने की की छूट दी है बशर्ते ऐसे सभी प्रभार पारदर्शी और उचित तरीके से लगाए गए हों। 'उचित और पारदर्शी तरीके' में लागत-*प्लस* पर सेवा प्रभार लगाना भी शामिल है। हालांकि कुछ ऐसे मामले सामने आये हैं जिनमें बैंकों ने लिखतों के मूल्य के अनुसार मनमाने तरीके से प्रभार वसूले हैं। इसलिए रिज़र्व बैंक ने ऐसे बैंकों को इसकी समीक्षा करने की सलाह दी है और लागत-प्लस आधार पर प्रभारों को तय किए जाने की सलाह दी है। बैंकों को यह भी सुनिश्चित करने की सलाह दी गयी है कि व ₹ 0.1 मिलियन से कम मूल्य वाले लिखतों के लिए वसूली प्रभार कम रखें जिससे बाहरी चेक वसूली की तुलना में शीघ्र समाशोधन को बढ़ावा दिया जा सके।

11. वित्तीय बाज़ार

प्राथमिक व्यापारी प्रणाली को मजबूत करने के लिए कदम

3.80 वर्ष 2011-12 के दौरान प्राथमिक व्यापारी प्रणाली को मजबूत करने के लिए विभिन्न नीतिगत पहलें की गईं। प्राथमिक व्यापारियों के प्राधिकरण के विषय में अंतिम दिशा-निर्देश 30 अगस्त 2011 को जारी किये गये थे जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्राथमिक व्यापारी बनने के लिए आवश्यक शर्तों, मिड सेगमेंट और खुदरा निवेशकों की ओर से महत्त्वपूर्ण प्रतिभूतियो में न्यूनतम कारोबार और बाहर निकलने/समाप्ति प्रक्रिया को कवर किया गया था। कार्पोरेट बांड के साथ जुड़े हुए ऋण जोखिमों को हस्तांतरित और प्रबंधित करने के लिए बाज़ार सहभागियों को एक टूल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने नवंबर 2011 में कार्पोरेट बांड पर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप की शुरुआत की। स्टैंडअलोन प्राथमिक व्यापारी बाजार निर्माता के साथ-साथ प्रयोगकर्ता के रूप में भी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में लेन-देन कर सकते हैं। प्रयोगकर्ता के तौर पर, प्राथमिक व्यापारी अपनी कारोबारी बही में रखे गये कार्पोरेट बांड में मौजूदा ऋण जोखिम को क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का प्रयोग कर हेज कर सकते हैं।

विदेशी मुद्रा बाज़ार में उतार-चढ़ाव कम करने के लिए प्रशासनिक कदम

3.81 वर्ष 2011-12 के दौरान भारतीय विदेशी मुद्रा बाजार में हुए उतार-चढ़ाव, विशेषकर अगस्त 2011 से अमेरिकी डालर की तुलना में भारतीय रुपए के मूल्य में 20 प्रतिशत से अधिक के मूल्यह्रास के मद्देनजर 15 दिसंबर 2011 को रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए कई प्रशासनिक उपायों में ये शामिल हैं : निवासी और विदेशी संस्थागत निवेशकों को संविदागत एक्सपोज़र के अधीन उपलब्ध करार को रद्द करने और पुनः बुकिंग करने की सुविधा को वापस लेना; आयातकों के लिए पूर्वनिष्पादन सुविधा के तहत

सीमा को वर्तमान सीमा के 25 प्रतिशत तक घटा देना; निर्यातकों और आयातकों को पूर्वनिष्पादन सुविधा केवल डिलीवरी आधार पर उपलब्ध कराना; ग्राहकों की ओर से प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा किए गए ऐसे सभी लेन-देनों को वास्तविक विप्रेषण/डिलेवरी के अंतर्गत लिया जाना, जिसे रद्द/नगदी से निपटाया नहीं जा सकता; प्राधिकृत व्यापारियों के नेट ओवरनाइट ओपन पोजिशन लिमिट (एनओओपीएल) में कटौती करना; और विशेष रूप से उल्लेख करना कि प्राधिकृत व्यापारियों की अंतर्दिवसीय स्थिति / दैनिक सीमा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा द्वारा अनुमोदित मौजूदा एनओओपीएल से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3.82 10 मई 2012 को यह दिशा-निर्देश भी जारी किए गए थे कि विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खातों (ईईएफसी) के अधिशेष के पचास प्रतिशत हिस्से को रुपये से संबंधित अधिशेष में परिवर्तित कर इसे एक पखवाड़े के भीतर रुपए खाते में क्रेडिट करना होगा। इसके अलावा, कोई विदेशी मुद्रा अर्जक सभी विदेशी मुद्रा आय का पचास प्रतिशत (इसकी पिछली सीमा 100 प्रतिशत थी) गैर-ब्याज वाले ईईएफसी खाते में बनाए रखने का पात्र होगा। शेष 50 प्रतिशत को रुपए अधिशेष में बदलने के लिए अभ्यर्पित करना होगा।

3.83 रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा बाजार में उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए 21 मई 2012 को और उपाय किए। इन उपायों में शामिल हैं: बैंकों के वर्तमान एनओओपीएल एक्सचेंजों में मुद्रा फ्यूचर्स/ऑप्शन में ली गयी पोजिशन को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा जैसा कि रुपये को एक मुद्रा के तौर पर शामिल कर लिए गए पोजिशन के मामले में होता है; ओटीसी बाजार में लिए गए पोजिशनों को एक्सचेंजों में लिए गए पोजिशनों से निवलीकृत/समन्जित या इसके विपरीत नहीं किया जा सकता है; एक्सचेंजों में आरंभ किए गए पोजिशनों को केवल एक्सचेंजों में ही परिसमापन/बंद किया जा सकता है; मुद्रा फ्यूचर्स और ऑप्शन से संबंधित सौदों के लिए एक्सचेंजों में प्राधिकृत डीलर श्रेणी I व्यापारी सदस्य बैंक के लिए पोजिशन लेने की सीमा 100 मिलियन अमेरिकी डालर या बकाया खुली संविदा का 15 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हों, होगी। निर्यातकों को परिचालन संबंधी कुछ लचीलापन प्रदान करने के लिए 31 जुलाई 2012 को उन्हें अपने निर्यात एक्सपोज़रों की हेजिंग के लिए कुल बकाया संविदा का 25 प्रतिशत निरस्त/पुनःबुक करने की अनुमति दी गयी।

3.84 इसके अलावा, 31 जुलाई 2012 को की गयी समीक्षा के बाद विदेशी मुद्रा आय की 100 प्रतिशत राशि को ईईएफसी खाते में क्रेडिट करने की अनुमति संबंधी पूर्व शर्त को बहाल करने का निर्णय लिया गया बशर्ते कैलेंडर माह के दौरान उपचय की गयी कुल राशि को अनुमोदित प्रयोजनों या भविष्य की प्रतिबद्धताओं के लिए समायोजित करने के बाद अगले कैलेंडर महीने के अंतिम दिवस या इसके पहले रुपये में बदलना होगा।

विदेशों से सस्ते धन/ लॉटरी में जीत जैसे फर्जी प्रस्तावों के विरुद्ध चेतावनी

3.85 विदेशों से सस्ते धन से संबंधित फर्जी प्रस्तावों से जनता को आगाह करने के लिए रिज़र्व बैंक ने प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में कई जन-जागरूकता अभियान चलाने के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कॉलेजों/स्कूलों को पत्र लिखे गए हैं एवं पुलिस कार्मिकों के लिए इंटरएक्टिव/प्रशिक्षण सत्र भी संचालित किए गए हैं। रिज़र्व बैंक ने अपने वेबसाइट पर उन नोडल एजेंसियों की सूची भी उपलब्ध करायी है जहां जनता अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती है। इस संबंध में 6 फरवरी 2012 को एक विस्तृत प्रेस-विज्ञप्ति जारी की गयी। राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठकों में इसे कार्यसूची की एक मद के रूप में शामिल करने का भी निर्णय लिया गया। फर्जी प्रस्तावों के विरुद्ध अभियान को बैंक के आउटरीच कार्यक्रमों के अंग के रूप में भी शामिल किया गया है।

3.86 आईबीए के सदस्य बैंकों के बीच इस मुद्दे को प्रचारित करने की सलाह दी गई है। सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को यह भी कहा गया है कि कि ग्राहकों द्वारा उठाए गए उन नुकसानों के लिए वे जिम्मेदार होंगे, जिसमें बैंक ने लॉटरी, मनी सर्कुलेशन योजनाओं और सस्ते धन से संबंधित अन्य फर्जी प्रस्तावों के लिए धन-विप्रेषण से संबंधित विनियमों, केवाईसी, एएमएल/ और / या अन्य नियामक / सांविधिक अपेक्षाओं का उल्लंघन किया है। सहकारी बैंकों को भी इस मामले में सचेत किया गया है।

12 भुगतान और निपटान प्रणाली

3.87 वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक की विनियामक पहल पेमेंट विजन डॉक्यूमेंट 2009-12 में दिए गए मिशन वक्तव्य द्वारा निर्देशित थी। वर्ष के दौरान उठाए गए प्रमुख नीतिगत कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं।

चेकों के शीघ्र समाशोधन की प्रणाली शुरू की गई

3.88 बाहरी केन्द्रों के चेकों के शीघ्र समाशोधन की सुविधा वाले गैर-एमआईसीआर[1] समाशोधन गृहों के लिए 2011 में शुरू की गई एक्सप्रेस चेक क्लियरिंग प्रणाली (ईसीसीएस) 1,241 में से 1,170 केन्द्रों (30 जून 2012 तक) पर परिचालन में है।

चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) का विस्तार

3.89 चेन्नै में ग्रिड-आधारित सीटीएस की शुरुआत कर सीटीएस के स्कोप में विस्तार किया गया। ग्रिड समाशोधन बैंकों को चेन्नै ग्रिड वाले स्थानों पर अपनी सेवा शाखाओं के माध्यम से किसी एकल समाशोधन गृह में अनेक शहरों से/को चेक प्राप्त/प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करता है। एनपीसीआई को देश के सभी हिस्सों में ग्रिड-आधारित सीटीएस को लागू करने के लिए अखिल भारतीय स्तर का रोडमैप तैयार करने का काम सौपा गया है और उसने इसे तैयार भी कर लिया है।

इलेक्ट्रानिक भुगतान प्रणालियों तक अधिक लोगों की पहुंच बढ़ाने के लिए ऐक्सेस मानदंडों में संशोधन

3.90 भुगतान प्रणालियों तक अधिक लोगों की पहुंच और जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से ऐक्सेस मानदंडों में सितंबर 2011 में संशोधन किया गया था। तद्नुसार, दो तरह के ऐक्सेस मानदंड बनाये गए, अर्थात एक केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों के लिए और दूसरे विकेंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों के लिए। सीआरएआर, एनपीए, नेटवर्थ और विनियामक विभाग की सिफारिशों के आधार पर बनाए गए संशोधित और युक्तिसंगत मानदंडों से केंद्रीकृत और विकेन्द्रीकृत - दोनों भुगतान प्रणालियों तक पहुंचा जा सकता है। नये ऐक्सेस मानदंडों के तहत, 30 जून 2012 तक 53 बैंकों को केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों के सदस्य बनने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया। अप्रैल 2012 में एक उप-सदस्यता सुविधा भी शुरू की गई जिससे सभी लाइसेंस-प्राप्त बैंक केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली में भाग ले सकें। यह सुविधा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपने प्रायोजित बैंक के माध्यम से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) में भाग लेने की सुविधा के अतिरिक्त दी गयी थी। जून 2012 की स्थिति के अनुसार, 82 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (12,000 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं) में से 71 बैंक एनईएफटी में भाग ले रहे हैं।

3.91 समाशोधन गृहों / प्रसंस्करण केन्द्रों को प्रबंधित कर रहे बैंकों को जुलाई 2011 से प्रवर्तक बैंकों से प्रोसेसिंग शुल्क वसूलने की अनुमति दी गई। अक्तूबर 2011 से, आरटीजीएस प्रणाली में जावक लेन-देनों के लिए सेवा शुल्क की भी शुरुआत की गयी।

वैकल्पिक भुगतान चैनलों को प्रोत्साहन देने के लिए प्री-पेड भुगतान लिखतों के मानदंडों को आसान बनाया गया

3.92 प्री-पेड भुगतान लिखतों के लिए दिशा-निर्देश पहली बार वर्ष 2009 में जारी किए गये थे। वर्ष 2011-12 के दौरान लगभग ₹70 बिलियन से ऊपर के मूल्य के बराबर लगभग 591 मिलियन प्री-पेड भुगतान लिखत जारी किए गए। महीने में औसतन लगभग 49 मिलियन प्री-पेड भुगतान लिखत जारी किये गये जिसका मूल्य ₹6 बिलियन के बराबर था। प्री-पेड भुगतान लिखतों के निर्गम की वृद्धि अब तक गति नहीं पकड़ पाई है। इस भुगतान चैनल को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसमें निम्नलिखित छूट प्रदान की गई (i) मोबाइल वालेट की सीमा को बढ़ाकर ₹50,000 कर दिया गया है जो पहले अन्य प्री-पेड भुगतान लिखतों की तरह केवल ₹5,000 तक जारी किए जा सकते थे; (ii) बैंकों को अनुमति दी गई कि वे सूचीबद्ध कंपनियों को प्री-पेड भुगतान लिखत जारी कर सकते हैं; इसमें कर्मचारियों की पहचान के सत्यापन का दायित्व संबंधित कंपनी का होगा। इसके अतिरिक्त, प्री-पेड भुगतान लिखतों के श्रेणीकरण और मूल्य सीमा को युक्तियुक्त बनाने के लिए इसे तीन व्यापक श्रेणियों में बांटा गया (क) ₹10,000 तक के लिखत इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी किए जा सकते हैं, इनमें ग्राहक के संबंध में सूचना बहुत कम होती है, (ख) ₹10,001 से ₹50,000 हजार तक के लिखत इलेक्ट्रॉनिक किंतु नॉन-रिलोडेबल रूप में जारी किए जा सकते हैं और इनमें मनीलाड़रिंग अधिनियम के तहत आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज स्वीकार किए जाते हैं और (ग) पूर्ण रूप से केवाईसी वाले ₹50,000 तक के लिखत जिसे दोबारा रीलोड किया जा सकता है। घरेलू निधि अंतरण की मौजूदा योजना को भी युक्तियुक्त बनाया गया ताकि व्यक्ति से व्यक्ति के निधि अंतरण किया जा सके। इसी के साथ, एस्क्रो प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए गैर-बैंक संस्थाओं के लिए यह अनिवार्य किया गया कि वे जारीकर्ता/एजेंट/वितरक द्वारा अंतिम प्रयोगकर्ता को प्री-पेड भुगतान लिखत की बिक्री के तुरंत बाद एस्क्रो खाते में क्रेडिट की जाए। इस बात का पुन: स्मरण कराया गया कि किसी भी समय अंतिम उपयोगकर्ता के पास के प्री-पेड भुगतान लिखत संबंधी बकाया शेष और अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा प्री-पेड भुगतान लिखत के प्रयोग से उभरने वाले दायित्वों को कवर करने के लिए एस्क्रो खाते में पर्याप्त शेष राशि होनी चाहिए।

वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए मोबाईल बैंकिंग को प्रोत्साहन

3.93 बैंक के ग्राहकों द्वारा माबाइल फोन के माध्यम से किए गए बैंकिंग लेन-देन को मोबाईल बैंकिंग लेन-देन कहा जाता है जिसमें

[1] समाशोधन गृह जहां चेक छंटाई प्रणाली नहीं है।

ग्राहक के खातों में क्रेडिट/डेबिट शामिल होता है। मोबाइल बैंकिंग के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए एंड-टु-एंड एन्क्रिप्शन के बिना लेन-देनों की उच्चतम सीमा को ₹1000 से बढ़ाकर ₹5000 कर दिया गया। इसके अलावा, प्रति लेन-देन ₹50,000 की सीमा को हटा दिया गया और बैंकों को अपनी जोखिम धारणा के अनुसार सीमा तय करने की अनुमति दी गयी। 'लाभ के लिए व्यापार' करने वाली कंपनियों को बिज़नेस कारेस्पांडेंट के तौर पर कार्य करने की अनुमति दी गयी जिसमें मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर भी शामिल हैं और उम्मीद है कि भारत में प्रारंभ की गई इस प्रकार की अनोखी बैंक-मोबाइल नेटवर्क आपरेटर साझेदारी मॉडल से मोबाइल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा और मोबाइल नेटवर्क आपरेटरों द्वारा अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराये जाने वाले बृहद नेटवर्क से वित्तीय समावेशन को भी फायदा पहुंचेगा।

व्हाइट लेबल एटीएम बैंक रहित /कम बैंक वाले क्षेत्रों में बैंकों की पहुंच बढ़ाएंगे

3.94 देश में एटीएम के बुनियादी ढांचे को और ज्यादा मजबूत बनाने की दृष्टि से विशेषकर टियर III से टियर VI केंद्रों पर गैर-बैंकों को भारत में अपने व्हाइट लेबल एटीएम की स्थापना करने तथा उनके परिचालन की अनुमति दी गयी। व्हाइट लेबल एटीएम परिचालित करने के लिए संस्थाओं के लिए यह आवश्यक है कि वे रिज़र्व बैंक से प्राधिकार प्राप्त करना होगा जैसा कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में निर्धारित किया गया है। वे इन दिशा-निर्देशों में तय की गई तीन योजनाओं में से किसी एक योजना का चयन कर सकती हैं। कम बैंक वाले क्षेत्रों में एटीएम का बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए यह अधिदेश दिया गया है कि किसी भी योजना के तहत नए व्हाइट लेबल एटीएम का 10 प्रतिशत टियर V और टियर VI केंद्रों पर स्थापित करना होगा। इस प्रकार की पहल से उम्मीद है कि भुगतान सेवाओं के लिए ऐक्सेस पॉइंट्स की उपलब्धता में बढ़ोतरी होगी (बॉक्स III.2)।

बॉक्स III.2 : व्हाइट लेबल एटीएम

स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) को बैंकिंग के इतिहास में नवोन्मेषी और क्रांतिकारी तकनीकी विकास में से एक माना जाता है। बैंक की शाखाओं में ग्राहकों के लिए नकदी के संवितरण के लिए एक माध्यम के रूप से आरंभ हुआ यह चैनल अब शाखाओं और सुविधाजनक ऑफ-साइट स्थानों पर विभिन्न बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के एक संपर्क-बिंदु के रूप में विकसित हो गया है। हालांकि प्रारंभ में बैंकों ने अपने स्वामित्व में ही इसे स्थापित किया और समय के साथ-साथ इसमें व्यापक परिवर्तन देखा गया और बैंक अब एटीएम संचालन के साथ जुड़े सभी या अधिकांश गतिविधियों जैसे तैनाती, अनुरक्षण, नकदी को लोड करना और प्रौद्योगिकी के उन्नयन को आउटसोर्स करना पसंद करते हैं। इससे उन्हें अपनी परिचालन लागत को कम करने और अपने मुख्य कारोबार पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद मिली है।

बैंक के स्वामित्व में स्थापित एटीएम के अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एटीएम कारोबार में स्वतंत्र एटीएम डिप्लॉयर (आईएडी) और स्वतंत्र सेवा संगठन (आईएसओ) लगे हैं। ऐसे एटीएम को व्हाइट लेबल एटीएम (डब्लयूएलए) कहा जाता है। निम्नलिखित अंतरों को छोड़कर आईएडी और आईएसओ अपने संचालन में लगभग एक समान हैं:

(i) आईएसओ आमतौर पर बड़े ऑपरेटर होते हैं जो एटीएम और इससे संबंधित बुनियादी सुविधाओं के स्वयं मालिक होते हैं और इसकी तैनाती भी करते हैं। उनका बैंकों के साथ नकदी लोड करने और अन्य सेवाओं के लिए एक प्रायोजन व्यवस्था होती है। प्रायोजक बैंकों के साथ उनके रिश्ते *स्थानीय विनियामक अपेक्षाओं द्वारा निर्देशित होते हैं। आईएसओ योजना या तो किसी एकल प्रायोजक बैंक या बहु-प्रायोजक बैंक मॉडल के माध्यम से काम करती है।*

(ii) आईएडी मॉडल में, संस्थाएं आस्तियों में निवेश (एटीएम) पर ध्यान केंद्रित करती हैं। वे खुद के एटीएम *की मालिक होती हैं और भुगतान बुनियादी ढांचे के लिए किसी भी मौजूदा नेटवर्क प्रदाता से जुड़ती हैं। आईएडी में व्यक्तिगत कारोबारी से लेकर बड़े खुदरा आउटलेट/* सुपर मार्केट तक की संस्थाएं शामिल हो सकती हैं। ऐसी संस्थाओं *की,* एटीएम में नकद लोडिंग सहित एटीएम के परिचालन से संबंधित किसी भी पहलू के लिए किसी भी बैंक के साथ, *कोई प्रत्यक्ष व्यवस्था नहीं होती।*

दोनों मॉडल में, ऑन-साइट विज्ञापन अतिरिक्त आय का मुख्य स्रोत है। आईएडी/आईएसओ के लिए राजस्व का एक बड़ा हिस्सा इस तरह के विज्ञापनों के माध्यम से आता है।

भारत में एटीएम और डब्ल्यूएलए योजना

देश में एटीएम की संख्या 98,074 हैं जिनमें से 38 प्रतिशत निजी क्षेत्र के बैंकों, 33 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र के बैंकों, 27 प्रतिशत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं उसके सहयोगी बैंकों और 2 प्रतिशत विदेशी बैंकों के स्वामित्व में हैं। 2008 के बाद से देश में लगाए गए एटीएम की संख्या में 30 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई है लेकिन टियर III से टियर VI केंद्रों में एटीएम की संख्या में अपेक्षानुसार बढ़ोतरी नहीं हुई है। बैंक रहित/ बैंकों की कम संख्या वाले क्षेत्रों में एटीएम की संख्या बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा संचालित किए जा रहे मौजूदा एटीएम के अतिरिक्त देश में *व्हाइट लेबल एटीएम लगाने की अनुमति दी है। नीतिगत दिशा-निर्देशों के तहत कंपनी अधिनियम 1956 के तहत भारत में निगमित गैर-बैंकिंग संस्थाएं भारत में एटीएम स्थापित करने, स्वामित्व प्राप्त करने और परिचालित करने के लिए अधिकृत होंगी जो बैंकों द्वारा जारी कार्ड (डेबिट/क्रेडिट/प्रिपेड) के आधार पर भारत में बैंकों के ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराएंगी। ऐसी गैर-बैंकिंग संस्थाओं के पास नवीनतम वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार न्यूनतम 1 बिलियन रुपये की निवल राशि होनी चाहिए जिसे हमेशा बनाए रखने की आवश्यकता होगी। मॉडल में यह परिकल्पना की गई है कि नकदी प्रबंधन और ग्राहकों के शिकायत निवारण की जिम्मेदारी प्रायोजक बैंक की होगी। इस योजना से विशेष रूप से बैंक रहित/ बैंकों की कम संख्या वाले क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में कारोबार की गुंजाइश है। यह उम्मीद है कि भारत में व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर दिशा-निर्देशों के तहत आईएडी और आईएसओ मॉडल की विशेषताओं को उपयोग में लाएंगे और प्रायोजक बैंकों के साथ मिलकर कार्य करेंगे।*

औपचारिक मुद्रा हस्तांतरण प्रणाली तक प्रवासी जनसंख्या की पहुंच बढ़ाना

3.95 औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के बाहर रहने वाली प्रवासी जनसंख्या की सुविधा के लिए घरेलू मुद्रा हस्तांतरण दिशा-निर्देशों को अक्तूबर 2011 में आसान बनाया गया जिससे वे बैंक खाते के बिना भी मुद्रा का हस्तांतरण कर सकें (विस्तृत जानकारी के लिए वार्षिक रिपोर्ट 2011-12 की बॉक्स सं. IX.1 देखें।)

भारत में भुगतान प्रणाली: विज़न 2012-2015 का उद्देश्य भुगतान प्रणाली को संरक्षित, सुरक्षित और समावेशी बनाना है

3.96 भुगतान प्रणाली विज़न दस्तावेज 2012-2015 जारी कर दिया गया है। इस दस्तावेज में 2012-2015 के लिए रास्ते तय किए गए हैं जिनसे देश की बढ़ती हुई भुगतान की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इस दस्तावेज़ के अंत में तीन वर्षों की अवधि में देश की भुगतान प्रणाली को संरक्षित और सुरक्षित, इंटरऑपरेबल, प्राधिकृत, सुलभ, समावेशी और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने की रूपरेखा तय की गयी है। इस विज़न दस्तावेज में देश में कम नकदी पर निर्भर समाज बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को प्रोत्साहित करने संबंधी दृष्टिकोण रखा गया।

भुगतान और निपटान प्रणालियों की निगरानी

3.97 रिज़र्व बैंक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत प्राप्त शक्तियों के आधार पर ऑनसाइट निरीक्षण, ऑफसाइट निगरानी के साथ-साथ बाजार सूचना तंत्र के माध्यम से अपना निगरानी संबंधी कार्य पूरा करता है। वर्ष 2011-2012 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनसीपीआई) सहित 11 संस्थाओं का निरीक्षण किया गया। ऑफसाइट निगरानी प्रणाली के तहत ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग सिस्टम (ओआरएफएस) के माध्यम से तय टेम्प्लेट में भुगतान प्रणाली से संबंधित आंकडे इकट्ठा किए जाते हैं।

13. प्रौद्योगिकीय गतिविधियां

बैंक कारोबार निरंतरता/संवेदनशीलता आकलन और पहुंच जांच आयोजित करते हैं

3.98 बैंकिंग कारोबार चलाने में प्रौद्योगिकी का महत्त्व बहुत बढ़ गया है। प्रौद्योगिकी पर बढ़ती निर्भरता को ध्यान में रखते हुए, कारोबार की निरंतरता बनाए रखना समग्र वित्तीय स्थिरता की दृष्टि से चुनौती बना हुआ है। अत: बैंकों के लिए यह महत्त्वपूर्ण है कि वे उपयुक्त कारोबार निरंतरता योजना अपनाएं। इसके अलावा, बैंकों के लिए यह महत्त्वपूर्ण हैं कि वे अकस्मात आने वाले व्यवधानों से निपटने के लिए अपने कोर बैंकिंग समाधान और अन्य आंतरिक प्रणालियों की जांच करने के लिए डिजास्टर रिकवरी ड्रिल का नियमित आधार पर आयोजन करें। यह भी महत्त्वपूर्ण है कि इन व्यवस्थाओं की आवधिक जांच होनी चाहिए। साथ ही, इस बात को देखते हुए कि साइबर हमले गोपनीयता, एकात्मकता और आंकड़ों की उपलब्धता तथा प्रणाली को हानि पहुंचा सकते हैं, बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे ऐसे हमलों को रोकने के लिए संवेदनशीलता आकलन और पहुंच जांच का आवधिक रूप से आयोजन करें। रिज़र्व बैंक को यह जानकारी तिमाही आधार पर प्राप्त होती है जिसका सारांश वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में इनपुट के रूप में लिया जाता है। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे कारोबार निरंतरता योजना/डिजास्टर रिकवरी/संवेदनशीलता आकलन और पहुंच जांच कैलेंडर के लिए अपने बोर्ड/शीर्ष प्रबंधन का अनुमोदन प्राप्त करें।

सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना सुरक्षा गवर्नेंस के लिए एक उपयुक्त ढांचा तैयार करना

3.99 जैसाकि वार्षिक नीति वक्तव्य 2012-13 में घोषणा की गई है, बैंकों द्वारा सुव्यवस्थित आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) गवर्नेंस मॉडल अपनाने से उन्हें अपने आईटी और कारोबार के बीच बेहतर तालमेल बिठाने में मदद मिलेगी, उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी, वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य सर्वोत्तम प्रथाओं के और समीप जा पाएंगे और इस तरह उनके आईटी निष्पादन में समग्र रूप से सुधार हो पाएगा तथा साथ ही वे बेहतर ढंग से नियंत्रण और सुरक्षा कर पाने में सक्षम होंगे। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयोजन से बैंकों के लिए आवश्यक है कि वे सुव्यवस्थित आईटी गवर्नेंस मॉडल अपनाएं। इसके अलावा, बैंक अपने कारोबार के परिचालन और बाजार में पैठ बनाने के लिए विभिन्न आईटी आधारित चैनलों पर अधिकाधिक भरोसा कर रहे हैं। नए अवसरों का लाभ उठाने में बैंकों की योग्यता मुख्य रूप से उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए सुगम और सुरक्षित सेवा चैनलों पर निर्भर करती है। तथापि, इससे प्रौद्योगिकी में उनके एक्सपोज़र और परिचालनगत जोखिमों में वृद्धि होगी,

जिसका अलग-अलग बैंकों और साथ ही समूचे वित्तीय क्षेत्र पर प्रभाव पड़ सकता है। इन चुनौतियों का सामना के लिए बैंकिंग की वर्तमान परिस्थिति, कारोबारी लक्ष्य, प्रक्रिया, लोग और प्रौद्योगिकी के अनुरूप एक व्यापक सूचना सुरक्षा (आईएस) ढांचा अपनाना अवश्यंभावी है। इसलिए बैंकों को सूचित किया गया है कि वे आईटी और आईएस गवर्नेंस के उपयुक्त ढांचे के लिए उचित कदम उठाएं और उचित ढांचा एवं प्रणाली लागू करें जिससे यह सुनिश्चित हो पाए कि गवर्नेंस, सूचना सुरक्षा और कारोबार की निरंतरता से जुड़े मुद्दों को बोर्ड स्तर पर पर्याप्त तवज्जो मिले।

14. बैंकिंग क्षेत्र विधान

3.100 वर्ष के दौरान, बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित कानूनों की समीक्षा के लिए कई वैधानिक परिवर्तन किए गए। वित्तीय क्षेत्र वैधानिक सुधार आयोग की स्थापना संबंधी कार्रवाई सबसे महत्त्वपूर्ण गतिविधि रही है और इसके गठन से भारत में वित्तीय क्षेत्र को अधिशासित करने वाले वर्तमान वैधानिक और विनियामक ढांचे की समीक्षा एवं जांच का मार्ग प्रशस्त होगा।

(क) फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011

3.101 फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011, 2 अप्रैल 2012 को लागू हुआ। यह अधिनियम एक ऐसा विनियामक ढांचा उपलब्ध कराता है जिसके तहत फैक्टरों के लिए आवश्यक है कि वे रिज़र्व बैंक के पास पंजीकरण कराएं। रिज़र्व बैंक को दिशानिर्देश जारी करने, सूचना मंगवाने और इस हेतु शक्ति प्रदान की गई है कि वह ऐसे वित्तीय संस्थाओं को फैक्टरिंग का काम करने से रोके जो इन दिशानिर्देशों का पालन न करते हों। रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन न करने पर दंड लगाने का प्रावधान किया गया है। कोई कंपनी, बड़ी हो या छोटी, उसे फैक्टरिंग का कार्य करने के लिए रिज़र्व बैंक के पास पंजीकरण करवाना आवश्यक है और यह भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III बी और साथ ही फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम के अधीन होगी। ऐसी आशा है कि केंद्रीय रजिस्ट्री (सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत गठित) के पास अपेक्षित पंजीकरण के बाद प्राप्तियों के प्रति वित्तपोषण में तेजी आएगी। इससे एक ही प्राप्ति के लिए एक से अधिक वित्तपोषण किए जाने का जोखिम कम होगा और बैंकों का एनपीए कम करने में यह मील का पत्थर साबित होगा। ऐसी कंपनियां, जिनका मुख्य कार्यकलाप वित्त से संबंधित नहीं है, भी अब रिज़र्व बैंक की विनियामक परिधि में आ जाएंगी।

(ख) सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 द्वारा सिक्का निर्माण और टकसाल से जुड़े कानूनों का समेकन

3.102 सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011, 28 मार्च 2012 को लागू हुआ। इस अधिनियम ने सिक्का निर्माण और टकसालों से संबंधित कानूनों को समेकित किया है और पुराने सिक्का निर्माण अधिनियम को निरस्त किया गया है। इस अधिनियम में भारत सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर, किसी अन्य को सिक्का निर्माण करने, ढालने और नष्ट करने से प्रतिबंधित किया गया है और इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान किया गया है। सिक्के के रूप में इस्तेमाल होने वाली धातु के किसी टुकड़े को भारत सरकार की अनुमति के बिना समुद्र, भूमि या वायु मार्ग द्वारा लाए जाने की मनाही है।

(ग) एक्जिम बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2011 से इस बैंक का पूंजी आधार मजबूत हुआ

3.103 भारतीय निर्यात-आयात बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2011, 1 फरवरी 2012 को लागू हुआ। इस अधिनियम में एक्जिम बैंक की प्राधिकृत पूंजी ₹20 बिलियन से बढ़ाकर ₹100 बिलियन करने का प्रावधान किया गया। इसमें एक्जिम बैंक के बोर्ड में केंद्र सरकार द्वारा दो पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति का प्रावधान भी है।

(घ) सहकारी संस्थाओं के लोकतांत्रिक और पेशेवर प्रबंधन को प्रोन्नत करने हेतु संविधान (97वां संशोधन) अधिनियम, 2011

3.104 संविधान (सत्तावनवां संशोधन) अधिनियम, 2011, 15 फरवरी 2012 को लागू हुआ। इस अधिनियम में राज्य के नए नीति निदेशक सिद्धांतों का समावेश है जिसके तहत राज्य से अपेक्षित है कि वह सहकारी समितियों के स्वैच्छिक निर्माण, स्वायत्त कार्यचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर ढंग से उनके प्रबंधन को बढ़ावा दे। संविधान का भाग IX बी बहु-राज्य सहकारी समितियों के मामलों में संसद और अन्य सहकारी समितियों के मामले में राज्य विधान मंडलों को यह अधिकार देता है कि वे सहकारी समितियों के निगमन, विनियमन और समापन के लिए उपयुक्त कानून बनाएं। यह कानून लोकतांत्रिक सदस्य-नियंत्रण, सदस्य-आर्थिक सहभागिता और स्वायत्त कार्यचालन के सिद्धांतों पर आधारित होगा और यह निर्दिष्ट करेगा कि किसी सहकारी समिति में निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 से अधिक न हो और बोर्ड के चयनित

सदस्यों तथा इसके पदाधिकारियों के संदर्भ में इनकी कालावधि चुनाव की तारीख से पांच वर्ष की तक की अवधि के लिए हो। राज्य विधानमंडल को सुनिश्चित करना होगा कि राज्य के कानून संविधान में निर्धारित सिद्धांतों का पालन करते हों और राज्यों का हस्तक्षेप कम हो जाए। इस संशोधन में निर्दिष्ट किया गया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के ऐसे प्रावधान, जो निदेशक बोर्ड के अधिक्रमण और निलंबन से संबंधित हैं, बैंकिंग कार्यकलाप करने वाली सहकारी समितियों पर लागू होंगे।

(ङ) प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली (संशोधन) विधेयक, 2011

3.105 यह विधेयक लोकसभा में 12 दिसंबर 2011 को प्रस्तुत किया गया और लंबित है। इसमें वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तथा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 में संशोधन का प्रस्ताव है। यह विधेयक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को यह शक्ति प्रदान करता है कि जब उन्हें इन प्रतिभूतियों का कोई खरीददार न मिले तो बैंक चूक करने वाले उधारकर्ता के विरुद्ध अपने दावों की पूरी या आंशिक संतुष्टि के लिए उसकी अचल संपत्ति स्वीकार कर ले। ऋण वसूली न्यायाधिकरण के जरिए वसूली के उपाय जो बहुराज्य सहकारी बैंकों को उपलब्ध नहीं थे, उन्हें अब उपलब्ध करा दिया गया है और इसके लिए बहुराज्य सहकारी बैंकों को ऋण वसूली न्यायाधिकरण अधिनियम में निर्धारित बैंक की परिभाषा के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है; इस प्रकार बहुराज्य सहकारी बैंकों के लिए बहुराज्य सहकारी सोसायटी समिति अधिनियम, 2002 के तहत उपलब्ध वसूली प्रक्रिया के अलावा एक अतिरिक्त प्रभावी वसूली प्रक्रिया का विकल्प उपलब्ध कराया गया है।

(च) बैंकिंग विधि (संशोधन) विधेयक, 2011

3.106 13 दिसंबर 2011 को स्थायी वित्त समिति ने लोकसभा में बैंकिंग विधि (संशोधन) विधेयक, 2011, जिसे पहले 22 मार्च 2012 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(छ) वित्तीय क्षेत्र वैधानिक सुधार आयोग

3.107 भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2010-11 में की गई घोषणा के अनुसार 24 मार्च 2011 को वित्तीय क्षेत्र वैधानिक सुधार आयोग (अध्यक्षः जस्टिस बी.एन. श्रीकृष्ण) का गठन किया। इसमें विचारार्थ मुद्दे विस्तृत हैं और इसमें भारत के वित्तीय क्षेत्र को अभिशासित करने वाले वैधानिक एवं विनियामक प्रणाली के ढांचे की जांच और वित्तीय क्षेत्र को अधिशासित करने वाले वर्तमान कानूनों की समीक्षा को शामिल किया गया है। रिज़र्व बैंक के अभिमत, सुझाव और इनपुट को आयोग में प्रस्तुत कर दिया गया है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैंः वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए रिज़र्व बैंक को स्पष्ट तथा विशिष्ट अधिदेश की आवश्यकता, सार्वजनिक जमाराशियों के विनियमन में रिज़र्व बैंक का एकाधिकार, बैंकिंग विधियों का समेकन, वैश्विक स्तर के अनुकूल गोपनीयता संबंधी विधि की आवश्यकता और ऋण प्रबंधन कार्य को रिज़र्व बैंक के पास बनाए रखना।

15. समग्र मूल्यांकन

3.108 2011-12 के दौरान बैंकिंग क्षेत्र की नीति समष्टि आर्थिक नीति के विस्तृत उद्देश्यों के अनुरूप बनी हुई थी, जैसे मूल्य स्थिरता, वृद्धि, वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र का विस्तृत विकास और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना कि अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को निर्बाध रूप से ऋण मिलना जारी रहे। कमजोर हो रही घरेलू समष्टि-आर्थिक स्थिति के संदर्भ में, रिज़र्व बैंक को मूल्य स्थिरता और वृद्धि के बीच एक सुव्यवस्थित संतुलन बिठाना पड़ा। रिज़र्व बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय बाजार निर्विघ्न रूप से चलता रहे, प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि बनाए रखने के प्रयोजन से कई उपाय किए। विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता रोकने के लिए कई प्रशासनिक कदम भी उठाए गए।

3.109 वर्ष के दौरान प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र मानदंडों पर फिर से विचार किया गया ताकि व्यक्तियों, स्वयं सहायता समूहों, संयुक्त देयता समूहों को सीधे कृषि ऋण प्राप्त होने और बैंकों द्वारा सीधे, न कि मध्यस्थों के जरिए, ऋण दिए जाने पर दुबारा से ध्यान दिया जा सके। किसानों की वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना की समीक्षा की गई और कृषि के वास्ते मिलने वाले वित्त की उपलब्धता में सुधार लाने के प्रयोजन से रियायती पुनर्वित सुविधा भी प्रदान की गई।

3.110 वैश्विक वित्तीय बाजार में उथल-पुथल की स्थिति के बीच बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को बढ़ती जटिलताओं और अपने कारोबार से जुड़े जोखिमों का सामना करना पड़ा। इस संदर्भ में, नितिगत पहल जैसे बासल II के उन्नत मानदंड अपनाने, बासल

III मानदंडों को चरणबद्ध रूप से लागू करने, एक क्रियाशील प्रावधानीकरण ढांचा/प्रति-चक्रीय पूंजी बफर तैयार करने, सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप प्रतिभूतिकरण मानदंड अपनाने, अच्छी प्रतिपूर्ति प्रथाएं और बैंकों के लिए एक जोखिम आधारित पर्यवेक्षी दृष्टिकोण अपनाने से भारतीय बैंकिंग प्रणाली को एक मजबूत आधार मिलेगा और साथ ही वित्तीय एवं आर्थिक दबाव से होने वाले आघातों को सहने की उनकी क्षमता बढ़ेगी और वे विवेकपूर्ण जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित हो पाएंगे। बैंकों में ग्राहक सेवा पर गठित समिति (अध्यक्षः श्री एम. दामोदरन) की सिफारिशों को लागू करने से बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार होने की आशा है। एनबीएफसी के लिए उचित प्रथा कोड लागू करने से उनमें चिर-प्रतीक्षित पारदर्शिता और उचित प्रथा आएगी और ग्राहकों के हितों की सुरक्षा हो पाएगी। वित्तीय समावेशन के लिए बहुआयामी रणनीति और आउटरीच कार्यक्रमों से देश के दूर-दराज इलाकों तक बैंकिंग प्रणाली की पहुंच बढ़ने की आशा है। अन्य प्रमुख नीतिगत गतिविधियों में धनशोधन/आतंकवाद वित्तपोषण कार्यकलापों से लड़ने और भुगतान तथा निपटान प्रणाली को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम शामिल हैं। वित्तीय क्षेत्र में आगे और सुधार लाने के प्रयोजन से अन्य प्रमुख गतिविधियों में वित्तीय क्षेत्र वैधानिक सुधार आयोग की स्थापना शामिल है।

3.111 अंततः, वित्तीय संस्थाओं और बैंकों की प्रतिरोधी-क्षमता में सुधार लाने के लिए एक विश्वसनीय मुहिम, जो प्रणालीगत जोखिम को रोकने पर फोकस करे, से वित्तीय स्थिरता का मार्ग प्रशस्त होगा। वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र में हुई वृद्धि वास्तविक क्षेत्र में हुई वृद्धि के समरूप होनी चाहिए और साथ ही इसे घरेलू समष्टि आर्थिक फंडामेंटल्स के अनुरूप होना चाहिए। अर्थव्यवस्था में समग्र रूप से समावेशी वृद्धि लाने के लिए यह आवश्यक है कि बैंकिंग क्षेत्र वित्तीय समावेशन के एजेंडे को और अधिक सामाजिक प्रतिबद्धता की भावना के साथ पूरा करे।

अध्याय IV

वाणिज्य बैंकों के कार्य और निष्पादन

2011-12 के दौरान भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का निष्पादन देशी अर्थव्यवस्था में आयी नरमी से प्रभावित था जिससे बैंकों के तुलनपत्रों का विस्तार पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ। इसके अलावा, लाभप्रदता के प्रमुख संकेतक, अर्थात आस्तियों पर प्रतिलाभ और इक्विटी पर प्रतिलाभ में कुछ गिरावट आयी। किंतु बैंकों के लागत-आय अनुपात में 2011-12 में सुधार हुआ जो उनकी कार्यकुशलता में सुधार दर्शाता है। पूंजी की दृष्टि से भारतीय बैंकों के सुदृढ़ रहने के बावजूद उनकी बढ़ती अनर्जक आस्तियों की चिंता में वृद्धि हुई। विशेष रूप से तनावग्रस्त बिजली और हवाई क्षेत्र के प्रति बैंकों के एक्सपोजर से उनकी आस्ति गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर हुआ। कवरेज का दायरा बढ़ाने में सुधार होने के बावजूद सार्थक वित्तीय समावेशन की प्राप्ति के लिए अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। इसके साथ ही बैंकों के लिए यह भी आवश्यक है कि वे उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए ग्राहक सेवा को मजबूत करें।

1.भूमिका

4.1 भारतीय बैंकिंग क्षेत्र, जिसने 2008-09 के दौरान वैश्विक वित्तीय संकट की उथल-पुथल का सामना किया, में उसके बाद तनाव के कुछ चिह्न दिखने लगे। संकटोत्तर काल के दौरान भारतीय बैंकों का निष्पादन वैश्विक वित्तीय बाजारों में दुर्बल वृद्धि और देश के चुनौतीपूर्ण परिचालनात्मक वातावरण से प्रभावित था जिसमें मुद्रास्फीति अधिक थी और वृद्धि-निष्पादन मंद था। इसके अलावा, कुछ राज्यों के बिजली बोर्डों और हवाई कंपनियों की तनावपूर्ण वित्तीय स्थिति से बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में और गिरावट आयी।

4.2 इस पृष्ठभूमि में, इस अध्याय में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों सहित) के 2011-12 के कार्य और निष्पादन का विश्लेषण किया गया है जो कि बैंकों के लेखापरीक्षित तुलनपत्रों और रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की गई परोक्ष विवरणियों पर आधारित है। इस अध्याय के विभिन्न खंडों में तुलपत्रीय परिचालनों, लाभप्रदता और कार्यकुशलता के संकेतकों सुदृढ़ता की स्थिति, सीमापारीय परिचालन, पूंजी बाजार के परिचालन, ग्राहक सेवा और प्रौद्योगिकीय गतिविधियों पर फोकस किया गया है। वित्तीय समावेशन के तहत की योजनाओं में हुई प्रगति पर अलग खंड में चर्चा की गयी है। समापन खंड में इस विश्लेषण से उभरने वाले प्रमुख मुद्दों को रेखांकित किया गया है।

2. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्रीय परिचालन

समेकित तुलनपत्रों का विस्तार कम हुआ जिसके मुख्य कारण जमाराशियों और साथ ही ऋणों और अग्रिमों की वृद्धि मंद रहना थे

4.3 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के समेकित तुलनपत्रों में पिछले वर्ष की तुलना में 2011-12 में मंद वृद्धि दर्ज हुई। देयता पक्ष में, वृद्धि में कमी का आधार व्यापक था अर्थात पूंजी, जमाराशि और उधार की वृद्धि मंद थी। आस्ति पक्ष में, मंदी का मुख्य कारण ऋणों और अग्रिमों की वृद्धि धीमी होना था जो देशी समष्टि-आर्थिक सभी प्रमुख घटकों में मंदी रहना दर्शाता है (सारणी IV.1 और IV.2)।

4.4 सरकारी क्षेत्र के बैंकों के तुलनपत्रों में गिरावट दर्शाते हुए बैंकिंग प्रणाली की कुल आस्तियों में उनका हिस्सा 2011-12 के दौरान कुछ कम हो गया। इसके बावजूद, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र कुल मिलाकर सार्वजनिक स्वरूप का बना रहा जिसमें मार्च 2012 के अंत में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का हिस्सा दो-तिहाई से अधिक था (चार्ट IV.1)।

सारणी IV.1: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का समेकित तुलनपत्र

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	मार्च 2012 के अंत में							
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	एसबीआई समूह	राष्ट्रीयकृत बैंक*	**निजी क्षेत्र के बैंक**	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	निजी क्षेत्र के नए बैंक	**विदेशी बैंक**	**सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. पूंजी	**183**	12	171	**48**	13	35	**406**	**637**
2. आरक्षित निधियां और अधिशेष	**3,373**	1,061	2,312	**1,545**	266	1,279	**531**	**5,449**
3. जमाराशियां	**50,020**	14,050	35,970	**11,746**	3,159	8,587	**2,771**	**64,537**
3.1. मांग जमाराशि	**3,844**	1,197	2,647	**1,659**	258	1,401	**801**	**6,303**
3.2. बचत बैंक जमारशियां	**12,140**	4,537	7,604	**2,729**	578	2,152	**419**	**15,289**
3.3. सावधि जमाराशि	**34,036**	8,317	25,719	**7,358**	2,323	5,035	**1,551**	**42,945**
4. उधार	**4,618**	1,588	3,030	**2,584**	198	2,386	**1,199**	**8,401**
5. अन्य देयताएं और प्रावधान	**2,186**	1,002	1,184	**855**	114	741	**929**	**3,970**
कुल देयताएं / आस्तियां	**60,380**	**17,712**	**42,668**	**16,778**	**3,750**	**13,028**	**5,836**	**82,994**
1. आरबीआई के पास नकदी और शेष	**2,800**	791	2,009	**706**	167	538	**232**	**3,737**
2. बैंकों के पास शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर मुद्रा	**1,760**	482	1,278	**366**	71	295	**312**	**2,437**
3. निवेश	**15,041**	4,173	10,868	**5,260**	1,093	4,166	**2,005**	**22,305**
3.1 सरकारी प्रतिभूतियां (क + ख)	**12,580**	3,513	9,067	**3,474**	785	2,688	**1,376**	**17,429**
a) भारत में	**12,494**	3,494	9,000	**3,468**	785	2,683	**1,376**	**17,338**
b) भारत के बाहर	**85**	19	67	**5.6**	-	5.6	**-**	**91**
3.2 अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों	**10**	0.2	9.7	**0.2**	0.2	0.01	**-**	**10**
3.3 गैर अनुमोदित प्रतिभूतियां	**2,451**	660	1791	**1,786**	308	1,478	**629**	**4,866**
4. ऋण और अग्रिम	**38,783**	11,520	27,263	**9,664**	2,301	7,363	**2,298**	**50,746**
4.1 खरीदे गए और भुनाए गए बिल	**2,307**	888	1,419	**357**	113	244	**257**	**2,922**
4.2 कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, आदि	**16,085**	4,958	11,127	**2,860**	1,120	1,740	**1,099**	**20,044**
4.3 सावधि ऋण	**20,391**	5,674	14,717	**6,447**	1,068	5,380	**942**	**27,780**
5. अचल आस्तियां	**383**	74	309	**134**	27	107	**50**	**567**
6. अन्य आस्तियां	**1,613**	672	941	**649**	91	558	**939**	**3,201**

टिप्पणी: -: कुछ नहीं/ नगण्य। आंकड़ों का पूर्णांकन ₹ बिलियन में करने के कारण घटकों और उनके योग में अंतर हो सकता है।
*: आईडीबीआई बैंक लि. सहित।
स्रोत: संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखे।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की प्रमुख देयताएं

जमाराशि में मंद वृद्धि दर्ज हुई

4.5 मार्च 2012 के अंत में, बैंकिंग क्षेत्र की कुल देयताओं के तीन-चौथाई से अधिक भाग जमाराशि का था। जमाराशि पिछले वर्ष की तुलना में कम गति से बढ़ी जिसका मुख्य कारण मांग जमाराशि में संकुचन और बचत बैंक जमाराशि की मंद वृद्धि था। दूसरी ओर, सावधि जमाराशियों की वृद्धि बढ़ गयी। इसके अलावा, मांग और बचत बैंक जमाराशि, जो कि निधि के न्यूनतम लागत के स्रोत हैं, के संग्रह में नरमी से भारतीय बैंकों की लाभप्रदता कम होने का दबाव बन सकता है (सारणी IV.2)।

कुल जमाराशि में चालू खाता और बचत खाता जमाराशियों का अनुपात कम हुआ

4.6 2011-12 के दौरान कुल जमाराशि में चालू खाता और बचत खाता जमाराशियों का हिस्सा कम हो गया जिसका कारण मांग जमाराशि में गिरावट आना और बचत बैंक जमाराशि संग्रह में कमी आना था। मार्च 2012 के अंत में, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशि का लगभग एक-तिहाई हिस्सा चालू खाता और बचत खाता जमाराशियों का था। जमाराशि की संरचना के बैंक समूह-वार विश्लेषण से पता चलता है कि चालू खाता और बचत खाता जमाराशियों का अधिकतम अनुपात विदेशी बैंकों का था जिनके बाद निजी क्षेत्र के नए बैंकों का स्थान था। इसे इस तथ्य से स्पष्ट किया जा सकता है कि अक्तूबर

सारणी IV.2 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्र में वृद्धि

(प्रतिशत)

मद	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के पुराने बैंक		निजी क्षेत्र के नए बैंक		विदेशी बैंक		सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	
	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. पूंजी	**40.7**	**-4.2**	**5.1**	**-**	7.9	-4.2	4.1	1.7	**15.1**	**15.6**	**21.3**	**8.0**
2. आरक्षित निधियां और अधिशेष	**19.3**	**24.4**	**15.9**	**15.5**	18.7	18.5	15.4	14.9	**18.8**	**15.7**	**18.2**	**20.8**
3. जमाराशियां	**18.4**	**14.4**	**21.9**	**17.1**	14.9	19.6	24.6	16.3	**3.7**	**15.1**	**18.3**	**14.9**
3.1. मांग जमाराशियां	**11.3**	**-6.3**	**18.1**	**4.4**	12.2	6.5	19.2	4.0	**6.8**	**9.9**	**12.3**	**-1.8**
3.2. बचत बैंक जमाराशियां	**22.1**	**12.1**	**23.0**	**19.1**	14.0	16.3	25.8	19.9	**8.8**	**5.6**	**21.8**	**13.1**
3.3. सावधि जमाराशियां	**18.2**	**18.2**	**22.5**	**19.7**	15.5	22.1	25.8	18.6	**0.6**	**21.0**	**18.2**	**18.6**
4. उधार	**26.4**	**16.4**	**24.5**	**38.9**	26.4	80.3	24.4	36.4	**36.1**	**29.1**	**27.1**	**24.4**
5. अन्य देयताएं और प्रावधान	**20.9**	**-6.8**	**21.0**	**20.6**	-0.7	13.5	25.6	21.8	**16.3**	**21.3**	**20.0**	**3.9**
कुल देयताएं / आस्तियां	**19.2**	**14.1**	**21.5**	**20.0**	**14.9**	**21.4**	**23.5**	**19.6**	**12.8**	**18.8**	**19.2**	**15.5**
1. आरबीआई के पास नकदी और शेष	**30.1**	**-20.5**	**13.5**	**-18.1**	7.4	-7.9	15.2	-20.8	**6.3**	**14.2**	**25.4**	**-18.5**
2. बैंकों के पास शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर मुद्रा	**9.3**	**40.7**	**-18.2**	**15.6**	-31.3	80.4	-16.0	6.5	**33.2**	**13.8**	**6.0**	**32.4**
3. निवेश	**9.9**	**12.6**	**19.2**	**24.6**	11.0	18.0	21.7	26.5	**3.9**	**21.1**	**11.3**	**16.0**
3.1 सरकारी प्रतिभूतियां	**7.4**	**16.2**	**9.1**	**32.0**	6.3	21.5	10.1	35.4	**-4.7**	**22.9**	**6.6**	**19.6**
3.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	**-43.4**	**-65.1**	**-71.4**	**-78.8**	-82.2	-65.0	74.8	-97.6	**-57.1**	**-100.0**	**-45.1**	**-65.6**
3.3 गैर अनुमोदित प्रतिभूतियां	**23.9**	**-2.2**	**41.0**	**12.5**	24.9	10.0	45.0	13.0	**28.1**	**17.5**	**29.8**	**5.1**
4. ऋण और अग्रिम	**22.3**	**17.4**	**26.1**	**21.2**	19.8	24.6	28.1	20.1	**19.8**	**17.6**	**22.9**	**18.1**
4.1 खरीदे गए और भुनाए गए बिल	**30.3**	**25.8**	**20.2**	**8.2**	10.3	14.7	25.0	5.5	**10.2**	**9.6**	**26.6**	**21.8**
4.2 कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, *आदि*	**24.0**	**17.9**	**41.2**	**27.6**	23.4	33.3	54.6	24.2	**27.1**	**18.4**	**26.2**	**19.2**
4.3 सावधि ऋण	**20.3**	**16.1**	**21.1**	**19.3**	17.8	17.7	21.8	19.6	**14.9**	**18.9**	**20.3**	**16.9**
5. अचल आस्तियां	**4.9**	**5.9**	**26.8**	**3.0**	6.5	6.9	32.8	2.1	**2.0**	**1.2**	**9.1**	**4.8**
6. अन्य आस्तियां	**33.9**	**15.3**	**21.6**	**35.5**	12.0	28.0	23.4	36.8	**13.5**	**21.1**	**25.0**	**20.7**

- : नगण्य/शून्य।
स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

चार्ट IV.1: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल देयताओं /आस्तियों में बैंक समूहों का हिस्सा (मार्च 2012 को समाप्त)

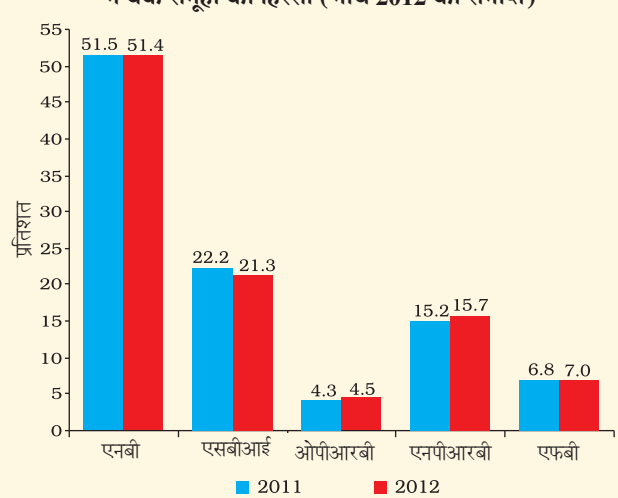

एनबी: राष्ट्रीयकृत बैंक
ओपीआरबी: निजी क्षेत्र के पुराने बैंक
एनपीआरबी: निजी क्षेत्र के नए बैंक
एफबी: विदेशी बैंक

2011 में बचत बैंक ब्याज दर को अविनियमित करने के बाद निजी क्षेत्र के अनेक बैंकों ने अपनी बचत बैंक जमाराशि दरों में वृद्धि की थी (चार्ट IV.2)।

2011-12 के दौरान उधार का सहारा अधिक लिया गया

4.7 मार्च 2012 के अंत में, उधार बैंकिंग क्षेत्र की कुल देयताओं के लगभग 10 प्रतिशत थे जो कि पिछले वर्ष की तुलना में कुछ अधिक थे (सारणी IV.1)।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की प्रमुख आस्तियां

मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों के कारण ऋण लेने में कमी रही

4.8 कुल ऋण और अग्रिम की वृद्धि में पिछले वर्ष की तुलना में कमी रही। 2011-12 के दौरान बैंक ऋण में गिरावट

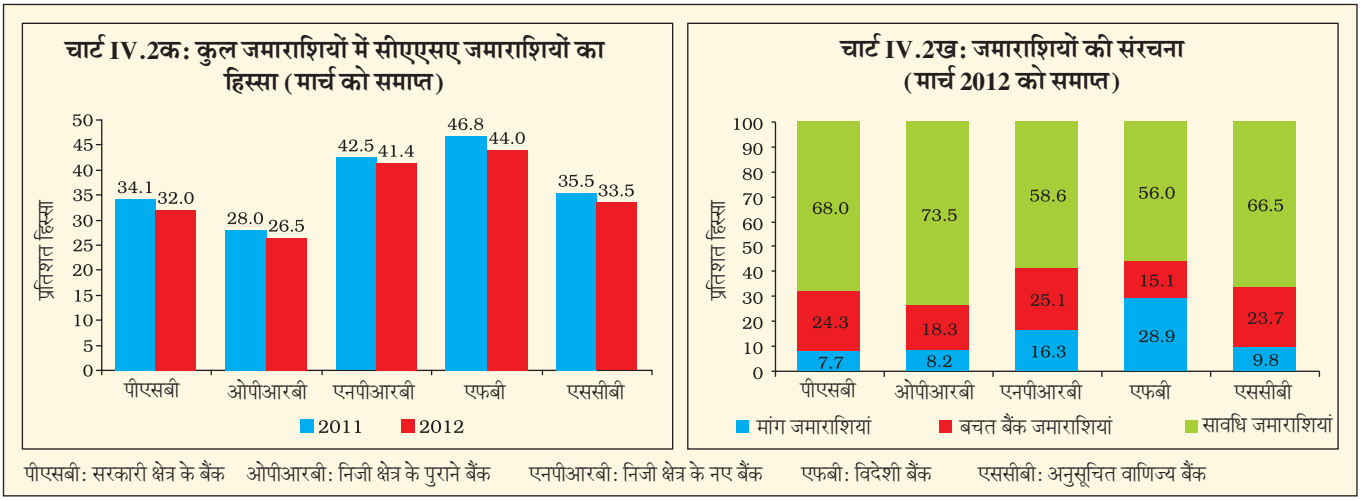

पीएसबी: सरकारी क्षेत्र के बैंक ओपीआरबी: निजी क्षेत्र के पुराने बैंक एनपीआरबी: निजी क्षेत्र के नए बैंक एफबी: विदेशी बैंक एससीबी: अनुसूचित वाणिज्य बैंक

व्यापक आधार की थी जिसमें सभी प्रमुख क्षेत्रों द्वारा ऋण लेने में कमी आयी थी। उद्योग और सेवा क्षेत्र को ऋण, जो कि कुल बैंक ऋण में संयुक्त रूप से दो-तिहाई से अधिक था, में धीमी वृद्धि हुई।

सरकारी प्रतिभूतियों में अधिक निवेश से बैंकों द्वारा जोखिम से बचने की प्रवृत्ति दिख रही थी

4.9 बैंकों के तुलनपत्रों की मुख्य मदों में देखी गयी समग्र नरमी के विपरीत पिछले वर्ष की तुलना में 2011-12 के दौरान निवेश वृद्धि बढ़ गयी। ऋण वृद्धि में गिरावट के विपरीत बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए निवेश में काफी वृद्धि हुई। यह प्रवृत्ति आंशिक रूप से इस बात को दर्शाती है कि दुर्बल समष्टिआर्थिक संभावना और बढ़ती अनर्जक आस्तियों को ध्यान में रखते हुए बैंकों ने जोखिम से बचते हुए अपनी निधि को अधिक सुरक्षित लिखत में रखना पसंद किया।

एसएलआर से भिन्न लिखतों में निवेश में गिरावट

4.10 मार्च 2012 के अंत में, बैंकों द्वारा एसएलआर से भिन्न लिखत में निवेश में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आयी जिसका कारण शेयरों और म्यूचुअल फंड में निवेश में कमी आना था। म्यूचुअल फंड में निवेश में कमी आने का आंशिक कारण म्यूचुअल फंड की अल्पकालिक ऋण योजनाओं/चलनिधि में बैंकों के एक्सपोज़र को नियंत्रित करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक द्वारा नीति को कड़ा करना हो सकता है। किंतु वाणिज्यिक पत्रों में बैंकों के निवेश में तेज वृद्धि हुई (सारणी IV.3)।

सारणी IV.3: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के गैर-एसएलआर निवेश

(राशि ₹ बिलियन में)

लिखत	23 मार्च 2012 की स्थिति	पिछले वर्ष की तदनरूपी अवधि की तुलना में वृद्धि	21 सितंबर 2012 की स्थिति	पिछले वर्ष की तदनरूपी अवधि की तुलना में वृद्धि
1	2	3	4	5
1 वाणिज्यिक पत्र	**196 (7.2)**	**59.2**	**357 (10.9)**	**90.6**
2 शेयर	**402 (14.8)**	**-12.0**	**426 (13.2)**	**-1.4**
क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	72		76	
ख) जिसमें से, निजी कंपनी क्षेत्र	301		318	
ग) सरकारी वित्तीय संस्थाएं	23.8		25	
घ) अन्य	5.2		7	
3 बांड / डिबेंचर	**1,861 (68.7)**	**11.5**	**2,002 (61.2)**	**15.5**
क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	412		341	
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	741		884	
ग) सरकारी वित्तीय संस्थाएं	359		342	
घ) अन्य	349		435	
4 यूटीआई की इकाइयां/ अन्य म्यूच्युअल फंड	**251 (9.3)**	**-47.2**	**485 (14.8)**	**-26.8**
कुल निवेश (1 से 4)	**2,710 (100.0)**	**-0.6**	**3,270 (100.0)**	**8.4**

टिप्पणी : आंकड़ों का पूर्णांकन ₹ बिलियन में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घटबढ़ हो सकती है।

स्रोत: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रस्तुत खंड 42 (2) की विवरणियां।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं और आस्तियां

कुल अंतरराष्ट्रीय देयताओं में कम वृद्धि हुई, वहीं अंतरराष्ट्रीय आस्तियों में उच्च वृद्धि दर्ज हुई

4.11 2010-11 में, बैंकों की कुल अंतरराष्ट्रीय देयताएं पिछले वर्ष की तुलना में कम दर पर बढ़ीं जिसका मुख्य कारण देशी बैंकों द्वारा जारी एडीआर/जीडीआर में कमी आने के कारण अन्य देयताओं में कमी आना था। किंतु, अनिवासी बाह्य रुपया जमाराशि के माध्यम से हुए अंतर्वाहों में वृद्धि हुई जिसका कारण अनिवासी बाह्य खातों के तहत की बचत जमाराशि और मीयादी जमाराशि - दोनों पर ब्याज दरों को अविनियमित करने के कारण अनिवासी बाह्य मीयादी जमाराशि के तहत की ब्याज दर में वृद्धि होना हो सकता है (सारणी IV.4)।

4.12 इसके विपरीत, बैंकिंग क्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय आस्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 2011-12 में उच्च वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण निवासियों को विदेशी मुद्रा ऋण और नोस्त्रो शेष थे (सारणी IV.5)।

समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों में उच्च वृद्धि हुई

4.13 पिछले वर्ष की प्रवृत्ति को जारी रखते हुए 2011-12 में कुल समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों में उच्च वृद्धि हुई। किंतु कुल अंतरराष्ट्रीय दावों की अवधिपूर्णता (अवशिष्ट)-वार और क्षेत्र-वार संरचना में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ (सारणी IV.6)। भारत से भिन्न देशों पर बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय

सारणी IV.4: बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं - प्रकारानुसार

(₹ बिलियन)

देयताओं का प्रकार	बकाया राशि (मार्च अंत की स्थिति)		प्रतिशत में घटबढ़	
	2011	2012	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1. जमा और उधार	**3,782 (72.5)**	**4,472 (79.0)**	**11.7**	**18.2**
जिसमें से:				
क) विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक ढएफसीएनआर (बी) ज्योजना	774 (14.8)	805 (14.2)	7.2	4.0
ख) विदेशी मुद्रा उधार *	954 (18.3)	1,100 (19.4)	28.3	15.3
ग) अनिवासी बाह्य रुपया (एनआरई) खाता	1,212 (23.2)	1,626 (28.7)	-0.9	34.1
घ) अनिवासी साधारण (एनआरओ)रुपया जमा	411 (7.9)	532 (9.4)	33.2	29.6
2. प्रतिभूति/बांड के अपने निर्गम	**46 (0.9)**	**56 (1.0)**	**-15.9**	**23.0**
3. अन्य देयताएं	**1,387** (26.6)	**1,133** (20.0)	**28.2**	**-18.3**
जिसमें से:				
क) एडीआर / जीडीआर	347 (6.7)	271 (4.8)	14.2	-21.8
ख) अनिवासियों के पास बैंकों की इक्विटीज	732 (14.0)	536 (9.5)	45.4	-26.8
ग) भारत स्थित विदेशी बैंकों की पूंजी/प्रेषण योग्य लाभ और अन्य अवर्गीकृत अंतरराष्ट्रीय देयताएं	308 (5.9)	326 (5.8)	12.2	5.8
कुल अंतरराष्ट्रीय देयताएं	**5,215 (100.0)**	**5,661 (100.0)**	**15.3**	**8.6**

* भारत में और विदेश से अंतर-बैंक उधार, बैंकों के बाह्य वाणिज्यिक उधार शामिल हैं।

टिप्पणी: 1. कोष्ठक के आंकड़े कुल देयताओं की तुलना में प्रतिशत हैं।
2. एलबीएस (लोकेशनल बैंकिंग सांख्यिकीय) विवरणियों के आधार पर।
3. आंकड़ों का पूर्णांकन ₹ बिलियन में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घटबढ़ हो सकती है।

सारणी IV.5: बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियाँ - प्रकारानुसार

(₹ बिलियन)

आस्तियों के प्रकार	बकाया राशि		प्रतिशत में घटबढ़	
	मार्च 2011	मार्च 2012	2010-11	2011-12
1. ऋण और निवेश	**2,787 (96.8)**	**3,410 (97.3)**	**17.5**	**22.3**
जिसमें से:				
क) अनिवासियों को उधार *	144 (5.0)	156 (4.4)	41.4	8.1
ख) निवासियों को विदेशी मुद्रा उधार **	1,401 (48.6)	1,652 (47.2)	13.4	17.9
ग) निवासियों द्वारा अनिवासियों पर जारी बकाया निर्यात बिल	613 (21.3)	725 (20.7)	21.4	18.3
घ) नोस्त्रो शेष@	624 (21.7)	865 (24.7)	19.6	38.7
2. ऋण प्रतिभूतियों की धारिताएं	**2.0 (0.1)**	**- (0.0)**	**351.3**	**-**
3. अन्य आस्तियाँ @@	**91 (3.2)**	**94 (2.7)**	**0.1**	**2.9**
कुल अंतरराष्ट्रीय आस्तियां	**2,881 (100.0)**	**3,504 (100.0)**	**16.9**	**21.6**

* अनिवासियों की जमाराशियों में से रुपया ऋण और विदेशी मुद्रा ऋण को शामिल किया गया है।

** एफसीएनआर (बी) जमाराशियों मे से दिए गए उधार और विदेशी मुद्रा में पैकिंग ऋण (पीसीएफसी) तथा भारत स्थित बैंकों में जमा राशियां और एफसी उधार आदि।

@ विदेश में किए गए प्लेसमेंट एवं अनिवासी बैंकों के पास शेष मीयादी जमाराशियाँ।

@@ भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं / सहायक संस्थाओं को आपूर्ति की गई पूंजी और उनसे प्राप्त होने वाले लाभ और अन्य अवर्गीकृत अंतरराष्ट्रीय आस्तियां।

टिप्पणी: 1. कोष्ठक के आंकड़े कुल देयताओं की तुलना में प्रतिशत हैं; - शून्य/नगण्य ।
2. एलबीएस (लोकेशनल बैंकिंग सांख्यिकीय) विवरणियों के आधार पर ।
3. आंकड़ों का पूर्णांकन ₹ बिलियन में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घटबढ़ हो सकती है ।
4. - : शून्य/नगण्य।

दावों में वृद्धि में यूएई, हांगकांग, अमरीका, सिंगापुर और यूके का योगदान प्रमुख था (सारणी IV.7)।

ऋण-जमाराशि तथा निवेश-जमाराशि अनुपात

वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात निवेश-जमाराशि अनुपात की तुलना में काफी अधिक बना रहा

4.14 वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात 2011-12 की पहली तीन तिमाहियों में कम हो गया जो कि बैंक ऋण में नरमी दर्शाता है। वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात निजी क्षेत्र के नए बैंकों के संबंध में अधिक था जबकि विदेशी बैंकों में निवेश-जमाराशि अनुपात अधिक था (चार्ट IV.3 और चार्ट IV.4)[1]।

सारणी IV.6 : बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों का वर्गीकरण - परिपक्वता (अवशिष्ट) और क्षेत्रवार

(₹ बिलियन)

अवशिष्ट परिपक्वता / क्षेत्र	बकाया राशि		प्रतिशत में घटबढ	
	मार्च 2011	मार्च 2012	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
कुल समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे	**2,464 (100.0)**	**2,809 (100.0)**	**5.9**	**14.0**
क) परिपक्वता-वार				
1. अल्पावधि (अवशिष्ट परिपक्वता एक वर्ष से कम)	1,539 (62.5)	1,832 (65.2)	6.6	19.0
2. दीर्घावधि (अवशिष्ट परिपक्वता एक वर्ष और ऊपर)	872 (35.4)	924 (32.9)	6.5	5.9
3. अनाबंटित	53 (2.1)	54 (1.9)	-18.8	1.7
ख) क्षेत्रवार				
1. बैंक	1,091 (44.3)	1,286 (45.8)	11.5	17.8
2. गैर-बैंक सार्वजनिक	9 (0.4)	19 (0.7)	-39.7	114.1
3. गैर-बैंक निजी	1,364 (55.4)	1,505 (53.6)	2.2	10.3

टिप्पणियां:

1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।
2. अनाबंटित अवशिष्ट परिपक्वता में परिपक्वता लागू नहीं (अर्थात इक्विटी के लिए) और बैंक शाखाओं से उपलब्ध न करायी गई परिपक्वता सूचना शामिल है।
3. बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी मौद्रिक संस्थाएं (जैसे आईएफसी, ईसीबी आदि) और केंद्रीय बैंक शामिल हैं।
4. मार्च 2005 को समाप्त तिमाही से पूर्व, 'गैर-बैंक सार्वजनिक क्षेत्र' में बैंकों को छोड़कर ऐसी कंपनियां/संस्थाएं शामिल थीं जिनमें राज्य / केंद्र सरकार और उसके विभागों सहित राज्य/केंद्र सरकारों की कम-से-कम 51 प्रतिशत शेयर धारिता थी। मार्च 2005 की तिमाही से 'गैर-बैंक सार्वजनिक' क्षेत्र में केवल राज्य/केंद्र सरकार और उनके विभाग शामिल हैं और तदनुसार, बैंकों को छोड़कर अन्य सभी संस्थाएं 'गैर-बैंक निजी क्षेत्र' के अंतर्गत वर्गीकृत किये गये हैं।
5. समेकित बैंकिंग सांख्यिकी विवरणियाँ-निकटवर्ती देशगत जोखिम पर आधारित।
6. आंकड़ों का पूर्णांकन ₹ बिलियन में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घटबढ़ हो सकती है।

सारणी IV.7: भारत को छोड़कर अन्य देशों पर बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे

(₹ बिलियन)

देश	बकाया राशि		प्रतिशत में घटबढ़	
	मार्च 2011	मार्च 2012	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
कुल समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे	**2,464 (100.0)**	**2,809 (100.0)**	**5.9**	**14.0**
जिसमें से:				
1. अमरीका	548 (22.2)	643 (22.9)	3.2	17.2
2. यूनाइटेड किंगडम	344 (13.9)	364 (13.0)	-4.9	6.0
3. हांगकांग	184 (7.5)	220 (7.8)	-3.2	19.5
4. सिंगापुर	185 (7.5)	216 (7.7)	0.6	16.3
5. संयुक्त अरब अमीरात	155 (6.3)	221 (7.9)	14.5	42.8
6. जर्मनी	142 (5.7)	118 (4.2)	16.3	-16.6

टिप्पणियां : 1. आंकड़ों का पूर्णांकन ₹ बिलियन में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घटबढ़ हो सकती है।

2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।

चार्ट IV.3 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के वृद्धिशील सी-डी तथा आई-डी अनुपात

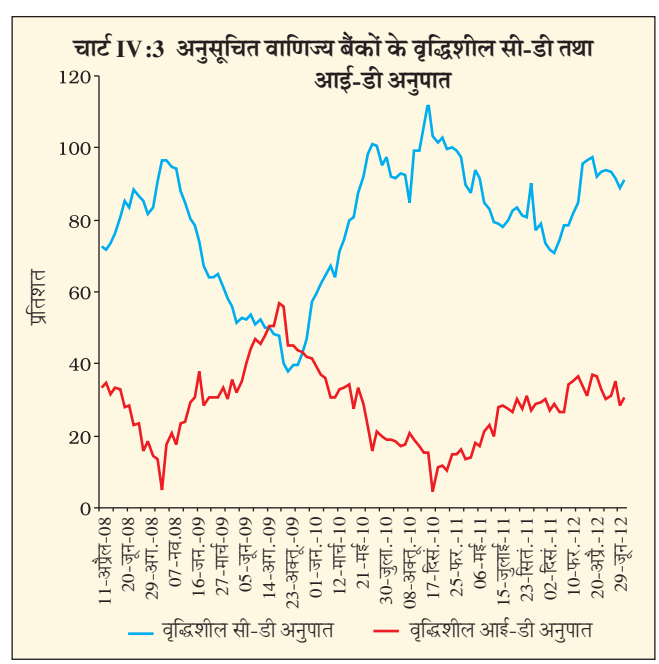

[1] बैंक समूहों के वृद्धिशील ऋण-जमाराशि और निवेश-जमाराशि अनुपात मार्च 2011 के अंत और मार्च 2012 के अंत के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के समेकित तुलनपत्रों से परिकलित किए गए थे।

चार्ट IV.4: बैंक समूह-वार वृद्धिशील सी-डी तथा आई-डी अनुपात (मार्च 2012 को समाप्त)

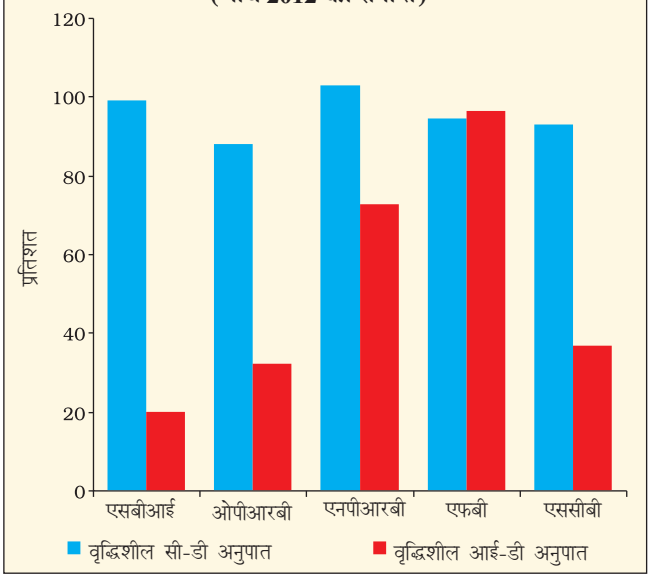

चार्ट IV.5: आस्तियों और देयताओं के परिपक्वता प्रोफाइल में प्रवृत्ति (मार्च को समाप्त)

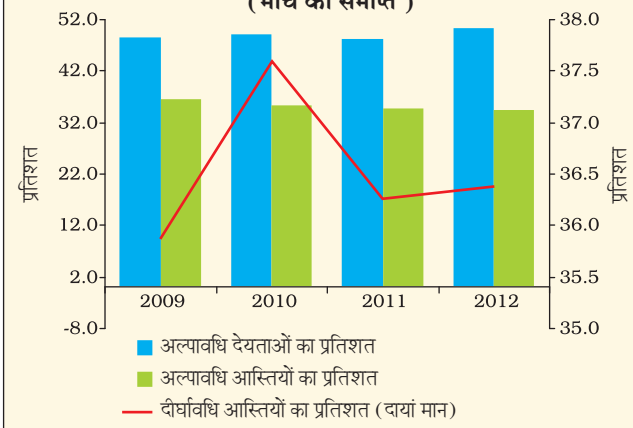

टिप्पणियां: 1. अल्पावधि आस्तियों/देयताओं का प्रतिशत निवेश और अग्रिम/जमाराशियां तथा एक वर्ष तक की परिपक्वता वाले उधार कुल निवेश तथा अग्रिम /जमाराशियां और उधारों के प्रतिशत के रूप में गिना जाता है।

2. दीर्घावधि आस्तियों का प्रतिशत कुल निवेश तथा अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में 3 वर्ष या अधिक परिपक्वतावाले निवेश और अग्रिम हैं ।

आस्तियों और देयताओं का अवधिपूर्णता प्रोफाइल

अवधिपूर्णता का असंतुलन निरंतर बना रहा जिसमें अल्पकालिक देयताओं का अनुपात बढ़ रहा था

4.15 आस्तियों और देयताओं की औसत अवधिपूर्णता प्रोफाइल में निरंतर असंतुलन बने रहना भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए हाल में चिंता का विषय रहा है। अल्पावधि देयता अनुपात 2008 से बढ़ा है। दूसरी ओर, कुल आस्तियों में अल्पकालिक आस्तियों का अनुपात 2008 से कम हो गया है (चार्ट IV.5 और सारणी IV.8)।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्रेतर परिचालन

तुलनपत्रेतर एक्सपोज़रों में लगातार वृद्धि होती रही हालांकि इसकी गति धीमी थी

4.16 हाल के वर्षों में, बैंकों के तुलनपत्रेतर कार्य रिज़र्व बैंक की संवीक्षा के तहत आए हैं, विशेष रूप से इस कारण कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बैंकों के तुलनपत्रेतर एक्सपोज़र में अत्यधिक वृद्धि वैश्विक वित्तीय संकट के मुख्य कारणों में से एक रही है। 2011-12 के दौरान, बैंकों की कुल तुलनपत्रेतर देयताओं (आनुमानिक) में पिछले वर्ष की तुलना में कम वृद्धि हुई। तुलनपत्रेतर एक्सपोज़र के बैंक समूह-वार विश्लेषण से पता चला कि तुलनपत्रीय देयताओं के प्रतिशत के रूप में तुलनपत्रेतर एक्सपोज़र (आनुमानिक) अन्य बैंक समूहों की तुलना में विदेशी बैंकों के संबंध में काफी अधिक था जिसका कारण वायदा संविदा, गारंटी और स्वीकृतियों/अनुसमर्थनों में उनका अधिक एक्सपोज़र था (चार्ट IV.6 और परिशिष्ट सारणी IV.2)।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का वित्तीय निष्पादन

4.17 बैंकों का वित्तीय निष्पादन 2011-12 के दौरान दबाव में आ गया जिसका मुख्य कारण ब्याज दरों में वृद्धि के वातावरण की पृष्ठभूमि में जमाराशि की लागत में वृद्धि होना था। किंतु, सकारात्मक रूप से, बैंक की कार्यकुशलता में सुधार हुआ। लाभप्रदता के दो मुख्य संकेतक, अर्थात इक्विटी पर प्रतिलाभ और आस्ति पर प्रतिलाभ में 2011-12 के दौरान कुछ गिरावट हुई जो बैंकों के निवल लाभ में गिरावट दर्शाता है।

लाभप्रदता

ब्याज व्यय बढ़ने के कारण समेकित निवल लाभ वृद्धि कम हो गई

4.18 कुल आय वृद्धि बढ़ने के बावजूद, बैंकिंग क्षेत्र का समेकित निवल लाभ पिछले वर्ष की तुलना में कम दर पर बढ़ा जिसका मुख्य कारण ब्याज व्यय में तेज वृद्धि होना था।

सारणी IV.8: चुनिदां देयताओं / आस्तियों की बैंक समूह-वार परिपक्वता प्रोफाइल

(मार्च अंत की स्थिति)

(प्रत्येक मद के अंतर्गत कुल का प्रतिशत)

देयताएं / आस्तियाँ	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के पुराने बैंक		निजी क्षेत्र के नए बैंक		विदेशी बैंक		सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. जमाराशियाँ												
क) 1 वर्ष तक	**48.2**	**49.6**	**46.1**	**48.7**	45.3	48.1	46.4	48.9	**63.7**	**61.8**	**48.5**	**50.0**
ख) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	**28.6**	**25.3**	**38.6**	**30.0**	40.6	39.2	37.9	26.6	**27.3**	**29.8**	**30.4**	**26.3**
ग) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	**8.1**	**8.5**	**6.1**	**5.7**	8.5	6.9	5.2	5.2	**8.9**	**8.3**	**7.8**	**8.0**
घ) 5 वर्ष से अधिक	**15.1**	**16.6**	**9.1**	**15.7**	5.6	5.8	10.4	19.3	-	**0.1**	**13.4**	**15.7**
II. उधार राशियां												
क) 1 वर्ष तक	**39.9**	**45.4**	**42.4**	**50.3**	54.5	63.7	41.7	49.2	**78.8**	**84.5**	**46.1**	**52.6**
ख) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	**12.5**	**12.2**	**16.2**	**11.8**	12.5	13.4	16.4	11.7	**14.7**	**9.2**	**13.8**	**11.7**
ग) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	**12.3**	**15.2**	**9.8**	**12.5**	11.4	7.8	9.7	12.9	**2.1**	**2.7**	**10.2**	**12.5**
घ) 5 वर्ष से अधिक	**35.3**	**27.2**	**31.6**	**25.4**	21.6	15.1	32.2	26.2	**4.4**	**3.5**	**29.9**	**23.2**
III ऋण और अग्रिम												
क) 1 वर्ष तक	**36.0**	**34.3**	**37.6**	**35.2**	41.9	44.0	36.3	32.4	**68.1**	**67.4**	**37.8**	**35.9**
ख) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	**36.3**	**37.4**	**36.4**	**37.1**	38.4	36.1	35.8	37.4	**17.0**	**15.5**	**35.4**	**36.3**
ग) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	**10.9**	**11.0**	**11.4**	**11.3**	9.9	9.1	11.9	12.0	**4.2**	**4.5**	**10.7**	**10.8**
घ) 5 वर्ष से अधिक	**16.8**	**17.3**	**14.5**	**16.4**	9.8	10.8	16.0	18.2	**10.7**	**12.5**	**16.1**	**17.0**
IV. निवेश												
क) 1 वर्ष तक	**18.1**	**20.1**	**36.6**	**42.5**	28.7	30.3	38.8	45.7	**79.9**	**76.6**	**27.5**	**30.4**
ख) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	**12.7**	**12.6**	**22.7**	**17.3**	12.2	12.2	25.6	18.6	**14.2**	**12.9**	**15.0**	**13.7**
ग) 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	**14.4**	**14.2**	**10.0**	**9.2**	11.7	13.0	9.5	8.2	**3.4**	**5.2**	**12.4**	**12.2**
घ) 5 वर्ष से अधिक	**54.8**	**53.1**	**30.7**	**31.0**	47.3	44.4	26.1	27.5	**2.5**	**5.3**	**45.0**	**43.7**

टिप्पणी: कुछ नहीं/नगण्य
स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलन-पत्र।

4.19 जमाराशि पर व्यय हुआ ब्याज बैंकों के कुल ब्याज व्यय के तीन-चौथाई से अधिक था। इसके कारण और तुलनात्मक रूप से अधिक लागत वाली जमाराशि के अनुपात में वृद्धि होने के कारण बैंकों की ब्याज लागत बढ़ गयी। इसके अलावा, उच्च ब्याज दर के वातावरण की पृष्ठभूमि में खुदरा जमाराशि की लागत अधिक बढ़ गयी।

चार्ट IV.6: तुलन पत्र देयताओं के प्रतिशत के रूप में तुलनपत्रेतर एक्स्पोज़र (नोशनल)
(मार्च को समाप्त)

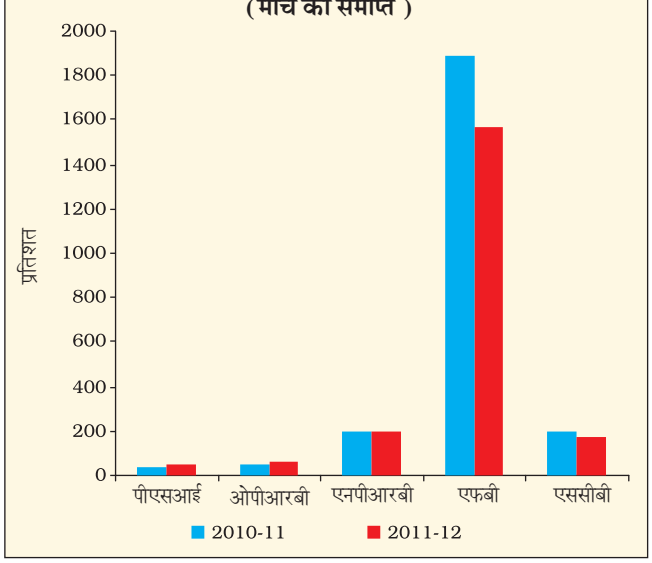

निवल ब्याज मार्जिन कुछ कम हो गयी

4.20 2011-12 के दौरान, बैंकों का निवल ब्याज मार्जिन पिछले वर्ष की तुलना में कुछ कम हो गया जो मुख्यत: ब्याज व्यय में तेज वृद्धि दर्शाती है (सारणी IV.9)।

निवल लाभ में कमी आने के कारण आस्तियों पर प्रतिलाभ और इक्विटी पर प्रतिलाभ कुछ कम हो गया

4.21 2011-12 के दौरान, लाभप्रदता के दो प्रमुख संकेतक - आस्तियों पर प्रतिलाभ और इक्विटी पर प्रतिलाभ पिछले वर्ष की तुलना में कुछ कम हो गया जो मुख्यत: यह दर्शाता है कि ब्याज व्यय में वृद्धि होने से निवल लाभ भी कम हो गया (सारणी IV.10)।

सारणी IV.9: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आय और व्यय की प्रवृत्ति

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	2010-11		2011-12	
	राशि	प्रतिशत घटबढ़	राशि	प्रतिशत घटबढ़
1	2	3	4	5
1. आय	**5,712**	**15.5**	**7,408**	**29.7**
क) ब्याज आय	4,913	18.3	6,551	33.3
ख) अन्य आय	799	0.7	857	7.3
2. व्यय	**5,009**	**14.5**	**6,591**	**31.6**
क) व्यय किया गया ब्याज	2,989	9.9	4,305	44.0
ख) परिचालन व्यय	1,231	23.1	1,371	11.3
जिसमें से : वेतन बिल	727	31.6	780	7.3
ग) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	788	20.8	915	16.1
3. परिचालन लाभ	**1,491**	**22.0**	**1,732**	**16.1**
4. निवल लाभ	**703**	**23.2**	**817**	**16.1**
5. निवल ब्याज आय (1क-2क)	**1,924**	**34.5**	**2,245**	**16.7**
ज्ञापन मद:				
निवल ब्याज मार्जिन (औसत आस्तियों के रूप में एनआईआई)	**2.91**		**2.90**	

नोट: आंकड़ों का पूर्णांकन ₹ बिलियन में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घटबढ़ हो सकती है ।

स्रोत: संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखे।

बैंक समूह की आस्तियों पर प्रतिलाभ और इक्विटी पर प्रतिलाभ का अधिक विस्तृत विश्लेषण बॉक्स IV.1 में दिया गया है।

कार्यकुशलता

आय अनुपात की लागत के अनुसार निर्धारित परिचालनात्मक कार्यकुशलता में सुधार हुआ

4.22 2011-12 के दौरान, लागत-आय अनुपात[2] के संदर्भ में बैंकों की परिचालनात्मक कार्यकुशलता में सुधार हुआ। कार्यकुशलता के अन्य संकेतक, निवल आय मार्जिन में कुछ गिरावट आई अर्थात वित्तीय मध्यस्थता लागत कम हो गई (चार्ट IV.7)।

निधि पर प्रतिलाभ/लागत

निधि लागत वृद्धि के कारण बैंकों का स्प्रेड कम हो गया

4.23 2011-12 के दौरान, बैंकों के लिए निधि की लागत और साथ ही उसपर प्रतिलाभ में वृद्धि हुई। किंतु निधि की लागत में अधिक वृद्धि होने के कारण स्प्रेड में कमी आ गयी। बैंक समूह

सारणी IV.10: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्तियों पर प्रतिफल तथा इक्विटी पर प्रतिफल - बैंक समूह-वार

(प्रतिशत)

	बैंक समूह/वर्ष	आस्तियों पर प्रतिफल		इक्विटी पर प्रतिफल	
		2010-11	2011-12	2010-11	2011-12
	1	2	3	4	5
1	**सरकारी क्षेत्र के बैंक**	**0.96**	**0.88**	**16.90**	**15.33**
	1.1 राष्ट्रीयकृत बैंक*	1.03	0.88	18.19	15.05
	1.2 एसबीआई समूह	0.79	0.89	14.11	16.00
2	**निजी क्षेत्र के बैंक**	**1.43**	**1.53**	**13.70**	**15.25**
	2.1 निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	1.12	1.20	14.11	15.18
	2.2 निजी क्षेत्र के नए बैंक	1.51	1.63	13.62	15.27
3	**विदेशी बैंक**	**1.75**	**1.76**	**10.28**	**10.79**
	सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**1.10**	**1.08**	**14.96**	**14.60**

टिप्पणियां: 1. समूह के लिए आस्तियों पर प्रतिलाभ समूह में एकल बैंकों की आस्तियों पर प्रतिलाभ के भारांकित औसत के रूप में लिया गया है, जो कि समूह की कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल आस्तियों का अनुपात है।

2. इक्विटी पर प्रतिफल = चालू और पिछले वर्ष के लिए पूंजी और आरक्षित निधि और अधिशेष का निवल लाभ / औसत।

3. * राष्ट्रीकृत बैंकों में आईडीबीआई बैंक लि.शामिल है ।

स्तर पर, निधि की लागत विदेशी बैंकों के मामले में कम थी जिसका आंशिक कारण विदेशी बैंकों की कुल जमाराशि में चालू खाता और बचत खाता जमाराशि का अनुपात अधिक होना था (सारणी IV.11 और चार्ट IV.8)।

4. सुदृढ़ता संकेतक

4.24 भारत स्थित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक 1 अप्रैल 2009 से मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार बासल II अनुपालक बन गए हैं। बासल II के उन्नत स्तर में अंतरण के लिए रिज़र्व बैंक ने दिशानिर्देशों का अलग सेट जारी किया और बैंकों द्वारा बासल II के उन्नत स्तर में अंतरण के लिए किए गए आवेदन रिज़र्व बैंक में जांच के विभिन्न स्तरों पर हैं। इस प्रक्रिया के समानांतर, रिज़र्व बैंक ने मई 2012 में बासल III लागू करने के लिए अंतिम दिशानिर्देश तैयार किए। रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देश 1 जनवरी 2013 से लागू होंगे। इस पृष्ठभूमि में, भारतीय बैंकों की विद्यमान पूंजी-स्थिति और सुदृढ़ता संकेतकों की जांच करना महत्त्वपूर्ण है ताकि बैंकों द्वारा अधिक उन्नत विनियामक स्तरों में अंतरित होने के लिए उनकी तैयारी का आकलन किया जा सके।

[2] कुल आय के प्रतिशत के रूप में परिचालन व्यय के रूप में गणना की गयी।

बॉक्स IV.1: भारतीय बैंकों की लाभप्रदता किससे प्रभावित होती है?: बैंक समूहों के लिए डू पॉन्ट विश्लेषण

बैंकों की लाभप्रदता से अनेक बातों की सुविधा हो जाती है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पूंजी बाजार से संसाधन जुटाने की बैंकों की क्षमता में वृद्धि होना और अनर्जक आस्तियों का बेहतर प्रबंधन शामिल हैं। इसके अलावा, बैंकों की अधिक लाभप्रदता से वित्तीय समावेशन प्रक्रिया के विस्तार की उनकी क्षमता में वृद्धि होती है। उदारीकरण से पहले की अवधि के दौरान, भारत में बैंक अधिक कड़े विनियमन के माहौल में कार्य कर रहे थे। उदारीकरण के बाद, भारतीय बैंक ब्याज दर उदारीकरण के संदर्भ में कम विनियमन, आरक्षित निधि की अपेक्षाओं में कमी और प्रवेश के संबंध में विनियमन हटने के वातावरण में कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही, जटिल वित्तीय उत्पादों के अविष्कार से, हाल के वर्षों में बैंकों का कारोबार पारंपरिक वित्तीय मध्यस्थता प्रक्रिया से आगे निकल चुका है। इसके अतिरिक्त, बैंकों के तुलनपत्रेतर एक्सपोज़र में हाल के वर्षों में काफी वृद्धि हुई। इस पृष्ठभूमि में, भारतीय बैंकों की लाभप्रदता के मुख्य स्रोत का विश्लेषण महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

हाल के वर्षों में, बैंक समूहों के बीच लाभप्रदता में काफी अंतर था। यह देखा गया था कि सामान्यत: विदेशी बैंकों की लाभप्रदता अन्य बैंक समूहों की तुलना में अधिक थी। भारतीय बैंकों की लाभप्रदता के संबंध में पहले किए गए कुछ अध्ययनों के अनुसार विदेशी बैंकों की लाभप्रदता अधिक होने का कारण कम लागत की चालू खाता और बचत खाता जमाराशियों तक उनकी पहुंच, आय में विविधता और उच्च 'अन्य आय' कहा जा सकता है। 2011-12 के दौरान, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कुल निवल लाभ में विदेशी बैंकों का हिस्सा लगभग 12 प्रतिशत था। इसके विपरीत, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों में उनका हिस्सा 7 प्रतिशत था (चार्ट 1.क और 1.ख)

बैंक समूहों में लाभप्रदता के स्रोत को समझने के लिए 2011-12 के बैंक समूह-वार आंकड़ों के आधार पर इक्विटी पर आय विश्लेषण और डू पॉन्ट विश्लेषण किए गए। इक्विटी पर आय का विश्लेषण बैंकों की लाभप्रदता को दो घटकों में बांटता है अर्थात, जैसे कि आस्तियों पर आय और लीवरेज से देखी गयी बैंक आस्तियों की लाभप्रदता और कुल औसत इक्विटी की तुलना में कुल औसत आस्तियों के अनुपात से देखी गयी लाभप्रदता। इसके अलावा, इक्विटी पर

चार्ट 1.क: औसत कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में निवल लाभ

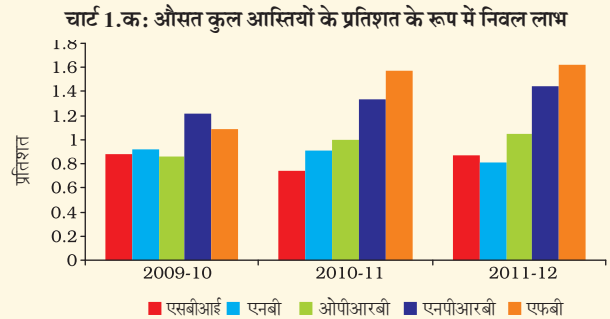

चार्ट 1.ख: कुल आस्तियों में बैंकों के हिस्से की तुलना में उनकी लाभप्रदता (2011-12)

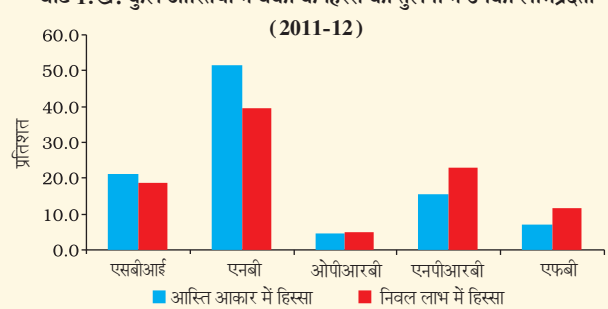

सारणी 1.1: लाभप्रदता का इक्विटी पर आय विश्लेषण: 2011-12

बैंक समूह	इक्विटी पर आय	आस्तियों की लाभप्रदता	लीवरेज	आस्ति-पूंजी अनुपात
1	2	3	4	5
एसबीआई समूह	16	0.91	17.58	0.07
राष्ट्रीयकृत बैंक	15.05	0.87	17.37	0.4
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	15.18	1.15	13.23	0.35
निजी क्षेत्र के नए बैंक	15.27	1.57	9.72	0.27
विदेशी बैंक	10.79	1.75	6.15	6.95

आय के विभाजन से पता चलता है कि बैंकों की लाभप्रदता का संबंध आस्तियों पर उच्च आय से या उच्च लीवरेज से या दोनों से हो सकता है। ऐसे कुछ अध्ययन किए गए हैं जो कि इक्विटी पूंजी को कम लागत के दीर्घकालिक ऋण से प्रतिस्थापित करके इक्विटी पर अधिक आय प्राप्त करने की संभावना पर ध्यान केंद्रित करके किये गये थे। जहां आस्तियों पर उच्च आय को हमेशा अच्छा माना जाता है, वहीं उच्च लीवरेज अनुपात से बैंक के दुर्बल बनने का जोखिम बढ़ता है।

सारणी 1.1 में दिए गए प्रायोगिक परिणामों से यह बात सामने आती है कि एसबीआई समूह और राष्ट्रीयकृत बैंकों का इक्विटी पर उच्च लाभ उच्च लीवरेज अनुपात से संबंधित था जबकि निजी क्षेत्र के नए बैंकों के लिए इक्विटी पर उच्च लाभ आस्तियों की उच्च लाभप्रदता और निम्न लीवरेज से संबंधित था। बैंक समूहों के बीच, विदेशी बैंकों की आस्तियों पर आय अधिक थी और लीवरेज अनुपात कम था। तुलनपत्रीय आंकड़ों का प्रयोग करके विभिन्न बैंक समूहों के संबंध में की गई गणना के अनुसार, आस्ति-पूंजी अनुपात इक्विटी पर आय अनुपात के निष्कर्षों की पुष्टि करता है। मार्च 2012 के अंत में, विदेशी बैंकों के संबंध में यह अनुपात अधिक था जो कि अन्य बैंक समूहों की तुलना में उनकी पूंजी की बेहतर स्थिति को दर्शाता है।

डू पॉन्ट विश्लेषण बैंकों की लाभप्रदता को दो घटकों में बांटता है, नामत: आस्ति उपयोग और लागत प्रबंधन। आस्ति उपयोग की गणना के लिए कुल आय से ब्याज व्यय, और औसत कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रावधानों/आकस्मिकताओं को घटाया जाता है। औसत कुल आस्ति-परिचालन व्यय अनुपात दर्शाता है कि कोई बैंक अपने संसाधनों को कितने कौशल से प्रयोग में ला रहा है और इस प्रकार यह बैंकों द्वारा लागत प्रबंधन के कौशल को समझने का मानक होता है। बैंकों के बेहतर लाभ का कारण बेहतर आस्ति उपयोग या बेहतर लागत प्रबंधन या एक साथ दोनों हो सकते हैं। नीचे दी गयी सारणी में 2011-12 के लिए बैंकों के संबंध में किए गए डू पॉन्ट विश्लेषण के परिणाम दर्शाए गए हैं।

डू पॉन्ट विश्लेषण के परिणामों के अनुसार, बैंक समूहों के बीच विदेशी बैंकों की आस्तियों पर आय सर्वाधिक थी जिसका मुख्य कारण बेहतर आस्ति उपयोग था, हालांकि उनका आस्ति-परिचालन व्यय अनुपात भी अन्य बैंक समूहों की तुलना में अधिक था। यह परिणाम पुरानी बात की पुष्टि करता है कि विदेशी बैंकों की उच्च लाभप्रदता का कारण बेहतर निधि प्रबंधन प्रथा हो सकता है।

सारणी 2: लाभप्रदता का डू पॉन्ट विश्लेषण: 2011-12

बैंक समूह	आस्तियों पर आय	लागत प्रबंधन
1	2	3
एसबीआई समूह	2.85	1.94
राष्ट्रीयकृत बैंक	2.35	1.48
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	3.06	1.91
निजी क्षेत्र के नए बैंक	3.81	2.24
विदेशी बैंक	4.27	2.52

चार्ट IV.7: दक्षता सूचकांक की प्रवृत्ति

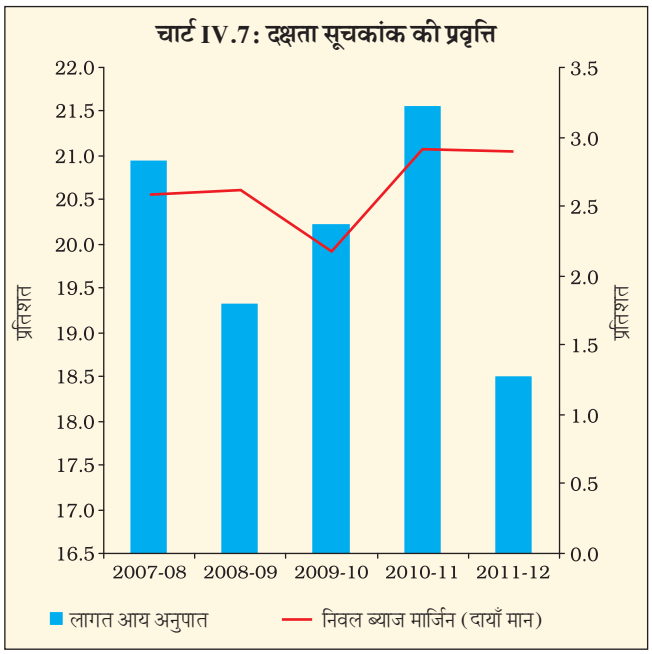

पूंजी पर्याप्तता

बासल I और II के तहत सीआरएआर निर्धारित मानदंडों से पर्याप्त अधिक रहा

4.25 जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी का अनुपात 2011-12 के दौरान पूरी प्रणाली और सभी बैंक समूहों के संबंध में निर्धारित 9 प्रतिशत से पर्याप्त अधिक रहा जो दर्शाता है कि भारतीय बैंकों की पूंजी-स्थिति अच्छी थी। इसके अलावा, प्रणाली स्तर पर सीआरएआर (बासल II) में पिछले वर्ष की तुलना में कुछ सुधार हुआ (सारणी IV.12)।

टियर I पूंजी बैंकों की पूंजी निधि के 70 प्रतिशत से अधिक थी

4.26 पूंजी निधि के घटक-वार विश्लेषण से पता चलता है कि भारतीय बैंकों की टियर I पूंजी बासल I और बासल II के तहत

सारणी IV.11: निधियों की लागत और निधियों पर प्रतिफल - बैंक समूह-वार

(प्रतिशत)

क्र. सं.	बैंक समूह /वर्ष	जमा की लागत	उधार की लागत	निधि की लागत	अग्रिमों पर प्रतिफल	निवेश पर प्रतिफल	निधि पर प्रतिफल	अंतर
1	2	3	4	5	6	7	8	9= (8-5)
1	**सरकारी क्षेत्र के बैंक**							
	2010-11	**5.12**	**2.28**	**4.89**	**9.09**	**6.80**	**8.41**	**3.52**
	2011-12	**6.36**	**2.81**	**6.06**	**10.30**	**7.54**	**9.52**	**3.46**
1.1	राष्ट्रीयकृत बैंक*							
	2010-11	5.13	2.36	4.93	9.21	6.83	8.49	3.56
	2011-12	6.51	2.78	6.22	10.32	7.44	9.49	3.27
1.2	भारतीय स्टेट बैंक समूह							
	2010-11	5.09	2.14	4.79	8.84	6.72	8.22	3.43
	2011-12	5.97	2.85	5.66	10.26	7.78	9.59	3.93
2	**निजी क्षेत्र के बैंक**							
	2010-11	**4.97**	**2.33**	**4.56**	**9.65**	**6.53**	**8.55**	**3.99**
	2011-12	**6.43**	**2.92**	**5.84**	**10.99**	**7.26**	**9.69**	**3.85**
2.1	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक							
	2010-11	5.63	2.24	5.50	10.42	6.20	8.98	3.48
	2011-12	7.24	4.34	7.10	11.98	7.37	10.47	3.37
2.2	निजी क्षेत्र के नए बैंक							
	2010-11	4.73	2.33	4.27	9.41	6.62	8.42	4.15
	2011-12	6.14	2.81	5.45	10.69	7.23	9.46	4.01
3	**विदेशी बैंक**							
	2010-11	**3.30**	**2.56**	**3.11**	**8.75**	**7.39**	**8.11**	**5.00**
	2011-12	**4.34**	**2.60**	**3.83**	**9.61**	**8.10**	**8.91**	**5.08**
4	**सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक**							
	2010-11	**5.01**	**2.33**	**4.73**	**9.18**	**6.79**	**8.42**	**3.69**
	2011-12	**6.28**	**2.81**	**5.90**	**10.40**	**7.53**	**9.52**	**3.62**

टिप्पणियां: 1. जमा की लागत = जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज / चालू और पिछले वर्ष की जमाराशियों का औसत।
2. उधारों की लागत = उधारों पर प्रदत्त ब्याज / चालू और पिछले वर्ष के उधारों का औसत।
3. निधियों की लागत = (जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज +उधारों पर अदा किया गया ब्याज) / (चालू और पिछले वर्ष की जमाराशियों + उधारों का औसत)।
4. अग्रिमों पर प्रतिलाभ = अग्रिमों पर अर्जित ब्याज / चालू और पिछले वर्ष के अग्रिमों का औसत।
5. निवेशों पर प्रतिलाभ = निवेश पर अर्जित ब्याज / चालू और पिछले वर्ष के निवेशों का औसत।
6. निधियों पर प्रतिलाभ = (अग्रिमों पर अर्जित ब्याज + निवेशों पर अर्जित ब्याज) / (चालू और पिछले वर्ष के अग्रिमों + निवेशों का औसत)।
7. *: *आईडीबीआई बैंक लि. शामिल है।

स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलन पत्रों से परिकलित।

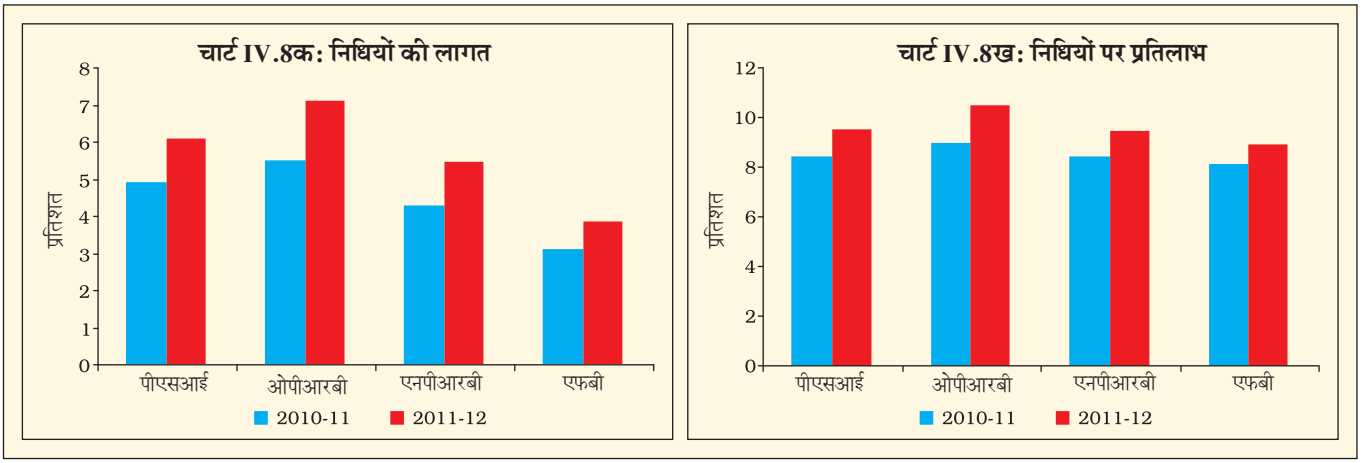

उनकी कुल पूंजी के 70 प्रतिशत से अधिक थी। मार्च 2012 के अंत में, कोर सीआरएआर न्यूनतम 6 प्रतिशत के निर्धारण से काफी अधिक था (सारणी IV.13)।

सरकारी क्षेत्र के अधिकतर बैंकों ने 8 प्रतिशत से अधिक का टियर I पूंजी पर्याप्तता अनुपात रिपोर्ट किया

4.27 मार्च 2012 के अंत में, सरकारी क्षेत्र के अधिकतर बैंकों का टियर I पूंजी पर्याप्तता अनुपात 8 से 12 प्रतिशत के दायरे में था (चार्ट IV.9)।

सारणी IV.12: बासेल I और II के अंतर्गत जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात - बैंक समूह-वार
(मार्च अंत की स्थिति)

(प्रतिशत)

मद	बासेल I		बासेल II	
बैंक समूह	2011	2012	2011	2012
1	2	3	4	5
सरकारी क्षेत्र के बैंक	**11.78**	**11.88**	**13.08**	**13.23**
राष्ट्रीयकृत बैंक*	12.15	11.84	13.47	13.03
भारतीय स्टेट बैंक समूह	11.01	11.97	12.25	13.70
निजी क्षेत्र के बैंक	**15.15**	**14.47**	**16.46**	**16.21**
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	13.29	12.47	14.55	14.12
निजी क्षेत्र के नए बैंक	15.55	14.90	16.87	16.66
विदेशी बैंक	**17.71**	**17.31**	**16.97**	**16.74**
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**13.02**	**12.94**	**14.19**	**14.24**

टिप्पणी : *: आईडीबीआई बैंक लिमिटेड शामिल है।
स्रोत: बैंकों द्वारा प्रस्तुत ऑफ साइट विवरणियों पर आधारित ।

सारणी IV.13: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की घटकवार पूंजी पर्याप्तता
(मार्च अंत की स्थिति)

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	बासेल I		बासेल II	
	2011	2012	2011	2012
1. पूंजी निधियां (i+ii)	**6,745**	**7,810**	**6,703**	**7,780**
i) टियर I पूंजी	4,765	5,685	4,745	5,672
ii) टियर II पूंजी	1,980	2,124	1,958	2,109
2. जोखिम भारित आस्तियां	**51,807**	**60,375**	**47,249**	**54,623**
3. सीआरएआर (ख के % के रूप में क)	**13.0**	**12.9**	**14.2**	**14.2**
जिसमें से: टियर I	9.2	9.4	10.0	10.4
टियर II	3.8	3.5	4.1	3.9

स्रोत: बैंकों द्वारा प्रस्तुत ऑफ साइट विवरणियों पर आधारित।

लीवरेज अनुपात

लीवरेज अनुपात 4.5 प्रतिशत से काफी अधिक बना रहा

4.28 2011-12 में टियर I पूंजी (बासल II के तहत) के रूप में गणना किया गया लीवरेज अनुपात पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ गया और 4.5 प्रतिशत[3] से ऊपर बना रहा जो कि भारतीय बैंकों की पूंजी की स्थिति में सुधार दर्शाता है। यह बात सीआरएआर (बासल II के तहत) में हुई वृद्धि के अनुरूप ही थी (चार्ट IV.10)

[3] बासल III दिशानिर्देशों के अनुसार, लीवरेज अनुपात के लिए सांविधिक न्यूनतम स्तर 4.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया।

चार्ट IV.9 क: सीआरएआर के अनुसार बैंकों का विभाजन
(मार्च 2012 को समाप्त)

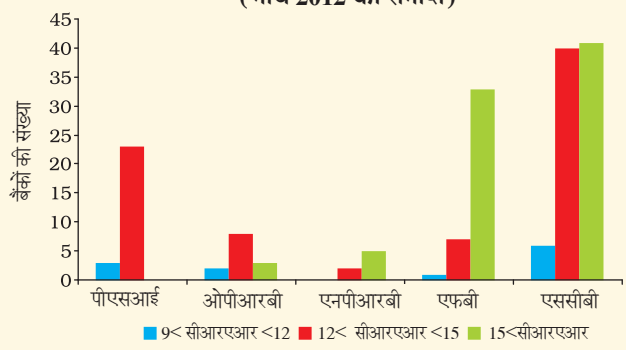

चार्ट IV.9ख: सरकारी क्षेत्र के बैंकों का सीआरएआर
(मार्च 2012 को समाप्त)

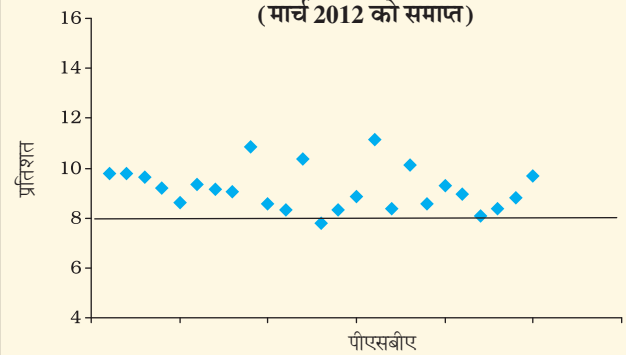

अनर्जक आस्तियां

प्रणाली स्तर पर सकल एनपीए अनुपात में सुधार हुआ जिसका मुख्य कारण सरकारी क्षेत्र के बैंकों की आस्ति गुणवत्ता कम हो जाना था

4.29 2010-11 में बैंकिंग क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता में कमी आना प्रमुख चिंता के रूप में उभरा जिसमें बैंकों के सकल एनपीए में तेज वृद्धि हुई थी। एनपीए में तेज वृद्धि का कारण देशी अर्थव्यवस्था में नरमी और ऋण प्रस्तावों का अपर्याप्त आकलन तथा निगरानी कहा जा सकता है (चार्ट IV.11)।[4]

4.30 सरकारी क्षेत्र के बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में अधिक कमी आयी थी। 2011-12 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों का सकल एनपीए प्रणाली स्तरीय एनपीए की वृद्धि दर से अधिक दर पर बढ़ा (सारणी IV.14 और चार्ट IV.12)।

चार्ट IV.10 : पूंजी पर्याप्तता की प्रवृत्ति
(मार्च 2012 को समाप्त)

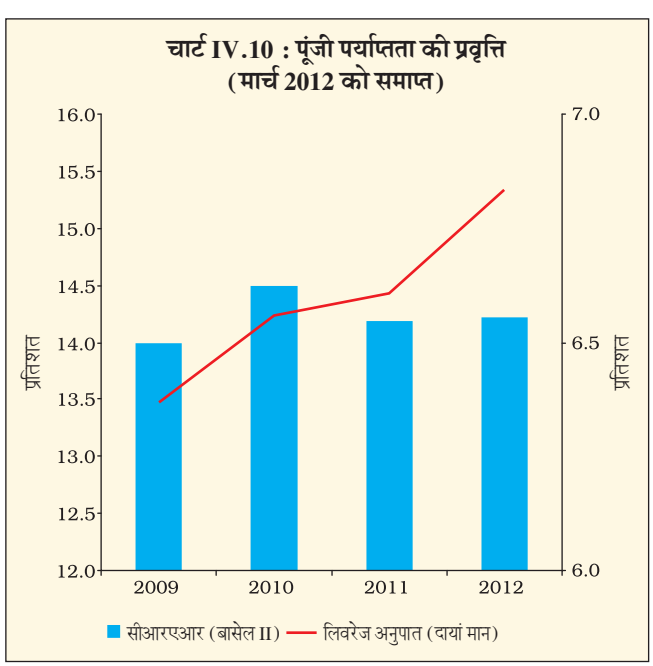

चार्ट IV.11: अग्रिमों की तुलना में एनपीए की वृद्धि दर

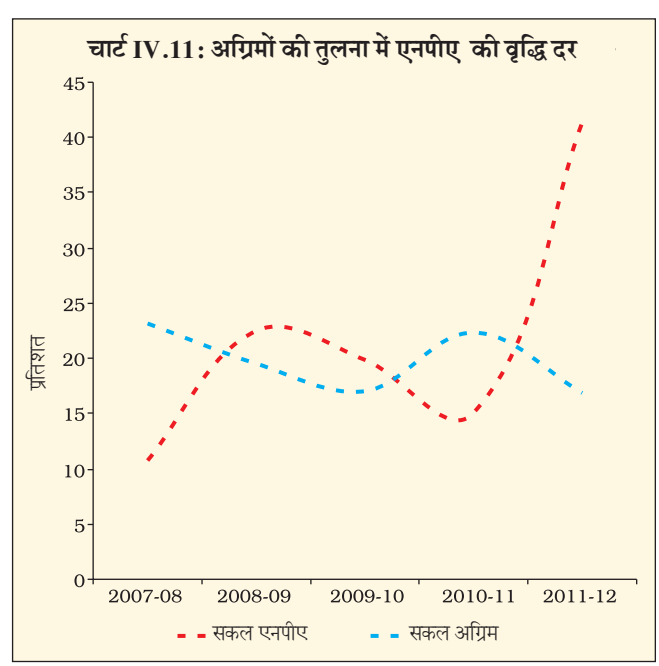

[4] सकल अनर्जक आस्तियों और अग्रिमों की वृद्धि दर की गणना आफसाइट विवरणियों के आधार पर की गई।

सारणी IV.14: अनर्जक आस्तियों की प्रवृत्ति - बैंक समूह-वार

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	सरकारी क्षेत्र के बैंक	राष्ट्रीयकृत बैंक*	भारतीय स्टेट बैंक समूह	निजी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	निजी क्षेत्र के नए बैंक	विदेशी बैंक	अनुसूचित वाणिज्य बैंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सकल एनपीए								
2010-11 के लिए अंतिम शेष	**746**	442	303	**182**	36	145	**50**	**979**
2011-12 का प्रारंभिक शेष	**746**	442	303	**182**	36	145	**50**	**979**
2011-12 के दौरान जोड़	**928**	586	341	**98**	27	71	**45**	**1,071**
2011-12 के दौरान वसूली	**478**	325	152	**73**	20	52	**32**	**585**
2011-12 के दौरान बट्टा खाता डाले गए	**23**	13	10	**19**	1	18	-	**43**
2011-12 का अंतिम शेष	**1,172**	690	482	**187**	42	145	**62**	**1,423**
सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सकल एनपीए**								
2010-11	**2.4**	**2.1**	**3.4**	**2.5**	**1.9**	**2.7**	**2.5**	**2.5**
2011-12	**3.3**	**2.8**	**4.6**	**2.1**	**1.8**	**2.2**	**2.6**	**3.1**
निवल एनपीए								
2010-11 का अंतिम शेष	**360**	212	147	**44**	9	34	**12**	**417**
2011-12 का अंतिम शेष	**591**	389	202	**44**	13	30	**14**	**649**
निवल अग्रिम के प्रतिशत के रूप निवल एनपीए***								
2010-11	**1.2**	1.0	1.7	**0.6**	0.5	0.6	**0.6**	**1.1**
2011-12	**1.7**	1.6	2.0	**0.5**	0.6	0.5	**0.6**	**1.4**

टिप्पणी : 1.*: आईडीबीआई बैंक लि. सहित।
2.**: संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखे से सकल अनर्जक आस्तियों तथा ऑफ साइट विवरणियों से सकल अग्रिमों की गणना की जाती है।
3.***: संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखे से निवल अनर्जक आस्तियों तथा ऑफ साइट विवरणियों से सकल अग्रिम लेकर गणना की गयी है।
4.-: कुछ नहीं/नगण्य

स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलन-पत्र।

चार्ट IV.12: सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सकल एनपीए

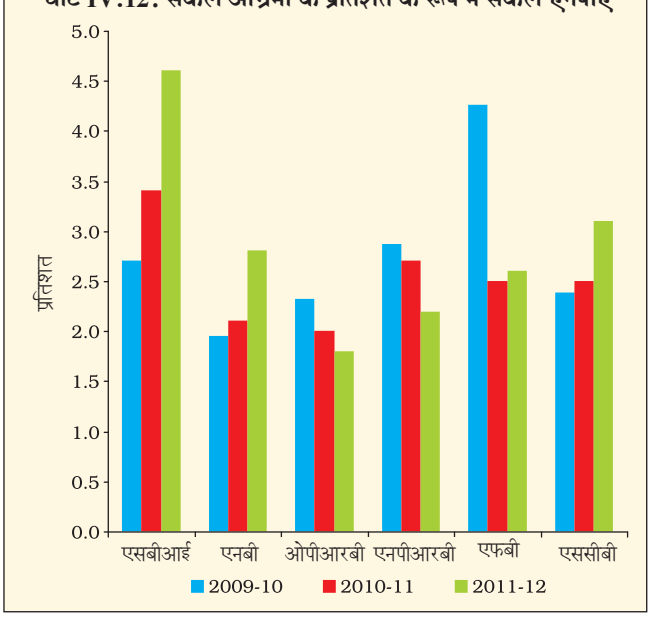

स्लिपेज अनुपात की स्थिति खराब हुई, हालांकि वसूली अनुपात में सुधार हुआ

4.31 प्रणाली स्तर पर सकल एनपीए में वृद्धि होने के अलावा, स्लिपेज अनुपात[5] से पता चलता है कि पिछले वर्ष की तुलना में नए एनपीए में भी वृद्धि हुई है। किंतु एक सकारात्मक बात यह है कि वर्ष के दौरान बैंकिंग क्षेत्र के वसूली अनुपात[6] में सुधार हुआ है। 2011-12 के दौरान, बट्टा खाता अनुपात[7] पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम था (चार्ट IV.13)।

4.32 बैंक समूह स्तर पर, स्लिपेज अनुपात से पता चलता है कि एनपीए में वृद्धि सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के मामले में अधिक थी। किंतु उनका वसूली निष्पादन भी निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में बेहतर था। विभिन्न बैंक समूहों के बीच, निजी क्षेत्र के नए बैंक अपने एनपीए के स्तर को नियंत्रित रखने

[5] स्लिपेज अनुपात को वर्ष के प्रारंभ में मानक आस्तियों के प्रतिशत के रूप में वर्ष के दौरान अनर्जक आस्तियों में हुई नई वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है।
[6] वसूली अनुपात को वर्ष के प्रारंभ में बकाया सकल अनर्जक आस्तियों के प्रतिशत के रूप में वर्ष के दौरान वसूली गई अनर्जक आस्तियों के रूप में परिभाषित किया जाता है।
[7] बट्टा खाता अनुपात को वर्ष के प्रारंभ में बकाया सकल अनर्जक आस्तियों के प्रतिशत के रूप में वर्ष के दौरान बट्टा खाते में डाली गई अनर्जक आस्तियों के रूप में परिभाषित किया जाता है।

चार्ट IV.13: एनपीए से संबंधित महत्त्वपूर्ण अनुपातों की प्रवृत्ति

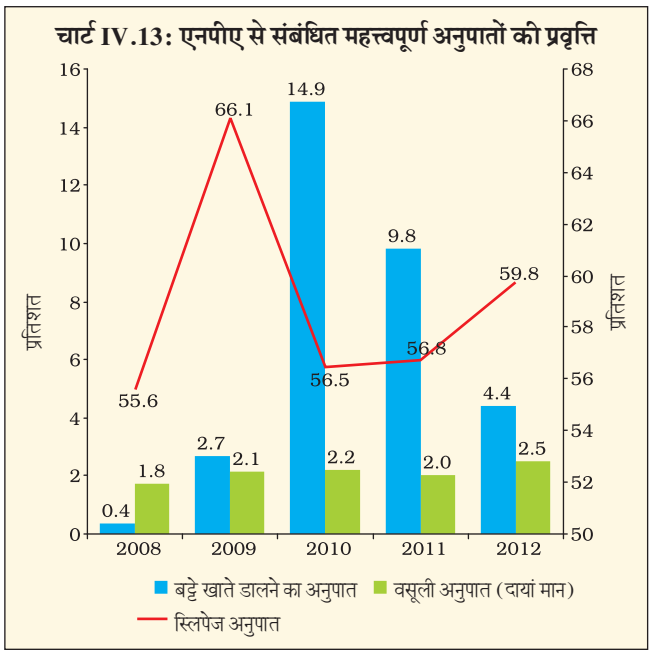

के उपाय के रूप में एनपीए को बट्टे खाते डालने पर अधिक निर्भर थे (चार्ट IV.14)।

पुनर्निर्धारित मानक अग्रिमों में काफी वृद्धि हुई

4.33 हाल के वर्षों में, बढ़ते एनपीए के कारण आस्ति गुणवत्ता का कम होना रोकने के लिए बैंकों द्वारा प्रयोग किया जा रहा एक महत्त्वपूर्ण उपाय अग्रिमों का पुनर्निर्धारण है। देशी अर्थव्यवस्था में नरमी के कारण बैंकों और विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने 2008 में घोषित रिज़र्व बैंक की विशेष राहत योजना के तहत अपने अग्रिमों को पुनर्निर्धारित करने का सक्रिय रूप से सहारा लिया। इस योजना से पुनर्निर्धारण के बाद भी मानक खातों का स्टेटस बनाए रखना बैंकों के लिए आसान रहा। 2011-12 के दौरान सकल एनपीए में तेज वृद्धि के साथ पुनर्निर्धारित अग्रिमों में भी तेज वृद्धि हुई। इसका मुख्य कारण सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विशेष रूप से राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पुनर्निर्धारित किए गए अग्रिमों में तेज वृद्धि होना था (चार्ट IV.15 और IV.16)।

4.34 2011-12 के दौरान, वित्तीय आस्ति प्रतिभूतीकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन (SARFAESI) अधिनियम, ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) और लोक अदालत के माध्यम से वसूले गए एनपीए की कुल राशि में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट आयी। इन चैनलों के माध्यम से वसूली गयी कुल राशि में सरफेसी अधिनियम के माध्यम से वसूली गयी राशि लगभग 70 प्रतिशत थी।

4.35 सरफेसी अधिनियम के माध्यम से अशोध्य ऋणों की पूरी वसूली न होने पर बैंक ऋण वसूली न्यायाधिकरण से संपर्क करते हैं। वर्तमान में, देश में 33 ऋण वसूली न्यायाधिकरण और पांच ऋण वसूली अपीलेट न्यायाधिकरण हैं। इन तीन चैनलों के

चार्ट IV.14: एनपीए से संबंधित बैंक समूह-वार अनुपात (मार्च 2012 को समाप्त)

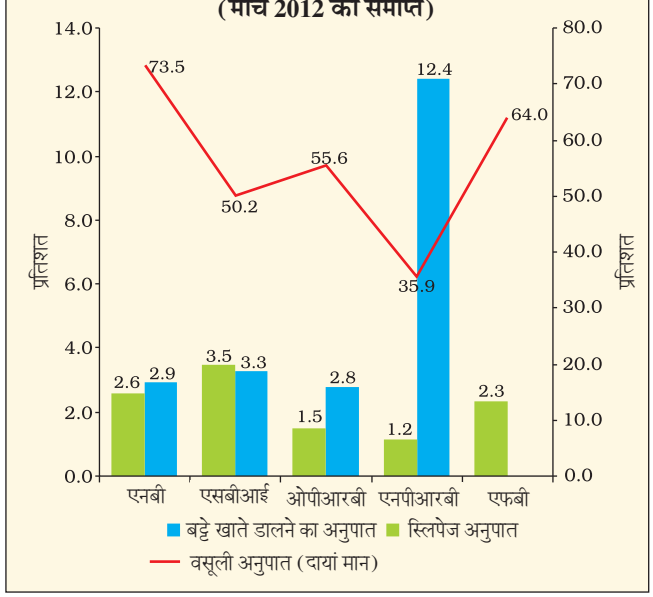

चार्ट IV.15: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में पुनर्गठित अग्रिम (मार्च के अंत में)

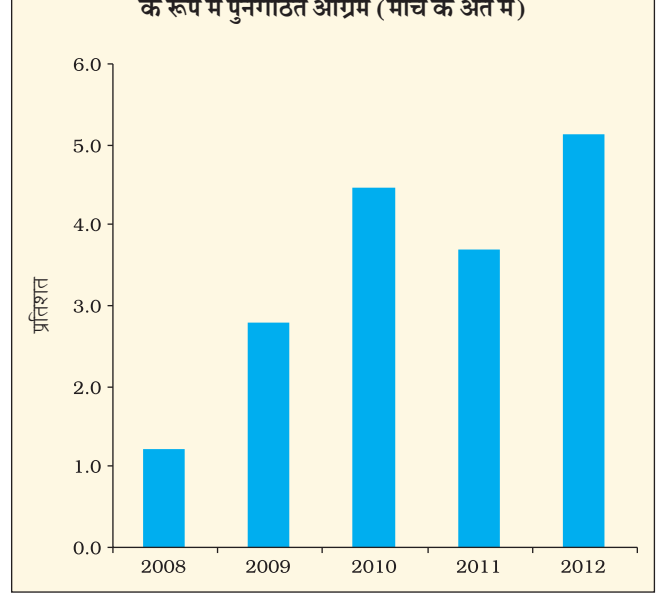

सारणी IV.15: विभिन्न चैनलों के माध्यम से वसूले गए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के एनपीए

(राशि ₹ बिलियन में)

वसूली चैनल	2010-11				2011-12			
	भेजे गए मामलों की संख्या	शामिल राशि	वसूली की राशि*	स्तंभ (3) के % के रूप में स्तंभ (4)	भेजे गए मामलों की संख्या	शामिल राशि	वसूली गई राशि*	स्तंभ (7) के % के रूप में स्तंभ (8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i) लोक अदालत	6,16,018	53	2	3.7	4,76,073	17	2	11.8
ii) डीआरटी	12,872	141	39	27.6	13,365	241	41	17.0
iii) सरफेसी अधिनियम	1,18,642#	306	116	37.9	1,40,991#	353	101	28.6
कुल	**7,47,532**	**500**	**157**	**31.4**	**6,30,429**	**611**	**144**	**23.6**

टिप्पणियाँ: 1. *: दिए गए वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि, जो दिए गए वर्ष के दौरान और पूर्व वर्षों के दौरान भेजे गए मामलों के संबंध में हो सकती है।
2. #: भेजी गई नोटिसों की संख्या

चार्ट IV.16: सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में पुनर्गठित अग्रिम: बैंक समूह-वार (मार्च के अंत में)

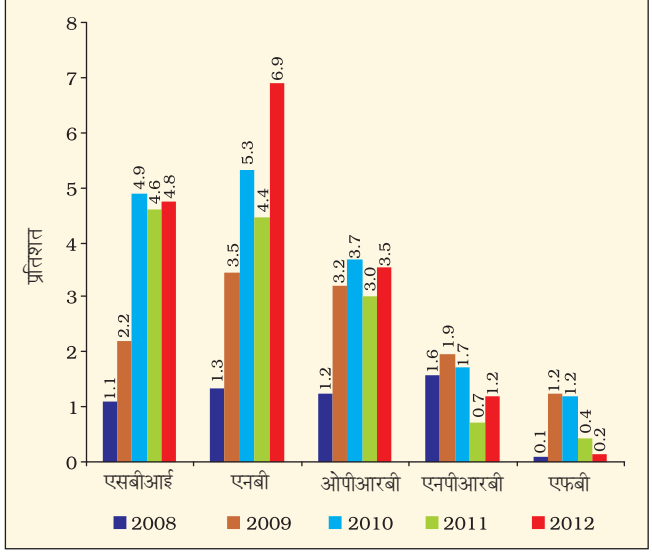

माध्यम से वसूले गए कुल एनपीए में ऋण वसूली न्यायाधिकरण के माध्यम से लगभग 28 प्रतिशत एनपीए की वसूली हुई थी (सारणी IV.15)।

4.36 जून 2012 के अंत में, 14 प्रतिभूतीकरण/ पुनर्गठन कंपनियों द्वारा जारी कुल प्रतिभूति प्राप्तियों में लगभग 70 प्रतिशत अभिदान बैंकों द्वारा किया गया था। सरफेसी अधिनियम के तहत कार्य करने वाली ये कंपनियां बैंकों से एनपीए बट्टाकृत मूल्य पर प्राप्त करती हैं जिससे बैंकिंग क्षेत्र को अपने तुलनपत्रों की स्थिति सुधारने में सहायता मिलती है (सारणी IV.16)।

प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात में गिरावट आयी

4.37 एनपीए में हुई उच्च वृद्धि के अनुरूप कुल प्रावधानीकरण में भी उच्च दर पर वृद्धि होने के बावजूद प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट आयी। इसका मुख्य कारण सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात में गिरावट आना था (सारणी IV.17)।

निवल आस्तियों में काफी वृद्धि हुई

4.38 सकल एनपीए वृद्धि बढ़ने के अनुरूप और प्रावधानीकरण के कम कवरेज के कारण निवल एनपीए में उच्च वृद्धि हुई। निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों की तुलना में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का निवल एनपीए अधिक था (सारणी IV.14 भी देखें)।

सारणी IV.16: एससी/आरसी द्वारा प्रतिभूतिकृत वित्तीय आस्तियों का विवरण

(राशि ₹ बिलियन में)

	मद	मार्च 2012 के अंत में	जून 2012 के अंत में
	1	2	3
1	अर्जित आस्तियों का बही मूल्य	769	805
2	एससी/आरसी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदें	165	167
3	निम्नलिखित के द्वारा अभिदत्त प्रतिभूति रसीदें		
	(अ) बैंक	115	116
	(ब) एससी /आरसी	35	36
	(क) एफआईआई	1	1
	(ड) अन्य (अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेता)	14	15
4	पूरी तरह से शोधित प्रतिभूति रसीदों की राशि	79	82

स्रोत : प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी)/ पुनर्निर्माण कंपनियों (आरसी) द्वारा प्रस्तुत तिमाही विवरण।

सारणी IV.17: अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों की प्रवृत्तियां - बैंक समूह-वार

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	**सरकारी क्षेत्र के बैंक**	राष्ट्रीयकृत बैंक*	भारतीय स्टेट बैंक समूह	**निजी क्षेत्र के बैंक**	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	निजी क्षेत्र के नए बैंक	**विदेशी बैंक**	**अनुसूचित वाणिज्य बैंक**
1	**2**	3	4	**5**	6	7	**8**	**9**
एनपीए के लिए प्रावधान								
मार्च 2011 के अंत में	**366**	212	154	**135**	24	110	**38**	**540**
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**381**	219	161	**56**	8	47	**34**	**472**
घटाएं: बट्टा खाते डाले गए, वर्ष के दौरान अधिक के प्रतिलेखन	**190**	152	38	**51**	7	43	**23**	**264**
मार्च 2012 के अंत में	**558**	279	278	**140**	25	114	**49**	**747**
ज्ञापन: प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (सकल एनपीए की तुलना में बकाया प्रावधानों का अनुपात (प्रतिशत)								
मार्च 2011 के अंत में	**49.0**	47.9	50.7	**74.0**	64.9	75.6	**75.0**	**55.1**
मार्च 2012 के अंत में	**47.6**	40.4	57.7	**74.9**	61.0	78.6	**79.0**	**52.5**

टिप्पणी: *: आईडीबीआई बैंक लि. शामिल है।
स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलन पत्र।

एनपीए अधिक दृढ़ हो गए जिनमें सकल अग्रिमों में अवमानक और संदिग्ध आस्तियों का अनुपात बढ़ रहा है

4.39 एनपीए में वृद्धि के अलावा, कुल सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में अवमानक/संदिग्ध आस्तियों में वृद्धि के रूप में आस्ति गुणवत्ता में कमी आना भी स्पष्ट हो रहा है। कुल सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में इन दो श्रेणियों में वृद्धि होना दर्शाता है कि एनपीए दृढ़ हो गए हैं (सारणी IV.18)।

सारणी IV.18: ऋण आस्तियों का वर्गीकरण - बैंक समूह-वार

(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ बिलियन में)

क्र. सं.	बैंक समूह	वर्ष	मानक आस्तियां		अवमानक आस्तियां		संदिग्ध आस्तियां		हानि आस्तियां	
			राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**सरकारी क्षेत्र के बैंक**	**2011**	**32,718**	**97.8**	**350**	**1.0**	**332**	**1.0**	**65**	**0.2**
		2012	**38,255**	**97.0**	**623**	**1.6**	**490**	**1.2**	**60**	**0.2**
1.1	राष्ट्रीयकृत बैंक**	2011	22,900	**98.1**	218	**0.9**	193	**0.8**	32	**0.1**
		2012	26,910	**97.5**	402	**1.5**	268	**1.0**	21	**0.1**
1.2	भारतीय स्टेट बैंक समूह	2011	9,818	**97.0**	132	**1.3**	139	**1.4**	33	**0.3**
		2012	11,345	**95.9**	221	**1.9**	222	**1.9**	39	**0.3**
2	**निजी क्षेत्र के बैंक**	**2011**	**7,936**	**97.8**	**45**	**0.6**	**108**	**1.3**	**29**	**0.4**
		2012	**9,629**	**98.1**	**52**	**0.5**	**104**	**1.1**	**29**	**0.3**
2.1	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	2011	1,836	**98.0**	13	**0.7**	18	**1.0**	6	**0.3**
		2012	2,287	**98.2**	18	**0.8**	17	**0.7**	7	**0.3**
2.2	निजी क्षेत्र के नए बैंक	2011	6,100	**97.7**	33	**0.5**	90	**1.4**	22	**0.4**
		2012	7,342	**98.1**	34	**0.4**	87	**1.2**	22	**0.3**
3	**विदेशी बैंक**	**2011**	**1,943**	**97.5**	**19**	**0.9**	**21**	**1.1**	**11**	**0.5**
		2012	**2,284**	**97.3**	**21**	**0.9**	**22**	**0.9**	**20**	**0.8**
4.	**अनुसूचित वाणिज्य बैंक**	**2011**	**42,596**	**97.8**	**414**	**0.9**	**461**	**1.1**	**104**	**0.2**
		2012	**50,168**	**97.2**	**695**	**1.3**	**617**	**1.2**	**109**	**0.2**

टिप्पणियाँ: 1. पूर्णांकन के कारण घटक मदों के जोड़ में अंतर हो सकता है।
2. * : सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में।
3. **: आईडीबीआई बैंक लि. शामिल है।
स्रोत: ऑफ साइट विवरणियां।

चार्ट IV.17 क : सकल एनपीए अनुपात (प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र): बैंक समूह-वार

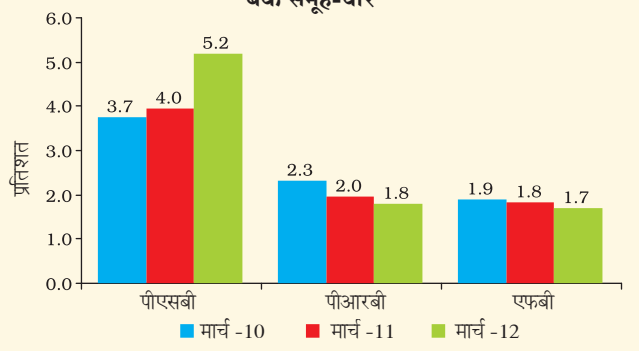

चार्ट IV.17 ख: सकल एनपीए अनुपात (गैर-प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र): बैंक समूह-वार

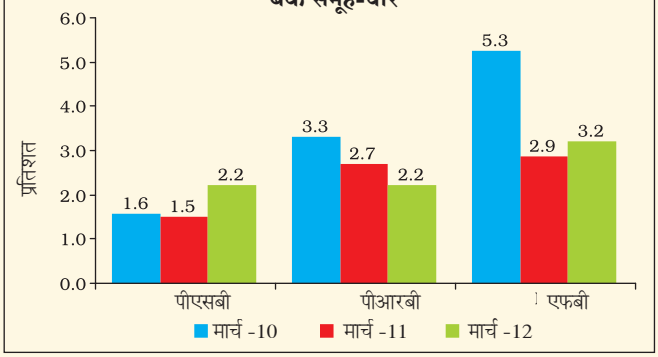

अनर्जक आस्तियों का क्षेत्रवार विश्लेषण[8]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में आयी कमी प्राथमिकताप्राप्त और गैर-प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों तक बढ़ गयी

4.40 सकल अग्रिम-सकल एनपीए अनुपात का बैंक समूह-वार विश्लेषण दर्शाता है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में यह अनुपात प्राथमिकताप्राप्त और गैर-प्राथमिकताप्राप्त दोनों क्षेत्रों तक बढ़ गया। इसके अलावा, सकल अग्रिम-सकल एनपीए अनुपात (प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र) भी अन्य बैंक समूहों की तुलना में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में काफी अधिक था (चार्ट IV.17)।

कुल में से लगभग आधे एनपीए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के थे

4.41 2011-12 के दौरान, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की कुल अनर्जक आस्तियां प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण की वृद्धि दर की तुलना में अधिक दर पर बढ़ीं। किंतु कुल अनर्जक आस्तियों में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र का हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में कम हो गया। बैंक समूहों के बीच, कुल अनर्जक आस्तियों में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र का अनुपात सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में अधिक था।

कुल एनपीए में कृषि क्षेत्र के हिस्से में वृद्धि हुई

4.42 एनपीए के क्षेत्र-वार वर्गीकरण से पता चला कि 2011-12 के दौरान कुल एनपीए में कृषि का हिस्सा कुछ बढ़ गया था। किंतु मंद औद्योगिक निष्पादन के बावजूद, बैंकिंग क्षेत्र के कुल एनपीए में अति लघु और लघु उद्यमों का हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में कम हो गया (चार्ट IV.18 और सारणी IV.19)।

चलनिधि

चलनिधि अनुपात में कुछ गिरावट आयी

4.43 2011-12 में, बैंकों की चलनिधि पर अनेक संरचनात्मक आदि कारकों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जिनमें अन्य के साथ ही जमाराशि वृद्धि दर में गिरावट, आस्ति और देयता की अवधिपूर्णता प्रोफाइल में बढ़ता असंतुलन और दीर्घकालिक

चार्ट IV.18: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के एनपीए की प्रतिशत संरचना (मार्च 2011 और 2012 को समाप्त)

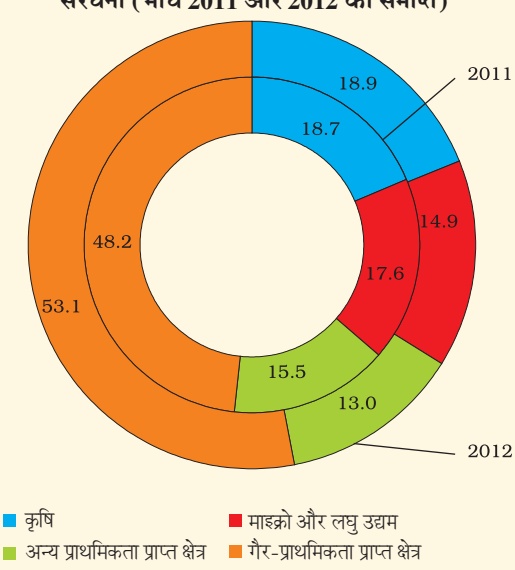

[8] इस खंड का विश्लेषण ऑफसाइट विवरणियों से संग्रहीत आंकड़ों पर आधारित है।

सारणी IV.19: देशी बैंकों का क्षेत्रवार एनपीए*

(राशि ₹ बिलियन में)

बैंक समूह	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		*जिसमें से*						गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		*जिसमें से* सार्वजनिक क्षेत्र		कुल एनपीए	
			कृषि		माइक्रो तथा लघु उद्यम		अन्य							
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
सरकारी क्षेत्र के बैंक														
2011	**413**	**58.1**	**145**	**20.4**	**144**	**20.2**	**124**	**17.5**	**298**	**41.9**	**3**	**0.4**	**711**	**100.0**
2012	**562**	**50.0**	**227**	**20.1**	**178**	**15.9**	**157**	**14.0**	**563**	**50.0**	**32**	**2.9**	**1,125**	**100.0**
राष्ट्रीयकृत बैंक**														
2011	257	59.9	92	21.5	105	24.4	60	14.0	172	40.1	3	0.6	430	100.0
2012	323	48.3	129	19.3	134	20.0	61	9.1	345	51.7	10	1.5	668	100.0
भारतीय स्टेट बैंक समूह														
2011	156	55.3	53	18.7	39	13.9	64	22.7	126	44.7	-	0	281	100.0
2012	239	52.3	98	21.4	45	9.8	97	21.1	218	47.7	22	4.9	457	100.0
निजी क्षेत्र के बैंक														
2011	**48**	**26.8**	**22**	**12.1**	**13**	**7.2**	**14**	**7.5**	**132**	**73.2**	**2**	**0.8**	**180**	**100.0**
2012	**51**	**27.9**	**22**	**11.8**	**17**	**9.4**	**12**	**6.7**	**132**	**72.1**	**0**	**0**	**183**	**100.0**
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक														
2011	16	43.3	4	11.3	6	14.9	6	17.1	21	56.7	2	4.1	37	100.0
2012	18	42.9	6	13.4	7	16.8	5	12.8	24	57.1	0	0	42	100.0
निजी क्षेत्र के नए बैंक														
2011	32	22.6	18	12.3	8	5.2	7	5.1	111	77.4	0	0	143	100.0
2012	33	23.4	16	11.3	10	7.1	7	4.9	108	76.6	0	0	141	100.0
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक														
2011	**461**	**51.8**	**167**	**18.7**	**157**	**17.6**	**138**	**15.5**	**430**	**48.2**	**4**	**0.5**	**891**	**100.0**
2012	**613**	**46.9**	**248**	**19.0**	**195**	**14.9**	**169**	**13.0**	**695**	**53.1**	**32**	**2.5**	**1,308**	**100.0**

टिप्पणी: 1. *: विदेशी बैंक शामिल नहीं।
2. - : शून्य / नगण्य
3. प्रतिशत - कुल एनपीए का प्रतिशत।
4. ** आईडीबीआई बैंक लि. शामिल है।

स्रोत: बैंकों द्वारा प्रस्तुत ऑफ साइट विवरणियों (देशी) पर आधारित।

आधारभूत सुविधा परियोजनाओं के प्रति एक्सपोजर शामिल हैं। कुल आस्तियों में चलनिधि आस्तियों (रिज़र्व बैंक में सीआरआर संबंधी अपेक्षा से अधिक रखी हुई नकदी और शेष, और एक वर्ष तक की अवधिपूर्णता के निवेश और अग्रिम) को बैंकों की चलनिधि की स्थिति की सामान्य माप माना जा सकता है। 2011-12 के दौरान इस अनुपात में कुछ गिरावट आयी।

5. बैंक ऋण का क्षेत्रवार अभिनियोजन

कुल खाद्येतर बैंक ऋण वृद्धि में गिरावट हुई

4.44 2011-12 में कुल खाद्येतर बैंक ऋण वृद्धि में गिरावट आई। यह प्रवृत्ति बैंकों के समेकित तुलनपत्र में ऋण और अग्रिमों की वृद्धि में देखी गयी समग्र नरमी के अनुरूप ही थी। देशी अर्थव्यवस्था का वृद्धि निष्पादन चक्रीय और संरचनात्मक कारकों के कारण मंद रहा जो कि आंशिक रूप से ऋण लेने में नरमी आने का संकेत देता है। 2011-12 में खाद्येतर बैंक ऋण वृद्धि में समग्र गिरावट मुख्यत: उद्योगों को ऋण और सेवाओं को ऋण तथा निजी ऋण के कारण हुई थी।

4.45 अधिकतर निजी ऋणों का स्वरूप दीर्घकालिक होता है, अत: निजी ऋणों में वृद्धि, विशेष रूप से 2011-12 में एनपीए में हुई वृद्धि की पृष्ठभूमि में, बहुत महत्त्वपूर्ण हो जाती है। निजी ऋण की वृद्धि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, पिछले वर्ष की तुलना में 2011-12 में कम हुई। निजी ऋण घटक के अंतर्गत आवास ऋण में कमी आयी (सारणी IV.20)।

बुनियादी सुविधा ऋण की गति धीमी रही

4.46 ऋण वृद्धि में समग्र गिरावट के कारण बुनियादी सुविधा ऋण में भी नरमी रही। मार्च 2012 के अंत में, कुल बुनियादी सुविधा ऋण में बिजली क्षेत्र का हिस्सा आधे से अधिक था (चार्ट IV.19)। इसके साथ ही, बिजली क्षेत्र को ऋण में वृद्धि बुनियादी सुविधा क्षेत्र को हुई ऋण वृद्धि की तुलना में अधिक थी। इसके

सारणी IV.20 : सकल बैंक ऋण का क्षेत्रवार अभिनियोजन

(राशि ₹ बिलियन में)

क्रम सं.	क्षेत्र	को बकाया		प्रतिशत घट-बढ	
		मार्च-11	मार्च-12	2010-11	2011-12
1	**कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां**	**4,603**	**5,226**	**10.6**	**13.5**
2	**उद्योग,** *जिसमें से*	**16,208**	**19,659**	**23.6**	**21.3**
	2.1 मूलभूत सुविधाएं	5,266	6,191	38.6	17.6
	2.2 माइक्रो तथा लघु उद्योग	2,291	2,592	11.0	13.1
3	**सेवाएं**	**9,008**	**10,330**	**23.9**	**14.7**
	3.1 व्यापार	1,863	2,209	13.2	18.6
	3.2 वाणिज्यिक संपदा क्षेत्र	1,118	1,205	21.4	7.8
	3.3 पर्यटन, हॉटेल तथा रेस्तराँ	277	313	42.9	12.9
	3.4 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	151	154	20.3	2.1
	3.5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)	1,756	2,218	54.8	26.3
4	**व्यक्तिगत ऋण**	**6,854**	**7,683**	**17.0**	**12.1**
	4.1 क्रेडिट कार्ड बकाया	181	204	-10.2	12.9
	4.2 शिक्षा	437	502	18.6	14.8
	4.3 आवास (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के आवास सहित)	3,461	3,880	15.0	12.1
	4.4 सावधि जमाराशियों की जमानत पर अग्रिम (एफसीएनआर (बी),एनआरएनआर जमाराशियां आदि सहित)	605	685	24.4	13.2
5	**कुल खाद्येतर सकल बैंक ऋण**	**36,674**	**42,897**	**20.6**	**17.0**
6	**कुल सकल बैंक ऋण**	**37,315**	**43,714**	**20.8**	**17.1**

टिप्पणी: 1. आंकड़ों का पूर्णांकन ₹ बिलियन में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घटबढ़ हो सकती है।
2. बिलियन की संख्याओं के पूर्णांकन के कारण घटकों में अंतर हो सकता है।

स्रोत: बैंक ऋण विवरणी (मासिक) का क्षेत्रवार और औद्योगिक अभिनियोजन।

अलावा, बिजली क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण के बैंक की आस्ति गुणवत्ता पर प्रभाव, और विशेष रूप से इस क्षेत्र में हाल की अवधि में देखी गयी नरमी को ध्यान में रखकर, उसकी निगरानी की आवश्यकता है। इसके अलावा, बुनियादी सुविधा क्षेत्र को ऋण दीर्घकालिक स्वरूप का होने के कारण इससे अवधिपूर्णता संबंधी

चार्ट IV:19: इनफ्रास्ट्रक्चर ऋण की प्रवृत्ति

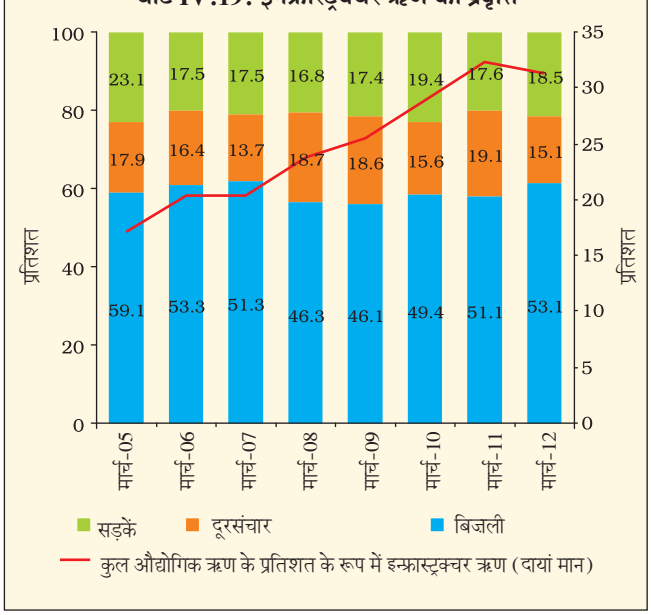

असंतुलन की स्थिति बन सकती है। इसका विस्तृत विश्लेषण बॉक्स IV.2 में दिया गया है।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण

4.47 2011-12 के दौरान, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त अग्रिम समायोजित निवल बैंक ऋण/तुलनपत्रेतर एक्सपोज़र के समतुल्य ऋण राशि, जो भी अधिक हो, के 40 प्रतिशत से कम थे। इसके अलावा, कृषि और दुर्बल घटकों को सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त अग्रिम समग्र स्तर पर क्रमश: 18 प्रतिशत और 10 प्रतिशत से कम थे (सारणी IV.21)।

देशी बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाना चिंता का विषय बना हुआ है

4.48 मार्च 2012 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार के प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र संबंधी बैंक-वार अनंतिम आंकड़े दर्शाते हैं कि सरकारी क्षेत्र के 26 में से 16 बैंक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र संबंधी 40 प्रतिशत का समग्र लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए थे। कृषि

बॉक्स IV.2: बैंकों से बुनियादी सुविधाओं के लिए उधार और आस्ति-देयता असंतुलन: लिंकेज कितना मजबूत है?

भारत जैसे विकासशील देश में, देश की वृद्धि-गति को बनाए रखने में बुनियादी सुविधाओं की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के एप्रोच पेपर के अनुसार, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बुनियादी सुविधा क्षेत्र के लिए अपेक्षित निवेश 45 ट्रिलियन रुपये होगा। इसका अर्थ यह है कि जीडीपी-बुनियादी सुविधा निवेश को 2011-12 के 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 2016-17 तक 10 प्रतिशत करना होगा। किंतु बुनियादी सुविधाओं के विकास संबंधी निवेश का देश के वित्तीय क्षेत्र के लिए विशेष महत्त्व होता है क्योंकि ये निवेश विशेष रूप से एकमुश्त हते हैं और इनमें निवेश के बाद परिणम प्राप्त होने की अवधि बहुत लंबी होती है और इस प्रकार आस्ति देयता असंतुलन पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, बुनियादी सुविधा परियोजनाएं अनेक बार क्रियाविधिक विलंब से प्रभावित होती हैं जिससे उधारदाता को समय पर प्रतिलाभ न मिलने का जोखिम बना रहता है।

पिछले कुछ वर्षों में, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा बुनियादी सुविधा घटक को दिए गए ऋण में 40-43 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अलावा, पिछले कुछ वर्षों में, कुल खाद्येतर सकल बैंक ऋण में बुनियादी सुविधा घटक का हिस्सा लगभग 15 प्रतिशत था। इसके विपरीत पिछले कुछ वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र की अल्पावधि देयताओं में वृद्धि हुई है। आस्ति-देयता असंतुलन, जो कि अल्पकालिक जमाराशि और उधार (एक वर्ष तक की अवधिपूर्णता) के अनुपात और अल्पकालिक ऋण और निवेश (एक वर्ष तक की अवधिपूर्णता) के अनुपात के बीच अंतर से नापा गया था, में भी हाल के वर्षों में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखी (चार्ट 2.1)।

बैंकिंग क्षेत्र के आस्ति देयता असंतुलन पर बुनियादी सुविधा उधार के संभाव्य प्रभाव को समझने के लिए एक प्रतिगमन विश्लेषण किया गया जिसमें आस्ति देयता प्रबंधन को स्वतंत्र चर के रूप में और बुनियादी सुविधा क्षेत्र को दिए

चार्ट 1: आस्ति देयता असंतुलन और बुनियादी सुविधा उधार की प्रवृत्ति

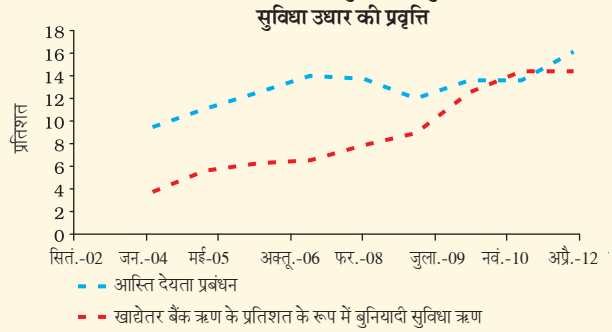

सारणी: प्रतिगमन विश्लेषण के परिणाम

निर्भर चर: आस्ति-देयता प्रबंधन

नमूना अवधि: 2004-012

	सहगुणांक	मानक चूक	टी-स्टैट
अवरोध	30.43	17.27	1.76*
सावधि जमाराशि का अनुपात	-0.31	0.27	-1.14*
बुनियादी सुविधा ऋण का अनुपात	0.38	0.12	3.17**
आर स्क्वेयर	0.68	डरबिन-वाटसन स्टैटिस्टिक: 2.3	
समायोजित आर स्क्वेयर	0.58		

टिप्पणी: 1. *:महत्त्वपूर्ण नहीं
2. **:1 प्रतिशत पर महत्त्वपूर्ण

गए ऋण को कुल खाद्येतर सकल बैंक ऋण के प्रतिशत के रूप में और कुल जमाराशि में सावधि ऋण के अनुपात को स्पष्टीकरणात्मक चर के रूप में माना गया। जहां सावधि जमाराशि में बढ़े हुए अनुपात से तुलनपत्र की स्थिरता में वृद्धि होना और इस प्रकार आस्ति-देयता असंतुलन में कमी आना अपेक्षित है, वहीं बुनियादी सुविधा उधार में वृद्धि से आस्ति-देयता असंतुलन में और वृद्धि होने की संभावना है। विश्लेषण के प्रायोगिक परिणामों को सारणी 2.1 में प्रस्तुत किया गया है।

उक्त परिणामों से यह देखा जा सकता है कि कुल खाद्येतर सकल बैंक ऋण में बुनियादी सुविधा ऋण का अनुपात आस्ति-देयता असंतुलन से सकारात्मक रूप से सहसंबंधित है और यह सहसंबंध सांख्यिकीय दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। किंतु सावधि जमाराशि अनुपात से संबंधित सहसंबंध नकारात्मक होने के बावजूद, संबंधित 'टी' मूल्य सांख्यिकीय दृष्टि से अत्यल्प है।

बैंकों द्वारा बुनियादी सुविधा के वित्तीयन के संभाव्य प्रतिकूल प्रभावों को पहचानते हुए रिज़र्व बैंक ने हाल के वर्षों में कुछ उपाय किए हैं जिनमें बैंकों को आईडीएफसी/अन्य विदेशी संस्थाओं के साथ टेक आउट वित्तपोषण व्यवस्था में शामिल होने की अनुमति देना शामिल है। इसके अलावा, इस बात की आवश्यकता है कि बैंकों के आस्ति-देयता असंतुलन पर बुनियादी सुविधा उधार के प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण किया जाए। इस बात की भी आवश्यकता है कि बुनियादी सुविधा की परियोजनाओं को वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य बनाया जाए और साथ ही कारपोरेट बांड बाजार को मजबूत किया जाए जिससे बुनियादी सुविधा निधि के लिए बैंकों पर निर्भरता में कमी आयेगी।

और दुर्बल घटकों संबंधी प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उप-लक्ष्य पूरे न करने वाले सरकारी क्षेत्र के बैंकों की संख्या क्रमश: 15 और 11 थी। मार्च 2012 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को, निजी क्षेत्र के 6 बैंक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र संबंधी 40 प्रतिशत का समग्र लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए थे। इसके अलावा, निजी क्षेत्र के 13 बैंक कृषि संबंधी प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उप-लक्ष्य पूरे नहीं कर पाए (चार्ट IV.20)। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र संबंधी ऋण का विस्तृत विश्लेषण बॉक्स IV.3 में दिया गया है।

बैंकों का खुदरा ऋण संविभाग उच्च दर पर बढ़ा

4.49 2011-12 के दौरान, बैंकों के खुदरा ऋण संविभाग में पिछले वर्ष की तुलना में उच्च दर पर वृद्धि हुई जिसमें क्रेडिट

सारणी IV.21: बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार
(मार्च 2012 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को)

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		विदेशी बैंक***	
	बकाया राशि	एएनबीसी/ओबीई का प्रतिशत*	बकाया राशि	एएनबीसी/ओबीई का प्रतिशत*	बकाया राशि	एएनबीसी/ओबीई का प्रतिशत*
1	2	3	4	5	6	7
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के कुल अग्रिम	**11,307**	**37.2**	**2,864**	**39.4**	**805**	**40.9**
जिसमें से						
कृषि**	4,786	15.8	1,042	14.3	1	0.1
कमजोर वर्ग	2,888	9.5	389	5.4	-	-
लघु उद्यम	3,966	13.1	1,105	15.2	217	11

टिप्पणी: 1. *: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार का लक्ष्य समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) अथवा ऑफ बेलेंस शीट एक्सपोजर (ओबीई) की राशि के समतुल्य ऋण, पिछले वर्ष के 31 मार्च को जो भी अधिक हो, का 40 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
2. **:कृषि के लिए एएनबीसी/ओबीई का 18 प्रतिशत लक्ष्य, पिछले वर्ष के मार्च की समाप्ति तक, जो भी अधिक हो।
3. ***: विदेशी बैंकों के लिए एएनबीसी/ओबीई का 32 प्रतिशत लक्ष्य तय किया है पिछले वर्ष के मार्च की समाप्ति तक जो भी अधिक हो।
4. 'एएनबीसी/ओबीई के प्रतिशत' के रूप में दर्शाये गये आंकड़े एनबीसी/ओबीई के प्रतिशत के रूप में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों की राशि होते हैं, जो पिछले वर्ष मार्च की समाप्ति पर अधिक है।
5. - कुछ नहीं/नगण्य।
6. आंकडे अनंतिम हैं।

कार्ड संबंधी प्राप्तियां और अन्य निजी ऋण मुख्य थे। बैंकों के खुदरा ऋण संविभाग में आवास ऋण का हिस्सा आधे से अधिक बना रहा (सारणी IV.22)।

संवेदनशील क्षेत्रों को ऋण में कम वृद्धि हुई

4.50 रिज़र्व बैंक पूंजी बाजार, स्थावर संपदा और पण्य को संवेदनशील क्षेत्र मानता है क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें अचानक

चार्ट IV.20: सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार (मार्च 2012 को समाप्त)

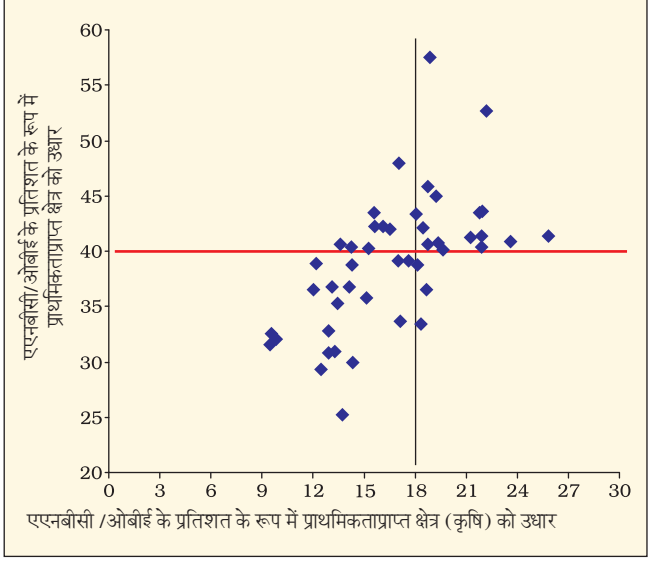

काफी ऋण मिल जाए तो बैंकों की आस्ति गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है जिसका कारण संबंधित आस्ति/उत्पाद बाजारों में मूल्यों में घट-बढ़ होना है। पिछले वर्ष की तुलना में 2011-12 में संवेदनशील क्षेत्रों को प्राप्त ऋण में कमी आयी। इसके परिणामस्वरूप, कुल ऋण में संवेदनशील क्षेत्रों को प्राप्त ऋण के अनुपात में भी कमी आयी। संवेदनशील क्षेत्रों के प्रति कुल बैंक एक्सपोज़र में 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा स्थावर संपदा क्षेत्र का था। बैंक समूह स्तर पर, इन क्षेत्रों के प्रति विदेशी बैंकों का एक्सपोज़र अन्य बैंक समूहों की तुलना में अधिक था (परिशिष्ट सारणी IV.3)।

6. पूंजी बाजार में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के परिचालन

सरकारी और प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाये गये संसाधनों में कमी आयी

4.51 उदार होते जा रहे और प्रतिस्पर्धी बाजार में पूंजी बाजार के माध्यम से बैंकों द्वारा संसाधन जुटाना उनके तुलनपत्र में वृद्धि का महत्त्वपूर्ण मार्ग है। किंतु देशी बाजार की विद्यमान अनिश्चितता और 2011-12 की पहली छमाही के दौरान इक्विटी बाजार के तुलनात्मक रूप से मंद निष्पादन के कारण 2011-12 के दौरान बैंक सरकारी निर्गमों के माध्यम से संसाधन जुटाने से दूर रहे (सारणी IV.23)।

बॉक्स IV.3: प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण - क्या बड़े ऋणों की आवश्यकता के प्रति झुकाव है?

प्रमुख प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों अर्थात कृषि और लघु उद्योगों को औपचारिक ऋण देने के प्रयास 1968 में ही प्रारंभ किए गए थे जब रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय ऋण परिषद के साथ विचार-विमर्श करके पहली बार इस बात पर बल दिया था कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधार के प्रति वाणिज्य बैंकों की प्रतिबद्धता बढ़ायी जानी चाहिए। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के वर्णन को 1972 में औपचारिक रूप दिया गया जिसका आधार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम संबंधी सांख्यिकी पर अनौपचारिक अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट थी। प्रारंभिक वर्षों में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधारों का कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था किंतु बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अपने कुल अग्रिमों में इन क्षेत्रों के हिस्से को मार्च 1979 तक 33 प्रतिशत के स्तर तक ले जाएं। बाद में, बैंकों को सूचित किया गया कि वे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधारों के अपने अनुपात को मार्च 1985 तक 40 प्रतिशत के स्तर तक ले जाएं।

बाद में, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधारों पर अन्य समितियों और कार्यदलों ने बैंकों के लिए किसी विशिष्ट प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधारों के दायित्व के संबंध में सिफारिशें देना जारी रखा, हालांकि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधारों की परिभाषा में समय-समय पर आवधिक परिवर्तन हुआ है। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधारों के संबंध में हाल की घटना में रिजर्व बैंक में श्री एम.वी.नायर की अध्यक्षता में कार्यदल का गठन किया जाना शामिल है जिसका दायित्व प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधारों के वर्तमान श्रेणीकरण की पुन: जांच करना और संशोधित दिशानिर्देशों का सुझाव देना है।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के वर्तमान मानदंडों के अनुसार, 20 से अधिक शाखाओं वाले देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और विदेशी बैंकों को पिछले वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार उनके संबंधित समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के 40 प्रतिशत और 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों को 32 प्रतिशत या तुलनपत्रेतर एक्सपोज़र के समतुल्य ऋण, जो भी अधिक हो, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को देना है। इस संदर्भ में, इस बात को समझने का प्रयास किया गया है कि क्या प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की परिभाषा के विस्तार से उधार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत छोटे उधारकर्ताओं की कीमत पर बड़े खातों में तो केंद्रित नहीं हो गए।

अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार देने वाले क्षेत्रों में कृषि का महत्त्वपूर्ण स्थान है जिससे इस क्षेत्र की ओर पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए एएनबीसी के 18 प्रतिशत का उप-लक्ष्य निर्धारित किया गया। जहां इस बात की चिंता रही है कि सामान्यत: बैंक इस लक्ष्य का अनुपालन नहीं करते हैं, वहीं अलग-अलग रूप में किया गया विश्लेषण दर्शाता है कि कुल कृषि ऋण का एक-चौथाई भाग ही अति छोटे किसानों को मिलता है। इसके अलावा, कुल कृषि खातों में छोटे और अति छोटे किसानों का हिस्सा पिछले दो दशकों में निरंतर कम होता गया है। किंतु सकारात्मक पक्ष में, कुल बकाया कृषि ऋण में छोटे और अति छोटे किसानों के हिस्से में 2000 के दशक में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखी है (चार्ट क)। महत्त्वपूर्ण रूप से, मार्च 2011 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, कुल कृषि ऋण का 13.6 प्रतशित कंपनियों, साझेदारी फर्मों और कृषि कार्य करने वाली संस्थाओं को मिला था।

चार्ट क: कुल कृषि ऋण में छोटे और अति छोटे किसानों का हिस्सा

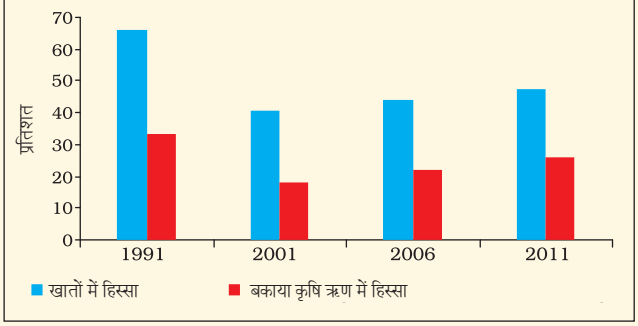

इसी अवधि में कुल कृषि ऋण का लगभग 5 प्रतिशत हिस्सा कृषि-प्रसंस्करण इकाइयों से संबंधित था।

माइक्रो और छोटे उद्यमों को प्राप्त ऋण के आंकड़ों से भी तुलनात्मक रूप से बड़े उद्यमों के पक्ष में झुकाव का पता चलता है। मार्च 2011 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, माइक्रो और छोटे उद्यमों के प्रति कुल बकाया ऋण में से 5 लाख रुपये तक के निवेश वाले माइक्रो (विनिर्माण) और 2 लाख रुपये तक के निवेश वाले माइक्रो (सेवा) उद्यमों को मात्र 21.1 प्रतिशत ऋण प्राप्त हुआ था जबकि इनका निर्धारित लक्ष्य 40 प्रतिशत है।

विभिन्न क्षेत्रों के बीच प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के ऋणों को दुर्बल क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इस श्रेणी के लिए एएनबीसी के 10 प्रतिशत का अलग लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। दुर्बल क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं के खातों की संख्या में 2000 के दशक के प्रारंभ की तुलना में बाद की अवधि में उच्च वृद्धि होने के बावजूद, छोटे और अति छोटे किसानों संबंधी बकाया राशि में डीआरआई लाभार्थियों और एसएचजी में 2000 के दशक के अंतिम समय में गिरावट हुई (सारणी 3.1)।

इस प्रकार, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत और विशेष रूप से कृषि और माइक्रो तथा छोटे उद्यमों के अंतर्गत, अधिकतर ऋण तुलनात्मक रूप से बड़े खातों में संकेद्रित हुआ है। समावेशी वृद्धि की प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाने के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत ऋण संकेद्रन में परिवर्तन की आवश्यकता है।

सारणी 3.1: एससीबी के प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधार
(मार्च 2011 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को)

श्रेणी	खातों की संख्या		बकाया राशि	
	2001 की तुलना में 2006	2006 की तुलना में 2011	2001 की तुलना में 2006	2006 की तुलना में 2011
कमजोर वर्ग	3.4	9.8	24.9	26.7
छोटे और अति छोटे किसान	7.9	9.9	31.7	25.8
डीआरआई लाभार्थी	-9.7	12.2	11.6	7.1
एसएचजी को अग्रिम	72.9	19.0	99.7	35.6

स्रोत: बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक को प्रस्तुत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की विवरणियां।

सारणी IV.22: बैंकों का खुदरा पोर्टफोलियो

(राशि ₹ बिलियन में)

मद		मार्च के अंत में बकाया		प्रतिशत घट-बढ़	
		2011	2012	2010-11	2011-12
1		2	3	4	5
1	आवास ऋण	3,607	4,118	15.1	14.2
2	उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	46	27	50.3	-40.9
3	क्रेडिट कार्ड प्राप्तियां	187	223	-13.5	19.6
4	ऑटो ऋण	1,002	1,162	27.8	16.0
5	अन्य व्यक्तिगत ऋण	2,469	3,069	18.5	24.3
कुल खुदरा ऋण (1 से 5)		**7,310** (18.3)	**8,599** (18.4)	**17.0**	**17.6**

टिप्पणी: 1. कोष्ठक के आंकड़े कुल उधारों और अग्रिम में खुदरा उधारों के प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।.
2. कुल उधारों और अग्रिमों की राशि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ऑफसाइट विवरणियों (देशी) में दिए अनुसार हैं।
3. आंकड़ों का पूर्णांकन ₹ बिलियन में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घटबढ़ हो सकती है।
4. बिलियन की संख्याओं के पूर्णांकन के कारण घटकों में अंतर हो सकता है।

स्रोत: ऑफसाइट विवरणियों (देशी) पर आधारित।

4.52 बैंकों द्वारा 2011-12 के दौरान प्राइवेट प्लेसमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाये गये संसाधन भी पिछले वर्ष की तुलना में कम थे। प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से संसाधन जुटाने में कमी आने का मामला सरकारी क्षेत्र के बैंकों का था जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों ने प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से संसाधन जुटाना जारी रखा। यूरोपीय सरकारी ऋण संकट बढ़ते जाने से उभरी वैश्विक अनिश्चितता के कारण भारतीय बैंकों ने यूरो निर्गमों से संसाधन नहीं जुटाए (सारणी IV.24)।

बीएसई बैंकेक्स का निष्पादन मंद था

4.53 भारतीय इक्विटी बाजार में दिसंबर 2011 तक नरमी देखी गयी जिसके बाद नए संस्थागत निवेशक क्रय के कारण 2011-12 की चौथी तिमाही में तेजी आयी। इसी के अनुरूप, बीएसई बैंकेक्स, जो कि बैंकिंग क्षेत्र के शेयरों का प्रतिनिधि है, में

सारणी IV.23: बैंकिंग क्षेत्र के सार्वजनिक निर्गम

(राशि ₹ बिलियन में)

वर्ष	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		कुल	
	इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण
1	2	3	4	5	6	7
2010-11	43.3	-	9.2	-	52.5	-
2011-12	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी: शून्य / नगण्य
स्रोत: सेबी

सारणी IV.24: प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से बैंकों द्वारा जुटाए गए संसाधन

(राशि ₹ बिलियन में)

श्रेणी	2010-11		2011-12	
	निर्गमों की संख्या	जुटाई गई राशि	निर्गमों की संख्या	जुटाई गई राशि
1	2	3	4	5
निजी क्षेत्र के बैंक	5	61	10	62
सरकारी क्षेत्र के बैंक	25	209	9	44
कुल	**30**	**270**	**19**	**106**

टिप्पणी:- 2011-12 के लिए डेटा अनंतिम है।
स्रोत:- मर्चेन्ट बैंकर्स और वित्तीय संस्थान

2011-12 में नकारात्मक प्रतिलाभ दर्ज हुआ। बीएसई बैंकेक्स में घट-बढ़ भी बीएसई सेंसेक्स की तुलना में अधिक थी जो कि बैंकिंग शेयरों के प्रति अधिक जोखिम की धारणा दर्शाती है। किंतु बीएसई बैंकेक्स के निष्पादन में वर्ष में बाद में सुधार हुआ। फरवरी-मार्च 2012 के दौरान यह बीएसई सेंसेक्स से आगे निकल गया (सारणी IV.25 और चार्ट IV.21)।

4.54 बीएसई बैंकेक्स की समग्र प्रवृत्ति के समरूप अधिकतर बैंकों ने पिछले वर्ष की तुलना में कम मूल्य-आय (पी/ई) अनुपात दर्ज किया। 2011-12 में कुल पण्यावर्त में बैंक शेयरों का हिस्सा बढ़ती प्रवृत्ति का होने के बावजूद कुल बाजार पूंजीकरण में बैंक शेयरों का हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में कम हो गया (परिशिष्ट सारणी IV.4 सारणी IV.25)।

सारणी IV.25: बैंक स्टॉक्स का जोखिम-प्रतिफल निष्पादन, टर्नओवर और पूंजीकरण

मद	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13#
1	2	3	4	5
1. प्रतिफल*				
बीएसई बैंकेक्स	137.2	24.9	-11.6	11.8
बीएसई सेंसेक्स	80.5	10.9	-10.5	7.8
2. उतार-चढ़ाव@				
बीएसई बैंकेक्स	16.5	10.3	9.7	4.8
बीएसई सेंसेक्स	11.9	6.3	6.2	3.8
3. कुल कारोबार में बैंक स्टॉक्स के कारोबार का हिस्सा	**8.3**	**9.5**	**11.4**	**14.4**
4. कुल बाजार पूंजीकरण में बैंक स्टॉक्स के पूंजीकरण का हिस्सा**	**10.0**	**11.9**	**11.5**	**12.0**

टिप्पणी : 1.* : अंक-दर-अंक आधार पर सूचकांक में प्रतिशत घटबढ़।
2.@ : घटबढ़ के सह गुणांक के रूप में परिभाषित।
3.**: अवधि के अंत में
4.#: अप्रैल - सितम्बर 28, 2012.
स्रोत: बीएसई.

चार्ट IV.21: बैंकेक्स और बीएसई सूचकांक -2011-12 का तुलनात्मक कार्यनिष्पादन

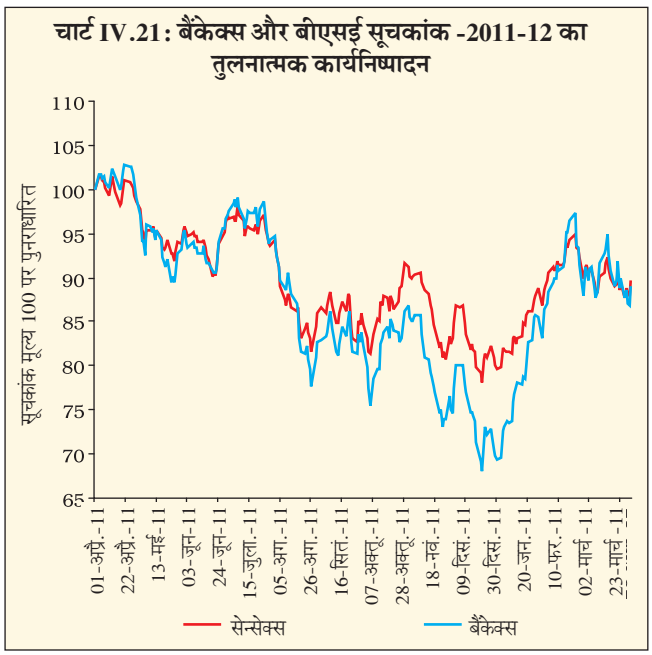

7. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में शेयरधारिता पद्धति

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सरकारी शेयरधारिता सांविधिक अपेक्षा से पर्याप्त अधिक थी

4.55 2011-12 में सरकारी क्षेत्र के अधिकतर बैंकों में सरकारी शेयरधारिता 51 प्रतिशत के निर्धारित स्तर से अधिक थी हालांकि सरकारी क्षेत्र के अनेक बैंकों में यह शेयरधारिता उक्त निर्धारण के समीप थी (चार्ट IV.22)। मार्च 2012 के

चार्ट IV.22: सरकारी क्षेत्र के चुनिंदा बैंकों में सरकार की शेयरधारिता (मार्च 2012 को समाप्त)

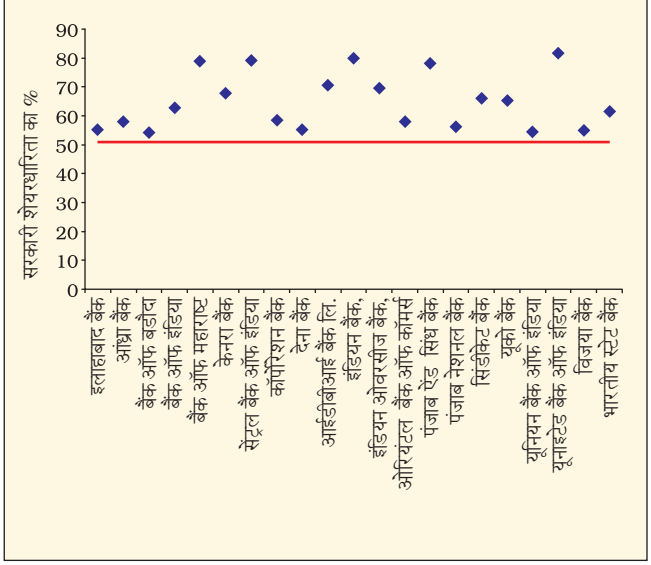

सारणी IV.26: निजी शेयरधारिता के प्रतिशत के आधार पर वर्गीकृत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की संख्या *

(मार्च 2012 के अंत में)

शेयर धारिता की श्रेणी	निजी निवासी शेयर धारिता	निजी अनिवासी शेयर धारिता	कुल निजी शेयर धारिता
1	2	3	4
10 प्रतिशत तक	-	17	-
10 से अधिक और 20 प्रतिशत तक	5	9	2
20 से अधिक और 30 प्रतिशत तक	8	-	4
30 से अधिक और 40 प्रतिशत तक	8	-	6
40 से अधिक और 43 प्रतिशत तक	5	-	14

टिप्पणी: –: शून्य /नगण्य

* 19 राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक और आईडीबीआई बैंक लिमिटेड सहित।

अंत में, सरकारी क्षेत्र के 26 बैंकों में से 10 में सरकार की 20 से 40 प्रतिशत तक की शेयरधारिता थी। इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में विदेशी शेयरधारिता मात्र 17.4 प्रतिशत तक थी। मार्च 2012 के अंत में, निजी क्षेत्र के बैंकों में विदेशी शेयरधारिता 70.7 प्रतिशत तक की थी जो कि 74 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के भीतर थी (सारणी IV.26 और परिशिष्ट सारणी IV.5)।

8. विदेशी बैंकों के भारत में परिचालन और भारतीय बैंकों के विदेश में परिचालन

4.56 मार्च 2012 के अंत में, भारत में 41 विदेशी बैंक कार्यरत थे जिनकी 323 शाखाएं थीं। अन्य 46 विदेशी बैंकों के प्रतिनिधि कार्यालय भारत में थे। भारत में विदेशी बैंकों में से स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की शाखाएं सर्वाधिक (96 शाखाएं) थीं जिसके बाद एचएसबीसी (50 शाखाएं) , सिटी बैंक (42 शाखाएं) और रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड एन.वी. (31 शाखाएं) का स्थान था।

4.57 मार्च 2012 के अंत में, विदेश में 23 भारतीय बैंकों की 250 शाखाएं थीं जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 244 थी। इन विदेशी शाखाओं में से 215 शाखाएं सरकारी क्षेत्र के बैंकों की थीं। इन बैंकों में, स्टेट बैंक की शाखाएं सर्वाधिक थीं जिसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया का स्थान था। इसके

सारणी IV.27: भारतीय बैंकों के विदेशी परिचालन
(मार्च के अंत में)

बैंक का नाम		शाखा		सहायक संस्था		प्रतिनिधि कार्यालय		संयुक्त उद्यम बैंक		कुल	
		2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	**2011**	**2012**
1		2	3	4	5	6	7	8	9	**10**	**11**
1	इलाहाबाद बैंक	1	1	0	0	1	1	0	0	**2**	**2**
2	आंध्रा बैंक	0	0	0	0	2	2	0	0	**2**	**2**
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	47	47	9	9	3	2	1	1	**60**	**59**
4	बैंक ऑफ इंडिया	24	24	3	4	5	5	1	0	**33**	**33**
5	केनरा बैंक	4	5	0	0	1	1	0	0	**5**	**6**
6	कॉर्पोरेशन बैंक	0	0	0	0	2	2	0	0	**2**	**2**
7	इंडियन बैंक	4	4	0	0	0	0	0	0	**4**	**4**
8	इंडियन ओवरसीज बैंक	6	6	1	0	4	3	0	0	**11**	**9**
9	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	1	1	0	0	0	0	0	0	**1**	**1**
10	पंजाब नेशनल बैंक	4	4	3	3	4	5	1	1	**12**	**13**
11	भारतीय स्टेट बैंक	45	52	5	5	8	8	4	4	**62**	**69**
12	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	0	0	0	0	0	1	0	0	**0**	**1**
13	सिंडिकेट बैंक	1	1	0	0	0	0	0	0	**1**	**1**
14	यूको बैंक	4	4	0	0	2	1	0	0	**6**	**5**
15	यूनियन बैंक	1	1	0	0	5	5	0	0	**6**	**6**
16	यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया	0	0	0	0	1	1	0	0	**1**	**1**
17	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	0	0	0	0	1	1	0	0	**1**	**1**
18	ऐक्सिस बैंक	3	4	0	0	3	3	0	0	**6**	**7**
19	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	2	2	0	0	2	2	0	0	**4**	**4**
20	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	8	9	3	3	8	8	0	0	**19**	**20**
21	इंडसइंड बैंक लिमिटेड	0	0	0	0	2	2	0	0	**2**	**2**
22	फेडरल बैंक लिमिटेड	0	0	0	0	1	1	0	0	**1**	**1**
23	कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड	0	0	0	0	1	1	0	0	**1**	**1**
	कुल	**155**	**165**	**24**	**24**	**56**	**55**	**7**	**6**	**242**	**250**

अलावा, विदेश में 25 भारतीय बैंकों के 55 प्रतिनिधि कार्यालय थे। विदेश में भारतीय बैंकों के अनुषंगी कार्यालयों और संयुक्त उद्यमों की संख्या क्रमश: 24 और 6 थी (सारणी IV.27)।

9. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में प्रौद्योगिकीय विकास

4.58 रिज़र्व बैंक वर्षों से बैंकों के दैनिक कार्यों में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर बल देता आया है। प्रौद्योगिकी और बैंकिंग सेवाओं में बढ़ते कौशल से रिज़र्व बैंक द्वारा बल दिए गए वित्तीय समावेशन की निरंतर प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है। हाल के वर्षों में विभिन्न स्थानों में ऑफ साइट एटीएम की संख्या बढ़ने और बैंकिंग सेवाएं देने में मोबाइल फोन की भूमिका बढ़ने से दूर-दराज के क्षेत्रों में बैंकिंग की पहुंच बढ़ाने में सुविधा हुई है। रिज़र्व बैंक के आईटी विज़न दस्तावेज, 2011-17 में बैंकिंग में प्रमुख आईटी अप्लिकेशन्स लागू करने की योजना दी गयी है जिसमें कारोबार निरंतरता प्रबंधन, सूचना सुरक्षा नीति और कारोबार प्रक्रिया की पुनर्संरचना के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं देने में निरंतरता पर विशेष बल दिया गया है।

4.59 बैंकों में कंप्यूटरीकरण और कोर बैंकिंग समाधान लागू करने का कार्य लगभग पूरा होने को आने से, अब बैंकिंग में अधिक उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने पर फोकस अंतरित किया गया है जिसमें उनके ग्राहक संबंध प्रबंधन में विस्तार करने और प्रबंध सूचना प्रणाली सहित आंतरिक प्रभावशीलता में सुधार लाने और सूचना प्रौद्योगिकी लागू करने से उभरने वाले जोखिमों के प्रबंधन के लिए विश्लेषण प्रक्रिया और कारोबारी आसूचना का प्रयोग किया जाता है।

एटीएम की संख्या में निरंतर वृद्धि से डोर-स्टेप बैंकिंग में प्रगति का संकेत मिलता है

4.60 2011-12 के दौरान बैंकों ने 21,000 अतिरिक्त एटीएम लगाए। मार्च 2012 के अंत में कुल एटीएम में से 60 प्रतिशत से अधिक एटीएम सरकारी क्षेत्र के बैंकों के थे जबकि लगभग एक-तिहाई निजी क्षेत्र के नए बैंकों के थे (सारणी IV.28)।

सरकारी क्षेत्र के बैंक डेबिट कार्डों के प्रमुख जारीकर्ता थे

4.61 क्रेडिट कार्डों के निर्गम में गिरावट आयी जबकि डेबिट कार्डों में अधिक तेजी की प्रवृत्ति देखी गयी। विदेशी बैंकों ने डेबिट कार्डों के संबंध में भी गिरावट दर्शाई। मार्च 2012 के अंत में, कुल डेबिट कार्डों में से तीन-चौथाई से अधिक सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा जारी किए गए थे। इसके विपरीत, मार्च 2012 को बकाया क्रेडिट कार्डों में से आधे से अधिक निजी क्षेत्र के नए बैंकों के थे (सारणी IV.29 और चार्ट IV.23)।

सारणी IV.28: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के एटीएम
(मार्च 2012 के अंत में)

क्रम सं.	बैंक समूह	ऑन -साइट एटीएम	ऑफ साइट एटीएम	एटीएम की कुल संख्या
1	2	3	4	5
1.	**सरकारी क्षेत्र के बैंक**	**34,012**	**24,181**	**58,193**
1.1	राष्ट्रीयकृत बैंक*	18,277	12,773	31,050
1.2	भारतीय स्टेट बैंक समूह	15,735	11,408	27,143
2.	**निजी क्षेत्र के बैंक**	**13,249**	**22,830**	**36,079**
2.1	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	3,342	2,429	5,771
2.2	निजी क्षेत्र के नए बैंक	9,907	20,401	30,308
3.	**विदेशी बैंक**	**284**	**1,130**	**1,414**
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (1+2+3)		**47,545**	**48,141**	**95,686**

टिप्पणी: * आईडीबीआई बैंक लि.को छोड़कर

सारणी IV.29: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी क्रेडिट और डेबिट कार्ड
(मार्च के अंत में)

(मिलियन में)

क्र. सं.	बैंक समूह	बकाया क्रेडिट कार्डों की संख्या		बकाया डेबिट कार्डों की संख्या	
		2011	2012	2011	2012
1	2	3	4	5	6
1.	**सरकारी क्षेत्र के बैंक**	**3.08**	**3.06**	**170**	**215**
1.1	राष्ट्रीयकृत बैंक	0.78	0.84	80	103
1.2	भारतीय स्टेट बैंक समूह	2.30	2.22	90	112
2.	**निजी क्षेत्र के बैंक**	**9.32**	**9.67**	**53**	**60**
2.1	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	0.04	0.04	12	14
2.2	निजी क्षेत्र के नए बैंक	9.28	9.63	41	46
3.	**विदेशी बैंक**	**5.64**	**4.92**	**3.9**	**3.8**
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (1+2+3)		**18.04**	**17.65**	**228**	**278**

नोट: बिलियन की संख्याओं के पूर्णांकन के कारण घटकों में अंतर हो सकता है।

प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों के माध्यम से हुए लेनदेनों की मात्रा और मूल्य - दोनों में वृद्धि हुई

4.62 हाल के वर्षों में नकदी रहित भुगतान की प्रवृत्ति बढ़ी है जिसमें प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों के माध्यम से हुए लेनदेनों की मात्रा और मूल्य - दोनों में वृद्धि हुई (सारणी IV.30 और बॉक्स IV.4)।

चार्ट IV.23 क: बकाया क्रेडिट/डेबिट कार्डों की संख्या

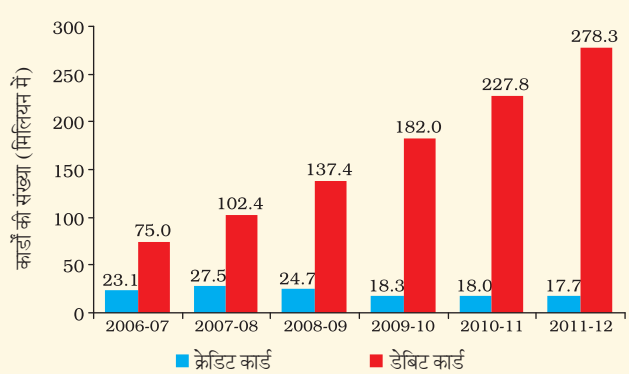

चार्ट IV.23 ख: कुल क्रेडिट/डेबिट कार्डों में बैंक समूहों का हिस्सा (मार्च 2012 को समाप्त)

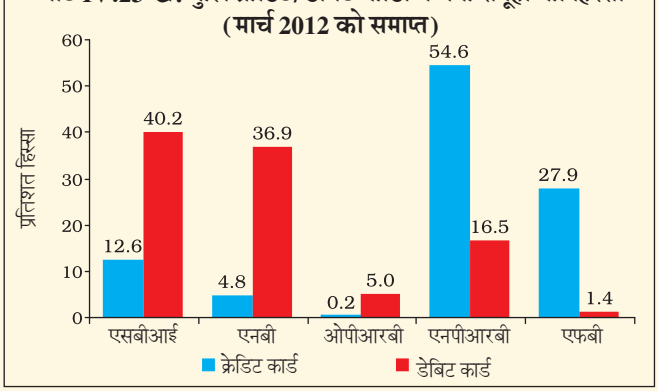

बॉक्स IV.4: भुगतान प्रणाली में परिवर्तन की प्रवृत्ति: नकदी से नकदी रहित

भारत में, भुगतान का प्रमुख साधन नकदी ही रहा है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में संचलन की मुद्रा में कमी आने की प्रवृत्ति दिख रही है। रिज़र्व बैंक की नीतिगत पहलें और विनियामक रुझान सुरक्षित और कार्यकुशल नकदी रहित भुगतान प्रणाली की स्वीकार्यता और उसका उपयोग बढ़ाने के रहे हैं जिसमें चेक, क्रेडिट/डेबिट कार्ड और ईसीएस/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से लेनदेन शामिल हैं। इन उपायों के कारण जीडीपी-नकदी रहित खुदरा भुगतान अनुपात पिछले तीन वर्षों से 6 प्रतिशत के आसपास रहा है (सारणी 4.1)।

बैंकों की अगुवाई में मोबाइल बैंकिंग की लोकप्रियता हाल के वर्षों में बढ़ी है। जून 2012 के अंत की स्थिति के अनुसार, 69 बैंकों को मोबाइल बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अनुमोदन दिया गया था जिनमें से 49 से अपने परिचालन प्रारंभ कर दिए हैं। इसके अलावा, नवंबर 2010 में, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) को अंतर-बैंक मोबाइल भुगतान सेवा (आइएमपीएस) शुरू करने का अनुमोदन दिया गया जो कि अनूठी 24x7 इंटर-बैंक इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली है जिसके अंतर्गत लाभार्थी को तत्काल क्रेडिट मिल जाता है। यह माध्यम अब स्थापित हो जाने और ग्राहकों की अधिक स्वीकृति प्राप्त होने के कारण रिज़र्व बैंक ने मोबाइल बैंकिंग की पूर्ववर्ती लेनदेन सीमा हटा दी है। अब बैंक अपने अपने जोखिम धारणा के आधार पर अपने बोर्डों के अनुमोदन से प्रति लेनदेन सीमा तय कर सकते हैं।

इसके अलावा, देश की दो प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों अर्थात आरटीजीएस और एनईएफटी के माध्यम से होने वाले लेनदेन की मात्रा और मूल्य में तेजी से वृद्धि हुई है (चार्ट 4.1क और 4.1ख)।

प्रीपेड भुगतान लिखत नकदी लेनदेन के सुविधाजनक स्थानापन्न के रूप में उभरे हैं और साथ ही ये लेखापरीक्षा को भी सुगम बनाते हैं। प्रीपेड भुगतान लिखत ऐसे लिखत हैं जो उनमें जमा किए गए मूल्य से सामान और सेवाएं खरीद सकते हैं। जून 2012 के अंत में, 40 बैंकों (डाक विभाग, भारत सरकार सहित) और 21 गैर-बैंक संस्थाओं को प्रीपेड भुगतान लिखत जारी करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली (पीपीआई) अधिनियम, 2007 के तहत भारत में अनुमोदन/प्राधिकार दिया गया था। 2011-12 के दौरान, 587.50 मिलियन पीपीआई जारी किए गए थे और इन पीपीआई में जमा मूल्य 26.54 बिलियन रुपये था। तीन प्रकार के पीपीआई जारी करना लोकप्रिय है, अर्थात पेपर वाउचर, कार्ड और एम-वॉलेट। इनमें से, पेपर वाउचर संख्या और मूल्य

चार्ट 4.1.क: एनईएफटी में प्रगति

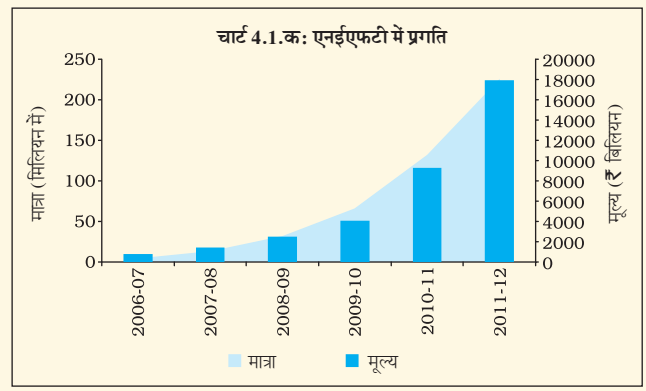

चार्ट 2.ख : आरटीजीएस में प्रगति

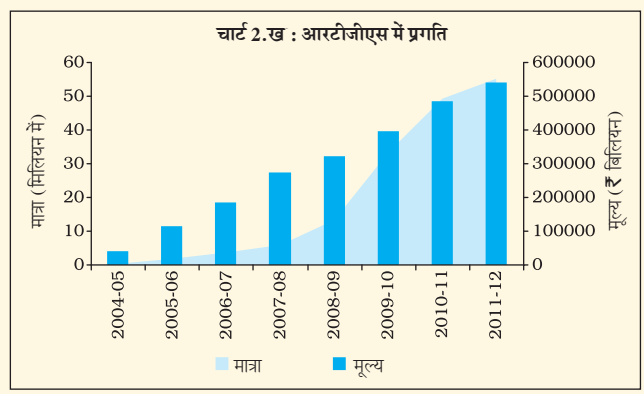

की दृष्टि से सर्वाधिक लोकप्रिय है। इन्हें मुख्यत: गैर-बैंक संस्थाओं ने जारी किया था (सारणी 4.2)। किंतु इन पेपर आधारित पीपीआई को इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतरित करने के प्रयास जारी हैं।

इसके अलावा, अक्तूबर 2011 में लागू किए गए देशी मुद्रा अंतरण दिशानिर्देशों में दी गयी शिथिलता से एम-वॉलेट के प्रयोग सहित इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड भुगतान लिखतों के माध्यम से वित्तीय समावेशन को और बल मिलेगा जिसमें सभी प्राधिकृत संस्थाओं (बैंक और गैर-बैंक- दोनों) को समर्थ बनाया जाएगा कि वे औपचारिक भुगतान चैनलों के माध्यम से देशी प्रेषण में वृद्धि करें।

सारणी 4.1: भुगतान प्रणाली की प्रवृत्ति

(₹ बिलियन)

वर्ष	नकदी रहित खुदरा भुगतान*	जीडीपी-नकदी रहित खुदरा भुगतान अनुपात	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में संचलन में मुद्रा
2006-07	1,94,459	4.53	11.77
2007-08	3,05,382	6.12	11.85
2008-09	3,29,736	5.91	12.38
2009-10	4,06,116	6.29	12.38
2010-11	4,76,291	6.21	12.36
2011-12	5,16,332	5.83	12.04

* चेक, ईसीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस ग्राहक लेनदेन

स्रोत: विभिन्न भारिबैं प्रकाशन और भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस

सारणी 4.2: प्रीपेड भुगतान लिखतों का विस्तार

(मार्च 2012 के अंत में)

(मात्रा मिलियन में और मूल्य ₹ बिलियन में)

प्रीपेड भुगतान लिखत का प्रकार	जारी किए गए पीपीआई की संख्या	जारी किए गए कुल पीपीआई में प्रतिशत	जारी किए गए पीपीआइ का मूल्य	जारी किए गए कुल पीपीआई में प्रतिशत
पेपर वाउचर	42.00	97.0	1.76	60.8
कार्ड आधारित	0.57	1.3	1.04	35.8
मोबाइल अकाउंट/वॉलेट	0.55	1.3	0.1	3.5
कुल	**43.00**	**100.0**	**2.9**	**100.0**

नोट: बिलियन की संख्याओं के पूर्णांकन के कारण घटकों में अंतर हो सकता है।

सारणी IV. 30: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा किए गए इलेक्ट्रॉनिक लेनदेनों की मात्रा और मूल्य

(मात्रा मिलियन में, मूल्य ₹ बिलियन में)

वर्ष	मात्रा		प्रतिशत घट-बढ़		मूल्य		प्रतिशत घटबढ़	
	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ईसीएस क्रेडिट	117	122	19.5	3.6	1,817	1,838	54.5	1.2
ईसीएस डेबिट	157	165	5.0	5.1	736	834	5.9	13.3
क्रेडिट कार्ड	265	320	13.2	20.7	755	966	22.2	27.9
डेबिट कार्ड	237	328	39.3	38.2	387	534	46.6	38.0
एनईएफटी	132	226	99.5	70.9	9,321	17,903	127.6	92.1
आरटीजीएस	49	55.0	48.5	11.6	4,84,872	5,39,307	22.9	11.2

टिप्पणी: आंकड़ों का पूर्णांकन ₹ बिलियन में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घटबढ़ हो सकती है ।

कारोबार निरंतरता योजना और स्वचालित आंकड़ा प्रवाह लागू करने में प्रगति हुई है

4.63 वर्तमान स्थिति में, भारत में बैंकिंग मुख्यत: प्रौद्योगिकी पर निर्भर है। अत: यह आवश्यक है कि बैंकों के पास आपदा से राहत पाने और कारोबार की निरंतरता बनाए रखने के लिए उपयुक्त और पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए ताकि नैसर्गिक आपदा या परिचालनगत विफलता का मुकाबला किया जा सके। हाल के वर्षों में, रिज़र्व बैंक की सहायता से समन्वित कारोबार निरंतरता प्रबंधन व्यवस्था विकसित की गयी है जिसमें डेटा केंद्रों सहित सभी कारोबारी कार्यों के लिए निरंतरता की योजना शामिल है। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी की विफलता से पैदा होने वाली कारोबारी प्रक्रिया में व्यवधान आने के मामले के समाधान के लिए भारिबैं डेटा केंद्रों में उपयुक्त आपदा-राहत और कारोबार निरंतरता व्यवस्था लागू की गयी है।

4.64 विनियामक रिपोर्टिंग में सटीकता और कार्य समय पर होने के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए, वाणिज्य बैंकों से रिज़र्व बैंक को कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) या अन्य आईटी प्रणालियों के माध्यम से स्वचालित आंकड़ा प्रवाह की परियोजना 2010-11 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में घोषित की गयी। एक कोर समूह, जिसमें बैंकों, रिज़र्व बैंक, आईडीआरबीटी और आईबीए के प्रतिनिधि शामिल थे, द्वारा तैयार किया गया एप्रोच पेपर नवंबर 2011 में जारी किया गया जिसमें इसे दो चरणों में लागू करने का विचार रखा गया है। पहले चरण में, बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सूचना दी गयी कि उनके लेनदेन सर्वर से आंकड़ा प्रवाह उनके प्रबंध सूचना प्रणाली सर्वर में अबाध रूप से पहुंचना चाहिए जबकि दूसरे चरण में बैंकों की प्रबंध सूचना प्रणाली से सभी विवरणियां जनरेट करने के कार्य में रिज़र्व बैंक शामिल होगा। पहले चरण का कार्य प्रगति पर है और इसकी निगरानी और समीक्षा तिमाही अंतराल पर की जाती है। यह परियोजना मार्च 2013 तक पूरी होने की संभावना है। दूसरे चरण में, बैंकों के प्रबंध सूचना प्रणाली सर्वर से आंकड़ा प्रवाह सीधी प्रक्रिया से प्रवाहित होने के लिए रिज़र्व बैंक एक प्रणाली शुरू करेगा।

4.65 आरटीजीएस प्रणाली के माध्यम से होने वाले लेनदेनों की मात्रा में हुई व्यापक वृद्धि को देखते हुए, आरटीजीएस प्रणाली की समीक्षा के लिए एक तकनीकी परामर्शदाता समूह बनाया गया था जिसमें प्रौद्योगिकी संस्थानों, बैंकों और रिज़र्व बैंक से सदस्य लिए गए थे। इस समूह ने न्यू जनरेशन आरटीजीएस (एनजी-आरटीजीएस) प्रणाली बनाने की सिफारिश की जिसमें निम्नलिखित प्रमुख विशेषताए होंगी: (i) चलनिधि-बचत प्रणाली (ii) उन्नत क्यू प्रबंधन प्रणाली (iii) बैंक के आकार के अनुसार पहुंच के विभिन्न माध्यम (iv) एक्स्टेंसिबल मार्क-अप लैंग्वेज आधारित सूचना प्रणाली और (v) तत्काल समय की और लेनदेन निगरानी तथा नियंत्रण प्रणाली जिसमें डैशबोर्ड सुविधा भी होगी।

10. ग्राहक सेवा

4.66 कार्यकुशल और सुचारु रूप से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना भी रिज़र्व बैंक की एक महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता रहा है। विभिन्न बैंकों और साथ ही रिज़र्व बैंक में शिकायत निपटान प्रणाली की निगरानी करने और बैंकिंग लोकपाल योजना

सारणी IV.31: बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों को प्राप्त क्षेत्रवार शिकायतें

बीओ कार्यालय	शिकायतों की संख्या		प्रतिशत घटबढ़
	2010-11	2011-12	2011-12
अहमदाबाद	5,190	4,590	-11.6
बंगलूरु	3,470	3,486	0.5
भोपाल	5,210	5,953	14.3
भुवनेश्वर	1,124	1,826	62.5
चंडीगढ़	3,559	3,521	-1.1
चेन्नै	7,668	6,614	-13.7
गुवाहाटी	584	708	21.2
हैदराबाद	5,012	5,167	3.1
जयपुर	3,512	4,209	19.8
कानपुर	8,319	9,633	15.8
कोलकाता	5,192	4,838	-6.8
मुंबई	7,566	7,905	4.5
नई दिल्ली	10,508	9,180	-12.6
पटना	2,283	2,718	19.1
तिरुअनंतपुरम	2,077	2,541	22.3
कुल	**71,274**	**72,889**	**2.3**

स्रोत: बैंकिंग लोकपाल के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय ।

कार्यान्वित करने के लिए जुलाई 2006 में रिज़र्व बैंक में अलग ग्राहक सेवा विभाग बनाया गया। वर्तमान में, बैंकिंग लोकपाल देश के 15 प्रमुख बैंकिंग केंद्रों में कार्यरत हैं।

कुल शिकायतों में से लगभग 40 प्रतिशत शिकायतें बड़े महानगरों में थीं

4.67 देश में प्राप्त कुल शिकायतों में से लगभग 40 प्रतिशत शिकायतें बड़े महानगरों अर्थात नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नै में प्राप्त हुई थीं (सारणी IV.31)।

अधिकतर शिकायतें क्रेडिट/डेबिट कार्डों और उचित प्रथा संहिता के उल्लंघन से संबंधित थीं

4.68 सभी 15 बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों के श्रेणीवार आंकड़ों के अनुसार अधिकतर शिकायतें क्रेडिट/डेबिट कार्डों से संबंधित थीं जिनके बाद उचित प्रथा संहिता के उल्लंघन, जमाराशि खाते, बीसीएसबीआई कोड के तहत की गयी प्रतिबद्धताओं में विफलता और पेंशन संबंधी शिकायतों का स्थान था।

कुल शिकायतों में लगभग दो-तिहाई शिकायतें सरकारी क्षेत्र के बैंकों से संबंधित थीं

4.69 पिछले वर्ष की प्रवृत्ति जैसे ही 2011-12 में भी सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विरुद्ध सर्वाधिक (70 प्रतिशत) शिकायतें प्राप्त हुई थीं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अंतर्गत, 2011-12 के दौरान सर्वाधिक शिकायतें (लगभग 38 प्रतिशत) अकेले स्टेट बैंक समूह के बैंकों के विरुद्ध प्राप्त हुई थीं। यद्यपि सभी प्रकार की शिकायतों में स्टेट बैंक समूह और राष्ट्रीयकृत बैंकों के विरुद्ध 50 प्रतिशत से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई थीं, किंतु इनमें पेंशन संबंधी शिकायतें अधिक थीं (चार्ट IV.24 और परिशिष्ट सारणी IV.7)।

4.70 इसके अलावा, बैंकिंग के सभी क्षेत्रों में और विशेष रूप से जमा खाता, ऋण और अग्रिम, बीसीएसबीआई कोड के तहत

चार्ट IV.24 क: प्रमुख शिकायतों का बैंक समूह-वार विश्लेषण : 2011-12

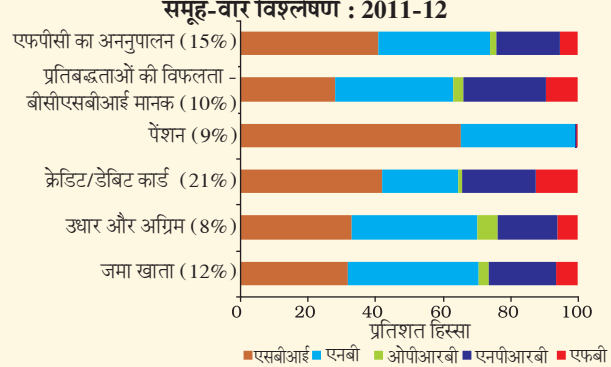

चार्ट IV.24.ख: कुल शिकायतो में बैंक समूहों का हिस्सा

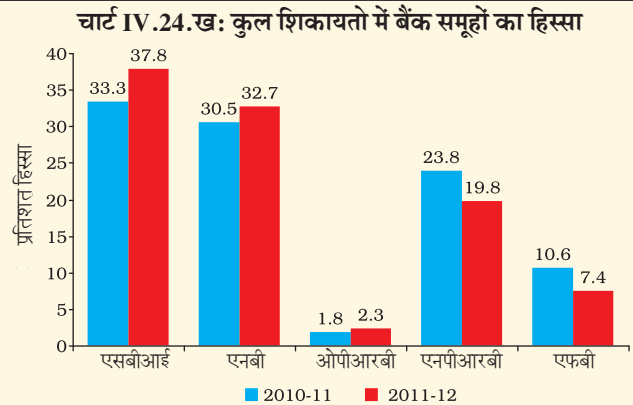

एफपीसी: फेयर प्रैक्टिसेस कोड।

टिप्पणी: चार्ट IV.24क के कोष्टकों के आंकड़े 2011-12 के दौरान दर्ज कुल शिकायतों में क्षेत्र से संबंधित शिकयतों का हिस्सा है।

की गयी प्रतिबद्धताओं में विफलता और पेंशन संबंधी मामलों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में ग्राहक सेवा सुधारने की आवशयकता है। इसके अलावा, क्रेडिट/डेबिट कार्ड संबंधी सेवाओं के संबंध में हाल के वर्षों में ग्राहकों से बार-बार शिकायतें प्राप्त हुई हैं, अत: इस संबंध में सभी बैंक समूहों में सुधार की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी विकास के साथ नेट और मोबाइल बैंकिंग के क्षेत्र में ग्राहक सेवा को अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है ताकि इन प्रौद्योगिकियों में ग्राहकों का विश्वास बढ़ सके।

4.71 ग्राहक डेटा बेस में और सुधार लाने की आवश्यकता है जिससे बैंकों को अपने ग्राहकों के ठिकानों का पता लगाने में सुविधा होगी और साथ ही धोखाधड़ी/धन शोधन के मामले रोकने में भी सहायता मिलेगी। रिज़र्व बैंक ने इस संबंध में यूनीक ग्राहक पहचान कोड नामक एक नई पहल शुरू की है (कृपया अध्याय III का बाक्स III.1 देखें)।

ग्राहक सतर्कता में सुधार लाने की आवश्यकता है ताकि सामान्य ग्राहकों की सहभागिता वाली धोखाधड़ियों को रोका जा सके

4.72 बैंकिंग में प्रौद्योगिकी के अधिक प्रयोग से हाल के समय में इंटरनेट बैंकिंग में धोखाधड़ी की घटनाओं में वृद्धि हुई है। ऐसी धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करते हुए बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के अधिक प्रयोग को बढ़ावा देना रिज़र्व बैंक के हाल के समय में प्रमुख लक्ष्यों में से एक लक्ष्य रहा है। अनधिकृत निधि अंतरण, डुप्लिकेट कार्ड का उपयोग करके एटीएम से धोखाधड़ीपूर्ण आहरण, निजी सूचना प्राप्त करने के लिए फिशिंग ई-मेल का प्रयोग संबंधी शिकायतों में हाल के वर्षों में काफी वृद्धि हुई है।

4.73 इसके अतिरिक्त, मोबाइल/नेट बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण के क्षेत्रों में होने वाली धोखाधड़ी की घटनाएं रोकने के लिए एक मजबूत प्रणाली तैयार करना भी जरूरी है। इसके साथ ही, विभिन्न बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों द्वारा ग्राहक शिक्षा और सतर्कता में सुधार लाने के लिए शुरू की गयी पहलों को बढ़ाने की आवश्यकता है जिसमें बैंकों और राज्य सरकारों का सक्रिय सहयोग जरूरी होगा।

11. वित्तीय समावेशन

4.74 समावेशक वृद्धि के लक्ष्य के समरूप रिज़र्व बैंक ने हाल के वर्षों में वित्तीय समावेशन को उच्च प्राथमिकता दी है। रिज़र्व बैंक ने हाल के वर्षों में देश के दूर-दराज के क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के प्रयास किए हैं। इसमें शाखा प्राधिकृत करने की नीति में किया गया उदारीकरण और वाणिज्य बैंकों को उनकी कुल शाखाओं के कम-से-कम 25 प्रतिशत शाखाएं देश में अब तक बैंक-रहित क्षेत्रों में खोलने के निर्देश देना शामिल है। इसके अलावा, देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में पक्की शाखाएं खोलने में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, रिज़र्व बैंक बैंकों को बैंक बिज़नेस कॉरेस्पांडेंट्स / बिज़नेस फैसिलिटेटर्स के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं विस्तारित करने के लिए प्रोत्साहन देता आया है। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने लाभ के लिए कार्यरत संगठनों को बिज़नेस कॉरेस्पांडेंट्स के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है। इसके अतिरिक्त, बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के लिए प्रौद्योगिकी के लीवरेज को भी रिज़र्व बैंक ने हाल के वर्षों में प्रोत्साहन दिया है। बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल का प्रयोग इस दिशा में उठाया गया एक महत्त्वपूर्ण कदम है। रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए इन सभी उपायों के बावजूद, भारत में वित्तीय समावेशन का विस्तार उन्नत और विकासशील देशों की तुलना में निरंतर महत्त्वपूर्ण बना हुआ है (सारणी IV.32)।

सारणी IV.32: वित्तीय समावेशन के चयनित संकेतक-विभिन्न देशों की तुलना

देश	शाखाओं की संख्या (प्रति 0.1 मिलियन वयस्क)	एटीएम की संख्या (प्रति 0.1 मिलियन वयस्क)	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में बैंक उधार	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में बैंक जमाराशियां
1	2	3	4	5
भारत	**10.64**	**8.90**	**51.75**	**68.43**
ऑस्ट्रेलिया	29.61	166.92	128.75	107.10
ब्राजील	46.15	119.63	40.28	53.26
फ्रान्स	41.58	109.80	42.85	34.77
मेक्सिको	14.86	45.77	18.81	22.65
यूनाइटेड स्टेट्स	35.43	-	46.83	57.78
कोरिया	18.80	-	90.65	80.82
फिलिपीन्स	8.07	17.70	21.39	41.93

टिप्पणी : - : आंकड़े उपलब्ध नहीं है। सभी आंकड़े 2011 से संबंधित हैं।
स्रोत: वित्तीय ऐक्सेस सर्वेक्षण, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष।

नई बैक शाखाओं में से अधिकतर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोली गईं

4.75 नई बैक शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में खोलने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए प्रयासों के अनुसरण में 2011-12 के दौरान खोली गई नई शाखाओं में से आधे से अधिक शाखाएँ ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोली गई थीं। क्षेत्रवार, खोली गई नई शाखाओं में से लगभग 30 प्रतिशत दक्षिणी क्षेत्र में खोली गईं (सारणी IV.33)।

सारणी IV.33 : 2011-12 के दौरान क्षेत्रवार और जनसंख्या समूहवार खोली गई नई बैंक शाखाएं

क्षेत्र	ग्रामीण	अर्ध शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल
1	2	3	4	5	6
केंद्रीय	543	483	240	119	1,385
पूर्वी	301	352	217	89	959
पूर्वोत्तर	43	60	49	-	152
उत्तरी	450	425	187	205	1,267
दक्षिणी	647	871	315	247	2,080
पश्चिमी	269	387	122	297	1,075
कुल	**2,253**	**2,578**	**1,130**	**957**	**6,918**

बहुसंख्य नई बैंक शाखाएं टियर 2-6 में स्थित थीं

4.76 शाखा प्राधिकृत करने की नीति को उदार बनाने के परिणामस्वरूप बैंकों को टियर 2 से टियर 6 वाले केंद्रों में शाखा खोलने के लिए रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। 2011-12 में खोली गई शाखाओं में से लगभग 70 प्रतिशत (4,831 बैंक शाखाएं) टियर 2 से टियर 6 वाले केंद्रों में खोली गईं।

पक्की शाखाओं के स्थानापन्न के रूप में ऑफ साइट एटीएम

4.77 ऑफ साइट एटीएम स्वयंपूर्ण पक्की शाखा के बिना भी नकदी आहरण, निधि अंतरण जैसी आधारभूत बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2011-12 में देश में 14,365 नए ऑफ साइट एटीएम जुड़े। किंतु नए एटीएम में से अधिकतर महानगरीय क्षेत्रों में खोले गए थे। नए एटीएम में से अधिकतर दक्षिणी क्षेत्रों में खोले गए थे जिनके बाद उत्तरी क्षेत्र का स्थान था। किंतु, कुल एटीएम में ग्रामीण क्षेत्रों के एटीएम की संख्या कम ही बनी रही (चार्ट IV.25 और सारणी IV.34)।

2,000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों में बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी होने के करीब है

4.78 मार्च 2012 के अंत में, पहचाने गए 99 प्रतिशत गांवों में बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराए गए। खोले गए नए बैंकिंग आउटलेटों में से 50 प्रतिशत से अधिक चार राज्यों, नामत: उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में हैं। एक सकारात्मक बात यह है कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पहचान किए गए सभी गांवों में बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराए गए हैं। बैंकिंग के विस्तार में हुई प्रगति के क्षेत्रवार विश्लेषण से पता चलता है

चार्ट IV.25क: एटीएम की वृद्धि में जनसंख्या समूहों का हिस्सा 2011-12

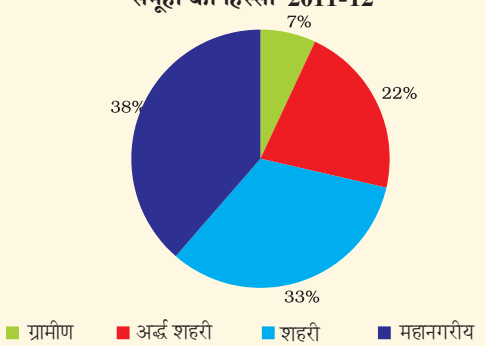

चार्ट IV.25ख: नए खोले गये कुल एटीएमों की संख्या में क्षेत्रों का हिस्सा 2011-12

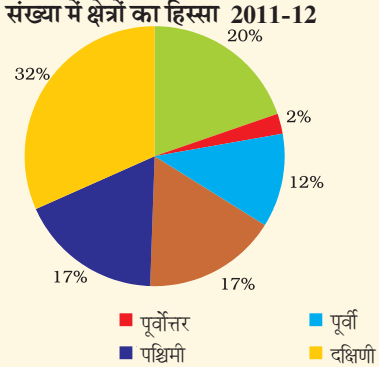

सारणी IV.34 : विभिन्न केन्द्रों में स्थित अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के एटीएम की संख्या

(मार्च 2012 के अंत में)

बैंक समूह	ग्रामीण	अर्ध शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल
1	2	3	4	5	6
सरकारी क्षेत्र के बैंक	**6,673 (11.5)**	**15,135 (26.0)**	**19,213 (33.0)**	**17,172 (29.5)**	**58,193 (100.0)**
राष्ट्रीयकृत बैंक	3,383 (10.9)	6,800 (21.9)	10,186 (32.8)	10,681 (34.4)	31,050 (100.0)
भारतीय स्टेट बैंक समूह	3,290 (12.1)	8,335 (30.7)	9,027 (33.3)	6,491 (23.9)	27,143 (100.0)
निजी क्षेत्र के बैंक	**1,937 (5.4)**	**7,520 (20.8)**	**11,525 (31.9)**	**15,097 (41.8)**	**36,079 (100.0)**
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	523 (9.1)	2,025 (35.1)	1,876 (32.5)	1,347 (23.3)	5,771 (100.0)
निजी क्षेत्र के नए बैंक	1414 (4.7)	5,495 (18.1)	9,649 (31.8)	13,750 (45.4)	30,308 (100.0)
विदेशी बैंक	**29 (2.1)**	**22 (1.6)**	**268 (19.0)**	**1,095 (77.4)**	1,414 **(100.0)**
कुल	**8,639 (9.0)**	**22,677 (23.7)**	**31,006 (32.4)**	**33,364 (34.9)**	**95,686 (100.0)**
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि	**(20.7)**	**(25.4)**	**(28.9)**	**(32.4)**	**(28.4)**

टिप्पणी : कोष्ठक के आंकड़े प्रत्येक बैंक समूह के तहत कुल एटीएम के प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं ।

कि इस संबंध में पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई है (सारणी IV.35)।

वित्तीय समावेशन प्रक्रिया में सरकारी क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं

4.79 पहचान किए गए गांवों में नए बैंकिंग नेटवर्क के बैंक समूह-वार विश्लेषण से पता चलता है कि ग्रामीण भारत में बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार करने में सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने प्रमुख भूमिका निभायी है (चार्ट IV.26)।

4.80 इसके अलावा, सभी लाभों को सीधे ही लाभार्थी के खाते में अंतरित करने के सरकारी आदेश के अनुसरण में रिज़र्व बैंक बैंकों को प्रोत्साहित कर रहा है कि वे इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण व्यवस्था लागू करें। हो सकता है कि सामाजिक सुरक्षा के लाभार्थी 2000 से कम जनसंख्या वाले गांवों में रहते हों, अत: छोटे गांवों में इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण-समर्थित बैंक खाते तत्काल उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण प्रणाली लागू करने के लिए किए गए प्रयास

4.81 रिज़र्व बैंक ने जून 2012 में राज्य स्तरीय बैंक समिति की बैठकों का आयोजन करने वाले बैंकों को सूचित किया कि 2000 से कम जनसंख्या वाले बैंक रहित गांवों को कवर करते हुए योजना बनाएं और समयबद्ध तरीके से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बैंकों को इन गांवों का आबंटन करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभ में देश में प्रत्येक गांव में बिज़नेस कॉरेस्पांडेंट्स पॉइंट होना चाहिए।

4.82 इसके अलावा, बैंकों को सूचित किया गया कि प्रारंभ में वे आबंटित गांवों में बिज़नेस कॉरेस्पांडेंट्स के नियमित संपर्क के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण के लाभार्थियों को डोर स्टेप सेवाएं उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दें ताकि यह एक स्वयं सक्षम कारोबारी मॉडल बन सके; और कुछ समय बाद यह सुनिश्चित करें कि सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाएं, नामत: प्रेषण, आवर्ती जमा, केसीसी और जीसीसी के माध्यम से उद्यमी ऋण, और अन्य बैंकिंग सेवाएं गांव के सभी निवासियों के लिए

सारणी IV.35: 2000 से अधिक जनसंख्या वाले गावों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने की योजना की प्रगति

(31 मार्च 2012 की स्थिति)

क्षेत्र	कवर किये गये गावों की संख्या (मार्च 2010 तक)	2000 से अधिक जनसंख्या वाले गावो में अप्रैल 2010 से मार्च 2012 के बीच खोले गये बैंकिंग आउटलेट				कवर किये गये कुल गावों की संख्या (मार्च 2012 तक)	मार्च 2010 की स्थिति के गुणकों के अनुसार मार्च 2012 में गावों में बैंकिंग का प्रवेश
		शाखाएं	बीसी	अन्य साधन	कुल		
उत्तरी	4,363	241	7,868	67	8,176	12,539	2.9
पूर्वोत्तर	1,093	382	2,795	7	3,184	4,277	3.9
पूर्वी	6,767	444	19,019	579	20,042	26,809	4.0
केंद्रीय	6,935	491	19,256	535	20,282	27,217	3.9
पश्चिमी	3,409	208	6,849	816	7,873	11,282	3.3
दक्षिणी	5,894	727	13,587	328	14,642	20,536	3.5
अखिल भारतीय	**28,461**	**2,493**	**69,374**	**2,332**	**74,199**	**1,02,660**	**3.6**

चार्ट IV.26(क): 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले गावों में खोले गये नये बैंकिंग आउटलेट में बैंक समूहों का हिस्सा (मार्च 2012 को समाप्त)

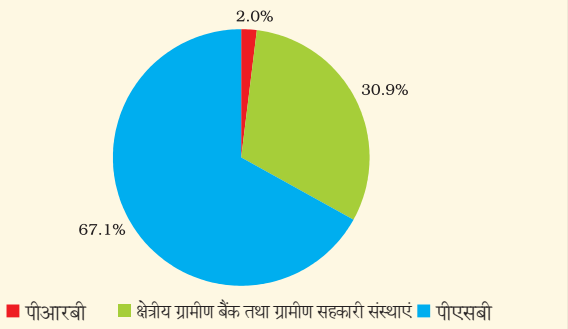

चार्ट IV.26(ख): 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले गावों में बैंकिंग आउटलेट रखने वाले सरकारी क्षेत्र के बैंकों की संरचना (मार्च 2012 को समाप्त)

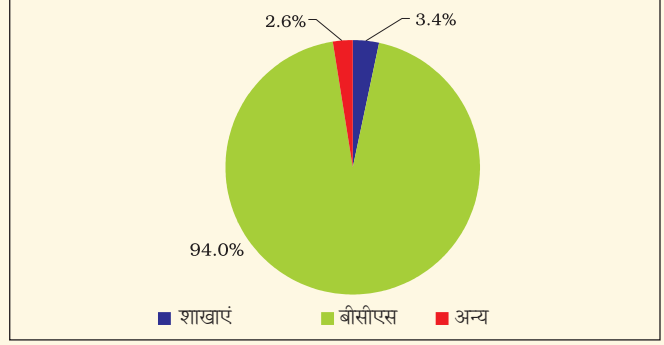

पक्की शाखाओं और कारोबार संपर्की नेटवर्क के संयुक्त रूप में उपलब्ध हो जाएं।

4.83 तत्कालीन 'एक जिला एक बैंक' मॉडल के तहत संबंधित जिले के सभी गांवों में इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण लागू करने में एक शीर्ष बैंक को आयी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने 'इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण लागू करने संबंधी अपने परिचालनात्मक दिशानिर्देश और वित्तीय समावेशन के साथ इसका समन्वय' में 'एक जिला-अनेक बैंक-एक नेता बैंक' मॉडल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण लागू करने की सिफारिश की। इस मॉडल के तहत, संबंधित जिले में उपस्थित सभी बैंक इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण में सहभागी होंगे हालांकि प्रशासनिक सुविधा के लिए सरकार नेता बैंक के साथ ही संपर्क करेगी। यह संशोधित मॉडल सरल और स्तरबद्ध होने के कारण इससे इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण लागू करने के कार्य में गति आने की संभावना है।

वित्तीय समावेशन योजना प्रगति पर है

4.84 सरकारी और निजी क्षेत्र के सभी बैंकों को सूचित किया गया कि वे अप्रैल 2010 से अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित तीन वर्षीय वित्तीय समावेशन योजना शुरू करें। वित्तीय समावेशन योजना में सामान्यत: निम्नलिखित के संबंध में स्व-निर्धारित लक्ष्य शामिल होने चाहिए: i) ग्रामीण पक्की शाखाएं खोलना; बिज़नेस कॉरेस्पांडेंट्स को नियोजित करना; ii) शाखाओं/ बिज़नेस कॉरेस्पांडेंट्स /अन्य मॉडलों के माध्यम से 2000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों और साथ ही 2000 से कम जनसंख्या वाले बैंक रहित गांवों को कवर करना; iii) बीसी-आईसीटी के माध्यम से शामिल करते हुए नो-फ्रिल खाते खोलना; iv) वित्तीय दृष्टि से अलग रह गए लोगों के लिए उनके द्वारा विशेष रूप से बनाए गए उत्पाद और किसान क्रेडिट कार्ड तथा जनरल क्रेडिट कार्ड जारी करना।

4.85 बैंकों द्वारा वित्तीय समावेशन योजना लागू करने में पिछले दो वर्षों में की गयी प्रगति सराहनीय रही है। इस प्रगति के संक्षिप्त विश्लेषण से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग का काफी अच्छा विस्तार हुआ है। मार्च 2012 के अंत में, कारोबार संपर्की के माध्यम से कवर किए गए गांव वित्तीय समावेशन योजना के तहत कवर हुए कुल गांवों के 80 प्रतिशत से अधिक थे। इससे पता चलता है कि ग्रामीण भारत में बैंकों और ग्राहकों द्वारा वित्तीय समावेशन योजना के बिज़नेस कॉरेस्पांडेंट्स मॉडल को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है।

आईसीटी-आधारित खातों के माध्यम से हुए लेनदेन की मात्रा में निरंतर वृद्धि हुई

4.86 नो-फ्रिल्स खातों से छोटे ग्राहक इन-बिल्ट ओवरड्राफ्ट सुविधा के रूप में व्यवस्थित रूप से ऋण प्राप्त कर पाते हैं। मार्च 2012 के अंत में नो-फ्रिल्स खातों की संख्या 100 मिलियन से आगे निकल गयी थी। किंतु इन नो-फ्रिल्स खातों में से मात्र दो प्रतिशत में ही ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध थी। इस संबंध में एक अच्छी बात यह देखी गयी है कि नो-फ्रिल्स खातों के प्रतिशत के रूप में आईसीटी-आधारित खातों की संख्या में पिछले दो वर्षों में निरंतर वृद्धि हुई है जो ग्रामीण ग्राहकों के बीच आईसीटी-आधारित उत्पादों की स्वीकार्यता में वृद्धि दर्शाती है।

4.87 आगामी वर्षों में नो-फ्रिल्स खातों में हुए लेनदेनों की संख्या और मूल्य तथा आईसीटी-आधारित बिज़नेस कॉरेस्पांडेंट्स आउटलेटों के माध्यम से वितरित ऋण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ, बैंकों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि उनके मुख्यालयों द्वारा तैयार की गयी वित्तीय समावेशन योजनाएं संबंधित नियंत्रक कार्यालयों और शाखा स्तर पर वितरित की जाती हैं और इन स्तरों पर होने वाली प्रगति की आवधिक निगरानी की प्रणाली लागू की जाती है। बैंकों द्वारा वित्तीय समावेशन योजना के तहत की गयी प्रगति का ब्योरा सारणी IV.36 में दिया गया है।

एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम और माइक्रो फाइनैंस

4.88 स्व-सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम की शुरुआत नाबार्ड ने 1992 में प्रायोगिक तौर पर की थी जिसमें तीन एजेंसियां, नामत: स्व-सहायता समूह, बैंक और गैर-सरकारी संगठन शामिल थे। शुरुआत में स्व-सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम की प्रगति धीमी थी, किंतु 1999 से इसका तेजी से विस्तार हुआ। मार्च 2012 के अंत में, 103 मिलियन ग्रामीण हाउसहोल्डों की विभिन्न बैंकों से जुड़े 7.96 मिलियन स्व-सहायता समूहों के माध्यम से नियमित बचत तक पहुंच थी। बैंकों में बचत खाता बनाए रखने वाले स्व-सहायता समूहों की संख्या में 2011-12 के दौरान वृद्धि हुई, किंतु पिछले वर्ष की तुलना में बैंकों में स्व-सहायता समूहों की बचत की शेष राशि में गिरावट आयी है।

4.89 हाल के वर्षों में माइक्रो-फाइनैंस संस्थाएं देश के ग्रामीण भागों में ऋण चैनलिंग के महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में उभरी हैं जिसका कारण इन क्षेत्रों में उनकी व्यापक पहुंच और औसत ग्रामीण ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप वित्तीय उत्पाद प्रस्तुत करने की उनकी योग्यता है (सारणी IV.37)।

12. स्थानीय क्षेत्र के बैंक

4.90 स्थानीय क्षेत्र के बैंक वित्तीय समावेशन प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्थानीय क्षेत्र के बैंक 1996 में अस्तित्व में आए जो कि 500 मिलियन ₹ की न्यूनतम प्रदत्त पूंजी के साथ निजी क्षेत्र में स्थानीय बैंकों की स्थापना के रिज़र्व बैंक के प्रयासों का नतीजा थे। यह अपेक्षा की गई थी कि स्थानीय क्षेत्र

सारणी IV.36: वित्तीय समावेशन योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति

क्रम सं.	विवरण	मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार	मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4
1	नियोजित किए गए कुल ग्राहक सेवा पॉईंट की संख्या	60,993	1,16,548
2	गावों में कुल बैंकिंग आउटलेट, *जिसमें से*	1,16,208	1,81,753
	2.1 शाखाएं	34,811	37,471
	2.2 बिज़नेस कॉरेस्पांडेंट	80,802	1,41,136
	2.3 अन्य माध्यम	595	3146
3	बिजनेस कॉरेस्पांडेंट के माध्यम से कवर किए गए शहरी स्थान	3,771	5,891
4	बिजनेस कॉरेस्पांडेंट के माध्यम से सूचना और संचार प्रोद्योगिकी आधारित खाते(संख्या मिलियन में)	32	57
5	सूचना और संचार प्रोद्योगिकी आधारित खाते-लेनदेन (संख्या मिलियन में)	84	141
6	सूचना और संचार प्रोद्योगिकी आधारित खाते लेनदेन (राशि बिलियन में)	58	93
7	नो फ्रिल खातों की संख्या (मिलियन में)	105	139
8	नो फ्रिल खातों में राशि (₹ बिलियन में)	76	120
9	ओडी सहित नो फ्रिल खातों की संख्या (मिलियन में)	0.6	2.7
10	ओडी सहित नो फ्रिल खातों में राशि (₹ बिलियन में)	0.3	1.1
11	बकाया केसीसी की संख्या (मिलियन में)	27	30
12	बकाया केसीसी की राशि (₹ बिलियन में)	1,600	2,068
13	बकाया जीसीसी की संख्या (मिलियन में)	1.7	2.1
14	बकाया जीसीसी की राशि (₹ बिलियन में)	35	42

सारणी IV.37: माइक्रोफाइनैंस कार्यक्रमों की प्रगति
(मार्च की समाप्ति पर)

मद	स्वयं सहायता समूह*					
	संख्या (मिलियन में)			राशि (₹ बिलियन में)		
	2009-10	2010-11	2011-12अ	2009-10	2010-11	2011-12अ
बैंकों द्वारा संवितरित उधार	1.5 (0.27)	1.2 (0.2)	1.1 (0.2)	145 (22)	145 (25)	165 (26)
बैंकों के पास बकाया उधार	4.8 (1.3)	4.8 (1.3)	4.4 (1.2)	280 (63)	312 (78)	363 (80.5)
बैंकों के पास बचतें	6.9 (1.7)	7.5 (2.0)	8.0 (2.1)	62 (13)	70 (18)	66 (14)
मद	माइक्रोफाइनैंस संस्थाएं					
	संख्या (मिलियन में)			राशि (₹ बिलियन में)		
	2009-10	2010-11	2011-12अ	2009-10	2010-11	2011-12अ
बैंकों द्वारा संवितरित उधार	691	469	465	81	76	52
बैंकों के पास बकाया उधार	1,513	2,176	1,960	101	107	115

टिप्पणी: 1. * कोष्ठकों के आंकड़े स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत आनेवाले स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) संबंधी ब्यौरा दर्शाते हैं।
2. अ: अनंतिम आकड़ें।
स्रोत: नाबार्ड।

सारणी IV.38: स्थानीय क्षेत्र के बैंकों का प्रोफ़ाइल

(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ बिलियन में)

बैंक	आस्तियां		जमा		सकल अग्रिम	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड	7.50	9.67	6.48	8.20	4.20	5.18
	(67.8)	(71.0)	(72.3)	(73.8)	(65.2)	(67.2)
कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड	1.58	1.93	1.22	1.51	1.00	1.26
	(14.3)	(14.2)	(13.6)	(13.6)	(15.6)	(16.4)
कृष्ण भीम समृद्धि लोकल एरिया बैंक लिमिटेड	1.38	1.35	0.93	1.00	0.88	0.84
	(12.4)	(9.9)	(10.3)	(9.0)	(13.7)	(10.9)
सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड	0.61	0.68	0.34	0.39	0.36	0.43
	(5.5)	(5.0)	(3.8)	(3.5)	(5.5)	(5.6)
स्थानीय क्षेत्र के सभी बैंक	**11.07**	**13.63**	**8.97**	**11.10**	**6.44**	**7.71**
	(100)	**(100)**	**(100)**	**(100)**	**(100)**	**(100)**

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े कुल में प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं । आंकड़ों का पूर्णांकन ₹ बिलियन में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घटबढ़ हो सकती है ।
स्रोत: ऑफ साइट विवरणियों (घरेलू) पर आधारित ।

के बैंक कृषि और संबंधित कार्यों, लघु उद्योगों, कृषि-औद्योगिक कार्यों, व्यापार कार्यों और कृषीतर क्षेत्रों को ऋण देंगे। स्थानीय क्षेत्र के बैंकों को एएनबीसी के 40 प्रतिशत का प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र का लक्ष्य और इसमें से न्यूनतम 25 प्रतिशत कमजोर वर्गों को देने का लक्ष्य पूरा करना होता है।

4.91 रिज़र्व बैंक ने शुरू में छह स्थानीय क्षेत्र के बैंकों को लाइसेंस दिया था किंतु बाद के वर्षों में उनमें से चार ही कार्यरत रह पाए। इन चार बैंकों में से अकेले कैपिटल लोकल एरिया बैंक की आस्तियां सभी चार स्थानीय क्षेत्र के बैंकों की कुल आस्तियों के 70 प्रतिशत से अधिक थीं (सारणी IV.38 और IV.39)।

सारणी IV.39 : स्थानीय क्षेत्र के बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि ₹ बिलियन में)

	राशि		प्रतिशत घटबढ़	
	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1. आय (i+ii)	**1.2**	**1.5**	**19.2**	**25.0**
i) ब्याज आय	1.1	1.4	24.4	27.3
ii) अन्य आय	0.2	0.2	-5.6	-
2. खर्च (i+ii+iii)	**1.1**	**1.3**	**15.4**	**18.2**
i) व्यय किया गया ब्याज	0.6	0.8	7.8	33.3
ii) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	0.1	0.1	62.5	7.7
iii) परिचालन व्यय	0.4	0.4	15.6	-
जिसमें से: वेतन बिल	0.2	0.2	21.4	-
3. लाभ				
i) परिचालन लाभ / हानि	**0.3**	**0.3**	**52.4**	-
ii) निवल लाभ / हानि	**0.2**	**0.2**	**46.2**	-
4. अंतर (निवल ब्याज आय)	**0.5**	**0.6**	**48.6**	**20.0**
5. कुल आस्तियां	**11.1**	**13.6**	**17.0**	**22.5**
6. वित्तीय अनुपात @			-	-
i) परिचालन लाभ	3.0	2.6	-	-
ii) निवल लाभ	1.8	1.5	-	-
iii) आय	12.1	12.3	-	-
iv) ब्याज आय	10.5	11.0	-	-
v) अन्य आय	1.6	1.3	-	-
vi) व्यय	10.3	10.8	-	-
vii) व्यय किया गया ब्याज	5.4	6.2	-	-
viii) परिचालन व्यय	3.7	3.6	-	-
ix) वेतन बिल	1.6	1.7	-	-
x) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	1.2	1.1	-	-
xi) स्प्रेड (निवल ब्याज आय)	5.1	4.9	-	-

टिप्पणी 1. @कुल औसत आस्तियों का अनुपात ।
2. आंकड़ों का पूर्णांकन ₹ बिलियन में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घटबढ़ हो सकती है ।
3. - : कुछ नहीं/ नगण्य।
स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियों पर आधारित।

13. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

4.92 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों जैसे ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समेकित तुलनपत्रों में पिछले वर्ष की तुलना में कम वृद्धि हुई। देयता पक्ष में, कम वृद्धि का मुख्य कारण जमाराशि और उधार में कम वृद्धि था। आस्ति पक्ष में, तुलनपत्र में गिरावट का कारण रिज़र्व बैंक में रखे शेषों में कमी आना और निवेश में गिरावट होना था। यह उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल जमाराशि में चालू खाता और बचत खाता जमाराशि का हिस्सा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऐसे हिस्से की तुलना में अधिक था (सारणी IV.40)।

4.93 2011-12 के दौरान, देश में कार्यरत कुल 82 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 75 लाभ की स्थिति में जबकि शेष सात हानि की स्थिति में थे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निवल लाभ में हाल के

चार्ट IV.27: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की लाभप्रदता की प्रवृत्ति

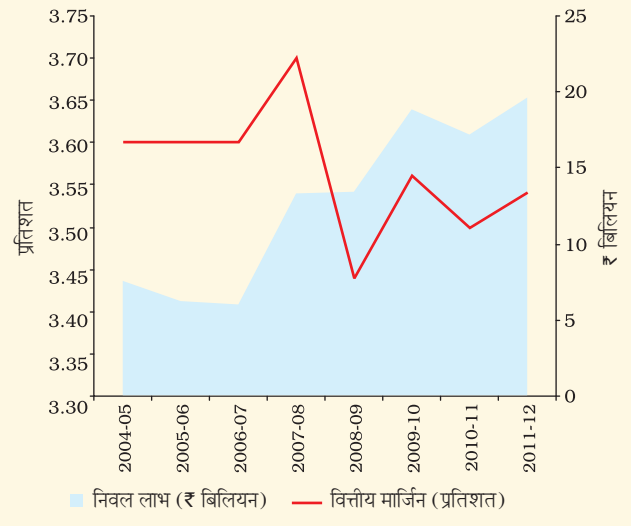

वर्षों में सुधार हुआ किंतु उनके निवल मार्जिन में मिश्रित प्रवृत्ति देखी गयी (चार्ट IV.27 और सारणी IV.41)।

सारणी IV.40: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समेकित तुलन-पत्र

(राशि ₹ बिलियन में)

क्रम सं.	मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घटबढ़	
		2011	2012अ	2010-11	2011-12अ
1	शेयर पूंजी	2	2	0.0	0.0
2	आरक्षित निधियां	96	113	18.6	17.9
3	शेयर पूंजी जमा	41	50	2.3	22.3
4	जमाराशियां	1,662	1,863	14.6	12.1
	4.1 चालू	92	104	13.9	12.7
	4.2 बचत	911	986	20.1	8.2
	4.3 सावधि	659	774	7.9	17.4
5	से लिए गए उधार	265	303	41.1	14.3
	5.1 नाबार्ड	160	213	28.2	33.0
	5.2 प्रायोजक बैंक	98	88	58.3	-10.4
	5.3 अन्य	7	2	696.4	-71.4
	5.4 अन्य देयताएं	88	95	9.5	7.4
	कुल देयताएं / आस्तियां	**2,154**	**2,425**	**17.0**	**12.6**
6	नकदी	21	23	19.1	9.5
7	आरबीआई के पास शेष	99	89	20.9	-10.2
8	अन्य बैंक शेष	452	478	15.6	5.9
9	निवेश	542	603	14.5	11.2
10	ऋण और अग्रिम (निवल)	947	1,130	19.7	19.3
11	अचल आस्तियां	5	7	21.1	40.0
12	अन्य आस्तियां #	89	96	7.5	7.9
	ज्ञापन मद				
1	ऋण-जमा अनुपात	59.5	63.3		
2	निवेश-जमा अनुपात	52.0	49.8		
3	(ऋण + निवेश) - जमा अनुपात	111.5	113.1		

टिप्पणी: 1. अ: अनंतिम
2. # संचित हानि सहित ।
3. आंकड़ों का पूर्णांकन ₹ बिलियन में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घटबढ़ हो सकती है।

स्रोत: नाबार्ड ।

सारणी IV.41: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि ₹ बिलियन में)

क्रम सं.	मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घटबढ़	
		2011	2012अ	2010-11	2011-12अ
1	2	3	4	5	6
1	**आय** (i + ii)	**162**	**201**	**17.2**	**24.1**
	i ब्याज आय	152	189	17.6	**24.3**
	ii अन्य आय	10	11	12.4	**10.0**
2	**व्यय** (i+ii+iii)	**145**	**181**	**21.4**	**24.8**
	i ब्याज व्यय	86	112	16.7	**30.2**
	ii परिचालन व्यय	49	55	38.0	**12.2**
	जिसमें से: वेतन बिल	38	40	42.9	**5.3**
	iii प्रावधान और आकस्मिक व्यय	10	13	-3.9	**30.0**
3	**लाभ**				
	i परिचालन लाभ	27	33	-6.9	**22.2**
	ii निवल लाभ	17	20	-8.5	**17.6**
4	**कुल आस्तियां**	**2,154**	**2,425**	**17.0**	**12.6**
5	**वित्तीय अनुपात #**				
	i परिचालन लाभ	1.3	1.4		
	ii निवल लाभ	0.8	0.8		
	iii आय (क+ख)	7.5	8.3		
	(क) ब्याज आय	7.0	7.8		
	(ख) अन्य आय	0.5	0.5		
	iv व्यय (क+ख+ग)	6.7	7.4		
	(क) व्यय किया गया ब्याज	4.0	4.6		
	(ख) परिचालन व्यय	2.3	2.3		
	जिसमें से : वेतन बिल	0.6	1.6		
	(ग) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	0.5	0.5		

टिप्पणी: 1. अ : अनंतिम
2. #: वित्तीय अनुपात औसत कुल आस्तियों के संबंध में है।
3. आंकड़ों का पूर्णांकन ₹ बिलियन में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घटबढ़ हो सकती है ।
4. आंकड़ों का पूर्णांकन ₹ बिलियन में करने के कारण घटकों और उनके योग में अंतर हो सकता हैं।

स्रोत: नाबार्ड।

सारणी IV.42: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण का प्रयोजन-वार वितरण

(राशि ₹ बिलियन में)

क्र. सं.	प्रयोजन	मार्च को समाप्त	
		2011	2012अ
1	2	3	4
1.	कृषि (i से iii)	**551** (55.7)	**641** (53.2)
	i अल्पकालिक ऋण (फसल ऋण)	407	474
	ii मीयादी ऋण (कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए)	144	167
	iii अप्रत्यक्ष अग्रिम	-	-
2.	कृषि से इतर (i से iv)	**439** (44.3)	**564** (46.8)
	i ग्रामीण कारीगर	9	11
	ii अन्य उद्योग	26	36
	iii खुदरा व्यापार	51	66
	iv अन्य प्रयोजन	353	452
कुल (1+2)		**989**	**1,206**
	ज्ञापन मदें:		
(क)	प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र	826	974
(ख)	गैर-प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र	163	231
(ग)	कुल ऋण में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा	83.5	80.8

टिप्पणी: 1. अ: अनंतिम - : कुछ नहीं/ नगण्य।
2. आंकड़ों का पूर्णांकन ₹ बिलियन में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घटबढ़ हो सकती है ।
3. आंकड़ों का पूर्णांकन ₹ बिलियन में करने के कारण प्रतिशत के अंतर में कुछ घटबढ़ हो सकती है ।

स्रोत: नाबार्ड।

4.94 मार्च 2012 के अंत में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल ऋण में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अग्रिम 80 प्रतिशत से अधिक थे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वितरित ऋण की उद्देश्य-वार संरचना 2011-12 के दौरान अपरिवर्तित रही जिसमें से कुल में से आधे से अधिक ऋण कृषि क्षेत्र को दिये गये थे (सारणी IV.42)।

समग्र आकलन

4.95 2011-12 के दौरान बैंकों का निष्पादन देशी अर्थव्यवस्था में नरमी और उच्च ब्याज दर के वातावरण से प्रभावित था। किंतु भारतीय बैंक अच्छी तरह से पूंजीकृत रहे। इसके अलावा, कम लागत-आय अनुपात और निवल ब्याज मार्जिन के कारण बैंकों की कार्यकुशलता में सुधार हुआ है। वित्तीय समावेशन योजना के तहत बैंकों द्वारा की गयी प्रगति सामान्यत: संतोषजनक थी।

बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट चिंता का विषय बना हुआ है

4.96 बैंकों के मामले में सामान्य रूप से और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में विशेष रूप से, अनर्जक आस्तियों में हुई तेज वृद्धि से आस्ति गुणवत्ता में गिरावट आना गंभीर चिंता के रूप में उभरा है। इसके अलावा, स्लिपेज अनुपात से, अनर्जक आस्तियों में नए सिरे से भी काफी वृद्धि हुई है। साथ ही, प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात में गिरावट आयी। बैंकों द्वारा अग्रिमों के पुनर्निर्धारण का व्यापक रूप से सहारा लेने के बावजूद, दीर्घावधि में आस्ति गुणवत्ता पर इसका प्रभाव पड़ने की संभावना है क्योंकि इन पुनर्निर्धारित अग्रिमों के अशोध्य ऋण बनने की संभावना रहती है।

आस्ति-देयता असंतुलन पर बुनियादी सुविधा उधार के प्रभाव की सूक्ष्म निगरानी आवश्यक है

4.97 बैंकों की चलनिधि की स्थिति तनावग्रस्त रही जो 2011-12 के दौरान के नीतिगत वातावरण तथा संरचनात्मक मुद्दों को दर्शाती है। बुनियादी सुविधा ऋण वृद्धि मंद रहने के बावजूद यह उद्योग को प्राप्त कुल बैंक ऋण का लगभग एक-तिहाई बनी रही। निर्माण आरंभ से उत्पादन शुरू होने की दीर्घ अवधि वाली बुनियादी सुविधा परियोजनाओं के प्रति व्यापक एक्सपोज़र बैंकिंग क्षेत्र में पहले से ही मौजूद अवधिपूर्णता संबंधी असंतुलन को और बढ़ा सकता है। इसके अलावा, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को बढ़ते अशोध्य ऋण और बुनियादी सुविधा परियोजनाओं के प्रति दीर्घकालिक एक्सपोज़र की सावधानीपूर्वक निगरानी करने की आवश्यकता है।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधार का लक्ष्य पूरा करने में बैंकों की असमर्थता चिंता का विषय बना हुआ है

4.98 2011-12 के दौरान, सरकारी क्षेत्र के अधिकतर बैंक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधार का लक्ष्य पूरा करने में विफल रहे। समग्र स्तर पर विदेशी बैंकों का निष्पादन देशी बैंकों की तुलना में बेहतर रहने के बावजूद, बैंकवार आंकड़ों से पता चलता है कि कुछ विदेशी बैंक भी प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधार का लक्ष्य पूरा करने में विफल रहे।

वित्तीय समावेशन और ग्राहक सेवा में और सुधार की आवश्यकता है

4.99 विभिन्न बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों के आंकड़ों से पता चलता है कि अधिकतर शिकायतें सरकारी क्षेत्र के बैंकों से संबंधित थीं। अत: ग्राहक सेवा और विशेष रूप से पेंशन खातों के संबंध में सुधार करने की आवश्यकता है क्योंकि शिकायतों में पेंशन संबंधी शिकायतों का हिस्सा बहुत अधिक था। इसके अलावा, हाल के वर्षों में ग्राहकों की शिकायतों पर बैंकों द्वारा उचित प्रथा संहिता के अननुपालन का परिणाम भी पड़ा। वित्तीय समावेशन में हुई प्रगति संतोषजनक रहने के बावजूद, अब भी काफी लंबा रास्ता तय करना है क्योंकि वित्तीय समावेशन के मामले में भारत अन्य कुछ प्रमुख विकासशील देशों से पिछड़ा हुआ है। बैंकिंग में प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ने के साथ, नेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड के क्षेत्र में ग्राहक सेवा में और सुधार लाने पर अधिक बल देने और विद्यमान इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को और विकसित करने की आवश्यकता है।

अध्याय V

सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियां

शहरी सहकारी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति में हाल के वर्षों में सुधार हुआ है। वर्ष 2011-2012 में, इस क्षेत्र में आस्तियों पर प्रतिलाभ में वृद्धि हुई तथा अनर्जक आस्तियों के अनुपात में और भी कमी हुई। नए कैमेल्स रेटिंग मॉडल के अनुसार शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के कुल बैंकिंग कारोबार का लगभग 78 प्रतिशत हिस्सा 61 प्रतिशत शहरी सहकारी बैंकों के पास है जिनकी रेटिंग 'ए' तथा बीट रही जो इस क्षेत्र की अच्छी वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। ग्रामीण सहकारी संस्थाओं को देखा जाए तो 2010-11 में राज्य सहकारी बैंक और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की लाभप्रदता और आस्ति गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हुआ और सुधार की आंशिक वजह विवेकपूर्ण विनियामक सुधार और अल्पावधि ग्रामीण सहकारी क्षेत्र के लिए पुनरूज्जीवन पैकेज का लागू किया जाना रहे। तथापि दीर्घावधि ऋण देने वाली ग्रामीण सहकारी संस्थाओं जैसे राज्य और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की वित्तीय स्थिति काफी कमजोर रही। इस दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए, यह आवश्यक है कि पुनर्पूंजीकरण और विनियामक सुधारों को जारी रखा जाए ताकि वित्तीय समावेशन और कृषि में ग्रामीण सहकारी क्षेत्र से ऋण सहायता मिल सके।

1. भूमिका

5.1 बैंकों के प्रभुत्व वाली भारतीय वित्तीय प्रणाली में सहकारी संस्थाओं का हिस्सा अपेक्षाकृत कम है; तथापि भौगोलिक तथा जनसांख्यिकीय दृष्टि से उनकी पहुंच को देखते हुए, वित्तीय प्रणाली में उनका प्रमुख स्थान है।[1] भौगोलिक रूप से देखा जाए तो सहकारी समितियां भारत के गावों और छोटे कस्बों में औपचारिक वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में सहायक रही हैं। जनसांख्यिकीय दृष्टि से देखा जाए तो इन संस्थाओं ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में निम्न और मध्य आय वर्ग वाले लोगों तक वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता को सुकर बनाया है।

5.2 वित्तीय प्रणाली में समावेशन बढ़ाने में उनकी भूमिका के बावजूद, ये संस्थाएं कमजोर वित्तीय स्थिति की वजह से खराब हालत में हैं जिनका आंशिक कारण परिचालन और गवर्नेंस से जुड़ी परेशानियां रही हैं। इसलिए इन संस्थाओं में नई जान फूंकने के लिए कई विकासात्मक तथा विनियामक उपाय किए जा रहे हैं। शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में रिज़र्व बैंक ने अपने विज़न दस्तावेज 2005 के क्रम में, अधिक एकीकृत विनियामक ढांचे को अपनाया है जिसका उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को समेकित और मजबूत बनाना है। यदि अल्पावधि ऋण देने वाली ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की बात की जाए तो विवेकपूर्ण विनियमन अपनाए जाने और उसके बाद उनके पुनर्पूंजीकरण से इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वर्तमान में किए जा रहे इन प्रयासों के अलावा, 2011-12 में सहकारी क्षेत्र में बहुत से नए नीतिगत उपाय किए गए हैं जिनका वर्णन अध्याय 3 में किया गया है।

5.3 इस अध्याय में इन नीतिगत प्रयासों के आलोक में 2011-12 में सहकारी संस्थाओं के निष्पादन का विश्लेषण किया गया है। साथ ही इस विश्लेषण में जहां आवश्यक है वहां वित्तीय प्रणाली के अन्य क्षेत्रों की तुलना में समय-क्रम तथा विभिन्न अंशों की आपसी तुलना प्रस्तुत की गई है। चूंकि ग्रामीण सहकारी संस्थाओं से संबंधित आंकड़े एक वर्ष के अंतराल पर ही उपलब्ध हो पाते हैं, इसलिए इन संस्थाओं का विश्लेषण वर्ष 2010-11 तक के लिए ही संभव हो पाया है। इस अध्याय में शामिल विश्लेषण समग्ररूप से 1,618 शहरी सहकारी बैंकों और 94,531 ग्रामीण सहकारी संस्थाओं से संबंधित है जिसमें चार्ट V.1 में दी गई अल्पावधि और दीर्घावधि ऋण देने वाली सहकारी संस्थाएं शामिल हैं।

[1] मार्च 2011 के अंत में ग्रामीण और शहरी सहकारी संस्थाओं को मिलाकर उनकी आस्ति अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा धारित कुल आस्ति का लगभग 12 प्रतिशत रही।

चार्ट V.1: भारत में सहकारी ऋण संस्थाओं का ढांचा

(मार्च 2012 के अंत की स्थिति)

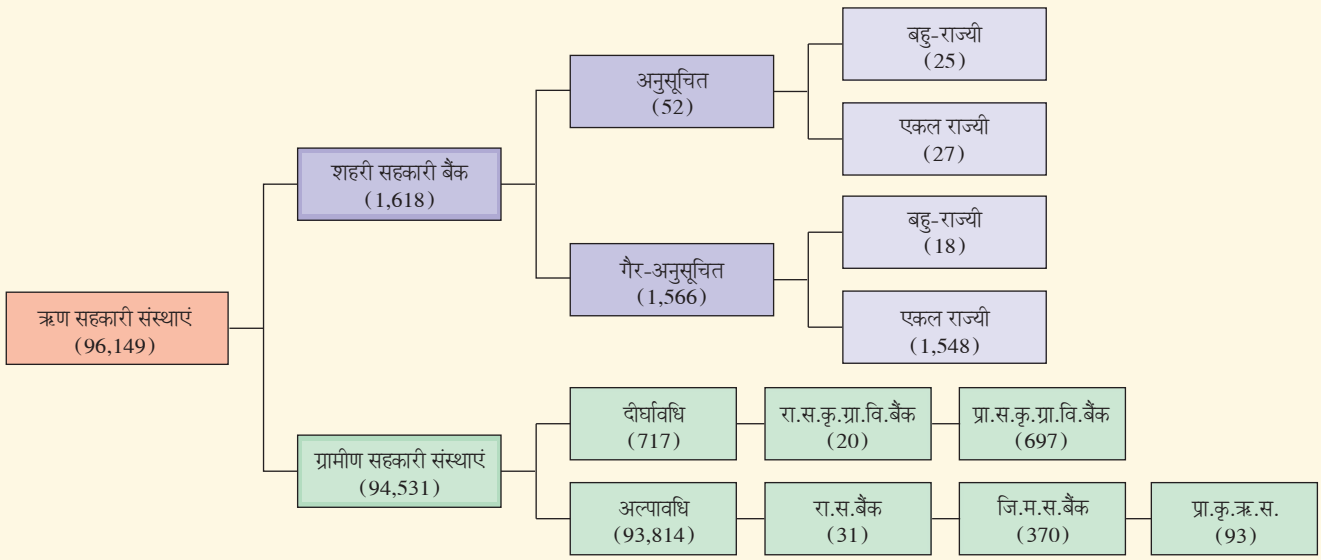

रा.स.बैंक : राज्य सहकारी बैंक; जि.म.स.बैंक: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक; प्रा.कृ.ऋ.स: प्राथमिक कृषि ऋण समिति; रा.स.कृ.ग्रा.वि.बैंक: राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक; प्रा.स.कृ.ग्रा.वि.बैंक : प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक।

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े मार्च 2012 के अंत में शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र में संस्थाओं की संख्या और मार्च 2011 के अंत में ग्राणीण सहकारी संस्थाओं की संख्या दर्शाते हैं।
2. ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के संबंध में सहकारी संस्थाओं की संख्या, रिपोर्टिंग करने वाली सहकारी संस्थाओं की संख्या दर्शाती है।

5.4 इस अध्याय को छह खंडों में बांटा गया है। खंड 2 में शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों एवं देयताओं, आय एवं व्यय तथा सुदृढ़ीकरण के संकेतकों का इस्तेमाल कर उनके निष्पादन का विश्लेषण किया गया है। खंड 3 में अल्पावधि तथा दीर्घावधि ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचे के विभिन्न टियरों (स्तरों) के निष्पादन की समीक्षा की गई है। खंड 4 एवं 5 में ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की लाइसेंसिंग और इन संस्थाओं को दिए जाने वाले पुनरुज्जीवन पैकेज से संबंधित महत्त्वपूर्ण गतिविधियों की चर्चा की गई है। खंड 6 में किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ी गतिविधियों का वर्णन किया गया है, किसान क्रेडिट कार्ड ग्रामीण ऋण से जुड़ी एक योजना है जिसमें ग्रामीण सहकारी संस्थाओं को शामिल किया गया है। खंड 7 में इस अध्याय की प्रमुख बातों का सार प्रस्तुत किया गया है।

2. शहरी सहकारी बैंक

समेकन के जरिए अपेक्षाकृत मजबूत शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र का उद्भव

5.5 रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के पुनरुज्जीवन के लिए वर्ष 2005 में विज़न दस्तावेज प्रस्तुत किया, तब से यह क्षेत्र वित्तीय रूप से मजबूत हुआ है। इस दस्तावेज में रिज़र्व बैंक ने बहुस्तरीय विनियामक और पर्यवेक्षी पद्धति निर्धारित की है। यह पद्धति अर्थक्षम शहरी सहकारी बैंकों के विलय/समामेलन और गैर-अर्थक्षम शहरी सहकारी बैंकों के समाप्त होने पर केंद्रित है। समेकन की इस प्रक्रिया की वजह से शहरी सहकारी बैंकों की संख्या लगातार कम हो रही है (चार्ट V.2)। यह प्रवृत्ति जारी रहने के कारण शहरी सहकारी बैंकों की कुल संख्या मार्च के 2011 अंत में 1,645 थी जो मार्च 2012 के अंत में 1,618 रह गई। इसके अलावा 2005 से 2011 के बीच वित्तीय दृष्टि से मजबूत शहरी सहकारी बैंकों (ग्रेड I एवं II के रूप में परिभाषित शहरी सहकारी बैंक) की संख्या नियमित रूप से बढ़ी है और वित्तीय दृष्टि से कमजोर शहरी सहकारी बैंकों (ग्रेड III एवं IV के रूप में परिभाषित शहरी सहकारी बैंक) की संख्या कम हुई है[2]।

5.6 महाराष्ट्र, जहां शहरी सहकारी बैंकों की संख्या सबसे अधिक है, में सर्वाधिक विलय हुए। 2005 से मार्च 2012 के अंत

[2] शहरी सहकारी बैंकों के ग्रेड आधारित वर्गीकरण के आंकड़े वर्ष 2012 के लिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस प्रकार का वर्गीकरण बंद कर दिया गया है और शहरी सहकारी बैंकों का एक नई रेटिंग आधारित वर्गीकरण शुरू किया गया (इस अध्याय के अंत में विवरण दिया गया है)। शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय निष्पादन के आधार पर ग्रेड तय किये जाते थे जिनमें पूंजी पर्याप्तता, अनर्जक आस्तियों का स्तर और लाभ/हानि का इतिहास जैसे मानक शामिल थे।

चार्ट V.2: वित्तीय क्षमता के आधार पर शहरी सहकारी बैंकों की संख्या और संरचना

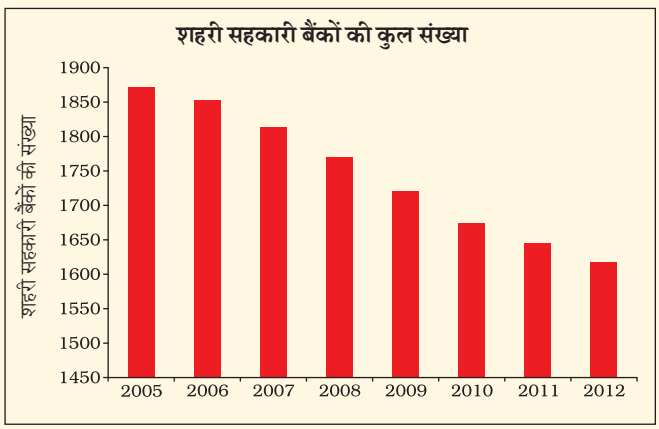

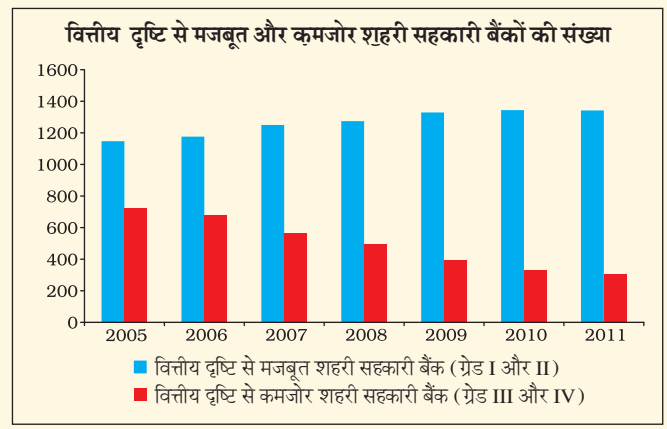

तक कुल जितने भी विलय हुए उसमें महाराष्ट्र का हिस्सा 61 प्रतिशत था जिसके बाद 19 प्रतिशत हिस्से के साथ गुजरात और 8 प्रतिशत हिस्से के साथ आंध्र प्रदेश का क्रम आता है (चार्ट V.3)

चार्ट V.3: मार्च 2012 के अंत की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों में शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र में हुए समेकन की प्रगति

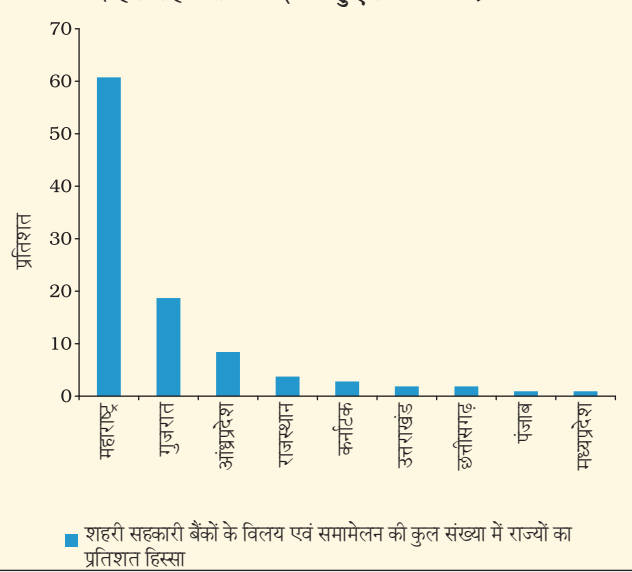

वर्ष 2011-12 में टियर।। शहरी सहकारी बैंकों की संख्या में तेज वृद्धि शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र में हुए विस्तार को प्रतिबिंबित करती है

5.7 2005 के विज़न दस्तावेज के अनुसरण में शहरी सहकारी बैंकों को उनकी जमाराशि के आधार पर टियर । और टियर ।। श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया और इन दोनों श्रेणियों[3] के लिए अलग-अलग विनियामक अपेक्षाएं तय की गईं। हाल के वर्षों में, ऐसे टियर ।। बैंक जिनका जमाराशि आधार बड़ा है और जो भौगोलिक रूप से अधिक स्थानों पर फैले हुए हैं, वे संख्या और आस्ति के आकार की दृष्टि से बढ़ गए हैं। (सारणी V.1 और चार्ट V.4)

शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय मजबूती का आकलन करने के लिए नई कैमेल्स रेटिंग

5.8 शहरी सहकारी बैंकों को विनियामक और पर्यवेक्षी प्रयोजन से पहले उनकी वित्तीय स्थिति के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। कैमेल्स (पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, प्रबंधन, आय, चलनिधि और प्रणालियां एवं नियंत्रण) रेटिंग मॉडल की शुरुआत के साथ, इस प्रकार के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया

[3] ऐसे शहरी सहकारी बैंकों को टियर I शहरी सहकारी बैंकों के रूप में परिभाषित किया गया जो:

- 1 बिलियन रुपये से कम जमाराशि के साथ एक ही जिले में कार्य करते हों।
- 1 बिलियन रुपये से अधिक जमाराशि के साथ एक से अधिक जिले में कार्य करते हों बशर्ते शाखाएं समीपवर्ती जिले में हों और बैंक की कुल जमा तथा अग्रिम में एक अकेले जिले की जमा का अलग से कम-से-कम 95 प्रतिशत हिस्सा हो।
- 1 बिलियन रुपये से कम जमाराशि आधार हो और जिसकी शाखाएं मूल रूप से एक ही जिले में हों लेकिन जिले के पुनर्गठन के कारण वे बाद में बहु-जिलाक्षेत्र वाले बन गए हों।

अन्य सभी शहरी सहकारी बैंक टियर II शहरी सहकारी बैंक के रूप में परिभाषित किए गए हैं।

सारणी V.1: शहरी सहकारी बैंकों का टियर-वार वितरण

(मार्च 2012 के अंत की स्थिति)

(राशि बिलियन रुपये में)

टियर का प्रकार	बैंकों की संख्या		जमा		अग्रिम		आस्ति	
	संख्या	कुल की तुलना में प्रतिशत	संख्या	कुल की तुलना में प्रतिशत	संख्या	कुल की तुलना में प्रतिशत	संख्या	कुल की तुलना में प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
टियर । शहरी सहकारी बैंक	1,234	76.3	410	17.2	260	16.5	527	17.4
टियर ।। शहरी सहकारी बैंक	384	23.7	1,975	82.8	1,320	83.5	2,506	82.6
सभी शहरी सहकारी बैंक	**1,618**	**100.0**	**2,385**	**100.0**	**1,580**	**100.0**	**3,033**	**100.0**

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।

गया और शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए क्रेडिट रेटिंग आधारित नई प्रणाली प्रारंभ की गई है।

5.9 नए कैमेल्स रेटिंग मॉडल के तहत, बैंकों को कैमेल्स के अलग-अलग घटकों की भारित औसत रेटिंग के आधार पर संयुक्त रेटिंग ए/बी/सी/डी (कार्यनिष्पादन के अवरोही क्रम में) दी जा रही है। जब कभी आवश्यक हो, घटकों के छोटे-छोटे खंडों को दर्शाने और बैंक की संयुक्त रेटिंग को दर्शाने के लिए ए/बी/सी रेटिंग के साथ '+' या '-' चिह्न जोड़ दिया जाता है। 'डी' सबसे कम रेटिंग को दर्शाता है।

5.10 नए वर्गीकरण के अनुसार, मार्च 2012 के अंत में 61 प्रतिशत शहरी सहकारी बैंकों की संयुक्त रेटिंग ए और बी थी और शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के कुल बैंकिंग कारोबार (जमा तथा ऋण मिलाकर) में इनका हिस्सा लगभग 78 प्रतिशत था। इसके अलावा, 32 प्रतिशत शहरी सहकारी बैंकों की संयुक्त रेटिंग 'सी' थी और शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के कुल बैंकिंग कारोबार में ऐसे शहरी सहकारी बैंकों का हिस्सा लगभग 18 प्रतिशत था। केवल 7 प्रतिशत शहरी सहकारी बैंकों की रेटिंग सबसे कम अर्थात 'डी' रेटिंग थी जो सबसे कमजोर वित्तीय स्थिति का द्योतक है। (सारणी V.2)

सारणी V.2: रेटिंग के आधार पर शहरी सहकारी बैंकों का वितरण

(मार्च 2012 के अंत की स्थिति)

(राशि बिलियन रुपये में)

रेटिंग	शहरी सहकारी बैंकों की संख्या	कुल संख्या में प्रतिशत	जमाराशि	कुल जमाराशि में प्रतिशत	अग्रिम	कुल अग्रिम में प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
ए+	5	0.3	36	1.5	27	1.7
ए	46	2.8	366	15.3	251	15.9
ए-	140	8.7	388	16.3	263	16.6
बी+	296	18.3	491	20.6	332	21.0
बी	353	21.8	432	18.1	284	18.0
बी-	141	8.7	148	6.2	93	5.9
सी+	318	19.7	303	12.7	193	12.2
सी	145	9.0	79	3.3	49	3.1
सी-	59	3.6	52	2.2	32	2.0
डी	115	7.1	91	3.8	56	3.6
कुल	**1,618**	**100.0**	**2,385**	**100.0**	**1,580**	**100.0**

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।

चार्ट V.4: शहरी सहकारी बैंकों की टियर-वार संरचना

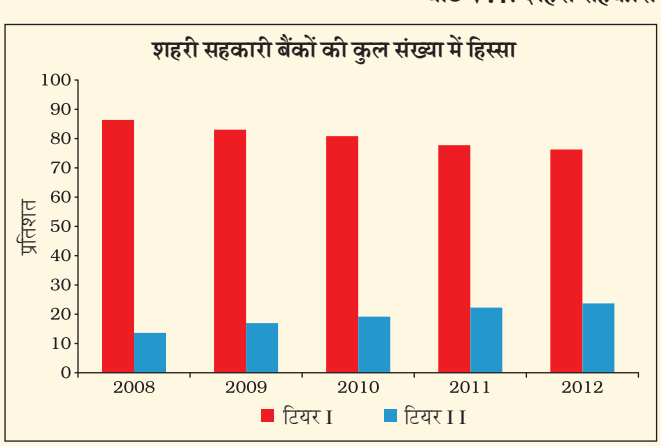

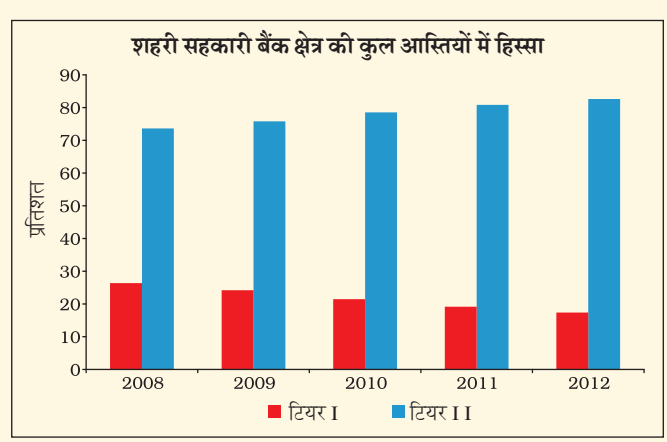

सारणी V.3: जमा एवं अग्रिम के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों का वितरण

जमाराशि (बिलियन रुपये)	शहरी सहकारी बैंकों की संख्या		जमाराशि की संख्या		अग्रिम (बिलियन रुपये)	शहरी सहकारी बैंकों की संख्या		अग्रिम की राशि	
	संख्या	प्रतिशत हिस्सा	राशि	प्रतिशत हिस्सा		संख्या	प्रतिशत हिस्सा	राशि	प्रतिशत हिस्सा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0 - 0.10	258	15.9	17	0.7	0 - 0.10	459	28.4	29	1.8
0.10 - 0.25	392	24.2	72	3.0	0.10 - 0.25	450	27.8	75	4.8
0.25 - 0.50	324	20.0	122	5.1	0.25 - 0.50	256	15.8	93	5.9
0.50 - 1.0	300	18.5	321	13.5	0.50 - 1.0	199	12.3	146	9.2
1.0 - 2.5	205	12.7	314	13.2	1.0 - 2.5	149	9.2	256	16.2
2.5 - 5.0	60	3.7	194	8.1	2.5 - 5.0	50	3.1	177	11.2
5.0 - 10.0	40	2.5	264	11.1	5.0 - 10.0	34	2.1	227	14.4
10.0 और अधिक	39	2.4	1,081	45.3	10.0 और अधिक	20	1.2	577	36.5
कुल	**1,618**	**100.0**	**2,385**	**100.0**	**कुल**	**1,618**	**100.0**	**1,580**	**100.0**

2011-12 में शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र की आस्ति के संकेंद्रण में वृद्धि हुई

5.11 विगत वर्षों में, शहरी सहकारी बैंकों के समेकन में कमी के परिणामस्वरूप शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र में आस्ति के संकेंद्रण में वृद्धि हुई है। 2008 और 2012 के बीच 10 बिलियन रुपयों से अधिक आस्ति आकार वाले शहरी सहकारी बैंकों की संख्या चौगुनी हो गई। उल्लेखनीय यह है कि इस अवधि के दौरान शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र की कुल आस्तियों में ऐसे शहरी सहकारी बैंकों का हिस्सा लगभग 37 प्रतिशत से बढ़कर 48 प्रतिशत हो गया (चार्ट V.5)।

5.12 मार्च 2012 के अंत में, शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र की कुल जमाराशि में 10 बिलियन रुपयों से अधिक के आधार वाले शहरी सहकारी बैंकों का हिस्सा 45 प्रतिशत था। इसके अलावा, शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के कुल अग्रिम में 10 बिलियन रुपयों से अधिक ऋण आकार वाले शहरी सहकारी बैंकों का हिस्सा लगभग 37 प्रतिशत था (सारणी V.3)। बॉक्स V.1 में बाजार संकेंद्रण के विभिन्न सांख्यिकीय मापदंडों का उपयोग करते हुए शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र में संकेंद्रण पर विस्तृत चर्चा की गई है।

वर्ष 2011-12 में शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों में कम वृद्धि हो रही है

5.13 वर्ष 2005 में सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद से शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों की वृद्धि में काफी तेजी आई और यह एक अंक से बढ़कर द्विअंकीय हो गई। तथापि, 2009-10 में 18 प्रतिशत के उच्च स्तर तक पहुंचने के बाद वृद्धि लगातार धीमी होती रही, परंतु यह दो अंकों में बनी रही (चार्ट- V.6)।

5.14 2011-12 में ऋण वृद्धि में नरमी आई जो संभवतः वर्ष के दौरान अधिकतर समय ब्याज दरें ऊंची बनी रहने और ऋण मांग कम रहने की सूचक है। एसएलआर निवेशों (सारणी V.4 और V.5) की वृद्धि में आई कमी के कारण 2011-12 में निवेश में भी वृद्धि धीमी रही जबकि शहरी सहकारी बैंकों की निधियों का दूसरा सबसे बड़ा उपयोग निवेश के लिए होता है।

चार्ट V.5: आस्ति के आकार के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों का वितरण

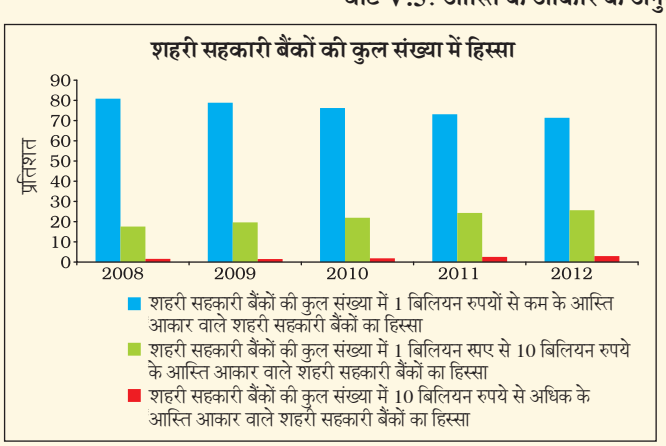

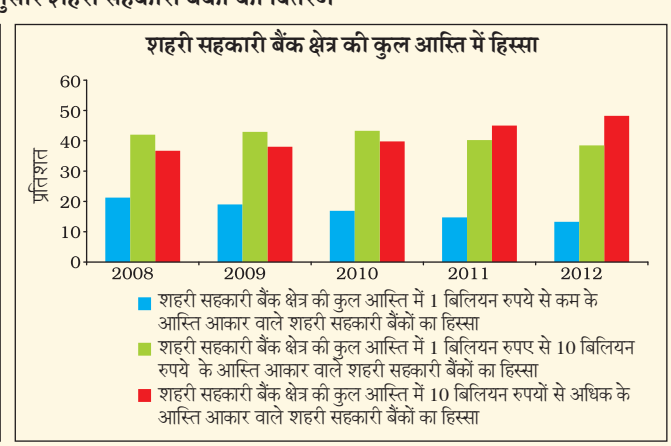

बॉक्स V.1 शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के भीतर बाजार संकेंद्रण का एक विश्लेषण

शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के समेकन से संबंधित विज़न दस्तावेज के तैयार किए जाने और मार्गदर्शन के जारी होने के बाद से इस क्षेत्र में असाधारण वृद्धि हुई। 2005 से 2012 के बीच लगभग 13 प्रतिशत की कई गुना अधिक वार्षिक वृद्धि के साथ मार्च 2012 के अंत तक इनका हिस्सा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक क्षेत्र में 3.7 प्रतिशत हो गया।

चूंकि यह क्षेत्र समेकित हुआ है, इसलिए इस क्षेत्र के भीतर संकेंद्रण के स्तर में वृद्धि हुई है। यद्यपि बाजार संकेंद्रण का विश्लेषण बहुत सारे सांख्यिकी मापदंडों का उपयोग कर किया जाता है, तथापि शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों की उपलब्धता के मद्देनजर यहां कुछ मापदंडों का चयन किया गया है। उपयोग में लाए गए दो मापदंड निम्नलिखित हैं:

(क) सर्वोच्च चार/आठ/दस बाजार संस्थाओं की हिस्सेदारी (सीआर$_4$/सीआर$_8$/ सीआर$_{10}$) जिसे निम्नलिखित ढंग से परिभाषित किया गया है:

$$CR_k = \sum k_{i=1} S_i$$

जहां S_i संस्था 'आई' की हिस्सेदारी दर्शाता है,

k : अग्रणी 'k' संस्थाओं की संख्या दर्शाता है

यद्यपि यह मापदंड अपेक्षाकृत सरल है, तब भी किसी बाजार के अंतर्गत यह संस्थाओं की कुल संख्या से प्रभावित होता है (बिकर एंड हाफ, 2000)। इस मापदंड के अनुसार, किसी क्षेत्र को तब उच्च संकेंद्रित माना जाता है जब सीआर$_4$ 50 प्रतिशत के से अधिक हो और सीआर$_8$ 75 प्रतिशत से अधिक हो।

इस मापदंड के अनुसार, यह कहा जा सकता है कि 2012 में शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र में संकेंद्रण कम था और हाल की अवधि में संकेंद्रण के स्तर में वृद्धि हुई। (सारणी 1)

(ख) लॉरेंज वक्र और संबंधित संकेंद्रण गुणांक को (एल आर) ऐसे वक्र के रूप में परिभाषित किया गया है जो संस्थाओं की संख्या का संचयी वितरण और तदुनसार यह बाजार में उनकी हिस्सेदारी दर्शाता है। संकेंद्रण गुणांक की गणना निम्नलिखित सूत्र से की जाती है:

संकेंद्रण गुणांक = $1 - \sum(X_{k+1} - X_k)(Y_{k+1} + Y_k)$

जहां k, 0 से शुरू होकर n-1 पर समाप्त होता है।

x संस्थाओं का संचयी अनुपात दर्शाता है

Y बाजार हिस्सेदारी का संचयी अनुपात दर्शाता है।

सारणी:1 शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र की कुल आस्तियों में सर्वोच्च चार/आठ/दस शहरी सहकारी बैंकों की हिस्सेदारी

(प्रतिशत में)

मापदंड	2011	2012
सीआर$_4$	17.8	19.4
सीआर$_8$	23.9	26.2
सीआर$_{10}$	26.4	28.7

चार्ट 1: शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के लिए संकेंद्रण वक्र

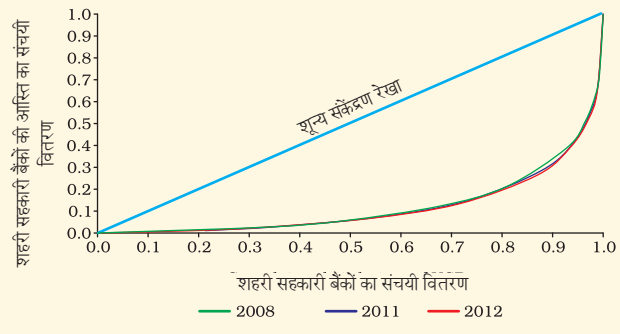

यह गुणांक 0 और 1 के बीच होता है तथा 0 बिल्कुल बराबर हिस्सेदारी को दर्शाता है और 1 पूर्ण एकाधिकार को दर्शाता है। इस मापदंड पर संस्थाओं की संख्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है (पूर्वोक्त)।

चूंकि शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के लिए यह संकेंद्रण गुणांक 0.5 से अधिक था इसलिए इस मापदंड के अनुसार इस क्षेत्र में संकेंद्रण का स्तर अपेक्षाकृत काफी अधिक है। इसके अलावा संकेंद्रण वक्र और संकेंद्रण गुणांक से पता चलता है कि कुछ समय से संकेंद्रण के स्तर में थोड़ी वृद्धि हुई है (चार्ट 1 और सारणी 2)।

अंत में, निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र को समेकित करने पर केंद्रित शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र में किए गए विनियामक सुधारों के कारण कुछ हद तक इस क्षेत्र के आस्ति संकेंद्रण स्तर में कहीं कम तो कहीं अधिक वृद्धि हुई है।

सारणी 2: शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के संकेंद्रण गुणांक

वर्ष	संकेंद्रण गुणांक
2008	0.748
2011	0.757
2012	0.761

टिप्पणी: सहगुणांक की गणना शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र की कुल आस्तियों में से शहरी सहकारी बैंक की हिस्सेदारी के आधार पर की गई है।

संदर्भ:

जे.ए. बिक्कर और के. हाफ (2000), ठमेजर्स ऑफ कांपिटिशन एंड कंसंट्रेशन इन द बैंकिंग इंडस्ट्री: ए रिव्यू ऑफ लिटरेचरड, दे नीदरलैंड बैंक, रिसर्च सीरीज सुपरविज़न नं.27।

अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की हिस्सेदारी में हो रही वृद्धि शहरी सहकारी बैंकों के पूंजी आधार में विस्तार के रुझान की ओर संकेत करती है

5.15 हाल के वर्षों में अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की हिस्सेदारी में वृद्धि का रुझान रहा है जो शहरी सहकारी बैंकों के पूंजीगत आधार में होने वाले विस्तार के सामान्य रुझान की ओर संकेत करता है (चार्ट V.7)। अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक वे बैंक हैं जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हैं तथा जिनकी प्रदत्त पूंजी और आरक्षित निधियां 0.5 मिलियन रुपयों से कम नहीं है और वे भारतीय रिज़र्व

चार्ट V.6: शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों में वृद्धि

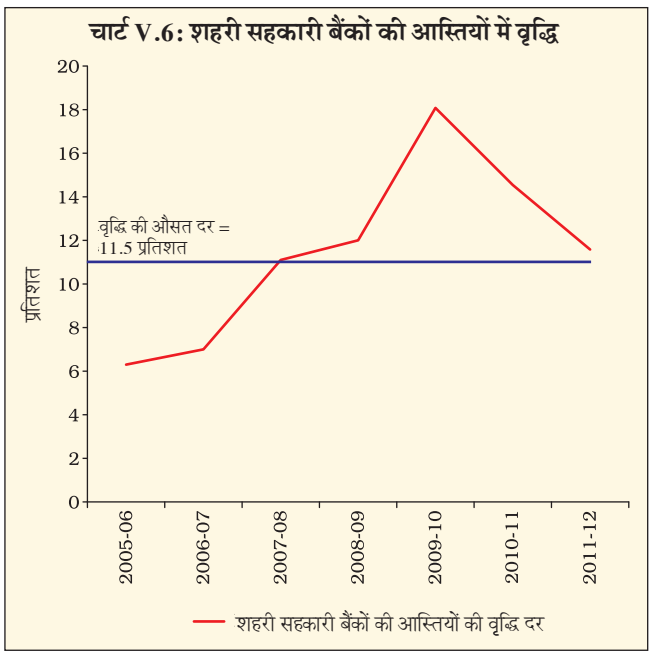

बैंक की संतुष्टि के अनुरूप जमाकर्ताओं के हित में अपना कारोबार करते हों।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में शहरी सहकारी बैंकों के ऋण-जमा अनुपात का निरंतर कम स्तर

5.16 यद्यपि शहरी सहकारी बैंकों के ऋण-जमा अनुपात में वृद्धि का रुझान है जो इन संस्थाओं के बैंकिंग व्यापार में होने वाली सामान्य वृद्धि की ओर संकेत करता है, परंतु यह अनुपात अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अनुपात से लगातार कम रहा है (चार्ट V.8)। तदनुरूप, निधियों के प्रयोग के मामले में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में शहरी सहकारी बैंकों ने निवेश को प्राथमिकता दी।

कुल आय में उच्च वृद्धि के कारण शहरी सहकारी बैंकों की लाभप्रदता में उल्लेखनीय सुधार

5.17 2011-12 में शहरी सहकारी बैंकों की समग्र लाभप्रदता के समग्र स्तर में सुधार हुआ जिसका मुख्य कारण इन संस्थाओं की कुल आय में होने वाली लगभग दोगुनी वृद्धि है। (सारणी V.6)। ऋण और ऋण से इतर -दोनों ही घटकों से आय में हुए विस्तार के कारण यह वृद्धि हुई।

सारणी V.4: शहरी सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(मार्च के अंत की स्थिति)

(राशि बिलियन रुपये में)

आस्ति/ देयता	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक		गैर- अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक		सभी शहरी सहकारी बैंक		वृद्धि की दर (%) सभी शहरी सहकारी बैंक
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8
देयताएं							
1. पूंजी	19 (1.6)	23 (1.6)	44 (2.9)	50 (3.1)	63 (2.3)	73 (2.4)	16.1
2. आरक्षित निधि	112 (9.3)	126 (8.9)	151 (9.9)	143 (8.9)	263 (9.7)	270 (8.9)	2.7
3. जमाराशि	923 (77.1)	1,104 (77.4)	1,195 (78.7)	1,281 (79.8)	2,119 (78.0)	2,385 (78.6)	12.6
4. लिए गए उधार	28 (2.3)	21 (1.5)	16 (1.1)	15 (0.9)	44 (1.6)	36 (1.2)	-18.7
5. अन्य देयताएं	116 (9.7)	152 (10.7)	113 (7.4)	117 (7.3)	230 (8.4)	269 (8.9)	17.3
आस्तियां							
1. नकदी	6 (0.5)	8 (0.5)	17 (1.1)	22 (1.4)	24 (0.9)	30 (1.0)	26.1
2. बैंकों के पास शेष	110 (9.1)	122 (8.6)	133 (8.7)	141 (8.8)	242 (8.9)	263 (8.7)	8.7
3. मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	6 (0.5)	9 (0.6)	5 (0.4)	7 (0.4)	11 (0.4)	16 (0.5)	44.5
4. निवेश	335 (27.9)	369 (25.9)	516 (33.9)	511 (31.8)	850 (31.3)	880 (29.0)	3.5
5. ऋण और अग्रिम	617 (51.5)	744 (52.1)	748 (49.2)	836 (52.1)	1,365 (50.2)	1,580 (52.1)	15.8
6. अन्य आस्तियां	125 (10.4)	175 (12.3)	101 (6.7)	89 (5.5)	226 (8.3)	264 (8.7)	16.8
कुल देयताएं/ आस्तियां	**1,198 (100.0)**	**1,427 (100.0)**	**1,519 (100.0)**	**1,606 (100.0)**	**2,718 (100.0)**	**3,033 (100.0)**	**11.6**

टिप्पणियां: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/ आस्तियों के प्रतिशत हैं।
2. निरपेक्ष संख्याओं को बिलियन रुपये में पूर्णांकित करने के कारण अंतर के प्रतिशत में कुछ परिवर्तन आ सकता है।
3. पूर्णांकित करने के कारण घटकों से प्राप्त जोड़ अलग हो सकता है।

सारणी V.5: शहरी सहकारी बैंकों द्वारा किए गए निवेश

(राशि बिलियन रुपये में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति		प्रतिशत अंतर	
	2011	2012	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
कुल निवेश (क+ख)	**850 (100.0)**	**880 (100.0)**	**7.4**	**3.5**
क. एसएलआर निवेश (i से vi)	**785 (92.3)**	**814 (92.5)**	**10.7**	**3.8**
i) केंद्रीय सरकारी प्रतिभूतियां	513 (60.4)	564 (64.1)	25.7	10.0
ii) राज्य सरकारी प्रतिभूतियां	93 (10.9)	108 (12.3)	18.8	17.2
iii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	5 (0.6)	3 (0.4)	29.4	-38.4
iv) राज्य सहकारी बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	53 (6.2)	42 (4.8)	-16.6	-20.8
v) जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के पास मीयादी जमाराशि	107 (12.6)	76 (8.6)	-22.9	-28.9
vi) अन्य, यदि कोई हों	14 (1.7)	21 (2.3)	-18.3	44.7
ख. गैर-एसएलआर निवेश	**65.5 (7.7)**	**65.7 (7.5)**	**-20.5**	**0.4**

टिप्पणियां: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।
2. निरपेक्ष संख्याओं को बिलियन रुपये में पूर्णांकित करने के कारण अंतर के प्रतिशत में कुछ परिवर्तन आ सकता है।
3. पूर्णांकित करने के कारण घटकों से प्राप्त जोड़ अलग हो सकता है।

शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाभप्रदता के विविध संकेतकों में वृद्धि का रुझान

5.18 पिछले रुझानों को जारी रखते हुए 2011-12 में शहरी सहकारी बैंकों की लाभप्रदता के प्रमुख संकेतकों में सुधार जारी रहा (सारणी V.7)। वर्ष के दौरान आस्तियों के प्रतिफल (जो आस्तियों

चार्ट V.7 : शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र की कुल आस्तियों में अनुसूचित और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की हिस्सेदारी

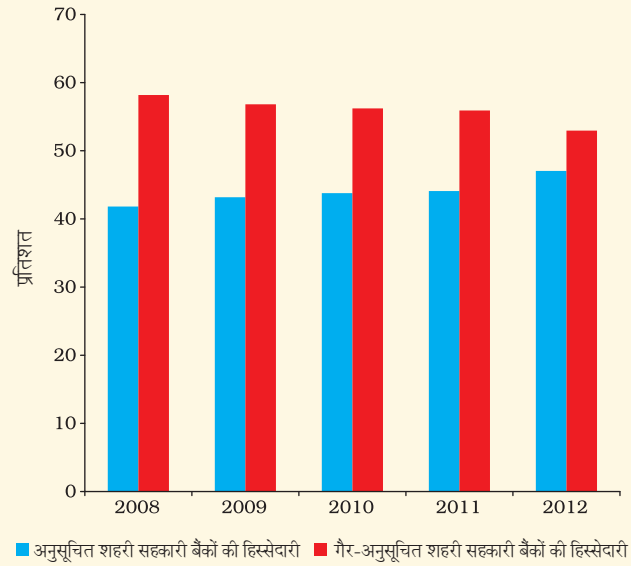

के औसत की तुलना में निवल लाभ का प्रतिशत है) के साथ ही इक्विटी के प्रतिफल (जो इक्विटियों के औसत की तुलना में निवल लाभ का प्रतिशत है) -दोनों में अच्छी वृद्धि हुई।

5.19 इसके अलवा, आस्तियों के प्रतिफल में वृद्धि केवल समग्र या प्रणाली स्तर पर ही नहीं हुई बल्कि अलग-अलग स्तर पर भी वृद्धि हुई। 2011-12 में सभी अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों के प्रतिफल में काफी वृद्धि हुई। इस वर्ष किसी भी अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक ने आस्तियों के प्रतिफल ऋणात्मक होने की रिपोर्ट नहीं दी, जैसाकि पिछले वर्षों में होता था (परिशिष्ट सारणी V.1)।

चार्ट V. 8: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में शहरी सहकारी बैंकों के लिए ऋण-जमा और निवेश-जमा अनुपात

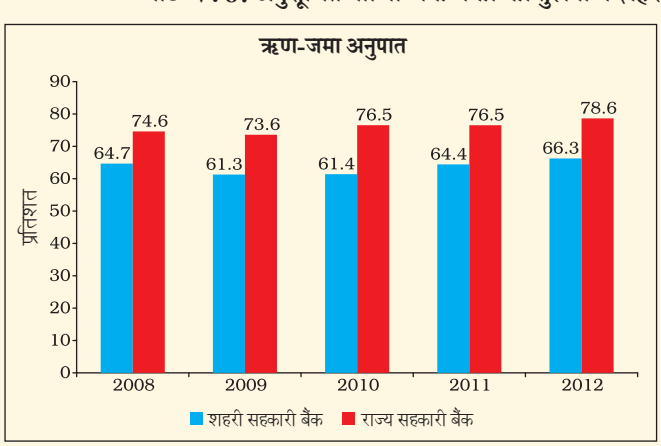

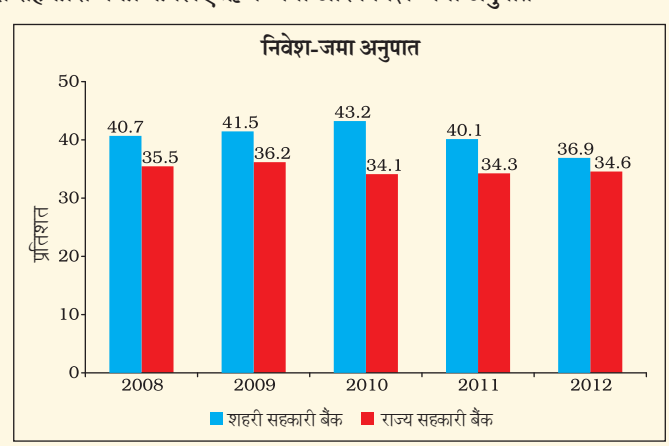

सारणी V.6: अनुसूचित और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(मार्च 2012 के अंत की स्थिति)

(राशि बिलियन रुपये में)

मद	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक		गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक		सभी शहरी सहकारी बैंक		प्रतिशत अंतर (सभी शहरी सहकारी बैंक	
	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ. कुल आय (i+ii)	**98**	**124**	**125**	**158**	**224**	**281**	**13.4**	**25.9**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**		
i. ब्याज से आय	90	113	119	148	209	261	14.2	25.2
	(91.3)	(91.7)	(95.0)	(93.9)	(93.4)	(92.9)		
ii. ब्याज से इतर आय	9	10	6	10	15	20	2.4	35.4
	(8.7)	(8.3)	(5.0)	(6.1)	(6.6)	(7.1)		
आ. कुल व्यय	**78**	**100**	**107**	**131**	**185**	**230**	**9.6**	**24.9**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**		
i. ब्याज पर व्यय	55	74	75	92	131	166	8.8	27.2
	(70.9)	(74.3)	(70.6)	(70.5)	(70.8)	(72.1)		
ii. ब्याज से इतर व्यय	23	26	31	39	54	64	11.4	19.1
	(29.1)	(25.7)	(29.4)	(29.5)	(29.2)	(27.9)		
जिसमें से : स्टाफ पर व्यय	12	13	16	19	28	32	-0.3	15.0
इ. लाभ								
i. परिचालनगत लाभ की राशि	20	24	19	27	39	51	35.7	30.7
ii. प्रावधान, आकस्मिकताएं, कर	8	10	9	13	17	23	2.6	37.0
iii. निवल लाभ की राशि	12	14	10	14	22	28	78.0	26.1

टिप्पणियां: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल आय/व्यय के प्रतिशत हैं।
2. निरपेक्ष संख्याओं को बिलियन रुपये में पूर्णांकित करने के कारण अंतर के प्रतिशत में कुछ परिवर्तन आ सकता है।
3. पूर्णांकित करने के कारण घटकों से प्राप्त जोड़ अलग हो सकता है।
4. 2011-12 के आंकड़े अनंतिम हैं।

शहरी सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में सुधार जारी रहा

5.20 शहरी सहकारी बैंकों आस्ति गुणवत्ता में हाल के वर्षों में निरंतर सुधार हुआ है। सकल अनर्जक आस्तियों के निरपेक्ष और आनुपातिक - दोनों रूपों में कमी आई है। इसी रुझान को दर्शाते हुए शहरी सहकारी बैंकों ने सकल गैर-निष्पादक आस्तियों में ऋणात्मक वृद्धि के संबंध में रिपोर्ट किया और 2011-12 मे उनकी सकल गैर-निष्पादक आस्तियों में कमी हुई है (सारणी V.8 के साथ पठित चार्ट V.9)।

सारणी V.7:शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाभप्रदता के चुनिंदा संकेतक

वित्तीय संकेतक	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक		गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक		सभी शहरी सहकारी बैंक	
	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7
आस्तियों पर प्रतिफल	1.07	1.08	0.7	0.9	0.9	1.0
इक्विटी पर प्रतिफल	9.6	10.1	5.5	7.3	7.1	8.4
निवल ब्याज मार्जिन	3.1	3.0	3.1	3.6	3.1	3.3

टिप्पणी: 2011-12 के आंकड़े अनंतिम हैं।

चार्ट V.9 : सकल अनर्जक आस्तियों की वृद्धि और अनुपात

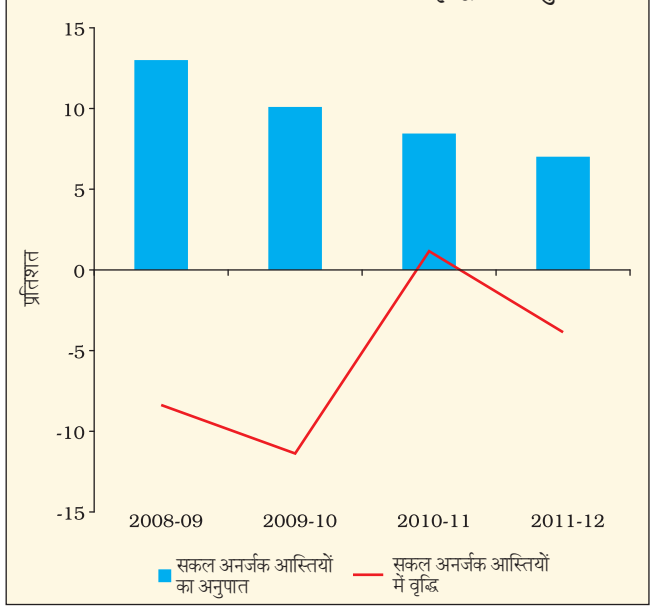

सारणी V.8: शहरी सहकारी बैंकों की अनर्जक आस्तिया

(राशि बिलियन रुपये में)

मद	2011	2012
1	2	3
1. सकल अनर्जक आस्तियां	115	111
2. निवल अनर्जक आस्तियां	27	29
3. सकल अनर्जक आस्ति अनुपात (प्रतिशत)	8.4	7.0
4. निवल अनर्जक आस्ति अनुपात (प्रतिशत)	2.1	2.0
5. प्रावधानीकरण (1-2)	88	82
6. प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (प्रतिशत) (5/1)	76.6	73.6

शहरी सहकारी बैंकों के लिए बढ़ता हुआ प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात

5.21 शहरी सहकारी बैंकों की सिर्फ गैर-निष्पादक आस्तियों में कमी नहीं आई बल्कि हाल के वर्षों में उनके प्रावधानीकरण में भी नियमित वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप, सकल अनर्जक आस्तियों के प्रतिशत के रूप में निरूपित किए जाने वाले उनके प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात में भी व्यापक रूप से वृद्धि का रुझान दिखाई दिया (चार्ट V.10)।

2011-12 में अधिकतर शहरी सहकारी बैंकों ने जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात के न्यूनतम सांविधिक सीमा से अधिक होने की सूचना दी है किंतु गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की तुलना में अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की पूंजी स्थिति ज्यादा कमजोर रही

5.22 अधिकतर (लगभग 91 प्रतिशत) शहरी सहकारी बैंकों ने मार्च 2012 (चार्ट V.11 के साथ पठित सारणी V.9) के अंत में

सारणी V.9: शहरी सहकारी बैंकों का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात के अनुसार वर्गीकरण

(मार्च 2012 के अंत की स्थिति)

जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (प्रतिशत में)	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक	गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक	सभी शहरी सहकारी बैंक
1	2	3	4
सीआरएआर < 3	8	79	87
3 < सीआरएआर < 6	1	14	15
6 < सीआरएआर < 9	-	50	50
9 < सीआरएआर < 12	8	197	205
12 < सीआरएआर	35	1,226	1,261
जोड़	**52**	**1,566**	**1,618**

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।

जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात के निर्धारित 9 प्रतिशत की न्यूनतम सांविधिक सीमा से अधिक होने की सूचना दी है। तथापि, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की पूंजी स्थिति गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की तुलना में कहीं अधिक कमजोर रही। इसके अलावा, विनियामक द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात वाले अधिकतर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात ऋणात्मक होना परेशानी की बात रही।

लघु उद्यम और आवास - 2011-12 में शहरी सहकारी बैंक ऋणों के प्रमुख घटक

5.23 शहरोन्मुखी होने के कारण शहरी सहकारी बैंक मुख्यतः लघु उद्यमों और आवास क्षेत्र की ऋण संबंधी जरूरतों का ध्यान रखते

चार्ट V. 10 : शहरी सहकारी बैंकों का प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात

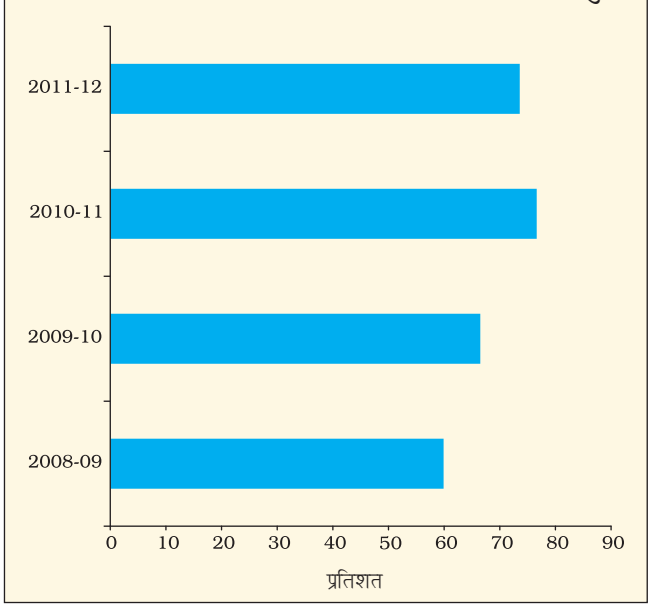

चार्ट V.11: शहरी सहकारी बैंकों का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात के अनुसार वर्गीकरण, 2012

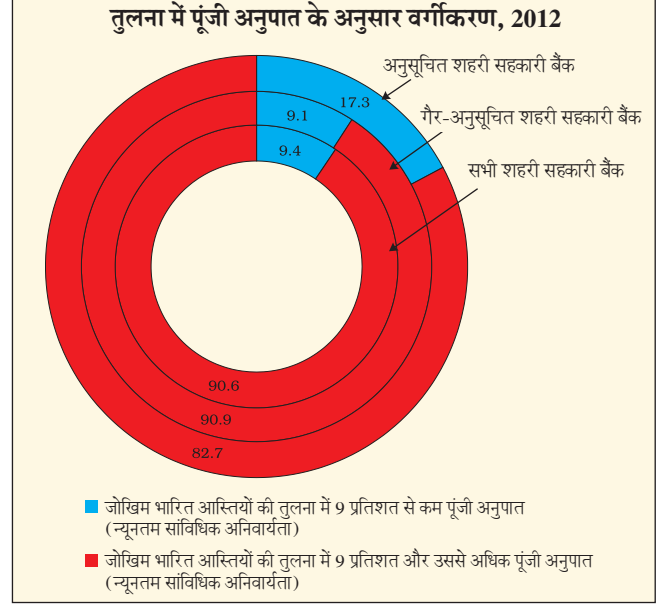

चार्ट V.12: शहरी सहकारी बैंकों द्वारा चुनिंदा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण वितरण का प्रतिशत

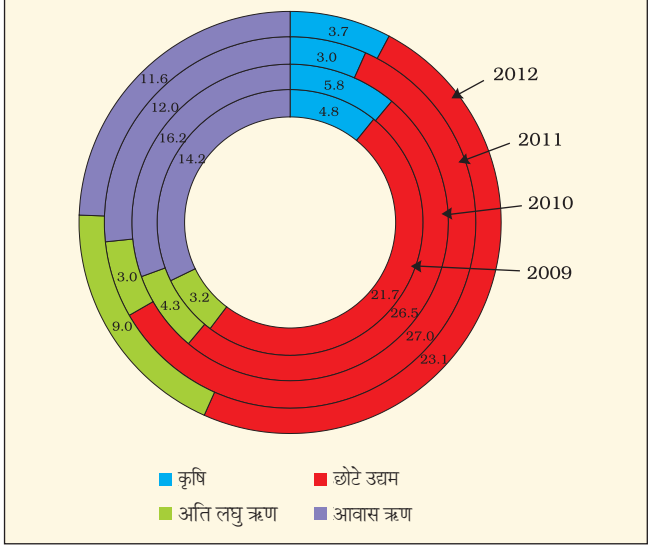

हैं। 2011-12 में शहरी सहकारी बैंकों के कुल ऋण का एक तिहाई से अधिक भाग इन दोनों क्षेत्रों के हिस्से में गया (सारणी V.10 के साथ पठित चार्ट V.12)। इसके अलावा, शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को दिए गए कुल ऋण में शहरी सहकारी बैंकों का हिस्सा लगभग 70 प्रतिशत रहा।

शहरी सहकारी बैंकों के माइक्रो क्रेडिट के प्रावधान में वृद्धि

5.24 शहरी सहकारी बैंकों के लिए अति लघु ऋण, जो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र का एक घटक है, का महत्त्व काफी बढ़ गया। 2011-12 में प्राथमिकता क्षेत्र के कमजोर तबकों को अति लघु ऋण वितरण में काफी तेजी रही जिसे वित्तीय समावेशन में शहरी सहकारी बैंकों की योगदान के रूप में देखा जा सकता है। इस प्रकार के ऋण वितरण की शहरी सहकारी बैंकों के दो प्रमुख प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों, आवास और लघु उद्यमों से नजदीकी प्रतिस्पर्द्धा रही। (चार्ट V.14)।

शहरी सहकारी बैंकों के बैंकिंग कारोबार का अधिक किंतु घटता भौगोलिक संकेंद्रण

5.25 ऋण और जमाराशि द्वारा शहरी सहकारी बैंकों के आया बैंकिंग कारोबार स्थानिक रूप से पश्चिमी क्षेत्र में और उसके बाद दक्षिणी क्षेत्र में केंद्रित रहा। ये दोनों क्षेत्र भारत के कुल जिलों के मात्र 27 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन शहरी सहकारी बैंकों के कुल बैंकिंग कारोबार के 92 प्रतिशत को नियत्रित करते हैं (अनुबंध सारणी V.3 के साथ पठित सारणी V.11)। दूसरी ओर, शेष चार क्षेत्र कुल जिलों के लगभग 73 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं

सारणी V.10: शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिए गए ऋण की संरचना

(मार्च 2012 के अंत की स्थिति)

(राशि बिलियन रुपये में)

क्षेत्र	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के कुल ऋण की संरचना		*जिसमें से,* कमजोर वर्ग को दिया गया ऋण	
	राशि	कुल की तुलना में प्रतिशत	राशि	कुल की तुलना में प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. कृषि ऋण	**58**	**3.7**	**21**	**1.3**
1.1 प्रत्यक्ष कृषि ऋण	19	1.2	8	0.5
1.2 अप्रत्यक्ष कृषि ऋण	39	2.5	13	0.8
2. लघु उद्यम	**366**	**23.1**	**74**	**4.7**
2.1 लघु उद्यमों को प्रत्यक्ष ऋण	306	19.5	58	3.7
2.2 लघु उद्यमों को अप्रत्यक्ष ऋण	60	3.9	16	1.0
3. अति लघु ऋण	**142**	**9.0**	**41**	**2.6**
3.1 स्वयं सहायता समूह/संयुक्त देयता समूह को ऋण	10	0.6	3	0.2
3.2 अन्य को दिया गया ऋण	132	8.5	38	2.4
4. अ.जा./ अ.ज.जा. के लिए राज्य प्रायोजित संगठन	**2**	**0.1**	**1**	**0.03**
5. शिक्षा ऋण	**20**	**1.2**	**7**	**0.4**
6. आवास ऋण	**183**	**11.6**	**53**	**3.4**
सभी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	**770**	**48.7**	**195**	**12.4**

टिप्पणी: 1. प्रतिशत शहरी सहकारी बैंकों के कुल ऋणों के संदर्भ में दिया गया है।
2. पूर्णांकित करने के कारण घटकों से प्राप्त जोड़ अलग हो सकता है।.

परंतु शहरी सहकारी बैंकों के कुल बैंकिंग कारोबार में उनका हिस्सा 9 प्रतिशत से भी कम है। प्रति-शाखावार बैंकिंग कारोबार भी पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में काफी अधिक रहा (सारणी V.12)।

चार्ट V.13: शहरी सहकारी बैंकों द्वारा कमजोर वर्ग को दिए गए ऋण वितरण का प्रतिशत

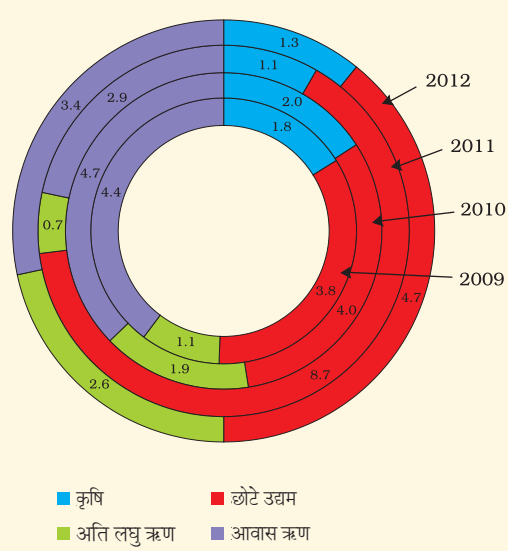

सारणी V.11: सभी क्षेत्रों में शहरी सहकारी बैंकों के जिलों और बैंकिंग व्यवसाय का विन्यास

क्षेत्र	जिलों की कुल संख्या में हिस्से का प्रतिशत	शहरी सहकारी बैंकों के कुल बैंकिंग व्यवसाय में हिस्से का प्रतिशत
1	2	3
	कम संकेंद्रण वाले क्षेत्र	
उत्तरी क्षेत्र	17.5	3.2
पूर्वोत्तर क्षेत्र	9.9	0.4
पूर्वी क्षेत्र	18.3	1.7
केंद्रीय क्षेत्र	27.0	3.2
उप-जोड़	**72.7**	**8.5**
	अधिक संकेंद्रण वाले क्षेत्र	
पश्चिमी क्षेत्र	10.4	76.2
दक्षिणी क्षेत्र	17.0	15.3
उप जोड़	**27.4**	**91.5**
संपूर्ण भारत	**100.0**	**100.0**

टिप्पणी: बैंकिंग व्यवसाय का तात्पर्य शहरी सहकारी बैंकों के क्रेडिट और जमाराशियों से है।

5.26 ध्यान देने की बात है कि शहरी सहकारी बैंकों के बैंकिंग कारोबार के संकेंद्रण में समय बीतने के साथ कुछ कमी आने के संकेत मिल रहे हैं। 2009 और 2012 के बीच सभी क्षेत्रों के शहरी सहकारी बैंकों के बैंकिंग कारोबार में अंतर के गुणांक से पता चलता है कि कारोबार के संकेंद्रण में धीमी किंतु सतत् गिरावट आई है (सारणी V.12)।

3. ग्रामीण सहकारी संस्थाएं [4]

ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचे पर अल्पावधि ऋण देने वाली सहकारी संस्थाओं का दबदबा कायम है

5.27 ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचे पर, कई वर्षों से, अल्पावधि ऋण देने वाली सहकारी संस्थाओं का दबदबा बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही दीर्घावधि ऋण ऋण देने वाली सहकारी संस्थाओं का हिस्सा निरंतर कम होता जा रहा है (सारणी V.13 के साथ पठित चार्ट V.14)[5]।

दीर्घावधि ऋण देने वाली सहकारी संस्थाओं की तुलना में अल्पावधि ऋण देने वाली सहकारी संस्थाओं की लाभप्रदता का पुनरुज्जीवन

5.28 अल्पावधि ऋण ऋण देने वाली सहकारी संस्थाओं की लाभप्रदता का 2008-09 से समग्ररूप से पुनरुज्जीवन हुआ। यह

सारणी V.12: शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में क्षेत्रवार प्रति शाखा बैंकिंग कारोबार की मात्रा

क्षेत्र	प्रति शाखा बैंकिंग कारोबार (मिलियन रुपये में)		
	2009	2011	2012
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र	290	320	367
पूर्वोत्तर क्षेत्र	151	262	313
पूर्वी क्षेत्र	342	403	445
केंद्रीय क्षेत्र	234	285	290
पश्चिमी क्षेत्र	395	490	557
दक्षिणी क्षेत्र	214	289	332
संपूर्ण भारत	**341**	**426**	**481**
भिन्नता गुणांक	*0.33*	*0.26*	*0.25*

क्रम पहले के वर्षों के विपरीत है जब इन सहकारी संस्थाओं द्वारा लगातार अपने घाटे के बढ़ने की जानकारी दी जाती थी। अल्पावधि ऋण ऋण देने वाली सहकारी संस्थाओं के लिए पुनरुज्जीवन पैकेज के रुप में कई राज्यों द्वारा लागू की गई एक समान सुधार प्रक्रिया भी इनकी लाभप्रदता में सुधार होने का कारण हो सकती है।[5] दूसरी ओर दीर्घावधि ऋण देने वाली सहकारी संस्थाओं की लाभप्रदता में

चार्ट V.14: अल्पावधि और दीर्घावधि ऋण सहकारी समितियों के अनुसार ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचे की संरचना

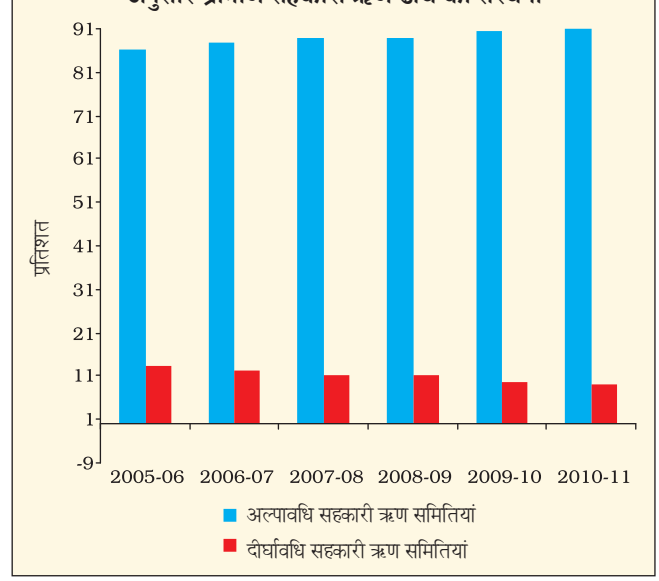

[4] ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के आंकड़ों की उपलब्धता में विलंब होने के कारण यह खंड 2010-11 पर आधारित है।

[5] अल्पावधि ऋण देने वाली सहकारी संस्थाओं के लिए पुनरुज्जीवन पैकेज का विवरण बाद में खंड 5में दिया गया है।

सारणी V.13: ग्रामीण सहकारी संस्थाओं का प्रोफाइल

(31 मार्च 2011 की स्थिति)

(राशि बिलियन रुपये में)

Item	अल्पावधि			दीर्घावधि	
	राज्य सहकारी बैंक	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक	प्राथमिक कृषि ऋण समितियां	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
1	2	3	4	5	6
अ. सहकारी संस्थाओं की संख्या	31	370	93,413	20	697
आ. तुलन पत्र के संकेतक					
i. स्वाधिकृत निधियां (पूंजी + आरक्षित निधियां)	112	242	145	45	49
ii. जमाराशियां	783	1,651	372	10	5
iii. उधार	319	424	540	162	128
iv. ऋण और अग्रिम	640	1,308	878	178	116
v. कुल देयताएं/आस्तियां	1,302	2,541	1,442+	285	252
इ. वित्तीय निष्पादन					
i. लाभ कमाने वाली संस्थाएं					
क. संख्या	30	318	44,554	9	329
ख. लाभ की राशि	5.2	14	18	1	2
ii. घाटा उठाने वाली संस्थाएं					
क. संख्या	1	52	38,065	10	368
ख. घाटे की राशि	0.6	5	20	4	4
iii. समग्र लाभ (+) / हानि (-)	4.6	9	-2	-3	-2
ई. अनर्जक आस्तियां					
i. राशि	57	153	227++	61	48
ii. बकाया कर्ज के प्रतिशत के	8.9	11.6	25.2	34.3	41.7
उ. मांग की तुलना में ऋण वसूली का अनुपात (प्रतिशत)	91.8	78.8	-	40.0	39.4

एसटीसीबी: राज्य सहकारी बैंक। डीसीसीबी: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक। पीएसीएस: प्राथमिक कृषि ऋण समितियां
एससीएआरडीबी: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। पीसीएआरडीबी: प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।
-: उपलब्ध नहीं है। +: कार्यशील पूंजी। ++: कुल बकाया राशि
टिप्पणी: मणिपुर राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कार्यशील नहीं है।
स्रोत: नाबार्ड और राज्य सहकारी बैंकों का राष्ट्रीय परिसंघ।

लगातार गिरावट का रुख जारी है और इनके भी पुनरुज्जीवन के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं (चार्ट V.15)।

चार्ट V.15: ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं की लाभप्रदता

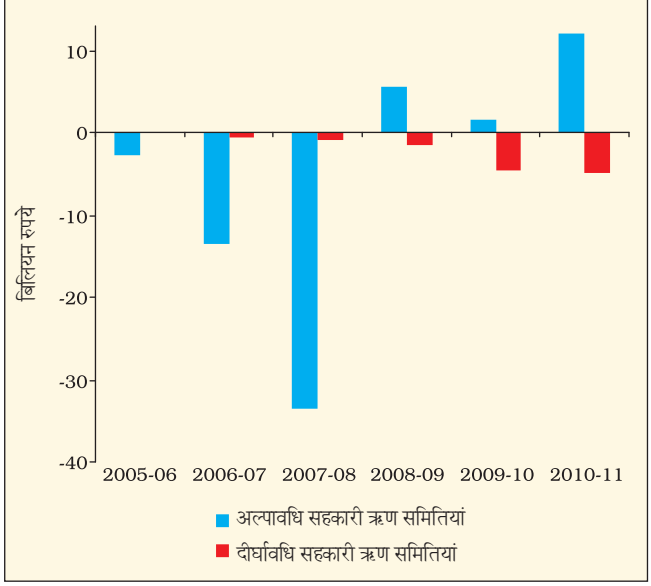

अल्पावधि ऋण देने वाली ग्रामीण सहकारी संस्थाएं

राज्य सहकारी बैंक

वर्ष 2010-11 में राज्य सहकारी बैंकों के तुलन-पत्र के आकार की वृद्धि में कमी आई

5.29 2009-10 की तुलना में 2010-11 में राज्य सहकारी बैंकों के तुलन-पत्र के आकार की वृद्धि में कमी आई है। राज्य सहकारी बैंकों के 2010-11 के तुलन-पत्र के देयता पक्ष में वृद्धि उधार राशियों में अत्यधिक वृद्धि के कारण हुई थी, जबकि आस्ति पक्ष में, वृद्धि के लिए उधार एवं अग्रिम या ऋण उत्तरदायी हैं (सारणी V.14)।

2011-12 में अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के तुलन-पत्र के आकार की वृद्धि में कमी आने की संभावना

5.30 हाल की प्रवृत्तियों का अनुमान लगाने के लिए धारा 42(2) के अंतर्गत विवरणियों से 2011-12 के लिए अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों से प्राप्त अग्रिम जानकारी का विश्लेषण किया गया जा रहा है। प्रवृत्तियों से यह संकेत मिलता है कि 2011-12 के दौरान अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों की जमाराशियों और एसएलआर

सारणी V.14: राज्य सहकारी बैंकों की देयताएं एवं आस्तियां
(मार्च 2011 के अंत की स्थिति)

(राशि बिलियन रुपये में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति		प्रतिशत विचलन	
	2010	2011	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	16	21	4.0	25.8
	(1.3)	(1.6)		
2. आरक्षित निधियां	76	91	-26.3	19.8
	(6.2)	(7.0)		
3. जमाराशियां	812	783	15.5	-3.6
	(66.1)	(60.2)		
4. उधार	234	319	12.0	36.3
	(19.1)	(24.5)		
5. अन्य देयताएं	90	88	79.1	-1.8
	(7.3)	(6.8)		
आस्तियां				
1. नकदी और बैंक शेष	105	84	32.4	-20.8
	(8.6)	(6.4)		
2. निवेश	553	502	18.9	-9.2
	(45.1)	(38.6)		
3. ऋण और अग्रिम	493	640	1.8	29.8
	(40.1)	(49.1)		
4. अन्य आस्तियां	76.7	76.8	47.8	0.2
	(6.2)	(5.9)		
कुल देयताएं/ आस्तियां	**1,228**	**1,302**	**13.6**	**6.0**
	(100.0)	**(100.0)**		

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों के प्रतिशत हैं।
2. पूर्ण संख्याओं को बिलियन रुपयों में पूर्णांकित किए जाने के कारण विचलन के प्रतिशत में कुछ अंतर आ सकता है।

स्रोत: नाबार्ड

निवेश - दोनों की वृद्धि का पुनरुज्जीवन होने के बाद भी इस वर्ष के दौरान राज्य सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए ऋण की वृद्धि में कमी आई है (सारणी V.15)।

सारणी V.15: अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के चुनिंदा तुलन-पत्र संकेतकों की प्रवृत्तियां

(राशि बिलियन रुपये में)

मद	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4
जमाराशियां	652	594	640
	(24.0)	(-8.9)	(7.8)
ऋण	433	587	694
	(2.3)	(35.4)	(18.3)
एसएलआर निवेश	239	213	209
	(39.2)	(-10.8)	(-1.8)
ऋण + एसएलआर निवेश	673	800	904
	(12.9)	(19.0)	(12.9)

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में हुई प्रतिशत वृद्धि को सूचित करते हैं।
2. पूर्ण संख्याओं को बिलियन रुपयों में पूर्णांकित किए जाने के कारण विचलन के प्रतिशत में कुछ अंतर आ सकता है।

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अंतर्गत अंतिम फॉर्म ए/बी

आय में उच्चतर वृद्धि के कारण 2010-11 के दौरान राज्य सहकारी बैंकों की लाभप्रदता में बदलाव

5.31 वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य सहकारी बैंकों का निवल लाभ लगभग दोगुना हो गया, जो वर्ष 2009-10 में इन संस्थानों के द्वारा लाभ में दर्शायी गयी ऋणात्मक वृद्धि की तुलना में पूरी तरह बदलाव दर्शाता है (सारणी V.16)। राज्य सहकारी बैंकों के व्यय की तुलना में आय में अधिक वृद्धि होने के कारण लाभप्रदता में वृद्धि हुई। आय में वृद्धि मुख्य रूप से ब्याज से आय में उच्चतर वृद्धि के कारण हुई।

5.32 राज्य सहकारी बैंकों के कुल व्यय के अंतर्गत, प्रावधानों और आकस्मिक व्यय में और तीव्र वृद्धि हुई, जो कुछ हद तक 2010-11 के दौरान इन संस्थाओं की अनर्जक आस्तियों में हुई तीव्र वृद्धि के कारण आवश्यक हो गया था।

सामान्यरूप से अनर्जक आस्ति अनुपात को नियंत्रित रखे जाने के बाद भी वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य सहकारी बैंकों की अनर्जक आस्तियों में अधिक वृद्धि हुई

5.33 वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य सहकारी बैंकों की अनर्जक आस्तियों की स्थिति खराब हुई। तथापि राज्य सहकारी बैंकों द्वारा

सारणी V.16: राज्य सहकारी बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि बिलियन रुपये में)

मद	निम्नलिखित के दौरान		प्रतिशत विचलन	
	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
अ. आय (i+ii)	**82**	**87**	**8.8**	**5.9**
	(100.0)	**(100.0)**		
i. ब्याज से आय	78	83	7.6	6.5
	(94.9)	(95.5)		
ii. अन्य आय	4.2	3.9	38.0	-5.4
	(5.1)	(4.5)		
आ. व्यय (i+ii+iii)	**80**	**83**	**10.1**	**3.4**
	(100.0)	**(100.0)**		
i. ब्याज व्यय	66	68	15.3	2.7
	(82.5)	(82.0)		
ii. प्रावधान और आकस्मिक व्यय	3.96	4.05	-10.2	2.1
	(5.0)	(4.9)		
iii. परिचालन व्यय	10	11	-8.6	8.0
	(12.5)	(13.1)		
जिनमें से, मजदूरी बिल	6	7	-14.4	18.3
	(7.3)	(8.3)		
इ. लाभ				
i. परिचालन लाभ	6.4	8.7	-15.0	35.2
ii. निवल लाभ	2.4	4.6	-21.7	88.8

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल आय/व्यय का प्रतिशत हैं।
2. पूर्ण संख्याओं को बिलियन रुपयों में पूर्णांकित किए जाने के कारण विचलन के प्रतिशत में कुछ अंतर आ सकता है।

स्रोत: नाबार्ड.

दिए जाने वाले ऋण में हुई अधिक वृद्धि को देखते हुए वर्ष 2010-11 के दौरान अनर्जक आस्ति अनुपात (जो बकाया ऋण की तुलना में अनर्जक आस्तियों का अनुपात होता है) मोटे तौर पर 8.9 प्रतिशत के आस-पास बनाए रखा गया (सारणी V.17)। वर्ष 2010-11 में अनर्जक आस्तियों की उच्च वृद्धि अवमानक आस्तियों के कारण हुई क्योंकि पिछले वर्ष की तुलना में संदिग्ध और हानि वाली आस्तियों की वृद्धि में मामूली नरमी दिखाई दी। अनर्जक आस्ति अनुपात की तरह, वर्ष 2010-11 में मांग की तुलना में वसूली अनुपात जो प्रत्याशित वसूली के अनुपात के रूप में ऋण की वसूली की संभाव्यता दर्शाता है, 92 प्रतिशत पर बनाए रखा गया है।

राज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ

5.34 हाल के वर्षों में राज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में स्पष्ट सुधार के लक्षण दिखाई दिए हैं। 2008 से 2011 के बीच राज्य सहकारी बैंकों के अनर्जक आस्ति अनुपात में कोई वृद्धि नहीं हुई। यह अनुपात या तो घटा है या अधिक-से-अधिक पिछले वर्ष के स्तर पर रहा है (चार्ट V.16)। वसूली अनुपात में भी ऐसी ही प्रवृत्ति दिखाई दी जिसमें अनुपात या तो बढ़ा है या अपरिवर्तित रहा है।

पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों के राज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में व्यापक सुधार हुआ

5.35 अनर्जक आस्ति और वसूली अनुपात से मिलने वाले संकेतों के अनुसार पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों के राज्य सहकारी

चार्ट V.16: राज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति के संकेतक

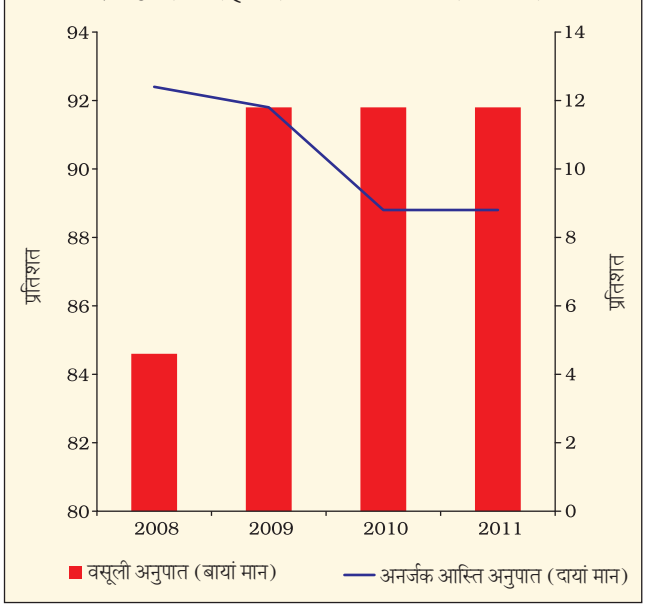

सारणी V.17: राज्य सहकारी बैंकों के सुदृढ़ता संकेतक

(राशि बिलियन रुपये में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति		प्रतिशत विचलन	
	2010	2011	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
अ. कुल अनर्जक आस्तियां (i+ii+iii)	44	57	-24.5	31.4
i. अवमानक	13	17	-20.6	28.7
	(30.6)	(30.0)		
ii. संदिग्ध	22	25	42.3	12.9
	(51.0)	(43.8)		
iii. हानि	8	15	231.0	86.9
	(18.4)	(26.2)		
आ. ऋण की तुलना में अनर्जक आस्ति अनुपात (%)	**8.8**	**8.9**	-	-
इ. मांग की तुलना में वसूली अनुपात (%)	**91.8**	**91.8**	-	-

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत हैं।
2. पूर्ण संख्याओं को बिलियन रुपयों में पूर्णांकित किए जाने के कारण विचलन के प्रतिशत में कुछ अंतर आ सकता है।

स्रोत: नाबार्ड।

बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार देखा जा सकता है (परिशिष्ट सारणी V.4 के साथ पठित चार्ट V.17)। पश्चिमी क्षेत्र में अनर्जक आस्ति अनुपात बढ़ने और वसूली अनुपात घटने की प्रवृत्ति दिखाई दी जो अन्य सभी क्षेत्रों में देखी गई प्रवृत्ति के बिल्कुल विपरीत है।

जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

राज्य सहकारी बैंकों की तरह, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के तुलन-पत्र की वृद्धि में कमी आयी

5.36 2010-11 के दौरान राज्य सहकारी बैंकों की तरह जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के (जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों) तुलन-पत्र में भी गिरावट दिखाई दी (सारणी V.18)। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के तुलन-पत्र में कमी, देयता पक्ष में जमाराशियों में तथा आस्ति पक्ष में निवेश में आयी कमी का परिणाम है, हालांकि जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की ऋण वृद्धि में बढ़त दर्ज की गई।

जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लाभ में गिरावट की प्रवृत्ति

5.37 यद्यपि 2010-11 में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों ने समग्र रूप से लाभ दर्शाया है, तथापि इन संस्थाओं के लाभ की मात्रा में गिरावट आई है (सारणी V.19)। लाभप्रदता में गिरावट का मुख्य कारण परिचालन खर्च में हुई उच्च वृद्धि है जो इन संस्थाओं की आय में हुई वृद्धि की तुलना में अधिक थी।

चार्ट V.17: राज्य सहकारी बैंकों की क्षेत्रवार वित्तीय स्थिति

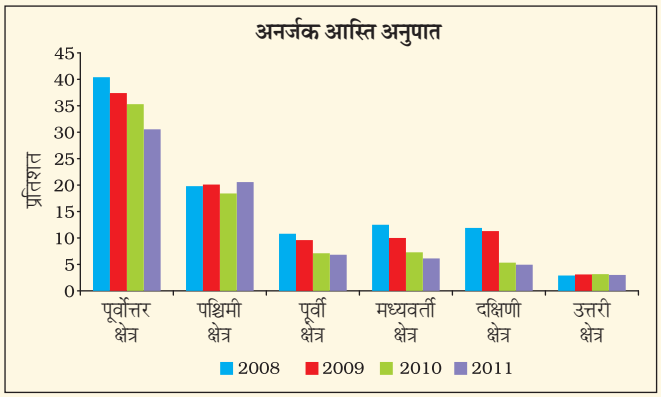

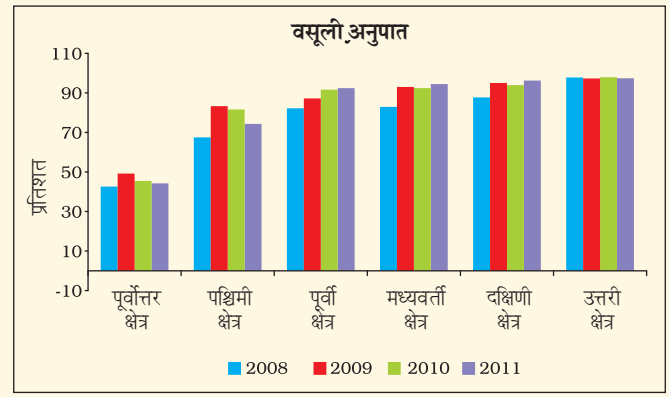

स्रोत : नाबार्ड

जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता में कुछ और सुधार हुआ

5.38 2010-11 में अनर्जक आस्ति अनुपात में गिरावट के साथ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हुआ (सारणी V.20)। इसके अलावा, राज्य सहकारी बैंकों के मामले में देखी गयी प्रवृत्ति के विपरीत, 2009-10 तथा 2010-11 के बीच जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की अनर्जक आस्ति में निरपेक्ष रूप में गिरावट आयी (सारणी V.17 के साथ पठित सारणी V.20)। 2010-11 में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के वसूली अनुपात में वृद्धि दर्ज की गई।

सारणी V.18: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि बिलियन रुपये में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति		प्रतिशत घटबढ़	
	2010	2011	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूंजी	73	79	11.3	8.5
	(3.2)	(3.1)		
2. आरक्षित निधियां	144	163	-38.0	13.1
	(6.4)	(6.4)		
3. जमाराशियां	1,529	1,651	19.8	8.0
	(67.8)	(65.0)		
4. उधार	287	424	3.6	47.9
	(12.7)	(16.7)		
5. अन्य देयताएं	222	224	109.2	1.2
	(9.8)	(8.8)		
आस्तियां				
1. नकदी एवं बैंक शेष	154	171	19.1	11.4
	(6.8)	(6.7)		
2. निवेश	789	854	21.9	8.2
	(35.0)	(33.6)		
3. ऋण और अग्रिम	1,106	1,308	11.2	18.3
	(49.1)	(51.5)		
4. अन्य आस्तियां	206	208	10.3	1.2
	(9.1)	(8.2)		
कुल देयताएं/आस्तियां	**2,254**	**2,541**	**15.2**	**12.7**
	(100.0)	**(100.0)**		

नोट: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल आस्तियों/देयताओं का प्रतिशत हैं।
2. पूर्ण संख्याओं को बिलियन रुपये में पूर्णांकित किए जाने के कारण प्रतिशत घटबढ़ में कुछ अंतर हो सकता है।

स्रोत: नाबार्ड।

सारणी V.19: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि बिलियन रुपये में)

मद	निम्नलिखित के दौरान		प्रतिशत घटबढ़	
	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	**177**	**188**	**10.0**	**6.3**
	(100.0)	**(100.0)**		
i. ब्याज आय	159	176	9.0	10.7
	(90.0)	(93.7)		
ii. अन्य आय	18	12	19.4	-33.6
	(10.0)	(6.3)		
ख. व्यय (i+ii+iii)	**166**	**179**	**12.1**	**8.0**
	(100.0)	**(100.0)**		
i. खर्च किया गया ब्याज	103	111	11.8	7.3
	(62.3)	(61.9)		
ii. प्रावधान तथा आकस्मिक व्यय	22.3	21.9	4.1	-1.9
	(13.4)	(12.2)		
iii. परिचालन व्यय	40	46	17.8	15.1
	(24.2)	(25.9)		
जिसमें से, वेतन बिल	26	31	16.7	18.2
	(15.8)	(17.3)		
ग. लाभ				
i. परिचालन लाभ	34	31	-2.7	-7.5
ii. निवल लाभ	11	9	-13.7	-18.6

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल आय/ व्यय का प्रतिशत हैं।
2. पूर्ण संख्याओं को बिलियन रुपये में पूर्णांकित किए जाने के कारण प्रतिशत घटबढ़ में कुछ अंतर हो सकता है।

स्रोत: नाबार्ड।

सारणी V.20: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के सुदृढ़ता संकेतक

(राशि बिलियन रुपये में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति		प्रतिशत घटबढ़	
	2010	2011	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
अ. कुल अनर्जक आस्ति (i+ ii + iii)	**164**	**153**	**-8.7**	**-6.9**
i) अवमानक	73	60	-9.4	-17.1
	(44.4)	(39.6)		
ii) संदिग्ध	64.8	65.0	-10.3	0.3
	(39.6)	(42.6)		
iii) हानि	26	27	-1.8	3.5
	(16.0)	(17.8)		
ब. ऋण-अनर्जक आस्ति अनुपात (%)	**14.8**	**11.6**	-	-
स. मांग-वसूली अनुपात (%)	**75.7**	**78.8**	-	-

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल अनर्जक आस्तियों के प्रतिशत हैं।
2. पूर्ण संख्याओं को बिलियन रुपये में पूर्णांकित किए जाने के कारण प्रतिशत घटबढ़ में कुछ अंतर हो सकता है।

स्रोत: नाबार्ड।

चार्ट V.18 : जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के वित्तीय स्थिति के संकेतक

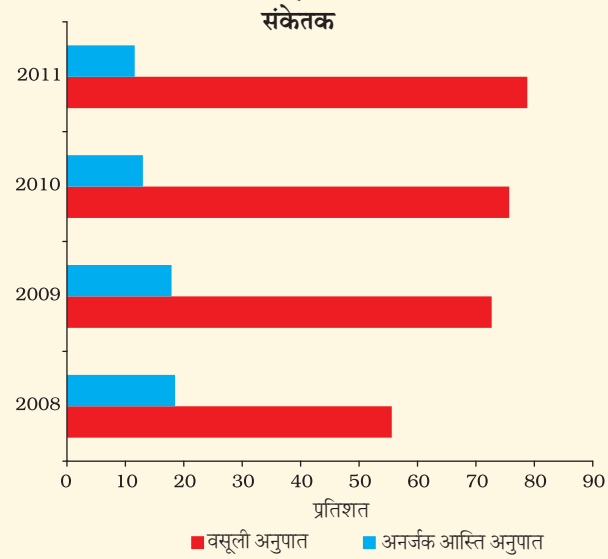

स्रोत: नाबार्ड से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर परिकलित।

राज्य सहकारी बैंकों की तरह जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में स्पष्ट सुधार

5.39 हाल के वर्षों में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में स्पष्ट सुधार हुआ जिसका आंशिक कारण इन संस्थाओं के लिए लागू किए गये सुधार पैकेज का परिणाम है। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के वसूली अनुपात में लगातार वृद्धि दर्ज की गई जबकि अनर्जक आस्ति अनुपात में गिरावट दर्ज की गई (चार्ट V.18)।

सभी क्षेत्रों में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार के संकेत

5.40 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में समग्र स्थर पर सुधार हुआ लेकिन इस सुधार का विस्तार सभी क्षेत्रों में नहीं हुआ (परिशिष्ट सारणी V.5 के साथ पठित चार्ट V.19)। एक ओर, दक्षिणी तथा उत्तरी क्षेत्रों में जिला मध्यवर्त्ती सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति काफी सुदृढ़ रही, जैसाकि दर्शाए गए कम अनर्जक आस्ति अनुपात व उच्च वसूली अनुपात से दिखाई देता है, दूसरी ओर, मध्य, पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति अपेक्षाकृत कम सुदृढ़ दिखायी दी। तथापि, हाल के वर्षों में इन दोनों संकेतकों के संदर्भ में क्षेत्रीय अंतराल काफी कम हुआ है जो देश भर में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता में हुई वृद्धि का संकेत है।

चार्ट V.19: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की क्षेत्रवार वित्तीय स्थिति

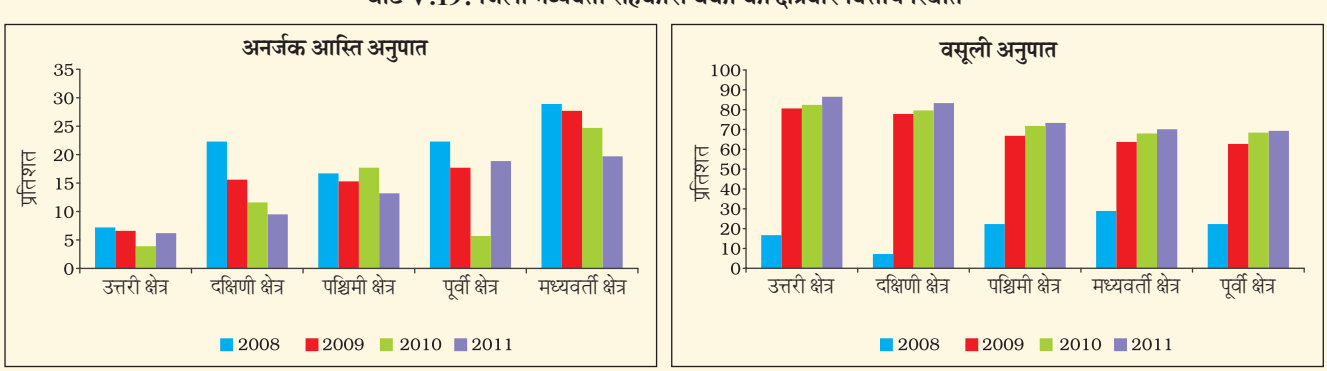

टिप्पणी: पूर्वोत्तर क्षेत्रों में द्विस्तरीय अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना, जिसमें राज्य सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां शामिल हैं, होने के कारण वहां जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक मौजूद नहीं हैं। अतः इन्हें चार्ट में प्रदर्शित नहीं किया गया है।

स्रोत: नाबार्ड डेटा से परिकलित।

चार्ट V.20: राज्य सहकारी बैंकों तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति की तुलना

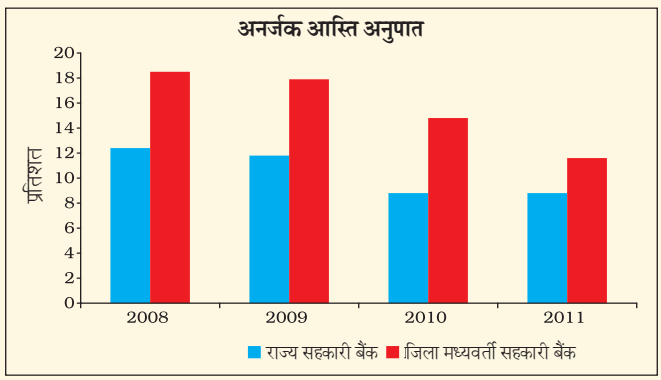

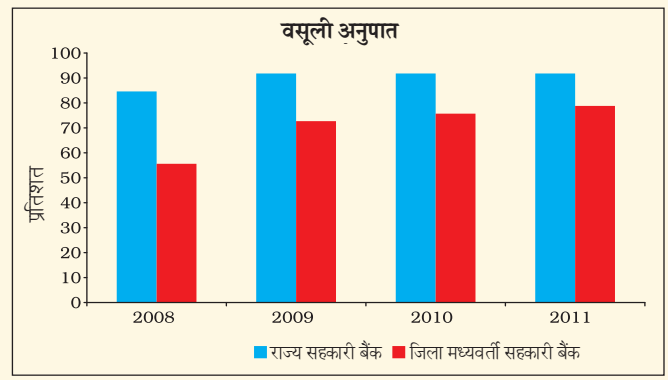

स्रोत: नाबार्ड से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर परिकलित।

सुधार के बावजूद, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति राज्य सहकारी बैंकों की तुलना में काफी कमजोर रही

5.41 अनर्जक आस्ति अनुपात में कमी तथा वसूली अनुपात में वृद्धि के बावजूद, यह उल्लेखनीय है कि जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति सामान्यतः राज्य सहकारी बैंकों की अपेक्षा काफी कमजोर रही (चार्ट V.20)।

प्राथमिक कृषि ऋण समितियां

2010-11 में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के ऋणों में धीमी वृद्धि

5.42 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की ऋण वृद्धि 2009-10 की तुलना में 2010-11 में थोड़ी धीमी हुई है (सारणी V.21 के साथ पठित चार्ट V.21)।

चार्ट V.21: प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के बकाया ऋण में वृद्धि

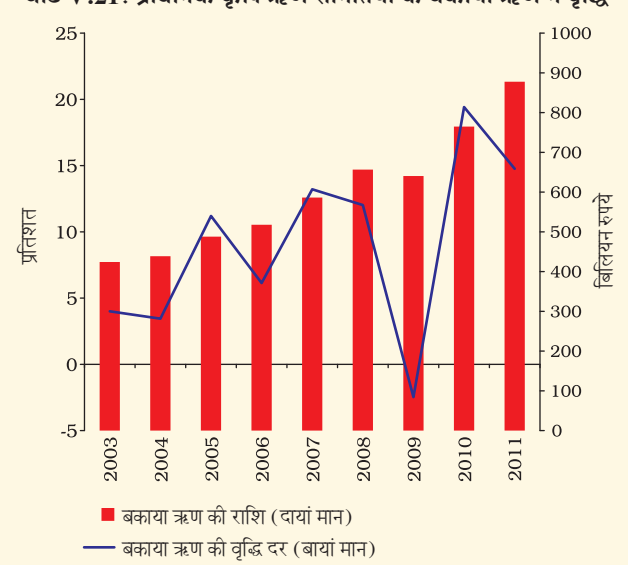

स्रोत: एनएएफएससीओबी।

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का सदस्य - उधारकर्ता अनुपात लगातार कम रहा

5.43 सदस्य-उधारकर्ता अनुपात प्राथमिक कृषि ऋण समितियों से ऋण लेने का एक उपयोगी संकेतक है। यह अनुपात 2003 से सामान्यतः हमेशा 50 प्रतिशत से कम रहा है जो यह बताता है कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के लगभग आधे सदस्य ही प्रत्येक वर्ष के दौरान ऋण प्राप्त कर पाते हैं।[6] इतना ही नहीं, पिछड़े वर्गों जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच यह अनुपात

सारणी V.21: प्राथमिक कृषि ऋण समितियां -चयनित तुलन-पत्र संकेतक

(राशि बिलियन रुपये में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति		प्रतिशत घटबढ़
	2010	2011	2010-11
1	2	3	4
क. देयताएं			
1. कुल संसाधन (2+3+4)	995	1,057	6.2
2. स्वाधिकृत निधियां (अ+आ)	125	145	15.9
अ. प्रदत्त पूंजी	72	76	5.6
जिसमें से, सरकार का अंशदान	7	6	-6.1
आ. कुल आरक्षित निधियां	53	69	29.5
3. जमाराशियां	353	372	5.5
4. उधार	518	540	4.3
5. कार्यशील पूंजी	1,352	1,442	6.7
ख. आस्तियां			
2. कुल बकाया ऋण (अ+आ)	765	878	14.8
अ) अल्पावधि	550	636	15.8
आ) मध्यावधि	215	241	12.2

टिप्पणी: पूर्ण संख्याओं को बिलियन रुपये में पूर्णांकित किए जाने के कारण प्रतिशत घटबढ़ में कुछ अंतर आ सकता है।
स्रोत: एनएएफएससीओबी।

[6] अनुपात सिर्फ 2007-08 में उधारकर्ताओं की संख्या में 65 प्रतिशत की तेज वृद्धि के कारण बढ़कर 60 प्रतिशत के उच्च स्तर तक पहुंच गया। तथापि पिछले तथा बाद के वर्षों में जारी प्रवृत्ति को देखकर यह बहिर्वासी प्रतीत होता है।

चार्ट V.22: प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का सदस्य-उधारकर्ता अनुपात

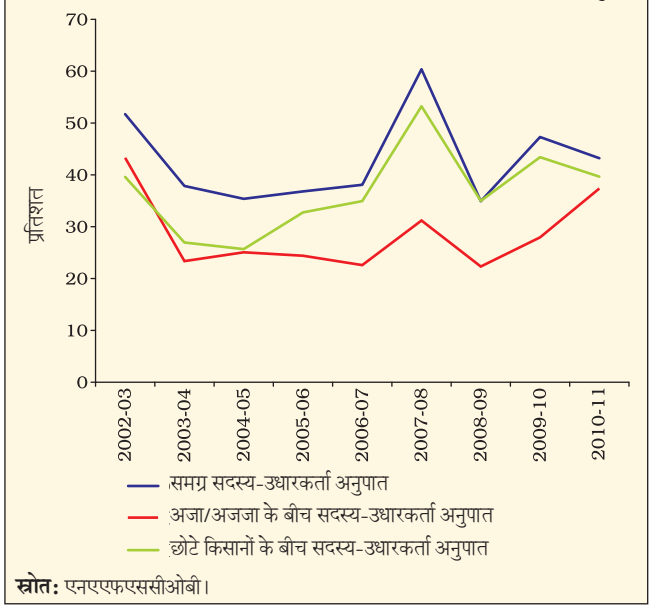

स्रोत: एनएएफएससीओबी।

सामान्यतः 30 प्रतिशत के नीचे रहा। छोटे किसानों के बीच भी यह अनुपात सदस्य-समग्र उधारकर्ता अनुपात की अपेक्षा कम था (चार्ट V.22)।

घाटे में चल रही प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की संख्या में धीमी गिरावट की प्रवृत्ति

5.44 हाल के वर्षों में, विशेषतः 2008 से, घाटे में चल रही प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के प्रतिशत में धीमी गिरावट देखी गई। गिरावट के बावजूद, घाटे में चल रही प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का प्रतिशत लाभ कमाने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के प्रतिशत के लगभग बराबर था (चार्ट V.23)[7]।

5.45 घाटे में चल रही प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का प्रतिशत पूर्व तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सबसे अधिक था (परिशिष्ट सारणी V.6 के साथ पठित चार्ट V.23)।

दीर्घावधि ग्रामीण ऋण सहकारी संस्थाएं

राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

2010-11 में राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के तुलन-पत्र का विस्तार

5.46 2010-11 में राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के तुलन-पत्र में उधार ली गई राशि में उच्च वृद्धि सामने आयी जो इन संस्थाओं की कुल देयताओं का लगभग 60 प्रतिशत थी। आस्तियों के संबंध में, वृद्धि का मुख्य प्रेरक ऋण था जो इन संस्थाओं की कुल आस्तियों के 60 प्रतिशत से थोड़ा अधिक था (सारणी V.22)।

5.47 अल्पावधि तथा दीर्घावधि सहकारी ढांचे के शीर्ष-स्तर की संस्थाओं के तुलन-पत्रों की तुलना करने पर, हाल के वर्षों में राज्य सहकारी बैंकों की तुलना में राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के घटते आस्ति तथा ऋण आकार एवं कमजोर होती पूंजीगत स्थिति का स्पष्ट पता चला है (बॉक्स V.2)।

चार्ट V.23: लाभ तथा हानि में रहने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का प्रतिशत

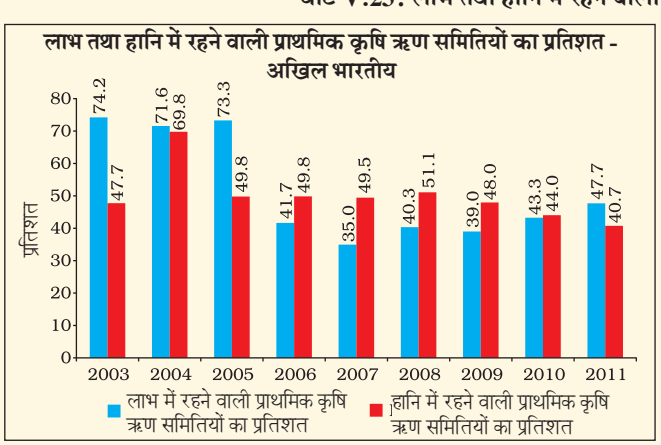

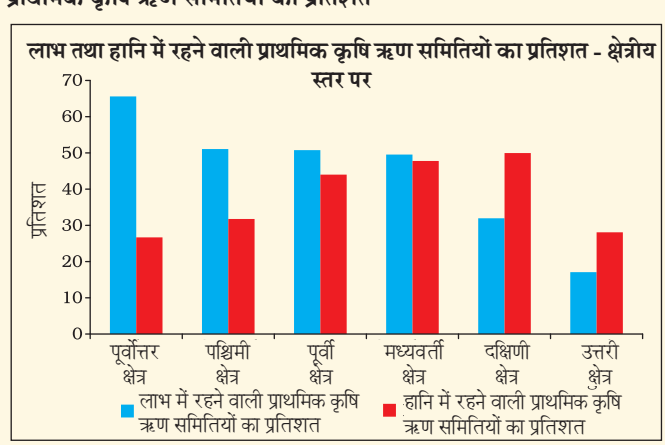

[7] शेष प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के संबंध में या तो वे ब्रोकईवन की स्थिति थी, वे न लाभ और न हानि दर्ज कर सकीं, या फिर उनकी वित्तीय स्थिति के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

सारणी V.22: राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की देयताएं और आस्तियां

(राशि बिलियन रुपये में)

मद	मार्च के अंत की स्थिति		प्रतिशत घटबढ़	
	2010	2011	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूँजी	8.2 (3.2)	8.4 (3.0)	1.0	2.5
2. आरक्षित निधियां	34 (13.4)	37 (13.0)	7.3	7.8
3. जमाराशियां	8 (3.0)	10 (3.3)	6.7	25.2
4. उधार	156 (61.0)	162 (57.0)	-1.7	4.2
5. अन्य देयताएं	50 (19.5)	68 (23.7)	3.2	35.7
आस्तियाँ				
1. नकदी और बैंक शेष	2.0 (0.8)	2.4 (0.8)	4.3	19.6
2. निवेश	31 (12.3)	29 (10.0)	6.8	-9.2
3. ऋण और अग्रिम	170 (66.5)	178 (62.6)	3.5	4.8
4. अन्य आस्तियाँ	52 (20.4)	76 (26.6)	-10.5	45.0
कुल देयताएं/आस्तियां	**256 (100.0)**	**285 (100.0)**	**0.7**	**11.4**

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े कुल आस्तिओं/देयताओं के प्रतिशत हैं।
2. मणिपुर में राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक सक्रिय नहीं है।
3. पूर्ण संख्याओं को बिलियन रुपये में पूर्णांकित किए जाने के कारण प्रतिशत घटबढ़ में कुछ अंतर हो सकता है।

स्रोत: नाबार्ड।

राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को पूर्व की भांति 2010-11 में भी हानि हुई

5.48 राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों ने वर्ष 2009-10 की तरह ही वर्ष 2010-11 में भी हानि की रिपोर्ट भेजी है। राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की यह हानि कुल आय में ऋणात्मक वृद्धि के साथ-साथ ब्याज में अधिक तेजी के साथ वृद्धि तथा परिचालन व्यय में तेज वृद्धि के कारण उनके कुल खर्च में वृद्धि होने के कारण हुई (सारणी V.23)।

राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की कमजोर आस्ति गुणवत्ता

5.49 लगभग 34 प्रतिशत अनर्जक आस्ति अनुपात के साथ राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता कमजोर रही है (सारणी V.24)। राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की राज्य सहकारी बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों तथा वाणिज्य बैंकों के साथ तुलना यह दर्शाती है कि राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता बहुत निराशाजनक है। इसके अतिरिक्त, राज्य सहकारी बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों के अनर्जक आस्ति अनुपात में गिरावट की प्रवृत्ति के विपरीत राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की अनर्जक आस्ति अनुपात में हाल के वर्षों में बढ़ोतरी देखी गई है (चार्ट V.24)।

पश्चिमी क्षेत्र में राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता सबसे कमजोर थी

5.50 पश्चिमी क्षेत्र में देखा गया कि राज्य सहकारी बैंकों की तरह ही राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की वित्तीय स्थिति अधिक कमजोर थी। मार्च 2011 के अंत में पश्चिमी क्षेत्र में राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की अनर्जक आस्तियाँ 74 प्रतिशत के उच्च अनुपात तक रहीं। इससे यह अर्थ निकलता है कि इन संस्थाओं की ऋण आस्ति का केवल एक चौथाई हिस्सा ही मानक आस्ति थे (परिशिष्ट सारणी V.7 के साथ पठित चार्ट V. 25)।

प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

2010-11 में प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के तुलन- पत्र में आंशिक वृद्धि हुई

5.51 2010-11 में प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के तुलन-पत्र में लगभग न के बराबर वृद्धि हुई। प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की निधि के उपयोग के बड़े घटक, नामतः ऋण और उनकी निधियों का स्रोत, नामतः उधार में 2010-11 में 1 प्रतिशत से भी कम के लगभग नगण्य वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष की प्रवृत्ति के समान ही है (सारणी V. 25)।

2010-11 में राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की तरह ही प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों ने भी सतत् हानि दर्ज की

5.52 2010-11 में राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की तरह ही प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों में समग्र स्तर पर हानि दर्ज हुई (सारणी V.26)। वर्ष के दौरान इन संस्थाओं में से अधिक संस्थाओं में हानि हुई है (परिशिष्ट सारणी V.8 के साथ पठित चार्ट V. 26)। इसके अलावा, एक परेशानी यह है कि पिछले कुछ समय में प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की लाभप्रदता में कोई प्रत्यक्ष सुधार नहीं हुआ।

वित्तीय स्थिति की दृष्टि से राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की तुलना में प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक बहुत कमजोर थे

5.53 हालांकि दीर्घकालिक सहकारी संरचना मोटे तौर पर कमजोर रही, इस संरचना में हम जैसे-जैसे उच्च टियर से निम्न

बॉक्स V.2: कमजोर होता दीर्घावधि सहकारी ऋण ढांचा: शीर्ष-स्तर की संस्थाओं का एक तुलनात्मक विश्लेषण

दीर्घावधि ऋण सहकारी संस्थाओं की उत्पत्ति और उनका औचित्य

बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में देश में ग्रामीण ऋण आवश्यकताओं के समाधान के लिए बनायी गई सहकारी संस्थाएं पश्चिमी यूरोपीय देशों में बहुत ही सफल रही कुछ सहकारी समितियों की तर्ज पर बनायी गई प्रथम औपचारिक संस्थाएं थीं। तथापि, अन्य देशों, जिन्होंने ऋण सहकारी संस्थाओं को अपनाया, के विपरीत भारत में दो विभिन्न प्रकार की सहकारी संस्थाओं, जैसे-अल्पावधि तथा दीर्घावधि का निर्माण विशेष विकास उद्देश्यों के साथ किया गया। अल्पावधि सहकारी संस्थाओं का निर्माण, मौसमी कृषिजन्य क्रियाकलापों तथा फसलों के विपणन हेतु किसानों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया, जबकि भूमि बंधक बैंकों के रूप में दीर्घावधि सहकारी संस्थाओं का निर्माण भूमि विकास के लिए किसानों की दीर्घावधि ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया। समय के साथ, इन दीर्घावधि सहकारी संस्थाओं ने अपने उधार कार्य परिचालनों को विशाखीकृत किया तथा इनके अलग-अलग नाम दिए गये - पहला, भूमि विकास बैंक तथा दूसरा, कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (भारत सरकार 2004)।

दीर्घावधि सहकारी ऋण के संवितरण में कमी

हाल के वर्षों में, दीर्घावधि सहकारी ऋणों के संवितरण में स्पष्ट गिरावट आई है (चार्ट नीचे है)। कुल सहकारी ऋण (संवितरित) में दीर्घावधि ऋण की हिस्सेदारी 2000-01 में 32 प्रतिशत रही, जो 2009-10 में लगभग इसकी आधी होकर 17 प्रतिशत रह गयी। यहां तक कि निरपेक्ष संदर्भ में भी, 2000 के दशक के कुछ वर्षों में सहकारी समितियों द्वारा वितरित दीर्घावधि ऋण की राशि में गिरावट आयी थी।

राज्य सहकारी बैंकों की तुलना में राज्य सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंकों का घटता पूंजी आधार तथा आस्ति आकार

दीर्घावधि तथा अल्पावधि सहकारी संस्थाओं हेतु गठित शीर्ष स्तर की संस्थाओं, नामतः राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा राज्य सहकारी बैंकों का तुलनात्मक अध्ययन दीर्घावधि तथा अल्पावधि संरचना की वृद्धि के बीच बढ़ते हुए अंतर को दर्शाता है (ऊपर दी गई सारणी देखें)। यह विश्लेषण बताता है कि -

चार्ट: अल्पावधि तथा दीर्घावधि सहकारी ऋणों की राशि

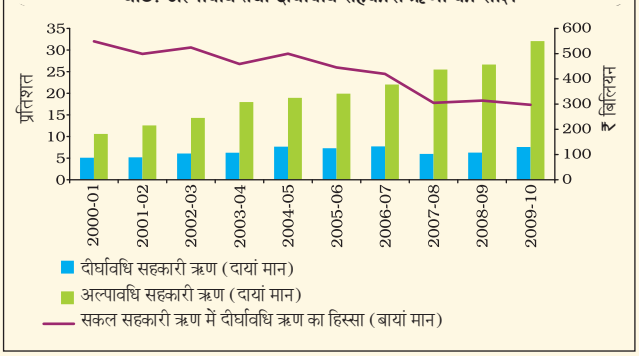

सारणी : एससीएआरडीबी तथा राज्य सहकारी बैंकों की आस्ति, ऋण तथा पूंजी आकार की तुलना

(₹ में)

वर्ष	राज्य सहकारी बैंकों की आस्तियों के प्रत्येक 100 रुपये की तुलना में एससीएआरडीबी की आस्तियों की राशि	राज्य सहकारी बैंकों के ऋण के प्रत्येक 100 रुपये की तुलना में एससीएआरडीबी के ऋण की राशि	राज्य सहकारी बैंकों की पूंजी की प्रत्येक 100 रुपये की तुलना में एससीएआरडीबी की पूंजी की राशि
2008	26	37	80
2009	23	34	52
2010	21	34	51
2011	22	28	40

स्रोत: नाबार्ड के आंकड़ों के आधार पर परिकलित।

(अ) 2008 में राज्य सहकारी बैंकों की कुल आस्तियों के प्रत्येक 100 रुपये के लिए, राज्य सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंकों का आस्ति मूल्य मात्र 26 रुपये था। 2011 तक राज्य सहकारी कृषि तथा ग्रामीण बैंकों का सापेक्ष आस्ति आकार गिरकर 22 रुपये रह गया।

(आ) संकुचन तब और आश्चर्यजनक था जब राज्य सहकारी कृषि तथा ग्रामीण बैंक के क्रेडिट पोर्टफोलियो के आकार की तुलना राज्य सहकारी बैंकों के साथ की गई। 2008 में राज्य सहकारी बैंक द्वारा सूचित ऋण के प्रत्येक 100 रुपये की तुलना में राज्य सहकारी कृषि तथा ग्रामीण बैंक द्वारा सूचित ऋण का मूल्य 37 रुपये था। 2011 तक, राज्य सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंकों के लिए यह सापेक्ष राशि घटकर 28 रुपये रह गयी।

(इ) राज्य सहकारी कृषि तथा ग्रामीण बैंकों का सापेक्ष रूप से कमजोर होना इन संस्थाओं के पूंजी आधार में होनेवाले परिवर्तनों से विशेष रूप से स्पष्ट है। राज्य सहकारी बैंकों की पूंजी के प्रत्येक 100 रुपये की तुलना में राज्य सहकारी कृषि तथा ग्रामीण बैंक की पूंजी की राशि 2008 में 80 रुपये थी। 2011 तक, राज्य सहकारी कृषि तथा ग्रामीण बैंकों के लिए पूंजी की सापेक्ष राशि में तेजी से कमी आई तथा वह 2008 में अपने स्तर के आधे तक पहुंच गई।

वर्ष 2004 की वैद्यनाथन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार, अल्पावधि सहकारी संस्थाओं के लिए पुनरुज्जीवन पैकेज का कार्यान्वयन 2006 से जारी है तथा 2012 तक 25 राज्यों ने अपनी अल्पावधि सहकारी संस्थाओं के पुनरुज्जीवन के लिए कदम उठाए हैं (इस अध्याय के खण्ड 5 का संदर्भ लें)। तथापि, दीर्घावधि सहकारी संस्थाओं के संदर्भ में, ऐसे पैकेज का कार्यान्वयन अभी तक प्रतीक्षित है। स्पष्ट तौर पर, दीर्घावधि सहकारी संस्थाओं की धारणीयता दबाव में है और इन संस्थाओं को उचित सुधार द्वारा तत्काल पुनरुज्जीवित किए जाने की जरूरत है।

संदर्भ:

भारत सरकार (2004), ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थानों के पुनरुज्जीवन (दीर्घावधि) पर गठित टास्क फोर्स (अध्यक्षः प्रोफेसर ए. वैद्यनाथन), नई दिल्ली।

टियर की ओर बढ़ते हैं; वित्तीय स्थिति काफी तेजी के साथ कमजोर हुई। दूसरे शब्दों में, प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के वित्तीय हालात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की तुलना में अधिक कमजोर थी (सारणी V.24 के साथ पठित सारणी V. 27; चार्ट V.27)

4. ग्रामीण सहकारी संस्थाओं की लाइसेंसीकरण में प्रगति

5.54 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंस प्राधिकारी (सहकारी सोसाइटियों के लिए यथा लागू) के रूप में

सारणी V.23: राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि बिलियन रुपये में)

मद	निम्नलिखित के दौरान		प्रतिशत घटबढ़	
	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	**21**	**19**	**-31.6**	**-6.2**
	(100.0)	**(100.0)**		
i. ब्याज आय	17.75	17.81	-36.0	0.4
	(86.3)	(92.4)		
ii. अन्य आय	3	2	19.9	-47.9
	(13.7)	(7.6)		
ख. व्यय (i+ii+iii)	**21**	**22**	**-28.2**	**3.5**
	(100.0)	**(100.0)**		
i. ब्याज पर हुआ खर्च	13	14	-0.3	2.8
	(62.4)	(62.0)		
ii. प्रावधान और आकस्मिक व्यय	5	4	-65.1	-17.8
	(22.8)	(18.1)		
iii. परिचालन व्यय	3	4	31.6	39.1
	(14.8)	(19.9)		
जिसमें से वेतन व्यय	2	3	20.3	37.5
	(11.0)	(14.6)		
ग. लाभ				
i. परिचालन लाभ	4.2	1.4	-70.9	-67.0
ii. निवल लाभ/हानि	-0.7	-2.7	-	-

नोट: 1. कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े कुल आस्तिओं/देयताओं के प्रतिशत हैं।
2. मणिपुर में राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक सक्रिय नहीं है।
3. प्रतिशत परिवर्तन में थोड़ा अंतर हो सकता है, क्योंकि निरपेक्ष अंकों को रुपये बिलियन में पूर्णांकित किया गया है।

स्रोत: नाबार्ड।

रिज़र्व बैंक ने एक रूपरेखा तैयार की थी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी लाइसेंस प्राप्त संस्थाएं सहकारी वातावरण में संचालित रहें। नाबार्ड के साथ विचार-विमर्श करके रिजर्व बैंक ने

सारणी V.24 : राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता

(राशि बिलियन रुपये में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत परिवर्तन	
	2010	2011	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
क. कुल अनर्जक आस्तियाँ (i+ii+iii)	**57**	**61**	**14.2**	**8.3**
i. अवमानक	28	34	-3.7	21.4
	(50.2)	(56.3)		
ii. संदिग्ध	27	26	38.4	-4.5
	(48.3)	(42.6)		
iii. हानि	0.9	0.7	145.7	-18.5
	(1.6)	(1.2)		
ख. ऋण-अनर्जकआस्ति अनुपात (%)	**33.2**	**34.3**	-	-
ग. मांग-वसूली अनुपात (%)	**40.5**	**40.0**	-	-

नोट: 1. कोष्ठक में दर्शाए गए आंकड़े कुल अनर्जक आस्तिओं के प्रतिशत हैं।
2. संख्याओं को बिलियन रुपये में पूर्णांकित किए जाने के कारण प्रतिशत घटबढ़ में कुछ अंतर आ सकता है।

स्रोत: नाबार्ड

चार्ट V.24: राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की अनर्जक आस्ति की अन्य सहकारी बैंकों तथा वाणिज्यिक बैंकिंग संस्थाओं के साथ तुलना

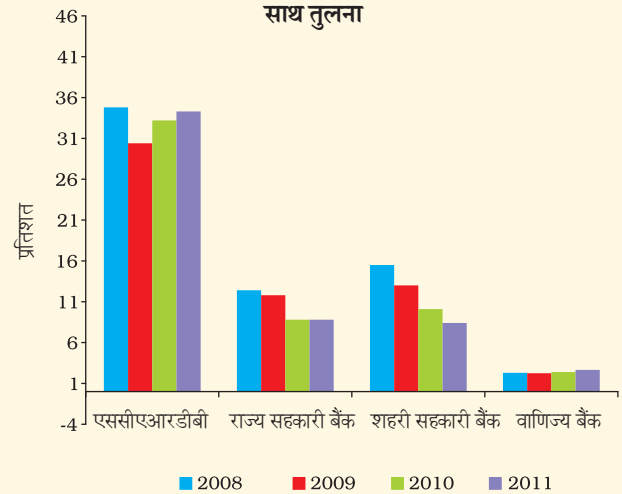

स्रोत: भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट के विभिन्न अंकों से संकलित।

2009 में संशोधित दिशानिर्देश जारी किए कि उन्हीं ग्रामीण सहकारी बैंकों को लाइसेंस दिया जाए जिनका नाबार्ड की नवीनतम निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर आरक्षित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात 4 प्रतिशत और इससे अधिक है और जिन्होंने पिछले एक वर्ष में आरक्षित नकदी निधि अनुपात तथा सांविधिक चलनिधि अनुपात आवश्यकताओं का पालन किया। रिजर्व बैंक ने उसके बाद उक्त शर्तों का पालन करने वाले सहकारी बैंकों को ही लाइसेंस प्रदान किया

चार्ट V.25 : राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की वित्तीय स्थिति की क्षेत्रीय तुलना

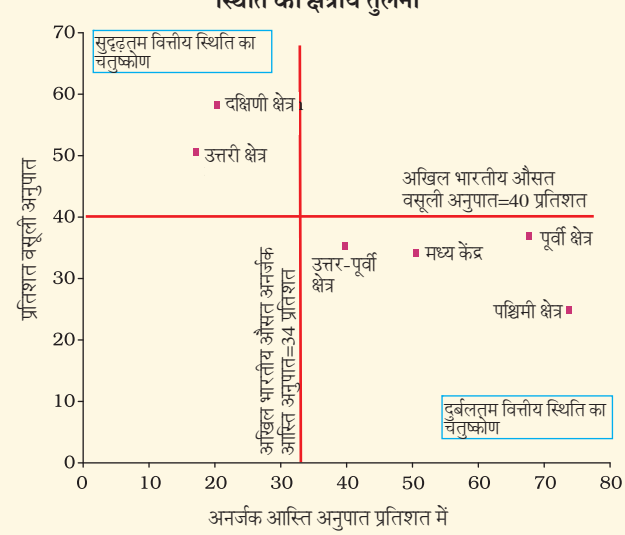

स्रोत: नाबार्ड से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर परिकलित

सारणी V.25: प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की देयताएं और आस्तियाँ

(राशि बिलियन रुपये में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत परिवर्तन	
	2010	2011	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
देयताएं				
1. पूँजी	15.3	14.5	0.8	-4.8
	(6.1)	(5.8)		
2. आरक्षित निधियां	34.74	34.75	-0.5	0.03
	(13.9)	(13.8)		
3. जमाराशियां	4.61	4.58	15.2	-0.5
	(1.8)	(1.8)		
4. उधार राशियां	128.3	128.4	3.8	0.1
	(51.3)	(50.9)		
5. अन्य देयताएं	67	70	-4.7	4.1
	(26.9)	(27.8)		
आस्तियाँ				
1. नकदी और बैंक शेष	2.68	2.73	13.6	2.2
	(1.1)	(1.1)		
2. निवेश	11.7	11.9	4.0	2.3
	(4.7)	(4.7)		
3. ऋण और अग्रिम	114.8	116.1	1.9	1.1
	(45.9)	(46.0)		
4. अन्य आस्तियाँ	121.2	121.7	-0.8	0.5
	(48.4)	(48.2)		
कुल देयताएं/आस्तियाँ	**250**	**252**	**0.8**	**0.8**
	(100.0)	**(100.0)**		

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दर्शाए गए आंकड़े कुल आस्तिओं/देयताओं के प्रतिशत हैं।
2. संख्याओं को बिलियन रुपये में पूर्णांकित किए जाने के कारण प्रतिशत घटबढ़ में कुछ अंतर हो सकता है।

स्रोत: नाबार्ड।

सारणी V.26: प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि बिलियन रुपये में)

मद	निम्नलिखित के		प्रतिशत घटबढ़	
	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
क. आय (i+ii)	**18**	**21**	**-9.4**	**12.4**
	(100.0)	**(100.0)**		
i. ब्याज आय	13	15	-9.8	12.3
	(70.5)	(70.5)		
ii. अन्य आय	5.4	6.1	-8.7	12.7
	(29.5)	(29.5)		
ख. व्यय (i+ii+iii)	**22.4**	**22.6**	**0.8**	**0.8**
	(100.0)	**(100.0)**		
i. ब्याज पर हुआ खर्च	11.4	11.6	-6.5	1.8
	(50.8)	(51.3)		
ii. प्रावधान और आकस्मिक व्यय	6.0	5.8	9.3	-3.3
	(26.6)	(25.5)		
iii. परिचालन व्यय	5.0	5.2	10.1	3.5
	(22.5)	(23.1)		
उक्त में से वेतन व्यय	2.8	2.9	49.2	0.6
	(12.7)	(12.7)		
ग. लाभ				
i. परिचालन लाभ	1.9	3.8	-58.5	100.5
ii. निवल लाभ	-4.1	-2.0	-	-

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दर्शाए गए आंकड़े कुल आय/व्यय के प्रतिशत हैं।
2. संख्याओं को बिलियन रुपये में पूर्णांकित किए जाने के कारण प्रतिशत घटबढ़ में कुछ अंतर हो सकता है।

स्रोत: नाबार्ड।

है और नाबार्ड के साथ विचार-विमर्श करके लाइसेंस रहित बैंकों की आवधिक समीक्षा भी कर रहा है।

5.55 31 मार्च 2012 तक कुल 43 बैंक, अर्थात 1 राज्य सहकारी बैंक और 42 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक लाइसेंस-रहित हैं। लाइसेंस-रहित सहकारी बैंकों के अनुपालन के बारे में एक बार फिर से नाबार्ड के समन्वय से समीक्षा की गई और यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए और लाइसेंस रहित बैंकों के जमाकर्ताओं और सामान्य रूप में जनता के हित की रक्षा करने के उद्देश्य से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों के लिए यथा लागू) की धारा 35ए के अंतर्गत लाइसेंस-रहित बैंकों को नई जमा राशियां स्वीकार करने से मना किया जा सकता है।

5.56 इसके अलावा, यह निर्णय लिया गया कि एक निगरानी योग्य कार्य योजना के माध्यम से लाइसेंस-रहित जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की प्रगति की सूक्ष्म निगरानी करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। यह कार्ययोजना संबंधित बैंकों द्वारा तैयार की जाएगी और टास्क फोर्स द्वारा इसकी मंजूरी प्रदान की जाएगी। इस टास्क फोर्स का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक यथासंभव कम-से-कम समय में लाइसेंस जारी

चार्ट V.26 : पीसीएआरडीबी के लाभप्रदता संकेतक

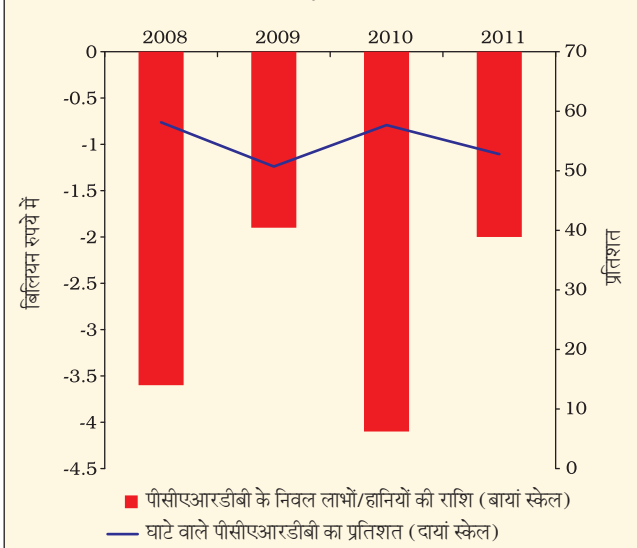

स्रोत: नाबार्ड से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर की गई गणना।

सारणी V.27: प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की आस्ति गुणवत्ता

(राशि बिलियन रुपये में)

मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घटबढ़	
	2010	2011	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
क. कुल अनर्जक आस्तियाँ (i+ii+iii)	**48.9**	**48.3**	**3.1**	**-1.1**
i. अवमानक	27.7	28.2	0.2	1.7
	(56.7)	(58.4)		
ii. संदिग्ध	20.6	19.5	6.5	-5.0
	(42.1)	(40.4)		
iii. हानि	0.57	0.61	33.7	5.8
	(1.2)	(1.3)		
ख. ऋण-अनर्जक आस्ति अनुपात	**42.6**	**41.7**	-	-
ग. मांग-वसूली अनुपात (%)	**37.2**	**39.4**	-	-

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दर्शाए गए आंकड़े कुल अनर्जक आस्तिओं के प्रतिशत हैं।
2. प्रतिशत परिवर्तन में थोड़ा अंतर हो सकता है, क्योंकि राशि को बिलियन रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

स्रोत: नाबार्ड।

किये जाने के लिए पात्रता प्राप्त कर लें। टास्क फोर्स उन क्षेत्रों में ऋण के लिए अन्य वैकल्पिक पारंपरिक चैनल की भी जांच करेगा जहाँ ये बैंक कार्यरत थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यदि लाइसेंस-रहित बैंक लाइसेंस प्राप्त करने में असमर्थ रहेंगे तो सामान्य रूप से बैंकिंग सेवाएं तथा अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए और विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में ऋण प्रवाह सुनिश्चित हो सके।

5.57 इसके अलावा, 2012-13 के वार्षिक नीति वक्तव्य में सुझाये गए अनुसार अल्पकालिक ग्रामीण सहकारी संरचना की समीक्षा करने और मौजूदा तीन टियर संरचना के बजाय दो टियर संरचना की स्थापना की व्यवहार्यता सहित अन्य विकल्पों की खोज करने के लिए जुलाई 2012 में एक कार्य समूह (इस कार्य समूह में बाहर के विशेषज्ञों को शामिल करने के पश्चात ''विशेषज्ञ समिति'' (अध्यक्ष: डॉ. प्रकाश बख्शी) के रूप में पुनः नामकरण किया गया) का गठन किया गया। यह समिति आर्थिक दृष्टि से मजबूत जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के साथ आस-पास के जिलों में स्थित कमजोर/अलाभकारी जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के विलय की व्यवहार्यता की जांच भी करेगी। इसके साथ जिन स्थानों पर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक सक्रिय नहीं हैं, यह समिति ग्रामीण ऋण वितरण के लिए वैकल्पिक चैनलों की तलाश करेगी जैसे वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को ऋण देना। यह राज्य सहकारी बैंकों / जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा पूँजी-भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात में वृद्धि करके 9 प्रतिशत किए जाने की भी जांच करेगा और इन संस्थाओं की पूँजी को बढ़ाने के तरीकों का भी सुझाव देगा।

5. ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के पुनरुज्जीवन में हुई प्रगति

अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे के पुनरुज्जीवन में पर्याप्त प्रगति हुई

5.58 ग्रामीण सहकारिता के क्षेत्र में एक प्रमुख गतिविधि यह रही कि एक व्यावहारिक कार्य योजना द्वारा सहकारी ऋण संस्थाओं (अल्पावधि) के पुनर्जीवन के लिए 2004 में गठित कार्य दल (अध्यक्ष: प्रोफेसर ए. वैद्यनाथन) के सुझावों का अनुसरण करके उनका पुनरुज्जीवन किया गया है। इस कार्य योजना को भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों से मिलकर अंतिम रूप प्रदान किया गया था। समग्रतः इस पैकेज का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना था एवं इन संस्थाओं में विधिक तथा संस्थागत सुधारों को लागू किया जाना है। इन सुधारों की वर्तमान स्थिति पर चर्चा बॉक्स V. 3 में की गई है।

चार्ट V.27: राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की तुलना में प्रारम्भिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की वित्तीय स्थिति

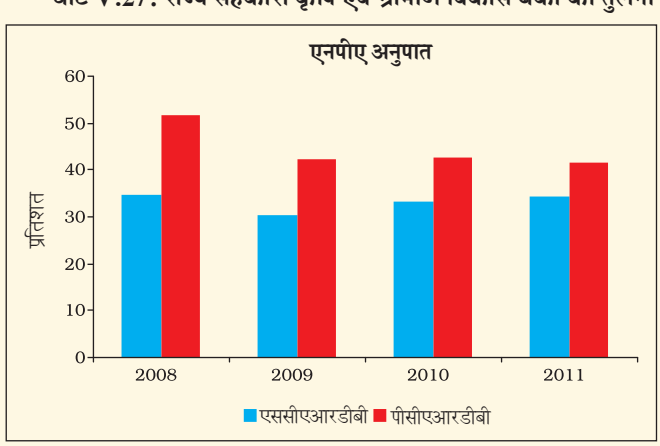

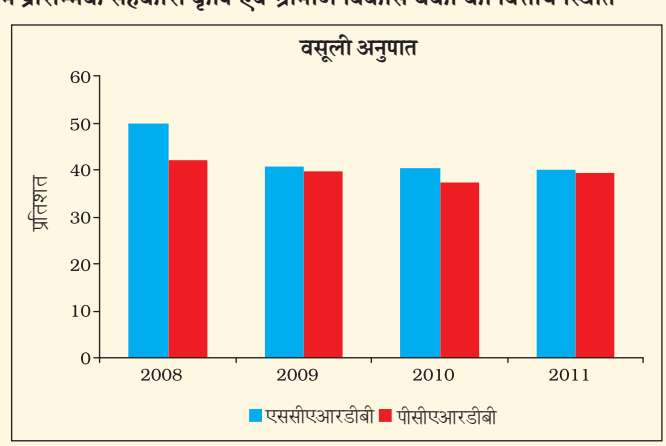

बॉक्स V.3 अल्पावधि ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के पुनरुज्जीवन के लिए सुधार

इस कार्य योजना के मुख्य घटक में ग्रामीण सहकारिता क्षेत्र को पुनर्पूंजीकरण प्रदान करना शामिल है ताकि वह अपने आपको स्वीकार्य आर्थिक स्थिति में ला सके। इसके पश्चात इसका उद्देश्य इन संस्थाओं में कुछ निश्चित विधिक तथा सांस्थानिक सुधार लागू कराना है जिससे इन संस्थाओं में लोकतांत्रिक, आत्मनिर्भर और प्रभावशाली कार्य-संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

पुनर्पूंजीकरण सहायता

मार्च 2004 के अंत तक के संचयित घाटे को पाटने तथा मार्च 2004 के अंत तक उन्हें जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में न्यूनतम 7 प्रतिशत का पूंजी अनुपात प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए 17 राज्यों में स्थित 54,728 अल्पावधि सहकारी संस्थाओं (54,715 प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटीज तथा 13 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक) को कुल 98.5 बिलियन रुपये (इसमें भारत सरकार का 90 बिलियन रुपए तथा राज्य सरकार का 8.5 बिलियन रुपये हिस्सा शामिल है) प्रदान किए गए।

विधिक सुधार

मार्च 2012 के अंत तक 21 राज्यों ने अपने संबंधित राज्य सहकारी सोसाइटी एक्ट में संशोधन किया था। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नगालैंड, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ और असम सरकार ने सहकारी समितियों से संबंधित अपने एक्ट में प्रस्तावित संशोधनों के लिए कैबिनेट की मंजूरी प्रदान की है, वास्तविक संशोधन अभी लंबित है और इसमें कुछ और समय लगेगा। पंजाब और उत्तराखंड में सहकारी सोसाइटियों से संबंधित एक्ट में संशोधन संबंधित राज्य सरकारों के विचाराधीन हैं।

विधायी सुधारों का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को संपूर्ण कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान करना है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: (क) जमाकर्ताओं सहित वित्तीय सेवाओं के सभी उपयोगकर्ताओं के लिए पूर्ण मताधिकार के साथ सदस्यता सुनिश्चित करना, (ख) सहकारी संस्थाओं के प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में राज्यों के हस्तक्षेप को हटाना, (ग) मौजूदा बोर्डों के कार्यकाल की समाप्ति से पहले समय पर चुनाव सुनिश्चित करना, और (घ) राज्य सरकार की शक्तियों को सीमित करना ताकि वे निर्वाचित बोर्डों का अधिलंघन न कर सकें।

प्रशिक्षण में सुधार

निदेशक-मंडल के सदस्यों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के अलावा सहकारी समितियों के पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए नाबार्ड ने नौ प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए हैं। ये कार्यक्रम नाबार्ड की प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा राज्यों के प्रशिक्षण भागीदारों और राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) के साथ मिलकर आयोजित किये जा रहे हैं।

कंपनी अभिशासन में सुधार

रिजर्व बैंक ने राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पेशेवर निदेशकों की नियुक्ति के लिए फ़िट एंड प्रॉपर मानदंड निर्धारित किए हैं। इन सुधारों के अनुसरण में सभी सहकारी बैंक इन मानदंडों को लागू कर रहे हैं।

प्रौद्योगिकीय सुधार

नाबार्ड ने कोर सॉफ्टवेयर को अंतिम रूप दिया है और इसे 20 राज्यों को उपलब्ध कराया गया है, जो इस प्रकार हैं- अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू ऐण्ड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। 10 राज्यों में सॉफ्टवेयर का परीक्षण पूरा कर लिया गया है, जो इस प्रकार हैं- असम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। साथ ही कर्नाटक, राजस्थान और त्रिपुरा में परीक्षण कार्य प्रगति पर है। शेष राज्यों ने इसे परीक्षण स्तर पर चलाने का कार्य आरम्भ कर दिया है।

5.59 इस कार्य योजना को अंतिम रूप देने के बाद 25 राज्यों ने इस योजना को कार्यान्वित करने हेतु भारत सरकार एवं नाबार्ड के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं जिनका देश की अल्पकालिक सहकारी संस्थाओं में 96 प्रतिशत से अधिक का हिस्सा है।

दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना का पुनरुद्धार पैकेज प्रतीक्षित है

5.60 अल्पकालिक सहकारी संरचना के मामले की तरह ही दीर्घावधि के सहकारी समितियों में लागू किये जाने योग्य सुधार के लिए कार्य योजना पर सुझाव देने के लिए 2005 में भारत सरकार द्वारा ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं (दीर्घावधि) के पुनरुद्धार के बारे में एक टास्क फोर्स (अध्यक्ष: प्रोफेसर ए. वैद्यनाथन) का गठन किया गया था। केंद्र सरकार ने अक्तूबर 2007, जनवरी 2008 और फरवरी 2008 में विशेष रूप से बुलाई गई तीन बैठकों में राज्य सरकारों के साथ टास्क फोर्स की सिफारिशों पर चर्चा की। केंद्रीय बजट 2008-09 में यह संकेत दिया गया था कि लंबी अवधि की सहकारी समितियों के पुनरुद्धार के लिए कार्य योजना लागू किये जाने पर राज्य सरकारों के साथ आम सहमति बन पाई थी।

5.61 कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना लागू किये जाने और राज्य सरकारों से प्रतिसूचना प्राप्त होने के बाद केन्द्र सरकार ने दीर्घावधि सहकारी समितियों के लिए सुधार पैकेज को संशोधित किया।

हालांकि पैकेज की घोषणा से पहले केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित पृष्ठभूमि को देखते हुए दीर्घावधि सहकारी समितियों के लिए एक अलग पैकेज की व्यवहार्यता और प्रासंगिकता पर पुनर्विचार करने का फैसला किया है: (i) अल्पावधिक सहकारी समितियों के लिए एक पैकेज का कार्यान्वयन और (ii) वित्तीय समावेशन नीति के कारण हाल के वर्षों में वाणिज्य बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से शाखा और व्यापार विस्तार।

5.62 इसके परिणामस्वरूप, सितम्बर 2009 में एक अलग टास्क फोर्स (अध्यक्ष: श्री जी.सी. चतुर्वेदी) का गठन किया गया था। इस टास्क फोर्स ने 2010 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जो केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है। अतः दीर्घावधि सहकारी समितियों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा सुधार पैकेज की घोषणा प्रतीक्षित है।

6. सहकारी संस्थाओं पर विशेष रूप से प्रभाव डालने वाले ग्रामीण ऋण संबंधी उपायों से संबंधित प्रगति

किसान क्रेडिट कार्ड

5.63 किसानों को पर्याप्त, समय पर और सस्ते ऋण मुहैया कराने के लिए सहकारी समितियों, राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू की जा रही है।

किसान क्रेडिट कार्ड वितरण में वाणिज्य बैंक अग्रणी हैं

5.64 मार्च 2012 के अंत तक जारी किए गए कुल किसान क्रेडिट कार्डों में वाणिज्य बैंकों का स्थान 58 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ अग्रणी रहा। इसमें जारी कुल कार्डों में सहकारी संस्थाओं की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भागीदारी शेष 17 प्रतिशत रही है (परिशिष्ट सारणी V.9 के साथ पठित चार्ट V.28)।

5.65 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू किये जाने के बाद से ही जारी किए गए कार्डों की कुल संख्या में वाणिज्य बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की हिस्सेदारी में तेजी से वृद्धि देखी गई है जबकि सहकारी संस्थाओं की हिस्सेदारी में कमी पाई गई है (चार्ट V.28)। हालांकि 2008-09 के बाद से सहकारी समितियों की हिस्सेदारी में सुधार आया है फिर भी किसान क्रेडिट कार्ड वितरण में वाणिज्य बैंक देश में सबसे महत्त्वपूर्ण माध्यम बने हुए हैं।

चार्ट V.28 : जारी किए गए कुल किसान क्रेडिट कार्डों में ग्रामीण ऋण संस्थाओं की हिस्सेदारी

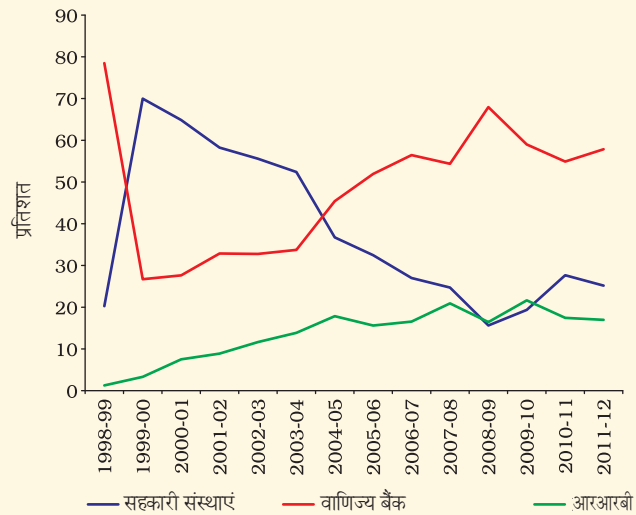

स्रोत: नाबार्ड से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर की गई गणना।

किसान क्रेडिट कार्ड सामान्य रूप से कृषि ऋण और विशेष रूप से वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये जा रहे कृषि ऋण के लिए वाहक के रूप में उभर रहे हैं

5.66 कृषि ऋण प्रदान करने वाली तीनों संस्थाओं अर्थात सहकारी संस्थाओं, वाणिज्य बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बीच उनके द्वारा जारी किये गए किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या तथा प्रत्यक्ष कृषि ऋण के लिए दी गई राशि में हिस्सेदारी के आधार पर तुलना से एक समान प्रवृत्ति उजागर होती है (चार्ट V.29 के साथ पठित चार्ट V.28)।

चार्ट V.29 : प्रत्यक्ष कृषि ऋण में ग्रामीण ऋण संस्थाओं की हिस्सेदारी

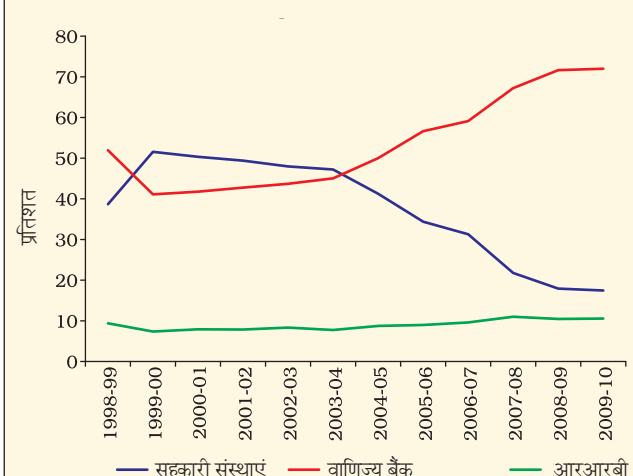

टिप्पणी: उपलब्ध आंकड़ों के अभाव में प्रत्यक्ष कृषि ऋण की शृंखला 2009-10 में टूट जाती है।

स्रोत: हैंडबुक ऑन इंडियन इकोनोमी के विभिन्न अंकों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर की गई गणना

5.67 2000 के दशक में भारत में कुल और प्रत्यक्ष कृषि ऋण में तीव्र वृद्धि हुई है। यह वृद्धि मुख्य रूप से वाणिज्य बैंकों के साथ जुड़ी हुई थी और वाणिज्य बैंक सहकारी संस्थाओं से आगे निकलकर देश में कृषि ऋण के सबसे महत्त्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभर कर सामने आए। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि वर्ष 2000 के दशक में जारी किये गए किसान क्रेडिट कार्डों की कुल संख्या में वाणिज्य बैंकों की हिस्सेदारी में तेजी से वृद्धि देखी गई। इसलिए यह कहा जा सकता है कि किसान क्रेडिट कार्ड ने कुछ मायनों में देश में कृषि ऋण में वृद्धि करने और 2000 के दशक में कृषि ऋण में वाणिज्य बैंकों की हिस्सेदारी को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

7. समग्र मूल्यांकन

शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र अधिक लाभप्रद, सुदृढ़ और विकासशील है लेकिन पूँजी पर्याप्तता संबंधी चिंताओं से ग्रस्त है

5.68 2005 में किए गए नियामक सुधारों के बाद से सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत शहरी सहकारी बैंकों ने उल्लेखनीय प्रसार करके एक नई गाथा प्रस्तुत की है। हाल के दिनों में हुए सुधारों के अनुसार इस क्षेत्र में 2011-12 में भी लाभप्रदता और आस्ति गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ आस्ति में द्वि-अंकीय बढ़ोतरी हुई है। समेकन के फलस्वरूप मजबूत संस्थाओं में विकास हुआ है लेकिन इस क्षेत्र से कमजोर संस्थाएं बाहर हो गई हैं। साथ-साथ इस क्षेत्र में आस्ति संकेन्द्रण की सीमा में भी वृद्धि हुई है। इसके नकारात्मक पक्ष पर ध्यान दें तो हालांकि शहरी सहकारी बैंकों की पूंजी पर्याप्तता का स्तर समग्र रूप से संतोषजनक था पर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की पूंजी की स्थिति बहुत कमजोर दिखी। कुछ अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों ने आरक्षित आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात ऋणात्मक होने की सूचना दी है।

शीर्ष स्तरों पर पुनरुद्धार की संभावना वाली आर्थिक दृष्टि से कमजोर अल्पावधि ग्रामीण सहकारी संस्थाएं

5.69 ग्रामीण सहकारी समितियों के अंतर्गत, अल्पावधि की शीर्ष स्तर की ग्रामीण सहकारी समितियों में हाल की अवधि के अनुरूप 2010-11 में लाभप्रदता और आस्ति गुणवत्ता के मामले में पुनरुद्धार के कुछ लक्षण दिखाई दिए हैं जिसका आंशिक कारण इस क्षेत्र में किये जा रहे सुधार हो सकते हैं। यद्यपि 2010-11 में राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के तुलन पत्र के आकारों में कमी रही थी फिर भी इन संस्थाओं के समग्र लाभ में वृद्धि और इनकी अनर्जक आस्तियों के अनुपात में गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा, लाभप्रदता और आस्ति गुणवत्ता में सुधार सामान्यरूप से सभी क्षेत्रों में हुए हालांकि पश्चिमी क्षेत्र इसका प्रमुख अपवाद रहा।

5.70 जहाँ एक ओर सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं, वहीं निम्नतर टियर की जांच किए जाने पर वित्तीय स्थिति कमजोर होती जा रही है। राज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति से बेहतर थी और प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी की वित्तीय स्थिति की तुलना में बेहतर थी। इस प्रकार वह प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी जिस पर बहुत अधिक कर्ज है और जो बहुत नुकसान में है, अभी भी अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना में सबसे कमजोर है।

दीर्घावधि ग्रामीण सहकारी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति कमज़ोर बनी रही

5.71 अल्पावधि सहकारी ग्रामीण संस्थाओं के विपरीत दीर्घावधि ग्रामीण सहकारी संस्थाओं में नुकसान पहले की ही तरह 2010-11 में भी जारी रहा और आस्ति गुणवत्ता भी कमजोर बनी रही। हाल की अवधि के अनुरूप 2010-11 में राज्य और प्राथमिक कृषि सहकारी ग्रामीण विकास बैंकों की आस्तियों के आकार में वृद्धि अल्पावधि संस्थाओं की तुलना में काफी कम रही है। इससे ग्रामीण सहकारी क्षेत्र की कुल आस्ति में दीर्घावधि सहकारी समितियों की हिस्सेदारी क्रमिक रूप से कम हो गई।

5.72 संक्षेप में, शहरी सहकारी और अल्पावधि ग्रामीण सहकारी क्षेत्रों से संबंधित सुधारों से इनमें पुनरुद्धार की प्रक्रिया शुरू हो गई प्रतीत होती है। शहरी सहकारी क्षेत्र में अब वित्तीय निष्पादन में सुधार दिखाई देने लगा है और वित्तीय स्थिति अच्छी हुई है लेकिन अल्पावधि ग्रामीण सहकारी क्षेत्र में पुनरुद्धार अधिक नाजुक है और अभी भी इसे देश के सभी क्षेत्रों में और क्षेत्र के सभी टियरों में फैलाना शेष है। आने वाले वर्षों में यह देखना होगा कि क्या यह पुनरुद्धार निरंतर और व्यापक बना रहेगा। इसके अलावा, यह जरूरी है कि भारतीय कृषि में पूंजी निर्माण में दीर्घावधि ग्रामीण सहकारी संस्थाओं द्वारा निभाई जा रही महत्त्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए मार्ग प्रशस्त किया जाए।

अध्याय VI

गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं

गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र में समेकन की प्रक्रिया दिख रही है, छोटी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (जमा लेने वाली) या तो विलयन का अथवा बंदी का और कुछ बड़ी कंपनियां जमाराशियां न लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में रूपांतरण का विकल्प अपना रही हैं। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अधिक पूंजी के कारण सुविधाजनक स्थिति में हैं। जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वित्तीय कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ है जो उनके परिचालन लाभों की वृद्धि में परिलक्षित होता है, यह लाभ मुख्य रूप से निधि आधारित आय में वृद्धि के कारण हुआ है। जमाराशियां न लेने वाले प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी खंड में अपनी संसाधन आवश्यकताओं के लिए बैंक वित्त पर बहुत अधिक निर्भरता जारी रही। इन कंपनियों की आस्तियों की गुणवत्ता में गिरावट के चिह्न दिख रहे हैं। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र के लिए बनाई गयी विनियमावाली मध्यावधि में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को और आघात सहनीय बनाएगी। वित्तीय संस्थाओं के संयुक्त तुलन-पत्र में विस्तार हुआ है और परिचालन लाभ तथा निवल लाभ में काफी अधिक बढ़ोतरी हुई है। वित्तीय संस्थाओं की अवरुद्ध आस्तियों में भी वृद्धि हुई है और यह एक चिंता का विषय है। प्राथमिक व्यापारियों के खर्चों में वृद्धि आय में हुई वृद्धि से अधिक होने के कारण लाभ में कमी आई।सीआरएआर अधिक होने के कारण प्राथमिक व्यापारियों की स्थिति अच्छी रही।

1. भूमिका

6.1 गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं भारतीय वित्तीय प्रणाली का एक महत्त्वपूर्ण भाग हैं। वर्तमान में गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं में विजातीय समूह की संस्थाएं शामिल हैं जो कई सारी वित्तीय अपेक्षाओं को पूरा करती हैं। प्रमुख मध्यस्थों में वित्तीय संस्थाएं, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और प्राथमिक व्यापारी शामिल हैं।

6.2 इस अध्याय में 2011-12 के दौरान गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रत्येक खंड के वित्तीय कार्य-निष्पादन और सुदृढ़ता संकेतकों का विश्लेषण किया गया है। यह अध्याय पांच भागों में विभाजित है। भाग 2 में वित्तीय संस्थाओं के वित्तीय कार्य-निष्पादन का विश्लेषण किया गया है जबकि भाग 3 में अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों सहित जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण गैर-वित्तीय कंपनियों के कार्य-निष्पादन की चर्चा की गयी है। भाग 4 में प्राथमिक और द्वितीयक बाजार में प्राथमिक व्यापारियों के कार्य-निष्पादन का विश्लेषण किया गया है, इसके पश्चात भाग 5 में समग्र मूल्यांकन किया गया है।

2. वित्तीय संस्थाएं

6.3 मार्च 2012 के अंत में, रिज़र्व बैंक के संपूर्ण विनियमन और पर्यवेक्षण के अंतर्गत पांच वित्तीय संस्थाएं थीं अर्थात, भारतीय निर्यात आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक), भारतीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक (आईआईबीआई) (सारणी VI.1)। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक स्वेच्छा से परिसमापन की प्रकिया में है।

सारणी VI.1: वित्तीय संस्थाओं के स्वामित्व का स्वरूप

(31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार)

संस्था	स्वामित्व	प्रतिशत
1	2	3
एक्ज़िम बैंक	भारत सरकार	100
नाबार्ड	भारत सरकार	99.3
	भारतीय रिज़र्व बैंक	0.7
एनएचबी	भारतीय रिज़र्व बैंक	100
सिडबी*	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	62.5
	बीमा कंपनियां	21.9
	वित्तीय संस्थाएं	5.3
	अन्य	10.3

* आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (19.2 प्रतिशत), भारतीय स्टेट बैंक (15.5 प्रतिशत) और भारतीय जीवन बीमा निगम (14.4 प्रतिशत) सिडबी के तीन बड़े शेयरधारक हैं।

वित्तीय संस्थाओं का परिचालन

वित्तीय संस्थाओं के संयुक्त तुलन-पत्र में विस्तार हुआ है

6.4 वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता में 2011-12 के दौरान वृद्धि हुई ,ऐसा मुख्य रूप से निवेश संस्थाओं (जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम) तथा विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं (आईवीसीएफ और टीएफसीआई) द्वारा की गयी स्वीकृतियों और संवितरणों में वृद्धि के कारण हुआ। लेकिन,2010-11 में आईएफसीआई द्वारा की गयी स्वीकृतियों और संवितरणों में गिरावट आई (सारणी VI.2 और अनुबंध सारणी VI.1)।

वित्तीय संस्थाओं की आस्तियां और देयताएं

6.5 2011-12 के दौरान वित्तीय संस्थाओं के संयुक्त तुलन-पत्र में विस्तार हुआ। देयता पक्ष में, 2011-12 के दौरान जमाराशियां और 'बांड तथा डिबेंचर' उधारों के प्रमुख स्रोत बने रहे। आस्ति पक्ष में, 'कर्ज और अग्रिम' एकमात्र सबसे बड़ा घटक बना हुआ है जिसने वित्तीय संस्थाओं की कुल आस्तियों में 4/5 से अधिक हिस्से का योगदान किया (सारणी VI.3)।

सारणी VI.2: वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता

(राशि ₹ बिलियन में)

श्रेणी	राशि				प्रतिशत घटबढ	
	2010-11		2011-12		2011-12	
	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.
1	2	3	4	5	6	7
(i) अखिल भारतीय सावधि ऋणदाता संस्थाएं*	545	472	478	478	-12.2	1.2
(ii) विशेषीकृत वित्तीय संस्थाएं#	9	5	11	8	21.3	66.8
(iii)निवेश संस्थाएं@	450	401	544	520	20.8	29.5
एफआई द्वारा कुल सहायता (i+ii+iii)	**1,004**	**878**	**1,033**	**1,006**	**2.9**	**14.5**

स्वी: स्वीकृत संवि.:संवितरित.
* :आईएफसीआई, सिडबी और आईआईबीआई के संबंध में।
# :आईवीसीएफ, आईसीआईसीआई वेंचर और टीएफसीआई से संबंधित ।
@ :एलआईसी और जीआईसी तथा भूतपूर्व सब्सिडियरियों (एनआईए, यूआईआईसी और ओआईसी) से संबंधित।
टिप्पणी: 1. पूर्णांकन के कारण हो सकता है कि घटकों का जोड़ कुल से मेल न खाए।
2. 2011-12 के आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

सारणी VI.3: वित्तीय संस्थाओं की देयताएं और आस्तियां
(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ मिलियन में)

मद	2011	2012 अ.	प्रतिशत घटबढ़
देयताएं			
1. पूंजी	49,000 (1.7)	62,000 (1.8)	26.5
2. रिज़र्व	4,26,071 (14.7)	4,65,001 (13.8)	9.1
3. बांड और डिबेंचर	9,00,968 (31.0)	10,72,973 (31.9)	19.1
4. जमाराशियां	9,27,817 (31.9)	10,90,780 (32.4)	17.6
5. उधार राशियां	4,26,807 (14.7)	4,95,207 (14.7)	16.0
6. अन्य देयताएं	1,75,493 (6.0)	1,77,294 (5.3)	1.0
कुल देयताएं/आस्तियां	**29,06,156**	**33,63,255**	**15.7**
आस्तियां			
1. नकद और बैंक शेष	65,219 (2.2)	67,398 (1.9)	3.3
2. निवेश	1,18,023 (4.1)	1,25,559 (3.7)	6.4
3. कर्ज और अग्रिम	25,61,759 (88.2)	29,82,001 (88.7)	16.4
4. भुनाए/ पुनःभुनाए गए बिल	35,422 (1.2)	29,636 (0.9)	-16.3
5. अचल आस्तियां	5,374 (0.2)	5,364 (0.2)	-0.2
6. अन्य आस्तियां	1,86,822 (6.4)	1,53,297 (4.6)	-17.9

अ.: अनंतिम
टिप्पणियां: 1.आंकड़े 4 वित्तीय संस्थाओं यथा - एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी के हैं।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल देयताओं/आस्तियों के प्रतिशत हैं।
स्रोत : एक्जिम बैंक, नाबार्ड और सिडबी की 31 मार्च को समाप्त तथा एनएचबी की 30 जून की लेखा परीक्षित ऑस्मॉस विवरणियां।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाये गये संसाधन

वाणिज्यिक पत्र निधियों के प्रमुख स्रोत रहे हैं

6.6 2011-12 के दौरान वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाये गये संसाधन पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक थे। राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जुटाए गए संसाधनों की राशि सबसे अधिक थी, इसके पश्चात नाबार्ड, सिडबी और एक्जिम बैंक का क्रम था (सारणी VI.4)।

6.7 2011-12 के दौरान वित्तीय संस्थाओं द्वारा वाणिज्यिक पत्रों के माध्यम से जुटाये गये संसाधनों में काफी अधिक बढ़ोतरी हुई, ये वाणिज्यक पत्र मुद्रा बाजार से जुटाये गये कुल संसाधनों के 70 प्रतिशत से अधिक थे (सारणी VI.5)।

सारणी VI.4: वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए संसाधन

(राशि ₹बिलियन में)

संस्थाएं	जुटाए गए कुल संसाधन								कुल शेष राशि (मार्च के अंत में)	
	दीर्घावधि		अल्पावधि		विदेशी मुद्रा		कुल			
	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
एक्ज़िम बैंक	111	88	15	55	111	84	237	227	472	547
नाबार्ड	97	179	185	90	-	-	283	269	339	423
एनएचबी	75	555	295	827	-	-	370	1,382	109	607
सिडबी	100	139	23	80	12	20	135	239	341	440
कुल	**384**	**961**	**518**	**1,052**	**123**	**104**	**1,025**	**2,117**	**1,261**	**2,016**

-: शून्य/ नगण्य।
टिप्पणियां: दीर्घावधि रुपया संसाधनों में बांड/डिबेंचर से जुटाई गई उधार राशियां सम्मिलित हैं; अल्पावधि संसाधनों में सीपी, सावधि जमाराशियां, आईसीडी, सीडी और सावधि मुद्रा बाजार से प्राप्त उधार राशियां सम्मिलित हैं। विदेशी मुद्रा संसाधनों में मुख्यतः अंतरराष्ट्रीय बाजार के बांड और उधार राशियां सम्मिलित हैं।
स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

निधियों के स्रोत और उपयोग

6.8 जुटाई गयी अधिकांश निधियों का उपयोग नये नियोजनों के लिए किया गया, इसके पश्चात पुराने उधारों की चुकौती के लिए (सारणी VI.6)।

परिपक्वता और उधार लेने और उधार देने की लागत

6.9 रुपये में जुटाये गये संसाधनों की भारित औसत लागत में सभी स्तरों पर वृद्धि हुई। सिडबी और नाबार्ड द्वारा जुटाये गये रुपया संसाधनों की भारित औसत परिपक्वता में वृद्धि हुई जबकि 2011-12 के दौरान एक्ज़िम बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक के मामले में उनमें गिरावट आई (सारणी VI.7)। वर्ष के दौरान एक्ज़िम बैंक और सिडबी ने अपनी मूल उधार दर को बढ़ाया, लेकिन राष्ट्रीय आवास बैंक ने इसे अपरिवर्तित रखा (सारणी VI.8)।

सारणी VI.5: वित्तीय संस्थाओं द्वारा मुद्रा बाजार से जुटाए गए संसाधन
(मार्च 2012 के अंत में)

(राशि ₹मिलियन में)

लिखत	एक्ज़िम	नाबार्ड	एनएचबी	सिडबी	कुल
1	2	3	4	5	6
क. कुल	**49,355**	**90,347**	**28,953**	**50,915**	**2,19,570**
i) सावधि जमाराशियां	8,193	70	2,184	8,419	18,866
ii) सावधि मुद्रा	-	4,381	-	-	4,381
iii) अंतर-कारपोरेट जमाराशियां	-	-	-	-	-
iv) जमा प्रमाणपत्र	536	12,810	-	-	13,346
v) वाणिज्यिक पत्र	40,626	73,086	4,889	42,496	1,61,097
vi) बैंकों से अल्पावधि कर्ज	-	-	21,880	-	21,880
ज्ञापन:					
ख. अंब्रेला सीमा	**75,458**	**2,07,941**	**41,550**	**89,673**	**4,14,622**
ग. अंब्रेला सीमा का उपयोग (ख के प्रतिशत के रूप में क)	65.4	43.5	69.7	56.8	53.0

-: शून्य/ नगण्य।
स्रोत: वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए संसाधनों की पाक्षिक विवरणी।

सारणी VI.6: वित्तीय संस्थाओं की निधियों के स्रोतों और नियोजन का स्वरूप

(राशि ₹बिलियन में)

मद	मार्च 2011के अंत में	मार्च 2012के अंत में	प्रतिशत घटबढ़
1	2	3	4
क. निधियों का स्रोत (i+ii+iii)	**2,978 (100.0)**	**4,252 (100.0)**	**42.8**
i. आंतरिक	1,632 (54.8)	2,623 (61.7)	60.7
ii. बाह्य	1,191 (40.0)	1,495 (35.2)	25.6
iii. अन्य@	155 (5.2)	134 (3.2)	-13.7
ख. निधियों का नियोजन (i+ii+iii)	**2,978 (100.0)**	**4,252 (100.0)**	**42.8**
i. नए नियोजन	1,747 (58.7)	2,739 (64.4)	56.8
ii. पहले लिए गए उधार की चुकौती	840 (28.2)	1,290 (30.4)	53.7
iii. अन्य नियोजन	391 (13.1)	222 (5.2)	-43.2
जिनमें से: ब्याज का भुगतान	142 (4.8)	145 (3.4)	1.9

@ बैंकों के पास रखी नकदी और शेष राशियां, रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों के पास रखी शेष राशियां सम्मिलित हैं।
टिप्पणी: 1. एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी ।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत हैं।
स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

सारणी VI.7: चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाए गए रुपया संसाधनों की भारित औसत लागत और परिपक्वता

संस्थाएं	भारित औसत लागत (प्रतिशत)		भारित औसत परिपक्वता (वर्ष)	
	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12अ.
1	2	3	4	5
एक्ज़िम बैंक	8.4	9.0	2.9	2.8
सिडबी	7.0	7.2	2.5	3.7
नाबार्ड	7.1	9.5	1.1	1.9
एनएचबी	7.2	8.8	2.5	0.9

अ.: अनंतिम
स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

वित्तीय संस्थाओं का कार्य-निष्पादन

मजदूरी बिल में कमी होने से वित्तीय संस्थाओं के लाभ में काफी अधिक वृद्धि हुई

6.10 2011-12 के दौरान वित्तीय संस्थाओं के परिचालन लाभ और निवल लाभ दोनों में काफी अधिक वृद्धि हुई (सारणी VI.9)। सिडबी का आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) सबसे अधिक रहा, इसके पश्चात राष्ट्रीय आवास बैंक, एक्ज़िम बैंक और नाबार्ड का क्रम था (सारणी VI.10)।

सारणी VI.8: चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं की दीर्घावधि पीएलआर संरचना

(प्रतिशत)

प्रभावी	एक्ज़िम बैंक	सिडबी	एनएचबी
1	2	3	4
मार्च 2011	14.0	11.0	10.5
मार्च 2012	15.0	12.75	10.5

स्रोत: संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

सारणी VI.9: चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि ₹ मिलियन में)

	2010-11	2011-12	घटबढ़	
			राशि	प्रतिशत
क. आय (अ+आ)	**1,85,018**	**2,26,647**	**41,629**	**22.5**
अ) ब्याज आय	1,80,167 (97.4)	2,16,887 (95.7)	36,720	20.4
आ) ब्याजेतर आय	4,851 (2.6)	9,760 (4.3)	4,909	101.2
ख. व्यय (अ+आ)	**1,37,422**	**1,62,908**	**25,486**	**18.5**
अ) ब्याज व्यय	1,22,589 (89.2)	1,48,852 (91.4)	26,263	21.4
आ) परिचालन व्यय	14,833 (10.8)	14,057 (8.6)	-776	-5.2
जिनमें से: वेतन बिल	10,981	10,175	-806	-7.3
ग. कराधान के लिए प्रावधान	**12,819**	**16,451**	**3,632**	**28.3**
घ. लाभ				
परिचालन लाभ (पीबीटी)	39,374	48,849	9,475	24.1
निवल लाभ (पीएटी)	26,556	32,399	5,843	22.0
ङ. वित्तीय अनुपात@				
परिचालन लाभ	1.46	2.81		
निवल लाभ	0.98	1.03		
आय	6.85	7.23		
ब्याज आय	6.67	6.92		
अन्य आय	0.18	0.31		
व्यय	5.09	5.20		
ब्याज व्यय	4.54	4.75		
अन्य परिचालन व्यय	0.55	0.45		
वेतन बिल	0.41	0.32		
प्रावधान	0.47	0.52		
स्प्रेड (निवल ब्याज आय)	2.13	2.17		

@: कुल औसत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में।
टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल आय/व्यय के प्रतिशत हैं।
2. प्रतिशत घटबढ़ में थोड़ा अंतर हो सकता है क्योंकि पूर्ण संख्याओं को ₹ मिलियन में पूर्णांकित किया गया है।
स्रोत: एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड और सिडबी की 31 मार्च को समाप्त और एनएचबी 30 जून की लेखा परीक्षित ऑस्मॉस विवरणियां।

सारणी VI.10: वित्तीय संस्थाओं के चुनिंदा वित्तीय मानदंड

(मार्च 2012 के अंत में)

(प्रतिशत)

संस्था	ब्याज आय/औसत कार्यशील निधियां		ब्याजेतर आय/औसत कार्यशील निधियां		परिचालन लाभ/ औसत कार्यशील निधियां		औसत आस्तियों पर प्रतिफल (प्रतिशत)		प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ मिलियन में)	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
एक्ज़िम बैंक	6.5	7.1	0.5	0.6	2.2	2.5	1.2	1.1	24	27
नाबार्ड	6.2	6.5	0.1	0.2	1.3	1.4	0.9	0.9	3	4
एनएचबी*	7.7	8.6	0.04	0.05	1.7	2.1	1.1	1.3	32	38
सिडबी	8.0	8.5	0.3	0.2	2.9	3.4	1.8	2.0	5	5

*: जून के अंत की स्थिति के अनुसार.
स्रोत: वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत विवरणियां।

सुदृढ़ता संकेतक: आस्ति गुणवत्ता

वर्ष के दौरान वित्तीय संस्थाओं की अनर्जक आस्तियों में काफी अधिक वृद्धि हुई

6.11 समग्र स्तर पर, वित्तीय संस्थाओं की निवल अनर्जक आस्तियों में काफी अधिक वृद्धि हुई है। निवल अनर्जक आस्तियों में हुई वृद्धि मुख्य रूप से सिडबी और एक्ज़िम बैंक की वजह से थी। 2011-12 के दौरान नाबार्ड की अनर्जक आस्तियां पहले के स्तर पर बनी रहीं जबकि राष्ट्रीय आवास बैंक ने कोई अनर्जक आस्तियां न होने की सूचना दी (सारणी VI.11)।

6.12 एक्ज़िम बैंक की अवमानक और संदिग्ध आस्तियों में काफी अधिक बढ़ोतरी हुई (सारणी VI.12)। एक्ज़िम बैंक की अधिक अनर्जक आस्तियां निरंतर प्रतिकूल बाह्य परिवेश के कारण हो सकती हैं, विशेष रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारत के बढ़ते तालमेल के कारण।

पूंजी पर्याप्तता

पूंजी के मामले में वित्तीय संस्थाओं की स्थिति संतोषजनक है

6.13 2011-12 के दौरान सभी चार वित्तीय संस्थाओं ने 9 प्रतिशत के निर्धारित न्यूनतम मानदंड से अधिक का सीआरएआर बनाये रखा (सारणी VI.13)।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की तीन नई श्रेणियां बनाई गईं- आधारभूत ऋण निधि (एनबीएफसी-आईडीएफ), माइक्रो फाइनैंस संस्था (एनबीएफसी-एमएफआई) और एनबीएफसी-फैक्टर्स

6.14 देयता ढांचे के आधार पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को दो श्रेणियों में रखा गया है अर्थात् श्रेणी 'क की कंपनियां (जनता से जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां) और श्रेणी 'ख' की कंपनियां (जनता से जमाराशियां न जुटाने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां)। जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निम्नलिखित अपेक्षाएं पूरी करनी होती हैं - पूंजी पर्याप्तता, चलनिधि आस्तियों का अनुरक्षण, एक्सपोजर संबंधी मानदंड (भूमि, भवन और अनकोटेड शेयरों में निवेश संबंधी एक्सपोजर पर पाबंदी सहित), आस्ति देयता प्रबंधन अनुशासन और रिपोर्टिंग अपेक्षा; इसके विपरीत, 2006 तक जमाराशियां न लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर न्यूनतम विनियम लागू थे। 1 अप्रैल 2007 से ₹1 बिलियन और उससे अधिक की आस्तियों वाली जमाराशियां न लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रूप में वर्गीकृत किया है और विवेकपूर्ण विनियमन, जैसे पूंजी पर्याप्तता और एक्सपोजर मानदंडों के साथ-साथ रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाएं भी उन पर लागू की गई हैं। आस्ति देयता प्रबंधन रिपोर्टिंग और प्रकटन संबंधी मानदंड भी उन पर समय-समय पर लागू किए गये हैं।

सारणी VI.11: निवल अनर्जक आस्तियां

(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ मिलियन में)

संस्थाएं	निवल अनर्जक आस्तियां		निवल अनर्जक आस्तियां / निवल कर्ज (प्रतिशत)	
	2011	2012	2011	2012
1	2	3	4	5
एक्ज़िम बैंक	930	1,558	0.2	0.3
नाबार्ड	298	371	0.02	0.02
एनएचबी	..	..	..	..
सिडबी	1,321	1,847	0.3	0.4
सभी वित्तीय संस्थाएं	**2,549**	**3,776**	**0.1**	**0.13**

.. : उपलब्ध नहीं।
स्रोत: एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड और सिडबी की 31 मार्च को समाप्त और एनएचबी की 30 जून की लेखा परीक्षित ऑस्मॉस विवरणियां।

सारणी VI.12: वित्तीय संस्थाओं का आस्ति वर्गीकरण

(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ मिलियन में)

संस्था	मानक		अवमानक		संदिग्ध		हानि	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
एक्ज़िम बैंक	4,55,628	5,37,340	1,966	4,044	2,456	3,871	358	44
नाबार्ड	13,94,594	16,49,324	-	221	681	681	10	10
एनएचबी*	2,25,814	2,85,185	..	..	..	..	..	..
सिडबी	4,59,215	5,36,034	1,427	2,123	1,364	385	-	1,227
सभी वित्तीय संस्थाएं	25,35,251	30,07,883	3,393	6,388	4,501	4,937	368	1,281

- : शून्य/नगण्य। .. : उपलब्ध नहीं। *: ऑसमॉस विवरणियों के अनुसार जून 2011 के अंत की स्थिति।
स्रोत: एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड और सिडबी की 31 मार्च को समाप्त और एनएचबी की 30 जून की लेखा परीक्षित ऑस्मॉस विवरणियां।

सारणी VI.13: चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं की जोखिम (भारित) आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात

(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

संस्था	2011	2012 अ.
1	2	3
एक्जिम बैंक	17.0	16.4
नाबार्ड	21.8	20.6
एनएचबी *	20.7	19.7
सिडबी	31.6	29.2

*: ऑसमॉस विवरणियों के अनुसार जून 2012 के अंत की स्थिति।
अ: अनंतिम
स्रोत: एक्जिम बैंक, नाबार्ड और सिडबी की 31 मार्च को समाप्त और एनएचबी की 30 जून की लेखा परीक्षित ऑस्मॉस विवरणियां।

6.15 कार्यकलापों के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी आस्ति वित्त कंपनियों, निवेश कंपनियों, कर्ज कंपनियों, आधारभूत वित्त कंपनियों, कोर निवेश कंपनियों, आधारभूत ऋण निधि - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-माइक्रो फाइनैंस संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-फैक्टर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 2011-12 के दौरान गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की दो नई श्रेणियां अर्थात आधारभूत ऋण निधि -गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी-आईडीएफ) और माइक्रो फाइनैंस संस्था (एनबीएफसी-एमएफआई) बनाई गईं और उन्हें अलग विनियामक ढांचे के अंतर्गत लाया गया। इसके अलावा, सितंबर 2012 में एनबीएफसी फैक्टर्स नामक एक नई श्रेणी बनाई गई। इसके पहले अप्रैल 2010 में प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण ऐसी कोर निवेश कंपनियों के लिए एक विनियामक ढांचा बनाया गया था जिनकी आस्तियां ₹1 बिलियन और इसके ऊपर थीं, जिनका कारोबार समूह की कंपनियों में हिस्सा धारण करने के लिए निवेश करना था परंतु वे इन प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग नहीं कर सकती थीं साथ ही वे जनता से निधियां स्वीकार कर सकती थीं। जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण कोर निवेश कंपनियों पर समायोजित निवल हैसियत और लीवरेज के रूप में विवेकपूर्ण अपेक्षाएं भी लागू की गईं क्योंकि उनको निवल स्वाधिकृत निधि, पूंजी पर्याप्तता और एक्सपोजर मानदंड से छूट दी गयी है।

6.16 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-माइक्रो फाइनैंस संस्था को जमाराशियां न लेने वाली एक ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है (भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त कंपनी को छोड़कर) जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करती है: (i) ₹5 करोड़ रुपए की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए ₹2 करोड़), (ii) इसकी 85 प्रतिशत से अधिक निवल आस्तियां ''पात्र आस्तियों'' की प्रकृति की होनी चाहिए, (iii) शेष 15 प्रतिशत आस्तियों से प्राप्त आय इस संबंध में निर्दिष्ट विनियमों के अनुसार होनी चाहिए। जो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी-एमएफआई के रूप में पात्र नहीं हैं वे अपनी कुल आस्तियों के 10 प्रतिशत से अधिक कर्ज माइक्रो फाइनैंस क्षेत्र को नहीं दे सकती हैं। आंध्र प्रदेश माइक्रो फाइनैंस संस्था (धन उधार देने संबंधी विनियामवली) अध्यादेश 2010 के पश्चात, माइक्रो फाइनैंस संस्थाओं द्वारा सामना की जा रही कार्यात्मक कठिनाइयों को देखते हुए और इस क्षेत्र को राहत देने के लिए रिज़र्व बैंक ने माइक्रो फाइनैंस संस्थाओं के विनियामक ढांचे में संशोधन किया है ताकि उन्हें विनियमों के अनुपालन के लिए समय दिया जा सके और वे एनबीएफसी-एमएफआई के रूप में बैंक के पास शीघ्र पंजीकरण करा सकें। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु माइक्रो फाइनैंस संस्थाओं के विकास और विनियमन की जरूरत को ध्यान में रखते हुए 22 मई 2012 को लोक सभा में माइक्रो फाइनैंस संस्था (विकास और विनियमन) विधेयक, 2012 लाया गया (बॉक्स VI.1)।

6.17 मार्च 2012 के अंत में जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के स्वामित्व स्वरूप से पता चलता है कि सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों का हिस्सा 3 प्रतिशत से कम है (सारणी VI.14)।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का स्वरूप (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों सहित)

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी खंड में समेकन जारी है

6.18 जून 2012 की समाप्ति पर रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संख्या मामूली रूप से घटकर 12,385 हो गई (चार्ट VI.1)। 2011-12 के दौरान जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मामले में इसी प्रकार की प्रवृत्ति देखी गई जो मुख्य रूप से पंजीकरण प्रमाणपत्रों को निरस्त किए जाने और जमाराशियां लेने वाली गतिविधियों से उनके बाहर निकलने के कारण थी।

6.19 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की संख्या में गिरावट के बावजूद, 2011-12 के दौरान उनकी कुल आस्तियों और निवल स्वाधिकृत निधियों में वृद्धि हुई जबकि जनता की जमाराशियों में गिरावट आई। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कुल आस्तियों में अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों के हिस्से में गिरावट दिखी। 2011-

बॉक्स VI.1: माइक्रो फाइनैंस संस्थाएं (विकास और विनियमन) विधेयक, 2012 और माइक्रो फाइनैंस क्षेत्र पर इसका प्रभाव

माइक्रो फाइनैंस संस्थाएं (विकास और विनियमन) विधेयक, 2012 का उद्देश्य माइक्रो फाइनैंस संस्थाओं के विकास और विनियमन के लिए एक ढांचा उपलब्ध कराना है। यह विधेयक माइक्रो फाइनैंस संस्थाओं को बैंक से अलग एक ऐसे संगठन के रूप में परिभाषित करता है जो कुल ₹5 लाख से अनधिक अथवा रिज़र्व बैंक के विनिर्देशानुसार प्रति व्यक्ति ₹10 लाख से अनधिक माइक्रो ऋण के रूप में माइक्रो फाइनैंस सेवाएं उपलब्ध करा सकता है। बचत संग्रहण, पेंशन अथवा बीमा सेवाएं और भारत के अंदर व्यक्तियों को निधियों के प्रेषण जैसी सहायक सेवाएं भी इन सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। विधेयक में केन्द्र सरकार को एक माइक्रो फाइनैंस विकास परिषद बनाने की अनुमति दी गयी है जो माइक्रो फाइनैंस संस्थाओं के विकास के लिए नीतियां और उपाय सुझाएगी। इसके अलावा, विधेयक में केन्द्र सरकार को राज्य माइक्रो फाइनैंस परिषद बनाने की अनुमति दी गयी है जो संबंधित राज्यों में जिला माइक्रो फाइनैंस समितियों की गतिविधियों के समन्वयन के लिए उत्तरदायी होगी।

जिला माइक्रो फाइनैंस समितियां रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त की जा सकती हैं। इस विधेयक में सभी माइक्रो फाइनैंस संस्थाओं से अपेक्षा की गयी है कि वे रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करें। आवेदक के पास कम-से-कम ₹5 लाख की निवल स्वाधिकृत निधियां (तुलन-पत्र की चुकता ईक्विटी पूंजी और मुक्त रिज़र्व का जोड़) होनी चाहिए। रिज़र्व बैंक को उस संस्था के सामान्य चरित्र अथवा प्रबंधन से भी संतुष्ट होना चाहिए।

प्रत्येक माइक्रो फाइनैंस संस्था को एक प्रारक्षित निधि बनानी होगी और रिज़र्व बैंक प्रति वर्ष इस निधि में जोड़ने के लिए निवल लाभ का कोई एक हिस्सा निर्धारित कर सकता है। इस निधि से तब तक कोई विनियोजन नहीं किया सकता जब तक रिज़र्व बैंक ऐसा विनिर्देश न दे। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, माइक्रो फाइनैंस संस्थाओं को लेखा परीक्षा के लिए रिज़र्व बैंक को वार्षिक तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा उपलब्ध कराना होगा। वे एक विवरणी भी उपलब्ध कराएंगे जिसमें विधेयक पारित होने के 90 दिन के अंदर की उनकी गतिविधियों का ब्यौरा दिया जाएगा। माइक्रो फाइनैंस संस्थाओं के कंपनी ढांचे में कोई परिवर्तन, जैसे-बंदी, समामेलन, अधिग्रहण अथवा पुनर्गठन रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के पश्चात ही हो सकेगा।

विधेयक में सभी माइक्रो फाइनैंस संस्थाओं को निदेश जारी करने की शक्तियां रिज़र्व बैंक को सौंपी गयी हैं। ये निदेश माइक्रो फाइनैंस सेवाएं प्रदान करने के लिए नियोजित आस्तियों की सीमा, कर्ज की सीमा अथवा पूंजी जुटाने के बारे में हो सकते हैं। रिज़र्व बैंक को माइक्रो फाइनैंस संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर और मार्जिन की उच्चतम सीमा निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। मार्जिन को उधार देने की दर और निधियों की लागत के बीच के अंतर (प्रति वर्ष प्रतिशत में) के रूप में परिभाषित किया गया है।

रिज़र्व बैंक माइक्रो फाइनैंस विकास निधि बनाएगा। इसमें मौजूदा माइक्रो फाइनैंस विकास और ईक्विटी निधि की शेष राशि के साथ-साथ दाताओं, संस्थाओं और जनता से जुटाई गई राशि होगी। संसद से विधिवत विनियोजन के पश्चात केन्द्र सरकार इस निधि में अनुदान राशि दे सकती है। इस निधि से किसी माइक्रो फाइनैंस संस्था को कर्ज, अनुदान और अन्य माइक्रो ऋण सुविधाएं दी जा सकती हैं।

रिज़र्व बैंक के पास माइक्रो फाइनैंस सेवाओं के लाभार्थियों की शिकायतों का निराकरण करने का दायित्व है। रिज़र्व बैंक को विधेयक के किसी प्रावधान के उल्लंघन के लिए ₹5 लाख तक का मौद्रिक दंड लगाने की शक्तियां प्रदान की गयी हैं। रिज़र्व बैंक द्वारा माइक्रो फाइनैंस संस्था पर लगाये गये किसी अर्थदंड को किसी दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं ले जाया जा सकता। विधेयक में केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य एजेन्सी को कुछ शक्तियां प्रत्यायोजित करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन, केन्द्र सरकार को विधेयक के प्रावधानों से कतिपय माइक्रो फाइनैंस संस्थाओं को छूट देने की शक्तियां दी गयी हैं।

विधेयक और माइक्रो फाइनैंस क्षेत्र पर इसका संभावित प्रभाव

विधेयक में प्रावधान किया गया है रिज़र्व बैंक माइक्रो फाइनैंस क्षेत्र का समग्र नियामक होगा, चाहे विधिक ढांचा कोई भी हो। रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार को विधेयक पर अपने विचार दिये हैं। विधेयक का उद्देश्य ग्राहकों के हित में इस क्षेत्र का विनियमन करना और अलग-अलग राज्यों में माइक्रो फाइनैंस संबंधी अनेक कानूनों से बचना है। मौजूदा संस्थाओं के विनियमन के अलावा रिज़र्व बैंक द्वारा इन अतिरिक्त संस्थाओं का पर्यवेक्षण करने के लिए संसाधनों में सही संतुलन स्थापित करना एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है। सभी माइक्रो फाइनैंस संस्थाओं को पंजीकृत करने की आवश्यकता प्रभावी विनियमन की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण और जरूरी कदम है। एक लोकपाल की नियुक्ति के प्रस्ताव से बैंकिंग उद्योग को शिकायतों को बेहतर तरीके से निपटाने में उनके प्रयासों को बल मिलेगा। माइक्रो फाइनैंस संस्थाओं के अनिवार्य पंजीकरण से देश के दूर दराज के क्षेत्रों के उन पूर्ववर्ती साहूकारों को संगठित वित्तीय सेवाओं के दायरे में लाया जा सकेगा जो अब तक माइक्रो फाइनैंस संस्थाओं के रूप में कार्य कर रहे थे।

12 के दौरान अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों की निवल स्वाधिकृत निधियां कमोबेश पिछले वर्ष के स्तर पर बनी रहीं (सारणी VI.15)।

6.20 2011-12 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों की तुलना में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की जनता की जमाराशियों के अनुपात में गिरावट आई। वर्ष के दौरान एल3[1] के व्यापक चलनिधि योग की तुलना में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की जमाराशियों के अनुपात में भी कमी आई (चार्ट VI.2)।

[1] एन एम 3 + डाक जमाराशियां + सावधि मुद्रा + जमा प्रमाणपत्र + सावधि जमाराशियां + एनबीएफसी के पास सार्वजनिक जमाराशियां शामिल हैं।

सारणी VI.14: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के स्वामित्व का स्वरूप
(31 मार्च 2012 को)

(कंपनियों की संख्या)

स्वामित्व	एनबीएफसी एनडी-एसआई	जमाराशियां लेने वाली एनबीएफसी
1	2	3
क. सरकारी कंपनियां	9	7
	(2.4)	(2.6)
ख. गैर-सरकारी कंपनियां	366	266
	(97.6)	(97.4)
1. पब्लिक लिमिटेड कपनियां	198	263
	(52.8)	(96.3)
2. प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां	168	3
	(44.8)	(1.1)
कंपनियों की कुल संख्या (क)+(ख)	375	273
	(100.0)	(100.0)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां की कुल संख्या के प्रतिशत हैं।

जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का परिचालन (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर)

जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वित्तीय कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ

6.21 2011-12 में जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के तुलनपत्र के आकार में 10.8 प्रतिशत की दर पर वृद्धि हुई (सारणी VI.16)। उधार राशियों का हिस्सा जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कुल देयताओं का लगभग दो-तिहाई था। 2011-12 के दौरान जमाराशियां लेने वाली क्रेडिट रेटिंग के अधीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की जनता की जमाराशियों में वृद्धि की प्रवृत्ति जारी रही। आस्ति पक्ष में, कर्ज और

सारणी VI.15: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की स्थरेखा

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	मार्च के अंत में			
	2011		2012अ	
	एनबीएफसी	*जिसमें से :* आरएनबीसी	एनबीएफसी	*जिसमें से :* आरएनबीसी
1	2	3	4	5
कुल आस्तियां	1,169	115	1,244	76
		(9.8)		(6.1)
सार्वजनिक जमाराशियां	120	79	101	43
		(66.0)		(42.2)
निवल स्वाधिकृत निधियां	180	30	225	31
		(16.6)		(13.7)

अ.: अनंतिम

टिप्पणी : 1. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में एनबीएफसी-डी और आरएनबीसी शामिल हैं।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित जोड़ के प्रतिशत हिस्से हैं।
3. जमाराशियां लेने वाली 273 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में से 196 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने 8 सितंबर 2012 की अंतिम तारीख को, मार्च 2012 को समाप्त वर्ष की वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत कीं।

स्रोत: वार्षिक/ तिमाही विवरणियां।

चार्ट VI:1 रिज़र्व बैंक में पंजीकृत एनबीएफसी की संख्या (मार्च के अंत में)

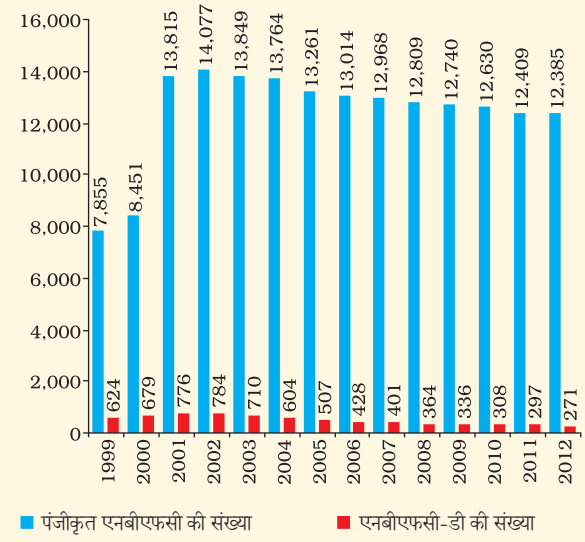

अग्रिम जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सबसे महत्त्वपूर्ण मदें बनी रहीं जो उनकी कुल आस्तियों की लगभग तीन-चौथाई थीं। निवेश दूसरी सबसे महत्त्वपूर्ण मद बनी रही जिसमें 2011-12 के दौरान मुख्य रूप से गैर-एसएलआर निवेशों में गिरावट के कारण धीमी वृद्धि दिखी।

6.22 मार्च 2011-12 के अंत में जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कुल आस्तियों में आस्ति वित्त कंपनियों का सबसे बड़ा हिस्सा था (सारणी VI.17)।

चार्ट VI.2: व्यापक चलनिधि (एल3) और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों की तुलना में एनबीएफसी की सार्वजनिक जमाराशियों का अनुपात

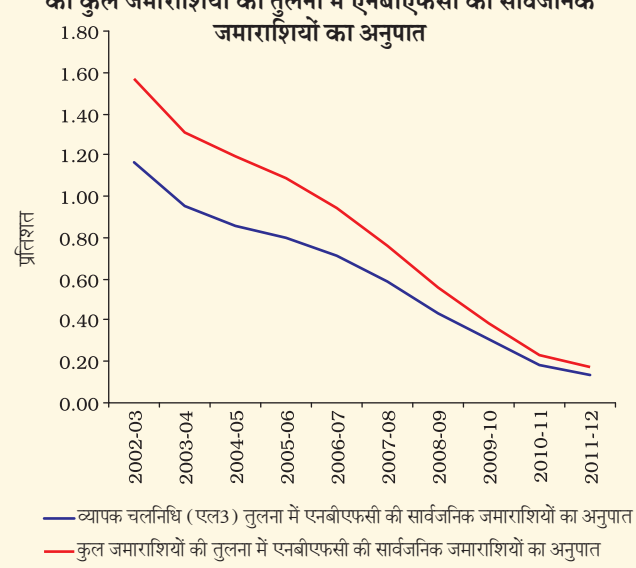

सारणी VI.16: जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का समेकित तुलन-पत्र

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	मार्च के अंत में		घट-बढ़			
			2010-11		2011-12 अ	
	2011	2012अ	समग्र	प्रतिशत	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1. प्रदत्त पूंजी	36 (3.5)	32 (2.8)	-3	-6.4	-4	-11.5
2. रिजर्व अधिशेष	135 (12.8)	162 (13.9)	13	10.9	27	20.2
3. सार्वजनिक जमाराशियां	41 (3.9)	58 (5.0)	12	43.5	18	43.8
4. उधार राशियां	698 (66.2)	809 (69.2)	57	9.0	111	15.9
5. अन्य देयताएं	144 (13.7)	107 (9.1)	32	28.3	-37	-25.9
कुल देयताएं /आस्तियां	**1,054 (100.0)**	**1,169 (100.0)**	**112**	**11.9**	**114**	**10.8**
1. निवेश	211	159	26	14.1	-52	-24.8
(i) एसएलआर में निवेश @	135 (12.8)	134 (11.5)	39	40.0	-1.0	-0.7
(ii) गैर एसएलआर निवेश	76 (7.2)	25 (2.1)	-12	-14.1	-51	-67.6
2. कर्ज तथा अग्रिम	780 (74.0)	874 (74.8)	68	9.6	94	12.1
3. अन्य आस्तियां	63 (6.0)	103 (8.8)	18	39.3	40	62.3

अ. : अनंतिम

@ एसएलआर आस्तियों में 'अनुमोदित प्रतिभूतियां' और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की 'भाररहित मीयादी जमाराशियां' शामिल हैं; कर्ज तथा अग्रिमों में किराया खरीद और पट्टा आस्तियां शामिल हैं।

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित जोड़ का प्रतिशत हैं।

स्रोत: वार्षिक/ तिमाही विवरणियां।

जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की जमाराशियों का आकार-वार वर्गीकरण

जनता से जमाराशियां जुटाने में बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ज्यादा सफल रहीं

6.23 जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में ₹500 मिलियन और उससे अधिक की जमाराशियों के आकार वाली कंपनियों के हिस्से में तीव्र वृद्धि देखी गई जिनका मार्च 2012 के अंत में कुल जमाराशियों का लगभग 93.2 प्रतिशत हिस्सा था। लेकिन, जमाराशियां लेने वाली केवल 7 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां इस श्रेणी की थीं जो जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कुल संख्या का लगभग 3.6 प्रतिशत थीं। इससे पता चलता है कि केवल अपेक्षाकृत रूप से बड़ी जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ही जमाराशियों के माध्यम से संसाधन जुटा सकीं (सारणी VI.18 और चार्ट VI.3)।

सारणी VI.17: एनबीएफसी की वर्गीकरण-वार जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की देयताओं के मुख्य घटक

(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ बिलियन में)

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वर्गीकरण	कंपनियों की संख्या		जमाराशियां		उधार राशियां		देयताएं	
	2011	2012अ	2011	2012अ	2011	2012अ	2011	2012अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आस्ति वित्त कंपनियां	174	160	36 (89.4)	45 (76.9)	490 (70.2)	581 (71.8)	740 (70.2)	856 (73.2)
कर्ज कंपनियां	43	36	4 (10.6)	13 (23.1)	208 (29.8)	228 (28.2)	314 (29.8)	313 (26.8)
कुल :	**217**	**196**	**40**	**58**	**698**	**809**	**1,054**	**1,169**

अ.: अनंतिम

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल के प्रतिशत हिस्से हैं।

सारणी VI.18: जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियां - जमाराशि-वार

(राशि ₹ मिलियन में)

जमाराशि की सीमा	मार्च के अंत में			
	एनबीएफसी की संख्या		जमाराशि	
	2011	2012 अ	2011	2012 अ
1	2	3	4	5
1. ₹5 मिलियन से कम	134	117	194	138
2. ₹5 मिलियन से अधिक और ₹20 मिलियन तक	38	34	442	377
3. ₹20 मिलियन से अधिक और ₹100 मिलियन तक	28	27	1,287	1,131
4. ₹100मिलियन से अधिक और ₹200 मिलियन तक	7	7	1,084	1,092
5. ₹ 200मिलियन से अधिक और ₹500 मिलियन तक	2	4	807	1,201
6. ₹500 मिलियन और उससे अधिक	8	7	36,809	54,467
कुल	**217**	**196**	**40,623**	**58,406**

अ: अनंतिम

स्रोत: वार्षिक/ तिमाही विवरणियां।

सारणी VI.19: जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियां- क्षेत्र-वार

(राशि ₹ मिलियन में)

क्षेत्र	मार्च के अंत में			
	2011		2012 अ	
	एनबीएफसी-डी की संख्या	सार्वजनिक जमाराशियां	एनबीएफसी-डी की संख्या	सार्वजनिक जमाराशियां
1	2	3	4	5
उत्तर	144	1,882	125	3,285
पूर्व	8	39	5	39
पश्चिम	20	9,286	17	14,880
दक्षिण	45	29,416	49	40,206
कुल	**217**	**40,623**	**196**	**58,410**
महानगरीय शहर :				
कोलकाता	5	39	3	39
चेन्नै	26	28,638	30	39,338
मुंबई	6	9,074	5	14,682
नई दिल्ली	50	976	43	2,390
कुल	**87**	**38,728**	**81**	**56,450**

अ: अनंतिम.

स्रोत: वार्षिक विवरणियां।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा धारित जमाराशियों की क्षेत्रवार संरचना

6.24 महानगरों के बीच, जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सबसे अधिक संख्या नई दिल्ली में थी, जबकि चेन्नै के पास जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की जनता की कुल जमाराशियों में सबसे अधिक हिस्सा अर्थात् 69.7 प्रतिशत था (सारणी VI.19 और चार्ट VI.4)।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास सार्वजनिक जमाराशियों पर ब्याज दर

जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की बैंक वित्त पर भारी निर्भरता जारी है

6.25 2011-12 के दौरान 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत की ब्याज दर वाली सार्वजनिक जमाराशियों के हिस्से में वृद्धि हुई (सारणी VI.20 और चार्ट VI.5)।

चार्ट VI.3 :जमाराशियों के दायरे के अनुसार एनबीएफसी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों का हिस्सा

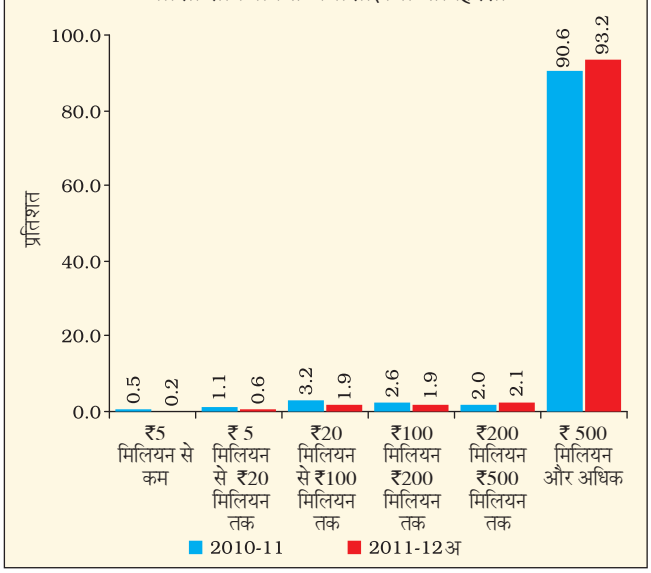

चार्ट VI.4 : एनबीएफसी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों का हिस्सा: क्षेत्र-वार

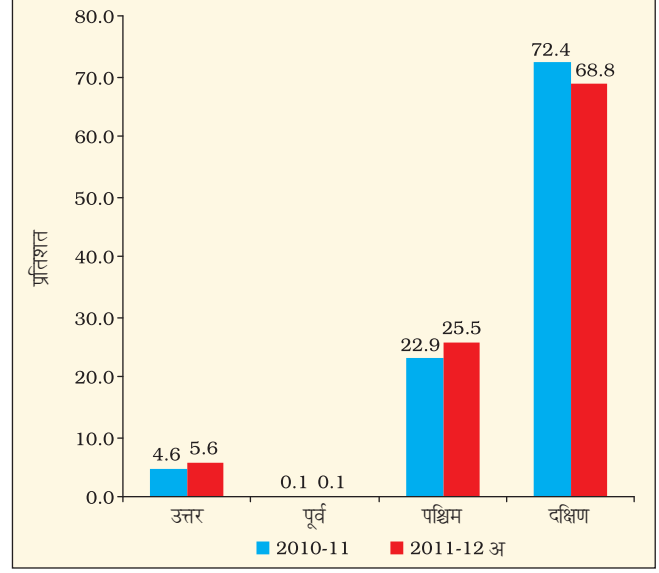

सारणी VI.20 : एनबीएफसी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियां - ब्याज दर दायरे के अनुसार

(राशि ₹ मिलियन में)

ब्याज-दर का दायरा	मार्च के अंत में	
	2011	2012 अ
1	2	3
10 प्रतिशत तक	29,963 (73.8)	32,460 (55.6)
10 प्रतिशत से अधिक और 12 प्रतिशत तक	9,454 (23.3)	24,870 (42.6)
12 प्रतिशत और उससे अधिक	1,206 (3.0)	1,080 (1.8)
कुल	**40,623** (100.0)	**58,410** (100.0)

अ: अनंतिम
टिप्पणी: 1. सार्वजनिक जमाराशियों पर ब्याज की दर 12.5 प्रतिशत से अधिक न हो।
2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत हैं।
स्रोत: वार्षिक विवरणियां।

सार्वजनिक जमाराशियों का परिपक्वता स्वरूप

6.26 जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जुटाई गयी सार्वजनिक जमाराशियों का सबसे बड़ा हिस्सा अल्पावधि से मध्यावधि की परिपक्वता वाला था। वर्ष 2011-12 में 2 वर्ष से अधिक की जमाराशियों के हिस्से में वृद्धि हुई (सारणी VI.21 और चार्ट VI.6)।

6.27 बैंक और वित्तीय संस्थाएं जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निधियों की प्रमुख प्रदाता थीं जिनका 2011-12 के दौरान लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा था। इस हिस्से में मामूली रूप से कमी आई है। अन्य (जिसमें, *अन्य के साथ-साथ,* अन्य कंपनियों से उधार ली गयी रकम, वाणिज्यिक पत्र,

सारणी VI.21: एनबीएफसी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों का परिपक्वता स्वरूप

(राशि ₹ मिलियन में)

परिपक्वता अवधि	मार्च के अंत में	
	2011	2012अ
1	2	3
1. 1 वर्ष से कम	9,816 (24.2)	11,720 (20.1)
2. 1 वर्ष से अधिक और 2 वर्ष तक	7,942 (19.6)	15,530 (26.6)
3. 2 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	19,877 (48.9)	24,980 (42.8)
4. 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	2,221 (5.5)	6,170 (10.6)
5. 5 वर्ष और उससे अधिक @	769 (1.9)	10 (0.0)
कुल	**40,624** (100.0)	**58,410** (100.0)

अ: अनंतिम
@ दावा न की गई सार्वजनिक जमाराशियां शामिल हैं।
टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत हैं।
स्रोत: वार्षिक विवरणियां।

म्यूच्युअल फंडों से उधार और अन्य प्रकार की निधियां जिन्हें जनता की जमाराशियां नहीं माना गया, शामिल हैं) में भी गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई (सारणी VI.22)।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्तियां

आस्ति वित्तीय कंपनियों की आस्तियों में उल्लेखनीय विस्तार हुआ

6.28 2011-12 के दौरान जमाराशियां लेने वाले गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र की कुल आस्तियों में मामूली वृद्धि हुई जो मुख्य रूप से आस्ति वित्त कंपनी की आस्तियों में वृद्धि के कारण थी (सारणी

चार्ट VI.5 : एनबीएफसी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियां : ब्याज दर दायरे-वार (प्रतिशत)

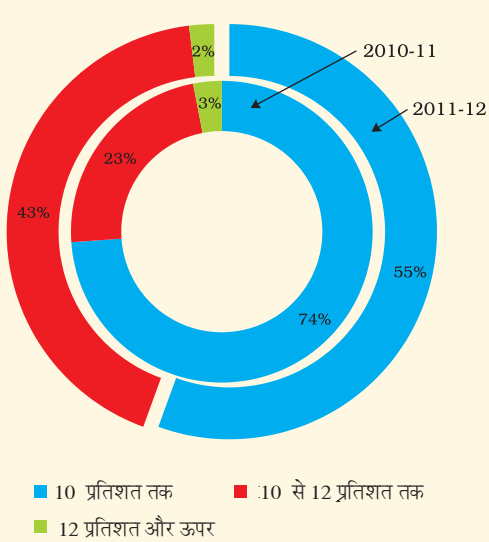

चार्ट VI.6 : एनबीएफसी-डी द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों का परिपक्वता स्वरूप (प्रतिशत)

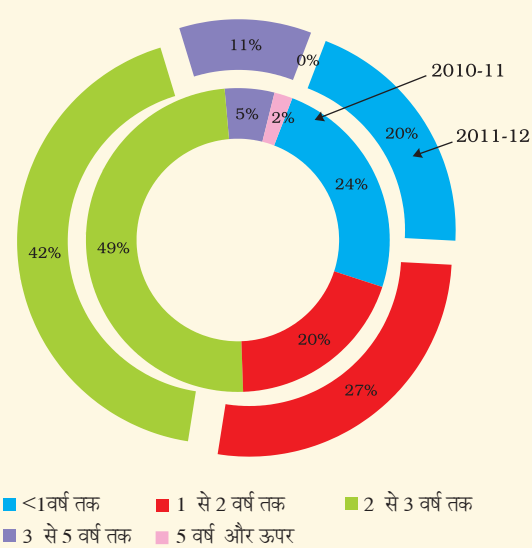

सारणी VI.22: एनबीएफसी की वर्गीकरण-वार जमाराशियां लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की उधारियों के स्रोत

(राशि ₹ बिलियन में)

वर्गीकरण	मार्च के अंत में									
	सरकार		बैंक और वित्तीय संस्थाएं		डिबेंचर		अन्य		कुल उधार	
	2011	2012अ	2011	2012अ	2011	2012अ	2011	2012अ	2011	2012अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आस्ति वित्त	0.0	0.0	283	300	123	198	84	83	490	581
	(0.0)	(0.0)	(80.2)	(74.9)	(85.7)	(83.3)	(59.0)	(71.2)	(70.2)	(71.8)
कर्ज कंपनियां	59	54	70	101	20	40	59	33	208	228
	(100.0)	(100.0)	(19.8)	(25.1)	(14.3)	(16.7)	(41.0)	(28.8)	(29.8)	(28.2)
कुल	**59**	**54**	**353.2**	**401**	**143**	**238**	**143**	**116**	**698**	**809**

अ : अनंतिम।
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां।

VI.23)। मार्च 2012 के अंत में जमाराशियां लेने वाले गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र की कुल आस्तियों का दो-तिहाई से भी अधिक हिस्सा आस्ति वित्त कंपनियों के पास था। घटक-वार, कुल आस्तियों में अग्रिमों का प्रमुख हिस्सा था जिसके पश्चात निवेश का स्थान था।

आस्ति आकार के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वितरण

6.29 मार्च 2012 के अंत में जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के केवल 6 प्रतिशत के पास ₹5000 मिलियन से अधिक की आस्तियां थीं जिनका जमाराशियां लेने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कुल आस्तियों में 97 प्रतिशत का हिस्सा था (सारणी VI.24)।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्तियों का वितरण -गतिविधि का प्रकार

6.30 2011-12 के दौरान जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कर्ज और अग्रिमों के रूप में धारित आस्तियों में

सारणी VI.23 : एनबीएफसी की वर्गीकरण-वार जमाराशियां लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्तियों के मुख्य घटक

(राशि ₹ बिलियन में)

वर्गीकरण	मार्च के अंत में					
	आस्तियां		अग्रिम		निवेश	
	2011	2012अ	2011	2012अ	2011	2012अ
1	2	3	4	5	6	7
आस्ति वित्त कंपनियां	740	856	557	656	126	180
	(70.2)	(73.2)	(71.5)	(75.0)	(59.9)	(94.1)
कर्ज कंपनियां	314	313	222	218	85	11
	(29.8)	(26.8)	(28.5)	(25.0)	(40.1)	(5.9)
कुल	**1,054**	**1,169**	**779**	**874**	**211**	**191**

अ : अनंतिम
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां ।

काफी अधिक वृद्धि हुई जबकि निवेश में गिरावट आई। जमाराशियां लेने वाले गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र की कुल आस्तियों में इन दो श्रेणियों की गतिविधियों का हिस्सा 90 प्रतिशत से अधिक था (सारणी VI.25)।

जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

जमाराशियां लेने वाले गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी खंड की निधि आधारित आय में वृद्धि हुई है

6.31 जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वित्तीय कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ है जो 2011-12 के दौरान

सारणी VI.24: आस्ति आकार के दायरे के अनुसार जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्तियां

(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ मिलियन में)

आस्ति दायरा	कंपनियों की सं.		आस्तियां	
	2011	2012अ	2011	2012अ
1	2	3	4	5
1. ₹2.5 मिलियन से कम	2	0	2	0.0
2. ₹2.5 मिलियन से अधिक और ₹5.0 मिलियन तक	9	11	35	45
3. ₹5.0 मिलियन से अधिक और ₹20 मिलियन तक	70	55	804	691
4. ₹20 मिलियन से अधिक और ₹100 मिलियन तक	73	65	3,471	2,917
5. ₹100 मिलियन से अधिक और ₹500 मिलियन तक	34	34	8,224	7,147
6. ₹500 मिलियन से अधिक और ₹1000 मिलियन तक	8	11	5,079	6,910
7. ₹1000 मिलियन से अधिक ₹5000 मिलियन तक	6	8	8,309	19,052
8. ₹5000 मिलियन से अधिक	15	12	1,028,388	1,131,913
कुल	**217**	**196**	**1,054,312**	**1,168,676**

अ.: अनंतिम।
स्रोत: वार्षिक विवरणियां।

सारणी VI.25: जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्तियों के ब्यौरे- कार्यकलाप-वार

(राशि ₹ बिलियन में)

कार्यकलाप	मार्च के अंत में		प्रतिशत वृद्धि
	2011	2012अ	2011-12अ
1	2	3	4
कर्ज तथा अग्रिम	779 (73.9)	874 (74.8)	12.2
निवेश	211 (20.0)	192 (16.4)	-9.2
अन्य आस्तियाँ	64 (6.1)	103 (8.8)	60.0
कुल	**1,054**	**1,169**	**10.8**

अ : अनंतिम।
टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां।

उनके परिचालन लाभ में हुई वृद्धि में परिलक्षित होता है। लाभ में हुई यह वृद्धि मुख्य रूप से निधि आधारित आय में बढ़ोतरी के कारण थी (सारणी VI.26)। 2011-12 के दौरान औसत कुल आस्तियों की

सारणी VI.26: जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	मार्च के अंत में	
	2011	2012अ
क. आय (i+ii)	**152**	**181**
(i) निधि आधारित	151 (99.2)	180 (99.3)
(ii) शुल्क आधारित	1 (0.8)	1 (0.7)
ख. व्यय (i+ii+iii)	**109**	**133**
(i) वित्तीय	68 (62.3)	81 (60.9)
जिसमें से ब्याज भुगतान	9 (8.2)	8 (6.0)
(ii) परिचालन	30 (27.1)	35 (26.4)
(iii) अन्य	11 (10.5)	17 (12.8)
ग. कर प्रावधान	**14**	**16**
घ. परिचालन लाभ (करपूर्व लाभ)	**43**	**48**
ङ निवल लाभ (करोत्तर लाभ)	**29**	**33**
च. कुल आस्तियां	**1,054**	**1,169**
छ. वित्तीय अनुपात (कुल आस्तियों की तुलना में % के रूप में)		
i) आय	14.4	15.5
ii) निधि आय	14.3	15.4
iii) शुल्क आय	0.0	0.1
iv) व्यय	10.4	11.4
v) वित्तीय व्यय	0.1	6.9
vi) परिचालन व्यय	2.8	3.0
vii) कर प्रावधान	1.3	1.3
viii) निवल लाभ	2.7	2.8
ज. आय की तुलना में लागत अनुपात	**72.0**	**73.3**

अ : अनंतिम ।
टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल के प्रतिशत हैं।
2. प्रतिशत घटबढ़ में थोड़ा अंतर हो सकता है क्योंकि पूर्ण संख्याओं को ₹ बिलियन में पूर्णांकित किया गया है।
स्रोत: वार्षिक विवरणियां

चार्ट VI.7 : एनबीएफसी-डी का वित्तीय कार्य-निष्पादन

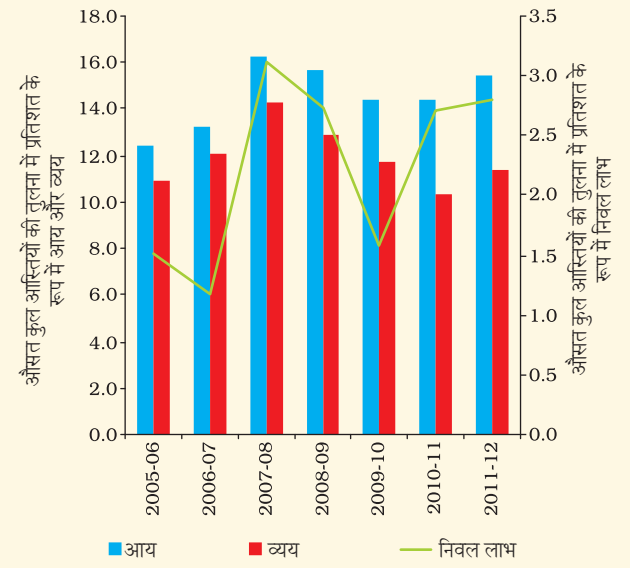

तुलना में प्रतिशत के रूप में व्यय में मामूली वृद्धि हुई। इसी प्रकार की प्रवृत्ति जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की औसत कुल आस्तियों की तुलना में प्रतिशत के रूप में आय में देखी गई है (चार्ट VI.7)।

सुदृढ़ता संकेतक: जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्ति गुणवत्ता

जमाराशियां लेने वाले गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी खंड की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट

6.32 2011-12 के दौरान जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कुल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक

सारणी VI.27: जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के एनपीए अनुपात

(प्रतिशत)

मार्च के अंत में	कुल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए	निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए
1	2	3
2002	10.6	3.9
2003	8.8	2.7
2004	8.2	2.4
2005	5.7	2.5
2006	3.6	0.5
2007	2.2	0.2
2008	2.1	#
2009	2.0	#
2010	1.3	#
2011	0.7	#
2012 अ	2.1	0.5

अ : अनंतिम । #: अर्नजक आस्तियों से अधिक प्रावधान।
स्रोत : एनबीएफसी-डी की छमाही विवरणियां।

सारणी VI.28: एनबीएफसी के वर्गीकरण के अनुसार जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एनपीए

(राशि ₹ बिलियन में)

वर्गीकरण/मार्च के अंत में	सकल अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां		निवल अग्रिम	निवल अनर्जक आस्तियां	
		राशि	सकल अग्रिमों की तुलना में %		राशि	निवल अग्रिमों की तुलना में %
1	2	3	4	5	6	7
आस्ति वित्त						
2010-11	517	3	0.5	508	-7	-1.4
2011-12 अ	663	16	2.3	651	3	0.5
कर्ज कंपनियां						
2010-11	183	2	1.3	181	-0.1	0.0
2011-12 अ	208	3	1.6	206	2	0.8
सभी कंपनियां						
2010-11	700	5	0.7	689	-7	-1.0
2011-12 अ	871	19	2.1	857	5	0.5

अ. : अनंतिम।
स्रोत : एनबीएफसी-डी की छमाही विवरणियां।

आस्तियों में काफी अधिक वृद्धि हुई जो हाल की प्रवृत्तियों से भिन्न है। निवल अनर्जक आस्तियां 2008 से 2011 तक ऋणात्मक बनी रहीं जिससे 31 मार्च 2012 को अनर्जक आस्तियों से अधिक प्रावधानों में कुल निवल अग्रिमों के 0.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी VI.27)।

6.33 2011-12 के दौरान आस्ति वित्त और कर्ज़ कंपनियों की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट आई जैसाकि इन कंपनियों के सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए में हुई वृद्धि से स्पष्ट है (सारणी VI.28)।

पारदर्शिता और उधारकर्ताओं की समझ बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक ने एक संशोधित उचित व्यवहार संहिता जारी की है (बॉक्स VI.2)।

बॉक्स VI.2: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए उचित व्यवहार संहिता पर दिशानिर्देश

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र की हाल की गतिविधियों के आलोक में, रिज़र्व बैंक ने 28 सितंबर 2006 को सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए जारी उचित व्यवहार संहिता संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन किया है। 26 मार्च 2012 के संशोधित परिपत्र की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

सामान्य

(क) उधारकर्ता के साथ समस्त पत्राचार देशी भाषा में अथवा ग्राहक द्वारा समझी जाने वाली भाषा में होना चाहिए।

(ख) ऋण आवेदन फार्म में उन आवश्यक सूचनाओं को शामिल किया जाना चाहिए जो ग्राहक के हितों को प्रभावित करती हों।

(ग) कर्ज करार में सभी ब्यौरे होने चाहिए।

(घ) कर्ज करार में दी गई शर्तों के प्रयोजनों के अलावा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ग्राहक के मामलों में हस्तक्षेप से बचना चाहिए।

(ङ) कर्ज की वसूली के मामले में, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अनुचित उत्पीड़न का सहारा नहीं लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्टाफ-सदस्यों को ग्राहकों से व्यवहार करने के लिए समुचित प्रशिक्षण दिया गया है।

(च) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के निदेशक मंडल को संगठन के अंदर समुचित शिकायत निवारण प्रणाली भी स्थापित करनी चाहिए।

(छ) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अपने बोर्ड के अनुमोदन से उचित व्यवहार संहिता लागू करनी चाहिए। उसे अपनी वेबसाइट पर डालना चाहिए।

(ज) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बोर्ड को ब्याज दरों के निर्धारण और प्रोसेसिंग तथा अन्य प्रभारों को तय करने के लिए समुचित आंतरिक सिद्धांत और प्रक्रियाएं निर्धारित करनी चाहिए।

(झ) प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के बोर्ड को निधियों की लागत, मार्जिन और जोखिम प्रीमियम जैसे संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए एक ब्याज दर मॉडल अपनाना चाहिए।

(ञ) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उधारकर्ता के साथ किए गए कर्ज करार/ संविदा में एक पुनः कब्जा खंड अवश्य रखना चाहिए जिसे कानूनी तौर पर लागू कराया जा सके।

(ट) पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, संविदा / कर्ज करार की शर्तों में निम्नलिखित प्रावधान भी होने चाहिए:(क) कब्जा लेने के पहले नोटिस अवधि; (ख) वे परिस्थितियां जिनके अंतर्गत नोटिस अवधि को माफ किया जा सकता है; (ग) प्रतिभूति को कब्जा में लेने की प्रक्रिया; (घ) संपत्ति की बिक्री/ नीलामी के पहले कर्ज के भुगतान के लिए उधारकर्ता को दिये जाने वाले अंतिम अवसर से संबंधित प्रावधान; (ङ) उधारकर्ता को पुनः कब्जा देने की प्रक्रिया और (च) संपत्ति की बिक्री/ नीलामी की प्रक्रिया।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - माइक्रो फाइनैंस संस्थाएं

उक्त सामान्य सिद्धांतों के अलावा, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-माइक्रो फाइनैंस संस्थाओं को उन उचित व्यवहारों को अपनाने की आवश्यकता है जो उनके उधार देने के कारोबार और विनियामी ढांचे के अनुरूप हैं।

(क) देशी भाषा में एक घोषणा तैयार करके उसे गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-माइक्रो फाइनैंस संस्था के अपने परिसर में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, साथ ही कर्ज संबंधी कार्डों में पारदर्शिता तथा उधार देने की उचित प्रथा के प्रति प्रतिबद्धता का उल्लेख किया जाना चाहिए;

(ख) उधारकर्ताओं के मौजूदा ऋणों से संबंधित आवश्यक प्रश्न पूछने के लिए फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और उधारकर्ताओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए;

(जारी)

(ग) ब्याज की प्रभावी दर और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-माइक्रो फाइनैंस संस्था द्वारा बनाई गई शिकायत निवारण प्रणाली को अपने सभी कार्यालयों में स्पष्ट रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए;

(घ) स्टाफ-सदस्यों के अनुचित व्यवहार को रोकने के लिए माइक्रो फाइनैंस संस्थाएं उत्तरदायी होंगी तथा समय पर शिकायतों का निवारण किया जाएगा, इस प्रकार की एक घोषणा कर्ज करार में की जानी चाहिए;

(ङ) सभी कर्जों की स्वीकृति और उनका संवितरण केवल केन्द्रीय स्थान पर किया जाना चाहिए और इस कार्य में एक से अधिक व्यक्ति लगाये जाना चाहिए;

(च) सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-माइक्रो फाइनैंस संस्थाओं के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर्ज करार का मानक फॉर्म होना चाहिए, यह फार्म देशी भाषाओं में तैयार करने को वरीयता दी जानी चाहिए;

(छ) कर्ज कार्ड में लगाए गए प्रभावी ब्याज सहित सभी ब्यौरे दिये जाने चाहिए;

(ज) जारी किये गये ऋणेतर उत्पादों पर उधारकर्ताओं की पूर्ण सहमति होनी चाहिए और कर्ज कार्ड में ही शुल्क का विवरण दिया जाना चाहिए;

(झ) वसूली सामान्य रूप से केवल एक निर्दिष्ट केन्द्रीय स्थान पर होनी चाहिए;

(ञ) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-माइक्रो फाइनैंस संस्थाओं को सुनिश्चित करना होगा कि फील्ड स्टाफ की आचरण संहिता संबंधी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति लागू है;

स्वर्ण आभूषणों की जमानत पर कर्ज

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाये जाएं कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी केवाईसी दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है और यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाये जाएं कि ग्राहक को कोई कर्ज देने के पहले पर्याप्त सतर्कता बरती गई है।

(ख) प्राप्त आभूषणों के लिए समुचित जांच प्रक्रिया।

(ग) स्वर्ण आभूषणों के स्वामित्व की जांच के लिए आंतरिक प्रणाली।

(घ) नीति में इन बातों को भी शामिल किया जाना चाहिए, जैसे आभूषणों को सुरक्षित तिजोरी में रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो, इस प्रणाली की निरंतर आधार पर समीक्षा हो, संबंधित स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यविधि का पूरी तरह से अनुपालन किया जा रहा है आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा आवधिक निरीक्षण किया जाए।

(ङ) ऐसी शाखाओं द्वारा स्वर्ण की जमानत पर कर्ज नहीं दिये जाने चाहिए जिनके पास आभूषणों को रखने के लिए समुचित सुविधा नहीं है।

(च) संपार्श्विक के रूप में स्वीकार किये गये आभूषणों का समुचित तरीके से बीमा कराया जाना चाहिए।

(छ) भुगतान न किये जाने के मामले में आभूषणों की नीलामी से संबंधित बोर्ड अनुमोदित नीति पारदर्शी होनी चाहिए और नीलामी की तारीख के पहले उधारकर्ता को समुचित पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिए।

(ज) कम से कम 2 समाचार पत्रों अर्थात एक देशी भाषा में और दूसरा राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन देकर जनता को नीलामी की सूचना दी जानी चाहिए।

(झ) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को नीलामी में नीति के तौर पर स्वयं भाग नहीं लेना चाहिए।

(ञ) गिरवी रखे गये स्वर्ण की नीलामी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीलामीकर्ताओं के माध्यम से की जाएगी।

(ट) धोखाधड़ी से निपटने के लिए बनाई जाने वाली प्रणाली और प्रक्रिया को भी नीति में शामिल किया जाएगा जिसमें संग्रहण, कार्यान्वयन और अनुमोदन के कर्तव्यों को अलग-अलग रखा जाएगा।

6.34 2011-12 में सभी कंपनियों की सभी तीन प्रकार की अनर्जक आस्तियों की श्रेणियों अर्थात अवमानक, संदिग्ध और हानिग्रस्त आस्तियों के हिस्सों में वृद्धि हुई जिससे इन संस्थाओं की आस्ति गुणवत्ता में मामूली गिरावट का पता चलता है। आस्ति की गुणवत्ता में गिरावट मुख्य रूप से आस्ति वित्त कंपनियों के कारण हुई (सारणी VI.29)।

सारणी VI.29: एनबीएफसी के वर्गीकरण के अनुसार जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्तियों का वर्गीकरण

(राशि ₹ बिलियन में)

	मानक आस्तियां	अवमानक आस्तियां	संदिग्ध आस्तियां	हानि आस्तियां	सकल अनर्जक आस्तियां	सकल अग्रिम
1	2	3	4	5	6	7
आस्ति वित्त कंपनियां						
2010-11	515	2.1	0.3	0.1	2.5	517
	(99.5)	(0.4)	(0.1)	(0.0)	(0.5)	(100.0)
2011-12अ	648	10	4	2	15	663
	(97.7)	(1.5)	(0.5)	(0.3)	(2.3)	(100.0)
कर्ज कंपनियां						
2010-11	180	1	2	0	2	183
	(98.7)	(0.6)	(0.4)	(0.0)	(1.3)	(100.0)
2011-12अ	205	2	1	0.4	3	208
	(98.4)	(1.0)	(0.4)	(0.2)	(1.6)	(100.0)
सभी कंपनियां						
2010-11	695	3	2	0.1	5	700
	(99.3)	(0.5)	(0.1)	(0.0)	(0.7)	(100.0)
2011-12अ	852	12	4	2	19	871
	(97.8)	(1.4)	(0.5)	(0.3)	(2.2)	(100.0)

अ.: अनंतिम

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल ऋण एक्सपोजर के प्रतिशत हैं।

स्रोत: एनबीएफसी-डी की छमाही विवरणियां।

सारणी VI. 30 जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात

(कंपनियों की संख्या)

सीआरएआर दायरा	2010-11			2011-12अ		
	एएफसी	एलसी	कुल	एएफसी	एलसी	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1) 12 प्रतिशत से कम	1	1	2	1	1	2
क) 9 प्रतिशत से कम	1	1	2	1	1	2
ख) 9 प्रतिशत से अधिक तथा 12 प्रतिशत तक	0	0	0	0	0	0
2) 12 प्रतिशत से अधिक तथा 15 प्रतिशत तक	1	2	3	1	0	1
3) 15 प्रतिशत से अधिक तथा 20 प्रतिशत तक	5	3	8	8	3	11
4) 20 प्रतिशत से अधिक तथा 30 प्रतिशत तक	19	3	22	16	2	18
5) 50 प्रतिशत से अधिक	142	27	169	131	27	158
कुल	**168**	**36**	**204**	**157**	**33**	**190**

अ.: अनंतिम
टिप्पणी: एएफसी: आस्ति वित्त कंपनी; एलसी : कर्ज कंपनियां
स्रोत : छमाही विवरणियां।

6.35 मार्च 2012 के अंत में, रिपोर्ट करने वाली 190 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में से 187 कंपनियों का सीआरएआर 15 प्रतिशत से अधिक था (सारणी VI.30)। इससे यह संकेत मिलता है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से समेकन की प्रक्रिया चल रही है, कमजोर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां धीरे-धीरे बाहर निकल रही हैं और मजबूत कंपनियां उनकी जगह ले रही हैं। मार्च 2012 के अंत में सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निवल स्वाधिकृत निधियों की तुलना में सार्वजनिक जमाराशियों का अनुपात कमोबेश पूर्ववत रहा है (सारणी VI.31)। 2011-12 के दौरान जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निवल स्वाधिकृत निधियों और सार्वजनिक जमाराशियों में काफी

सारणी VI.31 वर्गीकरण-वार जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सार्वजनिक जमाराशियों की तुलना में निवल स्वाधिकृत निधियां

(राशि ₹ बिलियन में)

वर्गीकरण	निवल स्वाधिकृत निधि		सार्वजनिक जमाराशियां	
	2010-11	2011-12अ.	2010-11	2011-12अ.
1	2	3	4	5
आस्ति वित्त कंपनियां	108	139	36 (0.3)	45 (0.3)
कर्ज कंपनियां	42	56	4 (0.1)	13 (0.2)
कुल	**150**	**195**	**41 (0.3)**	**58 (0.3)**

अ: अनंतिम
टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े निवल स्वाधिकृत निधियों की तुलना में सार्वजनिक जमाराशियों के अनुपात हैं।
स्रोत: वार्षिक विवरणियां।

अधिक वृद्धि हुई। निवल स्वाधिकृत निधियों में वृद्धि मुख्य रूप से ₹5,000 मिलियन और उससे अधिक वाली श्रेणी में केन्द्रित थी (सारणी VI.32)।

अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियां

अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियां अन्य कारोबार मॉडलों की ओर जाने करने की प्रक्रिया में हैं

6.36 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के दौरान अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों की आस्तियों में 34 प्रतिशत की गिरावट आई। इन आस्तियों में मुख्य रूप से भाररहित अनुमोदित प्रतिभूतियों, बांडों / डिबेंचरों में निवेश तथा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मीयादी जमाराशियां / प्रमाणपत्र शामिल हैं। 2011-12 में अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों की निवल स्वाधिकृत निधियों में भी 52.2 प्रतिशत की गिरावट आई है (सारणी VI.33)। 2011-12 के दौरान अवशिष्ट गैर-बैंकिंग

सारणी VI.32: जमाराशियां लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की सार्वजनिक जमाराशियों की तुलना में निवल स्वाधिकृत निधियों का दायरा

(राशि ₹ मिलियन में)

निवल स्वाधिकृत निधि का दायरा	2010-11			2011-12अ		
	कंपनियों की संख्या	निवल स्वाधिकृत निधि	सार्वजनिक जमाराशियां	कंपनियों की संख्या	निवल स्वाधिकृत निधि	सार्वजनिक जमाराशियां
1	2	3	4	5	6	7
₹2.5 मिलियन तक	2	-2,003	324	1	-1	1.2
₹2.5 मिलियन से अधिक और ₹20 मिलियन तक	113	838	320	89	750	242
₹20 मिलियन से अधिक और ₹100 मिलियन तक	65	2,662	1,359	67	2,894	1,271
₹100 मिलियन से अधिक और ₹500 मिलियन तक	20	4,529	1,133	21	4,468	1,252
₹500 मिलियन से अधिक और ₹1000 मिलियन तक	2	1,204	1,038	4	2,869	817
₹1000 मिलियन से अधिक और ₹5000 मिलियन तक	7	17,118	4,526	7	13,876	15,612
₹5000 मिलियन से अधिक	8	1,25,527	31,923	7	1,69,792	39,212
कुल	**217**	**1,49,874**	**40,623**	**196**	**1,94,648**	**58,406**

अ.: अनंतिम ।
टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित स्वाधिकृत निधि की तुलना में सार्वजनिक जमाराशियों के अनुपात हैं।
स्रोत: वार्षिक विवरणियां ।

सारणी VI.33 : अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों का प्रोफाइल

(राशि ₹ मिलियन में)

मद	2010-11	2011-12अ	घट-बढ़ प्रतिशत में	
			2010-11	2011-12अ
1	2	3	4	5
क. आस्तियां (i से v)	**1,14,670**	**75,430**	**-26.6**	**-34.2**
(i) भाररहित अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	13,080	8,380	-47.0	-36.0
(ii) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों / सरकारी वित्तीय संस्थाओं की मीयादी जमाराशियों/ जमा प्रमाणपत्रों में निवेश	26,520	13,900	-45.4	-47.6
(iii) सरकारी कंपनियों/ सरकारी क्षेत्र के बैंकों / सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं / निगमों के डिबेंचर/बांड/वाणिज्यिक पत्र	28,760	7,510	-45.6	-73.9
(iv) अन्य निवेश	490	4,330	-96.2	784.3
(v) अन्य आस्तियाँ	45,820	41,310	166.6	-9.8
ख. निवल स्वाधिकृत निधि	29,880	14,270	2.3	-52.2
ग. कुल आय (i+ii)	11,590	3,320	-40.4	-71.3
(i) निधि आय	11,280	2,940	-41.3	-73.9
(ii) शुल्क आय	310	380	19.2	24.1
घ. कुल व्यय (i+ii+iii)	10,060	1,660	-28.1	-83.5
(i) वित्तीय लागत	6,310	460	-35.2	-92.7
(ii) परिचालन लागत	3,680	520	7.3	-85.9
(iii) अन्य लागत	70	680	-91.6	876.9
ङ. कराधान	620	570	-62.2	-8.1
च. परिचालन लाभ (पीबीटी)	1,530	1,670	-72.0	8.9
छ. निवल लाभ(पीएटी)	910	1,100	-76.2	20.5

अ.: अनंतिम ।
पीबीटी: कर पूर्व लाभ; पीएटी : कर पश्चात लाभ।

कंपनियों के व्यय में गिरावट आय में गिरावट से अधिक रही जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों के परिचालन लाभ में बढ़ोतरी हुई। कराधान के प्रावधान में गिरावट के कारण 2011-12 के दौरान अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों के निवल लाभ में तेजी से वृद्धि हुई।

अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों की जमाराशियों का क्षेत्रीय स्वरूप

6.37 मार्च 2012 के अंत में दो अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियां रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत थीं। इनमें से एक मध्य क्षेत्र में और एक पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। दोनों ही अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियां दूसरे कारोबारी मॉडल में जाने की प्रक्रिया में हैं और उनको 2015 तक अपनी जमा देयताओं को घटाकर 'शून्य' करने का निदेश दिया गया है। 2011-12 के दौरान इन दो अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों में बहुत अधिक गिरावट दिखी, ऐसा मुख्य रूप से सहारा इंडिया वित्तीय निगम लिमिटेड द्वारा धारित

सारणी VI.34: अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियां - क्षेत्र-वार

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	2010-11		2011-12अ	
	आरएनबीसी की संख्या	जमाराशियां	आरएनबीसी की संख्या	सार्वजनिक जमाराशियां
1	2	3	4	5
मध्य	1	53 (66.9)	1	21 (50.0)
पूर्वी	1	26 (33.1)	1	21 (50.0)
कुल	2	79	2	42
महानगरीय शहर				
कोलकाता	1	26	1	21
कुल	1	26	1	21

अ.: अनंतिम ।
टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संबंधित कुल का अनुपात हैं।
स्रोत: वार्षिक विवरणियां ।

जमाराशियों में काफी अधिक गिरावट के कारण हुआ (सारणी VI.34)।

अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों के निवेश का स्वरूप

6.38 जमाराशियों में गिरावट के फलस्वरूप, 2011-12 के दौरान अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों के निवेशों में गिरावट आई। यह गिरावट निवेश के सभी खंडों में देखी जा सकती है (सारणी VI.35)।

जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

यद्यपि बैंक उधारों का आकार बड़ा है, डिबेंचरों के माध्यम से लिए गये उधारों में काफी अधिक वृद्धि देखी गयी

6.39 मार्च 2012 के अंत में जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आस्तियों में 21

सारणी VI.35: अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों के निवेश का स्वरूप

(राशि ₹ मिलियन में)

मद	2010-11	2011-12अ
1	2	3
जमाकर्ताओं के प्रति समग्र देयताएं (एएलडी)	**79,020**	**42,650**
(i) भाररहित अनुमोदित प्रतिभूतियां	13,080 (16.6)	8,380 (19.6)
(ii) बैंकों में सावधि जमाराशियां	26,520 (33.6)	13,900 (32.6)
(iii) सरकारी कंपनी/सरकारी क्षेत्र के बैंक/ सरकारी वित्तीय संस्था/ निगम के बांड या डिबेंचर या वाणिज्यिक पत्र	28,760 (36.4)	7,510 (17.6)
(iv) अन्य निवेश	490 (0.6)	4,330 (10.2)

अ.: अनंतिम
टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े जमाकर्ताओं के प्रति समग्र देयताओं के प्रतिशत हैं।
स्रोत : वार्षिक विवरणियां ।

प्रतिशत की वृद्धि हुई। जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कुल उधारों (जमानती और बेजमानती) में 23.6 प्रतिशत की काफी अधिक वृद्धि दिखी जो कुल देयताओं के दो-तिहाई से अधिक थी (सारणी VI.36)। जमानती उधार, जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निधियों के सबसे बड़े स्रोत रहे, जिसके पश्चात बेजमानती उधार, आरक्षित निधियां और अधिशेष थे।

सारणी VI.36: एनबीएफसी-एनडी-एसआई का समेकित तुलन-पत्र

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	2010-11	2011-12	घट-बढ़ (प्रतिशत)
1	2	3	4
1. शेयर पूंजी	**382**	**505**	**32.1**
2. रिजर्व और अधिशेष	1,599	1,901	18.9
3. कुल उधार	**5,175**	**6,398**	**23.6**
अ. जमानती उधार	**2,915**	**3,770**	**29.3**
अ.1. डिबेंचर	984	1,732	76.0
अ.2. बैंकों से उधार	1,006	1,441	43.2
अ.3. वित्तीय संस्थाओं से उधार	103	90	-12.7
अ.4. उपचित ब्याज	52	63	22.9
अ.5. अन्य	770	444	-42.3
आ. बेजमानती उधार	**2,260**	**2,628**	**16.3**
आ.1. डिबेंचर	753	1,218	61.7
आ.2. बैंकों से उधार	461	436	-5.3
आ.3. वित्तीय संस्थाओं से उधार	31	53	74.0
आ.4. रिश्तेदारों से उधार	13	12	-9.5
आ.5. इंटर-कारपोरेट उधार	242	278	14.5
आ.6. वाणिज्यिक पत्र	314	306	-2.8
आ.7. उपचित ब्याज	44	69	59.0
आ.8. अन्य	401	256	-36.3
4. चालू देयताएं एवं प्रावधान	457	409	-10.6
कुल देयताएं / कुल आस्तियां	**7,613**	**9,213**	**21.0**
आस्तियां			
1. कर्ज तथा अग्रिम	4,709	5,900	25.3
1.1. जमानती	3,406	4,486	31.7
1.2. बेजमानती	1,304	1,414	8.5
2. किराया खरीद आस्तियां	502	635	26.5
3. निवेश	1,507	1,595	5.9
3.1. दीर्घावधि निवेश	1,089	1,227	12.6
3.2. चालू निवेश	417	368	-11.7
4. नकद और बैंक शेष	313	357	14.0
5. अन्य चालू आस्तियां	437	553	26.5
6. अन्य आस्तियां	144	173	19.9
ज्ञापन मदें			
1. पूंजी बाजार एक्सपोजर	822	799	-2.8
जिसमें से : ईक्विटी शेयर	347	253	-27.0
2. कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में पूंजी बाजार एक्सपोजर	10.8	8.7	
3. लीवरेज अनुपात	2.84	2.83	2.95

टिप्पणी: 1. प्रतिशत घटबढ़ में थोड़ा अंतर हो सकता है क्योंकि पूर्ण संख्याओं को ₹ बिलियन में पूर्णांकित किया गया है।

स्रोत: एनडी-एसआई की मासिक विवरणियां (₹1 बिलियन और उससे अधिक)।

6.40 जमाराशियां न लेने वाले प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी खंड में तेजी से वृद्धि हो रही है। उधार उनकी निधियों के सबसे बड़े स्रोत हैं, जो अधिकांशतः बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से लिए गए हैं। वे जितना बैंक वित्तीयन पर निर्भर करते हैं जमाकर्ताओं के प्रति उनका अप्रत्यक्ष एक्सपोजर उतना ही होता है। यद्यपि निधियों के संकेन्द्रण में जोखिम निहित हैं परंतु गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकों द्वारा उधार देने में सीमा लगाने से उनकी वृद्धि रुक सकती है। जमाराशियां न लेने वाले प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी खंड का लीवरेज अनुपात पिछले वर्ष की तरह ही बना हुआ है।

जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के क्षेत्रवार उधार

उत्तरी क्षेत्र निधियों का प्रमुख स्रोत बना हुआ है

6.41 जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के क्षेत्रवार उधारों के विश्लेषण से उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र के प्राधान्य का पता चलता है। वर्ष के दौरान मार्च 2012 के अंत में कुल उधारों में उनका हिस्सा 70 प्रतिशत से अधिक था। जून 2012 को समाप्त तिमाही के दौरान यही प्रवृत्ति जारी रही। मार्च 2012 को समाप्त वर्ष और जून 2012 को समाप्त तिमाही के दौरान सभी क्षेत्रों में वृद्धि हुई (सारणी VI.37)।

वित्तीय कार्य-निष्पादन

जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वित्तीय कार्य-निष्पादन में गिरावट आई और अनर्जक आस्तियों में वृद्धि हुई

6.42 जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वित्तीय कार्य-निष्पादन में मामूली रूप

सारणी VI.37: एनबीएफसी-एनडी-एसआई की उधारियां - क्षेत्र-वार

(राशि ₹ बिलियन में)

क्षेत्र	मार्च 2011	मार्च 2012अ	जून 2012अ
1	2	3	4
उत्तर	2,707	3,431	3,502
पूर्व	231	329	368
पश्चिम	1,383	1,512	1,594
दक्षिण	854	1,127	1,193
कुल उधार राशियां	**5,175**	**6,398**	**6,657**

अ.: अनंतिम

स्रोत : एनबीएफसी-एनडी-एसआई की मासिक विवरणियां ।

सारणी VI.38: एनबीएफसी-एनडी-एसआई क्षेत्र का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	निम्नलिखित के अंत में		
	मार्च 2011	मार्च 2012	जून 2012
1	2	3	4
1. कुल आय	752	948	263
2. कुल व्यय	529	740	192
3. निवल लाभ	160	139	51
4. कुल आस्तियां	7,613	9,213	9,608
वित्तीय अनुपात			
(i) कुल आस्तियों की तुलना में आय (प्रतिशत)	9.9	10.3	2.7
(ii) कुल आस्तियों की तुलना में में व्यय (प्रतिशत)	6.9	8.0	1.9
(iii) कुल आय की तुलना में निवल लाभ (प्रतिशत)	21.3	14.6	19.4
(iv) कुल आस्तियों की तुलना में निवल लाभ (प्रतिशत)	2.1	1.5	0.5

स्रोत: एनडी-एसआई की मासिक विवरणियां (₹1 बिलियन और उससे अधिक)।

से गिरावट आई जैसाकि 2011-12 के निवल लाभ की गिरावट में परिलक्षित हुआ (सारणी VI.38)। वर्ष के दौरान जमाराशियां न लेने वाली प्रणालीगत दृष्टि से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कुल आस्तियों की तुलना में सकल और निवल एनपीए दोनों में वृद्धि हुई। जून 2012 में यही प्रवृत्ति जारी रही (सारणी VI.39)।

सारणी VI.39 एनबीएफसी-एनडी-एसआई क्षेत्र का अनर्जक आस्ति अनुपात

(प्रतिशत)

मद	निम्नलिखित के अंत में		
	मार्च 2011	मार्च 2012	जून 2012
1	2	3	4
(i) सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए		2.08	2.26
(ii) निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए		1.25	1.37
(iii) कुल आस्तियों की तुलना में सकल एनपीए		1.48	1.61
(iv) कुल आस्तियों की तुलना में निवल एनपीए		0.88	0.97

स्रोत : एनडी-एसआई की मासिक विवरणियां (₹1 बिलियन और अधिक)।

सारणी VI.40: एनबीएफसी-एनडी-एसआई का पूंजी पर्याप्तता अनुपात- एनबीएफसी के प्रकार के अनुसार

(कंपनियों की संख्या)

सीआरएआर दायरा	एएफसी	आईएफसी	आईसी	एलसी	कुल
1	2	3	4	5	6
15 प्रतिशत से कम	0	0	21	15	36
15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक	5	1	8	20	34
20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक	2	2	5	14	23
25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक	3	0	6	4	13
30 प्रतिशत से अधिक	8	1	171	79	259
कुल	**18**	**4**	**211**	**132**	**365**

टिप्पणी: एएफसी : आस्ति वित्त कंपनियां; आईएफसी : इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियां; आईसी :निवेश कंपनियां; एलसी : कर्ज कंपनियां ।
स्रोत : एनबीएफसी-एनडी-एसआई की त्रैमासिक विवरणियां ।

6.43 31 मार्च 2012 को रिपोर्ट करने वाली अधिकांश कंपनियों ने 15 प्रतिशत सीआरएआर के निर्धारित न्यूनतम मानदंड को बनाये रखा। रिपोर्ट करने वाली केवल 10 प्रतिशत कंपनियों का सीआरएआर 15 प्रतिशत से कम है (सारणी VI.40)। ये कंपनियां भी अपने मीयादी कर्ज, कार्यशील पूंजी कर्ज और डिबेंचरों / वाणिज्यिक पत्रों के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों पर बहुत अधिक निर्भर रहीं। मीयादी कर्ज और कार्यशील पूंजी कर्ज को जुटाने के लिए निजी क्षेत्र के नये बैंक इन कंपनियों के लिए दूसरे प्रमुख बैंक समूह के रूप में उभरे हैं (सारणी VI.41)।

4. प्राथमिक व्यापारी

6.44 30 जून 2012 को वित्तीय बाजार में 21 प्राथमिक व्यापारी कार्य कर रहे थे। इनमें से 13 बैंकों द्वारा विभाग के रूप में चलाये जा रहे प्राथमिक व्यापारी थे, जिन्हें बैंक - प्राथमिक व्यापारी कहा जाता है, और शेष 8 बैंक से इतर संस्थाएं थीं, जिन्हें स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारी कहा जाता है। ये भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45आईए के अंतर्गत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत हैं।

सारणी VI.41: एनबीएफसी -एनडी- एसआई क्षेत्र का बैंक एक्सपोजर

(मार्च 2012 के अंत में)

(राशि ₹ बिलियन में)

बैंक समूह	मीयादी ऋण	कार्यशील पूंजी कर्ज	डिबेंचर	वाणिज्यिक पत्र	अन्य	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
अ. राष्ट्रीयकृत बैंक	959	282	81	18	73	1,412
आ. स्टेट बैंक समूह	102	97	21	0.3	27	247
इ. निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	38	27	10	2	2	79
ई. निजी क्षेत्र के नए बैंक	140	53	53	11	11	268
उ. विदेशी बैंक	72	34	9	3	5	123
सभी बैंक	**1,310**	**492**	**175**	**35**	**117**	**2,130**

स्रोत: एनडी-एसआई की मासिक विवरणी।

प्राथमिक व्यापारियों का परिचालन और कार्य-निष्पादन

6.45 2011-12 के दौरान भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों और खजाना बिलों दोनों में प्राथमिक व्यापारियों का बिड टु कवर अनुपात पिछले वर्ष की तुलना में मामूली रूप से कम रहा। प्राथमिक व्यापारियों को खजाना बिल और नकदी प्रबंधन बिल दोनों को मिलाकर कुल 40 प्रतिशत का न्यूनतम सफलता अनुपात (बोली प्रतिबद्धता की तुलना में स्वीकृत बोलियां) प्राप्त करना होता है जिसकी सामान्य तौर पर अर्ध वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है। सभी प्राथमिक व्यापारियों ने 2011-12 की पहली और दूसरी दोनों छमाहियों में न्यूनतम सफलता अनुपात प्राप्त कर लिया। परंतु, वर्ष के दौरान खजाना बिल नीलामियों के सफलता अनुपात में मामूली रूप से कमी आई।

6.46 2011-12 के दौरान दिनांकित सभी सरकारी प्रतिभूतियों के लिए संपूर्ण हामीदारी प्राप्त हुई। दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामियों में प्राथमिक व्यापारियों (जारी प्रतिभूतियों की तुलना में स्वीकृत बोलियां) के हिस्से में मामूली रूप से कमी आई (सारणी VI.42)। 14 अवसरों पर प्राथमिक व्यापारियों पर आंशिक डिवाल्वमेंट हुआ।

स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों का कार्य-निष्पादन

6.47 द्वितीयक बाजार में, प्राथमिक व्यापारियों ने 2011-12 के दौरान दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में 5 गुने और खजाना बिलों में 10 गुने का अलग-अलग न्यूनतम वार्षिक कुल टर्नओवर अनुपात[2] (तत्काल और रिपो लेन-देन) प्राप्त किया। प्राथमिक व्यापारियों ने दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में 3 गुने और खजाना बिलों में 6 गुने न्यूनतम वार्षिक एकमुश्त टर्नओवर अनुपात भी प्राप्त किया (सारणी VI.43)।

सारणी VI.42 : प्राथमिक बाजार में प्राथमिक व्यापारियों का कार्य-निष्पादन

(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	2011	2012
1	2	3
खजाना बिल तथा नकदी प्रबंध बिल		
बोली प्रतिबद्धता	3,808	7,296
वास्तव में प्रस्तुत बोलियां	7,260	13,505
बिड टु कवर अनुपात	2.3	2.2
स्वीकृत बोलियां	2,353	4,271
सफलता अनुपात (प्रतिशत में)	61.8	58.6
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां		
अधिसूचित राशि	4,370	5,100
वास्तव में प्रस्तुत बोलियां	6,239	6,932
बिड टु कवर अनुपात	1.4	1.3
प्राथमिक व्यापारियों की स्वीकृत बोलियां	2,165	2,432
प्राथमिक व्यापारियों का हिस्सा (प्रतिशत में)	49.6	47.7

स्रोत : प्रतिशत घटबढ़ में थोड़ा अंतर हो सकता है क्योंकि पूर्ण संख्याओं को ₹ बिलियन में पूर्णांकित किया गया है।

सारणी VI.43: द्वितीयक बाजार में स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों का कार्य-निष्पादन

(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	2011	2012
1	2	3
एकमुश्त		
स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों का टर्नओवर	10,900	18,381
बाजार सहभागियों का टर्नओवर	57,419	69,764
प्राथमिक व्यापारियों का हिस्सा (प्रतिशत में)	19.0	26.3
रिपो		
स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों का टर्नओवर	11,460	15,245
बाजार सहभागियों का टर्नओवर	81,986	75,278
प्राथमिक व्यापारियों का हिस्सा (प्रतिशत में)	14.0	20.3
कुल		
स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों का टर्नओवर	22,359	33,625
बाजार सहभागियों का टर्नओवर	1,39,405	1,45,042
प्राथमिक व्यापारियों का हिस्सा (प्रतिशत में)	16.0	23.2

टिप्पणी: 1. प्रतिशत घटबढ़ में थोड़ा अंतर हो सकता है क्योंकि पूर्ण संख्याओं को ₹ बिलियन में पूर्णांकित किया गया है।
2. पूर्णांकन के कारण हो सकता है कि घटकों का जोड़ कुल से मेल न खाए।
स्रोत: भारतीय समाशोधन निगम लि. ।

स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों की निधियों के स्रोत और उनका प्रयोग

कंपनी बांड बाजार में प्राथमिक व्यापारियों के निवेश में कमी आई है

6.48 प्राथमिक व्यापारियों की निवल स्वाधिकृत निधियों में मामूली रूप से वृद्धि हुई है। प्राथमिक व्यापारियों के रिज़र्व और अधिशेष में काफी अधिक वृद्धि हुई। 2011-12 के दौरान प्राथमिक व्यापारियों के जमानती और गैर-जमानती ऋणों में भी काफी अधिक बढ़ोतरी हुई। वर्ष के दौरान कंपनी बांडों के निवेश में मामूली रूप से गिरावट आई (सारणी VI.44)।

स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

खर्चों में तीव्र वृद्धि होने से लाभ में कमी आई

6.49 2011-12 के दौरान प्राथमिक व्यापारियों के निवल लाभ में मामूली रूप से कमी आई। प्राथमिक व्यापारियों की कुल आय में काफी अधिक वृद्धि हुई। लेकिन, प्राथमिक व्यापारियों के अपने ब्याज व्यय में तीव्र वृद्धि हुई जो मुख्य रूप से उधारों की बढ़ी हुई

[2] द्वितीयक बाजार में वर्ष के दौरान टर्नओवर अनुपात की गणना औसत मासांत स्टॉक की तुलना में कुल क्रय और बिक्री के अनुपात के रूप में की गई है।

सारणी VI.44: स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों की निधियों के स्रोत और उपयोग

(राशि ₹ मिलियन में)

मद	मार्च के अंत में			प्रतिशत घट-बढ़	
	2010	2011$	2012	2011	2012
1	2	3	4	5	6
निधियों के स्रोत	**1,03,080**	**130,320**	**2,03,810**	**26.4**	**56.4**
1 पूंजी	15,410	15,210	15,080	-1.3	-0.8
2 रिजर्व और अधिशेष	19,250	18,890	20,490	-1.9	8.4
3 ऋण (क+ख)	68,420	96,220	168,240	40.7	74.9
क) जमानती	25,220	63,520	113,970	151.9	79.4
ख) बेजमानती	43,200	32,700	54,260	-24.3	66.0
निधियों का उपयोग	**1,03,080**	**1,30,320**	**2,03,810**	**26.4**	**56.4**
1 अचल आस्तियां	140	380	370	171.4	-2.6
2 निवेश (क+ख+ ग)	72,800	98,520	1,45,080	35.3	47.3
क) सरकारी प्रतिभूतियां	62,518	86,430	1,33,320	38.1	54.2
ख) वाणिज्यिक पत्र	1,420	100	250	-92.9	149.4
ग) कंपनी बांड	8,800	11,990	11,510	36.2	-4.0
3 कर्ज और अग्रिम	7,410	4,260	19,380	-42.5	354.9
4 गैर चालू आस्तियां	0	0	2,970	-	-
5 ईक्विटी, म्यूच्युअल फंड आदि	680	250	160	-63.2	-36.0
6 अन्य*	22,050	26,910	35,850	22.0	33.2

*: अन्य में नकदी + जमा प्रमाण-पत्र + बैंक शेष + उपचित ब्याज + आस्थिगत कर अस्तियां - चालू देयताएं और प्रावधान शामिल हैं।
$: मोर्गन स्टैनली डयूश सिक्यूरिटीज और आईडीबीआई गिल्टस् को छोड़कर ।
टिप्पणी: 1.पूर्णांकन के कारण प्रतिशत घटबढ़ में थोड़ा अंतर हो सकता है।
2.पूर्णांकन के कारण हो सकता है कि घटकों का जोड़ कुल से मेल न खाए।
स्रोत: प्राथमिक व्यापारियों की वार्षिक रिपोर्ट ।

लागत के कारण थी (सारणी VI.45)। परिणाम के रूप में, वर्ष के दौरान लागत - आय अनुपात (अर्थात निवल कुल आय की

सारणी VI.45: स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों का वित्तीय कार्य-निष्पादन @

(राशि ₹ मिलियन में)

मद	2010-11	2011-12	घट-बढ़	
			राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
क. आय (i से iii)	**10,790**	**15,470**	**4,680**	**43.4**
i) ब्याज और बट्टा	9,700	13,820	4,120	42.5
ii) कारोबारी लाभ	580	640	60	10.3
iii) अन्य आय	510	1,010	500	98.0
ख. व्यय (i + ii)	**8,070**	**13,070**	**4,560**	**62.0**
i) ब्याज	6,530	11,180	4,650	71.2
ii) स्थापना तथा प्रशासनिक लागत सहित अन्य व्यय	1,540	1,890	350	22.7
कर पूर्व लाभ	2,720	2,400	-320	-11.8
करोत्तर लाभ	1,780	1,540	-240	-13.5

टिप्पणियां: 1. प्रतिशत घटबढ़ में थोड़ा अंतर हो सकता है क्योंकि पूर्ण संख्याओं को ₹ बिलियन में पूर्णांकित किया गया है।
2. पूर्णांकन के कारण हो सकता है कि घटकों का जोड़ कुल से मेल न खाए।
स्रोत: प्राथमिक व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियां ।

सारणी VI.46: स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों के वित्तीय संकेतक

(राशि ₹ मिलियन में)

संकेतक	2010-11	2011-12
1	2	3
i) निवल लाभ	1,780	1,540
ii) औसत आस्तियां	1,66,970	1,97,460
iii) औसत आस्तियों पर प्रतिफल (प्रतिशत में)	1.1	0.8
iv) निवल मालियत पर प्रतिफल (प्रतिशत में)	5.1	4.4

तुलना में परिचालन व्यय) में बढ़ोतरी हुई। मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के दौरान निवल मालियत पर प्रतिफल और औसत आस्तियों पर प्रतिफल में मामूली रूप से कमी आई (सारणी VI.46)। वर्ष

सारणी VI.47: स्टैंडएलोन प्राथमिक व्यापारियों का सीआरएआर

(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ मिलियन में)

विवरण	मार्च के अंत में	
	2011	2012
1	2	3
1. कुल निवल पूंजीगत निधियां	36,260	39,290
2. कुल जोखिम भारित आस्तियां	78,580	72,980
क) क्रेडिट जोखिम	33,500	37,420
ख) बाजार जोखिम	45,080	35,560
3. सीआरएआर(प्रतिशत में)	**46.2**	**53.8**

के दौरान प्राथमिक व्यापारियों का सीआरएआर 46.2 प्रतिशत से बढ़कर 53.8 प्रतिशत हो गया जबकि इसकी न्यूनतम निर्धारित अपेक्षा 15 प्रतिशत की है (सारणी VI.47)।

5.समग्र मूल्यांकन

6.50 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र में संख्या की दृष्टि से समेकन की प्रक्रिया के चिह्न दिख रहे हैं। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के तुलन-पत्र में काफी अधिक विस्तार हुआ है और इसी प्रकार का विस्तार वित्तीय संस्थाओं और प्राथमिक व्यापारियों के संबंध में भी देखा गया है। जमाराशियां लेने वाले गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी खंड के वित्तीय कार्य-निष्पादन में सुधार दिखा है जैसाकि उनके परिचालन लाभों की वृद्धि में परिलक्षित होता है, यह लाभ मुख्य रूप से निधि आधारित आय के कारण हुआ है।जमाराशियां न लेने वाले प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी खंड के कार्य-निष्पादन में मामूली रूप से गिरावट आई है यद्यपि इस क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के उधारों में निधियों के सबसे बड़े स्रोत मुख्यतः बैंक और वित्तीय संस्थाएं रहीं। इस प्रकार, वित्तीयन के लिए बैंकों पर भारी निर्भरता की नजदीकी से निगरानी करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, हाल में बैंकों से संसाधन जुटाने से संबंधित विनियामक उपायों में की गई कड़ाई से उम्मीद है कि बैंकिंग क्षेत्र पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र की निर्भरता कम होगी और वे वैकल्पिक स्रोतों से निधियां जुटाने का प्रयास करेंगी।

6.51 अनर्जक आस्तियों की दृष्टि से, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कुल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियों में काफी अधिक वृद्धि हुई। इसी प्रकार, वित्तीय संस्थाओं की अनर्जक आस्तियों में वृद्धि हुई है। एक खंड के रूप में गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं पूंजी पर्याप्तता की दृष्टि से अच्छी स्थिति में बनी हुई हैं क्योंकि इनका सीआरएआर न्यूनतम विनियामक अपेक्षा से अधिक है। जहां तक प्राथमिक व्यापारियों की बात है, उनकी ब्याज आय में वृद्धि हुई, लेकिन उधारों की लागत बढ़ने से व्यय में तीव्र गति से बढ़ोतरी हुई जिससे लाभ में कमी आई और आस्तियों पर प्रतिफल में गिरावट आई।

परिशिष्ट सारणी IV.1 : बैंकिंग क्षेत्र, एक नजर में

(राशि ₹ बिलियन में)

क्रम सं.	मदें	मार्च के अंत में बकाया राशि		प्रतिशत परिवर्तन	
		2011	2012	2010-11	2011-12
1	**तुलन-पत्र परिचालन**				
1.1	कुल देयताएं/आस्तियां	71,834	82,994	19.2	15.5
1.2	जमाराशियां	56,159	64,537	18.3	14.9
1.3	उधार	6,755	8,401	27.1	24.4
1.4	ऋण तथा अग्रिम	42,975	50,746	22.9	18.1
1.5	निवेश	19,236	22,305	11.3	16.0
1.6	तुलन-पत्र से इतर एक्सपोज़र (तुलन-पत्र की देयताओं के प्रतिशत के रूप में)	192.5	175.9	–	–
1.7	कुल समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे	2,464	2,809	5.9	14.0
2	**लाभप्रदता**				
2.1	निवल लाभ	703	817	23.2	16.1
2.2	आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए)	1.10	1.08	–	–
2.3	इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई)	14.96	14.60	–	–
2.4	निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम)	2.91	2.90	–	–
3	**पूंजी पर्याप्तता**				
3.1	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (बासेल I के अंतर्गत)	13.02	12.94	–	–
3.2	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर)(बासेल II के अंतर्गत)	14.19	14.24	–	–
3.3	टियर I पूंजी (कुल पूंजी के प्रतिशत के रूप में)	70.6	72.8	–	–
3.4	सीआरएआर(टियर I) (बासेल I)	9.2	9.4	–	–
3.5	सीआरएआर(टियर I) (बासेल II)	10.0	10.4	–	–
3.6	लीवरेज अनुपात	6.61	6.83	–	–
4	**आस्ति गुणवत्ता**				
4.1	सकल अनर्जक आस्तियां (एनपीए)	979	1,423	15.7	45.3
4.2	निवल एनपीए	417	649	7.7	55.6
4.3	किए गए कुल प्रावधान	540	747	25.0	38.3
4.4	सकल एनपीए अनुपात (सकल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में सकल एनपीए)	2.5	3.1	–	–
4.5	निवल एनपीए अनुपात (निवल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में निवल एनपीए)	1.1	1.4	–	–
4.6	प्रावधान कवरेज अनुपात	55.1	52.5	–	–
4.7	स्लिपैज अनुपात	2.03	2.51	–	–
4.8	बट्टे खाते में डाली गई राशि का अनुपात	9.8	4.4	–	–
5	**बैंक ऋण का क्षेत्रीय विनियोजन**				
5.1	कुल खाद्येतर सकल बैंक ऋण	36,674	42,897	20.6	17.0
5.2	कृषि और संबद्ध गतिविधियां	4,603	5,226	10.6	13.5
5.3	उद्योग	16,208	19,659	23.6	21.3
5.4	सेवाएं	9,008	10,330	23.9	14.7
5.5	व्यक्तिगत ऋण	6,854	7,683	17.0	12.1
6	**प्रौद्योगिकीय विनियोजन**				
6.1	क्रेडिट कार्डों की कुल संख्या (मिलियन में)	18.04	17.65	-1.6	-2.2
6.2	डेबिट कार्डों की कुल संख्या (मिलियन में)	228	278	25.2	22.1
6.3	एटीएम की संख्या	74,505	95,686	23.9	28.4
7	**ग्राहक सेवाएं ***				
7.1	कुल प्राप्त शिकायतें	76,638	77,507	0.9	1.1
7.2	निपटान की गई शिकायतों की संख्या	72,021	72,885	-13.6	1.2
7.3	निपटान की गई शिकायतों का प्रतिशत	93.98	94.04	–	–
8	**वित्तीय समावेशन**				
8.1	ऋण-जमा अनुपात	76.5	78.6	–	–
8.2	खोली गई नई बैंक शाखाओं की संख्या	5,314	6,918	2.3	30.2
8.3	वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) के अंतर्गत गांवों में खोले गये कुल बैंकिंग आउटलेट	1,16,208	1,81,753	–	56.4

-: उपलब्ध नहीं। *जून 2012 के अंत की स्थिति।

प्राप्त तथा निपटान की गई शिकायतों में आरआरबी और को-ऑपरेटिव्स भी शामिल हैं।

टिप्पणी: प्रतिशत परिवर्तन में कुछ अंतर हो सकता है क्योंकि राशियों को बिलियन रुपये में पुर्णांकित किया गया है।

परिशिष्ट सारणी IV.2: भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजर

(राशि ₹ बिलियन में)

मद	सरकारी क्षेत्र के बैंक		राष्ट्रीयकृत बैंक*		स्टेट बैंक समूह		निजी क्षेत्र के बैंक	
	2011-12	प्रतिशत घट-बढ़	2011-12	प्रतिशत घट-बढ़	2011-12	प्रतिशत घट-बढ़	2011-12	प्रतिशत घट-बढ़
1	3	4	6	7	9	10	12	13
1. वायदा विनिमय संविदा @	15,786 (26.1)	26.1	11,136 (26.1)	35.6	4,649 (26.3)	7.9	24,137 (143.9)	19.2
2. दी गई गारंटियां	4,932 (8.2)	17.6	3,019 (7.1)	17.3	1,913 (10.8)	18.0	2,081 (12.4)	12.8
3. स्वीकृतियां, अनुसमर्थन आदि #	5,866 (9.7)	13.1	3,007 (7.1)	21.1	2,858 (16.1)	5.7	1,652 (9.9)	27.4
आकस्मिक देयताएं	**26,583 (44.0)**	**21.4**	**17,162 (40.2)**	**29.3**	**9,421 (53.2)**	**9.1**	**27,870 (166.1)**	**19.1**

मद	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक		निजी क्षेत्र के नये बैंक		विदेशी बैंक		अनुसूचित वाणिज्य बैंक	
	2011-12	प्रतिशत घट-बढ़	2011-12	प्रतिशत घट-बढ़	2011-12	प्रतिशत घट-बढ़	2011-12	प्रतिशत घट-बढ़
1	3	4	6	7	9	10	12	13
1. वायदा विनिमय संविदा @	1,847 (49.3)	75.8	22,289 (171.1)	16.1	86,427 (1480.9)	-0.9	126,350 (152.2)	5.3
2. दी गई गारंटियां	201 (5.4)	23.0	1,881 (14.4)	11.9	790 (13.5)	13.6	7,803 (9.4)	15.9
3. स्वीकृतियां, अनुसमर्थन आदि #	149 (4.0)	-16.3	1,504 (11.5)	34.3	4,278 (73.3)	-16.0	11,796 (14.2)	1.9
आकस्मिक देयताएं	**2,197 (58.6)**	**57.9**	**25,674 (197.1)**	**16.7**	**91,496 (1567.8)**	**-1.6**	**145,949 (175.9)**	**5.5**

* आईडीबीआई बैंक शामिल है।

@: इसमें सभी स्वीकार्य डेरिवेटिव उत्पाद (ब्याज दर स्वैप सहित) शामिल है।

: इसमें अन्य बातों के साथ-साथ ये मदें शामिल हैं, जैसे (क) बैंकों पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है (ख) आंशिक रूप से भुगतान किये गये निवेशों के संबंध में देयताएं (ग) पुनःभुनाए गए बिल और (घ) साख-पत्र।

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित बैंक समूह की कुल देयताओं का प्रतिशत दर्शाते हैं।

2. रुपये को बिलियन में पूर्णांकित किए जाने के कारण हो सकता है कि घटकों का जोड़ मेल न खाए।

स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलन-पत्र ।

परिशिष्ट सारणी IV.3: संवेदनशील क्षेत्रों को बैंक समूह-वार उधार

(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ बिलियन में)

क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र के बैंक		राष्ट्रीयकृत बैंक*		स्टेट बैंक समूह		निजी क्षेत्र के बैंक	
	2011-12	प्रतिशत घट-बढ	2011-12	प्रतिशत घट-बढ	2011-12	प्रतिशत घट-बढ	2011-12	प्रतिशत घट-बढ
1	3	4	6	7	9	10	12	13
1. पूंजी बाजार #	383	-14.5	336	1.5	46	-60.0	380	-7.8
	(1.0)		(1.2)		(0.4)		(3.9)	
2. स्थावर संपदा @	5,308	11.5	3,465	12.7	1,843	9.3	2,036	9.4
	(13.7)		(12.7)		(16.0)		(21.1)	
3. पण्य	-	-	-	-	-	-	-	-
संवेदनशील क्षेत्रों को कुल अग्रिम	**5,690**	**9.3**	3,801	**11.6**	**1,890**	**4.8**	**2,416**	**6.3**
	(14.7)		**(13.9)**		**(16.4)**		**(25.0)**	

क्षेत्र	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक		निजी क्षेत्र के नये बैंक		विदेशी बैंक		अनुसूचित वाणिज्य बैंक	
	2011-12	प्रतिशत घट-बढ	2011-12	प्रतिशत घट-बढ	2011-12	प्रतिशत घट-बढ	2011-12	प्रतिशत घट-बढ
1	3	4	6	7	9	10	12	13
1. पूंजी बाजार #	26	14.8	354	-9.1	83	17.9	846	-9.1
	(1.1)		(4.8)		(3.6)		(1.7)	
2. स्थावर संपदा @	284	13.1	1,752	8.9	608	9.2	7,952	10.8
	(12.3)		(23.8)		(26.5)		(15.7)	
3. पण्य	-	-	-	-	16	-	16	-
					(0.7)		(0.03)	
संवेदनशील क्षेत्रों को कुल अग्रिम	**310**	**13.2**	**2,107**	**5.4**	**707**	**12.7**	**8,814**	**8.7**
	(13.5)		**(28.6)**		**(30.8)**		**(17.4)**	

\- : शून्य/नगण्य।

\# : पूंजी बाजार के प्रति एक्सपोजर में निवेश तथा अग्रिम दोनों शामिल हैं।

@ : स्थावर संपदा क्षेत्र के प्रति एक्सपोजर में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष ऋण दोनों शामिल हैं।

* : आईडीबीआई बैंक शामिल है।

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित बैंक समूह की कुल देयताओं का प्रतिशत दर्शाते हैं।

2. रुपये को बिलियन में पूर्णांकित किए जाने के कारण हो सकता है कि घटकों का जोड़ मेल न खाए।

स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलन-पत्र ।

परिशिष्ट सारणी IV.4: बीएसई में बैंक के शेयरों के मूल्य तथा मूल्य/अर्जन अनुपात

(सूचना देने के लिए नियत मार्च के अंतिम शुक्रवार को)

क्र. सं.	बैंक का नाम	अंतिम मूल्य (₹) (मार्च के अंत में)			शेयर के मुल्यों में प्रतिशत घट-बढ़	मूल्य-अर्जन अनुपात * (मार्च के अंत में)		
		2009-10	2010-11	2011-12	(2010-11 की तुलना में 2011-12)	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	राष्ट्रीयकृत बैंक							
1	इलाहाबाद बैंक	142.5	230.7	186.3	-19.3	5.2	7.1	4.8
2	आंध्रा बैंक	108.1	151.0	119.3	-21.0	5.0	5.8	5.0
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	639.3	963.2	793.7	-17.6	7.3	8.5	5.9
4	बैंक ऑफ इंडिया	340.8	478.1	361.0	-24.5	10.0	9.8	7.3
5	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	49.7	59.4	54.6	-8.2	4.9	7.7	6.1
6	केनरा बैंक	410.4	626.2	473.7	-24.4	5.6	6.4	6.3
7	कारपोरेशन बैंक	481.0	638.2	424.8	-33.4	5.8	6.4	4.1
8	देना बैंक	78.5	104.3	90.0	-13.7	4.4	4.9	3.7
9	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	92.0	146.6	239.7	63.5	7.1	7.3	5.6
10	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	320.9	387.0	252.3	-34.8	7.1	6.5	6.5
11	पंजाब नैशनल बैंक	1013.5	1220.2	926.1	-24.1	8.0	8.4	6.2
12	सिंडिकेट बैंक	86.1	122.0	111.1	-8.9	5.5	6.1	3.6
13	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	293.0	347.5	234.9	-32.4	7.6	7.6	6.0
14	विजया बैंक	47.4	79.4	58.4	-26.4	-	-	-
15	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	2079.0	2767.9	2095.0	-24.3	11.2	16.4	8.7
16	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर ऐंड जयपुर	453.7	519.6	402.8	-22.5	4.9	5.1	4.3
17	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	637.0	653.0	503.7	-22.9	5.1	5.4	6.4
18	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	612.6	744.7	581.1	-22.0	4.6	5.1	5.7
19	यूको बैंक	56.5	107.1	78.8	-26.5	3.1	6.5	4.5
20	आईडीबीआई बैंक लि.	115.0	142.5	104.7	-26.5	8.2	8.2	5.2
	निजी क्षेत्र के बैंक							
21	ऐक्सिस बैंक	1169.1	1403.7	1145.9	-18.4	18.0	17.2	11.2
22	सिटी यूनियन बैंक लि.	28.6	44.8	48.5	8.1	7.1	8.4	7.0
23	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	32.2	45.9	45.1	-1.7	-	42.9	16.5
24	धनलक्ष्मी बैंक	132.9	113.4	68.2	-39.8	36.6	34.2	17.6
25	फेडरल बैंक लि.	267.0	418.9	426.0	1.7	10.4	12.9	9.7
26	आईएनजी वैश्य बैंक	279.5	321.3	355.9	10.8	12.7	12.1	11.1
27	इंडसइंड बैंक लि.	170.7	263.7	320.8	21.7	18.9	20.0	18.7
28	जम्मू ऐंड कश्मीर बैंक लि.	679.1	874.5	917.4	4.9	6.4	6.9	5.5
29	कर्नाटक बैंक लि.	119.8	107.5	95.7	-11.0	8.9	7.1	7.3
30	करूर वैश्य बैंक लि.	458.2	399.1	372.9	-6.6	7.4	8.9	8.0
31	कोटक महिंद्रा बैंक लि.	749.1	456.9	542.5	18.7	19.9	21.1	22.0
32	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	77.8	97.8	85.8	-12.2	16.7	9.4	7.8
33	साउथ इंडियन बैंक लि.	178.3	22.9	246.0	976.6	8.6	8.8	7.0
34	एचडीएफसी बैंक लि.	1932.5	2343.0	520.1	-77.8	28.1	27.1	23.2
35	आईसीआईसीआई बैंक लि.	952.7	1112.8	887.3	-20.3	22.7	20.8	13.4
36	येस बैंक	254.9	309.9	367.3	18.5	16.4	14.7	13.2

- : उपलब्ध नहीं ।

टिप्पणी: प्रतिशत घट-बढ़ में कुछ अंतर हो सकता है क्योंकि संख्या पूर्णांकित की गई है।

* **स्रोत:** ब्लूमबर्ग ।

परिशिष्ट सारणी IV.5: देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शेयरधारिता का स्वरूप *(जारी)*

(मार्च 2012 के अंत में)

(प्रतिशत)

क्र. सं.	बैंक का नाम	कुल सरकारी और भा.रि.बैंक -निवासी	वित्तीय संस्थाएं - निवासी	वित्तीय संस्थाएं - अनिवासी	अन्य कंपनियां -निवासी	अन्य कंपनियां -अनिवासी	कुल व्यक्ति - निवासी	कुल व्यक्ति - अनिवासी	कुल - निवासी	कुल - अनिवासी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	राष्ट्रीयकृत बैंक *									
1.	इलाहाबाद बैंक	55.2	21.1	12.5	1.4	–	9.7	0.1	87.4	12.6
2.	आंध्रा बैंक	58.0	15.3	13.5	2.3	–	10.8	0.2	86.4	13.6
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	54.3	20.5	13.5	6.2	–	4.9	0.5	86.0	14.0
4.	बैंक ऑफ इंडिया	62.7	16.3	14.7	0.6	–	5.3	0.4	84.9	15.1
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	79.0	11.1	0.7	1.2	–	7.8	0.2	99.1	0.9
6.	केनरा बैंक	67.7	11.1	14.5	1.9	–	4.7	0.1	85.4	14.6
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	79.2	10.9	2.5	1.4	–	5.9	0.2	97.4	2.6
8.	कारपोरेशन बैंक	58.5	30.6	4.4	2.0	–	4.1	0.3	95.2	4.8
9.	देना बैंक	55.2	11.5	–	5.2	–	16.0	12.1	87.9	12.1
10.	आईडीबीआई बैंक लि.	70.5	17.5	–	2.0	–	9.6	0.4	99.6	0.4
11.	इंडियन बैंक	80.0	4.7	9.1	3.8	–	2.5	0.1	90.9	9.1
12.	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	69.6	14.4	3.7	2.4	–	9.4	0.5	95.8	4.2
13.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	58.0	24.4	10.3	2.7	–	4.5	0.1	89.6	10.4
14.	पंजाब ऐंड सिंध बैंक	78.2	5.9	3.0	3.0	–	9.4	0.4	96.5	3.5
15.	पंजाब नैशनल बैंक	56.1	21.8	17.4	1.0	–	3.8	–	82.6	17.4
16.	सिंडिकेट बैंक	66.2	15.5	4.0	1.9	–	12.4	–	96.0	4.0
17.	यूको बैंक	65.2	14.7	3.5	3.6	–	12.8	0.3	96.2	3.8
18.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	54.4	18.9	9.6	8.5	–	8.6	–	90.4	9.6
19.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	81.6	6.4	1.1	6.9	–	3.0	1.1	97.8	2.2
20.	विजया बैंक	55.0	9.7	4.5	5.3	–	24.9	0.6	95.0	5.0
	स्टेट बैंक समूह									
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर ऐंड जयपुर	–	78.3	–	3.8	5.1	12.7	0.2	94.7	5.3
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	–	100.0	–	–	–	–	–	100.0	–
23.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	61.6	16.8	11.2	4.2	–	6.1	0.2	88.6	11.4
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	–	94.0	–	0.3	–	5.6	0.1	99.9	0.1
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	–	100.0	–	–	–	–	–	100.0	–
26.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	1.1	76.9	3.3	2.7	–	13.0	3.0	93.7	6.3

\- : शून्य/नगण्य.
* : आईडीबीआई बैंक लि. शामिल है।
स्रोत: ऑफ साइट विवरणियां (देशी)।

परिशिष्ट सारणी IV.5: देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शेयरधारिता का स्वरूप *(समाप्त)*

(मार्च 2012 के अंत में)

(प्रतिशत)

क्र. सं.	बैंक का नाम	कुल सरकारी और भा.रि.बैंक -निवासी	वित्तीय संस्थाएं - निवासी	वित्तीय संस्थाएं - अनिवासी	अन्य कंपनियां -निवासी	अन्य कंपनियां -अनिवासी	कुल व्यक्ति - निवासी	कुल व्यक्ति - अनिवासी	कुल - निवासी	कुल - अनिवासी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक									
1.	कैथलिक सिरियन बैंक लि.	–	5.0	–	23.3	14.9	38.7	18.2	67.0	33.0
2.	सिटी यूनियन बैंक लि.	–	6.6	21.1	10.8	7.2	51.5	2.9	68.9	31.1
3.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	–	0.8	33.0	14.4	–	45.9	6.0	61.1	38.9
4.	फेडरल बैंक लि.	–	20.3	42.3	12.8	5.0	16.2	3.5	49.3	50.8
5.	आईएनजी वैश्य बैंक लि.	–	13.7	25.2	6.6	43.8	9.0	1.7	29.3	70.7
6.	जम्मू ऐंड कश्मीर बैंक लि.	53.2	2.8	25.2	7.1	–	11.3	0.4	74.4	25.6
7.	कर्नाटक बैंक लि.	–	4.5	17.9	22.8	–	54.3	0.6	81.5	18.5
8.	करूर वैश्य बैंक लि.	–	7.8	22.8	14.2	–	53.3	1.9	75.3	24.7
9.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	–	8.5	–	21.9	11.9	56.7	1.0	87.1	12.9
10.	नैनीताल बैंक लि.	–	98.6	–	–	–	1.4	–	100.0	–
11.	रत्नाकर बैंक लि.	–	–	–	24.2	32.8	39.2	3.8	63.5	36.5
12.	साउथ इंडियन बैंक लि.	–	7.6	46.2	8.4	–	34.8	3.1	50.8	49.2
13.	तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लि.	–	–	–	13.5	16.5	69.6	0.4	83.1	16.9
	निजी क्षेत्र के नए बैंक									
14.	ऐक्सिस बैंक लि.	–	43.8	41.5	8.2	–	6.2	0.2	58.3	41.7
15.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	–	7.9	–	15.6	35.6	38.4	2.5	61.9	38.1
16.	एचडीएफसी बैंक लि.	–	10.5	–	31.9	48.4	8.8	0.4	51.2	48.8
17.	आईसीआईसीआई बैंक लि.	–	20.4	63.0	10.8	–	5.7	0.2	36.8	63.2
18.	इंडसइंड बैंक लि.	–	8.1	48.8	13.1	19.8	8.8	1.4	30.0	70.0
19.	कोटक महिंद्रा बैंक लि.	–	4.6	32.8	7.5	0.6	54.0	0.6	66.1	33.9
20.	येस बैंक लि.	–	10.9	46.6	11.7	4.7	25.5	0.5	48.1	51.9

- : शून्य/नगण्य

स्रोत: ऑफ साइट विवरणियां (देशी)।

परिशिष्ट सारणी IV.6: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शाखाएं और एटीएम *(जारी)*

(मार्च 2012 के अंत में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	शाखाएं					एटीएम		
		ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	ऑन-साइट	ऑफ-साइट	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**23,776**	**22,468**	**17,878**	**17,118**	**81,240**	**47,545**	**48,141**	**95,686**
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	**22,188**	**17,773**	**14,248**	**13,257**	**67,466**	**34,012**	**24,181**	**58,193**
	राष्ट्रीयकृत बैंक	**15,606**	**12,154**	**10,744**	**10,132**	**48,636**	**18,277**	**12,773**	**31,050**
1.	इलाहाबाद बैंक	1,016	491	510	461	2,478	209	107	316
2.	आंध्रा बैंक	431	444	451	379	1,705	493	563	1,056
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	1,267	1,042	714	868	3,891	1,372	640	2,012
4.	बैंक ऑफ इंडिया	1,466	1,040	676	724	3,906	860	820	1,680
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	546	300	314	400	1,560	360	142	502
6.	केनरा बैंक	1,001	1,014	787	815	3,617	1,530	1,332	2,862
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1,465	1,046	779	726	4,016	930	753	1,683
8.	कारपोरेशन बैंक	285	397	376	370	1,428	726	548	1,274
9.	देना बैंक	396	269	265	312	1,242	430	113	543
10.	इंडियन बैंक	507	551	499	372	1,929	923	359	1,282
11.	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	720	732	604	572	2,628	903	540	1,443
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	361	443	520	443	1,767	932	338	1,270
13.	पंजाब ऐंड सिंध बैंक	317	165	246	262	990	101	17	118
14.	पंजाब नैशनल बैंक	2,176	1,281	1,039	844	5,340	3,059	2,950	6,009
15.	सिंडिकेट बैंक	850	690	619	551	2,710	1,033	207	1,240
16.	यूको बैंक	843	549	506	471	2,369	551	313	864
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	952	878	734	665	3,229	2,156	1,644	3,800
18.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	644	291	372	306	1,613	318	486	804
19.	विजया बैंक	272	292	375	317	1,256	596	154	750
20.	आईडीबीआई बैंक लि.	91	239	358	274	962	795	747	1,542
	स्टेट बैंक समूह	**6,582**	**5,619**	**3,504**	**3,125**	**18,830**	**15,735**	**11,408**	**27,143**
21.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	5,250	3,956	2,442	2,214	13,862	12,198	9,943	22,141
22.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर ऐंड जयपुर	334	271	170	181	956	620	437	1,057
23.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	367	413	284	281	1,345	1,060	311	1,371
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	219	160	154	203	736	571	231	802
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	351	286	263	161	1,061	632	211	843
26.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	61	533	191	85	870	654	275	929

टिप्पणी : 1. राष्ट्रीयकृत बैंकों में आईडीबीआई बैंक लि. शामिल है।
2. शाखाओं के आंकड़े प्रशासनिक कार्यालयों के आंकड़ों को छोड़कर हैं।

स्रोत : वाणिज्य बैंकों की मास्टर ऑफिस फाइल (अद्यतन संशोधित संस्करण)।

परिशिष्ट सारणी IV.6: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शाखाएं और एटीएम *(जारी)*

(मार्च 2012 के अंत में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	शाखाएं					एटीएम		
		ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	ऑन-साइट	ऑफ-साइट	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	निजी क्षेत्र के बैंक	**1,581**	**4,687**	**3,569**	**3,615**	**13,452**	**13,249**	**22,830**	**36,079**
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	**881**	**2,025**	**1,395**	**1,085**	**5,386**	**3,342**	**2,429**	**5,771**
1.	कैथलिक सिरियन बैंक लि.	18	203	98	50	369	121	57	178
2.	सिटी यूनियन बैंक लि.	42	104	95	61	302	234	266	500
3.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	24	106	82	61	273	171	229	400
4.	फेडरल बैंक लि.	62	520	191	157	930	647	358	1,005
5.	आईएनजी वैश्य बैंक	83	93	163	184	523	232	198	430
6.	जम्मू ऐंड कश्मीर बैंक लि.	284	100	134	64	582	344	164	508
7.	कर्नाटक बैंक लि.	94	114	148	152	508	216	136	352
8.	करूर वैश्य बैंक लि.	41	163	141	101	446	472	353	825
9.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	42	105	86	57	290	172	369	541
10.	नैनीताल बैंक लि.	25	29	25	22	101	-	-	-
11.	रत्नाकर बैंक लि.	25	30	20	26	101	43	14	57
12.	साउथ इंडियन बैंक लि.	83	332	158	116	689	523	140	663
13.	तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लि.	58	126	54	34	272	167	145	312
	निजी क्षेत्र के नए बैंक	**700**	**2,662**	**2,174**	**2,530**	**8,066**	**9,907**	**20,401**	**30,308**
14.	ऐक्सिस बैंक लि.	133	520	480	473	1,606	2,058	7,866	9,924
15.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	5	16	11	54	86	86	234	320
16.	एचडीएफसी बैंक लि.	177	913	654	768	2,512	3,823	5,090	8,913
17.	आईसीआईसीआई बैंक लि.	285	913	721	827	2,746	3,032	5,974	9,006
18.	इंडसइंड बैंक लि.	36	97	139	131	403	347	345	692
19.	कोटक महिंद्रा बैंक लि.	33	70	82	171	356	318	530	848
20.	येस बैंक लि.	31	133	87	106	357	243	362	605

-: शून्य/नगण्य

टिप्पणी : शाखाओं के आंकड़े प्रशासनिक कार्यालय के आंकड़ों को छोड़कर हैं।

स्रोत : वाणिज्य बैंकों की मास्टर ऑफिस फाइल (अद्यतन संशोधित संस्करण)

परिशिष्ट सारणी IV.6: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शाखाएं और एटीएम *(समाप्त)*

(मार्च 2012 के अंत में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	शाखाएं					एटीएम		
		ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	ऑन-साइट	ऑफ-साइट	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	विदेशी बैंक	**7**	**8**	**61**	**246**	**322**	**284**	**1130**	**1414**
1.	एबी बैंक लि.	-	-	-	1	1	-	-	-
2.	आबु धाबी कामर्शियल बैंक लि.	-	-	-	2	2	-	-	-
3.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कारपोरेशन	-	-	-	1	1	-	-	-
4.	एंटवेर्प डायमंड बैंक एन वी	-	-	-	1	1	-	-	-
5.	आस्ट्रेलिया ऐंड न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप लि.	-	-	-	1	1			
6.	बीएनपी पारिबा	-	-	-	9	9	-	-	-
7.	बैंक इंटरनैशनल इंडोनेशिया	-	-	-	1	1	-	-	-
8.	बैंक ऑफ अमरीका नैशनल अशोसिएशन	-	-	-	5	5	-	-	-
9.	बैंक ऑफ बहरीन ऐंड कुवैत बी.एस.सी.	-	-	-	2	2	-	-	-
10.	बैंक ऑफ सिलोन	-	-	-	1	1	-	-	-
11.	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	-	-	1	4	5	-	-	-
12.	बरक्लैज बैंक पीएलसी	-	1	4	4	9	7	29	36
13.	चायना ट्रस्ट कामर्शियल बैंक	-	-	-	1	1	-	-	-
14.	सिटी बैंक एन ए	-	2	12	29	43	58	645	703
15.	कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया	-	-	-	1	1	-	-	-
16.	क्रेडिट एग्रिकोल कारपोरेट ऐंड इन्वेस्टमेंट	-	-	-	6	6	-	-	-
17.	क्रेडिट सुइस एजी	-	-	-	1	1	-	-	-
18.	डीबीस बैंक लि.	3	3	-	6	12	5	34	39
19.	ड्यूश बैंक (एशिया)	1	-	6	8	15	12	52	64
20.	फर्स्ट रैंड बैंक	-	-	-	1	1	-	-	-
21.	एचएसबीसी लि.	1	1	10	38	50	70	73	143
22.	इंडस्ट्रियल ऐंड कामर्शियल बैंक ऑफ चायना	-	-	-	1	1	-	-	-
23.	जेपी मोर्गन चेस बैंक नैशनल असोसिएशन	-	-	-	1	1	-	-	-
24.	जेएससी वीटीबी बैंक	-	-	-	1	1	-	-	-
25.	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कं.लि.	-	-	-	1	1	-	-	-
26.	मशरेक बैंक पीएससी	-	-	-	2	2	-	-	-
27.	मिजुओ कारपोरेट बैंक लि.	-	-	-	2	2	-	-	-
28.	नैशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक	-	-	-	1	1	-	-	-
29.	ओमान इंटरनैशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.	-	-	1	1	2	-	-	-
30.	राबो बैंक इंटरनैशनल	-	-	-	1	1	-	-	-
31.	स्बेर बैंक	-	-	-	1	1	-	-	-
32.	सिनहान बैंक	-	1	-	2	3	-	-	-
33.	सोसाइटे जनरल	-	-	-	2	2	-	-	-
34.	सोनाली बैंक	-	-	1	1	2	-	-	-
35.	स्टैडर्ड चार्टर्ड बैंक	-	-	16	78	94	97	210	307
36.	स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस लि.	-	-	-	3	3	-	-	-
37.	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी यूएफजे, लि.	-	-	-	3	3	-	-	-
38.	दी रॉयल बैंक स्कॉटलैंड एनवी	2	-	10	19	31	35	87	122
39.	यूबीएस एजी	-	-	-	1	1	-	-	-
40.	यूनाइटेड ओवरसीज बैंक लि.	-	-	-	1	1	-	-	-
41.	वोरी बैंक	-	-	-	1	1	-	-	-

-: शून्य/नगण्य

टिप्पणी : शाखाओं के आंकड़े प्रशासनिक कार्यालय के आंकड़ों को छोड़कर हैं।

स्रोत : वाणिज्य बैंकों की मास्टर ऑफिस फाइल (अद्यतन संशोधित संस्करण)

परिशिष्ट सारणी IV.7: बैंकिंग लोकपाल कार्यालय में प्राप्त शिकायतों का विवरण *(जारी)*

(2011-12 की अवधि के लिए)

क्र. सं.	बैंक का नाम	प्रमुख श्रेणियों के अनुसार शिकायतों की संख्या							प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या
		जमा खाता	कर्ज/ अग्रिम सामान्य और आवास संबंधी	एटीएम/ क्रेडिट / डेबिट कार्ड	पेंशन	वादे पूरा न करना- बीसीएसबीआई कोड	उचित व्यवहार संहिता का पालन न करना	डीएसए तथा वसूली एजेंट संबंधी नियमों का पालन न करना	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**8,142**	**5,594**	**14,237**	**5,845**	**6,960**	**10,188**	**451**	**68,332**
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	**5,742**	**3,937**	**9,221**	**5,793**	**4,408**	**7,539**	**145**	**48,180**
	राष्ट्रीयकृत बैंक **	**3,135**	**2,086**	**3,223**	**1,975**	**2,443**	**3,379**	**58**	**22,326**
1.	इलाहाबाद बैंक	95	62	75	104	121	181	2	964
2.	आंध्रा बैंक	99	78	138	88	108	40	3	745
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	275	160	260	123	222	414	3	2,063
4.	बैंक ऑफ इंडिया	193	124	288	129	205	384	6	1,808
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	66	29	42	28	38	111	-	416
6.	केनरा बैंक	362	235	338	190	224	178	10	1,986
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	215	151	136	231	178	212	2	1,528
8.	कारपोरेशन बैंक	44	40	111	5	90	59	1	515
9.	देना बैंक	62	21	44	68	50	160	1	547
10.	इंडियन बैंक	183	219	113	78	51	55	1	847
11.	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	210	141	179	75	75	74	2	995
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	87	54	100	7	92	95	1	663
13.	पंजाब ऐंड सिंध बैंक	58	34	8	27	43	37	1	332
14.	पंजाब नैशनल बैंक	430	222	752	486	191	395	4	3,535
15.	सिंडिकेट बैंक	144	91	108	70	121	108	2	899
16.	यूको बैंक	130	93	86	120	134	238	6	1,080
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	237	131	262	109	204	277	5	1,662
18.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	61	44	45	28	129	94	3	490
19.	विजया बैंक	52	51	42	8	55	44	1	331
20.	आईडीबीआई बैंक लि.	132	106	96	1	112	223	4	920
	स्टेट बैंक समूह	**2,607**	**1,851**	**5,998**	**3,818**	**1,965**	**4,160**	**87**	**25,854**
21.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	2,109	1,386	5,198	3,466	1,664	3,877	80	22,418
22.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर ऐंड जयपुर	209	175	194	124	80	93	1	1,111
23.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	81	62	272	68	73	48	4	778
24.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	39	21	67	37	49	55	-	316
25.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	110	69	150	68	25	30	-	609
26.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	59	138	117	55	74	57	2	622

- : शून्य/नगण्य।

** : राष्ट्रीयकृत बैंकों में आईडीबीआई बैंक लि. शामिल है।

परिशिष्ट सारणी IV.7: बैंकिंग लोकपाल कार्यालय में प्राप्त शिकायतों का विवरण *(जारी)*

(2011-12 की अवधि के लिए)

क्र. सं.	बैंक का नाम	प्रमुख श्रेणियों के अनुसार शिकायतों की संख्या							प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या
		जमा खाता	कर्ज/ अग्रिम सामान्य और आवास संबंधी	एटीएम/ क्रेडिट / डेबिट कार्ड	पेंशन	वादे पूरा न करना- बीसीएसबीआई कोड	उचित व्यवहार संहिता का पालन न करना	डीएसए तथा वसूली एजेंट संबंधी नियमों का पालन न करना	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	निजी क्षेत्र के बैंक	**1,894**	**1,328**	**3,245**	**39**	**1,895**	**2,101**	**223**	**15,084**
	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	**250**	**335**	**141**	**1**	**192**	**181**	**8**	**1,569**
1.	कैथलिक सिरियन बैंक लि.	5	28	8	–	3	7	–	67
2.	सिटी यूनियन बैंक लि.	15	8	3	–	1	2	–	42
3.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	21	35	15	–	19	11	2	153
4.	फेडरल बैंक लि.	27	74	23	–	31	30	1	252
5.	आईएनजी वैश्य बैंक लि.	76	87	30	–	80	67	4	486
6.	जम्मू ऐंड कश्मीर बैंक लि.	9	2	10	1	4	11	–	57
7.	कर्नाटक बैंक लि.	5	2	18	–	17	7	–	72
8.	करूर वैश्य बैंक लि.	27	25	12	–	10	7	–	128
9.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	13	10	4	–	6	7	–	49
10.	नैनीताल बैंक लि.	3	–	–	–	1	3	–	17
11.	रत्नाकर बैंक लि.	4	–	–	–	–	1	–	6
12.	साउथ इंडियन बैंक लि.	21	46	16	–	12	26	–	169
13.	तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लि.	24	18	2	–	8	2	1	71
	निजी क्षेत्र के नए बैंक	**1,644**	**993**	**3,104**	**38**	**1,703**	**1,920**	**215**	**13,515**
14.	ऐक्सिस बैंक लि.	316	170	549	8	197	350	15	2,404
15.	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	8	17	6	–	15	20	–	94
16.	एचडीएफसी बैंक लि.	531	336	1,153	8	804	603	77	4,976
17.	आईसीआईसीआई बैंक लि.	571	376	1,211	22	559	762	105	4,771
18.	इंडसइंड बैंक लि.	69	13	62	–	48	80	10	440
19.	कोटक महिंद्रा बैंक लि.	125	72	110	–	71	92	8	720
20.	येस बैंक लि.	24	9	13	–	9	13	–	110

- : शून्य/नगण्य।

परिशिष्ट सारणी IV.7: बैंकिंग लोकपाल कार्यालय में प्राप्त शिकायतों का विवरण *(समाप्त)*

(2011-12 की अवधि के लिए)

क्र. सं.	बैंक का नाम	प्रमुख श्रेणियों के अनुसार शिकायतों की संख्या							प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या
		जमा खाता	कर्ज/ अग्रिम सामान्य और आवास संबंधी	एटीएम/ क्रेडिट / डेबिट कार्ड	पेंशन	वादे पूरा न करना- बीसीएसबीआई कोड	उचित व्यवहार संहिता का पालन न करना	डीएसए तथा वसूली एजेंट संबंधी नियमों का पालन न करना	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	विदेशी बैंक	**506**	**329**	**1,771**	**13**	**657**	**548**	**83**	**5,068**
1.	एबी बैंक लि.	–	–	–	–	–	1	–	2
2.	आबु धाबी कामर्शियल बैंक लि.	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कारपोरेशन	8	2	43	–	3	8	2	68
4.	एंटवेर्प डायमंड बैंक एन वी	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	आस्ट्रेलिया ऐंड न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप लि.	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	बीएनपी पारिबा	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	बैंक इंटरनैशनल इंडोनेशिया	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	बैंक ऑफ अमरीका नैशनल अशोसिएशन	3	–	–	–	1	–	–	7
9.	बैंक ऑफ बहरीन ऐंड कुवैत बी.एस.सी.	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	बैंक ऑफ सिलोन	1	–	–	–	–	–	–	1
11.	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	–	1	–	–	1	–	–	6
12.	बरक्लैज बैंक पीएलसी	27	35	132	2	43	37	13	337
13.	चायना ट्रस्ट कामर्शियल बैंक	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	सिटी बैंक एन ए	82	56	269	2	67	85	3	746
15.	कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	क्रेडिट एग्रिकोल कारपोरेट ऐंड इन्वेस्टमेंट	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	क्रेडिट सुइस एजी	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	डीबीस बैंक लि.	1	1	–	–	–	–	–	5
19.	ड्यूश बैंक (एशिया)	17	27	17	1	41	18	2	174
20.	फर्स्ट रैंड बैंक	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	एचएसबीसी लि.	107	38	423	1	109	140	26	1,106
22.	इंडस्ट्रियल ऐंड कामर्शियल बैंक ऑफ चायना	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	जेपी मोर्गन चेस बैंक नैशनल असोसिएशन	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	जेएससी वीटीबी बैंक	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कं.लि.	–	–	–	–	–	–	–	–
26.	मशरेक बैंक पीएससी	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	मिजुओ कारपोरेट बैंक लि.	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	नैशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	ओमान इंटरनैशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	राबो बैंक इंटरनैशनल	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	स्बेर बैंक	–	–	–	–	–	–	–	–
32.	सिनहान बैंक	–	–	–	–	–	–	–	–
33.	सोसाइटे जनरल	–	–	–	–	–	–	–	–
34.	सोनाली बैंक	–	–	–	–	1	1	–	3
35.	स्टैडर्ड चार्टर्ड बैंक	218	146	719	5	337	212	33	2,187
36.	स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस लि.	–	–	–	–	–	–	–	–
37.	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी यूएफजे, लि.	–	–	–	–	1	–	–	1
38.	दी रॉयल बैंक स्कॉटलैंड एनवी	42	23	168	2	53	46	4	425
39.	यूबीएस एजी	–	–	–	–	–	–	–	–
40.	यूनाइटेड ओवरसीज बैंक लि.	–	–	–	–	–	–	–	–
41.	वौरी बैंक	–	–	–	–	–	–	–	–

- : शून्य/नगण्य।

परिशिष्ट सारणी IV.8: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का ऋण-जमा अनुपात और निवेश तथा ऋण-जमा अनुपात - क्षेत्र-वार/ राज्य-वार

(प्रतिशत)

क्र. सं.	क्षेत्र/ राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	ऋण-जमा अनुपात					निवेश तथा ऋण-जमा अनुपात @				निवेश तथा ऋण तथा आरआईडीएफ-जमा अनुपात @	
		मार्च 2010		मार्च 2011		मार्च 2012	मार्च 2010		मार्च 2011		मार्च 2011	
		मंजूरी के अनुसार	उपयोग के अनुसार	मंजूरी के अनुसार	उपयोग के अनुसार	मंजूरी के अनुसार	मंजूरी के अनुसार	उपयोग के अनुसार	मंजूरी के अनुसार	उपयोग के अनुसार	मंजूरी के अनुसार	उपयोग के अनुसार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	अखिल भारतीय	**73.3**	**73.3**	**75.6**	**75.6**	**78.1**	**79.8**	**79.8**	**81.2**	**81.2**	**82.4**	**82.4**
1	**उत्तरी क्षेत्र**	**74.4**	**74.9**	**82.5**	**83.4**	**90.1**	**79.4**	**80.0**	**87.2**	**88.1**	**89.4**	**90.4**
	हरियाणा	63.3	76.1	71.7	85.6	102.1	70.1	82.9	78.5	92.4	79.3	93.2
	हिमाचल प्रदेश	42.2	51.0	41.6	48.6	37.2	64.2	73.0	58.0	65.0	61.1	68.2
	जम्मू और कश्मीर	46.4	47.8	38.1	35.7	34.3	58.3	59.7	48.4	46.1	52.4	50.0
	पंजाब	71.5	73.0	77.8	92.9	81.6	82.7	84.2	88.5	103.6	89.7	104.7
	राजस्थान	88.4	96.6	90.4	95.8	90.1	105.7	114.0	105.8	111.2	108.0	113.4
	चंडीगढ़	131.1	133.7	121.6	119.8	113.6	131.1	133.7	121.6	119.8	121.6	119.8
	दिल्ली	74.6	70.6	86.8	80.8	95.3	74.6	70.6	86.8	80.8	89.6	83.6
2	**उत्तर-पूर्वी क्षेत्र**	**35.5**	**39.1**	**33.8**	**36.3**	**33.8**	**45.7**	**49.3**	**42.6**	**45.1**	**44.4**	**47.0**
	अरूणाचल प्रदेश	27.5	34.4	23.7	27.4	22.5	33.5	40.3	28.2	31.9	34.1	37.8
	असम	37.8	40.5	36.5	38.9	37.3	46.5	49.2	43.8	46.2	45.2	47.6
	मणिपुर	42.1	44.8	34.8	36.6	30.1	66.7	69.5	54.9	56.7	55.4	57.2
	मेघालय	25.6	32.7	24.4	29.6	25.3	34.1	41.2	32.1	37.3	34.2	39.3
	मिजोराम	53.2	57.7	46.0	49.8	38.1	72.9	77.5	64.9	68.6	68.4	72.2
	नागालैंड	30.3	40.2	26.1	27.5	26.8	56.2	66.1	48.0	49.4	48.0	49.4
	त्रिपुरा	30.7	31.6	32.2	33.2	31.3	37.9	38.7	40.0	41.0	43.2	44.2
3	**पूर्वी क्षेत्र**	**50.8**	**53.5**	**51.4**	**53.3**	**50.0**	**59.9**	**62.6**	**59.2**	**61.1**	**60.4**	**62.4**
	बिहार	29.0	29.7	29.5	31.6	29.1	38.1	38.8	36.9	39.0	38.4	40.5
	झारखंड	35.1	36.8	34.4	35.6	33.6	42.8	44.5	40.9	42.0	42.8	44.0
	उड़ीसा	54.4	58.1	52.5	55.7	46.9	57.8	61.5	54.9	58.0	56.8	60.0
	सिक्कीम	37.2	49.5	37.9	62.4	32.0	52.1	64.4	51.0	75.4	55.0	79.5
	पश्चिम बंगाल	61.5	64.8	63.7	65.1	62.9	72.6	75.9	73.6	75.0	74.4	75.8
	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	36.5	41.1	38.1	39.1	38.0	36.5	41.1	38.1	39.1	38.1	39.1
4	**मध्य क्षेत्र**	**47.3**	**51.0**	**46.7**	**50.9**	**47.3**	**55.6**	**59.4**	**53.2**	**57.4**	**54.5**	**58.8**
	छत्तीसगढ़	52.3	55.1	52.3	56.1	53.5	55.4	58.3	52.6	56.4	53.5	57.3
	मध्य प्रदेश	60.6	63.7	55.6	60.1	57.2	69.9	73.1	63.3	67.8	65.1	69.6
	उत्तर प्रदेश	43.3	47.4	44.0	48.2	44.0	51.9	56.0	50.7	55.0	51.8	56.1
	उत्तरांचल	33.7	38.2	35.4	39.1	35.6	43.5	47.9	44.3	48.0	46.1	49.8
5	**पश्चिमी क्षेत्र**	**79.1**	**74.7**	**79.5**	**74.1**	**83.1**	**83.1**	**78.8**	**83.0**	**77.6**	**83.4**	**78.0**
	गोवा	26.5	27.9	29.1	31.1	28.9	31.8	33.2	29.6	31.6	30.3	32.2
	गुजरात	65.3	75.2	66.2	74.4	69.7	75.9	85.8	76.1	84.3	77.7	85.9
	महाराष्ट्र	82.9	75.8	83.0	75.0	87.1	85.8	78.6	85.5	77.5	85.7	77.6
	दादरा और नगर हवेली	60.0	92.9	34.8	56.2	34.4	60.0	92.9	34.8	56.2	34.8	56.2
	दमण और दीव	20.2	44.7	21.3	43.8	17.2	20.2	44.7	21.3	43.8	21.3	43.8
6	**दक्षिणी क्षेत्र**	**92.7**	**94.8**	**94.5**	**98.3**	**94.8**	**101.6**	**103.7**	**102.2**	**106.0**	**103.2**	**107.0**
	आंध्र प्रदेश	105.1	109.7	109.7	114.9	110.4	117.1	121.6	120.3	125.5	121.8	127.0
	कर्नाटक	77.6	80.4	72.7	76.3	70.7	82.7	85.6	76.8	80.4	77.5	81.1
	केरल	63.1	64.5	73.1	73.8	75.5	73.5	74.9	81.5	82.2	82.2	83.0
	तमिलनाडु	113.8	113.5	115.1	119.4	116.2	123.1	122.8	123.5	127.7	124.5	128.7
	लक्ष्यद्वीप	7.3	7.7	8.7	8.8	9.7	7.3	7.7	8.7	8.8	8.7	8.8
	पुदुचेरी	57.2	59.2	62.7	63.7	71.6	71.7	73.7	77.1	78.1	78.2	79.2

@ : बैंकों के राज्य-वार निवेश में राज्य सरकार के ऋण जैसे- राज्य स्तरीय प्रतिभूतियों की धारिताएं तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी संस्थाओं, राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्डों, महानगर पालिकाओं और पोर्ट ट्रस्टों, राज्य वित्तीय निगमों, आवास बोर्डों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, सड़क परिवहन निगमों और अन्य सरकारी और अर्ध-सरकारी निकायों के शेयर, बांड, डिबेंचर आदि शामिल हैं। अखिल भारतीय निवेश तथा ऋण-जमा अनुपात की गणना उन केंद्र सरकार और अन्य प्रतिभूतियों को छोड़कर की गई है जिनका ऊपर उल्लेख नहीं किया गया हैं ।

टिप्पणी: 1. जमा और ऋण (मंजूरी के स्थान और उपयोग के अनुसार) के 2010 और 2011 के आंकड़े 31 मार्च की स्थिति के अनुसार किए गए बीएसआर-1 और 2 सर्वेक्षण पर आधारित हैं।
2. जमा और ऋण (मंजूरी के स्थान के अनुसार) के 2012 के आंकड़े 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार किए गए बीएसआर-7 सर्वेक्षण पर आधारित हैं।
3. निवेश के आंकड़े 31 मार्च 2010 और 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार किए गए बीएसआर-5 सर्वेक्षण पर आधारित हैं।
4. आरआईडीएफ में शेष के आंकड़े नाबार्ड द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित हैं।

परिशिष्ट सारणी V.1 :अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के चुनिंदा वित्तीय मानदंड

(मार्च 2012 के अंत में)

क्र सं.	बैंक का नाम	सीआरएआर (%)	कार्यशील निधि की तुलना में निवल ब्याज आय (%)	कार्यशील निधि की तुलना में ब्याजेतर आय (%)	आस्तियों पर प्रतिलाभ (%)	जमाराशियों की औसत लागत (%)	प्रति कर्मचारी लाभ (मिलियन रुपये)	प्रति कर्मचारी कारोबार (मिलियन रुपये)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अभ्युदय को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	14.5	3.7	0.6	1.1	6.9	0.4	48.8
2	अहमदाबाद मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	31.9	3.9	0.5	1.4	5.8	0.5	37.0
3	अमानत को. ऑप. बैंक लिमिटेड, बंगलोर	-67.1	1.2	0.4	0.0	5.3	-0.2	17.2
4	आंध्रप्रदेश महेश को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	21.0	4.1	0.3	1.3	7.8	0.3	34.3
5	बसिन कैथोलिक को. ऑप. बैंक लिमिटेड	19.5	3.9	0.9	2.0	6.6	1.3	93.5
6	भारत को-ऑप. बैंक (मुंबई) लिमिटेड, मुंबई	12.8	3.5	0.7	1.5	7.6	0.8	81.1
7	भारती सहकारी बैंक लिमिटेड	15.9	4.4	0.04	1.2	7.0	0.3	40.0
8	बॉम्बे मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	5.4	3.3	1.3	0.8	5.5	0.1	19.6
9	सिटिजन क्रेडिट को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	16.8	3.1	0.7	0.9	7.0	0.4	60.2
10	कॉसमॉस को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	12.6	2.3	0.6	0.8	8.1	0.5	83.6
11	डोंबिवली नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड	14.2	3.8	1.0	1.2	6.8	0.5	63.8
12	गोवा अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	14.8	3.9	0.2	0.6	6.3	0.2	45.8
13	गोपीनाथ पाटील पारसिक जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, ठाणे	20.2	4.6	0.2	1.2	5.0	0.5	50.0
14	ग्रेटर बॉम्बे को. ऑप. बैंक लिमिटेड	18.0	3.1	0.9	0.6	7.1	0.2	41.3
15	इंडियन मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड, लखनऊ	-42.1	1.8	1.2	0.03	8.5	0.01	20.8
16	जलगांव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	11.0	2.9	0.6	0.7	7.3	0.2	35.3
17	जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई	13.4	2.8	0.5	1.2	6.9	0.5	62.9
18	जनलक्ष्मी को. ऑप. बैंक लिमिटेड, नासिक	-1.5	1.5	0.3	0.2	6.9	0.0	13.5
19	जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे	10.8	2.8	7.2	1.1	7.9	0.6	79.3
20	कालापन्ना आवडे इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	12.2	3.4	0.4	0.8	7.4	0.2	34.7
21	कालूपुर कमर्शियल को-ऑप. बैंक लिमिटेड	24.6	3.1	0.5	1.4	7.2	0.7	78.3
22	कल्याण जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कल्याण	12.7	3.2	0.8	0.9	6.8	0.6	54.7
23	कराड अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	11.4	3.6	0.7	0.9	7.3	0.2	39.6
24	माधवपुरा मर्केंटाईल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	-1870.4	1.4	0.5	1.7	0*	19.5	1434.3
25	महानगर को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	11.6	3.5	0.4	0.8	6.9	0.2	36.2
26	मापुसा अर्बन को. ऑप. बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, मापुसा	-9.7	3.4	0.8	1.1	6.4	0.2	26.6
27	मेहसाना अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	14.3	2.9	0.2	0.9	7.8	0.5	83.2
28	नगर अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, अहमदनगर	15.7	4.1	0.3	0.8	8.1	0.3	45.7
29	नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	12.7	3.8	0.7	0.7	6.5	0.1	28.4
30	नासिक मर्चेंट को. ऑप. बैंक लिमिटेड	26.4	5.2	0.5	1.7	6.7	0.4	29.9
31	न्यू इंडिया को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	16.6	3.2	0.6	0.6	6.8	0.5	85.5
32	एनकेजीएसबी को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	13.4	9.0	0.4	1.1	7.6	0.5	72.0
33	नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद	18.7	2.5	0.7	0.5	6.8	0.2	48.3
34	प्रवरा सहकारी बैंक लिमिटेड	13.4	4.0	0.3	0.5	7.8	0.1	26.5
35	पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को. ऑप. बैंक लिमिटेड	13.3	3.5	0.7	0.9	7.7	0.4	68.5
36	राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	13.3	3.0	0.5	1.4	7.8	0.7	70.9
37	रुपी को. ऑप. बैंक लिमिटेड	-92.1	6.5	0.1	0.1	5.6	0.02	25.0
38	सांगली अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, सांगली	12.3	3.0	0.8	0.6	7.5	0.1	17.3
39	सारस्वत को. ऑप. बैंक लिमिटेड, बॉम्बे	12.4	2.8	0.9	1.1	7.2	0.6	91.2
40	सरदार भिलाडवाला पारदी पीपल्स को. ऑप. बैंक लिमिटेड	27.7	4.1	0.4	0.8	5.0	0.2	37.7
41	शामराव विठ्ठल को.ऑप. बैंक लिमिटेड	12.8	3.1	0.8	1.1	7.9	0.5	74.8
42	शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपूर	12.5	3.1	0.5	2.0	6.6	0.3	24.2
43	सोलापुर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	11.5	4.0	0.5	1.2	7.4	0.4	46.6
44	सूरत पीपल्स को. ऑप. बैंक लिमिटेड	20.2	4.0	0.4	0.6	7.0	0.3	58.8
45	ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड	11.3	3.5	0.7	0.9	6.5	0.3	40.1
46	ठाणे जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	15.0	3.5	0.7	1.3	7.1	0.7	83.0
47	दी अकोला-जनता कमर्शियल को. ऑप. बैंक लिमिटेड, अकोला	12.0	3.4	0.5	0.6	7.5	0.1	28.8
48	दी अकोला अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, अकोला	11.8	2.4	0.4	0.6	7.8	0.2	43.1
49	कपोल को.ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	10.7	3.1	0.9	0.4	6.9	0.1	43.0
50	खामगांव अर्बन को ऑप. बैंक लिमिटेड, खामगांव	5.1	3.7	0.9	2.6	6.1	0.4	18.9
51	वसावी को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	9.4	8.0	0.9	0.0	3.7	0.0	8.7
52	जोरास्ट्रियन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, बॉम्बे	14.5	3.3	0.4	1.5	6.9	1.1	71.7

टिप्पणी: 2011-12 के आंकड़े अनंतिम हैं।

* बैंक, बैंककारी विनियमन अभिनियम 1949 की धारा 35(अ) के निदेशों के अधीन था।

परिशिष्ट सारणी V.2: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय कार्य-निष्पादन के प्रमुख संकेतक *(जारी)*

(कुल अस्तियों के प्रतिशत के रुप में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	परिचालनगत लाभ		करोत्तर निवल लाभ		ब्याज आय	
		2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अभ्युदय को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	1.7	1.6	1.2	1.0	7.6	8.7
2	अहमदाबाद मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.9	2.1	1.2	1.4	7.2	7.5
3	अमानत को. ऑप. बैंक लिमिटेड, बंगलोर	1.2	-0.5	1.0	-0.8	3.6	2.9
4	आंध्रप्रदेश महेश को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	2.9	2.0	1.4	1.3	9.6	9.8
5	बसिन कैथोलिक को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.8	2.7	1.9	1.9	8.4	8.9
6	भारत को-ऑप. बैंक (मुंबई) लिमिटेड, मुंबई	2.1	2.1	1.3	1.4	8.6	9.2
7	भारती सहकारी बैंक लिमिटेड	1.7	2.8	0.8	1.2	8.2	9.6
8	बॉम्बे मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.5	1.7	0.8	0.8	7.5	8.2
9	सिटिजन क्रेडिट को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	1.5	1.4	0.8	0.9	7.7	8.4
10	कॉसमॉस को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	1.7	1.5	1.0	0.8	7.3	8.1
11	डोंबिवली नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड	2.7	2.4	1.2	1.1	8.3	8.6
12	गोवा अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.0	1.9	1.0	0.6	8.3	9.2
13	गोपीनाथ पाटील पारसिक जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, ठाणे	2.3	2.4	1.2	1.2	7.6	8.5
14	ग्रेटर बॉम्बे को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.1	1.0	0.7	0.6	8.4	9.6
15	इंडियन मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड, लखनऊ	-15.9	-16.6	-15.9	-16.6	6.3	7.8
16	जलगांव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	0.9	0.9	0.6	0.7	9.5	6.0
17	जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई	0.9	1.2	1.4	1.1	8.0	8.6
18	जनलक्ष्मी को. ऑप. बैंक लिमिटेड, नासिक	0.1	0.6	-1.2	0.2	4.8	5.1
19	जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे	1.8	1.7	0.7	1.1	7.9	8.9
20	कालापन्ना आवडे इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	1.2	1.2	0.5	0.6	7.8	8.5
21	कालूपुर कमर्शियल को-ऑप. बैंक लिमिटेड	2.1	2.1	1.1	1.1	6.7	7.3
22	कल्याण जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कल्याण	2.1	1.5	1.4	0.9	7.6	8.3
23	कराड अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.3	1.5	0.6	0.7	8.9	9.0
24	माधवपुरा मर्केंटाईल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	-1.3	1.2	0.1	1.7	1.2	1.5
25	महानगर को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	1.4	1.3	0.7	0.8	8.1	8.7
26	मापुसा अर्बन को. ऑप. बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, मापुसा	1.0	1.1	1.0	1.1	8.2	9.2
27	मेहसाना अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.1	1.9	0.8	0.9	8.3	8.7
28	नगर अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, अहमदनगर	1.8	1.9	0.7	0.8	8.9	9.4
29	नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	1.0	1.8	0.4	0.7	8.1	9.0
30	नासिक मर्चेंट को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.9	2.6	1.7	1.5	8.4	9.2
31	न्यू इंडिया को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	1.3	0.9	0.8	0.6	8.1	7.9
32	एनकेजीएसबी को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	1.4	1.4	1.0	1.0	8.3	8.9
33	नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद	1.5	1.1	0.6	0.5	7.3	7.6
34	प्रवरा सहकारी बैंक लिमिटेड	1.0	1.7	0.3	0.4	8.5	9.6
35	पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को. ऑप. बैंक लिमिटेड	1.4	1.7	0.9	0.9	8.7	9.6
36	राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	2.2	2.1	1.5	1.4	8.1	8.7
37	रुपी को. ऑप. बैंक लिमिटेड	-0.5	-0.7	0.7	0.0	3.1	2.9
38	सांगली अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, सांगली	1.3	1.1	0.8	0.6	7.5	7.7
39	सारस्वत को. ऑप. बैंक लिमिटेड, बॉम्बे	1.7	1.7	1.0	1.0	7.2	7.8
40	सरदार भिलाडवाला पारदी पीपल्स को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.1	2.0	0.8	0.8	7.8	7.8
41	शामराव विठ्ठल को.ऑप. बैंक लिमिटेड	2.3	1.8	1.0	0.9	8.6	9.1
42	शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपूर	1.7	1.1	-0.6	2.0	8.4	8.3
43	सोलापुर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	1.8	1.8	0.8	1.1	8.8	9.4
44	सूरत पीपल्स को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.3	2.1	0.8	0.5	8.7	8.8
45	ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड	1.3	1.3	0.7	0.9	8.3	9.4
46	ठाणे जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	2.1	2.0	1.2	1.1	8.2	8.5
47	दी अकोला-जनता कमर्शियल को. ऑप. बैंक लिमिटेड, अकोला	0.7	1.0	0.5	0.6	8.3	8.8
48	दी अकोला अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, अकोला	1.5	1.5	0.2	0.6	7.9	8.5
49	कपोल को.ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	1.0	0.8	0.3	0.3	8.3	9.2
50	खामगांव अर्बन को ऑप. बैंक लिमिटेड, खामगांव	0.5	2.2	0.2	2.6	6.6	7.8
51	वसावी को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	0.8	1.9	0.1	-0.5	2.2	5.1
52	जोरास्ट्रियन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, बॉम्बे	1.8	2.1	1.4	1.5	8.6	9.1

टिप्पणी: 2011-12 के आंकड़े अनंतिम है।

परिशिष्ट सारणी V.2: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय कार्य-निष्पादन के प्रमुख संकेतक *(समाप्त)*

(कुल अस्तियों के प्रतिशत के रुप में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	ब्याज व्यय		प्रावधान तथा आकस्मिताएं		परिचालनगत कुल व्यय		स्प्रेड	
		2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16
1	अभ्युदय को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	4.2	5.4	0.2	0.2	6.4	7.6	3.4	3.3
2	अहमदाबाद मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	3.2	3.8	0.6	0.7	2.4	2.0	4.0	3.7
3	अमानत को. ऑप. बैंक लिमिटेड, बंगलोर	2.3	2.2	0.2	0.3	3.7	3.6	1.2	0.7
4	आंध्रप्रदेश महेश को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	5.0	5.7	0.6	0.6	7.3	7.7	4.6	4.1
5	बसिन कैथोलिक को. ऑप. बैंक लिमिटेड	4.6	5.0	1.9	1.3	1.5	1.5	3.9	3.9
6	भारत को-ऑप. बैंक (मुंबई) लिमिटेड, मुंबई	5.0	5.8	0.2	0.1	2.1	2.0	3.6	3.4
7	भारती सहकारी बैंक लिमिटेड	5.1	5.3	0.6	0.9	6.9	7.0	3.1	4.4
8	बॉम्बे मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	4.1	5.0	0.8	1.0	2.7	2.8	3.3	3.3
9	सिटिजन क्रेडिट को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	4.9	5.5	0.6	0.6	2.0	2.1	2.8	2.9
10	कॉसमॉस को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	4.8	5.9	0.2	0.5	6.4	7.2	2.5	2.2
11	डोंबिवली नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड	4.7	5.3	1.6	1.4	1.7	1.8	3.6	3.3
12	गोवा अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	4.4	5.3	0.5	0.8	6.5	7.4	4.0	3.9
13	गोपीनाथ पाटील पारसिक जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, ठाणे	3.5	3.9	1.1	1.3	5.5	6.2	4.1	4.5
14	ग्रेटर बॉम्बे को. ऑप. बैंक लिमिटेड	5.7	6.5	0.4	0.5	2.5	2.8	2.7	3.1
15	इंडियन मर्केंटाइल को. ऑप. बैंक लिमिटेड, लखनऊ	5.3	6.4	0.0	0.0	19.8	8.8	1.0	1.4
16	जलगांव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	4.7	5.5	0.2	0.2	2.2	2.3	4.8	0.5
17	जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई	5.4	5.8	0.1	0.1	2.3	2.1	2.6	2.7
18	जनलक्ष्मी को. ऑप. बैंक लिमिटेड, नासिक	3.7	3.9	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.3
19	जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे	5.3	6.3	3.8	3.6	6.7	7.8	2.7	2.6
20	कालापन्ना आवडे इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	4.7	5.7	0.7	0.6	1.3	1.2	3.1	2.8
21	कालूपुर कमर्शियल को-ऑप. बैंक लिमिटेड	3.8	4.5	1.0	1.1	1.3	1.2	2.9	2.9
22	कल्याण जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कल्याण	4.3	5.2	0.8	0.6	2.2	2.4	3.3	3.1
23	कराड अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	5.6	5.8	0.6	0.4	2.5	2.4	3.2	3.2
24	माधवपुरा मर्केंटाईल को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.3	0.0	0.0	0.0	2.5	0.2	-1.1	1.4
25	महानगर को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	4.8	5.3	0.7	0.6	2.3	2.4	3.3	3.4
26	मापुसा अर्बन को. ऑप. बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, मापुसा	5.8	6.0	0.0	0.0	2.6	2.8	2.4	3.2
27	मेहसाना अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड	5.4	5.9	0.7	0.5	1.1	1.1	2.9	2.9
28	नगर अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, अहमदनगर	5.0	5.6	0.5	0.5	7.5	7.8	3.9	3.8
29	नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	4.9	5.3	0.5	0.6	7.7	8.0	3.2	3.8
30	नासिक मर्चेंट को. ऑप. बैंक लिमिटेड	3.5	4.6	0.5	0.5	2.5	2.5	4.9	4.7
31	न्यू इंडिया को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	4.9	5.1	0.4	0.3	2.9	2.5	3.2	2.8
32	एनकेजीएसबी को. ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	5.7	6.0	0.3	0.3	1.7	1.7	2.6	2.9
33	नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद	4.2	5.1	0.5	0.9	2.3	2.1	3.0	2.5
34	प्रवरा सहकारी बैंक लिमिटेड	5.3	5.7	0.7	1.2	7.8	8.2	3.2	3.9
35	पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को. ऑप. बैंक लिमिटेड	5.3	6.1	0.2	0.3	2.9	2.5	3.4	3.5
36	राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड	4.8	5.7	0.7	0.7	1.7	1.5	3.3	3.0
37	रुपी को. ऑप. बैंक लिमिटेड	2.5	2.4	-1.2	-0.7	3.8	3.7	0.7	0.5
38	सांगली अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, सांगली	4.7	5.0	0.5	0.5	7.0	7.3	2.7	2.7
39	सारस्वत को. ऑप. बैंक लिमिटेड, बॉम्बे	4.7	5.3	0.3	0.3	1.6	1.7	2.5	2.5
40	सरदार भिलाडवाला पारदी पीपल्स को. ऑप. बैंक लिमिटेड	3.6	3.7	1.4	1.3	5.8	6.1	4.2	4.0
41	शामराव विठ्ठल को.ऑप. बैंक लिमिटेड	5.3	6.3	0.7	0.5	1.6	1.7	3.3	2.8
42	शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड, नागपूर	4.7	5.2	2.2	0.2	7.2	7.7	3.7	3.1
43	सोलापुर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	5.2	5.6	0.5	0.2	2.4	2.5	3.6	3.8
44	सूरत पीपल्स को. ऑप. बैंक लिमिटेड	4.7	4.8	1.7	1.5	6.7	6.9	4.0	4.0
45	ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड	5.2	5.9	0.7	0.4	2.4	2.9	3.1	3.5
46	ठाणे जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	4.9	5.5	0.4	0.4	1.8	1.7	3.3	3.1
47	दी अकोला-जनता कमर्शियल को. ऑप. बैंक लिमिटेड, अकोला	5.4	5.6	0.8	0.3	7.2	7.6	2.9	3.2
48	दी अकोला अर्बन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, अकोला	5.7	6.2	1.0	0.4	6.8	7.4	2.2	2.3
49	कपोल को.ऑप. बैंक लिमिटेड, मुंबई	5.4	6.2	0.1	0.5	8.3	9.3	2.9	3.0
50	खामगांव अर्बन को ऑप. बैंक लिमिटेड, खामगांव	4.6	4.7	0.2	-0.4	6.4	6.4	2.0	3.2
51	वसावी को. ऑप. अर्बन बैंक लिमिटेड	1.3	1.6	0.6	2.4	2.9	3.6	1.5	3.4
52	जोरास्ट्रियन को. ऑप. बैंक लिमिटेड, बॉम्बे	5.2	5.8	0.2	0.2	2.0	1.7	3.3	3.3

टिप्पणी: 2011-12 के आंकड़े अनंतिम है।

परिशिष्ट सारणी V.3: शहरी सहकारी बैंकों का राज्यवार वितरण

(मार्च 2012 के अंत में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	शहरी सहकारी बैंकों की कुल संख्या	शाखाओं की कुल संख्या (प्रधान कार्यालय और शाखाओं सहित)	एक्सटेंशन काउंटरों की कुल संख्या	एटीएम की कुल संख्या	उन जिलो की संख्या जहाँ यूसीबी की शाखा है	उन जिलों की संख्या जहाँ यूसीबी की शाखा नहीं हैं	जमाराशियां (₹ बिलियन)	अग्रिम (₹ बिलियन)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	उत्तरी क्षेत्र	**74**	**342**	**13**	**2**	**46**	**60**	**80**	**46**
1	हरियाणा	7	16	1	0	7	14	5	3
2	हिमाचल प्रदेश	5	9	2	0	4	8	4	2
3	जम्मू और कश्मीर	4	19	4	0	6	16	3	2
4	पंजाब	4	19	1	2	4	13	8	4
5	राजस्थान	39	205	3	0	24	9	41	25
6	दिल्ली	15	74	2	0	1	0	18	10
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**17**	**45**	**1**	**0**	**15**	**45**	**10**	**4**
7	असम	8	23	0	0	5	22	5	2
8	मणिपुर	3	10	1	0	2	7	3	1
9	मेघालय	3	5	0	0	3	4	1.4	0.7
10	मिजोरम	1	1	0	0	1	7	0.3	0.1
11	सिक्किम	1	4	0	0	2	2	0.2	0.1
12	त्रिपुरा	1	2	0	0	2	3	0.2	0.1
	पूर्वी क्षेत्र	**63**	**155**	**7**	**6**	**27**	**84**	**44**	**24**
13	बिहार	3	5	1	1	2	36	1	0.4
14	ओडिशा	12	45	4	0	12	18	11	6
15	पश्चिम बंगाल	46	103	2	5	11	8	33	18
16	झारखंड	2	2	0	0	2	22	0.2	0.1
	मध्य क्षेत्र	**139**	**440**	**26**	**18**	**82**	**82**	**84**	**43**
17	छत्तीसगढ़	12	23	1	0	8	19	4	1
18	मध्य प्रदेश	52	90	1	0	23	26	14	7
19	उत्तर प्रदेश	70	258	22	11	42	33	43	22
20	उत्तराखंड	5	69	2	7	9	4	23	13
	पश्चिमी क्षेत्र	**766**	**5,427**	**130**	**1,379**	**61**	**2**	**1,814**	**1,208**
21	गोवा	6	73	1	17	2	0	19	12
22	गुजरात	237	865	2	85	24	2	246	155
23	महाराष्ट्र	523	4,489	127	1,277	35	0	1,550	1,041
	दक्षिणी क्षेत्र	**559**	**1,826**	**16**	**30**	**97**	**6**	**353**	**254**
24	आंध्र प्रदेश	103	283	6	7	21	2	64	47
25	कर्नाटक	266	851	8	18	30	0	163	115
26	केरल	60	370	2	1	14	0	70	48
27	तमिलनाडु	129	316	0	4	31	1	54	44
28	पुदुचेरी	1	6	0	0	1	3	1.3	1
	अखिल भारतीय	**1,618**	**8,235**	**193**	**1,435**	**328**	**279**	**2,385**	**1,580**

परिशिष्ट सारणी V.4: राज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति के प्रमुख संकेतक - क्षेत्रवार और राज्यवार

(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ मिलियन में)

क्र. सं.	क्षेत्र /राज्य	लाभ / हानि की राशि		बकाया ऋण के प्रतिशत के रूप में अनर्जक आस्तियां		मांग की तुलना में वसूली (जून के अंत में प्रतिशत)	
		2010	2011अ	2010	2011अ	2010	2011अ
1	2	3	4	5	6	7	8
	उत्तरी क्षेत्र	**713**	**1,419**	**3.2**	**3.0**	**97.9**	**97.4**
1.	चडीगढ़	33	37	15.6	14.4	60.9	62.2
2.	दिल्ली	257	269	9.4	7.6	89.0	91.2
3.	हरियाणा	-140	50	0.1	0.1	99.9	99.9
4.	हिमाचल प्रदेश	355	559	13.2	12.5	80.0	67.0
5.	जम्मू और कश्मीर	0.2	2	19.1	26.3	58.3	52.5
6.	पंजाब	76	258	1.2	1.1	99.2	99.3
7.	राजस्थान	132	245	1.8	1.1	97.1	98.4
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**596**	**1,015**	**35.3**	**30.6**	**45.5**	**44.2**
8.	अरुणाचल प्रदेश	89	89	99.9	65.0	14.4	7.7
9.	असम	64	457	34.6	34.6	64.3	64.3
10.	मणिपुर	7	5	69.1	69.1	19.6	19.6
11.	मेघालय	194	221	15.0	13.3	20.1	28.3
12.	मिजोरम	21	22	15.5	15.5	75.3	75.3
13.	नागालैंड	5	6	41.9	35.3	67.1	66.0
14.	सिक्किम	16	16	7.0	7.0	62.2	62.2
15.	त्रिपुरा	199	199	18.1	18.1	65.7	65.7
	पूर्वी क्षेत्र	**333**	**340**	**7.1**	**6.8**	**91.6**	**92.4**
16.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	21	24	20.0	9.4	59.2	92.1
17.	बिहार	64	64	24.2	24.2	72.1	72.1
18.	ओडिशा	103	108	4.6	5.1	96.7	96.8
19.	पश्चिम बंगाल	145	145	4.0	4.0	91.1	91.1
	मध्य क्षेत्र	**456**	**709**	**7.3**	**6.1**	**92.4**	**94.5**
20.	छत्तीसगढ़	50	67	10.1	7.8	80.0	93.0
21.	मध्य प्रदेश	181	403	2.4	3.2	96.9	97.3
22.	उत्तर प्रदेश	204	211	10.3	7.8	90.2	91.9
23.	उत्तराखंड	21	28	12.4	12.4	97.4	97.4
	पश्चिमी क्षेत्र	**641**	**176**	**18.4**	**20.6**	**81.6**	**74.3**
24.	गोवा	9	10	10.9	8.2	80.7	87.4
25.	गुजरात	603	137	10.2	9.0	87.2	87.8
26.	महाराष्ट्र	29	29	20.9	23.5	79.6	70.6
	दक्षिणी क्षेत्र	**-290**	**966**	**5.3**	**4.9**	**93.9**	**96.2**
27.	आंध्र प्रदेश	1,367	1117	1.0	2.7	88.9	95.6
28.	कर्नाटक	93	93	4.4	4.1	97.6	97.5
29.	केरल	-1,941	-655	19.2	15.3	81.8	85.8
30.	पुदुचेरी	3	4	6.2	13.7	92.0	92.4
31.	तमिलनाडु	188	407	3.6	2.7	99.8	99.4
	अखिल भारतीय	**2,449**	**4,624**	**8.8**	**8.9**	**91.8**	**91.8**

अ.: अनंतिम

टिप्पणी: 1. बिहार, मणिपुर और पश्चिम बंगाल राज्यों के राज्य सहकारी बैंकों के 2011 के आंकड़े वही हैं जो पिछले वर्ष थे।

2. झारखंड राज्य सहकारी बैंक ने अभी तक कार्य करना शुरू नहीं किया है, अतः इसे शामिल नहीं किया गया है।

स्रोत : नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी V.5: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति के प्रमुख संकेतक - क्षेत्रवार और राज्यवार *(जारी)*

(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ मिलियन में)

क्र. सं.	क्षेत्र / राज्य	2009-10					2010-11					2010		2011	
		रिपोर्ट करनेवाले डीसीसीबी की संख्या	लाभ		हानि		रिपोर्ट करनेवाले डीसीसीबी की संख्या	लाभ		हानि		कर्ज की तुलना में एनपीए अनुपात (प्रतिशत)	वसूली अनुपात (प्रतिशत)	कर्ज की तुलना में एनपीए अनुपात (प्रतिशत)	वसूली अनुपात (प्रतिशत)
			डीसीसीबी की संख्या	राशि	डीसीसीबी की संख्या	राशि		डीसीसीबी की संख्या	राशि	डीसीसीबी की संख्या	राशि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	उत्तरी क्षेत्र	**73**	**65**	**1,130**	**8**	**358**	**73**	**62**	**1,316**	**11**	**673**	**3.9**	**79.6**	**6.2**	**83.3**
1	हरियाणा	19	15	94	4	190	19	14	45	5	253	10.2	63.7	3.8	68.5
2	हिमाचल प्रदेश	2	2	482	–	–	2	2	603	–	–	7.8	87.4	8.5	85.7
3	जम्मू और कश्मीर	3	2	8	1	33	3	–		3	229	14.8	73.3	22.5	58.7
4	पंजाब	20	18	324	2	93	20	18	279	2	31	7.0	92.5	6.0	92.8
5	राजस्थान	29	28	222	1	42	29	28	390	1	160	10.4	79.0	6.8	87.5
	पूर्वी क्षेत्र	**64**	**48**	**505**	**16**	**1,146**	**64**	**46**	**547**	**18**	**2,028**	**5.7**	**68.4**	**18.8**	**69.3**
6	बिहार	22	13	121	9	228	22	13	121	9	228	54.5	50.8	54.5	50.8
7	झारखंड	8	5	32	3	141	8	5	32	3	141	75.9	17.2	75.9	17.2
8	ओडिशा	17	13	72	4	468	17	14	114	3	1,350	2.3	69.6	13.5	70.8
9	पश्चिम बंगाल	17	17	280	–	308	17	14	280	3	308	16.0	75.6	16.0	75.6
	मध्य क्षेत्र	**104**	**95**	**3,035**	**9**	**377**	**104**	**89**	**3,038**	**15**	**1,723**	**24.7**	**68.0**	**19.7**	**70.1**
10	छत्तीसगढ़	6	6	439	–	–	6	6	396	–	–	23.1	72.1	21.8	74.4
11	मध्य प्रदेश	38	38	1,191	–	–	38	38	1,740	–	–	24.9	68.3	16.6	70.5
12	उत्तर प्रदेश	50	41	1,016	9	377	50	35	487	15	1,723	27.9	63.6	25.1	65.2
13	उत्तराखंड	10	10	390	–	–	10	10	415	–	–	13.7	87.4	13.7	87.4
	पश्चिमी क्षेत्र	**49**	**42**	**5,934**	**7**	**3,219**	**49**	**48**	**5,779**	**1**	**137**	**17.7**	**71.8**	**13.2**	**73.3**
14	गुजरात	18	17	1,125	1	33	18	18	2,145	–	–	15.9	75.6	12.7	86.0
15	महाराष्ट्र	31	25	4,809	6	3,186	31	30	3,635	1	137	18.1	70.6	13.3	68.8
	दक्षिणी क्षेत्र	**80**	**74**	**5,997**	**6**	**140**	**80**	**73**	**3,493**	**7**	**367**	**11.6**	**82.4**	**9.5**	**86.5**
16	आंध्र प्रदेश	22	22	1,340	–	–	22	21	516	1	52	12.6	78.9	10.0	84.9
17	कर्नाटक	21	18	851	3	53	21	18	851	3	53	10.9	74.5	8.4	87.9
18	केरल	14	11	273	3	87	14	12	399	2	235	12.4	87.8	9.7	86.4
19	तमिलनाडु	23	23	3,532	–	–	23	22	1,727	1	28	10.9	86.5	9.5	87.4
	अखिल भारतीय	**370**	**324**	**16,601**	**46**	**5,239**	**370**	**318**	**14,174**	**52**	**4,927**	**14.8**	**75.7**	**11.6**	**78.8**

टिप्पणी : 1. 2011 के आंकड़े अनंतिम हैं।

2. बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के 2010-11 के जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के आंकड़े वही हैं जो पिछले वर्ष थे।

स्रोत : नाबार्ड

परिशिष्ट सारणी V.6: प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के चुनिंदा संकेतक - राज्यवार *(जारी)*

(31 मार्च 2011 को)

(राशि ₹ मिलियन में)

क्र. सं.	राज्य	पीएसीएस की संख्या	जमा राशियां	कार्यशील पूंजी	बकाया ऋण तथा अग्रिम		लाभ वाली समितियां	
					कृषि	कृषेतर	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	उत्तरी क्षेत्र	**12,791**	**24,964**	**2,08,119**	**84,347**	**6,019**	**8,390**	**1,610**
1	चडीगढ़	16	0.3	2	–	1	15	0.3
2	हरियाणा	646	5,012	78,214	48,656	4,140	80	1
3	हिमाचल प्रदेश	2,110	4,482	19,024	4,071	–	1,707	193
4	जम्मू और कश्मीर	765	12	787	223	9	275	8
5	पंजाब	3,990	9,081	59,011	1,281	–	2,504	924
6	राजस्थान	5,264	6,377	51,081	30,116	1,869	3,809	483
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**3,472**	**717**	**3,834**	**424**	**62**	**593**	**836**
7	अरुणाचल प्रदेश	34	–	194	–	–	13	45
8	असम	766	–	1,112	56	3	309	764
9	मणिपुर	204	7	43	47	–	–	–
10	मेघालय	179	25	252	123	3	55	2
11	मिजोरम	133	1	32	13	0.1	24	2
12	नागालैंड	1,719	642	1,125	20	36	–	–
13	सिक्किम	169	–	70	4	0.3	90	2
14	त्रिपुरा	268	43	1,006	161	21	102	20
	पूर्वी क्षेत्र	**18,466**	**24,698**	**89,431**	**35,388**	**2,565**	**5,901**	**458**
15	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	46	1	22	16	–	15	2
16	बिहार	8,463	1,753	5,082	–	–	1,180	60
17	झारखंड	498	774	4,878	2,866	–	118	15
18	ओडिशा	2,452	7,982	39,730	21,476	811	581	195
19	पश्चिम बंगाल	7,007	14,187	39,719	11,030	1,754	4,007	185
	मध्य क्षेत्र	**15,426**	**13,875**	**86,685**	**44,713**	**2,730**	**7,878**	**1,861**
20	छत्तीसगढ़	1,213	2,619	10,565	5,603	376	834	242
21	मध्य प्रदेश	4,526	7,043	54,899	27,554	1,267	1,946	1,064
22	उत्तराखंड	758	3,531	8,629	3,553	1,087	562	377
23	उत्तर प्रदेश	8,929	682	12,593	8,003	–	4,536	177
	पश्चिमी क्षेत्र	**29,541**	**13,229**	**2,23,739**	**1,15,608**	**19,965**	**14,996**	**4,643**
24	गोवा	81	337	585	63	238	56	0.1
25	गुजरात	8,117	11,795	84,094	38,616	1,404	4,720	971
26	महाराष्ट्र	21,343	1,097	1,39,060	76,929	18,323	10,220	3,672
	दक्षिणी क्षेत्र	**13,717**	**2,94,897**	**8,30,412**	**1,65,909**	**2,29,472**	**6,796**	**9,004**
27	आंध्र प्रदेश	2,792	12,086	3,48,396	40,565	1,863	980	252
28	कर्नाटक	4,811	32,372	1,01,725	45,131	24,419	2,818	5,095
29	केरल	1,573	2,11,398	2,63,802	46,748	1,70,008	789	2,072
30	पुदुचेरी	53	707	1,272	130	308	25	14
31	तमिलनाडु	4,488	38,334	1,15,216	33,335	32,876	2,184	1,571
	अखिल भारतीय	**93,413**	**3,72,382**	**14,42,219**	**4,46,390**	**2,60,814**	**44,554**	**18,412**

– : शून्य/नगण्य

स्रोत : राज्य सहकारी बैंक राष्ट्रीय महासंघ (एनएएफसीओबी)

परिशिष्ट सारणी V.6: प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के चुनिंदा संकेतक - राज्यवार *(समाप्त)*

(31 मार्च 2011 को)

(राशि ₹ मिलियन में)

क्र. सं.	राज्य	हानिग्रस्त समितियां		अर्थक्षम	संभावित रूप से अर्थक्षम	निष्क्रिय	अप्रचलित	अन्य
		संख्या	राशि					
1	2	10	11	12	13	14	15	16
	उत्तरी क्षेत्र	**3,413**	**765**	**9,047**	**2,761**	**666**	**249**	**68**
1	चडीगढ़	1	0.01	15	–	1	–	–
2	हरियाणा	566	27	646	–	–	–	–
3	हिमाचल प्रदेश	340	20	460	1,599	35	5	11
4	जम्मू और कश्मीर	356	150	275	173	96	219	2
5	पंजाब	970	129	3,206	290	490	4	–
6	राजस्थान	1,180	439	4,445	699	44	21	55
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**975**	**1,117**	**2,070**	**350**	**667**	**385**	**0**
7	अरुणाचल प्रदेश	19	72	20	5	4	5	–
8	असम	419	991	709	57	–	–	–
9	मणिपुर	108	0	195	–	8	1	–
10	मेघालय	124	4	138	41	–	–	–
11	मिजोरम	109	18	133	–	–	–	–
12	नागालैंड	–	–	457	228	655	379	–
13	सिक्किम	30	0.4	158	11	–	–	–
14	त्रिपुरा	166	32	260	8	–	–	–
	पूर्वी क्षेत्र	**9,224**	**2,351**	**14,382**	**2,802**	**567**	**371**	**344**
15	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	28	9	38	7	–	1	–
16	बिहार	3,962	9	8,463	–	–	–	–
17	झारखंड	380	293	352	143	3	–	–
18	ओडिशा	1,854	1,893	1,810	512	10	1	119
19	पश्चिम बंगाल	3,000	147	3,719	2,140	554	369	225
	मध्य क्षेत्र	**4,900**	**1,946**	**12,190**	**2,548**	**436**	**180**	**72**
20	छत्तीसगढ़	379	37	1,123	90	–	–	–
21	मध्य प्रदेश	2,368	1,802	3,373	1,076	6	–	71
22	उत्तराखंड	185	93	579	113	48	17	1
23	उत्तर प्रदेश	1,968	15	7,115	1,269	382	163	–
	पश्चिमी क्षेत्र	**13,000**	**5,546**	**18,805**	**9,848**	**640**	**72**	**176**
24	गोवा	25	0.2	59	14	8	–	–
25	गुजरात	2,274	1,215	4,731	2,566	572	72	176
26	महाराष्ट्र	10,701	4,331	14,015	7,268	60	–	–
	दक्षिणी क्षेत्र	**6,553**	**8,731**	**9,491**	**3,289**	**283**	**107**	**547**
27	आंध्र प्रदेश	1,812	4,545	2,222	556	5	7	2
28	कर्नाटक	1,952	939	3,685	908	24	21	173
29	केरल	692	2,030	1,335	176	19	18	25
30	पुदुचेरी	28	78	25	28	–	–	–
31	तमिलनाडु	2,069	1,139	2,224	1,621	235	61	347
	अखिल भारतीय	**38,065**	**20,457**	**65,985**	**21,598**	**3,259**	**1,364**	**1,207**

– : शून्य/नगण्य

स्रोत : राज्य सहकारी बैंक राष्ट्रीय महासंघ (एनएएफसीओबी)

परिशिष्ट सारणी V.7: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की वित्तीय स्थिति के प्रमुख संकेतक - राज्यवार

(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ मिलियन में)

क्र. सं.	क्षेत्र/राज्य	शाखाएं	लाभ / हानि		कर्ज की तुलना में एनपीए अनुपात (प्रतिशत)		वसूली अनुपात (प्रतिशत)	
		2011	2009-10	2010-11	2010	2011	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	उत्तरी क्षेत्र	**85**	**91**	**-785**	**18.4**	**17.2**	**51.5**	**50.6**
1	हरियाणा @	–	50	-1,166	28.0	28.0	46.5	46.5
2	हिमाचल प्रदेश #	33	12	11	–	0.1	51.4	44.3
3	जम्मू और कश्मीर *	45	-24	-27	46.1	34.5	29.1	31.1
4	पंजाब @	–	275	193	–	–	78.9	78.9
5	राजस्थान @	7	-221	204	18.0	23.2	51.8	52.4
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**33**	**-35**	**-63**	**39.8**	**39.8**	**35.4**	**35.4**
6	असम *	28	-35	-62	79.7	79.7	36.4	36.3
7	त्रिपुरा *	5	-1	-1	39.6	39.6	69.8	69.8
	पूर्वी क्षेत्र	**138**	**71**	**-16**	**69.8**	**67.6**	**36.9**	**36.9**
8	बिहार *	131	-5	-5	85.3	85.3	2.0	2.0
9	ओडिशा @	5	-13	-13	100.0	100.0	48.9	48.9
10	पश्चिम बंगाल #	2	90	3	24.0	17.6	59.8	59.8
	मध्य क्षेत्र	**349**	**-498**	**-454**	**47.5**	**50.6**	**35.3**	**34.2**
11	छत्तीसगढ़ @	–	5	2	50.0	46.3	36.2	31.3
12	मध्य प्रदेश @	7	-609	-609	40.0	51.7	26.2	21.1
13	उत्तर प्रदेश *	342	106	153	52.4	53.9	43.4	50.1
	पश्चिमी क्षेत्र	**181**	**319**	**-771**	**74.7**	**73.8**	**25.2**	**24.9**
14	गुजरात *	181	355	371	51.4	49.5	37.2	47.2
15	महाराष्ट्र @	–	-36	-1,142	98.0	98.0	13.3	2.6
	दक्षिणी क्षेत्र	**56**	**-632**	**-620**	**20.2**	**20.4**	**59.0**	**58.2**
16	कर्नाटक @	23	-825	-825	29.0	29.7	43.9	41.0
17	केरल @	14	176	185	6.0	6.0	91.3	91.3
18	पुदुचेरी *	1	-1	-1	4.9	4.9	95.7	95.7
19	तमिलनाडु @	18	19	21	41.0	41.0	4.9	4.9
	अखिल भारतीय	**842**	**-683**	**-2,708**	**33.2**	**34.3**	**40.5**	**40.0**

– : उपलब्ध नहीं @ संघीय संरचना # मिश्रित संरचना * एकल संरचना

टिप्पणी : 1. 2011 के आंकड़े अनंतिम हैं।

2. वर्ष 2010-11 के लिए बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, तामिलनाडु और त्रिपुरा के आंकड़े वही हैं जो पिछले वर्ष थे।

3. मणिपुर राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का कार्य बंद हो चुका है।

स्रोत : नाबार्ड

परिशिष्ट सारणी V.8: प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की वित्तीय स्थिति के प्रमुख संकेतक - राज्यवार

(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ मिलियन में)

राज्य	2009-10				2010-11				कर्ज की तुलना में एनपीए अनुपात (प्रतिशत)		वसूली अनुपात (प्रतिशत) (जून के अंत में)	
	लाभ		हानि		लाभ		हानि					
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	2010	2011	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
उत्तरी क्षेत्र	**104**	**505**	**41**	**2,050**	**105**	**522**	**40**	**2,052**	**30.9**	**30.9**	**46.4**	**47.4**
हरियाणा	–	–	19	1,656	–	–	19	1,656	49.9	49.9	27.1	27.1
हिमाचल प्रदेश	1	17	–	–	1	5	–	–	–	–	61.3	57.7
पंजाब	80	379	9	36	80	379	9	36	35.2	35.2	59.4	59.4
राजस्थान	23	109	13	358	24	138	12	360	38.3	38.5	37.8	45.3
मध्य क्षेत्र	**16**	**22**	**34**	**357**	**10**	**150**	**40**	**805**	**52.3**	**57.9**	**44.1**	**37.6**
छत्तीसगढ़	3	3	9	63	3	43	9	302	46.1	47.2	52.9	47.6
मध्य प्रदेश	13	19	25	295	7	108	31	503	58.5	68.6	35.3	27.5
पूर्वी क्षेत्र	**38**	**336**	**32**	**164**	**38**	**336**	**32**	**163**	**63.9**	**58.8**	**46.7**	**46.7**
ओडिशा	32	324	14	31	32	324	14	31	97.5	97.5	48.5	48.5
पश्चिम बंगाल	6	12	14	132	6	12	14	132	30.3	20.0	44.9	44.9
पश्चिमी क्षेत्र	**–**	**–**	**29**	**–**	**–**	**–**	**29**	**–**	**75.0**	**75.0**	**8.0**	**20.8**
महाराष्ट्र	–	–	29	–	–	–	29	–	75.0	75.0	8.0	20.8
दक्षिणी क्षेत्र	**137**	**445**	**266**	**867**	**176**	**592**	**227**	**558**	**37.3**	**37.3**	**41.0**	**44.5**
कर्नाटक	56	219	121	565	95	365	82	256	35.8	35.8	43.9	54.4
केरल	32	141	17	97	32	141	17	97	33.9	33.9	66.9	66.9
तमिलनाडु	49	85	131	205	49	85	131	205	42.2	42.2	12.1	12.1
अखिल भारतीय	**295**	**1,309**	**402**	**3,438**	**329**	**1,599**	**368**	**3,578**	**42.6**	**41.7**	**37.2**	**39.4**

टिप्पणी : 2011 के आंकड़े अनंतिम हैं।
स्रोत : नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी V.9: किसान क्रेडिट कार्ड योजना - राज्यवार प्रगति

(मार्च 2012 के अंत में)

(राशि ₹ बिलियन में और जारी किए गए कार्ड हजार में)

क्र. सं.	राज्य / संघ शासित प्रदेश	सहकारी बैंक		क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक		वाणिज्य बैंक		कुल	
		जारी कार्ड	स्वीकृत राशि	जारी कार्ड	स्वीकृत राशि	जारी कार्ड	स्वीकृत राशि	जारी कार्ड	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	उत्तरी क्षेत्र	**189**	**9.8**	**188**	**26.1**	**745**	**152.7**	**1,122**	**188.6**
1	हरियाणा	26	1.8	47	6.2	118	25.7	191	33.7
2	हिमाचल प्रदेश	13	1.9	16	1.7	34	3.6	63	7.2
3	जम्मू और कश्मीर	1	0.04	8	0.5	5	0.4	14	0.9
4	नवी दिल्ली #$	–	–	–	–	5	1.3	5	1.3
5	पंजाब	24	2.3	25	5.4	165	59.5	214	67.2
6	राजस्थान	125	3.8	92	12.3	416	61.6	633	77.7
7	चडीगढ़ #$	–	–	–	–	2	0.6	2	0.6
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**31**	**0.3**	**130**	**2.8**	**236**	**7.8**	**397**	**10.9**
8	असम	7	0.1	84	2.3	160	5.4	251	7.8
9	अरुणाचल प्रदेश #	–	–	–	–	7	0.2	7	0.2
10	मेघालय #	3	0.03	2	0.04	20	0.7	25	0.7
11	मिजोरम #	–	0.01	1	0.02	5	0.3	6	0.3
12	मणिपुर #	–	–	–	–	3	0.1	3	0.1
13	नागालैंड #	–	–	–	–	11	0.4	11	0.4
14	त्रिपुरा #	21	0.2	43	0.5	28	0.7	92	1.4
15	सिक्किम #$	–	–	–	–	2	0.1	2	0.1
	पश्चिमी क्षेत्र	**333**	**10.2**	**83**	**4.1**	**895**	**93.0**	**1,311**	**107.3**
16	गुजरात	126	3.3	37	2.0	200	29.0	363	34.3
17	महाराष्ट्र	206	6.9	46	2.1	694	63.8	946	72.8
18	गोवा $	1	0.02	–	–	1	0.2	2	0.2
19	दमन और दीव @#$	–	–	–	–	–	0.03	–	0.03
20	दादरा और नगर हवेली @$	–	–	–	–	–	0.01	–	0.01
	मध्य क्षेत्र	**1,192**	**57.9**	**682**	**42.8**	**1,349**	**147.4**	**3,223**	**247.9**
21	उत्तर प्रदेश	476	9.4	521	32.2	946	98.9	1,943	140.4
22	उत्तराखंड	48	1.1	8	0.5	80	9.0	136	10.6
23	मध्य प्रदेश	473	39.6	79	8.1	289	36.7	841	84.4
24	छत्तीसगढ़	195	7.7	74	2.0	34	2.8	303	12.5
	दक्षिणी क्षेत्र	**419**	**17.3**	**352**	**17.7**	**2,509**	**243.2**	**3,280**	**278.1**
25	कर्नाटक	109	4.2	93	6.0	427	49.6	629	59.8
26	केरल	129	7.0	51	4.1	162	24.3	342	35.4
27	आंध्र प्रदेश	27	1.7	143	5.2	1,244	82.0	1,414	88.9
28	तमिलनाडु	154	4.3	65	2.4	662	86.2	881	92.9
29	लक्षद्वीप @$	–	–	–	–	1	0.02	1	0.02
30	पुदुचेरी #	–	–	–	–	13	1.1	13	1.1
	पूर्वी क्षेत्र	**797**	**11.0**	**560**	**21.6**	**1,070**	**50.9**	**2,427**	**83.5**
31	ओडिशा	674	8.0	84	1.5	250	8.4	1,008	17.9
32	पश्चिम बंगाल	77	2.1	203	6.1	331	14.0	611	22.2
33	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह #$	1	0.03	–	–	1	0.01	2	0.0
34	बिहार	35	0.8	204	12.9	345	23.4	584	37.1
35	झारखंड	10	0.1	69	1.1	143	5.1	222	6.3
	कुल	**2,961**	**106.4**	**1,995**	**115.2**	**6,804**	**695.1**	**11,760**	**916.8**

राज्य सहकारी बैंक केंद्रीय वित्तीयन एजेंसी के रूप में कार्य करता है। @ इन संघ शासित प्रदेशों में सहकारी बैंक नहीं है। $ इन राज्यों /संघ शासित प्रदेशों में सहकारी बैंक नहीं है।

स्रोत : नाबार्ड।

परिशिष्ट सारणी VI.1: वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता *(जारी)*

(राशि मिलियन, रुपये में)

संस्थाएं	कर्ज *				हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान			
	2010-11		2011-12		2010-11		2011-12	
	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं								
बैंक (1, 2 तथा 3)	**498.8**	**456.4**	**466.0**	**447.9**	**45.6**	**15.3**	**11.8**	**29.4**
1. आईएफसीआई	80.1	70.1	34.3	33.8	42.5	13.9	10.4	25.7
2. सिडबी	418.7	386.3	431.7	414.1	3.1	1.4	1.3	3.7
3. आईआईबीआई	–	–	–	–	–	–	–	–
आ. विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं (4,5 तथा 6)	**8.2**	**4.3**	**9.8**	**7.4**	**0.1**	**0.1**	**0.5**	**0.5**
4. आईवीसीएफ	1.6	1.3	3.1	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0
5. आईसीआईसीआई वेंचर	..	..			..	..	..	..
6. टीएफसीआई	6.6	3.0	6.7	4.6	0.1	0.1	0.5	0.5
इ. निवेश संस्थाएं (7 तथा 8)	**91.2**	**31.5**	**17.4**	**27.0**	**355.7**	**368.0**	**524.9**	**490.1**
7. एलआईसी	91.2	31.5	17.4	27.0	343.3	355.6	512.3	477.6
8. जीआईसी @	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	12.4	12.6	12.6
ई. वित्तीय संस्थाएं (अ+आ+इ)	**598.2**	**492.2**	**493.2**	**482.3**	**401.4**	**383.4**	**537.1**	**520.0**
उ. राज्य स्तरीय संस्थाएं (9 तथा 10)								
9. एसएफसी	..	..	..	..	..	..	..	..
10. एसआईडीसी	..	..	..	..	..	..	..	..
ऊ. सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल सहायता (ई+उ)	**598.2**	**492.2**	**493.2**	**482.3**	**401.4**	**383.4**	**537.1**	**520.0**

स्वी : स्वीकृत संवि : संवितरित -: शून्य .. : उपलब्ध नहीं

* : कर्ज में रुपया कर्ज और विदेशी मुद्रा कर्ज शामिल है।

@ : आंकड़ो में साधारण बीमा निगम और उसकी सहायक कंपनियां शामिल हैं।

टिप्पणी : सभी आकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाएं।

परिशिष्ट सारणी VI.1: वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता *(समाप्त)*

(राशि ₹ बिलियन में)

संस्थाएं	कुल				प्रतिशत घट-बढ़	
	2010-11		2011-12		2011-12	
	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.	स्वी.	संवि.
1	10	11	12	13	14	15
अ. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं						
बैंक (1, 2 तथा 3)	**544.7**	**472.0**	**478.1**	**477.6**	**-12.2**	**1.2**
1. आईएफसीआई	122.6	84.0	44.7	59.5	-63.6	-29.2
2. सिडबी	422.1	388.0	433.4	418.1	2.7	7.8
3. आईआईबीआई	–	–	–	–	–	–
आ. विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं (4,5 तथा 6)	**9.0**	**5.1**	**10.9**	**8.5**	**21.3**	**66.8**
4. आईवीसीएफ	1.6	1.3	3.1	2.9	94.4	119.7
5. आईसीआईसीआई वेंचर	..	..	..	..		
6. टीएफसीआई	7.4	3.8	7.8	5.6	5.7	48.7
इ. निवेश संस्थाएं (7 तथा 8)	**450.5**	**401.4**	**544.1**	**519.7**	**20.8**	**29.5**
7. एलआईसी	438.1	389.0	531.5	507.1	21.3	30.3
8. जीआईसी @	12.4	12.4	12.6	12.6	1.7	1.7
ई. वित्तीय संस्थाएं (अ+आ+इ)	**1,004.2**	**878.5**	**1,033.0**	**1,005.8**	**2.9**	**14.5**
उ. राज्य स्तरीय संस्थाएं (9 तथा 10)						
9. एसएफसी	..	..	..	..	..	..
10. एसआईडीसी	..	..	..	..	..	..
ऊ. सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल सहायता (ई+उ)	**1,004.2**	**878.5**	**1,033.0**	**1,005.8**	**2.9**	**14.5**

परिशिष्ट सारणी VI.2: प्राथमिक व्यापारियों के वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि ₹ मिलियन में)

प्राथमिक व्यापारी का नाम		वर्ष	आय				व्यय			कर पूर्व लाभ	करोत्तर लाभ	निवल मालियत पर प्रतिलाभ (प्रतिशत)
			ब्याज आय (बट्टा आय सहित)	व्यापार लाभ	अन्य आय	कुल आय	ब्याज व्यय	अन्य व्यय	कुल व्यय			
क्र. सं.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	एसटीसीआई - पीडी	2010-11	1,375	-133	44	1,286	1,049	156	1,205	81	54	1.9
		2011-12	1,696	-128	39	1,607	1,556	143	1,700	-93	-93	-3.6
2	एसबीआई डीएफएचआई लि.	2010-11	1,453	234	27	1,714	674	187	861	853	532	5.3
		2011-12	1,978	14	27	2,019	1,206	163	1,369	650	435	4.9
3	आईसीआईसीआई सिक्युरिटीज लि.	2010-11	3,011	356	222	3,589	2,255	531	2,786	803	528	9.0
		2011-12	4,455	1,349	180	5,984	4,034	676	4,710	1,274	857	13.65
4	पीएनबी गिल्टस् लि.	2010-11	989	-112	154	1,031	516	75	591	440	306	5.3
		2011-12	1,659	-143	142	1,658	1,257	105	1,361	296	211	3.66
5	मोर्गन स्टैनली - पीडी	2010-11	1,095	136	27	1,258	797	187	984	274	182	6.5
		2011-12	1,303	-306	62	1,058	1,017	207	1,224	-165	-167	-4.6
6	नोमूरा फाइ. सि.लि.	2010-11	1,014	123	8	1,145	694	268	962	183	122	3.3
		2011-12	1,629	-519	538	1,648	1,329	291	1,620	27	26	0.7
7	ड्यूश सिक्युरिटीज (भारत) प्रा.लि.	2010-11	373	-83	8	298	187	44	231	67	45	2.0
		2011-12	395	-24	13	383	232	40	272	111	75	3.3
8	गोल्डमैन सेचस् *	2010-11										
		2011-12	707	393	11	1,111	546	266	812	299	200	8.3
कुल		**2010-11**	**9,310**	**521**	**490**	**10,321**	**6,172**	**1,448**	**7,620**	**2,701**	**1,769**	**5.1**
		2011-12	**13,822**	**636**	**1,011**	**15,469**	**11,176**	**1,891**	**13,067**	**2,401**	**1,545**	**4.4**

* गोल्डमैन सेचस् ने पीडी का कारोबार 18 अप्रैल 2011 से शुरू किया।
सभी राशि निकटतम मिलियन रुपये में पूर्णांकित की गई है।
– : लागू नहीं है।
स्रोत : प्राथमिक व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियां।

परिशिष्ट सारणी VI.3: प्राथमिक व्यापारियों के चुनिंदा वित्तीय संकेतक

(राशि ₹ बिलियन में)

क्र. सं.	प्राथमिक व्यापारी का नाम	पूंजीगत निधियां (टियर I + टियर II + पात्र टियर III)		सीआरएआर (प्रतिशत)		सरकारी प्रतिभूतियों व खजाना बिलों का स्टॉक (बही मूल्य/एमटीएम)		कुल आस्तियाँ (चालू देयताओं और प्रावधानों को घटाकर)	
		2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ड्यूश सिक्युरिटीज (भारत) प्रा.लि.	2.2	2.2	265	185	3.3	3.5	3.8	3.5
2	आईसीआईसीआई सिक्युरिटीज प्राइमरी डीलर लि.	8.9	10.6	29	48	31.5	47.1	55.1	69.0
3	गोल्डमैन सेचस् * / आईडीबीआई गिल्ट्स लि.	1.6	2.4	248	64	3.7	12.7	0.0	15.3
4	मोर्गन स्टैनली इंडिया प्राइमरी डीलर प्रा. लि.*	2.9	3.7	21	35	2.7	3.7	3.2	2.5
5	नोमूरा फिक्स्ड इनकम सिक्युरिटीज प्रा. लि. **	3.7	4.1	41	41	8.1	15.5	12.3	16.4
6	पीएनबी गिल्टस् लि.	5.7	5.7	94	75	11.4	24.7	14.3	27.7
7	एसबीआई डीएफएचआई लि.	8.5	8.7	130	94	11.2	24.6	16.6	30.0
8	एसटीसीआई प्राइमरी डीलर लि.	2.7	2.7	26	25	14.5	12.6	20.7	21.5
	कुल	**36.3**	**40.2**	**46**	**54**	**86.4**	**144.4**	**125.9**	**185.9**

* गोल्डमैन सेचस् ने पीडी का कारोबार 18 अप्रैल 2011 से शुरू किया।

सभी राशि निकटतम बिलियन रुपये में पूर्णांकित की गई है।

स्रोत : प्राथमिक व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियां।